योदश माला, खंड 23, अंक 14

मंगलवार, 19 मार्च, 2002

28 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)]

अंक 14, मंगलवार, 19 मार्च, 2002/28 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 223 से 225 2–39

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 221, 222 और 226 से 240 39–102

अतारांकित प्रश्न संख्या 2355 से 2568 102–387

सभा पटल पर रखे गए पत्र 387–400

उत्तर प्रदेश बजट, 2002-2003 401

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 2001-2002 401

पल्लकड़, केरल में पुलिस द्वारा संसद सदस्य पर हमला किए जाने के बारे में 425–427

महाराष्ट्र के जनजातीय लोगों द्वारा भू-स्वामित्व अधिकार के लिए धरना दिए जाने के बारे में 430–431

निर्वाचन और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2002 440–442

नियम 377 के अधीन मामले 443–449

(एक) मध्य प्रदेश में छतरपुर-सागर-देवरी-करेली-नागपुर के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 443

(दो) उत्तर प्रदेश में बहराइच और श्रावस्ती जिलों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पदमसेन चौधरी 443

(तीन) उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि को गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों को हस्तान्तरित करने का प्रतिषेध करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू 444

(चार) केरल के कोचीन शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जार्ज ईडन 445

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) दुर्गापुर और कोलकाता के बीच फास्ट पैसेन्जर ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	445
(छह) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए दिए जाने वाले दान पर आय कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राजैया मल्याला	445
(सात) विशाखापत्तनम ज़िले में आंध्र प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के 'भीमिली ब्रांच सैंड प्रोजेक्ट' को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	446
(आठ) उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं को प्रदत्त मानदेय बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	447
(नौ) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले को सीधी रेल सेवा द्वारा अन्य महानगरों से जोड़ने की आवश्यकता	
डा. बलिराम	447
(दस) तमिलनाडु के वेल्लौर जिले में अनीकट ब्लाक में उत्तर कावेरी नदी पर बांध बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.टी. षणमुगम	448
(ग्यारह) कर्नाटक में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा	448
सीमा शुल्क टैरिफ के बारे में अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	449–450
सामान्य बजट, 2002-2003—सामान्य चर्चा **लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2002-2003** **अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-2002** **और** **अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1998-1999**	450–584
श्री मणिशंकर अय्यर	473
श्री वैको	485
श्री रूपचन्द पाल	498
डा. बी.बी. रमैया	510
श्री रामजीलाल सुमन	518
श्री किरीट सोमैया	523

विषय **कॉलम**

श्री रमेश चेन्नितला 535

श्री सुबोध मोहिते 543

श्री प्रबोध पण्डा 546

डा. संजय पासवान 550

श्री सी. श्रीनिवासन 554

श्री आदि शंकर 564

श्री के.ए. सांगतम 569

श्री ब्रह्मानन्द मंडल 573

कुंवर अखिलेश सिंह 579

लोक सभा

मंगलवार, 19 मार्च, 2002/28 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी बेंचें आज खाली हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल शुरू होगा।

प्रश्न सं. 221, डा. रामचन्द्र डोम।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सत्तापक्ष को क्या हुआ? ये बेंचें तो पूरी खाली पड़ी हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल शुरू होगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या सभा का संचालन हम कर रहे हैं? सरकार सभा का संचालन कर रही है। वे आज यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आज 19 तारीख है। श्री वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसलिए, भाजपा के सदस्य इसके उपलक्ष्य में समारोह कर रहे हैं। इसलिए, वे थोड़ी देर से आएंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न काल शुरू होगा।

डा. रामचन्द्र डोम।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रामचन्द्र डोम उपस्थित नहीं हैं। अब प्रश्न सं. 222, श्री विकास चौधरी—अनुपस्थित हैं क्या हो गया है? आज सभी अनुपस्थित हैं? डा. रामचन्द्र डोम अनुपस्थित हैं। श्री विकास चौधरी अनुपस्थित हैं।

अब श्री रूपचन्द पाल—अनुपस्थित हैं।

श्री रूपचन्द पाल भी अनुपस्थित हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हैदराबाद में उनके दल का सम्मेलन है...*(व्यवधान)* कुछ लोग समारोह मना रहे हैं और कुछ लोग सम्मेलन में हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

मदरसों का विदेशों द्वारा वित्त पोषण

+

***223. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:**
श्री के. येरननायडू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सीमा क्षेत्रों में चल रहे मदरसों के विदेशों द्वारा वित्त पोषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है जैसा कि 24 फरवरी, 2002 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन मदरसों का वित्त पोषण विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कराची स्थित एक न्यास द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो अवैध रूप से विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे मदरसों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) इन मदरसों को सहायता प्रदान करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) ऐसा अनुभव हुआ है कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 इस समय जिस रूप में है वह संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है।

विदेशी धन के आगमन और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला ठोस कानून बनाने के लिए सरकार वर्तमान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के स्थान पर एक नया कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट इसलिए नहीं हूं क्योंकि मदरसों के संबंध में यह प्रश्न है और जिन प्रश्नों को हम लोगों ने किया है और जिसका जवाब हम लोगों ने मांगा है, वह इसमें नहीं है। मदरसों के सवाल पर हमारे देश में काफी कुछ हर दल की ओर से कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि मदरसों को विदेशी धन प्राप्त होता है। जब हम लोगों ने यह प्रश्न किया और पूछा कि राज्यवार यह आप बताएं कि कौन-कौन से ऐसे मदरसे हैं जिनमें विदेश से धन प्राप्त होता है, उसका जवाब इसमें नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर इतने भाषण इस विषय पर होते हैं लेकिन कोई मदरसे चिन्हित नहीं हैं। इसका कोई जवाब नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के बाहर और देश के अंदर इस सवाल पर बबाल पैदा किया जाता है और हिन्दु-मुसलमानों में इस तरह की बातें पैदा की जाती हैं जिनसे दोनों एक-दूसरे का सर काटें लेकिन भारत सरकार जवाब नहीं दे रही है। भारत सरकार क्या कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं कि अगर मदरसों को विदेश से धन प्राप्त हो रहा है और आपको जानकारी भी नहीं मिलती है कि किस-किस मदरसे को कराची से, पाकिस्तान से या आईएसआई से धन आ रहा है फिर सरकार एक भी मदरसे का नाम क्यों नहीं बताती है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है। हिन्दुस्तान टाइम्स के 24 फरवरी, 2002 अंक में जो रिपोर्ट हुई, वह बीएसएफ की इंक्वायरी के बारे में है और कराची के एक आर्गेनाइजेशन से मदरसे को कितना फंड आया, उसकी रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा गया है। हमने कभी भी पार्लियामेंट के बाहर या अंदर यह नहीं बताया कि किस मदरसे को कितना कहां से पैसा आता है या कराची सें आता है। यह जो स्पेसिफिक प्रश्न है कि कराची से कितनी फंडिंग आती हैं और बीएसएफ की इंक्वायरी के बारे में पूछा गया, हमने बीएसएफ को इंक्वायरी करने के लिए कोई आर्डर नहीं दिया और इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट भी नहीं है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है वह भी संतोषजनक नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि पूरे देश में अगर आपने ऐसा कोई निर्देश गृह मंत्रालय को ये सब देखने के लिए नहीं दिए हैं तो क्यों नहीं दिए? अभी आपने कहा कि हमने ऐसा कोई निर्देश मदरसों के बारे में नहीं दिया कि कौन-कौन से मदरसे को धन मिलता है, आपने ऐसे निर्देश क्यों नहीं दिए?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने सवाल पूछा कि हिन्दुस्तान टाइम्स में जो न्यूज अपीयर हुई, जिसमें फारेन फंडिंग के बारे में सर्वे किया है, वह सही है या नहीं। मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कोई निर्देश नहीं दिए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: हमने निर्देश इसलिए नहीं दिए, क्योंकि निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।...*(व्यवधान)* हमारे सामने कोई एप्लीकेशन नहीं थी।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: आपने क्यों नहीं निर्देश दिए, पूरे देश में ये सवाल उठ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: हमारे सामने, होम मिनिस्ट्री के सामने कोई एप्लीकेशन नहीं थी।...*(व्यवधान)* अगर हमारे पास इस बारे में कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम जरूर विचार करेंगे। ...*(व्यवधान)* फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कितने पैसे हिन्दुस्तान में आते हैं, कितनी आर्गेनाइजेशंस हैं,...*(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: आप इसकी जांच कराएंगे या नहीं कि विदेशी धन कितना आता है?...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मंडल साहब, आप स्पेसिफिकली कोई रिप्रजंटेशन देंगे तो हम उसकी जांच कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा अभी-अभी दिए गए वक्तव्य को देखते हुए उनसे एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं।

देश में सब जगह यह गलतफहमी फैली हुई है कि मदरसे ही आतंकवादियों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि का केन्द्र हैं। इस तरह के अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषरूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक गरीब मुसलमानों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा है।

मदरसों का संचालन दो तरह से किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त मदरसों का संचालन वहां के मंडल द्वारा तथा वित्तपोषण संबद्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यहां ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है और वे इसकी प्रतीक्षा में हैं। इनका संचालन इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों के अनुसार जकात, फितरा और कुर्बानी के योगदान से किया जाता है तथा वे इसमें अपना योगदान देते हैं। उन मदरसों में संबद्ध राज्य सरकार का पाठ्यक्रम लागू होता है। जब मैं प्राथमिक कक्षा का छात्र था तो मैंने देखा कि जिस तरह से हम रामायण कथा और अर्जुन की कहानी पढ़ते हैं उसी तरह मदरसों में भी नबी की कहानी में उनके योगदान तथा विश्वास के बारे में केवल एक अध्याय पढ़ाया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने सच्चाई बताई है। यहां यह धारणा है कि आंतकवादियों को प्रशिक्षित करने हेतु पाकिस्तान आदि से धन आता है। शायद कुछ मामलों में गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। हम सब इसका समर्थन करते हैं। यह आम धारणा पैदा की गई है कि सभी मदरसे गलत हैं। इस धारणा को दूर किया जाना चाहिए।

मैं विशेषरूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कानून का पालन करने वाले नागरिक-चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान अथवा ईसाई जो शैक्षणिक संस्थान-मदरसा अथवा मेडीकल कालेज चलाते हैं, को सरकार के निरीक्षण में तथा नियमानुसार अंशदान प्राप्त होता है और उनकी उचित लेखापरीक्षा और जांच होती है तो उन्हें ऐसे संस्थान चलाने से न रोका जाए। मैंने माननीय मंत्री के समक्ष एक मामला प्रस्तुत किया है। ऐसे संस्थानों को बंद करने के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक बच्चे—चाहे वे ईसाई हों अथवा मुसलमान—शिक्षा से वंचित होते हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्यां वे यह सुनिश्चित करेंगे। मेरा प्रश्न यह है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा था कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 मौजूद है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई भी संगठन अधिनियम में उल्लिखित विशिष्ट प्रयोजनों, जैसे शिक्षा संस्कृति आदि के लिए धन प्राप्त कर सकता है और इन प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकता है। यह जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है।

जहां तक मदरसों का संबंध है, देश में हजारों मदरसे हैं। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हम सभी मदरसों पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। सभी मदरसे अवैध गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं। यह सच है। लेकिन महोदय, आई.एस.आई. ने हवाला का मार्ग खोल दिया है। खुफिया जानकारी के अनुसार आई.एस.आई. कुछ मदरसों में कतिपय चीजें देकर उनका उपयोग कर रहे हैं।

जहां तक मदरसों की संख्या में तीव्र वृद्धि का प्रश्न है, तो यह सच है कि पिछले दो या तीन वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में अनेक मदरसे बन गए हैं। उदाहरण के लिए, हाल में किए गए अध्ययन के अनुसार देश में लगभग 31,857 मदरसे हैं। हमें यह जानकारी खुफिया तंत्र से प्राप्त हुई है। हमने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम से संबंधित प्राधिकारियों अथवा किसी पुलिस एजेंसी से मदरसों का सर्वेक्षण नहीं कराया है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हमें यह आंकड़े प्राप्त हुए हैं और जब हम इन आंकड़ों की तुलना पिछले दो या तीन वर्ष के आंकड़ों से करते हैं तो मदरसों की संख्या में वृद्धि पाते हैं।

श्री ई. अहमद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रिय सहयोगी, श्री दासमुंशी द्वारा पहले ही कही जा चुकी बात उठाना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इन्होंने मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। मैं निम्नलिखित प्रश्न पूछता हूं। विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले मदरसों सहित संगठित और असंगठित दोनों तरह के मदरसे यदि देश के कानून का उल्लंघन किए बिना इस तरह से शिक्षा देना जारी रखते हैं तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वे इसी तरह से मदरसों का संचालन करते रहें? मैंने यह बात इसलिए पूछी है क्योंकि मेरे राज्य सहित विभिन्न राज्यों को यह डर है कि मदरसा का अर्थ खतरनाक केन्द्र है। मैंने मदरसों में हिन्दू और मुसलमानों को एक साथ पढ़ते हुए देखा है। मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं पूरे अधिकार के साथ यह कहता हूं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश

के कानून के अनुसार चलने वाले मदरसे इस भ्रम और गलत सूचना के शिकार न हों? लोगों में यह आशंका व्याप्त है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, यदि कोई मदरसा इस देश के कानून के अनुसार चल रहा है और किसी गैर-कानूनी गतिविधि में लिप्त नहीं है तो हमें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं है और यदि माननीय सदस्य.....

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मंत्री महोदय, बता सकते हैं कि उनके पास ऐसी जानकारी उपलब्ध है कि कितने मदरसे गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं? क्या वे सदस्यों की जानकारी के लिए यह सूचना सभा पटल पर रख सकते हैं?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: सामान्य मदरसों के बारे में मैंने आपको आंकड़े दिए हैं। विशिष्ट मामलों के बारे में यदि माननीय सदस्य कहते हैं.....

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं नहीं कहूंगा। यह आपका फर्ज है। आप गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि कोई मदरसा विशेष गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य श्री दासमुंशी मदरसों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों चाहते हैं। मैं नहीं जानता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप कहते रहे हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैंने नहीं कहा था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: गृह मंत्री कह रहे हैं कि मदरसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं। उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री ई. अहमद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मदरसों को खामख्वाह बदनाम करने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मंत्री द्वारा इस सभा में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस देश में सार्वजनिक स्वरूप के धर्मार्थ संस्थानों को उपलब्ध कराई गई निधि का ब्यौरा दे पाएंगे। इस आशंका से कि मदरसों के बेवजह बदनाम किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि पिछले पांच वर्षों में न केवल मुसलमान समुदाय वरन् हिन्दु तथा अन्य समुदायों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के संबंध में इस देश में इन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता मिली है? मुस्लिम समुदाय सहित विभिन्न समुदायों द्वारा प्राप्त की गई राशि के बारे में जानना सभा तथा देश के लिए भी उचित होगा।

मैं, इस संबंध में माननीय मंत्री से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के कतिपय उपबंधों के अंतर्गत विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा सदाशयी संस्थानों को सहायता, उनके देश में उनके राज्य और उनके क्षेत्र को भेजी जाने वाली सहायता को रोका जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इसकी गहराई में जाएंगे तथा इस संविधि को पूर्णत: लागू भी करेंगे ताकि सभी नेकनीयत लोगों को विदेशों से विशेषरूप से विदेशों में रह रहे भारतीयों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: हमें माननीय सदस्य को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले ढाई वर्षों में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी अन्य देश से धनराशि प्राप्त करने हेतु पूर्वानुमति ली गई हो। इस धनराशि को रोका नहीं गया और सभी फाइलों को निपटा दिया गया है। गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जहां तक इसके पहले भाग का संबंध है, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के अंतर्गत इस देश में विभिन्न संगठनों को वर्ष 1999-2000 में 3,924.63 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। यह राशि देश के 24,731 संगठनों ने प्राप्त की। पूरी सूची संकलित कर ली गई है, इसे संसदीय ग्रंथालय में रखा गया है तो यह प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय गृह मंत्री जी से यह आग्रह किया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जिन मदरसों की संदिग्ध भूमिका है, उनकी जांच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वास्तव में सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसों का दुरूपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। एक प्रदेश का मुख्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मंत्री नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य मंत्री इनकी जांच कराने की मांग करता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं अब तक उन मदरसों की जांच हुई जो वास्तव में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और जिन्हें विदेशों से मदद मिलती है? इस बात के सारे सबूत कोलकाता में अमेरिकन सैंटर पर हुए हमले में मिले जिनमें मदरसों से जुड़े लोग पकड़े गए। आपको इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात की अपील करता है कि मदरसों की भूमिका संदिग्ध है और उन्हें विदेशों से मदद मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इस बात की पूरी छानबीन करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: यह पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा लिखित पत्र के बारे में एक अलग प्रश्न है। हमारे पास यह जानकारी नहीं होती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की सीमा से लगे 12 भारतीय राज्यों में लगभग 11,453 मदरसे हैं। इसमें से 3823 नेपाल सीमा पर हैं, 3515 बांग्लादेश सीमा पर हैं। इनमें से सबसे अधिक मदरसे पश्चिम बंगाल में 2116 हैं। अपनी ओर से हम राज्य सरकारों के साथ गुप्त जानकारी और गुप्त सूचना का आदान-प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई अनियमितता होती है तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव: उपाध्यक्ष महोदय, हमने माननीय मंत्री जी की गठबन्धन के नेताओं और योगी आदित्यनाथ की बातें सुनी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां 40 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 120 मदरसे हैं। मैं उनकी मदद कर रहा हूं। मैं इन मदरसों को अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में से धन प्रदान कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने एक दिन मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उन्हें इन संस्थानों में आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना। उन्होंने आज भी इसका उल्लेख किया है। लेकिन इस सरकार के संबद्ध दलों ने विशेषकर संसद सदस्यों के एक समूह ने देश का दौरा किया और बताया कि मदरसे आई.एस.आई. की गतिविधियों में संलिप्त हैं।

महोदय, हम इस संबंध में सरकार से सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन हमें नाम बताइये। हम उन मदरसों की मदद नहीं करेंगे। हम उनके विरुद्ध प्रचार भी करेंगे। यही वह समय है जब इस संबंध में कुछ विशेष किया जाना चाहिए। इस मामले में प्रत्येक राज्य के पास अलग-अलग जानकारी है। यदि देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों को संरक्षण देने वाली मुस्लिम संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो वे दोषी हैं और इस मामले में उन्हें रोकने हेतु हम पूर्णतया सरकार के साथ हैं।

महोदय, सरकार ने मुस्लिम संस्थाओं की मदद करने के उद्देश्य से अब्दुल कलाम न्यास की स्थापना की है। लेकिन पिछले एक वर्ष से यह न्यास किसी को कोई पैसा नहीं दे रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहली दो किश्तें देने के बाद उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। बार-बार पत्र-व्यवहार किए जाने के बावजूद भी उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया।

महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए अन्य माननीय संसद सदस्यों के सुर में सुर मिलाते हुए मैं सरकार से कहूंगा कि इस संबंध में धुंधली तस्वीर सृजित करने की अपेक्षा एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करे। सरकार हमें बताए कि अमुक मदरसे हैं और वे इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं और इन्हें दी जाने वाली सहायता अवश्य बंद की जानी चाहिए।

महोदय, हमारे राज्य में एक मदरसा बोर्ड है। यह बोर्ड मान्यताप्राप्त मदरसों को धन उपलब्ध कराता है और इन मदरसों को धन उपलब्ध नहीं कराता जो मान्यताप्राप्त नहीं हैं।

महोदय, क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि वह इस भ्रम को दूर करने हेतु और इस देश की मुस्लिम आबादी को यह विश्वास दिलाने के लिए, कि उनकी शैक्षिक संस्थाएं संरक्षित हैं, क्या कदम उठा रही है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, जैसा कि माननीय संसद सदस्य ने उल्लेख किया और कहा कि वे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से पैसा भी देते रहे हैं—मैं विशेषकर सभी मदरसों के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि उन्हें वैधानिक रूप से पैसा मिल रहा हो, धार्मिक संस्थाओं से पैसा मिल रहा हो। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आई.एस.आई. ने इन मदरसों को वित्तपोषित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोतों को खोल दिया है। वास्तव में वे इन मदरसों के कुछ छात्रों का शोषण करने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास यह सूचना है। इसलिए हमने हाल ही में गृह मंत्रालय से एक निदेश जारी किया है जिसमें राज्य सरकारों, जिनकी सीमाएं अन्य देशों से लगती हैं, को न केवल मदरसों बल्कि उन सभी धार्मिक स्थलों या धार्मिक संस्थाओं, या अन्य किसी भी धार्मिक संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने का परामर्श दिया है जो भी धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हों। हमने उन्हें यह भी परामर्श दिया है कि कोई व्यापक कार्यवाही या टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, माननीय गृह मंत्री पुन: यहां भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, सरकार को नाम बताने चाहिए...*(व्यवधान)* कृपया हमें नाम बताइए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, राष्ट्र को इसके बारे में जानने दें...*(व्यवधान)* उन्हें संसद को इसकी सूचना देने दें कि इन-इन मदरसों के बारे में सरकार को सूचना मिली है जो कि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं...*(व्यवधान)*

महोदय, इस विशेष घटना के संबंध में, जिसमें पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृहमंत्री को यह पत्र लिखा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि उनके पास कोई विशेष सूचना हो सकती है। यह राज्य का विषय है। यदि मदरसों के बारे में कुछ भी पता लगता है तो राज्य सरकार कार्यवाही करेगी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आतंकवाद राज्य का विषय नहीं है...*(व्यवधान)* आतंकवाद किसी राज्य या जिले से संबंधित नहीं है...*(व्यवधान)* हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप एक जिम्मेदार सरकार का भाग होने के नाते आप इस सदन को आपके पास जो भी सूचना उपलब्ध है उसके बारे में आज, कल या परसों अवगत कराएंगे...*(व्यवधान)* सरकार इसे क्यों छिपा रही है?...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: आपको अपना प्रश्न पूछने का अवसर मिल चुका है और अब हमें भी प्रश्न पूछने दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह एक संवेदनशील प्रश्न है। कृपया उत्तर सुनें।

...(व्यवधान)

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मेरा उत्तर बिल्कुल साफ है। मैंने जो उत्तर सभा पटल पर रखा है उसमें मैंने मदरसों के बारे में कुछ नहीं कहा है। अपने उत्तर में मैंने मदरसों की संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है और उसमें आसूचना संबंधी माध्यमों की जानकारी भी दी है। मैंने कोई विशेष आरोप नहीं लगाया है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य बार-बार उन मदरसों के नाम क्यों पूछ रहे हैं जिन पर हमने कार्यवाही की है। सरकार ने राज्य सरकारों को केवल यह निदेश दिया है कि यदि उन्हें इन संस्थाओं में किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना मिले तो वे उस पर कार्यवाही करें। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मदरसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यह सब जानते हैं कि आई.एस.आई. पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इन मदरसों के छात्रों का शोषण करने में सक्रिय रूप से शामिल है। यदि उस सीमा तक कोई विशेष जानकारी मिलती है तो मैं उसे अवश्य बताऊंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, ने कहा है कि यदि कोई विशेष सूचना मिलेगी तो वे उसे सदन में प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या बार्डर एरियाज में पिछले तीन सालों में कुछ मदरसों की संख्या पिछले 10 से 25 सालों की तुलना में एबनार्मली बढ़ी है। यदि उसके बारे में माननीय मंत्री जी के पास कोई जानकारी हो तो वे सदन में प्रस्तुत करें। इसमें लिखा गया है।

[अनुवाद]

"सरकार एक नया विधेयक लाने की योजना बना रही है।" आप लेजिस्लेशन की भी जानकारी दें।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मदरसों के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करना बहुत कठिन है। लेकिन एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 1973 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार उस समय देश भर में 1,033 मदरसे थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मई 1995 में सूचित किया था कि देश में 12,000 मदरसे हैं। अब, जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मदरसों की संख्या में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है, हमारे अनुसार देश में अब 31,857 मदरसे हैं। यदि आप सीमावर्ती क्षेत्रों को लें तो राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में 1990 से पहले 40 मदरसे थे; और 1990 के बाद 44 मदरसों का निर्माण किया गया है, इस गति से मदरसों की संख्या में वृद्धि हुई है; जैसलमेर में 1990 से पहले 53 मदरसे थे और 1990 के बाद 51 मदरसे और बन गए। बारमेर में 1990 से पहले 37 मदरसे थे और 1990 के बाद 43 मदरसे और बन गए हैं। गुजरात में 1990 से पहले 20 मदरसे थे और 1990 के बाद 25 मदरसे और बन गए...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: इन मदरसों को कौन बना रहा है? इन मदरसों के निर्माण के पीछे कौन लोग हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री येरननायडू को बोलने की अनुमति दी है।

श्री के. येरननायडू: महोदय, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष दर वर्ष मदरसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मदरसों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। इन मदरसों को यह धन कहां से मिल रहा है? वे आई.एस.आई. का दर्शन पढ़ा रहे हैं और उन मदरसों में वह साहित्य बांट रहे हैं। क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण कराया है? यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले? 'द टाइम्स आफ इंडिया' ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे प्रत्येक जिले में कार्यशील मदरसों और धार्मिक विद्यालयों की संख्या की सूचना दी है। मैं मंत्री महोदय द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हूं। प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक के लिए उन्होंने उत्तर दिया है-"नहीं महोदय, प्रश्न नहीं उठता।" बिना किसी जानकारी के हम अपने प्रश्न कैसे पूछेंगे? विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के संबंध में पूछे गए उत्तर के बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ कमी है और सरकार इसे सख्त बनाने हेतु इसमें संशोधन करना चाहती है। सरकार ने इस पर और कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाने की अनुमति दी जाए। ताकि इस पर विस्तार से चर्चा की जा सके। इस बीच मंत्री महोदय और अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जिससे कि उसे आधार बनाकर भी चर्चा की जा सके। महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हाफ एन आवर डिस्कशन अलाऊ करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हां, इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री प्रकाश परांजपे: हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि यह सब किन क्षेत्रों में हो रहा है। कौन लोग और कौन-कौन से दल इन्हें बना रहे हैं? हम यह अतिरिक्त सूचना चाहते हैं, केवल आंकड़े नहीं। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री के. येरननायडू: माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपने इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी है तो कृपया इसके लिए तारीख निर्धारित कीजिए ताकि मंत्री जी को पूर्ण जानकारी मिले...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें श्री येरननायडू के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आधे घंटे की ही चर्चा क्यों? महोदय, इस पर नियम 193 के अंतर्गत पूर्ण चर्चा होने दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कोई नहीं रोकेगा। आप नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है। वे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए; उन्हें प्रश्न का जवाब देना है और वे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सीएच. विद्यासागर राव: जैसा कि मूल रूप से मेरे मित्र श्री येरननायडू ने सुझाव दिया है, न तो हमने कोई सर्वेक्षण किया है और न ही सीमा सुरक्षा बल को कोई सर्वेक्षण कराने के निदेश दिए हैं। दूसरा, हमने किसी भी सरकारी एजेन्सी को मदरसे के संबंध में सर्वेक्षण कराने के लिए नहीं कहा है। इसलिए, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: परंतु अब हम सर्वेक्षण कराने के लिए कह रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि आप अब सर्वेक्षण कराइए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है। मैं बोल रहा हूं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हमने इस प्रश्न की चर्चा पर लगभग आधे घंटे का समय ले लिया है। संपूर्ण सभा और अधिकतर सदस्य इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं। यदि माननीय मंत्री इस पर सहमत हैं तो हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा पर सहमत देने पर क्या आपको कोई कंठिनाई है?

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर: क्या मैं कुछ कह सकता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय? मैं हस्तक्षेप के लिए क्षमा मांगता हूं।

यह मामला बहुत ही संवेदनशील है और मुझे खेद है कि माननीय मंत्री यह नहीं जानते कि प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। उनको यह कहना चाहिए था कि अनेक सूचनाएं जो उन्हें आसूचना सेवाओं और सरकार से प्राप्त होती हैं और ऐसी सूचनाओं को सामान्य जनता को नहीं बताया जा सकता। उन्हें यह कहना चाहिए था कि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत होते हैं और यदि आप सभा

में इसकी अनुमति देते हैं तो मुझे नहीं पता कि दोनों पक्ष क्या कहेंगे। मेरे विचार से, इससे और अधिक संभ्रम पैदा होगा और यह संपूर्ण देश की सुरक्षा के लिए समस्या पैदा करेगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: होना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर: हां, होना चाहिए, चाहे देश टूट जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: जो कुछ श्री चन्द्रशेखर ने कहा उससे मंत्री महोदय को संकेत मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: श्री चन्द्रशेखर जी का सम्मान करते हुए, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं लगातार कह रहा हूं कि हमें सूचना आसूचना माध्यमों द्वारा प्राप्त होती है और मैंने यह सूचना सभा को दे दी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और हम आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार हैं।

उग्रवादी गतिविधियां

***224. श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों और विभिन्न राज्यों के नक्सलवादियों के बीच किसी सांठ-गांठ का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस सांठ-गांठ का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या हवाला व्यापारी (आपरेटर्स) भी उनके लिए माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके वित्तीय लेन-देन में कुछ राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) ऐसी रिपोर्टें मिली है कि जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकवादियों के बीच कारगर ढंग से और तालमेल के साथ कार्रवाई करने के उद्देश्य से परस्पर संबंध हैं। तथापि, नक्सलवादियों तथा जम्मू और कश्मीर व पूर्वोत्तर के आतंकवादियों के बीच संबंध होने की कोई पुष्ट सूचना नहीं है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न आतंकवादी गुटों द्वारा एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में सक्रिय आतंकवादी गुट वित्तीय सहायता के लिए पाकिस्तान और सहानुभूति रखने वाले अन्य देशों/समर्थकों पर निर्भर हैं। यह सहायता उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती है, जिसमें ''हवाला आपरेटर्स' भी शामिल हैं।

(ङ) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं। अत: राज्य में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाना और कड़े कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का काम है। आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने एक सुनियोजित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं—सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन के कार्य को मजबूत बनाना, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना, केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों के बीच निकट ताल-मेल स्थापित करना, समन्वित कार्रवाई द्वारा आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को विफल करना, उन्नत आधुनिक हथियारों एवं संचार प्रणाली से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण व उन्नयन करना आदि। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप अनेक आतंकवादी माड्यूलों को निष्क्रिय किया गया है।

राज्यों द्वारा उग्रवादी/आतंकवादी/अतिवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें ''सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति योजना'' के अधीन की जाती है।

आतंकवाद निवारण (द्वितीय) अधिनियम, 2001 लागू कर दिया गया है। इसके अधीन 25 आतंकवादी ग्रुपों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के

साथ-साथ आतंकवादियों तथा उनको धन देने वालों के विरुद्ध संगठित कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न टैरेरिज्म और हवाला आपरेटर्स से संबंधित है। आपका इंटैलिजेंस फेल्योर है, इसी वजह से लोक सभा पर अटैक हुआ है, लाल-किले पर अटैक हुआ है और गोधरा कांड हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं, टैरेरिस्ट ग्रुप्स के पास पैसे और आर्म्स एंड एम्युनिशन्स कहां से आते हैं, इस बारे में कोई जानकारी है? दूसरा प्रश्न-हवाला आपरेटर्स द्वारा कोरियर्स से पैसे भेजे जाते हैं या टैरेरिज्म ग्रुप्स मर्डर करके, सुपारी लेकर या विदेशों से या बड़े-बड़े शहरों से पैसे लेते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फैरा और कोफेपोसा कानून पहले से ही हैं और कल लोक सभा ने पोटो कानून भी पास कर दिया है। हवाला से संबंधित पूरी दुनिया की जानकारी है, क्या आपके पास हवाला आपरेटर्स की लिस्ट या कोरियर सर्विस की लिस्ट है, जहां से इम्फारमेशन जाती है और इस संबंध में इंटैलिजैस सर्विस से आपके पास कोई जानकारी आती है या नहीं, फेल्योर किस चीज का होता है-यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, उग्रवादी संगठन न केवल जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है अपितु वे अपनी कार्यवाही नेपाल तक फैला रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें हवाला माध्यमों से भी उन्हें धन प्राप्त हो रहा है।

जहां तक जम्मू और कश्मीर के विभिन्न उग्रवादी संगठनों के मध्य सांठ-गांठ का प्रश्न है, ऐसे स्पष्ट संकेत मिले हैं कि उनकी उल्फा उग्रवादियों के साथ सांठ-गांठ है। कई मामले में ऐसे संबंध उजागर हुए हैं।

जहां तक विभिन्न नक्सलवादी गुटों के मध्यम संबंध का प्रश्न है, हालांकि उनकी कुछ बैठकें हुई हैं परंतु ऐसी कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है जो यह बताए कि उनका नक्सलवादी गुटों के साथ संबंध है। तथापि, उल्फा पीडब्लूजी की सेवाएं लेना चाहते हैं जो एक नक्सलवादी गुट है और उल्फा को हथियार बेचता है ताकि पैसा कमा सके। वे पीडब्लूजी की सेवाओं का इस्तेमाल करके अर्द्धसैनिक बलों को उलझाए रखना चाहते हैं। जहां तक कश्मीरी उग्रवादियों का सवाल है, उनके उल्फा उग्रवादियों से संबंध है और अनेक मामलों में यह बात उजागर हुई है।

खादरी सलीम अहमद उर्फ कमालुद्दीन हिजबुल मजाहिद्दीन का सदस्य है उसे 31 जुलाई, 1999 को गिरफ्तार किया गया था। पूछ-ताछ के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई कि उसने असम के उल्फा संगठन से संपर्क स्थापित किया था। इसी प्रकार यह बात भी प्रमाणित हुई है कि फखरूद्दीन अहमद जो असम के हिजबुल मुजाहिद्दीन के प्रभारी है, ने संयोजक के रूप में काम किया था। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनमें छापे और पूछ-ताछ के दौरान कई व्यक्तियों को हवाला व्यवसाय के रूप में गिरफ्तार किया गया है।

मेरे पास विस्तृत ब्यौरे हैं, यह भारी-भरकम दस्तावेज है। मेरे पास उन व्यक्तियों के नाम हैं जिनके खिलाफ पूछ-ताछ के दौरान संबंध प्रमाणित हुए हैं और धन बरामद हुआ है। चूंकि अधिकतर लेन-देन हवाला के माध्यम से हो रहा था, अनेक फैक्स मशीन और टेलीफोन इस्तेमाल किए गये थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद, ये मामले प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिये गये हैं अब वे इस मामलों को देख रहे हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला: मेरे पास दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के समाचार-पत्र की रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है "एच सी सीक्स ए टी आर आन आडवाणी, सिन्हा इन जैन हावला केस"। यदि मंत्री को इस मामले में संलिप्त राजनेताओं की संख्या की जानकारी है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं और पिछले वर्षों में गम्भीर घटनायें निरन्तर इन क्षेत्रों में होती रही हैं। आपने उत्तर में बताया है कि आपने राज्य सरकारों से सम्पर्क करके समय-समय पर उनसे को-आर्डिनेशन बैठाने की कोशिश की है और उन्हें इक्विपमेंट की भी सहायता देने की कोशिश की है तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में नक्सलवादियों की समस्याओं से जूझने और कारगर कदम उठाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने आपसे कितनी बार किन-किन क्षेत्रों में सहायता की मांग की है?

इसकी एवज में केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई है—क्या आप इसकी जानकारी दे सकेंगे?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, हम उन जिलों में सुरक्षा से संबंधित व्यय मुहैया करा रहे हैं जो नक्सलवादी कार्यवाहियों

से प्रभावित हैं। राज्य द्वारा वहन किए गये 50 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी। इसके अलावा, हम पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन मुहैया करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए, वार्षिक आवंटन 53 करोड़ रुपये है और अब तक जारी की गई राशि 47 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष भी 5 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश को सुरक्षा-संबंधी व्यय के लिए जारी किए गये थे।

महोदय, इससे पूर्व संपूर्ण देश के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गये। अब प्रधान मंत्री ने यह राशि बढ़ाकर 1000 करोड़ रु. कर दी है। प्रत्येक राज्य सरकार भी 1000 करोड़ रुपये की राशि देगी जिसका उपयोग आधुनिकीकरण हथियारों से पुलिस को लैस करने, उन्हें जिप्सी और वायरलैस उपकरण मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश को भी फायदा पहुंचेगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो जानना चाहा था उसका जवाब नहीं आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या असैसमेंट किया था अपनी आवश्यकताओं का और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने केन्द्र से कितनी मांग की थी और उसकी तुलना में आपने क्या दिया? मान लीजिए 500 करोड़ रुपये की जरूरत है तो क्या आपने 50 करोड़ रुपये दिये। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने उनकी मांग कितनी पूरी की?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, यदि आपके पास जानकारी है तो आप दे सकते हैं अन्यथा, आप सदस्य को जानकारी भेज सकते हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, जहां तक पुलिस बलों के आधुनिकीकरण का संबंध है, मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह पूछा है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई विशेष प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो आपने कितना भुगतान किया है? यदि आपके पास ब्यौरा है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आप उन्हें ब्यौरा भेज दीजिए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मैं उन्हें जानकारी भेज दूंगा।

श्री बिक्रम केशरी देव: माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रमाणित तथ्य है कि उग्रवाद के वित्तपोषण स्रोतों में से एक स्वापक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ भी हैं। यह बात देखी गई है कि अफगानिस्तान से म्यांमार वह क्षेत्र है जहां नशीले पदार्थों के तस्कर रहते हैं। स्वापक पदार्थ जो हमारे देश से होकर गुजरते हैं। वे अंतत: देश के उग्रवादी दलों तक हथियार व गोलाबारूद खरीदने और देश में गड़बड़ी फैलाने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के अंतर्गत गिरफ्तार किया है और जेनेवा में स्वीकार किए गये संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीले पदार्थों पर आधारित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्णय संबंधी संकल्प के अनुसार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मुझे इसके लिए अलग सूचना चाहिए होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: महोदय, इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय इसका प्रश्न से संबंध है क्योंकि उग्रवादियों के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत स्वापक पदार्थों से ही आता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न को पढ़िए। यह जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के उग्रवादियों के मध्य सांठ-गांठ से संबंधित है।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, यह भी आतंकवाद का ही एक भाग है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा नहीं समझता।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात और राजस्थान सीमावर्ती राज्य हैं उसके साथ गुजरात का समुद्री किनारा भी है। गुजरात में आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही घुसपैठियों की संख्या भी बढ़ गई है जिसका उदाहरण गोधरा की घटना के रूप में मिला। उसमें पकड़े गये लोगों के संबंध भी बाहर के लोगों के साथ थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: इन आतंकवादी, अतिवादी और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए वहां जो आधुनिक शस्त्र चाहिए, क्या वे उनको दिये जाएंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वर्मा, इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। मेरे विचार से यह संबंधित प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के उग्रवादियों के मध्य सांठ-गांठ से संबंधित है।

श्री श्रीनिवास पाटील: महोदय, गैंगवार की घटनाओं के कारण महाराष्ट्र सरकार की समस्याएं बढ़ी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग को नए आधुनिक उपकरण और अन्य चीजें उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा है। यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, महाराष्ट्र के पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2001 के लिए अनुमोदित योजना 166.20 करोड़ रुपए की है। जहां तक वर्ष 2001 से संबंधित उपयोगिता स्थिति का सम्बन्ध है यह 90.04 करोड़ रुपए है। वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजना 136.336 करोड़ रुपए की है और इसमें अब तक 68.16 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि पूर्वोत्तर के आतंकवादी संगठनों को आई.एस.आई. द्वारा सहायता और समर्थन दिया जाता है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्हें जे.के.एल.एफ. और उल्फा के बीच कुछ संबंधों का पता चला है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर के आतंकवादी संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपने प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं। क्योंकि इसकी 97 प्रतिशत सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। उनको हथियारों, धन और प्रत्येक चीज से मदद की जाती है। ये आतंकवादी संगठन स्वेच्छा से आते हैं, वे असम में और अन्य राज्यों में हमले करते हैं और वापस चले जाते हैं। क्या सरकार को इस समस्या को पड़ोसी देशों के साथ उठाने की कोई योजना है ताकि इन आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया जा सके?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए हमने पड़ौसी देशों के साथ अपने राजनयिक माध्यम से इस मामले को पहले ही उठाया है।

अभिनव आवास योजना

***225. श्री ए.सी. जोस:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अभिनव आवास योजना के संबंध में केरल सहित किन्हीं राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है;

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राज्यों को ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास हेतु अभिनव आवास योजनाओं के लिए धनराशि प्रदान कर दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ग्रामीण आवास तथा पर्यावास विकास हेतु अभिनव चरण के अंतर्गत विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों से अब तक प्राप्त 131 परियोजना प्रस्तावों में से 74 परियोजना प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं तथा 10 को मंजूर नहीं किया गया है।

शेष प्रस्तावों (47) के संबंध में संबंधित एजेंसियों से अपेक्षित सूचना मांगी गई है। इन प्रस्तावों पर अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के उपरांत ही आगे विचार किया जा सकता है। प्राप्त प्रस्तावों, उनकी स्थिति तथा रिलीज की गई निधियों के बारे में ब्यौरा, अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

योजना के आरम्भ होने से लेकर आज तक ग्रामीण आवास तथा पर्यावास विकास हेतु अभिनव चरण के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/राज्य सरकारों की एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिला	स्थिति	रिलीज की गई निधियां
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	कुर्नूल	अनुमोदित	25.00
2.	प्रकासम	अनुमोदित	17.50
3.	महबूब नगर	अनुमोदित	25.00
4.	करीम नगर	अनुमोदित	19.75
5.	नेल्लोर	अनुमोदित	27.60
6.	रंगारेड्डी	अनुमोदित	15.25
7.	नेल्लोर	अनुमोदित*	0.00
8.	पू. गोदावरी	कार्रवाई चल रही है	0.00
9.	खम्माम	कार्रवाई चल रही है	0.00
अरुणाचल प्रदेश			
10.	लोवर सुबनसिरी	अनुमोदित	25.00
11.	दीबांग घाटी	अनुमोदित	19.80
12.	दीबांग घाटी	अस्वीकृत	0.00
13.	अपर सुबनसिरी	अनुमोदित	22.25
14.	अपर सुबनसिरी	अस्वीकृत	0.00
15.	अपर सुबनसिरी	कार्रवाई चल रही है	0.00
16.	पपुम पारे	अनुमोदित	25.00
17.	प. कमेंग	अनुमोदित	17.62
18.	लोअर सुबनसिरी	अस्वीकृत	0.00
19.	चांगलांग	अनुमोदित	14.88
20.	तवांग	अनुमोदित	16.30
21.	लोअर सुबनसिरी	अस्वीकृत	0.00

1	2	3	4
22.	पू. सियांग	अनुमोदित	25.00
23.	पू. सियांग	कार्रवाई चल रही है	0.00
24.	तवांग	कार्रवाई चल रही है	0.00
25.	पू. कमेंग	अनुमोदित	25.00
26.	पू. सियांग	कार्रवाई चल रही है	0.00
27.	अपर सियांग	अनुमोदित	22.75
28.	कुरूंग कुमी	कार्रवाई चल रही है	0.00
29.	लोहित	अनुमोदित	21.00
असम			
30.	कछार	अनुमोदित*	0.00
31.	नलबाड़ी	कार्रवाई चल रही है	0.00
बिहार			
32.	जमूई	कार्रवाई चल रही है	0.00
हरियाणा			
33.	गुड़गांव	अनुमोदित*	0.00
हिमाचल प्रदेश			
34.	सिरमौर	अनुमोदित	21.25
35.	हमीरपुर	अस्वीकृत	0.00
36.	मण्डी	कार्रवाई चल रही है	0.00
37.	लाहौल स्पीति	कार्रवाई चल रही है	0.00
38.	कुल्लू	अनुमोदित	18.71
39.	ऊना	कार्रवाई चल रही है	0.00
40.	सोलन	कार्रवाई चल रही है	0.00
41.	कांगड़ा	कार्रवाई चल रही है	0.00
जम्मू व कश्मीर			
42.	श्रीनगर	अनुमोदित	20.67
43.	पुलवामा	कार्रवाई चल रही है	0.00

1	2	3	4
कर्नाटक			
44.	रायचुर	अनुमोदित	23.00
45.	बंगलौर	अनुमोदित*	0.00
46.	बंगलौर देहात	अस्वीकृत	0.00
47.	टुमकुर	कार्रवाई चल रही है	0.00
48.	बेलगांव	कार्रवाई चल रही है	0.00
49.	शिमोगा	कार्रवाई चल रही है	0.00
मध्य प्रदेश			
50.	माण्डला	अनुमोदित*	0.00
महाराष्ट्र			
51.	सोलापुर	कार्रवाई चल रही है	0.00
52.	सोलापुर	कार्रवाई चल रही है	0.00
53.	द. सोलापुर	कार्रवाई चल रही है	0.00
54.	सोलापुर	कार्रवाई चल रही है	0.00
55.	सतारा	अनुमोदित	25.00
56.	नांदेड	अनुमोदित*	0.00
57.	लातूर	अनुमोदित	22.25
58.	जलगांव	अनुमोदित	24.91
59.	ओस्मानाबाद	अनुमोदित	24.29
60.	सिंधुदुर्ग	कार्रवाई चल रही है	0.00
मणिपुर			
61.	बिष्णुपुर	अनुमोदित	25.00
62.	इम्फाल पश्चिम	अनुमोदित	50.00
63.	इम्फाल पूर्वी	अनुमोदित	24.85
64.	थोबल	अनुमोदित	25.00
65.	सेनापति	कार्रवाई चल रही है	0.00

1	2	3	4
मेघालय			
66.	द. गारो हिल्स	अनुमोदित	24.75
67.	राई भोई	अनुमोदित*	0.00
68.	प. गारो हिल्स	अनुमोदित	25.00
नागालैण्ड			
69.	दीमापुर	अनुमोदित	25.00
70.	फेक	अस्वीकृत	0.00
71.	मोन	अनुमोदित	25.00
72.	फेक	कार्रवाई चल रही है	0.00
73.	वोखा	अनुमोदित*	0.00
74.	वोखा	कार्रवाई चल रही है	0.00
75.	ट्यूनसंग	कार्रवाई चल रही है	0.00
76.	जूनेबूटो	कार्रवाई चल रही है	0.00
77.	वोखा	कार्रवाई चल रही है	0.00
78.	मोकोचुंग	कार्रवाई चल रही है	0.00
पंजाब			
79.	भटिण्डा	अनुमोदित	14.50
80.	गुरदासपुर	कार्रवाई चल रही है	0.00
राजस्थान			
81.	दौसा	अनुमोदित	23.00
82.	पाली	कार्रवाई चल रही है	0.00
सिक्किम			
83.	प. जिला	कार्रवाई चल रही है	0.00
तमिलनाडु			
84.	कुड्डालोर	अनुमोदित	45.10
85.	तंजावुर	अनुमोदित	49.90
86.	डिंडीगुल	अस्वीकृत	0.00

1	2	3	4
87.	मदुरै	अनुमोदित	43.75
88.	इरोड	अनुमोदित	50.00
89.	कांचीपुरम	अनुमोदित	45.00
90.	त्रिची	अनुमोदित	20.00
91.	डिंडीगुल	अनुमोदित	47.80
92.	कन्याकुमारी	अनुमोदित	24.50
93.	पेरम्बलूर	अनुमोदित	25.00
94.	धरमापुरी	कार्रवाई चल रही है	0.00
95.	करूर	अनुमोदित	17.18
96.	तिरूनेलवेली	अनुमोदित	13.18
97.	धरमापुरी	कार्रवाई चल रही है	0.00
98.	थोथुकुडी	अनुमोदित	16.98
99.	पुडुकोटई	अनुमोदित	19.85
100.	तिरूवलूर	कार्रवाई चल रही है	0.00
101.	वेल्लोर	कार्रवाई चल रही है	0.00
102.	कोयंबटूर	कार्रवाई चल रही है	0.00
103.	तंजावूर	कार्रवाई चल रही है	0.00
104.	विरूदुनगर	कार्रवाई चल रही है	0.00
105.	नामक्कल	कार्रवाई चल रही है	0.00
त्रिपुरा			
106.	उ. त्रिपुरा	अस्वीकृत	0.00
107.	उ. त्रिपुरा	अनुमोदित*	0.00
उत्तरांचल			
108.	गढ़वाल	अनुमोदित*	0.00
109.	उत्तरकाशी	कार्रवाई चल रही है	0.00
110.	चमोली	कार्रवाई चल रही है	0.00
111.	उत्तरकाशी	कार्रवाई चल रही है	0.00

1	2	3	4
112.	हरिद्वार	कार्रवाई चल रही है	0.00
113.	उधमसिंह नगर	कार्रवाई चल रही है	0.00
उत्तर प्रदेश			
114.	अलीगढ़	अनुमोदित	24.52
115.	बदायूं	–वही–	24.78
116.	बुलन्दशहर	–वही–	24.33
117.	आगरा	–वही–	24.75
118.	एटा	–वही–	24.79
119.	हाथरस	–वही–	24.15
120.	गौतमबुद्ध नगर	–वही–	24.38
121.	मुरादाबाद	–वही–	24.39
122.	औरिया	–वही–	25.00
123.	लखनऊ	–वही–	25.00
124.	रायबरेली	–वही–	25.00
125.	हाथरस	–वही–*	0.00
126.	एटा	अस्वीकृत	0.00
127.	उन्नाव	अनुमोदित	25.00
128.	फतेहपुर	–वही–	25.00
129.	फर्रूखाबाद	–वही–	25.00
130.	फिरोजाबाद	–वही–	25.00
131.	लखनऊ	कार्रवाई चल रही है	0.00

*कुछेक शर्तों के आधार पर ये परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, सबसे पहले, मैं अध्यक्षपीठ से संरक्षण चाहता हूं। महोदय, मेरे प्रश्न का उचित रूप से उत्तर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सीधे-सीधे प्रश्न पूछिए क्योंकि समय नहीं है।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, केरल को छोड़कर सब कुछ है। महोदय, 1970 में केरल राज्य ने एक लाख मकान आबंटित करने हेतु एक लोकप्रिय आवास योजना शुरू की थी। इस प्रयास में निगम, निगमित एजेंसियां गैर-सरकारी संगठन जैसी विभिन्न एजेंसियां एक साथ आई। इसलिए मेरा प्रश्न यह है—क्या सरकार की कोई आवास नीति है? यदि कोई नीति नहीं है तो क्या सरकार सभी निगमित निकायों और गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोग से एक आवास नीति के साथ सम्पूर्ण देश में व्यापक आवास योजना शुरू करेगी?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, मुझे खेद है मैं अपने मित्र को संतुष्ट नहीं कर सका। लेकिन मैं उत्तर देने से नहीं बच रहा। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वे प्रश्न को देखें। प्रश्न है कि क्या सरकार को अभिनव आवास योजना के संबंध में केरल सहित किन्हीं राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह सुस्पष्ट प्रश्न था।

उत्तर केरल को छोड़कर सभी राज्यों के बारे में दिया गया है क्योंकि हमें किसी राज्य सरकार की एजेंसी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन यह सच है कि अन्य संगठनों से 44 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आप जानते हैं संसद कैसे कार्य करती है और प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं। यदि प्रश्न सुस्पष्ट हैं तो उत्तर भी सुस्पष्ट ही दिया जाता है। चूंकि केरल सरकार से हमें कोई अभ्यावेदन अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कहा था 'नहीं'। भिन्न-भिन्न राज्यों से प्राप्त अन्य प्रस्तावों को राज्य-वार और जिला-वार दिया गया है। मैंने उन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

इस योजना के शुरू होने से अब तक भिन्न-भिन्न संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों से 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केरल राज्य के लिए भी ऐसे प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और धनराशि भी प्राप्त हो गई है। केरल राज्य से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति के सम्बन्ध में, मैं सभा का समय लिए बिना उन्हें अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध करा सकता हूं।

मेरा फिर नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न सुस्पष्ट था और उत्तर भी सुस्पष्ट दिया गया था। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैंने प्रश्न देखा था जो एक तार संदेश के रूप में था। लेकिन उसमें उन्हें भिन्न भाषा का इस्तेमाल किया था और प्रश्न में जो मुझे दिया गया था, भाषा भिन्न थी। मुझे जो प्रश्न दिया गया मैं उससे निर्देशित हुआ।

श्री ए.सी. जोस: उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने कोई आवास नीति तैयार की है। यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी निगमित निकायों को विश्वास में लेकर एक आवास नीति तैयार करेगी?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय दोनों में एक आवास नीति तैयार की है। जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, मैं केवल गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों से सम्बद्ध हूं। हमारे इन लोगों की देखरेख के लिए एक कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 लाख मकानों का निर्माण किया जाना है। एक मुख्य भाग इंदिरा आवास योजना है, दूसरा अभिनव योजना है जहां हमने देखा है कि राज्य सरकारें, निगमित निकाय, गैर-सरकारी संगठन और अन्य संगठन भी इसमें हिस्सा लेते हैं।

ऋण एवं राजसहायता योजना नामक एक तीसरी योजना भी है जो गरीबी की रेखा से ऊपर रह रहे लोगों के लिए है जहां हम ऋण की कतिपय राशि और राजसहायता की कतिपय राशि देते हैं। चौथी योजना, जैसाकि आपको जानकारी है, हडको योजना है, जो देश में आवास गतिविधियों को देखने के लिए एक मुख्य संगठन है। हम, ग्रामीण विकास मंत्रालय में, हडको को कुछ इक्विटी देते हैं। वे भी सम्पूर्ण देश में व्यापक आवास योजना चला रहे हैं। हुडको निवास उनके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है, जिसके तहत हाल ही में ब्याज दरों को कम किया गया है। हम चाहते हैं कि 2010 तक गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सभी लोगों के पक्का मकान उपलब्ध करा दिए जाएं। सरकार का यह उद्देश्य है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

श्री ए.सी. जोस: माननीय मंत्री ने हुडको के बारे में उल्लेख किया है। न केवल केरल में, बल्कि अनेक अन्य राज्यों में भी हुडको से धन प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। वे किस्त जारी करने में अनेक पाबंदियां लगा रहे हैं। क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या हुडको राज्य सरकारों को किस्त वितरण में अत्यधिक विलम्ब करता है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: हुडको के बोर्ड में मेरे अधिकारी हैं। मैं निश्चित रूप से अपने साथी मंत्री जो शहरी विकास मंत्रालय देख रहे हैं से परामर्श करूंगा। मैं हुडको के अध्यक्ष को भी बुलाऊंगा। यदि माननीय सदस्य मुझे ऐसा स्पष्ट उदाहरण दें, जहां यह विलम्ब हुआ है तो मैं निश्चित रूप से अधिकारियों से पूछूंगा और उन्हें आवश्यक निर्देश दूंगा। मुझे यह पता है कि हुडको के अध्यक्ष ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि यदि आज कोई आवेदन-पत्र दिया जाता है तो उस आवेदन-पत्र पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। यह उन्होंने आश्वासन दिया है। यदि कोई गलत काम हो रहा है तो माननीय सदस्यों से उचित फीड बैक प्राप्त करने के लिए मुझे खुशी होगी और यह देखने के लिए, कि भविष्य में विलम्ब न हो, मैं इसे हुडको के साथ उठाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें

महाराष्ट्र के छः-सात ही जिले शामिल हैं। महाराष्ट्र, हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा स्टेट है। जो पंथ प्रधान आवास योजना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष महोदय, अभिनव आवास योजना और जो पंथ प्रधान आवास योजना है, उसके तहत महाराष्ट्र सरकार को अभी तक कितने रुपये दिये गये हैं? उससे अब तक अभी तक कितने मकान बनाए गए और कोई क्लीयर कट गाइडलाइन दी गई है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय: इन्नोवेटिव का यह प्रश्न है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यह अलग सवाल है। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है। मगर हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार दस जिलों का प्रपोजल हमारे पास आया है जिनमें से कुछ को स्वीकृति दी गई है और कुछ प्रपोजल अभी भी कंसीडरेशन में हैं। यदि कोई स्पैसीफिक प्रपोजल सदस्य भेजें तो उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: शायद माननीय मंत्री ने हाल ही में यह अभिनव आवास योजना शुरू की है। मैं इस योजना की लागत और अन्य चीजों के ब्यौरे जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री बता रहे थे कि 'इंदिरा आवास योजना' अभिवन ऋण आवास और इस तरह की अनेक योजनाएं हैं। शुरू से ही, प्रधान मंत्री सहित इस सभा में आश्वासन दिए गए हैं कि आबंटन के मामलों में सांसदों को अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि इंदिरा आवास योजना के मकान कहां खड़े हैं। यहां तक कि संसद सदस्यों से परामर्श भी नहीं किया जाता है। पहले, क्या माननीय मंत्री राज्य सरकार को कोई विशिष्ट निर्देश देंगे कि संसद सदस्यों से परामर्श करें और उनके अनुरोध पर भी विचार करें? दूसरा, कृपया अभिनव योजना का ब्यौरा दें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रेड्डी, माननीय मंत्री ने ब्यौरा पहले ही दे दिया है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: अभिनव आवास परियोजनाओं को शुरू करने का उद्देश्य इसको बढ़ावा देना, स्थानीय रूप से उपलब्ध अभिनव प्रौद्योगिकी का प्रचार, स्थानीय रूप से जांची-परखी प्रौद्योगिकी के माध्यम से और स्थानीय भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार मकानों का निर्माण करना है। दूसरा, मकान निर्माण का मतलब केवल चार-दीवारी बनाना नहीं है। इसमें उपयुक्त टिकाऊ आवासों का विकास करना शामिल हैं और इसमें वे प्रयास भी शामिल हैं जिनसे बढ़िया पर्यावास विकास होता है। फिर यदि राज्य सरकारें, निगमित निकाय, स्वैच्छिक संगठन और अग्रणी सामाजिक संगठन आगे आते हैं तो हम उनकी सहायता करते हैं। गैर-सरकारी संगठनों के लिए हम प्रति योजना 20 लाख रुपए दे रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के लिए हम प्रति योजना 50 लाख रुपए दे रहे हैं। ऐसा विचार है कि गैर-सरकारी संगठन अपनी ओर से भी कुछ योगदान कर रहे हैं शेष धनराशि भारत सरकार से दी जा रही है। हम सरकारी और अर्द्धसरकारी संगठनों को 50 लाख रुपए दे रहे हैं। योजना की ये विशेषताएं हैं।

माननीय सदस्य श्री रेड्डी द्वारा उठाए गए प्रश्न के संबंध में आप सभी जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो काफी समय से लम्बित पड़ा है। उन्होंने इंदिरा आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं से लाभार्थियों के चयन और उनकी पहचान के संबंध में माननीय संसद सदस्यों को शामिल करने के बारे में पूछा है। यहां तक कि मेरे मंत्री बनने से पहले, इस मामले को सभा पटल पर अनेक बार उठाया गया था। मैं विपक्ष की नेता सहित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाना चाहता था। मैं इस संबंध में बिल्कुल स्पष्टवादी हूं। यहां लम्बे अनुभव वाले वरिष्ठ सदस्य भी बैठे हैं। राज्य सरकारों के दृष्टिकोण और संसद सदस्यों के दृष्टिकोण में कुछ मतभेद हैं। राज्य सरकारें आवश्यकताओं, सुझावों और उनकी विधान सभा के सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार करती है और संसद सदस्यों से मिलने वाले प्रस्तावों को वरीयता नहीं दी जा रही है। मुझे इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं है।...*(व्यवधान)* पहले के दिशानिर्देशों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई थी कि इन मकानों को उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और ऐसे लोगों की गांव की ग्राम सभाओं द्वारा पहचान की जाएगी। कुछ लोग यह कहकर पीछा छुड़ा रहे हैं कि इन्हें गांव की ग्राम सभाओं द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। वास्तव में, मुझे संसद सदस्यों से और अन्य लोगों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि ग्राम सभाओं को वास्तव में इस जिम्मेदारी को नहीं सौंपा गया है बल्कि यह उन अधिकारियों पर निर्भर करता है जो इन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं।

अतः इसमें कुछ समस्याएं हैं। मैं विभिन्न नेताओं की असुविधा के कारण पिछली बार अंतिम बैठक नहीं बुला सका। मैं यथाशीघ्र अवसर पर बैठक बुलाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इस मामले पर कार्यवाही करें क्योंकि संसद सदस्यों को भी इसमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: जब अध्यक्षपीठ ने भी टिप्पणी कर ही दी है तो मैं इसे गम्भीरतापूर्वक लूंगा। मैं ऐसा मानने वालों में से एक हूं कि जब संसद सारी धनराशि का बजट बना रही है और धन का आबंटन कर रही है तब लोगों द्वारा चुने गए सांसदों को उसकी निगरानी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहिए। लेकिन यह केन्द्र राज्य सम्बन्धों वाला एक बड़ा मुद्दा है। मैं सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाऊंगा और उसमें आम सहमति बनाने का प्रयास करूंगा। जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच अनावश्यक टकराव या मनमुटाव न हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान

***221. डा. राम चन्द्र डोम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित ''सर्व शिक्षा अभियान'' नाम की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अब तक इस योजना को क्रियान्वित कर दिया है और केन्द्र द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत अब तक अपनी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत कोई परियोजना रिपोर्टें अस्वीकृत भी की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) सरकार ने मिशन रूप में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की योजना शुरू की है।

इस योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

- वर्ष 2003 तक 6-14 आयु के सभी बच्चों को स्कूलों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूलों, स्कूल वापसी शिविरों में दाखिल करना;
- 2007 तक 6-14 आयु के सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा के 5 वर्ष पूरे कर लें;
- 2010 तक 6-14 आयु के सभी बच्चे 8 वर्ष की शिक्षा पूरी कर लें;
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देना;
- प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 2007 तक तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक स्त्री-पुरुषों तथा सामाजिक वर्गों के बीच सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना।
- 2010 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना ताकि कोई बच्चा बीच में पढ़ाई न छोड़े।

'सर्व शिक्षा अभियान' में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच नौवीं योजना में 85:15, दसवीं योजना में 75:25 और उसके पश्चात् 50:50 के अनुपात में दीर्घावधि साझेदारी के माध्यम से पोषणक्षम वित्त व्यवस्था जारी रखने का प्रावधान है।

इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित बस्तियों और गांवों के स्तर पर बनी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना है।

इस उद्देश्य के लिए गठित दल राज्य सरकार के प्रतिनिधियों सहित इन योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन दल की सिफारिश, जिन पर राज्य अधिकारियों के साथ भी चर्चा की जाती है, के आधार पर 'सर्व शिक्षा अभियान' के प्रतिमानकों के अनुसार इन योजनाओं पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है और अनुमोदित परिव्यय के अनुसार राशि जारी की जाती है। अभी तक किसी भी योजना को अस्वीकृत नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के लिए वर्ष 2001-2002 के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	अनुमोदित जिला योजनाओं की संख्या	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	53.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	3.57
3.	असम	23	76.52
4.	बिहार	18	67.12
5.	छत्तीसगढ़	16	7.80
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	23	41.56
8.	हिमाचल प्रदेश	12	16.18
9.	हरियाणा	19	4.96
10.	झारखंड	22	13.36
11.	जम्मू व कश्मीर	0	0
12.	कर्नाटक	27	65.09
13.	केरल	14	23.73
14.	मध्य प्रदेश	45	64.62
15.	महाराष्ट्र	35	104.49
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	7	18.71
18.	मिजोरम	8	10.18
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	30	74.75
21.	पंजाब	17	129.81
22.	राजस्थान	19	7.54
23.	सिक्किम	1	1.46
24.	तमिलनाडु	30	68.63
25.	त्रिपुरा	4	10.48
26.	उत्तरांचल	13	25.79
27.	उत्तर प्रदेश	70	180.30
28.	पश्चिम बंगाल	17	35.47
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादर व नागर हवेली	0	0
32.	दमन व दीव	0	0
33.	दिल्ली	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	4	0.38
	कुल	512	1106.26

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

***222. श्री विकास चौधरी:**
श्री रूपचन्द पाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकार ने देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में, पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

और (ख) जी हां। 146 जिलों की शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में पहचान की गयी है (देखिए संलग्न विवरण-I)

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई प्रमुख योजनाओं/किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) प्राथमिक/मिडिल स्कूलों को खोलने के लिए उदारीकृत मानदंड,

(2) शुल्क मुक्त शिक्षण/छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां/वर्दियां/लेखन सामग्री, स्कूल बस्ते आदि,

(3) शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेशार्थ स्थानों का आरक्षण,

(4) प्रवेश/नियुक्तियों के मामलों में न्यूनतम निर्धारित अंकों में ढील,

(5) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, आपरेशन ब्लैकबोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि के कार्यान्वयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता;

(6) आवासीय विद्यालय और आश्रम विद्यालय,

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास,

(8) शैक्षिक कौशल के विकास के लिए उपचारात्मक और विशेष कोचिंग, और

(9) जनजातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण।

इसके अतिरिक्त क्रमश: विशेष संघटक योजना और जनजाति उपयोजना के अंतर्गत किए गए आबंटनों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निधियां भी निर्धारित की गई हैं।

(घ) समाज के इस वर्ग में शैक्षिक संकेतकों अर्थात् सकल नामांकन अनुपात, महिला-पुरुषों के बीच असमानता में कमी, साक्षरता दरों में प्रतिशत वृद्धि, स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दर में कई के मामलों में सराहनीय प्रगति हुई है (देखिए संलग्न विवरण-II)। मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन इस संबंध में कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं लेकिन इन जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए समाज के इन वर्गों की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने का प्रयास किया जाता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत भी इन जिलों पर विशेष बल दिया जाता है, हाल ही में शुरू किया गया है और इसलिए इसके अंतर्गत किसी उल्लेखनीय उपलब्धि के विषय में कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

विवरण-I

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्यों एवं जिलों के नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	महबूब नगर
2.	मेडक
3.	निजामाबाद
4.	करीमनगर
5.	नालगौंडा
6.	वारंगल
7.	अदिलाबाद
8.	खम्माम
9.	रंगारेड्डी
10.	विशाखापट्नम
11.	विजियानगरम
अरुणाचल प्रदेश	
12.	तवांग
13.	तिरप
14.	पूर्वी कामेंग
बिहार	
15.	औरंगाबाद
16.	बेगूसराय
17.	भोजपुर
18.	जहानाबाद
19.	खगड़िया
20.	नालंदा
21.	समस्तीपुर

1	2
22.	सारण
23.	वैशाली
24.	अररिया
25.	भागलपुर
26.	गोपालगंज
27.	कटिहार
28.	किशनगंज
29.	मधेपुरा
30.	मुंगेर
31.	नवादा
32.	पश्चिमी चंपारन
33.	पूर्वी चंपारन
34.	पूर्णिया
35.	रोहतास
36.	सहरसा
37.	सीतमाढ़ी
38.	सीवान
39.	दरभंगा
40.	गया
41.	मधुबनी
42.	मुजफ्फरपुर
छत्तीसगढ़	
43.	बस्तर
44.	सरगुजा
गुजरात	
45.	बनासकांठा
46.	कच्छ
झारखण्ड	
47.	दुमका
48.	हजारीबाग
49.	पलामू
50.	साहिबगंज
51.	देवघर
52.	गिरिडीह
53.	गोड्डा
कर्नाटक	
54.	गुलबर्ग
55.	रायचूर
मध्य प्रदेश	
56.	छत्तरपुर
57.	गुना
58.	मुरैना
59.	पन्ना
60.	राजगढ़
61.	रीवा
62.	सतना
63.	सिहोर
64.	शाजापुर
65.	शिवपुरी
66.	सिधी
67.	झबुआ
68.	रतलाम
69.	बेतुल
70.	दतिया

1	2
71.	देवास
72.	धार
73.	पूर्वी निमार
74.	मंदसौर
75.	रायसेन
76.	सागर
77.	शहडोल
78.	टिकमगढ़
79.	विदिशा
80.	पश्चिमी निमार
उड़ीसा	
81.	कोरापुट
82.	बोलंगिर
83.	बालेश्वर
84.	कटक
85.	गंजाम
86.	कालाहांडी
राजस्थान	
87.	बांसवाड़ा
88.	बाड़मेर
89.	भिलवाड़ा
90.	बूंदी
91.	चित्तौड़गढ़
92.	धौलपुर
93.	डुंगरपुर
94.	जैसलमेर
95.	जालौर
96.	झालावाड़

1	2
97.	जोधपुर
98.	नागौर
99.	पाली
100.	सवाई माधोपुर
101.	सिरोही
102.	टोंक
103.	चुरू
104.	उदयपुर
105.	अलवर
106.	भरतपुर
107.	बीकानेर
108.	गंगानगर
109.	जयपुर
110.	कोटा
111.	सीकर
उत्तर प्रदेश	
112.	इलाहाबाद
113.	बहराइच
114.	देवरिया
115.	गोंडा
116.	खेरी
117.	ललितपुर
118.	पीलीभीत
119.	रायबरेली
120.	शाहजहांपुर
121.	सिद्धार्थनगर
122.	सीतापुर
123.	उन्नाव

1	2
124.	बांदा
125.	महाराजगंज
126.	मिर्जापुर
127.	सोनभद्र
128.	आजमगढ़
129.	बाराबंकी
130.	बदायूं
131.	बस्ती
132.	बरेली
133.	फैजाबाद
134.	गोरखपुर
135.	हमीरपुर
136.	हरदोई
137.	जौनपुर
138.	मथुरा
139.	मुरादाबाद
140.	प्रतापगढ़
141.	रामपुर
142.	सुल्तानपुर
143.	वाराणसी
पश्चिम बंगाल	
144.	बीरभूम
145.	मालदा
146.	पश्चिमी दिनाजपुर

विवरण-II

(आंकड़े 000 में)

1. नामांकन

वर्ष	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1980-81	44576	28112	72688	7213	3768	10981	3133	1527	4660
1999-2000	64103	49509	113613	11810	8625	20435	6139	4511	10650
प्रतिशत वृद्धि	43.80	76.11	56.30	63.73	128.9	86.09	95.95	195.42	128.54

(ख) उच्च प्राथमिक:

(आंकड़े 000 में)

वर्ष	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1980-81	13278	6568	19846	1621	602	2223	537	205	742
1999-2000	25082	16983	42065	3881	2420	6301	1804	1101	2905
प्रतिशत वृद्धि	88.90	158.57	111.96	139.42	301.9	183.45	235.94	437.07	291.51

2. सकल नामांकन अनुपात

(क) प्राथमिक (1-5)

वर्ष	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1980-81	99.00	66.20	83.10	105.40	57.80	82.20	94.20	45.90	70.00
1999-2000	104.08	85.18	94.90	103.57	80.53	92.41	112.68	82.73	97.70

(ख) उच्च प्राथमिक (7-8)

वर्ष	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1980-81	52.10	27.20	40.10	41.40	16.20	29.10	28.20	10.80	19.50
1999-2000	67.15	49.66	58.79	73.57	50.33	62.49	70.75	44.70	58.01

3. बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

वर्ष	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	प्राइमरी	अपर प्राइमरी	माध्यमिक	प्राइमरी	अपर प्राइमरी	माध्यमिक	प्राइमरी	अपर प्राइमरी	माध्यमिक
1980-81	58.70	72.70	82.46	60.16	76.84	86.91	75.66	86.71	91.18
1998-99	39.74	56.82	67.44	44.27	63.58	76.63	57.36	72.80	82.96

4. भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर

वर्ष	सभी वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1961	34.44	12.95	16.96	3.29	13.83	3.16
1991	64.13	39.29	49.91	23.76	40.65	18.19
प्रतिशत वृद्धि	86.21	203.40	194.28	622.18	193.92	475.63

विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

***226. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में शहरी आधारभूत ढांचा, गरीबी उपशमन और आवास क्षेत्र संबंधी कुछ विदेशी से सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा विदेशों से प्राप्त सहायता का और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या राज्यों में विदेशों की सहायता से कुछ और परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विदेशी एजेंसियों से शहरी अवस्थापना, गरीबी उपशमन और आवास सेक्टरों के लिए राज्यों/संघ राज्यों को मिली विदेशी सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्यों में शुरू की जाने वाली विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विदेशी एजेंसियों से शहरी अवस्थापना, गरीबी उपशमन व आवास सेक्टरों के लिए राज्यों/संघ राज्यों को मिली विदेशी सहायता के ब्यौरे

(स्थानीय मुद्रा मिलियन में तथा रुपये करोड़ में)

क्रमांक	ऋण/अनुदान	करार की तारीख	ऋण/अनुदान राशि	वितरण की अंतिम तारीख	एलसी-स्थानीय मुद्रा आईएनआर-भारतीय रुपये	उपयोग 1999-2000	उपयोग 2000-2001	उपयोग 2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए.डी.बी.-एशियाई विकास बैंक								
1.	1415-आईएनडी कर्नाटक अर्बन इन्फ्रास्ट्रकचर विकास प्रोजेक्ट	10.5.1996	यूएसडी 85.000	30.6.2002	एलसी आईएनआर	15.369 66.679	16.738 76.802	7.275 34.475
2.	1647-आईएनडी, राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रकचर विकास प्रोजेक्ट	1.12.1999	यूएसडी 250.000	30.6.2005	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.297 1.368	0.983 4.070
3.	1704-आईएनडी, कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंध	19.5.2000	यूएसडी 175.000	30.6.2005	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.089 0.416	1.304 6.189
4.	1826-आईएनडी गुजरात, भूकंप पुनर्वास व पुनर्निर्माण	26.4.2001	यूएसडी 500.000	30.6.2004	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	80.000 375.535
5.	1719 आईएनडी हडको शहरी व पर्यावरणीय अवस्थापना सुविधाएं	19.5.2000	यूएसडी 90.000	31.12.2006	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
6.	1720-आईएनडी, आईसीआईसीआई शहरी एवं पर्यावरणीय अवस्थापना सुविधाएं	19.5.2000	यूएसडी 80.000	31.12.2006	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	- 0.373 1.732	0.354 1.706
7.	1721-आईएनडी, आईडीएफसी शहरी एवं पर्यावरणीय अवस्थापना सुविधाएं	19.5.2000	यूएसडी 30.000	31.12.2006	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	1550-आईएनडी हडको आवास वित्त परियोजना	6.11.1997	यूएसडी 100.000	-	एलसी	50.000	0.000	0.000
जर्मन सरकार								
9.	46004520-हडको भवन प्रौद्योगिकी संवर्द्धन (हडको-3) एएल-9065061	29.1.1991	डीईएम 10.000	30.6.1999	एलसी आईएनआर	0.210 0.420	0.002 0.005	0.380 0.834
10.	303695-एचडीएफसी-2 एएल नं. 9365800	14.2.1994	डीईएम 30.000	30.12.2005	एलसी आईएनआर	4.753 9.506	3.981 8.278	0.000 0.000
11.	डीईएनजी 001 हडको-5 एल नं.-9565110	29.11.1995	डीईएम 35.000	30.12.1998	एलसी आईएनआर	0.888 1.776	0.000 0.000	0.000 0.000
12.	1542976 हडको-6 एएल नं.-9665944	31.10.1997	डीईएम 30.000	30.12.2000	एलसी आईएनआर	3.401 6.801	2.923 6.097	0.017 0.036
13.	23233038 एचडीएफसी-3 (कम लागत के मकान)	25.09.1998	डीईएम 30.000	30.12.2003	एलसी आईएनआर	0.500 1.000	1.751 3.816	5.148 11.198
14.	एएल 9665944 हडको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास	31.10.1997	डीईएम 20.000	30.12.2000	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
फ्रांस सरकार								
15.	एफआरजीएल 4009 जल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली का सुधार केएन 376 एम	26.4.1996	एफआरएफ 47.941	31.12.2003	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	9.488 5.944	4.620 2.963
16.	एफआरजीएल 4201 कोलकाता में जलापूर्ति प्रबंधन सुधार	23.11.1998	एफआरएफ 35.999	21.6.2002	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	9.389 5.886	7.205 4.522
17.	एफआरजीजी 3901 भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (कचरा सुधार प्रबंध परियोजना)	5.2.1997	एफआरएफ 1.900	31.12.2000	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.00
18.	एफआरजीजी 3801 लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरी विभाग, जयपुर	18.12.1995	एफआरएफ 6.500	31.3.2001	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
19.	एफआरजीजी 3902 ठोस कचरा प्रबंधन सीएमसी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन	13.11.1997	एफआरएफ 1.400	31.12.2001	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
20.	एफआरजीएल 3803 दिल्ली जलापूर्ति एवं सीवेज निपटान उपक्रम	30.4.1996	एफआरएफ 46.594	31.3.2001	एलसी आईएनआर	14.027 9.459	0.000 0.000	5.205 3.383

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	एफआरजीएल 3805 लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, जयपुर	3.9.1996	एफआरएफ 13.686	31.3.2001	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
22.	एफआरजीएल 3806 लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, जयपुर	29.5.1997	एफआरएफ 4.976	31.3.2000	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
23.	एफआरजीएल 3804 जयपुर के लिए जल प्रबंधन परियोजना	18.12.1995	एफआरएफ 5.300	31.3.2001	एलसी आईएनआर	0.909 0.620	0.000 0.000	0.000 0.000
24.	एफआरजीएल 4104 कांगचुप जलापूर्ति का उन्नयन/आवर्द्धन	26.2.1997	एफआरएफ 31.650	31.12.2001	एलसी आईएनआर	25.949 17.738	3.763 2.387	2.338 1.520
जापान सरकार								
25.	आईडीपी 102 मद्रास सीवरेज आरएंडएफ सुधार	28.2.1995	जेपीवाई 17098.000	12.4.2002	एलसी आईएनआर	847.539 33.379	52.756 2.147	0.000 0.000
26.	आईडीपी 121 दिल्ली द्रुत जन परिवहन प्रणाली	25.2.1997	जेपीवाई 14760.000	21.10.2007	एलसी आईएनआर	1114.700 41.490	1214.314 47.989	10899.079 414.087
27.	आईडीपी 139 दिल्ली द्रुत जन परिवहन प्रणाली परियोजना-2	30.3.2001	जेपीवाई 6732.0000	30.3.2008	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	4719.813 185.115
28.	आईडीपी 109 बंगलौर जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना	25.1.1996	जेपीवाई 28452.000	26.3.2004	एलसी आईएनआर	2714.068 104.263	3754.250 150.030	3462.947 138.277
29.	आईडीपी 123 केरल जलापूर्ति परियोजना	25.2.1997	जेपीवाई 11997.000	3.6.2006	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
30.	आईडीपी 110 हडको शहरी जलापूर्ति एवं सफाई	25.1.1996	जेपीवाई 8670.000	28.6.2003	एलसी आईएनआर	7522.539 280.914	1147.462 467.216	0.000 0.000
ब्रिटिश सरकार								
31.	यूकेजीजी 002 कटक स्लम सुधार परियोजना (एलसीजी-1991)	23.5.1995	जीबीपी 16.944	31.3.2002	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
32.	यूकेजीजी 012 यूके/भारत-कोचीन शहरी गरीबी न्यूनीकरण परियोजना	1.5.1997	जीबीपी 11.469	31.12.2002	एलसी आईएनआर	1.382 9.435	1.772 11.782	0.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	यूकेजीजी 016 यूके/भारत शहरी सेवा सुधार परियोजना	20.10.1997	जीबीपी 11.490	31.3.2002	एलसी आईएनआर	0.828 5.794	0.000 0.000	0.545 3.837
34.	यूकेजीजी 017 गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवा सुधार	3.6.99	जीबीपी 94.413	31.5.2006	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	1.461 10.091
35.	यूकेजीजी 022 गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवा सुधार	3.6.1999	जीबीपी 66.086	31.5.2006	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
36.	यूकेजीजी 024 कटक स्लम सुधार परियोजना	1.1.1991	जीबीपी 16.944	31.3.2002	एलसी आईएनआर	0.588 4.037	0.169 1.129	0.449 3.013
	आईबीआरडी							
37.	टीएफ-25573 पश्चिम बंगाल म्यूनिसिपल विकास परियोजना	17.9.1998	यूएसडी 0.469	31.12.1999	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
38.	3923-ए-आईएन बाम्बे सीवेज निपटान	28.12.1995	यूएसडी 124.783	31.12.2002	एलसी आईएनआर	15.307 66.510	17.123 79.425	11.600 55.067
39.	4478 आईएन द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	14.7.1999	यूएसडी 105.000	30.11.2004	एलसी आईएनआर	7.496 32.627	48.023 224.497	10.410 49.139
40.	पी-363-आईएन कलकत्ता जलापूर्ति सीवरेज एवं जल निकास परियोजना	23.7.1999	यूएसडी 2.500	30.11.2001	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.580 2.668	0.258 1.212
41.	3907-6-आईएन द्वितीय चेन्नई जलापूर्ति परियोजना	20.11.1995	यूएसडी 80.500	30.6.2002	एलसी आईएनआर	19.876 86.322	15.694 72.385	4.923 23.434
42.	पी-368-0-आईएन कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंधन एवं एमएस परियोजना	23.12.1999	यूएसडी 1.5000	2.6.2002	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
	ओपीईसी							
43.	0693-पी शिमला सीवरेज परियोजना	21.8.1997	यूएसडी 10.000	31.12.2002	एलसी आईएनआर	1.105 4.793	2.617 11.875	1.803 8.578
	यूएनडीपी							
44.	आईएनडी/99/544 शहरी शासन के लिए क्षमता विकास	21.12.2000	यूएसडी 0.500	31.12.2002	एलसी आईएनआर	0.000 0.000	0.000 0.000	0.146 0.700

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में शुरू की जाने वाली विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	एजेंसी	परियोजना का नाम
1.	दिल्ली	विश्व बैंक	दिल्ली जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजना
2.	कर्नाटक	विश्व बैंक	कर्नाटक जल आपूर्ति प्रबंध तथा म्यूनिसिपल सुदृढ़ीकरण परियोजना
3.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	मध्य वैतरणा-5 मुंबई जल आपूर्ति परियोजना
4.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक व यूएनसीएचएस	हैदराबाद सीडीएस पहल प्रयास-सिटीज एलायंस प्रोग्राम
5.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश शहरी गरीबी न्यूनीकरण परियोजना
6.	गुजरात	विश्व बैंक	गुजरात शहरी सुधार परियोजना
7.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	हैदराबाद हेतु शहरी गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम—इटैलियन सहयोग से सहायता
8.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना
9.	छत्तीसगढ़	विश्व बैंक	छत्तीसगढ़ गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम
10.	आंध्र प्रदेश	नीदरलैंड	हरित हैदराबाद कार्यक्रम का शुरूवाती चरण
11.	महाराष्ट्र	जर्मन	नागपुर स्लम सुधार
12.	बुहराज्यीय गरीबी उपशमन परियोजना	इटैलियन	भारत में शहरी गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम

पहचान-पत्रों का जारी किया जाना

***227. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अवैध प्रवास रोकने हेतु देश के सभी नागरिकों के लिए पहचान-पत्र/नागरिक कार्ड (सिटिजन कार्ड) जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ रोकने के लिए सीमा के 10 किमी. क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों के लिए 'टैम्पर प्रूफ' पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे पहचान-पत्र जारी करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सारणी बनाई गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ज) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों सहित भारतीय नागरिकों को बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर सरकार ध्यान दे रही है। इन कार्डों से विश्वसनीय

पहचान प्रणाली तो उपलब्ध होगी ही, साथ ही इनका बहुविध प्रयोग भी हो सकेगा।

बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने में एक अरब से अधिक नागरिकों के लिए पहचान प्रणाली का सृजन, निचले स्तर पर जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के मौजूदा तंत्र को सुव्यवस्थित बनाना तथा निरंतर अद्यतन बनाए जा सकने वाले वैयक्तिक पहचानों के समेकित डाटा बेस के सृजन के लिए संस्थागत के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय विकल्प अन्तर्ग्रस्त हैं। सरकार सभी संबद्ध मामलों की गहराई से जांच करने के बाद तथा योजना को कानूनी आधार प्रदान करने सहित आवश्यक तैयारी करने के बाद ही अपने निर्णय को अंतिम रूप देगी।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का विनिवेश

***228. श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'ग्लोबल' सलाहकारों द्वारा जिस आरक्षित मूल्य की सिफारिश की गई थी, उससे भी कम मूल्य पर पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के 74 प्रतिशत सरकारी हिस्से को जुआरी मरोक फास्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और उसमें निवेश की गई पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कामगारों के भविष्य, उनकी मजदूरी के भुगतान और कानून के अनुसार उनके अन्य बकायों एवं कंपनी के दायित्वों के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) पारादीप फास्फेट्स में 74 प्रतिशत सरकारी भागीदारी की बिक्री के लिए सलाहकारों ने, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और प्रतिस्थापना आधारित परिसंपत्ति मूल्य द्वारा प्राप्त मूल्य निर्धारण को महत्व देते हुए आरक्षित मूल्य की सिफारिश की थी। यह अकेले डिस्काउंटेड कैश फ्लो मूल्य निर्धारण के आधार पर आरक्षित मूल्य तय करने की सामान्य प्रक्रिया से हटकर था और इस विषय पर मंत्रालय के दिशा-निर्देशों से मेल नहीं खाता था।

पारादीप फास्फेट्स लि. प्रारंभ से ही घाटे में चलता रहा है। विगत समय में मार्च, 1994 और मार्च, 2000 में दो बार इसकी वित्तीय पुनर्संरचना की गई थी फिर भी, कंपनी घाटे में चलती रही है। 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य मुश्किल से 1.15 करोड़ रुपए था, वह भी 31.3.2001 से प्रभावी तीसरी वित्तीय पुनर्संरचना के बाद। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, पारादीप फास्फेट्स लि. की बकाया देयताएं 856.34 करोड़ रुपए के बराबर थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का लगभग 200 करोड़ रुपए का बकाया ऋण था। 2001-2002 में पारादीप फास्फेट्स लि. का हर महीने का औसत निवल घाटा लगभग 10-12 करोड़ रहा है। अंतर्मंत्रालय दल/विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल की सिफारिशों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 151.70 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार करने का निर्णय लिया। यह डिस्काउंटेड कैश फ्लो मूल्य निर्धारण से काफी अधिक था लेकिन सलाहकारों द्वारा अनुशंसित आरक्षित मूल्य से थोड़ा कम था।

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निवल अचल परिसंपत्तियां, 303.08 करोड़ रुपए थी और पूंजी निवेश 670.69 करोड़ रुपए था। हर महीने होने वाले भारी घाटे के कारण, 31 मार्च, 2002 तक, कंपनी का निवल मूल्य लगभग ऋणात्मक 120 करोड़ रुपए तक गिर गया होता।

(घ) और (ङ) शेयर धारक करार में ऐसी व्यवस्था होती है कि अनुकूल साझीदार सभी बाकी अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए कंपनी को निमित्त बनाएगा और अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी के सभी मौजूदा ऋण और/अथवा बाकी देयताओं का सामयिक भुगतान सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त करार में, कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए विशिष्ट खण्ड वाक्यों का प्रावधान होता है जो संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। सफल बोलीदाता ने लिखित में यह वचनबद्धता की है कि वह, अनुकूल साझीदार बनने के तीस दिन के अंदर भविष्य-प्रभावी रूप से लंबित मजदूरी/वेतन संशोधन क्रियान्वित कर देगा और इसके अलावा यह भी कहा है कि वह बकाया के भुगतान के बारे में तत्काल चर्चा आरंभ करेगा और 90 दिन के अंदर बकाया के भुगतान की रूपात्मकताओं को अंतिम रूप दे देगा।

विवरण

शेयरधारक करार से उद्धरण

विधिक अंश का विवरण:

(च) पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि कंपनी के सभी कर्मचारी (इसके बाद परिभाषित) इस तारीख को कंपनी के रोजगार में बने रहेंगे।

(छ) अनुकूल साझीदार इस बात को मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धान्तों का अनुकरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छंटनी अन्त में हो।

अनुच्छेद:

अनुच्छेद 4.4

मामलों का अनुमोदन

(क) इस करार अथवा संस्था के अंतर्गत नियम अथवा अधिनियम के अधीन अन्यथा अनुमत्य किन्हीं अन्य उपबन्धों के रहते हुए, कंपनी अथवा इसकी कोई भी सहायक कंपनियों का कोई अनुबंध-पत्र संपन्न नहीं होगा, कोई भी निर्णय अथवा संकल्प नहीं लिया जाएगा और अनुसूची 1 में अभिज्ञात मामलों के संबंध में कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अथवा कंपनी के बारे में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक ऐसे अनुबंध-पत्र, निर्णय अथवा कार्रवाई को जैसा भी मामला हो, अनुमोदित नहीं कर दिया जाएगा।

(1) यदि ऐसे अनुबंध-पत्र, निर्णय अथवा कार्रवाई पर विचार करने के उद्देश्य से कंपनी के शेयरधारकों की कोई विधिवत बैठक बुलाई जाती है तो ऐसी बैठक में सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक मतदान द्वारा उप-खण्ड 4.8 (ङ) के उपबंधों के अध्यधीन कार्रवाई मान्य होगी।

(2) यदि बोर्ड की कोई बैठक होती है तो सरकार के कम से कम एक नामांकित निदेशक के सकारात्मक मतदान द्वारा (अथवा परिचालन द्वारा बोर्ड के संकल्पों के मामले में, सरकार के कम से कम एक नामांकित निदेशक द्वारा लिखित में ऐसे संकल्प के अनुमोदन द्वारा) उप खण्ड 4.3(च) के उपबंधों के अध्यधीन कार्रवाई मान्य होगी।

अनुसूची 1

विशेष सहमति की अपेक्षा रखने वाले मामले

(xxv) अंतिम तारीख के बाद 5 (पांच) कलैण्डर वर्ष के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के वेतनमान अथवा पैंशन अथवा सेवानिवृत्ति लाभ में अंतिम तारीख को ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध वेतनमान अथवा पैंशन अथवा सेवानिवृत्ति लाभ से कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन।

अनुच्छेद 5.6—*कंपनी के कर्मचारियों को इक्विटी शेयरों की बिक्री*

खण्ड 5.1(ख) और 5.3 में सन्निहित किसी प्रतिकूल बात के रहते हुए सरकार के पास अंतिम तारीख से 6(छ) महीने बीत जाने पर किसी भी समय अपने ही विवेक पर अपनी शेयर धारिता जो कंपनी की पुनर्संरचित इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हो, की कर्मचारियों को इस तरीके से बिक्री करने का विकल्प रहेगा जैसा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया हो। सरकार द्वारा इसके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के किसी अंश की बिक्री कर्मचारियों को करने के अपने विकल्प का उपयोग करने की दशा में, कर्मचारियों को हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के लिए कर्मचारियों को नए शेयर प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। यदि ऐसे इक्विटी शेयर अमूर्त रूप से धारित न हों। पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि हस्तांतरण पूरा हो जाने पर, इस खण्ड 5.6 के अनुसरण में, कर्मचारियों को हस्तांतरित इक्विटी शेयर, इस करार के किन्हीं प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं होंगे चाहे वह मत व्यवस्था के द्वारा हो अथवा पहले स्वीकार करने के अधिकार द्वारा।

7.2 प्रमुख और अनुकूल साझीदार के अभ्यावेदन, अनुज्ञप्तियां और प्रतिज्ञा-पत्र

अनुच्छेद 7.2(ङ) अनुकूल साझीदार और उसका प्रत्येक प्रमुख अंतिम तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रकार की पदच्युति अथवा लागू कर्मचारी विनियमन तथा कंपनी के स्थायी आदेशों अथवा लागू कानून के अनुसरण में अपने रोजगार से कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति को छोड़कर कंपनी के कार्य बल के किसी भाग की छंटनी नहीं करेगा; तथापि, शर्त यह है कि पूर्वोक्त 1 (एक) वर्ष की अवधि के बाद, किसी कर्मचारी की कोई छंटनी तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक प्रभावित कर्मचारी को ईष्टतम लाभ के बराबर अथवा उससे अधिक लाभ न दे दिए जाएं।

(च) उपरोक्त उप-खण्ड (ङ) के अध्यधीन कंपनी के श्रम बल की किसी भी प्रकार की पुनर्संरचना (कोई कमी सहित) बोर्ड द्वारा की गई संस्तुत के तरीके तथा सभी लागू कानूनों के अनुसरण में क्रियान्वित की जाएंगी और अनुकूल साझीदार और उसका प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उन शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प की पेशकश करे जो किसी भी तरह ईष्टतम लाभ से कम अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 1.1 में परिभाषित ''ईष्टतम लाभ'' इस प्रकार पठित है कि ''ईष्टतम लाभ का अर्थ कर्मचारियों को मिलने वाले वे लाभ होंगे जो (क) लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) के दिशा-निर्देशों द्वारा प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शर्तों से अधिक और अंतिम तारीख को कंपनी पर लागू हों, अथवा (ख) अंतिम तारीख को कंपनी में लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शर्तों से बेहतर हों''।

बच्चों का यौन शोषण

***229. डा. डी.वी.जी. शंकर राव:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों के वाणिज्यिक यौन शोषण के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हेतु योकोहामा घोषणा का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने देश हैं, जिन्होंने इस घोषणा को अपनाने का आश्वासन दिया है;

(घ) क्या इसके कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए कोई स्थायी तंत्र गठित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जापान सरकार द्वारा यूनिसेफ, इक्पैट इन्टरनेशनल तथा बाल अधिकार कन्वेंशन पर गैर-सरकारी संगठन दल के सहयोग से आयोजित योकोहामा सम्मेलन में भारत सहित 138 देशों ने अपने शिष्टमंडल भेजे। सम्मेलन में योकोहामा विश्व प्रतिबद्धता को अंगीकार किया गया, जिसमें भारत द्वारा एक स्पष्टीकरण वक्तव्य भी शामिल था। वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया कि उक्त प्रतिबद्धता में क्षेत्र बाह्य आपराधिक कानूनों के संदर्भ का आशय यह सुनिश्चित करना है कि दोषी व्यक्ति पर उसी देश में मुकदमा चलाया जाये, जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है। यदि उस पर इस कारण से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि वह व्यक्ति उस देश में उपस्थित नहीं है और सुनवाई के लिए उसे प्रत्यार्पित नहीं किया जा रहा है, तो उस पर उसी देश में मुकदमा चलाया जाता है, जिस देश का वह नागरिक है अथवा जिस देश में वह आमतौर पर रहता है अथवा जिस देश में वह मौजूद है। संयुक्त राज्य, यूरोपीय संघ, इरान और अरब तथा अफ्रीकी देशों ने भी वक्तव्य दिये हैं।

(घ) और (ङ) प्रतिबद्धता में इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र शामिल नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत बच्चों का अवैध व्यापार एक अपराध है।

बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) अवैध व्यापार को रोकने, अवैध व्यापार तथा व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार बच्चों को बचाने और उनका पुनर्वास करने तथा अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए कानूनी तथा विधि प्रवर्तन प्रणालियों को सक्रिय बनाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना (1998) तैयार की है तथा एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है।

(2) इस प्रयोजनार्थ राज्य सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं, राज्यों को अधिकार दिये गए हैं तथा अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों द्वारा अधिक संसाधन मुहैया कराने की मांग की गई है।

(3) महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि राज्य कार्य योजना का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये तथा राज्य कार्य योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाये।

(4) महिला एवं बाल विकास विभाग इन दिनों अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम सहित मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा कर रहा है।

(5) महिला एवं बाल विकास विभाग ने अवैध व्यापार के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा सरकारी विभागों, पुलिस और न्यायपालिका तथा पूरे नागरिक समाज में इस समस्या से ग्रस्त लोगों के प्रति

संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास शुरू किये हैं।

(6) राष्ट्रीय महिला आयोग गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अवैध व्यापार के विरुद्ध सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है। आयोग ने पूरे देश में 20 कार्यशालाएं आयोजित की हैं और इस संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार की है।

(7) संबंधित राज्य सरकारों ने यौन शोषण को रोकने के लिए 'देवदासी' तथा 'जोगिन' प्रथाओं के निषेध हेतु कानून बनाये हैं।

(8) अवैध व्यापार की समस्या को रोकने तथा इससे ग्रस्त बच्चों के पुनर्वास के कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों का अभिनिर्धारण।

(9) महिला एवं बाल विकास विभाग ने कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं के लिए 'स्वाधार' नामक एक नई स्कीम शुरू की है, जो अवैध व्यापार की शिकार महिलाओं पर भी लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत अवैध व्यापार से छुड़ायी गई महिलाओं को आश्रय, परामर्श, डाक्टरी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(10) महिला एवं बाल विकास विभाग ने रोकथाम, बचाव और पुनर्वास की कार्यविधि के माध्यम से स्रोत क्षेत्रों, परम्परागत क्षेत्रों तथा गंतव्य क्षेत्रों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के सहायतार्थ एक माडल सहायता अनुदान स्कीम बनायी है। इसमें परामर्श, अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है।

(11) महिला एवं बाल विकास विभाग ने अन्तर-राज्य अवैध व्यापार के मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में निरीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को अधिसूचित किया है, जो अवैध व्यापार निवारण पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(12) महिला एवं बाल विकास विभाग ने गृह मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा है कि अवैध व्यापार को रोकने और उनकी मानीटरिंग के लिए एक नोडल एजेंसी बनायी जाये।

(13) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने देश के भीतर अवैध व्यापार के संबंध में एक सर्वेक्षण शुरू किया है। इस अध्ययन में अवैध व्यापार के सभी अभिकर्त्ताओं के व्यवहार और कारण संबंधी पहलुओं की भी जांच की जायेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस समस्या की व्यापकता, इसमें संलग्न व्यक्तियों की संख्या तथा अवैध व्यापार के मार्गों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण भी शुरू कराया है।

यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित जनजातीय विकास परियोजनाएं

*230. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कुछ जनजातीय विकास परियोजनाओं को कुछ राज्यों में शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को शुरू करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) यूरोपीय संघ से कितनी धनराशि प्राप्त हुई, केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई और वास्तविक रूप में ऐसे प्रत्येक राज्य द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं। यूरोपीय संघ ने भारत सरकार या राज्य सरकारों के जरिए किसी परियोजना को वित्तपोषित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस.) योजना संबंधी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

*231. **श्री अरुण कुमार:**
श्री मंजय लाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) योजना लक्षित समूह को लाभ प्रदान करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना की धनराशि को कुछ अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को परियोजनाओं की स्वीकृति और परिचालन में किसी विसंगति तथा विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई धनराशि में से केवल 39 प्रतिशत धनराशि के ही उपयोग का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पिछली रिपोर्ट (वर्ष 2000 की रिपोर्ट सं.-3) वर्ष 1992 से 1999 तक समेकित बाल विकास सेवा स्कीम तथा इसके अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के प्रभाव का निष्पादन मूल्यांकन है। रिपोर्ट में स्कीम के उद्देश्यों, कार्यान्वयन तथा प्रभाव प्रक्रियाओं, लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, पूरक पोषाहार के वितरण तथा सेवाओं में विसंगतियों पर टिप्पणी की गई है।

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों में से 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं और स्कीम के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान की गई है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि देश में 25 प्रतिशत विकास खण्ड आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत नहीं लाये गए, शिशु मृत्यु-दर में गिरावट की गति धीमी रही, जो 1996 में प्रति हजार 72 थी, राज्य सरकारों द्वारा पूरक पोषाहार के संवितरण में विसंगतियां रहीं, कुछ राज्यों में आई.सी.डी.एस. कार्यकर्त्ताओं के पद रिक्त रहे, राज्य सरकारों द्वारा पूरक पोषण हेतु राशि का कम प्रावधान किया गया, कुछ राज्यों में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का प्रावधान नहीं किया गया तथा स्वास्थ्य सेवाओं, अर्थात् टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच में कमियां रहीं।

(ग) और (घ) रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ राज्यों द्वारा 35.99 करोड़ रुपये सिविल जमा खाते में, 45.16 करोड़ रुपये वैयक्तिक जमा खाते में तथा 38.91 करोड़ रुपये बचत बैंक खाते में रखे गए। तथापि, रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय राशि का उपयोग और/अथवा विनियोजन अन्य प्रयोजनों हेतु किया गया। राज्यों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि राशि के उपयोग में लाए जाने तक उसे सिविल जमा खाते/बचत बैंक खाते में रखा गया।

(ङ) और (च) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस.-2 परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत 454 परियोजनाओं में से, 452 परियोजनाओं को दिनांक 31.3.1999 तक परिचालित कर दिया गया था। तथापि, विश्व बैंक से कुल प्रतिबद्धित सहायता राशि का 39 प्रतिशत भाग दिनांक 31.3.1999 तक संवितरित कर दिया गया था, तथापि, संबंधित राज्यों ने 59 प्रतिशत से अधिक का व्यय किया था। अब परियोजना की गति में तेजी आई है और दिसम्बर, 2001 तक कुल विश्व बैंक सहायता के 85.8 प्रतिशत भाग का उपयोग कर लिया गया है।

दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना

*232. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री सुबोध राय:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को कब तक शुरू और पूरा किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या उक्त परियोजना को यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं पूरा किया गया तो लागत बढ़ने की भी कोई संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए इस चरण का कार्य शुरू करने और पूर्ण करने की संभावित तारीखें अभी नहीं बतायी जा सकती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण

*233. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय और समुद्री पर्यावरण के समुचित संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई महासागर जागरूकता कार्यक्रम (ओसीन अवेयरनेस प्रोग्राम) शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (इकमास) के अंतर्गत महासागर विकास विभाग ने जीआईएस सुदूर संवेदन और गणितीय प्रतिरूपण जैसे वैज्ञानिक यंत्रों और तकनीकों के प्रयोग का प्रत्यक्षण करते हुए चेन्नै के लिए मसौदा इकमास योजना तैयार की है। ये यंत्र और तकनीकें तटीय अपरदन, अभिवृद्धि, प्रदूषण और झील पारितंत्र अर्थात् पुलीकट के संरक्षण जैसे मुद्दों और समस्याओं का विश्लेषण करने में उपयोगी है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक कार्यक्रम के अंतर्गत, तटीय राज्यों और संघशासित प्रदेशों द्वारा मैंग्रोवों एवं प्रवालों के प्रबंधन हेतु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 की अपेक्षानुसार प्रत्येक तटीय राज्य/संघशासित क्षेत्र ने तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्र के साथ क्षेत्र-विशिष्ट के मुद्दों को ध्यान में रखकर मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों इत्यादि जैसे तटीय पारितंत्र की सुरक्षा करना है। देश में तीस मैंग्रोव एवं चार प्रवाल भित्ति क्षेत्रों की पहचान गहन संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु की गई है। 1991-1999 की अवधि के दौरान देश के मैंग्रोव क्षेत्र में 615 वर्ग कि.मी. की समग्र वृद्धि पाई गई है।

(ग) और (घ) महासागर विकास विभाग ने कोई विशिष्ट समुद्री जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया है। परन्तु समुद्र क्षेत्र में समुद्र प्रौद्योगिकी एवं अन्य विकासात्मक कार्यकलापों पर जागरूकता प्रदर्शित एवं सृजित करने के लिए विभाग देश एवं विदेश में प्रदर्शनियों में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त विभाग समुद्र से संबंधित विषयों पर संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए आंशिक निधीयन भी करता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभाग ने 17 प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया एवं समुद्र क्षेत्र से जुड़े विषयों से संबंधित 120 से अधिक वैज्ञानिक संगोष्ठियां/गोष्ठियां करने के लिए आंशिक वित्तीय मदद की।

[हिन्दी]

महिलाओं के उत्थान हेतु योजनाएं

***234. श्री नागमणि:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण देने, विशेषकर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर उचित प्रभाव पड़ा है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई/उपयोग की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार महिलाओं के उत्थान हेतु कुछ अन्य योजनाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, विशेष विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार और प्रशिक्षण के लिए, कोई नई स्कीम नहीं चलायी है। तथापि, महिलाओं के उत्थान के लिए तीन नई स्कीमें चलाई गई हैं। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. महिला विकास तथा सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा:

इस स्कीम में स्व-सहायता समूहों की कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

2. स्वयंसिद्धा:

महिला सशक्तिकरण हेतु यह एक समेकित स्कीम है। यह स्कीम महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के गठन पर आधारित है और इसका उद्देश्य जागरूकता विकास, आर्थिक सशक्तिकरण तथा विभिन्न स्कीमों के संकेन्द्रण के माध्यम से महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण है।

3. स्वाधार:

यह स्कीम विभिन्न परिस्थितियों में कठिन जीवन व्यतीत करने वाली अलग-अलग तरह की महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लचीले और अभिनव दृष्टिकोण से तैयार की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली ऐसी महिलाओं को आश्रय, परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिन्हें कोई सामाजिक और आर्थिक समर्थन प्राप्त नहीं होता।

उक्त अवधि के दौरान आवंटित राज्य-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। स्कीमों से लक्षित वर्ग की महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है।

(घ) और (ङ) फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राज्य-वार आवंटित राशि दर्शाने वाला विवरण

1. *स्वयंसिद्धा:* (2000-01 में शुरू हुई)

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	स्कीम शुरू नहीं हुई		
		1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	11.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	3.16
3.	असम	–	–	7.68
4.	बिहार	–	–	16.95
5.	झारखण्ड	–	–	7.68
6.	गोवा	–	–	2.41
7.	गुजरात	–	–	8.43
8.	हरियाणा	–	–	4.92
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	3.66
10.	जम्मू व कश्मीर	–	–	4.92
11.	कर्नाटक	–	–	6.67
12.	केरल	–	–	6.17
13.	मध्य प्रदेश	–	–	10.68
14.	छत्तीसगढ़	–	–	5.92
15.	महाराष्ट्र	–	–	10.68
16.	मणिपुर	–	–	2.41
17.	मेघालय	–	–	2.91
18.	मिजोरम	–	–	2.41

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	–	–	3.16
20.	उड़ीसा	–	–	10.68
21.	पंजाब	–	–	5.42
22.	राजस्थान	–	–	8.83
23.	सिक्किम	–	–	2.41
24.	तमिलनाडु	–	–	12.69
25.	त्रिपुरा	–	–	2.41
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	25.23
27.	उत्तरांचल	–	–	4.41
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	11.44
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	0.00
30.	चंडीगढ़	–	–	0.00
31.	दादर एवं नागर हवेली	–	–	0.00
32.	दमन एवं दीव	–	–	0.00
33.	दिल्ली	–	–	2.66
34.	लक्षद्वीप	–	–	0.00
35.	पांडिचेरी	–	–	2.41
	जोड़	–	–	210.20

2. स्वाधार:

यह एक बिल्कुल नई स्कीम है। अभी तक कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई।

3. महिला विकास एवं सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा:

इस स्कीम के अंतर्गत इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को सीधे राशि निर्मुक्त की गई न कि राज्य-वार।

वर्ष	निर्मुक्त राशि (रु. लाखों में)
1998-99	90.00
1999-2000	–
2000-01	141.00

[अनुवाद]

जिला योजना समितियों का गठन

***235. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जिला योजना समितियां गठित करने हेतु राज्यों को निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों ने ऐसी समितियां गठित कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक उक्त समितियां गठित नहीं की हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) संविधान के अनुच्छेद 243-जेड.डी के अनुसार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को जिला आयोजना समितियां (डी.पी.सी.) गठित करनी होती हैं। डी.पी.सी. के गठन की मौजूदा स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राज्य मुख्यमंत्रियों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को तत्काल ही डी.पी.सी. का गठन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। नई दिल्ली में 11 जुलाई, 2001 को सम्पन्न पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक दिसम्बर, 2001 के अंत तक डी.पी.सी. का गठन कर लेंगे तथा उन्हें इस दिशा में किए गए उपायों की सूचना देने का आग्रह किया गया है।

विवरण

जिला आयोजना समितियों की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला आयोजना समितियों के गठन की स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गठित नहीं की गई।
2.	अरुणाचल प्रदेश	गठित नहीं की गई।
3.	असम	गठित नहीं की गई।
4.	बिहार	गठित नहीं की गई।
5.	छत्तीसगढ़	गठित नहीं की गई।
6.	गोवा	गठित नहीं की गई।
7.	गुजरात	गठित नहीं की गई ।
8.	हरियाणा	केवल 16 जिलों में। शेष पर विचार किया जा रहा है।
9.	हिमाचल प्रदेश	12 में से केवल 7 जिलों में। मंत्री डी.पी.सी. का अध्यक्ष है।
10.	कर्नाटक	केवल 5 जलों में। शेष पर विचार किया जा रहा है।
11.	झारखंड	गठित नहीं की गई।
12.	केरल	जी, हां। जिला पंचायत का अध्यक्ष डी.पी.सी. का अध्यक्ष है।
13.	मध्य प्रदेश	जी, हां। जिला प्रभारी मंत्री डी.पी.सी. के अध्यक्ष हैं।

1	2	3
14.	महाराष्ट्र	गठित नहीं की गई।
15.	मणिपुर	जी हां, 4 में से 2 जिलों में अध्यक्ष, डी.पी. अध्यक्ष हैं।
16.	उड़ीसा	केवल 6 जिलों में। शेष पर विचार किया जा रहा है।
17.	पंजाब	अभी गठित नहीं हुई है लेकिन गठन करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
18.	राजस्थान	जी, हां। डी.पी. का अध्यक्ष डी.पी.सी. का अध्यक्ष है।
19.	सिक्किम	जी, हां।
20.	तमिलनाडु	जी, हां। डी.पी. का अध्यक्ष डी.पी.सी. का अध्यक्ष है।
21.	त्रिपुरा	गठित नहीं की गई।
22.	उत्तर प्रदेश	जी, हां। जिलों के प्रभारी मंत्री डी.पी.सी. के अध्यक्ष हैं।
23.	उत्तरांचल	गठित नहीं की गई है।
24.	पश्चिम बंगाल	जी, हां। डी.पी. के अध्यक्ष डी.पी.सी. के अध्यक्ष हैं।
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	जी, हां। डी.पी. के अध्यक्ष डी.पी.सी. के अध्यक्ष हैं।
26.	चंडीगढ़	गठित नहीं की गई है।
27.	दादर व नागर हवेली	जी, हां। डी.पी. का अध्यक्ष डी.पी.सी. का अध्यक्ष है।
28.	दमन व दीव	जी, हां। डी.पी. का अध्यक्ष डी.पी.सी. का अध्यक्ष है।
29.	लक्षद्वीप	जी, हां। कलक्टर एवं विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष हैं।
30.	पांडिचेरी	गठित नहीं की गई है। अब तक पंचायत चुनाव नहीं हुए।

मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में 73वां संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने अभी इस अधिनियम के प्रावधानों को अपनाना है।

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी/सरकारी भागीदारी

***236. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए गैर-सरकारी/ सरकारी भागीदारी के बारे में एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी/ सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक कृतक बल गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) ग्रामीण समृद्धि के लिए गैर-सरकारी/सरकारी भागीदारी के बारे में 16 अक्टूबर 2001 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने सरकार तथा उद्योग से ग्रामीण समृद्धि को इस दशक का "मंत्र" बनाने का आह्वान

किया। उद्योगपतियों तथा निगमों के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सार्थक भागीदारी स्थापित करने में रुचि दिखाई। प्रस्तुतीकरण में, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास जैसे विषयों को भी शामिल किया गया था।

सतत आधार पर ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी/सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) तथा कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) को इस प्रयोजन के लिए गठित किए जाने वाले कार्य बल में प्रतिनिधियों को नामित करने की सलाह दी गई है।

भारत-यूके विज्ञान उत्सव-2002

***237. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी माह के दौरान भारत के कुछ प्रमुख शहरों में भारत-यू.के. विज्ञान उत्सव-2002 आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त उत्सव की विषय-वस्तु संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां यह उत्सव आयोजित किया गया था; और

(घ) हमारे देश के लिए यह कितना उपयोगी था?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। ब्रिटिश परिषद और भारत में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा भारत के प्रमुख शहरों में 7-18 जनवरी, 2002 के दौरान एक विज्ञान उत्सव 2002 का आयोजन किया गया जिसमें ब्रिटिश विज्ञान की सर्वोत्तम उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार इन कार्यक्रमों में जैव चिकित्सकीय अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल कम्यूनिकेशन और पर्यावरण पर विशेष बल दिया गया जिनमें यू.के. और भारत, दोनों ही अत्यंत सुदृढ़ हैं। उत्सव के एक भाग के रूप में ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए विषयों पर दिए गए व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित करने के अलावा, महत्वपूर्ण शहरों में विज्ञान प्रदर्शनियों एवं विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर भी बल दिया गया।

(ग) इस उत्सव का आयोजन चंडीगढ़, नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, मुम्बई, पुणे, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई और तिरूवनंतपुरम में किया गया।

(घ) इस उत्सव में कई प्रख्यात ब्रिटिश एवं भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत-यू.के. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भाग लिया। उन्होंने वैज्ञानिक सहभागिता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समकालीन अनुसंधान एवं नवोन्मेषक विचारों पर पेनल डिस्कशन्स, लोक व्याख्यान और कार्यशालाओं में अपना योगदान दिया।

नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति बनाना

***238. श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इक्कीसवीं शताब्दी की आवश्यकता के मद्देनजर एक नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के कब तक बनाए जाने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वैज्ञानिकों, तकनीकी व्यावसायिकों, शिक्षाविदों, समाज वैज्ञानिकों, प्रशासकों और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श की विस्तृत प्रक्रिया के आधार पर दस्तावेज का एक प्रारूप सरकार में समुचित स्तरों पर अपनाने और अनुमोदन प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है।

जलापूर्ति और स्वच्छता की स्थिति में सुधार

***239. श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह महसूस किया है कि देश के शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने हेतु अगले दशक में पर्याप्त निवेश किया जाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक कार्यदल ने जनसंख्या के कुछ और प्रतिशत भाग को ये सुविधाएं प्रदान करने हेतु धनराशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान इस प्रयोजनार्थ वास्तविक रूप से कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) इस संबंध में महाराष्ट्र को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित धनराशि का बहुत कम प्रतिशत भाग ही आवंटित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत (अर्थात् मार्च, 2002) तक शहरी जनता को पेयजल की आपूर्ति और सफाई की क्रमश: 100 प्रतिशत और 75 प्रतिशत जनसंख्या कवर करने व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये 51,284.20 करोड़ रुपये मुहैया कराने हेतु शहरी जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्र के कार्यदल की सिफारिश के मुकाबले नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान योजना आयोग ने 18,624 करोड़ रुपये (राज्य क्षेत्र में 17,760 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 864 करोड़ रुपये) का परिव्यय उपलब्ध कराया। 100 प्रतिशत शहरी जनता को जल आपूर्ति की सुविधाएं, 75 प्रतिशत को सीवरेज और सफाई सुविधाएं देने तथा 100 प्रतिशत को शहरी जल निकासी सुविधाएं प्रदान करने और 300 प्रथम श्रेणी शहरों (1991 की जनगणना) को 100 प्रतिशत समुचित ठोस कचरा निपटान सुविधा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिये योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने कुल 77,856 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस कार्य के लिए सरकार द्वारा आबंटित वास्तविक राशि इस प्रकार है:-

		अखिल भारत	महाराष्ट्र
(1)	राज्य क्षेत्र-ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति और सफाई	5972.24 करोड़ रु.	734.55 करोड़ रु.
(2)	1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिये केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	95.00 करोड़ रु.	5.94 करोड़ रु.
(3)	मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिये केन्द्र प्रायोजित कम लागत सफाई योजना	39.80 करोड़ रु.	शून्य

(ङ) और (च) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतियोगी मांगों और धन की समग्र तंगी को ध्यान में रख कर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा निधियों का आबंटन किया जाता है।

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

***240. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान महिला और बाल विकास हेतु विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषकर मध्य प्रदेश और बिहार के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(ङ) ऐसे संगठनों की लेखा-परीक्षा करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) संगठनों द्वारा आवश्यक प्रलेखीकरण पूरा कर लिये जाने के पश्चात् वर्ष 2002-03 में प्रस्तावों पर अनुमोदनार्थ विचार किया जायेगा।

(ङ) इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों के खातों की सनदी लेखापालों द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है।

(च) और (छ) जी, हां। काली सूची में डाले गए संगठनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

स्कीम का नाम : महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या			निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2001	1999-2000	2000-2001	2001-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	49	114	68	1.91	176.04	430.83
2.	असम	3	31	8	0.06	48.94	15.25
3.	बिहार	2	70	3	0.03	71.15	3.16
4.	गुजरात	4	38	6	0.07	100.04	14.4
5.	हरियाणा	16	23	25	0.26	41.90	56.08
6.	हिमाचल प्रदेश	3	25	2	0.10	15.83	4.25
7.	जम्मू व कश्मीर	3	35	49	0.05	56.47	71.16
8.	कर्नाटक	3	48	7	0.04	130.86	43.07
9.	केरल	2	42	1	0.06	52.42	8.87
10.	मध्य प्रदेश	15	85	50	0.60	105.33	78.87
11.	महाराष्ट्र	12	63	56	0.04	83.06	161.1
12.	मणिपुर	11	30	–	0.16	33.52	–
13.	नागालैंड	–	3	5	0.03	4.00	11.17
14.	उड़ीसा	20	41	68	0.37	54.00	93.22
15.	पंजाब	4	39	109	0.07	142.84	92.73
16.	राजस्थान	16	13	14	0.34	16.42	35.8
17.	तमिलनाडु	2	75	9	0.06	65.12	39.88

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	त्रिपुरा	–	12	1	–	30.80	0.57
19.	उत्तर प्रदेश	68	176	180	1.30	205.80	297.21
20.	पश्चिम बंगाल	17	36	24	0.26	56.92	35.04
21.	दिल्ली	–	34	9	–	75.97	313.04
22.	चंडीगढ़	1	6	2	0.02	13.26	2.47
23.	अरुणाचल प्रदेश	–	8	1	–	6.41	0.45
24.	मेघालय	–	5	–	–	7.36	–
25.	मिजोरम	–	14	–	–	21.90	–
26.	पांडिचेरी	–	10	–	–	16.98	–
	जोड़	251	1076	697	5.84	1633.34	1809.92

स्कीम का नाम : महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या			निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2001	1999-2000	2000-2001	2001-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4	5	5	25.4	37.38	46.22
2.	नागालैंड	1	1	3	28.28	11.77	35.44
3.	तमिलनाडु	1	–	–	2.33	–	–
4.	मणिपुर	2	3	3	33.51	24.64	26.91
5.	जम्मू व कश्मीर	–	–	1	–	–	81.27
6.	केरल	–	–	1	–	–	4.26
7.	महाराष्ट्र	–	–	1	–	–	14.81
8.	पश्चिम बंगाल	–	–	1	–	–	15.60
9.	उत्तरांचल	–	–	1	–	–	81.62
10.	उत्तर प्रदेश	–	–	3	–	–	47.27
11.	बिहार	–	2	–	–	20.73	–
	जोड़	8	11	19	88.52	94.52	353.40

स्कीम का नाम : कामकाजी महिला होस्टल

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या			निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2001	1999-2000	2000-2001	2001-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3	4	5	45.53	42.69	59.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1	1	–	6.04	11.70
3.	असम	1	3	2	4.99	18.13	12.72
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–
5.	झारखंड	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	1	11	–	1.12	77.82	–
7.	हरियाणा	2	3	3	44.52	38.93	27.38
8.	हिमाचल प्रदेश	–	1	–	–	13.21	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–	1	–	–	16.07	–
10.	कर्नाटक	6	10	4	116.16	133.89	39.98
11.	केरल	16	13	9	172.85	126.72	77.54
12.	मध्य प्रदेश	1	–	1	3.79	2.28	1.41
13.	छत्तीसगढ़	–	–	1	–	–	6.21
14.	महाराष्ट्र	8	7	6	60.90	79.85	63.87
15.	मणिपुर	2	1	1	17.54	6.50	21.62
16.	नागालैंड	2	2	5	13.25	10.56	25.70
17.	उड़ीसा	2	2	1	10.76	21.80	7.94
18.	पंजाब	–	1	1	–	6.30	6.27
19.	राजस्थान	1	1	–	71	–	1.30
20.	तमिलनाडु	–	4	2	32.98	4187	2.81
21.	उत्तरांचल	–	1	–	–	17.90	–
22.	उत्तर प्रदेश	2	–	–	24.21	3.23	–
23.	पश्चिम बंगाल	4	–	1	103.42	1.39	11.50
24.	चंडीगढ़	1	–	–	3.03	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	दिल्ली	–	1	1	39.91	76.50	3.23
26.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–
27.	गोवा	–	–	–	–	–	–
28.	मिजोरम	–	–	–	7.08	7.41	4.08
	जोड़	52	67	44	702.66	749.09	384.49

स्कीम का नाम : राष्ट्रीय शिशुगृह कोष

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या			निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)		
		1999–2000	2000–2001	2001–2001	1999–2000	2000–2001	2001–2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	215	106	93	53.98	47.66	73.31
2.	असम	7	7	–	4.45	5.97	0.73
3.	गुजरात	11	10	12	5.35	3.51	6.18
4.	हरियाणा	17	14	14	11.85	5.75	7.45
5.	हिमाचल प्रदेश	2	2	2	4.62	2.61	77
6.	मध्य प्रदेश	12	16	15	6.84	7.18	12.68
7.	बिहार	1	–	1	1.84	–	4.69
8.	पंजाब	1	–	4	1.84	–	4.15
9.	मणिपुर	4	5	2	2.58	2.95	1.01
10.	महाराष्ट्र	33	37	25	2.44	20.02	14.14
11.	कर्नाटक	8	13	10	7.91	7.24	5.81
12.	उड़ीसा	29	23	28	18.59	11.95	14.84
13.	राजस्थान	6	6	4	5.33	5.30	2.29
14.	तमिलनाडु	19	25	18	15.87	11.68	13.23
15.	उत्तर प्रदेश	43	23	43	21.52	14.46	15.98
16.	पश्चिम बंगाल	6	9	5	4.35	13.04	3.13
17.	झारखण्ड	–	–	1	–	–	1.51

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मेघालय	–	–	1	–	–	48
19.	उत्तरांचल	–	–	1	–	–	3.97
	जोड़	414	296	279	169.36	159.32	186.45

स्कीम का नाम : महिलाओं और बच्चों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान-सामाजिक सुरक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या			निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2001	1999-2000	2000-2001	2001-2001
1.	असम	2	–	2	4.17	–	2.56
2.	दिल्ली	1	–	1	13.60	–	14.43
3.	उड़ीसा	1	–	1	1.21	–	1.10
4.	गुजरात	1	–	–	2.20	–	–
5.	आंध्र प्रदेश	–	–	1	–	–	6.90
	जोड़	5	–	5	38.98	–	24.99

स्कीम का नाम : महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या			निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2001	1999-2000	2000-2001	2001-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	2	1	2.50	4.00	4.00
2.	असम	–	2	–	–	9.00	–
3.	बिहार	–	1	–	–	4.00	–
4.	दिल्ली	2	2	–	5.40	7.50	–
5.	गुजरात	1	–	2	1.20	–	6.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	1.00	7.00	6.00
7.	जम्मू व कश्मीर	–	3	–	–	10.00	–
8.	झारखण्ड	1	–	1	3.00	–	2.00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	कर्नाटक	1	1	1	4.00	6.00	3.70
10.	केरल	–	3	2	–	7.50	7.75
11.	मध्य प्रदेश	–	1	1	–	5.00	4.00
12.	महाराष्ट्र	3	2	2	4.35	12.00	10.50
13.	मणिपुर	1	2	–	3.50	8.25	–
14.	मेघालय	–	2	–	–	5.00	–
15.	नागालैंड	1	–	–	4.00	–	–
16.	उड़ीसा	–	–	1	–	–	3.75
17.	पांडिचेरी	–	–	1	–	–	4.00
18.	राजस्थान	1	2	2	3.00	14.00	7.00
19.	सिक्किम	2	1	–	6.50	1.50	–
20.	तमिलनाडु	4	3	4	8.45	10.00	11.50
21.	त्रिपुरा	–	2	–	–	7.50	–
22.	उत्तर प्रदेश	1	–	2	0.90	–	4.00
23.	उत्तरांचल	1	1	3	1.50	8.00	10.00
24.	पश्चिम बंगाल	1	2	–	3.00	6.00	–
	जोड़	22	34	26	52.13	132.25	84.20*

* 15 मार्च, 2002 तक

स्कीम का नाम : महिलाओं के लिए जैव-प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम
(जैव-प्रौद्योगिकी विभाग)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या			निर्मुक्त राशि (रुपए लाखों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2001	1999-2000	2000-2001	2001-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तरांचल	1	2	1	3.36	8.22	5.29
2.	पश्चिम बंगाल	1	1	–	3.88	1.60	–
3.	राजस्थान	1	1	–	6.03	7.39	–

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	उत्तर प्रदेश	1	1	1	3.25	6.02	6.31
5.	तमिलनाडु	1	1	–	95.00	250.00	–
6.	मणिपुर	–	1	–	–	4.94	–
	जोड़	5	7	2	111.52	278.17	11.60

विवरण-II

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लम्बित प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	महिला आर्थिक कार्यक्रम	कामकाजी महिला होस्टल	राष्ट्रीय शिशुगृह कोष	स्टेप
1.	बिहार	22	2	1	–
2.	हरियाणा	6	1	–	–
3.	उड़ीसा	35	–	–	4
4.	महाराष्ट्र	61	4	–	3
5.	कर्नाटक	12	–	–	–
6.	तमिलनाडु	17	4	–	–
7.	पंजाब	14	–	–	–
8.	केरल	3	1	–	1
9.	जम्मू व कश्मीर	32	–	–	2
10.	असम	6	2	–	6
11.	नागालैंड	11	9	–	6
12.	त्रिपुरा	3	–	–	1
13.	आंध्र प्रदेश	28	–	–	5
14.	मध्य प्रदेश	61	–	5	1
15.	उत्तर प्रदेश	196	–	–	3
16.	मणिपुर	–	2	–	2
17.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	3
18.	मेघालय	–	–	–	1
19.	उत्तरांचल	–	1	–	1
20.	राजस्थान	–	1	–	–
21.	गोवा	–	1	–	–
22.	मिजोरम	–	1	–	–
	जोड़	507	19	6	39

स्कीम का नाम : महिलाओं के लिए जैव-प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम
(जैव-प्रौद्योगिकी विभाग)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	प्रस्तावों की संख्या
1.	उत्तरांचल	1
2.	आंध्र प्रदेश	3
3.	मणिपुर	2
4.	तमिलनाडु	1
	जोड़	7

विवरण-III

काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	काली सूची में डाले गए संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	292
2.	असम	151
3.	बिहार	154
4.	गुजरात	115
5.	हरियाणा	150
6.	हिमाचल प्रदेश	53
7.	कर्नाटक	170
8.	केरल	135
9.	मध्य प्रदेश	55
10.	महाराष्ट्र	131
11.	मणिपुर	212
12.	मेघालय	323
13.	नागालैंड	78
14.	उड़ीसा	122
15.	पंजाब	223
16.	राजस्थान	89
17.	सिक्किम	2
18.	तमिलनाडु	304
19.	त्रिपुरा	69
20.	उत्तर प्रदेश	337
21.	पश्चिम बंगाल	96
22.	चंडीगढ़	4
23.	दिल्ली	15
24.	गोवा	24
25.	लक्षद्वीप	3
26.	पांडिचेरी	140
	जोड़	3447

स्कीम का नाम : महिलाओं के लिए जैव-प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम
(जैव-प्रौद्योगिकी विभाग)

क्र.सं.	राज्य का नाम	काली सूची में डाले गये संगठनों की संख्या
1.	उत्तरांचल	1
	जोड़	1

हावड़ा और कोलकाता के बीच जुड़वां शहर परियोजना

2355. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान हावड़ा और कोलकाता के बीच गंगा नदी पर एक और पुल बनाकर जुड़वां शहरी परियोजना की अवधारणा पर विचार किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोलकाता से नवाद्वीप तक गंगा नदी के दोनों किनारों को विकसित करने संबंधी कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के लोक निर्माण (सड़क) विभाग ने गंगा नदी पर मौजूदा विवेकानन्द पुल से 100 मीटर नीचे की तरफ दूसरे विवेकानन्द पुल के निर्माण के लिए प्रारम्भिक कार्यकलाप शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उनकी योजना कोलकाता और नवाद्वीप के बीच पड़ने वाले विभिन्न नगरों का कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (के.एम.डी.ए.) के जरिये, रिवरफ्रंट विकास करने की है। रिवरफ्रंट स्कीमों में किनारों की सुरक्षा, स्नानघाटों, नदी के किनारे के मार्गों का नवीकरण, वृक्षारोपण आदि शामिल है।

बालकनियों का विस्तार

2356. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार द्वारका के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के वर्तमान फ्लैटों की बालकनियों को एक फुट या अधिक बढ़ाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार द्वारका में डीडीए फ्लैटों की बालकनियों के बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 19.12.2001 की अधिसूचना सं. 917 के द्वारा दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज की बालकनियों की चौड़ाई 3 फीट से बढ़ाकर 4 फीट करने की अनुमति दी है। अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) लागू नहीं।

विवरण

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-2, खंड 3, उप खंड (2) में प्रकाशनार्थ)

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1241(अ)-दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के खण्ड 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकीकृत भवन उप-नियम 1983 में निम्नलिखित संशोधन/उपान्तरण किए जाते हैं:

यत: इस बारे में भवन उप-नियम 1983 में केन्द्र सरकार का निम्नलिखित जिन उपांतरणों/परिवर्द्धनों का प्रस्ताव है उन्हें दिनांक 21 जून, 2001 की सार्वजनिक सूचना द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। जनता से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

यत: रिपोर्ट पर व्यापक रूप से विचार करने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने भवन उपनियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अत: अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के उप खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भवन उप-नियम 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन करती है।

उपान्तरण

दिल्ली में समूह आवास समितियों के लिए बालकनी की चौड़ाई 3 फुट से बढ़ाकर 4 फुट करना अनुमत्य है।

सं.के-12016/5/79-डीडीए/Vए/बी (पार्ट)

देवेन्द्र कुमार गोयल, अवर सचिव

[हिन्दी]

अत्यधिक वंचित युवकों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम

2357. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री बीर सिंह महतो:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री शिवाजी माने:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अति वंचित परिवारों के 10 लाख युवकों को स्वरोजगार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है;

(घ) इस कार्यक्रम के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कार्यक्रम का कार्य किन एजेंसियों को दिया गया है और इस कार्य के लिए धनराशि किन स्रोतों से दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) लाभों से वंचित परिवारों के विशेषकर 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए पहले से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक समन्वित रोजगार कार्यक्रम चला रही है जिसमें युवा लोग भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष किए जाने वाले आबंटन पर निर्भर करेंगे। केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में अंश वहन करने वाला यह एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस योजना को जिला स्तर पर डी आर डी ए, ब्लाक स्तर पर पंचायत समितियों के माध्यम से अन्य पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, उससे जुड़े विभागों एवं गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय साझेदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। चालू वर्ष (अर्थात् 2001-2002) के दौरान आबंटन 700.00 करोड़ रु. है। इस योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किए गए स्वरोजगारियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 (जनवरी, 2002 तक) के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2001-2002 (जनवरी, 2002 तक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	60701
2.	अरुणाचल प्रदेश	436
3.	असम	1241
4.	बिहार	113139
5.	छत्तीसगढ	10013
6.	गोवा	931
7.	गुजरात	15575
8.	हरियाणा	11296
9.	हिमाचल प्रदेश	6484
10.	जम्मू एवं कश्मीर	10372
11.	झारखंड	27671
12.	कर्नाटक	24105
13.	केरल	11327
14.	मध्य प्रदेश	33619
15.	महाराष्ट्र	32522
16.	मणिपुर	एनआर
17.	मेघालय	2487
18.	मिजोरम	2383
19.	नागालैंड	1056

1	2	3
20.	उड़ीसा	33195
21.	पंजाब	4251
22.	राजस्थान	22278
23.	सिक्किम	1161
24.	तमिलनाडु	35357
25.	त्रिपुरा	7570
26.	उत्तर प्रदेश	73706
27.	उत्तरांचल	85548
28.	पश्चिम बंगाल	6564
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	8
30.	दा.न. हवेली	26
31.	दमन व दीव	0
32.	लक्षद्वीप	0
33.	पांडिचेरी	259
	जोड़	635281

एन.आर. = असूचित

[अनुवाद]

जनजातियों के पुनर्वास संबंधी अधिसूचना को निरस्त करना

2358. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को जनजातियों के पुनर्वास संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने हेतु कोई प्रस्ताव अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कर्नाटक सरकार ने चामराज नगर जिले में 2,514 जनजातीय परिवारों का पुनर्वास करने के लिए चिन्हित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनजातीय कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई निधियों को राज्य सरकार ने उस उद्देश्य के लिए जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने जनजातियों के बीच बांटी गई 500 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का किस सीमा तक उपयोग किया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त फर्शी और फर्शी क्षेत्र अनुपात में बढ़ोत्तरी

2359. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 11 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3348 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्क हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के पक्ष में भी मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो बालकनी को कितने क्षेत्रफल में बढ़ाया जा सकता है और यह एक तरफ बढ़ायी जा सकती है या स्थिति के अनुसार क्वार्टरों/फ्लैटों के चारों तरफ इनका निर्माण किया जा सकता है तथा साथ ही इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रिहायशी भवनों में फर्शी क्षेत्रफल अनुपात सरकार की दिनांक 23.7.1998 की गजट अधिसूचना द्वारा बढ़ाया गया। तथापि, सरकार द्वारा आगे 7 जून, 2000 को अधिसूचना जारी की गई जिसमें यह निर्धारित किया गया कि 1998 के संशोधित भवन उपनियमों के अनुसार स्वीकृत किये जाने वाले भवन नक्शे इस शर्त के अध्यधीन होंगे कि पहले से स्वीकृत विन्यास नक्शों तथा सेवा नक्शों के प्रावधान बने रहेंगे और अपेक्षित म्यूनिसिपल सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किये बिना किसी भी विन्यास नक्शे को संशोधित नहीं किया जायेगा। यह सहकारी समितियों पर भी लागू है।

सरकार की दिनांक 19.12.2001 की गजट अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में समूह आवास सोसाइटियों में बालकनी की अधिकतम चौड़ाई 3 फुट से बढ़ाकर 4 फुट कर दी गई है। दिल्ली

विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अगस्त, 1997 के संकल्प संख्या 36 के अनुसार प्रति बालकनी 3.5 वर्ग मीटर का अधिकतम क्षेत्रफल अनुमत्य है और बालकनियों की अधिकतम संख्या रिहायशी यूनिट के शयन कक्षों की संख्या के अनुसार अनुमत्य है।

दिल्ली में गगनचुम्बी भवन और अतिक्रमण

2360. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में नेशनल चैस्ट इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मस्जिद मोठ, बाली नगर और साउथ एक्सटेंशन के पास तथाकथित धार्मिक केन्द्रों, टैक्सी स्टैंडों और अनधिकृत बाजारों के नाम पर गगनचुम्बी भवन बने हैं और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गैर-कानूनी गतिविधियों जिसमें निवासियों को कठिनाईयों के अलावा स्थानीय निकायों आदि को बिना कोई भुगतान किये जन सुविधाओं की मांग करने पर रोक लगाने हेतु, कोई कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कम्प्यूटर शिक्षा योजना

2361. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा योजना के अधीन एन.ई.सी. द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए राज्य-वार कितनी-कितनी निधियां स्वीकृत की गई हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): कम्प्यूटर शिक्षा के अधीन पिछले चार वर्षों में, प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर परिषद द्वारा स्वीकृत की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(रु. लाखों में)

राज्य	1998	1999	2000	2001
अरुणाचल प्रदेश	20.70	45.73	28.50	शून्य
असम	18.37	45.73	32.57	92.90
मणिपुर	18.37	47.22	36.64	96.68
मेघालय	20.70	47.22	40.71	90.37
मिजोरम	20.70	42.62	40.71	79.12
नागालैंड	20.70	42.62	36.64	49.43
त्रिपुरा	18.37	42.62	32.57	62.25

लिट्टे को गैर-कानूनी रूप से ईंधन की आपूर्ति

2362. श्री वी.एम. सुधीरन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय नागरिकों द्वारा लिट्टे को गैर-कानूनी रूप से ईंधन आपूर्ति किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2000 के दौरान 1716 लीटर डीजल, 425 लीटर पैट्रोल और 135 लीटर मिट्टी का तेल बरामद किया गया और 10 भारतीयों सहित 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 2001 के दौरान,

200 लीटर डीजल और 2300 लीटर ग्रीस आयल जब्त किया गया और 16 भारतीयों सहित 20 अभियुक्त उस समय गिरफ्तार किए गए जब वे लिट्टे के लिए ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास कर रहे थे। वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन.एस.ए.) के अधीन 4 भारतीयों को निरुद्ध किया गया।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि तटीय निगरानी चौकियों का प्रभावी ढंग से प्रबोधन करने और उग्रवादियों की घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए तटीय गश्त करने के लिए तटीय सुरक्षा ग्रुप (सी.एस.जी.) नामक एक विशेष बल का सृजन किया गया है। तस्करों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया जा रहा है, लिट्टे के लिए तस्करी करने वाले श्रीलंकाईयों और भारतीयों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तस्करी और अन्य संबंधित कार्यों के कारण प्रतिकूल नोटिस में आने वाले श्रीलंकाईयों को उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष शिविरों में रखा जाता है, आई.बी.एल. का उल्लंघन करने वाले मछुआरों पर जुर्माना लगाया जाता है और जिला राज्य स्तर पर सावधिक रूप से विभिन्न एजेन्सियों के साथ समन्वय बैठकें की जाती हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए योजना

2363. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम ने इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित अन्य प्रकार के निवेश को आकर्षित करने हेतु कोई व्यापक वित्तीय विकास योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

आई.टी.डी.ए. जिलों में कमी

2364. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आई.टी.डी.ए. जिलों की संख्या कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो आई.टी.डी.ए. जिलों को बनाए रखने के लिए क्या मानक स्वीकार किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं। आई.टी.डी.ए. आमतौर पर एक-दूसरे से सटे हुए क्षेत्र हैं जो तहसील या ब्लाक या जिले के आकार के होते हैं और जिनमें जनजातीय जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होती है।

तेंदू पत्ता चुनने वाले आदिवासियों को सहायता

2365. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में तेंदू पत्ता चुनने वाले आदिवासियों को सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेंदू पत्ता क्षेत्र में कार्य करने वाले आदिवासियों के लाभ के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न

2366. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों की राज्यवार मात्रा कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक राज्य सरकारों द्वारा उठाये गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोटा में वृद्धि के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत निधियों को बढ़ाने हेतु आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(रुपए लाख में)

राज्य	अनुरोध किए गए लाभार्थियों की अतिरिक्त संख्या	आवश्यक अतिरिक्त निधियां
आंध्र प्रदेश	76,308	639.96
बिहार	7752	54.79
उड़ीसा	10,606	85.53
त्रिपुरा	5526	45.65

अन्नपूर्णा योजना के लिए दिशा-निर्देशों में वर्णित मानदंडों के अनुसार राज्यवार आबंटन किए गए हैं। कोई अंतर्राज्यीय पुर्नआबंटन नहीं किया गया है।

विवरण

अन्नपूर्णा योजना-उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा

क्र.सं.	राज्य	2000-01		2001-02**	
		आवंटन	उठाया गया	आवंटन	उठाया गया
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11185	3560	14027	11022
2.	अरुणाचल प्रदेश	221	0	571	89
3.	असम	3197	0	8271	856
4.	बिहार	26585	0	19062	14222
5.	छत्तीसगढ़	–	–	3201	705
6.	गोवा	108	0	90	8
7.	गुजरात*	5318	0	–	0
8.	हरियाणा*	2071	0	–	0
9.	हिमाचल प्रदेश	914	347	765	430
10.	जम्मू व कश्मीर	1226	0	1026	498
11.	झारखण्ड	–	0	5514	0
12.	कर्नाटक*	8165	–	–	0
13.	केरल	5398	883	4514	3093

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश*	14376	0	–	5139
15.	महाराष्ट्र	16075	0	17824	188
16.	मणिपुर	398	0	1031	47
17.	मेघालय	430	0	1112	0
18.	मिजोरम	120	120	310	103
19.	नागालैण्ड	312	312	807	404
20.	उड़ीसा	7776	4876	6503	6444
21.	पंजाब*	1495	0	–	0
22.	राजस्थान	5700	2920	12635	8076
23.	सिक्किम	115	0	298	0
24.	तमिलनाडु	10327	0	8637	0
25.	त्रिपुरा	688	689	1782	917
26.	उत्तर प्रदेश	30125	5214	42000	25313
27.	उत्तरांचल	–	42	1275	718
28.	पश्चिम बंगाल	11482	0	9602	1477
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	67	0	56	0
30.	चण्डीगढ़	53	0	59	0
31.	दादर व नगर हवेली	45	0	38	39
32.	दमन व दीव	10	0	8	2
33.	दिल्ली	965	0	1070	0
34.	लक्षद्वीप	7	0	6	0
35.	पांडिचेरी	190	0	159	0
	कुल	165144	18963	162253	79790

*योजना का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।

**फरवरी, 2002 तक।

राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण

2367. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए मंजूर की गई कुल धनराशि नहीं मिल सकी क्योंकि गत चार वर्षों में राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि की व्यवस्था करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा, वर्ष-वार कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राजस्थान सरकार को 154.92 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। चूंकि राज्य सरकार से वर्ष 1997-98 में जारी की गई राशि के व्यय के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए वर्ष 1998-99 के लिये राशि 77.46 लाख रुपए तक सीमित कर दी गई थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यवार सरकार को कोई राशि जारी नहीं की गई क्योंकि राज्य के पास 186.48 लाख रुपए की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी। वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमश: 4552.50 लाख और 6110.00 लाख रु . की राशि जारी की गई। वर्ष 2000-01 के दौरान जारी केन्द्रीय निधियों के बारे में उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी प्रतिक्षित हैं।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. के अधीन पोलियो उन्मूलन

2368. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 24 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5635 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में, राज्य-वार, पोलियो के कितने मामले चिह्नित किए गए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सभी राज्यों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जिन राज्यों ने अभी सूचना नहीं भेजी है, उनसे सूचना शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

2369. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "डुबियस करेक्टर्स डॉट वी आई पी सिक्योरिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) संदेहास्पद निष्ठा वाले सुरक्षा कर्मियों की सूची में कुल कितने सुरक्षाकर्मी शामिल हैं और इन सुरक्षाकार्मिकों की निष्ठा पर संदेह के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) संदेहास्पद निष्ठा वाले सुरक्षा कर्मियों की सूची में शामिल सुरक्षा कार्मिकों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। जहां तक दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई में इस समय तैनात पुलिसकार्मिकों की संख्या और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में शामिल नामों की संख्या का संबंध है, संदर्भाधीन समाचार बहुत अतिश्योक्तिपूर्ण है क्योंकि इस सूची में शामिल नामों की संख्या, सुरक्षा इकाईयों की स्वीकृत संख्या का मात्र 3.38 प्रतिशत है जबकि समाचार में इसे 50-60 प्रतिशत बताया गया है। तथापि, दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले पुलिस कार्मिकों को अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में संबंधित ड्यूटी पर न लगाया जाये।

डीडीए क्लब

2370. श्री रघुनाथ झा:
श्री रामजी मांझी:
श्री शीश राम सिंह रवि:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 20.3.2001 और 28.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3368 और 5198 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की सतर्कता इकाई ने इस मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उनके पूर्ववर्ती द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद अभी भी वहां विवाह/उत्सव हो रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय के सतर्कता यूनिट द्वारा मामले की जांच की गयी है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सीरी फोर्ट परिसर से लगे हुए उपयोग में न आ रहे स्पोर्टस क्लब को शुरू करने के लिए डी.डी.ए. क्लब की स्थापना की गयी थीं। मास्टर प्लान के अनुसार हरित क्षेत्र में यह एक अनुमत्य कार्यकलाप है और मास्टर प्लान दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। मंत्रालय ने भी डी.डी.ए. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हरित क्षेत्र का कोई दुरूपयोग न हो।

(घ) से (च) डी.डी.ए. क्लब केवल डी.डी.ए. स्टाफ के कल्याण संबंधी कार्यकलापों और प्रशिक्षण के लिए है। डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि कार्यकलापों के लिए क्लब बुक करने की कुछ शर्तें और निबंधन हैं जिनमें यह निर्धारित है कि विवाह/शादी, मदिरापान तथा म्युजिक सिस्टम का उपयोग आदि की अनुमति नहीं है।

शीर्ष पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण

2371. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण की समीक्षा करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार ने भा.पु.से. अधिकारियों के सेवाकालीन अनिवार्य प्रशिक्षण को जारी रखने, उसमें परिवर्तन, यदि कोई हो, करने और नए पाठ्यक्रमों को शामिल करने की आवश्यकता के संबंध में जून, 1999 में श्री सतीश साहनी, भा.पु.से. (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1999 में सरकार को दी थी।

(घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, भा.पु.से. में पदोन्नत राज्य सेवा पुलिस अधिकारियों हेतु इंडक्शन कोर्स में परिवर्तन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, उप महानिरीक्षक के रूप में नामिकायन हेतु प्रशिक्षण को वरीयता इत्यादि की सिफारिश की है।

खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं

2372. श्री एस. अजय कुमार: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य स्तर, नगर पालिका स्तर, निगम स्तर पर खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की केन्द्रीय योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी योजनाओं के लिए पात्रता क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) यद्यपि राज्य स्तर, नगरपालिका स्तर/निगम स्तर पर अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते भारतीय खेल प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है तथापि, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं- (1) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान, तथा (2) सिंथेटिक खेल सतहों की स्थापना के लिए अनुदान। उपर्युक्त योजना (1) के अंतर्गत, विभिन्न खेल मैदानों, इंडोर/आऊटडोर स्टेडियमों, तरणताल आदि के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा अनुदान का लाभ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, स्थानीय सांविधिक निकायों जैसे कि नगरपालिकाओं, नगर निगमों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों/छावनी बोर्डों तथा खेलों के क्षेत्र में सक्रिय पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उठाया जा सकता है। स्वैच्छिक संगठन की जाति, लिंग, प्रजाति अथवा धर्म आदि के आधार पर सीमित/निकट सदस्यता नहीं होनी चाहिए। सरकारी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति/राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के स्कूल भी विभिन्न खेल सुविधाओं के सृजन के लिए पात्र हैं।

उपर्युक्त योजना (2) के अंतर्गत, एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक और हाकी सतह को बिछाने/प्रतिस्थापन के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, राज्य खेल परिषदों, भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्य खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल संघ/परिसंघ, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय और विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल सहायता के लिए पात्र हैं। सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उद्यमों को भी सहायता स्वीकार्य है जो खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए खेल अकादमियां अथवा खेल छात्रावासों को चला रहे हैं।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में शहरों/नगरों का विकास

2373. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अपने शहरों/नगरों के विकास हेतु भेजी गई केन्द्रीय सहायता योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के तहत शहर/नगर-वार शहरों/नगरों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लंबित योजनाओं पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है और निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) केन्द्र प्रवर्तित छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) स्कीम के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान एक परियोजना/कस्बा, नामत: अनन्तनाग प्रस्तुत की गई थी। अनन्तनाग कस्बे को स्कीम में शामिल कर लिया गया है और 75.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा खर्च की कोई सूचना नहीं दी गई है।

छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) स्कीम के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार से हाल ही में पुलवामा की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसके लिए मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा रही है ताकि राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में साम्बा कस्बे की परियोजना रिपोर्ट जुलाई, 1999 में स्वीकृत की गई है जिसकी कुल परियोजना लागत 305.70 लाख रु. है। इसके लिए 152.85 लाख रु. का केन्द्रीय अंश है। वर्ष 1999-2000 में जम्मू एवं कश्मीर सरकार को साम्बा कस्बा सहित जम्मू एवं कश्मीर में एयूडब्ल्यूएसपी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 183.90 लाख रु. की राशि जारी की गई। राज्य सरकार ने साम्बा कस्बे के मामले में जून, 2001 से 164.12 लाख रु. के खर्च की सूचना दी है।

पश्चिम बंगाल में शहरों और नगरों का विकास

2374. श्री बीर सिंह महतो: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों के विकास हेतु इस वर्ष प्रस्तावित योजनाओं और इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है;

(घ) क्या विश्व बैंक इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जहां तक छोटे तथा मझोले कस्बों की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम (आईडीएसएमटी) का संबंध है, पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस वर्ष (2001-02) आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए 12 कस्बों (शामिल किये जा रहे और नए कस्बे) के प्रस्ताव भेजे हैं। ये कस्बे हैं, सैंथिया, दैनहाटा, डुबराजपुर, तेहरपुर, बेरडांगा, धूलियां, बदुरिया, जमूरिया, जियागंज-अजीमगंज, कूपर्स कैंप, नालहाटी तथा एगरा। इस वर्ष (2001-02) के दौरान पश्चिमी बंगाल राज्य को 368.00 लाख रु. का अस्थायी नियतन किया गया था। अभी तक निम्नलिखित 5 कस्बों को 145.50 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है:-

	कस्बों का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
1.	सैंथिया	42.00
2.	दैनहाटा	16.50
3.	डुबराजपुर	58.50
4.	तेहरपुर	13.50
5.	बेलडांगा	15.00
	कुल	145.50

धूलियां, बदूरियां, जमूरिया, जियागंज-अजीमगंज, कूपर्स कैंप और नालहाटी के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। एगरा कस्बे को परवर्ती किस्त जारी करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया क्योंकि कस्बा आगे किस्त जारी करने योग्य नहीं पाया गया और तदनुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।

1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरी कस्बों के लिए जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वित्तपोषण किया जाता है, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय से 5 प्रतिशत अंशदान शामिल है। पश्चिमी बंगाल के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत स्कीमों के ब्यौरे यथा कस्बे का नाम, आबादी, स्वीकृति की तारीख, परियोजना लागत, प्रति व्यक्ति लागत, केन्द्रीय अंश, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी धन जून, 2001 तक सूचित व्यय, इत्यादि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

1991 की जनगणना के अनुसार 40.00 लाख और इससे अधिक की आबादी वाले शहरों पर लागू मैगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत अनुदान लेने वाले पांच मैगा शहर में से कलकत्ता एक है। अभी तक नामित नोडल एजेंसी, यथा कोलकाता मैट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण-केएमडीए को 154.87 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं (2001-2002 के दौरान कोलकाता मेगा शहर के लिए 20.02 करोड़ रु. जारी किए गए थे)

(घ) और (ङ) कोलकाता जल आपूर्ति तथा सीवरेज/जल निकासी परियोजना के लिए 2.5 मिलियन यूएस डालर के प्रोजेक्ट प्रिपेरेटरी फंड पर 23.7.99 को विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। चूंकि परियोजना की पुनर्वित्तपोषण तारीख 30.10.01 थी और चूंकि पुनर्वित्तपोषण तारीख तक बैंक द्वारा कोई ऋण/उधार नहीं दिया गया था, इसलिए बैंक ने निकाले गए अग्रिम की वापसी व ब्याज अथवा उस पर प्राप्त सेवा प्रभार की वापसी के लिए कहा है। अत: वर्तमान में विश्व बैंक के पास पश्चिमी बंगाल में शहरों व कस्बों के विकास से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

स्थिति: 11.3.2002

मंजूर परियोजनायें (लाख रुपये)

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिला	जनसंख्या (जनगणना 1991)	मंजूरी की तिथि माह/वर्ष	परियोजना लागत	प्रति व्यक्ति लागत (रु. में)	केन्द्रीय अंश	जारी धन		जून, 2001 तक खर्च
								भारत सरकार	राज्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	खिरपई*	मिदनापुर	14894	दिस. 94	11.888	798.17	59.44	I-39.13	59.44	129.21
2.	खरार*	मिदनापुर	10310	दिस. 94	90.88	881.47	45.44	(93-94)	45.44	96.91
3.	रामजीवनपुर*	मिदनापुर	12199	दिस. 94	116.12	951.88	58.06	II-52.25	58.06	116.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
4.	हल्दीबाड़ी	कूच बिहार	10968	अग. 98	87.40	796.86	43.70	(94-95)	39.33	39.33
5.	देवड़ा	उत्तर 24 परगना	3814	अप्रैल, 2000	98.32	2577.87	49.16	III-71.76	20.00	9.10
6.	मदनपुर	नादिया	9759	अप्रैल, 2000	215.61	2209.35	107.81	IV-43.97	-	-
7.	बेगमपुर श.क्षे.	हुगली	19863	मई, 2000	204.28	1028.44	102.14	(98-99)	-	0.00
8.	बलराम पुर	नादिया	19155	जनवरी, 2001	475.80	2483.95	237.90	IV-248.51	-	-
9.	उत्तर लताबाड़ी	जलपाईगुड़ी	12170	मार्च, 2002	128.84	1058.67	64.42	(2000-01) IV-248.51 (2001-02)	-	-
	कुल		113132		1536.13		703.65	703.64	22.27**	391.04

* स्कीम चालू की गई।

श.क्षे. - बेगमपुर शहरी समूह में बेगमपुर एमएम, पूर्व ताजपुर एमएम और खारसराय एमएम शामिल हैं।

** राज्य द्वारा जारी धन के आंकड़े 31.5.2001 तक के हैं।

सीपीएचईईओ की जांच के अधीन स्कीमें।

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	जनसंख्या 1991	परियोजना लागत (लाख रु.)	अभ्युक्ति
1.	खतरा	बांकुरा	13276	656.93	जांच हो गई, मार्च, 2002 में संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित है।
2.	उत्तर-कमाख्यागुरी	जलपाईगुड़ी	9092	142.03	जनवरी, 2002 में उत्तर प्राप्त। धन की कमी के कारण लम्बित।
			22368	798.96	

[अनुवाद]

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1976

2375. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ ने पश्चिम बंगाल सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1976 संबंधी कानून को लागू किया है;

(ख) क्या विरूपण को रोकने के लिए उक्त अधिनियम को उपयुक्त नहीं समझा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसकी खामियों और दोषों को दूर करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां

2376. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्रों में किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लाल डोरा क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) लाल डोरा क्षेत्र मूलत: ग्रामीण गांवों के आबादी क्षेत्र हैं और दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निर्धारित उपयोग जोनों के अनुसार किसी भी उपयोग जोन में अवस्थित लाल डोरा के भीतर पड़ने वाले गांव रिहायशी उपयोग का भाग होगा। ऐसे ग्रामीण गांवों के लिए लाल डोरा समाप्त हो जाता है जिन्हें दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा-507 के अंतर्गत शहरी घोषित किया गया है।

मास्टर प्लान प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर कानून के संगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

महाराष्ट्र में क्षेत्र सुधार

2377. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के तहत जलापूर्ति और स्वच्छता की चार परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो जिलों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के अन्य जिलों तक क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के विस्तार का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण जल आपूर्ति क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने हेतु चार क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं तथा 9 संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को महाराष्ट्र में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है। उन जिलों के नाम, जहां उपर्युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और उनकी मंजूर की गयी परियोजना लागत निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	जिला	क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के लिए मंजूर परियोजना लागत	संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं के लिए मंजूर परियोजना लागत
1.	अमरावती	21.26	16.60
2.	धुले	39.53	10.85
3.	नान्देड़	40.00	16.49
4.	रायगढ़	37.93	12.63
5.	औरंगाबाद	–	13.42
6.	चन्द्रपुर	–	22.90
7.	रत्नागिरी	–	17.96
8.	सांगली	–	9.78
9.	यवतमाल	–	19.90
	योग	138.72	140.53

ये परियोजनाएं आपूर्ति-आधारित केन्द्रीयकृत, सरकारोन्मुखी कार्यक्रम की बजाय मांग आधारित, विकेन्द्रीकृत, समुदायोन्मुखी कार्यक्रम हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत, प्रथम चरण में सुधारों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर द्वितीय चरण में देश में अतिरिक्त परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

आपराधिक मामलों में पुलिस इंस्पेक्टरों की संलिप्तता

2378. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टरों को आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया और इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे अभी भी एस.एच.ओ., एफ.आर.आर.ओ., यातायात अपराध शाखा आदि जैसे संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली पुलिस के 17 निरीक्षकों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए जिसके संबंध में उनमें से छह को गिरफ्तार भी किया गया। इन निरीक्षकों में से चौदह के विरुद्ध मामले या तो विचारणाधीन हैं या उनकी जांच-पड़ताल चल रही है, जबकि शेष तीन निरीक्षकों के संबंध में, या तो मामले को रद्द करने के लिए न्यायालय में भेज दिया गया है या आरोपी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप जांच-पड़ताल के दौरान सिद्ध नहीं किए जा सके या आरोपी अधिकारी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया।

14 निरीक्षकों में से जिनके संबंध में मामले में या तो जांच-पड़ताल चल रही है या मामला विचारणाधीन है, केवल एक निरीक्षक ही इस समय संवेदनशील इकाई (एफ.आर.आर.ओ.) में तैनात है। तथापि, उसे भी ''गैर-संवेदनशील'' कार्य पर लगाने हेतु स्थानांतरण आदेश जारी होने वाले हैं।''

राज्यों में इन्डोर/आउटडोर स्टेडियम का निर्माण

2379. श्री अम्बरीश:
श्री रूपचन्द पाल:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इंडोर/आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ङ) ''खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों'' की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन/गैर-सरकारी संगठनों को आउटडोर/इंडोर स्टेडियमों के निर्माण के लिए अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हों। इंडोर/आउटडोर स्टेडियमों के लिए प्राप्त प्रस्तावों तथा 1998-99 से 2001-2002 तक (14.3.2002 तक की स्थिति के अनुसार) अनुमोदित/जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। शेष प्रस्तावों में कमियां पायी गयी थीं अथवा उन्हें केन्द्रीय सहायता के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया था और संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया था।

विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक (14.3.2002 तक की स्थिति के अनुसार) प्राप्त किए गए प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता की धनराशि	जारी की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16	11	751.77	160.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	7	521.39	25.00
3.	असम	13	3	75.63	0.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	4	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	4	2	56.96	0.00
6.	चंडीगढ़	1	0.00	0.00	0.00
7.	दिल्ली	1	1	17.80	16.00
8.	गुजरात	2	1	60.00	0.00
9.	गोवा	4	0.00	0.00	0.00
10.	हरियाणा	20	2	101.90	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	14	7	474.57	77.00
12.	जम्मू व कश्मीर	12	1	27.00	0.00
13.	कर्नाटक	34	9	436.53	45.00
14.	केरल	8	4	100.25	21.12
15.	मध्य प्रदेश	29	15	447.28	45.00
16.	महाराष्ट्र	33	4	220.26	0.00
17.	मणिपुर	21	8	351.09	70.00
18.	मिजोरम	26	8	219.00	112.50
19.	मेघालय	00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	39	13	939.35	150.00
21.	उड़ीसा	7	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	22	19	1025.23	453.79
23.	राजस्थान	21	1	18.72	0.00
24.	सिक्किम	1	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	11	7	385.82	56.47
26.	उत्तर प्रदेश	19	4	103.88	0.00
27.	उत्तरांचल	7	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	5	2	65.00	10.00
29.	झारखंड	1	0.00	0.00	0.00
	कुल	390	129	6399.43	1241.88

ईथाइलीन आक्साइड का उत्पादन

2380. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ईथाइलीन आक्साइड का उत्पादन करने वाली रासायनिक और उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में ईथाइलीन आक्साइड का मौजूदा उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में ईथाइलीन आक्साइड की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) देश में ईथाइलीन आक्साइड (ई ओ) का उत्पादन करने वाली कम्पनियां हैं– (1) मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. (आर.आई.एल.); (2) मेसर्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमि; (3) मेसर्स इंडिया ग्लाईकाल; तथा (4) मेसर्स नोसिल।

(ख) और (ग) स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए ई ओ का उत्पादन पर्याप्त है।

(घ) ईथाइलीन आक्साइड के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा निवेशकों द्वारा निवेश पर निर्णय लिए जाते हैं।

जॉनसन और जॉनसन कम्पनी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामला

2381. डा. बलिराम:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दवाइयों की ज्यादा कीमत वसूल कर आम उपभोक्ता और सरकार से पचास करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए जनवरी, 2002 में प्रसिद्ध फार्मास्युटिकल कम्पनी जानसन और जानसन के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि वसूलने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनी के लाइसेंस को रद्द करने और इस कम्पनी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निर्णय के कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सीबीआई द्वारा जनवरी, 2001 के दौरान ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तथापि, यह सच है कि सीबीआई ने ऊंची दरों पर दवाएं बेचकर आम उपभोक्ता और सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाने जैसे कारित ठोस अपराधों के लिए मेसर्स एन आर जेट इंटरप्राइजेज लिमिटेड, माहिम, मुम्बई के विरुद्ध इसके निदेशकों, मेसर्स जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड, मुम्बई के विरुद्ध इसके निदेशकों तथा अन्यों के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और 10 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत 24.12.2001 को नियमित मामला आर.सी.-07/2001-एसआईयू,-XI दर्ज किया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने रेरीकेप नामक एक उत्पाद के संबंध में लगभग 23 करोड़ रुपए मेसर्स एन आर जेट इन्टरप्राइजेज लि. से मांगते हुए अधिक मूल्य वसूली का नोटिस इस कंपनी को पहले ही जारी कर दिया है। राज्य के उद्योग विभाग और औषध नियंत्रक को भी समुचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

मारुति उद्योग का विनिवेश

2382. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:
श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपने शेयरों को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मारुति उद्योग में कुल कितने रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां हैं और वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान मारुति उद्योग को कितना मुनाफा और घाटा हुआ;

(घ) कम्पनी आम आदमी की पहुंच के भीतर आम जनता को कार उपलब्ध कराने की अपने संस्थापकों की परिकल्पना को कहां तक साकार कर सकी है; और

(ङ) सरकार द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने इस चरण पर भारतीय वित्तीय संस्थानों और/अथवा सुजूकी मोटर कार्पोरेशन (एस.एम.सी.) के पक्ष में सरकार के परित्याग विकल्प के साथ, मौजूदा शेयर धारकों को उपयुक्त आधार पर शेयरों की पेशकश करने का निर्णय लिया है। सरकार ने सुजुकी मोटर कार्पोरेशन को राइटस इश्यू का मूल्य, भारतीय वित्तीय संस्थानों और/या सुजुकी मोटर कार्पोरेशन के पक्ष में परित्याग के संबंधित अनुपात, सुजुकी मोटर कार्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले परित्याग प्रीमियम और नियंत्रण प्रीमियम निर्धारण करने के सिद्धान्तों पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है।

(ग) पिछले चार वर्षों में निवल मूल्य और लाभ/हानि के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

	निवल मूल्य और लाभ	
वर्ष	निवल मूल्य	करोपरान्त लाभ/(हानि)
1998-1999	2596.1	523.0
1999-2000	2859.8	330.1
2000-2001	2683.8	(269.4)
2001-2002 30/9/2001 तक	2537.0	30.4

(घ) मारुति उद्योग लि. ने आरंभ में इसके लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। इसने देश में द्रुत मोटरीकरण में मदद की है, यात्री कार उद्योग, जो मारुति उद्योग लि. से पूर्व लगभग मंद पड़ा हुआ था, 1983-1990 के दौरान 23 प्रतिशत की वार्षिक दर पर बढ़ा है। यह उद्योग, 90 के दशक में 10-12 प्रतिशत के सी ए जी आर (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर पर) पर बढ़ा है। मारुति उद्योग लि. के आगमन ने आधुनिक घटक उद्योग के विकास के भी दर्शन कराए हैं, जिसने देश में उत्पादन सुविधाओं को लाने में अन्य सार्वभौमिक विनिर्माताओं की सहायता की है। दो प्रचलित माडल्स मारुति 800 और ओमनी विश्व में कहीं भी उत्पादित सबसे कम लागत के माडल बन रहे हैं और वास्तविक अर्थ में इन माडल्स की वास्तविक लागत जहां कहीं भी इनकी शुरूआत की गई लगभग एक जैसी ही रही है।

(ङ) कर्मचारियों का हित संरक्षण विनिवेश नीति का एक अभिन्न घटक है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठन

2383. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान के उनके मंत्रालय/विभाग के अधीन इस समय कितने गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण में कथित अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ज) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कोई गैर-सरकारी संगठन कार्य नहीं कर रहे हैं। तथापि, मंत्रालय प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन तथा ग्रामीण आवास में अभिनव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का परियोजना आधारित वित्त पोषित करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) अपनी तीन योजनाओं, ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा

(पी.सी.) लाभार्थियों का संगठन (ओ.बी.) तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास (आर्ट्स) के तहत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है। वे स्वैच्छिक संगठन, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्यों द्वारा इसमें किए गये संशोधन, भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 अथवा धमार्थ अथवा धार्मिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं वे कपार्ट द्वारा सहायता के पात्र हैं। संगठन को कम से कम तीन वर्षों तक काम करते रहना चाहिए तथा इसमें शामिल व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के होने चाहिए तथा इसे कपार्ट की संगठनों की उस सूची में नहीं होना चाहिए जिनके लिए वित्तपोषण स्थगित कर दिया गया है/रोक दिया गया है।

(घ) से (ज) कपार्ट के पास परियोजना मूल्यांकनकर्त्ताओं के पैनल के जरिए इसके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की प्रणाली मौजूद है। परियोजनाओं की निगरानी के लिए कम से कम तीन चरणों वाले प्रावधान किए गए हैं अर्थात परियोजना मंजूर होने से पहले वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन, दूसरे और बाद के चरणों में निधियां रिलीज करने से पूर्व मध्यावधि मूल्यांकन तथा परियोजना पूरी हो जाने के पश्चात् मूल्यांकन। इसके पास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इसके द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को जारी किए गए अनुदान भी उचित जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली है। जब कभी कपार्ट को प्रथम दृष्ट्या प्रमाण मिलता है कि स्वैच्छिक संगठन ने इसके द्वारा जारी किए गए अनुदान का उचित उपयोग नहीं किया है, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान स्वैच्छिक संगठन ने प्रस्ताव में किये गये वादे पूरे नहीं किये हैं तो दोषी स्वैच्छिक संगठन पर आगे सहायता बंद जैसे अस्थाई वित्तपोषण प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि यह पाया जाता है कि स्वैच्छिक संगठन ने कपार्ट के अनुदान का वित्तीय दुरूपयोग किया है तो निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार संगठन को काली सूची की श्रेणी में डाला जा सकता है। जिन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध आज की तारीख तक कार्रवाई की गई है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्य	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	की-गई-कार्रवाई					
		एफएएस* श्रेणी के तहत	बीएलए* में रखे गये	चूककर्त्ता श्रेणी	संदेहास्पद श्रेणी	जांच के बाद सूची से हटाये गये	जांचाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	26	15	2	–	1	2	6
असम	2	1	–	–	–	1	–
बिहार	43	41	1	–	1	–	–
दिल्ली	10	9	1	–	–	–	–
गुजरात	5	4	–	–	1	–	–
हरियाणा	12	4	2	–	1	3	2
हिमाचल प्रदेश	4	4	–	–	–	–	–
जम्मू व कश्मीर	3	3	–	–	–	–	–
झारखण्ड	9	7	1	1	–	–	–
कर्नाटक	5	4	–	–	1	–	–
केरल	3	3	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	21	9	3	7	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	13	12	1	–	–	–	–
मणिपुर	3	1	2	–	–	–	–
नागालैण्ड	4	2	1	–	1	–	–
उड़ीसा	23	19	1	1	–	2	–
राजस्थान	11	10	–	–	–	–	1
तमिलनाडु	23	18	2	–	1	–	2
उत्तर प्रदेश	76	52	4	3	3	8	6
उत्तरांचल	2	1	–	1	–	–	–
पश्चिम बंगाल	23	17	1	–	–	1	4
कुल	321	236	22	13	10	17	23

*एफ.ए.एस.—जांच पूरी होने तक आगे की सहायता रोक दी गई है।
*बी.एल.ए.—काली सूची में डाली गई एजेंसियां भावी सहायता की पात्र नहीं हैं।
*चूककर्त्ता—वे स्वैच्छिक संगठन जो अन्य मंत्रालयों द्वारा काली सूची में डाले गये हैं।
*संदेहास्पद—नई परियोजना मंजूर करने से पूर्व स्वैच्छिक संगठन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
*सूची से हटाये गये—अपील करने पर तथा सुनवाई करने और तथ्यों का पता लगाकर एफ.ए.एस./बी.एल.ए./चूककर्त्ता/संदेहास्पद श्रेणी से हटाया गया।

सरकारी आवासों में अलमारियां

2384. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय सरकारी आवासों में अलमारियों की व्यवस्था को आवश्यक मानता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सरकारी कालोनियों में सभी टाइप के सरकारी आवासों में अलमारियां बनाई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सरकारी कालोनियां कौन-कौन सी हैं जिनके आवासों में एक भी आलमारी नहीं है और ऐसे आवासों की टाइपों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिना अलमारी वाले आवासों में अलमारियों के निर्माण हेतु अतिरिक्त प्रभार लिए बिना अलमारियों की व्यवस्था करने का है;

(ङ) यदि हां, तो अलमारियों की व्यवस्था कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो अलमारी जैसी मूलभूत सुविधाओं से रहित ऐसे आवासों में अतिरिक्त प्रभार लगाए जाने के क्या कारण हैं जिनमें ये सुविधाएं पहले से प्रदान नहीं की गई हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) अलमारी मुहैया कराने की आवश्यकता मानक कुरसी क्षेत्रफल दरों में बताई गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों में किवाड़ सहित अथवा किवाड़ रहित अंत:निर्मित अलमारी मुहैया कराने के मानदंड दिए गए हैं। इन मानदंडों के अनुसार टाइप-1 क्वार्टरों की पात्रता केवल एक अंत:निर्मित खुली अलमारी की है जबकि अन्य प्रकार के क्वार्टर किवाड़ सहित अथवा किवाड़ रहित, दोनों प्रकार की अंत:निर्मित अलमारी के पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं। टाइप-1 क्वार्टर ज्यादातर बिना अलमारी के हैं। कुछ बहुत पुराने स्वतंत्रता पूर्व के क्वार्टर भी बिना अलमारी के हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकारी आवास, निर्माण/स्वीकृति की तारीख को प्रचलित अनुमोदित मानदंडों के आधार पर बनाया जाता है। वर्तमान में, 1992 में अनुमोदित मानदंडों में सभी प्रकार के मकानों में अंत: निर्मित अलमारी मुहैया करने का प्रावधान है। मितव्यता और जीवन शैली आदि को ध्यान में रखते हुए टाइप-1 क्वार्टरों में खुली अंत: निर्मित अलमारी मुहैया कराई जाती है। कुछ पुराने निर्माणों में अलमारी या अंत:निर्मित अलमारी उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि सभी पुराने निर्माणों को नए मानदंडों के अनुसार उन्नत करना संभव नहीं है इसलिए सरकार ने एक स्कीम शुरू की जिससे निवासी लागत भागीदारी के आधार पर नूतन मानदंडों के अनुसार सुविधाएं ले सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अपने मकान में अलमारी मुहैया करवाने के इच्छुक निवासी लागत का 10% भुगतान करके इन्हें लगवा सकते हैं।

विवरण

पी.न.	अवस्थिति	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V	टाइप-VI	टाइप-VII	टाइप-VIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	दिल्ली								
	श्रीनिवासपुरी	648	–	–	–	–	–	–	–
	एन्ड्रयूजगंज	800	–	–	–	–	–	–	–
	सादिक नगर	18	–	–	–	–	–	–	–
	त्यागराज नगर	456	–	–	–	–	–	–	–
	कस्तूरबा नगर	2480	–	–	–	–	–	–	–
	पुष्प विहार	3192	–	–	–	–	–	–	–
	तिमारपुर	296	344	–	–	–	–	–	–
	मिंटो रोड परिसर	495	–	–	–	–	–	–	–
	आराम बाग	120	–	–	–	–	–	–	–
	रवीन्द्र नगर	–	–	–	–	112	–	–	–
	पंडारा रोड	–	–	–	–	128	–	–	–
	शाहजहां रोड	–	–	–	–	44	–	–	–
	काका नगर	–	–	–	–	169	–	–	–
	भारती नगर	–	–	–	–	100	–	–	–
	पीतमपुरा	120	420	90	–	–	–	–	–
	रोहिणी	8	4	–	–	–	–	–	–
	मायापुरी	236	344	16	–	–	–	–	–
	डीएमएस कालोनी	225	120	30	–	–	–	–	–

—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आईएआरआई, पूसा	80	–	–	–	–	–	–	–
	नेताजी नगर	1462	–	–	–	–	–	–	–
	मोती बाग	224	–	–	–	–	–	–	–
	किदवई नगर (पूर्व)	1336	–	–	–	–	–	–	–
	लोदी रोड परिसर	30	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	12256	1322	136	–	553	–	–	–

पी.न.	अवस्थिति	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V	टाइप-VI	टाइप-VII	टाइप-VIII
2.	फरीदाबाद	638	–	–	–	–	–	–	–
3.	चंडीगढ़	612	–	–	–	–	–	–	–
4.	इंदौर	108	–	10*	–	10*	–	–	–
5.	नीमच	14	4	–	–	–	–	–	–
6.	भोपाल	56	–	–	–	–	–	–	–
7.	होशंगाबाद	264	–	–	–	–	–	–	–
8.	जबलपुर	42	–	–	–	–	–	–	–
9.	शिलांग	20	–	–	–	–	–	–	–
10.	बामुनीमैदान	8	–	–	–	–	–	–	–
11.	दोमलर बंगलूर	80	–	–	–	–	–	–	–
12.	ककनाड, कोचीन	32	–	–	–	–	–	–	–
13.	हैदराबाद	694	–	–	–	–	–	–	–
14.	विशाखापट्टनम	67	–	–	–	–	–	–	–
15.	विजयवाड़ा मंडल	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मछलीपट्टनम	8	–	–	–	–	–	–	–
17.	गन्नावरन	2	–	–	–	–	–	–	–
18.	गुंटूर	32	–	–	–	–	–	–	–
19.	तिरूपति	4	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	2681	4	10	–	10	–	–	–
	दिल्ली कुल	12256	1322	136	–	553	--	–	–
	सकल योग	14937	1326	146	–	563	–	–	–

*स्वतंत्रता पूर्व निर्मित

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

2385. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री मोहन रावले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजनैतिक हस्तियों की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति और पूर्व राज्यपालों की सक्रिय राजनीति में भागीदारी के संबंध में सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) 16.11.2001 को हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में, परिषद ने राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर मत निर्धारित किया। सरकारिया आयोग की सिफारिशों और अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा इन सिफारिशों पर निर्धारित किए गए मत संलग्न विवरण पर दिए गए हैं। सरकार ने इन सिफारिशों पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(ग) अन्तर्राज्यीय परिषद ने, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में निहित 247 सिफारिशों में से 230 सिफारिशों पर अपना मत निर्धारित कर लिया है। इन 230 सिफारिशों में से 35 सिफारिशों को अन्तर्राज्यीय परिषद/प्रशासनिक मंत्रालयों ने स्वीकार नहीं किया है, 108 सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और 87 सिफारिशें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में जांच/कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

विवरण

अध्याय-IV

राज्यपाल की भूमिका

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का पैरा सं.	सरकारिया आयोग की सिफारिश	अन्तर्राज्यीय परिषद की सिफारिश
1	2	3
4.16.01	राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को नीचे बताए गए मानदण्डों पर पूरा उतरना होगा:	
	(i) उसे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।	(i) वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
	(ii) वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।	(ii) स्वीकृत।
	(iii) उसे तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए तथा राज्य की स्थानीय गुटबाजी से अधिक संबंध नहीं रखना चाहिए, और	(iii) वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की किसी स्थानीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए।
	(iv) उसे सामान्य रूप से ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने राजनीति में भाग न लिया हो और विशेष रूप से हाल ही में।	(iv) स्वीकृत नहीं।
	ऊपर बताए गए मानदण्डों के अनुसार राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक ग्रुपों से संबद्ध व्यक्तियों को भी मौका दिया जाना चाहिए जैसा कि अब तक किया जाता रहा है। (पैरा 4.6.09)	स्वीकृत।

1	2	3
4.16.02	यह वांछनीय होगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त न किया जाए जो केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी का राजनीतिज्ञ हो, जिस राज्य का शासन किसी अन्य पार्टी द्वारा चलाया जा रहा हो अथवा अन्य पार्टियों के मेल-जोल से चलाया जा रहा हो। (पैरा 4.6.19)	पैरा सं. 4.16.03 में दी गई सिफारिशों पर लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं की गई।
4.16.03	राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करने के लिए राज्य के मुख्य मंत्री से प्रभावी सलाह-मशवरा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 153 में समुचित संशोधन करके संविधान में ही निर्धारित की जानी चाहिए। (पैरा 4.6.25)	राज्य के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श को अनिवार्य बनाने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।
4.16.08	परिपाटी के अनुसार कोई भी राज्यपाल अपना पद त्यागने के बाद किसी अन्य नियुक्ति या संघ या राज्य सरकार के अधीन पदलाभ पाने का हकदार नहीं है केवल उस स्थिति को छोड़कर जब उसे अगले सत्र के लिए राज्यपाल के रूप में चुना जाए या वह भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव में भाग ले। इस परिपाटी के अनुसार यह भी अपेक्षित है कि अपना पद छोड़ने या त्यागपत्र देने के बाद राज्यपाल पुन: सक्रिय हिमायती राजनीति में शामिल नहीं होगा। (पैरा 4.9.04)	राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए अनुमति दी जाये लेकिन पद छोड़ने के बाद उनसे सक्रिय राजनीति में वापस न आने की उम्मीद की जाती है। तथापि, वे भारत के उप-राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होंगे।

[हिन्दी]

युवाओं को पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण

2386. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश से, विशेषत: जम्मू-कश्मीर से बड़ी संख्या में युवा आतंकवादी प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर जाते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998, 1999, 2000 और 2001 के दौरान अनुमानित संख्या में कितने युवा वहां गए; और

(ग) इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पाक आई.एस.आई. तंत्र, प्रारम्भ में जम्मू और कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए भोले-भाले युवकों को फंसाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर, उग्रवादी गुटों को प्रशिक्षण, उपस्कर, शस्त्र और धन के रूप में सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहा है ताकि वे भारतीय भूमि में विध्वंसक गतिविधियां चलाएं।

इस संबंध में सही-सही आंकड़े देना संभव नहीं है चूंकि आंकलन व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न है, उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1998 से 2001 के दौरान जम्मू और कश्मीर से लगभग 2800 युवकों ने सीमा पार की।

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही हैं:-

(1) बेरोजगार युवकों को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार। 85,000 से अधिक युवकों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

(2) युवा उद्यमियों को विभिन्न स्वरोजगार स्कीमों के तहत उदार ऋण उपलब्ध कराया गया है।

(3) पर्यटन उद्योग का पुनरुत्थान।

(4) हस्तकला उद्योग का पुनरुत्थान।

(5) बेहतर सीमा प्रबंधन।

(6) दोनों तरफ से घुसपैठ के सभी ज्ञात रास्तों को बंद करना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

2387. श्री जी.जे. जावीया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बारह वर्ष पूर्व बनाया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि इसके सदस्य राज्य बोर्ड द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का कार्यान्वयन करे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन 1985 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन का समन्वयन व निगरानी करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि उपयोग व अवस्थापना विकास के नियमन हेतु संगत नीतियां विकसित करने के लिए किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एन.सी.आर. बोर्ड ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उप-क्षेत्रों में ऐसी कई परियोजनाओं को धन दिया है, जिनसे इन राज्यों में आवास, औद्योगिक व वाणिज्यिक सुविधाओं और अवस्थापना सुविधा-सेवाओं के विकास में सहायता मिली है। भागीदार राज्य एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड से वित्त प्राप्त ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इस बोर्ड ने अब तक कुल 148 परियोजनाओं के लिये धन दिया है जिनमें से 68 पूरी हो गई हैं तथा 80 परियोजनाएं भागीदार राज्यों की विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इस वित्तीय सहायता से निम्नलिखित अवस्थापनाओं के सृजन में मदद मिली है:-

राज्य	रिहायशी भूखंड	औद्योगिक भूखंड/ दुकानें	वाणिज्यिक भूखंड/ कार्यालय
उत्तर प्रदेश	63,288	3518	1895
हरियाणा	33,051	1559	3248
राजस्थान	16,410	2585	2531
कुल	1,12,749	7662	7674

आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्तियों के वितरण में अनियमितताएं

2388. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेषत: मध्य प्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्तियों के वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान आज तक केन्द्र सरकार की जानकारी में ऐसे राज्य-वार कितने मामले आए हैं; और

(ग) इन अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) इस तरह का कोई दृष्टांत जनजातीय कार्य मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अलगाव-रोधी कार्य

2389. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्रीय राइफल्स ने सेना और सीमा सुरक्षा बल से देश में अलगाव-रोधी गतिविधियों का भार ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

आतंकवादी समूहों द्वारा धन संग्रहण/वितरण

2390. श्री रामजीवन सिंह:
श्री रामजी मांझी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आसूचना एजेंसियों से आतंकवादी समूहों और अपराध जगत के सरगनाओं द्वारा अपने नेटवर्क के माध्यम से धन संग्रह करने और वितरित करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर एक रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट सौंप दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में आतंकवादी नेटवर्क के वित्तपोषण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) वित्त पोषण सहित, आतंकवादियों/अपराध जगत की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना एकत्र करना एक सतत प्रक्रिया है। समय-समय पर प्राप्त सूचना का संबंधित एजेन्सियों/राज्य सरकारों के साथ आगे कार्रवाई करने हेतु आदान-प्रदान किया जाता है।

आतंकवाद निवारण (द्वितीय) अध्यादेश, 2001 प्रख्यापित किया गया है जिसके तहत 25 आतंकवागी ग्रुपों को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उनके वित्त पोषण सहित आतंकवादियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

पेयजल आपूर्ति हेतु दिल्ली को केन्द्रीय सहायता

2391. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान आज तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को पेयजल आपूर्ति हेतु प्रतिवर्ष प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) पेय जल की व्यवस्था राज्य का विषय है तथा पेय जल आपूर्ति की स्कीमें राज्यों द्वारा अपने स्रोतों से चलायी जाती हैं। तथापि, भारत सरकार के पेय जल आपूर्ति विभाग ने प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के तहत दिल्ली सरकार को वर्ष 2000-01 में 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी है, इसमें से दिल्ली सरकार ने अब तक 1.20 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि दिल्ली में ऐसी कोई ग्रामीण बस्ती नहीं है जहां पेय जल की आपूर्ति नहीं है अथवा अंशत: आपूर्ति है, अपितु सभी ग्रामीण बस्तियों में पेय जल की आपूर्ति पहले से सुलभ है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन

2392. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक, 1990 लोक सभा में पारित करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्यारह वर्ष बाद इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से उपबंध विचाराधीन हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 लोक सभा द्वारा 9 अगस्त, 1990 को पारित किया गया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के विभिन्न उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

एनएससीएन नेताओं के साथ बैठक

2393. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी जापान यात्रा के दौरान नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के नेताओं से मुलाकात की है;

(ख) यदि हां, तो इन नेताओं के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख में इस मुद्दे पर क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) दिसंबर, 2001 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान, एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के श्री इसाक स्वू और श्री टीएच. मुइवाह ओसाका में प्रधान मंत्री से मिले थे। प्रधान मंत्री ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि शांति प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभागों में सुनिश्चित पदोन्नति योजना

2394. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों पर केन्द्र सरकार की सुनिश्चित पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन योजना लागू होती है;

(ख) यदि हां, तो रोजगार निदेशालय, दिल्ली के कितने कर्मचारियों ने योजना का लाभ उठाया है;

(ग) क्या यह सच है कि रोजगार निदेशालय में इस योजना के बहुत से मामलों की समीक्षा की गई है और ये मामले सेवा से संबंधित विभागों के पास लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। रोजगार निदेशालय में कार्यरत 30 कर्मचारियों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 6045 कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। रोजगार निदेशालय से प्राप्त दो सदंर्भों पर सेवा विभाग द्वारा उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के साथ जोड़ना

2395. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों की ओर से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव/योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक संसद सदस्य (लोक सभा) को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 2.00 करोड़ रुपए तक की ग्रामीण सड़कों को बनाने की अनुशंसा करने का अधिकार दिया जाए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि जिला ग्रामीण सड़क योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय संसद सदस्यों के विचारों एवं सुझावों को ध्यान में रखा जाए। इसी के अनुरूप, राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गयी है कि परियोजना प्रस्तावों को ग्रामीण विकास मंत्रालय को अग्रसारित करने से पूर्व संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूर्ण रूप से विचार (जिला पंचायत एवं राज्य सरकार द्वारा) किया जाना चाहिए।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

2396. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुबोध राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कितने परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया है;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने योजना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारी) को सामाजिक जुटाव, इनके प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से स्वसहायता समूहों में संगठित करके तथा उन्हें बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी दोनों के जरिए आय सृजक परिसंपत्तियां उपलब्ध करवाकर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यद्यपि, अप्रैल, 1999 में जारी किए गए कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि आगामी पांच वर्षों में कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के 30 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जाएगा परन्तु परिवारों की वास्तविक कवरेज निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) एस.जी.एस.वाई. एक प्रक्रिया उन्मुख योजना है जिसके अंतर्गत समूह के गठन की तारीख से एक वर्ष बाद कराए गए सेकेंड ग्रेडिंग टेस्ट को पास करने के उपरांत समूह वित्तीय सहायता के लिए पात्र बन जाता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वरोजगारी को आर्थिक गतिविधि हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपरांत गरीबी रेखा को पार करने में कम से कम तीन वर्ष लगेंगे।

विगत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	सहायता प्राप्त स्वरोजगारी
1999-2000	933868
2000-2001	1030193
2001-2002 (जनवरी, 2002 तक)	635281

(घ) और (ङ) 1995-96 से योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

मॉडल संस्कृत कालेज/अनुंधान संस्थानों को मान्यता

2397. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्य-वार मॉडल संस्कृत कॉलेज/अनुसंधान संस्थान कौन-कौन से हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए उक्त संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। जिन संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को यह शासित तथा वित्तपोषित करता है उनकी एक सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है। इस प्रकार की संस्थाओं को जिन नियमों और शर्तों पर मान्यता दी जाती है संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थाओं की सूची

1. कालीकट आर्दश संस्कृत महाविद्यालय,
   पो.ओ. बालूसरी,
   जिला-कोजीकोडे,
   केरल-673612

2. श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
   वृंदावन, उत्तर प्रदेश-281121

3. हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ,
   पो.ओ. भगोला (पलवल),
   जिला-फरीदाबाद,
   हरियाणा

4. वैदिक समाशोधन मंडल,
   तिलक विद्यापीठ,
   गुलतेकड़ी,
   पुणे-37

5. जे.एन.बी. आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
   पो.ओ. लागमा,
   द्वारा-लोहना रोड,
   जिला-दरभंगा,
   बिहार-847407

6. श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
   पो.ओ. गुरूकुल कांगड़ी,
   जिला-हरिद्वार,
   उत्तरांचल

7. मद्रास संस्कृत कॉलेज व एस.एस.वी. पाठशाला,
84, रायीठा हाई रोड,
माइलापुर, चेन्नई-600004
मद्रास

8. लक्ष्मी देवी सर्राफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
काली रेखा,
जिला-देवघर,
बिहार-814112

9. श्री एकर्शानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
जिला-मैनपुरी,
उत्तर प्रदेश-205001

10. मुम्बा देवी संस्कृत महाविद्यालय,
द्वारा-भारती विद्या भवन,
के.एम.मुंशी मार्ग,
मुंबई, महाराष्ट्र-400007

11. एस.डी. आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
दोघी, जिला-ऊना,
हिमाचल प्रदेश

12. हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
जंगला (रोहरू),
जिला-शिमला,
हिमाचल प्रदेश

13. श्री दीवान कृष्ण किशोर एस. डी.,
आदर्श संस्कृत कॉलेज,
अम्बाला कैंट,
हरियाणा

14. राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोल्हंता पतोरी,
जिला-दरभंगा,
बिहार-846003

15. पूर्णप्रजा समाशोधन,
मांदीराम, कथीगुप्ता मेन रोड,
बंगलौर, कर्नाटक-560028

16. स्वामी प्रकुंशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
हुलासगंज,
गया, जिला-गया, (बिहार)

17. श्री सीता राम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
7/2 पी.डब्ल्यू.डी. रोड,
कलकत्ता -700035 (पश्चिम बंगाल)

18. ठाकुर गदाधर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
कालीपुर पो.ओ. आरामबाग,
जिला-हुगली,
पश्चिम बंगाल-712601

19. कालियाचाक बिक्रम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
गांव-कालियाचाक, पो.ओ. हरिया,
जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल-721430

20. रामजी मेहता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
मालीघाट, मुजफ्फरपुर,
बिहार

21. रानी पदमावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
इंद्रापुर (शिवपुर),
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

विवरण-II

आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों के लिए नियम एवं शर्तें

1. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन सोसायटी के रूप में या पंजीकृत न्यास के रूप में कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन जो संस्कृत महाविद्यालय या शोध संस्थान का अनुरक्षण करता है वह मान्यता हेतु आवेदन करने का पात्र होगा।

2. महाविद्यालयों को परम्परागत प्रणाली से प्राक शास्त्र, आचार्य या समकक्ष पाठ्यक्रमों का अध्यापन करना चहिए। शोध संस्थानों को विभिन्न पारंपरिक संस्कृत विषयों में सक्रिय रूप से अनुसंधान करना चाहिए।

3. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित स्तर पर कम से कम सात वर्ष से महाविद्यालय/शोध संस्थान अस्तित्व में होना चाहिए। परंतु जो महाविद्यालय/शोध संस्थान पहली योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे इस संशोधित योजना के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र रहेंगे।

4. संस्थाओं के पास पर्याप्त भवन और परिसर होना चाहिए। संस्थाओं के पक्ष में कम से कम 99 वर्ष की लीज भी स्वीकार्य है।

5. पंजीकृत मूल निकाय जो इस योजना के अधीन मान्यता और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें भविष्य में "फिक्स्ड डिपोजिट एकांउट" में महाविद्यालय के नाम से कम से कम 2.00 लाख रु. जमा कराने होंगे। परंतु जो संस्थाएं पुरानी योजना के अधीन पहले से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और जिन्होंने महाविद्यालय शोध संस्थान के नाम 1 लाख रु. जमा करा दिये हैं उन्हें इस शर्त से छूट दी जाएगी।

6. महाविद्यालय/शोध संस्थान या तो केन्द्र सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से संबद्ध होना चहिए।

7. महाविद्यालय की छात्र संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए। शोध संस्थान में 12 सक्रिय अनुसंधानकर्त्ताओं से कम नहीं होने चाहिए।

8. मूल निकाय को आश्वासन देना होगा कि वह आवर्ती व्यय का 5 प्रतिशत भाग और अनावर्ती व्यय का 25 प्रतिशत भाग वहन करेगी।

9. मूल निकाय को आश्वासन देना होगा कि वह योजना के नियमों और विनियमों का पालन करेगी।

[अनुवाद]

जापान से सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों को वापिस लाया जाना

2398. श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के प्राधिकारियों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों को भारत को देने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने जापान के रंकोज़ी टेम्पल से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों को लाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों को भारत को हस्तांतरित करने का मामला, जापानी सरकार के साथ हाल में हुई बातचीत के दौरान नहीं उठा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सरकार ने, 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता हो जाने से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों और उससे संबंधित बाद की घटनाओं की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के तहत न्यायमूर्ति एम.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

काम के बदले अनाज

2399. श्री उत्तमराव ढिकले:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री के. येरननायडू:
श्री विकास चौधरी:
श्रीमती मिनाती सेन:
श्री राजेश वर्मा:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा राज्य-वार अब तक कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया/जारी किया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक रोजगार का कितना सृजन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी परिवारों तक भी पहुंचाने का है, क्योंकि सूखे का असर सब पर एक जैसा पड़ता है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस योजना के अन्तर्गत अपने कोटे के गेहूं और चावल नहीं उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन जारी करने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) क्या सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत धन के मामले में की गई अनियमितताओं/उनके दुरूपयोग संबंधी कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ट) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम की समीक्षा करने का है;

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (च) 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार के सृजित श्रमदिनों के साथ-साथ आबंटित/रिलीज किये गए, उठाए गए तथा उपयोग किए गए खाद्यान्नों की राज्यवार मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की रिलीज प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग पर निर्भर करती है। जारी की गई खाद्यान्न मात्रा के उठान और उपयोग का जिम्मा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। शहरी बी.पी.एल. परिवारों के लिए योजना का विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) से (ञ) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत केंन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के "अपदा प्रभावित" क्षेत्रों को केवल मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध का अथवा उपलब्ध करवाई गई निधियों के दुरूपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

(ट) से (ड) 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम मार्च, 2002 को समाप्त हो जाएगा।

विवरण

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी/आवंटित किए गए, उठान किए गये खाद्यान्नों तथा सृजित श्रमदिनों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2000-01 आवंटित/ जारी किए गए खाद्यान्न (टन में)	2001-02 आवंटित/ जारी किए गए खाद्यान्न (टन में)	कुल (3+4) (टन में)	उठाये/निकाले गये खाद्यान्न (टन में)	उठाये गये खाद्यान्नों का प्रतिशत %	वितरित खाद्यान्न (टन में)	सृजित श्रमदिन
1.	आंध्र प्रदेश	0	1650000	1650000	1379151	83.58	1342327	1125950.00
2.	बिहार	0	100000	100000	2023	2.02	एन.आर.	एन.आर.
3.	छत्तीसगढ़	207000	419007	626007	625890	99.98	505507	865.91
4.	गुजरात	90000	58105	148105	136336	92.05	119220	1585.20
5.	हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549	11549	100.00	5069	16.94
6.	कर्नाटक	0	100000	100000	99763	99.76	एन.आर	एन.आर.
7.	केरल	0	5000	5000	5000	100.00	एन.आर.	एन.आर.
8.	मध्य प्रदेश	63079	188665	251744	211112	83.86	176090	एन.आर.
9.	महाराष्ट्र	10000	140000	150000	50000	33.33	32657	152.39
10.	उडीसा	100000	150000	250000	246643	98.66	1862.49	429.00
11.	राजस्थान	118145	621360	739505	560560	75.80	482980	1072.52
	कुल	599773	3432137	4031910	3328027	82.54	2850099	1130071.96

* छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ राज्य को 2,00,000 टन चावल के बदले 298507 टन धान आवंटित किया गया था।

एन आर-असूचित

[हिन्दी]

फार्मास्युटिकल पार्कों की स्थापना

2400. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का पहला फार्मास्युटिकल पार्क हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तरह के फार्मास्युटिकल पार्क देश के अन्य स्थानों में भी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये पार्क किन-किन शहरों में और कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम के लिए बोलियां

2401. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री अम्बरीश:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) के लिए आरंभिक बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों ने एससीआई में अपनी रुचि दिखाई है;

(घ) क्या कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने बोली लगाई है, का नेटवर्थ 800 करोड़ से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के विनिवेश के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की हैं। हित की अभिव्यक्तियां 18 फरवरी, 2002 को प्राप्त हुई हैं।

(ग) बोलीदाताओं की संख्या और उनके नामों को प्रकट करना सौदे के हित में नहीं होगा।

(घ) और (ङ) 800 करोड़ रुपए के निवल मूल्य के पूर्व अर्हता मानदण्ड को पूरा करने वाली पार्टियों को विनिवेश प्रक्रिया में भागीदारी करने के योग्य पाया गया है।

जाली पासपोर्ट

2402. श्री मोहन रावले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग विदेशों से जाली पासपोर्ट के साथ देश में घुसे हैं;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी संख्या क्या है;

(ग) ऐसे लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) किसी भी विदेशी को जाली पासपोर्ट पर देश में नहीं आने दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा भारत में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय अड्डों अर्थात दिल्ली, कोलकाता, चैन्ने और अमृतसर में पासपोर्ट में पाई गई जालसाजी के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

	1999	2000	2001
दिल्ली	91	90	181
मुम्बई	219	176	192
कोलकाता	42	100	38
चैन्ने	133	41	76
अमृतसर (वाघा सड़क और अटारी रेल सहित)	8	5	28
कुल	493	412	515

(ग) और (घ) जालसाजी करने के लिए पहचाने गए विदेशियों को भारत में प्रवेश नहीं दिया जाता है और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के पैरा के 4 के अर्न्तगत जहाज के मास्टर को, विदेशियों को 24 घंटों के भीतर या, अगली उपलब्ध उड़ान, जो भी पहले हो, से हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। जिन मामलों में प्रस्थान के समय पर या विदेशी के भारत में रहने के दौरान जालसाजी का पता लगाता है, तो उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 और भा.द.सं. के अन्तर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं। भविष्य में उनके प्रवेश को प्रतिबन्धित करने के लिए इस प्रकार के विदेशियों के नाम भारत में पूर्व संदर्भ श्रेणी में रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूसरी मंजिल का निर्माण

2403. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, यथा गुड़गांव, फरीदाबाद में दूसरी मंजिल के निर्माण की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या नोएडा में दूसरी मंजिल के निर्माण की अनुमति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीडीए की तरह नोएडा ने भी सिद्धांतत: आवासों/प्लाटों/फ्लैटों के आबंटितियों को फ्री-होल्ड का अधिकार दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में दूसरी मंजिल के निर्माण में एकसमान नियम बनाए रखने के दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सूचित किया है कि हरियाणा में संबंधित कस्बा/विकास एजेंसियों में 11 मीटर तक भवन की ऊंचाई सहित मकानों में दूसरे तल के निर्माण का प्रावधान है। गुड़गांवा व फरीदाबाद शहरी सम्पदाओं जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्रों सहित समूचे हरियाणा राज्य में ग्रुप हाउसिंग कालोनियों में बहुमंजिले फ्लैट हैं।

(ख) और (ग) नोएडा ने सूचित किया है कि उनके भवन उपनियम, 1986 के अनुसार मकानों/फ्लैटों में दूसरे तल के निर्माण की अनुमति नहीं है। उक्त भवन उपनियम की क्लाज 40 इस प्रकार है: 'ऊंचाई की सीमा-(1) ग्रुप हाउसिंग के अलावा रिहायशी भवन-ऐसे मामलों में किसी भूखंड पर बनाई जा सकने वाली अधिकतम मंजिलों की संख्या 2+बरसाती है।'

तथापि, ग्रुप हाउसिंग में 150 फर्शी क्षेत्र अनुपात की अनुमति है और घनत्व (डेन्सिटी) द्वारा नियंत्रित होता है।

(घ) और (ङ) सूचित किया गया है कि नोएडा ने मकानों/भूखंडों/फ्लैटों के आंबटियों को फ्रीहोल्ड अधिकार की अनुमति नहीं दी है।

(च) और (छ) सरकार समय-समय पर दिशानिर्देश/माडल भवन उप नियम जारी करती है। तथापि, चूंकि भवन उप नियम राज्य का विषय है (दिल्ली के अलावा), इसलिए इस संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

आईपीएस अधिकारियों के मामले में राज्य के कोटे में वृद्धि

2404. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आईपीएस अधिकारियों के मामले में राज्य के कोटे में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। फिलहाल सरकार के पास राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति की सीमा बढ़ाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम क्षेत्र का निजीकरण

2405. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्रीमती निवेदिता माने:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम क्षेत्र का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से उपक्रम हैं जिनका निजीकरण किया जाना है;

(ग) इसमें सरकारी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक उपक्रमों की लागत कितनी है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश में एक सतत प्रक्रिया हैं। के एक भाग के रूप में, सरकार समय-समय पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। प्रस्तावों पर अंतर्मंत्रालयी परामर्शों के माध्यम के विचार किया जाता है और अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. में विनिवेश करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है।

(ग) आज की तारीख में, बी पी सी एल की 66.20 प्रतिशत और एच पी सी एल की 51.01 प्रतिशत इक्विटी सरकार के पास है।

(घ) विनिवेश के समय, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मूल्य निर्धारण, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है ताकि आरक्षित मूल्य तक पहुंचा जा सके। जैसे-जैसे सरकार विनिवेश प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी, बी पी सी एल और एच पी सी एल के मामले में भी ऐसी ही प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। कर्मचारियों का हित संरक्षण, विनिवेश नीति का एक अभिन्न अंग है। इसे, संबंधित अनुकूल साझीदारों के साथ सम्पन्न शेयरधारक करार में उपयुक्त उपबंध करने के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

2406. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर से आतंकवादियों और उनके प्रशिक्षण शिवरों को नष्ट करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आतंकवादियों और उनके शिविरों को नष्ट करने में अब तक सक्षम रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) तथापि, सरकार जम्मू और कश्मीर के उग्रवाद को समाप्त करने और राज्य में यथाशीघ्र शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए कृतसंकल्प है। विभिन्न स्तरों के अंदरूनी प्रदेश में आतंकवादियों के ऊपर दबाव बनाए रखने के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है ताकि पाक आई.एस.आई. द्वारा जम्मू कश्मीर में सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। इस रणनीति में अन्य के साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर संस्थागत ढांचे के माध्यम से यू एच क्यू के आपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के कार्य को बड़े पैमाने पर संघटित करना, उन्नत तकनोलोजी, हथियारों और उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।

आतंकवादियों का समाना करने के लिए रणनीति, दांव-पेंच और सुरक्षा बलों की सक्रिय तैनाती की राज्य में ''यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स'' तथा आपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों में विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा की जाती है, इसमें सुधार किया जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है।

कार्य स्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

2407. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग पांच वर्ष पहले उच्चतम न्यायालय ने सभी नियोक्ताओं के लिए कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले को देखने हेतु कार्य स्थलों पर एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक केवल 9% मामलों में ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन होता है, जैसा कि 11 दिसम्बर, 2001 को ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में 'सेक्सुअल हरासमेन्ट एट वर्क प्लेस कन्टीयू' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दिनांक 13.8.97 के अपने निर्णय में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश व मानक निर्धारित किए थे। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, पीड़ित महिला द्वारा की गयी शिकायत का निदान करने हेतु शिकायत तंत्र के एक भाग के रूप में शिकायत समिति के गठन का भी निर्धारण किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार, कुछ कार्यालयों, संगठनों आदि द्वारा शिकायत समितियां अभी गठित की जानी हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ शिकायत समितियों में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व नहीं है और उनकी अध्यक्ष महिलाएं नहीं हैं। कुछ समितियों में तीसरे पक्ष (गैर-सरकारी संगठन) का प्रतिनिधित्व नहीं है। आयोग ने यह भी पाया है कि शिकायत समितियों के सदस्यों को कार्य-पद्धतियों, आदि की जानकारी भी नहीं है।

(ग) सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु कई उपाय किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कानूनी शक्ति प्राप्त हैं। किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- सरकार ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुरोध किया है कि वे शिकायत समितियों का गठन करें तथा दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को सरल रूप प्रदान करते हुए, कार्य स्थल के लिए एक आचार संहिता तैयार की है। आयोग द्वारा इस आचार संहिता को सभी राज्य महिला आयोगों, गैर-सरकारी संगठनों, निगमित क्षेत्र के शीर्षस्थ निकायों, मीडिया, सभी मंत्रालयों और विभागों को परिचालित कर दिया गया है, ताकि इन दिशा-निर्देशों की जानकारी आधारभूत स्तर के कार्यकताओं को हो सके और सभी संबंधितों द्वारा इनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

- सभी संबंधितों द्वारा शिकायत समितियों के गठन को तथा दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया है।

- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में यौन उत्पीड़न को एक निषिद्ध आचरण के रूप में शामिल करने हेतु उसमें संशोधन किया गया है।

- औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 में संशोधन किए गए हैं, ताकि निजी क्षेत्र में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को एक अपराध बनाया जा सके और उसके लिए दोषी सहकर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

एचएमटी और एनटीपीसी का निजीकरण

2408. **श्री बिक्रम केशरी देव:**
श्री सुनील खां:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कम्पनियों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन कम्पनियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है। प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार समय-समय पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। प्रस्तावों पर अंतर्मंत्रालयी परामर्शों के माध्यम से विचार किया जाता है और अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एन टी पी सी) में इक्विटी के विनिवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 2000 में सरकार द्वारा अनुमोदित टर्न अराउण्ड प्लान में एच.एम.टी. ट्रैक्टर

डिविजन, मशीन टूल्स डिविजन तथा 74 प्रतिशत तक वाच डिविजन के विनिवेश/संयुक्त उद्यम पर विचार किया गया है। एच एम टी लि. के इन डिविजनों में विनिवेश प्रक्रिया चल रही है।

(ग) एन टी पी सी एक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी हैं। इसने वर्ष 1999-2000 में 3424.53 करोड़ रुपए का करोपरान्त निवल लाभ अर्जित किया था। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स एक घाटे में चलने वाली कंपनी है। इसने वर्ष 1999-2000 में 36.77 करोड़ रुपए का निवल घाटा उठाया था।

(घ) कर्मचारियों के हितों का संरक्षण विनिवेश नीति का एक अभिन्न अंग है। संबंधित अनुकूल साझीदारों के साथ संम्पन्न शेयर धारक करार के उपयुक्त उपबन्धों की व्यवस्था करके यह सुनिश्चित किया जाता है।

हैदराबाद में एमआरटीएस परियोजना

2409. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमआरटीएस परियोजना हैदराबाद में क्रियान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकर का विचार इस परियोजना को समय पर पूरा करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ आवश्यक धन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जी, नहीं। हैदराबाद में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम (एलआरटीएस) परियोजना पर कार्य नहीं किया जा रहा है। तथापि, हैदराबाद बहुविधि सबअर्बन यात्री परिवहन प्रणाली (मल्टी मोडल सबअर्बन कम्प्यूटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम) कार्यान्वित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय से समझौता ज्ञापन किया है।

[हिन्दी]

पेयजल हेतु विश्व बैंक से धनराशि

2410. श्री वाई.जी. महाजन:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में पेयजल योजनाओं हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इन योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना धन आवंटित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील): (क) से (ग) चूंकि पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को विदेशी सहायता से जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता प्रदान करने वाली योजनाओं/परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों के द्वारा किया जाता है। जो राज्य विदेशी सहायता से ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं उन्हें अपने राज्य बजट में पर्याप्त योजना प्रावधान करने आवश्यक हैं। राज्य योजना के अंतर्गत व्यय करने के पश्चात् नियंत्रक एंड एकाउंट्स एंड ऑडिट, आर्थिक मामले विभाग, 5वीं मंजिल बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली से प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं। चूंकि विदेशी सहायता से ग्रामीण जलापूर्ति और अस्वच्छता परियोजना कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को कोई निधियां रिलीज नहीं की जाती हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजनाएं जो राज्यों में कार्यान्वित की जा रही रही हैं, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(1) 52.4 मिलियन (पुनरीक्षित) अमरीकी डॉलर विश्व बैंक की सहायता से 71.0 मिलियन अमरीकी डालर की लागत वाली उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यान्वयन के अधीन है। अगस्त 1996 में परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ और मई, 2003 तक पूरा किया जाना है।

(2) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "केरल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना" केरल में कार्यान्वयन के अधीन है जो 89.8 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमोदित परियोजना लागत से जनवरी, 2001 में शुरू की गई थी तथा परियोजना की आई.डी.ए. ऋण की राशि लगभग 65.5 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 73 प्रतिशत) है। परियोजना के वर्ष 2007 तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

(3) विश्व बैक से सहायता प्राप्त "द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना" कर्नाटक में 11 फरवरी, 2002 से कार्यान्वयन शुरू किया गया

है। परियोजना की संभावित लागत 193.44 मिलियन अमरीकी डालर है तथा परियोजना की आई.डी.ए. ऋण की राशि 151.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 78 प्रतिशत) है। परियोजना के वर्ष 2007 तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

इसके पश्चात शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 80.5 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता से 778.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना द्वितीय ''चेन्नई जलापूर्ति परियोजना'' नवम्बर, 1995 से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की समाप्ति की तिथि 30.6.2002 है।

हवाई अड्डों पर बने आईटीडीसी के रेस्तराओं का विनिवेश

2411. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में हवाई अड्डों पर बने आईटीडीसी के लाभार्जन करने वाले रेस्तराओं को पट्टे पर देने/उनका विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उनसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान होने का अनुमान है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) की होटल संपत्तियों के संबंध में विनिवेश योजना के संदर्भ में, इसकी होटल परिसंपत्तियों को अलग-अलग कंपनियों में अविलयित किया जा रहा है और अविलयन अथवा दीर्घकालिक पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध के माध्यम से गठित नई कंपनियों में शत-प्रतिशत सरकारी शेयरधारिता की बिक्री के माध्यम से विनिवेश किया जा रहा है। बिक्री/पट्टे में, संबंधित संपत्ति के खरीददार को अनुबंध और परमिट सहित कारोबार का हस्तांतरण शामिल है।

औरंगाबाद, कोलकाता, बंगलौर और दिल्ली में चार एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट हैं। ये सभी रेस्टोरेन्ट भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा भारत विमानपत्तन प्राधिकारण से लाइसेंस पर लिए गए थे। विनिवेश योजना, होटल इकाई के साथ-साथ, उन एयरपोर्ट रेस्टोरेन्टों के विनिवेश पर विचार करती है, जो किसी विशेष होटल से जुड़े हुए होते हैं। चूंकि नई दिल्ली का एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट किसी विशेष इकाई द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, अत: इसका विनिवेश नहीं किया जा रहा है। बंगलौर स्थित एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट को, होटल अशोक बंगलौर के साथ पहले ही पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध पर दे दिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के विनिवेश के तीसरे दौर में, होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता और होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद सहित 9 संपत्तियों के लिए हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने वाला विज्ञापन 1 जनवरी, 2002 को जारी कर दिया गया है। इन दो होटलों से जुड़े एयरपोर्ट रेस्टोरेन्टों का संबंधित होटलों के साथ विनिवेश किया जाएगा।

विनिवेशित/विनिवेश किए जाने वाले तीन रेस्टोरेन्टों में से केवल बंगलौर के एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट ने मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (3.38 करोड़ रु.) का निवल लाभ कमाने की रिपोर्ट दी है। बंगलौर के एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संपन्न लाइसेंस करार की नई शर्तें इस प्रकार है:

1. होटल के नए पट्टाधारक, जो रेस्टोरेन्ट का नया लाइसेंस धारक भी हैं, ने एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट के लिए 1,98,46,153.00 रुपए के कारोबार हस्तांतरण प्रतिफल का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, नया पट्टाधारी रेस्टोरेन्ट के करोबार का 18.5 प्रतिशित वार्षिक का भुगतान करेगा।

2. नई शर्तों के अधीन, नए लाइसेंस धारक को पिछली शर्तों के अनुसार 10 लाख रुपए की तुलना में, पहले वर्ष में न्यूनतम, 1.10 करोड़ रुपए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देने होंगे।

3. लाइसेंस शुल्क के एक भाग में (पहले वर्ष में 30 लाख रुपए) हर वर्ष 10 प्रतिशत की संचयी वृद्धि हो जाएगी।

4. इसके अलावा, नए लाइसेंस धारक ने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 51,60,000.00 रुपए की जमानत राशि और बिजली तथा पानी प्रभार के लिए 19,80,000.00 रुपए का भुगतान किया है, जिसका भुगतान अपनी वित्तीय तंगी के कारण भारत पर्यटन विकास निगम नहीं कर पा रहा था।

इस प्रकार बंगलौर के एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट के विनिवेश के परिणामस्वरूप सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ है अपितु उसने लाभ अर्जित किया है।

मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए औरंगाबाद के एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट ने 1.39 लाख रुपए और कोलकाता के एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट ने 1.05 करोड़ रुपए का निवल घाटा होने की रिपोर्ट दी है।

[अनुवाद]

गुजरात में स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए नीदरलैंड से ऋण

2412. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** गुजरात में स्वच्छता संबंधी कार्यों और पेयजल के लिए नीदरलैंड से ऋण के बारे में 4 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 2374 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुजरात में ग्रामीण विकास विभाग ने गुजरात में स्वच्छता के लिए नीदरलैंड से कोई ऋण नहीं लिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वरोजगार योजनाएं

2413. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार और राज्य-वार कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार दिए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि इन श्रेणियों के लोगों के जीवनस्तर को उठाने और उन्हें स्वरोजगार देने के लिए योजनाएं पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के स्वरोजगार हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों के 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनु. जनजातियों से होंगे। विगत तीन वर्षों अर्थात 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान योजना के अंतर्गत किया गया केन्द्रीय आबंटन, सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य बैंक ऋणों और सरकारी सबसिडी की मिश्रित मदद के जरिए गरीब परिवारों को आय सर्जक परिसम्पतियां प्रदान करके उन्हें तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह योजना सामाजिक जागरूकता, ग्रामीण गरीबों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की प्रणाली के माध्यम से उनको स्व-सहायता समूहों में संगठित करके समूह दृष्टिकोण पर जोर देती हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आर्थिक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद स्वरोजगारियों को गरीबी रेखा पार करने में न्यूनतम तीन वर्ष लगेगा।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय संसाधनों, लोगों की अभिरुचि, उनके कौशल तथा मुख्य गतिविधियों के रूप में उपलब्ध विपणन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देशों में सहभागिता की प्रणाली के माध्यम से प्रमुख एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान करने तथा चयन करने का पहले से ही प्रावधान किया गया है। प्रत्येक मुख्य गतिविधि के लिए एक परियोजना रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें विभिन्न घटकों अर्थात प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधा तथा विपणन को दर्शाया गया हो।

- उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण अथवा विपणन हेतु चुनिन्दा प्रमुख गतिविधियों के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधा को एस.जी.एस.वाई अवसंरचना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से प्रदान किया जा सकेगा।
- इसी तरह, योजना के अंतर्गत वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत स्वरोजगारियों को क्षमता विकास प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित किया गया है।
- योजना में समूहों के गठन, उनके प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन सहित क्षमता निर्माण के लिए सुविधादाता के रूप में में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का प्रावधान है।
- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन संबंधी निष्पादन की हर स्तर पर निगरानी की जाती है। केन्द्र स्तर पर कार्यक्रम की केन्द्रीय समन्वय समिति राज्य स्तर पर राज्य एस.जी.एस.वाई समिति, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर परिसम्पत्तियों से संबंधित रिपोर्टों और वास्तविक सत्यापन के जरिए निगरानी की जाती हैं।
- योजना के कार्यान्वयन के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए ख्यातिप्राप्त संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से आवधिक समवर्ती मूल्यांकन और मूल्यांकन अध्ययन कराया जाता है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक (जनवरी,2002 तक) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय आवंटन तथा आर्थिक सहायता प्राप्त स्वरोजगारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000				2000-2001				2001-2002			
		केन्द्रीय आवंटन (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या			केन्द्रीय आवंटन (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या			केन्द्रीय आवंटन (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या		
			कुल	अनु. जाति	अनु. जाति		कुल	अनु. जाति	अनु. जाति		कुल	अनु. जाति	अनु जन. जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	6219.55	165190	63491	15929	5303.03	83084	30745	8395	3068.31	60701	21718	6714
2.	अरुणाचल प्रदेश	136.74	3060	0	3060	276.91	1403	0	1403	164.76	436	0	436
3.	असम	3553.09	17974	2216	3886	7195.18	12282	1348	3529	4281.13	1241	239	183
4.	बिहार	20374.56	106393	29876	16684	12616.76	125792	39035	1972	7300.00	113139	34596	1432
5.	छत्तीसगढ़*	-	-	-	0	2800.88	25423	2560	11132	1620.58	10013	1316	4529
6.	गोवा	59.78	0	0	0	50.00	23	2	0	50.00	931	149	-
7.	गुजरात	2341.15	19341	2616	8054	1996.15	292451.	4786	9684	1154.96	15575	2565	4900
8.	हरियाणा	1377.36	17348	8263	0	1174.37	25853	11746	0	679.48	11296	4882	0
9.	हिमाचल प्रदेश	580.06	8638	3163	994	494.67	11647	4394	1588	286.16	6484	2546	506
10.	जम्मू एवं कश्मीर	717.90	5835	एन आर	एन आर	612.10	9302	224	484	354.16	10372	210	684
11.	झारखंड*	-	-	-	-	4755.33	55038	9765	20146	2751.41	27671	4396	12027
12.	कर्नाटक	4696.65	19184	5818	2126	4004.53	29026	9090	2480	2317.00	24105	7697	1949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	2107.37	29485	8133	456	1796.82	37926	10667	797	1039.63	11327	3762	234
14.	मध्य प्रदेश	10327.33	112118	23573	30695	6004.58	71823	18622	19049	3474.22	33619	8243	8208
15.	महाराष्ट्र	9284.11	87994	21329	12869	7915.98	87998	18460	14725	4580.15	41837	9381	7786
16.	मणिपुर	238.19	एन आर	–	–	482.36	0	एन आर	एन आर	287.00	0	–	–
17.	मेघालय	266.87	741	–	741	540.42	1671	0	1671	321.55	2487	0	2487
18.	मिजोरम	61.75	0	0	0	125.06	1352	0	1021	74.41	2383	0	2383
19.	नागालैंड	183.06	4749	0	4749	370.70	1364	0	1364	220.57	1056	0	1056
20.	उड़ीसा	7113.90	74633	15017	18402	6065.56	86171	18850	20499	3509.50	33195	7275	10929
21.	पंजाब	669.38	1694	1046	0	570.73	11990	7028	0	330.22	4251	2384	–
22.	राजस्थान	3566.34	34120	9804	550.7	3040.77	44504	12677	7921	1759.38	22278	6924	3053
23.	सिक्किम	68.38	686	61	288	138.45	2181	104	816	82.38	1161	81	406
24.	तमिलनाडु	5499.44	65427	30203	1309	4689.03	83393	39855	1788	2713.06	35357	16616	932
25.	त्रिपुरा	430.08	8450	1549	2934	870.92	14640	2567	5196	518.20	7570	1177	2814
26.	उत्तर प्रदेश	22422.38	60647	26130	782	18163.60	124064	58390	477	10509.37	73706	32759	194
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	–	954.45	31555	10608	518	552.30	85548	17338	2409
28.	पश्चिम बंगाल	7905.68	88826	26486	5008	6740.66	21230	7615	1061	3900.11	6564	1687	141
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	59.78	795	18	78	50.00	448	0	71	50.00	8	0	0
30.	द.न. हवेली	59.78	एन आर	0	0	50.00	6	4	4	50.00	26	–	26
31.	दमन व दीव	59.78	6	0	6	50.00	0	0	0	50.00	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	59.78	3	0	3	50.00	4	0	4	50.00	0	0	0
33.	पांडिचेरी	59.78	531	147	384	50.00	39	0	39	50.00	259	104	155
	जोड़	110500-00	933868	278938	134944	100000.00	1030473	319146	137834	58150.00	644596	188044	764573

एन. आर: असूचित

* ये राज्य वर्ष 2000-2001 के दौरान बने हैं।

[अनुवाद]

पंचायतों में अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं का आरक्षण

2414. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण लागू करने के लिए देश के कतिपय भागों में एक केन्द्रीय अधिनियम लाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रया है; और

(ग) इस संबंध में संसद में कब तक एक विधेयक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं। संविधान के भाग-IX में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा

2415. श्री सुरेश कुरूप: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा के राज्य-वार कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) ऐसे हमलों में कौन-कौन से संगठन शामिल हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये/आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं; और

(घ) सरकार ने अल्पसंख्यकों के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और इसलिए प्रश्नाधीन मामलों पर आकंड़े/रिकार्ड रखना और इस प्रकार के अपराधों का पता लगाना, उन्हें दर्ज करना और मुकदमा चलाना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का काम है। केन्द्र सरकार इस बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है। केन्द्र सरकार, अपनी तरफ से, सूचना का आदान-प्रदान करती है और चेतावनी संदेह/सलाह भेजती है ताकि संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उपयुक्त कार्रवाई कर सके। साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उनके विशिष्ट अनुरोध पर केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराये जाते हैं और केवल साम्प्रदायिक गड़बड़ी से ही निपटने के लिए त्वरित कार्य बल नामक विशेष बल भी तैनात किया जाता है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी दी जाती है।

देश में शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रभावित करने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

हलांकि, केन्द्र सरकार, कदम उठा रही है जैसा कि ऊपर बताया गया है, यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि सरकार, इस संबंध में अल्पसंख्यक समुदायों की संवेदनशीलता के प्रति अत्याधिक जागरूक है और संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों को बनाए रखने और देश में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण तथा शांति और सौहार्दता को हर कीमत पर बनाए रखने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराती है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

2416. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माध्यमिक स्तर पर आरंभ किये गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो विद्यालयों और महाविद्यालयों में किस स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किये गये हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनके विश्वविद्यालयों द्वारा कौन-कौन से पाठ्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की है;

(च) क्या राज्यों को आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर, पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, व्यावसायिक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या तैयार करता है। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकतानुसार इन पाठ्यक्रमों को स्वीकार करें या उनमें संशोधन करें।

(ग) जी, हां।

(घ) स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर और कुछ कॉलेजों में अवर-स्नातक स्तर पर प्रदान की जाती है।

(ङ) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनके विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू किए जानेवाले पाठ्यक्रमों के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करती है। विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं।

(च) और (छ) नौवीं योजना के दौरान माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी योजना को लागू करने हेतु विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि और अभी तक उनके पास शेष अप्रयुक्त राशियों का ब्यौरा क्रमश संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से 2001-2002 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	1997-98 (रु.)	1998-99 (रु.)	1999-2000 (रु.)	2000-2001 (रु.)	2001-2002 (रु.)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	5920.04
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	6.35
असम	–	–	208.88	28.57	–	1197.78
बिहार	–	–	–	–	–	1686.40
गोवा	–	–	–	10.00	–	806.40
गुजरात	–	–	–	–	1902.72	6830.39
हरियाणा	–	–	124.68	94.28	212.10	3129.82
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	425.90
जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	916.55	–	971.40
कर्नाटक	–	–	–	263.25	–	4287.74

1	2	3	4	5	6	7
केरल	222.67	–	–	1362.22	–	5827.02
मध्य प्रदेश	–	–	–	467.80	31.90	3668.66
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	15024.47
मणिपुर	14.21	–	8.00	98.32	–	266.27
मेघालय	–	–	–	–	–	39.05
मिजोरम	–		111.30	–	–	212.12
नागालैंड	–	–	–	–	–	24.24
उड़ीसा	–	–	–	–	284.83	2388.86
पंजाब	8.00	–	–	–	313.00	2452.13
राजस्थान	–	–	–	–	–	3345.61
सिक्किम	–	–	–	–	3.00	20.84
तमिलनाडु	–	209.00	–	–	–	3318.84
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	29.78
उत्तर प्रदेश	–	271.79	67.14	808.96	907.45	6777.16
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	61.19
अडंमान व निकोबार	–	–	–	–	–	3.24
चण्डीगढ़	–	–	–	22.00	–	273.47
दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	5.25
दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	16.71
दिल्ली	–	–	–	–	–	186.10
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	–	–	22.05	–	25.00	111.45
कुल	252.00	480.79	542.05	4071.95	3680.00	69314.58

विवरण-II

अप्रयुक्त शेष राशियों की अब तक की स्थिति के संबंध में विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अब तक जारी की गई कुल धनराशि (रु. में)	अप्रयुक्त शेष राशि (रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5920.04	1211.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.35	0.35
3.	असम	1197.78	234.02
4.	बिहार	1686.30	171.70
5.	गोवा	806.40	10.52
6.	गुजरात	4927.67	शून्य
7.	हरियाणा	2917.72	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	425.90	12.60
9.	जम्मू एवं कश्मीर	971.40	18.05
10.	कर्नाटक	4287.74	412.07
11.	केरल	5827.02	391.07
12.	मध्य प्रदेश	3636.76	शून्य
13.	महाराष्ट्र	15024.47	1288.00
14.	मणिपुर	266.27	शून्य
15.	मेघालय	39.05	3.15
16.	मिजोरम	212.12	4.99
17.	नागालैंड	24.24	16.24
18.	उड़ीसा	2104.03	शून्य
19.	पंजाब	2139.13	142.18
20.	राजस्थान	3345.61	शून्य
21.	सिक्किम	17.84	9.61
22	तमिलनाडु	3318.84	639.90
23.	त्रिपुरा	29.78	21.34
24.	उत्तर प्रदेश	5869.71	156.00
25.	पश्चिम बंगाल	61.19	24.20
26.	अंडमान व निकोबार	3.24	1.74
27.	चण्डीगढ़	273.47	शून्य
28.	दादरा एवं नगर हवेली	5.25	2.29
29.	दमन एवं दीव	16.71	शून्य
30.	दिल्ली	186.12	46.83
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	86.45	37.98
	कुल	65634.58	4846.33

[अनुवाद]

हुर्रियत द्वारा सीमापार के दोनों ओर से एकीकृत कमान

2417. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हुर्रियत कॉनफरेन्स द्वारा कश्मीर घाटी में सीमा के दोनों ओर से एक एकीकृत राजनैतिक कमान तैयार करने के प्रयास की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कश्मीर ने ऐसी राजनैतिक कमान की मांग पर जोर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या हुर्रियत कॉनफरेन्स विश्वस्तर की महत्वपूर्ण राजधानियों में कश्मीर मिशन का एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) ऐसी रिपोर्टें है कि कश्मीरी निर्वासित समुदाय हुर्रियत कांफ्रेस पर सीमा के दोनों ओर से एक ऐसी एकीकृत राजनीतिक कमान स्थापित करने के लिए दबाव डालता रहा है। हुर्रियत कांफ्रेंन्स द्वारा ऐसे प्रतिनिधि, जो कश्मीर में किसी वार्ता में

भाग ले सकें, चुनने के लिए अपना समान्तर चुनाव आयोग स्थापित करने के उनकी मंशा की घोषणा, इसी दिशा में एक कदम हो सकता है। हुर्रियत कांफ्रेंस के भूतपूर्व अध्यक्ष मीरवायज उमर फारूक ने 16 दिसम्बर, 2000 को अनेक देशों में ए.पी.एच.सी. के कार्यालय खोलने की योजना की घोषणा की थी, परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रतीत होती है। ए.पी.एच.सी. के इस प्रस्ताव की जनता, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों तथा मीडिया ने आलोचना की है तथा यहां तक कि हुर्रियत के कुछ सदस्यों ने भी इस पर प्रस्न खड़े किए हैं। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन की अव्यवहर्यता को देखते हुए इसकी पूर्ण संकल्पना से पहले ही इसके विफल हो जाने के आसार हैं। तथापि, सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं।

विदेशी भाषा शिक्षण संस्थान

2418. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):
श्री के.एच. मुनियप्पा:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस मंत्रालय के अंतर्गत देश में प्रतिष्ठित विदेशी भाषा शिक्षण संस्थानों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन संस्थाओं के रख-रखाव के लिए वित्त पोषण के स्त्रोत क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कोई नया विदेशी भाषा संस्थान स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसा एक संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रतिष्ठित विदेशी भाषा शिक्षण संस्थान इस प्रकार है: जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय, नई दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी और केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद। इन संस्थानके रख-रखाव के लिए वित्त पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वांछित अपराधी

2419. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इंटरपोल से भारत में वांछित 32 आतंकवादियों और अपराधियों को सौंपने के लिए पाकिस्तान को राजी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इंटरपोल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इंटरपोल इन अपराधियों के लिए तथा इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण कर कंधार ले जाने और वर्ष 1992 में हुए मुंबई बम धमाकों में अपराधियों के लिए पहले ही 'रेड कोर्नर नोटिस' जारी कर चुका है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) इन्टरपोल सेक्रेटेरियट जनरल (आई पी एस जी) ने आई. सी.-814 का अपहरण करके कंधार ले जाने से संबंधित मामले में 7 फरार अभियुक्त व्यक्तियों तथा बंबई 1993 में अनेक बम विस्फोटों से संबंधित मामलों में 36 फरार अभियुक्तों के संबंध में रेड कार्नर नोटिस जारी किए हैं। इन्टरपोल एक समन्वयक एजेन्सी है तथा इसके पास न तो आदेश देने का अधिकार है और नहीं ऐसा कोई तंत्र है जो निदेश दे सके अथवा वांछित फरार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने या प्रत्यपर्ण हेतु सदस्य देशों पर दबाव डाल सके।

[हिन्दी]

दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव

2420. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली के लाल डोरा क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार शहरीकृत गांवों में जीवन स्तर को सुधारने और इन गांवों का विकास करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को शहरीकृत गांवों के विकास के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ज) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई की है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में लाल डोरा के अंतर्गत गांवों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

दक्षिणी जिला	–	29
दक्षिणी-पश्चिमी जिला	–	58
पश्चिमी जिला	–	14
उत्तर पश्चिमी जिला	–	86
उत्तरी जिला	–	11
उत्तर-पूर्वी जिला	–	21
पूर्वी जिला	–	07

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) शहरी गावों का नियोजन दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है जिसका उद्देश्य शहरीकृत गांवों का जीवन स्तर बढ़ाना है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) से (ञ) उपर्युक्त (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ में "कापार्ट" द्वारा आरंभ की गयी परियोजनाएं

2421. **श्री पुन्नू लाल मोहले:**
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कापार्ट द्वारा छत्तीसगढ़ में आज की तिथि तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है;

(ख) कापार्ट द्वारा सहायता प्रदान की जा चुकी एजेंसियों को गैर-सरकारी संगठन-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त एजेंसियों में से प्रत्येक एजेंसी को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी, जारी की गयी और कितनी धनराशि व्यय नहीं की गई;

(घ) क्या सरकार को इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण में अनियमितताओं से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) कापार्ट ने राज्य के सृजन से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 2 परियोजनाएं मंजूर की हैं। इन एजेंसियों के ब्यौरे, कपार्ट द्वारा अब तक इन सब को आबंटित और रिलीज की गई निधियों तथा रिलीज न की गई शेष राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य: छत्तीसगढ़

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम तथा स्थान	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	खर्च न की गई राशि
1.	वर्धन सामाजिक संस्थान, ब्लाक चौरय्या, जिला-राजनंद गांव, छत्तीसगढ़	36,19,603	18,09,801	18,09,802
2.	गांधी सेवा आश्रम, नरसिंहपुर में, ब्लाक पंडारी जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	15,92,000	6,14,951	9,77,049
	कुल	52,11,603	24,24,752	27,86,851

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता के लिए राजसहायता

2422. श्री मानसिंह पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में और सार्वजनिक क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए और अन्य स्वच्छता कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी राजसहायता प्रदान की गयी;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत राजसहायता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निजी आवासों एवं सार्वजनिक स्थानों, दोनों में शौचालयों के निर्माण तथा अन्य स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गयी सब्सिडी सहित निधियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इस समय केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

विवरण

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की दी गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (14.3.2002)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1148.93	1074.91	1522.41	1895.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	40.48	73.98	52.80
3.	असम	0.00	133.22	0.00	423.80

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	0.00	729.75	678.69	1663.56
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	229.33
6.	गोवा	0.00	0.00	1.16	0.00
7.	गुजरात	200.00	484.10	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	214.23	62.06
9.	हिमाचल प्रदेश	70.77	42.13	32.49	36.28
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	122.05	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	270.22	601.11
12.	कर्नाटक	498.67	997.19	164.51	62.19
13.	केरल	731.37	253.03	632.99	875.02
14.	मध्य प्रदेश	525.48	438.11	928.82	219.17
15.	महाराष्ट्र	575.28	1838.02	1339.51	54.27
16.	मणिपुर	45.50	8.96	48.08	0.00
17.	मेघालय	35.00	0.00	9.09	0.00
18.	मिजोरम	21.00	1.89	0.00	2.03
19.	नागालैंड	0.00	0.00	118.33	0.00
20.	उड़ीसा	315.82	771.04	971.06	567.83
21.	पंजाब	53.35	0.00	94.25	142.17
22.	राजस्थान	193.76	556.80	1285.23	0.00
23.	सिक्किम	28.00	25.43	2.82	19.99
24.	तमिलनाडु	496.39	1052.49	1016.66	1758.98
25.	त्रिपुरा	24.00	0.00	253.66	364.63
26.	उत्तर प्रदेश	1116.49	737.77	1984.47	1853.10
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	16.21	34.62
28.	पश्चिम बंगाल	304.21	0.00	1300.03	1170.99
29.	अण्ड निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	3.50	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्ष्यद्वीप	3.50	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	3.50	2.50	0.00	47.42
	कुल	6394.52	9187.82	13080.95	12137.05

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्यों की नियुक्ति

2423. श्री ब्रजमोहन राम: क्या ग्रामीण विकास मंत्री जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्यों की नियुक्ति के बारे में 27.11.2001, अतारांकित प्रश्न सं. 1441 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण है; और

(घ) इस जानकारी को कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) अतारांकित प्रश्न सं. 1441 दिनांक 27 नवम्बर, 2001 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में कहा गया था कि प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ऐसा अनुमान है कि निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा।

बालिका समृद्धि योजना

2424. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में बालिका समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को कितना अनुदान प्रदान किया गया;

(ग) क्या योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए कोई केन्द्रीय निगरानी दल गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को निर्मुक्त राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	रुपए लाखों में
1999-2000	304.35
2000-2001	60.00
2001-2002	–

(ग) और (घ) सरकार ने राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु मानक दिशा-निर्देश और शर्तें निर्धारित की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:-

(1) इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए स्कीम और प्रक्रियाओं के बारे में सूचना का प्रसार करना;

(2) स्कीम के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत लाभों के संवितरण का प्रबोधन करना और आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(3) इस स्कीम के अन्तर्गत निधियों के उपयोग की स्थिति-रिपोर्ट समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना।

(ङ) और (च) जी, नहीं। बालिका समृद्धि योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है, जिसके अन्तर्गत पात्र बालिकाओं

को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय शिक्षकों को अनुसंधान कार्य के लिए सहायता

2425. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों से महाविद्यालय शिक्षकों को अनुसंधान कार्य के लिए सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यालय स्तर पर भी अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है। और सभा पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि

2426. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि जारी करने के कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों की इस मांग पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी/जारी की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की रिलीज हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

योजना का नाम	राज्य	रिलीज की गई धनराशि
इंदिरा आवास योजना	आंध्र प्रदेश	18.75
	गुजरात	26.00
	जम्मू और कश्मीर	1.65
	उड़ीसा	247.50
सुनिश्चित रोजगार योजना	उत्तर प्रदेश	5.40
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	आंध्र प्रदेश	4.44
	उड़ीसा	8.43

केन्द्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के आबंटन आधारित कार्यक्रम के तहत कर्नाटक, मिजोरम, तमिलनाडु तथा सिक्किम राज्यों से अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस योजना के लिए अभी तक निधियां जारी नहीं की गई हैं।

विवरण

2001-2002 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	एसजीएसवाई मांग	जेजीएसवाई मांग	पीएसजी एसबाई मांग	एनओएपीएस मांग	एनएफबीएस मांग	एआरडब्ल्यू एसपी मांग	अन्नपूर्णा मांग
1.	आंध्र प्रदेश	4400.00	30.00	–	387.12	580.43	10000.00	639.96
2.	बिहार	–	–	–	523.86	469.63	–	54.79
3.	छत्तीसगढ़	316.77	–	–	–	–	–	–
4.	गुजरात	75.00	–	–	–	–	4000.00	–
5.	हरियाणा	362.50	–	–	–	549.71	1500.00	–
6.	हिमाचल प्रदेश	321.70	–	–	–	93.40	2500.00	–
7.	जम्मू व कश्मीर	178.58	–	–	–	45.20	–	–
8.	कर्नाटक	523.50	–	–	–	137.77	–	–
9.	केरल	519.82	–	15000.00	–	–	–	–
10.	मध्य प्रदेश	1385.36	–	–	340.32	616.27	4438.00	–
11.	महाराष्ट्र	752.96	120.54	–	–	–	10000.00	–
12.	मिजोरम	–	159.12	–	–	–	798.00	–
13.	नागालैंड	–	–	–	–	–	615.00	–
14.	पंजाब	–	–	–	–	–	1500.00	–
15.	उड़ीसा	77.40	–	–	–	2437.91	–	85.53
16.	राजस्थान	532.33	–	–	3566.16	939.50	–	–
17.	सिक्किम	–	–	–	–	–	1500.00	–
18.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	2000.00	–
19.	त्रिपुरा	729.07	–	–	–	–	1000.00	45.65
20.	उत्तर प्रदेश	519.89	–	–	1761.87	284.64	–	–
21.	उत्तराचंल	99.91	–	–	–	–	4500.00	–
22.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	337.29	207.05	–	–

दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करना

2427. श्री नरेश पुगलिया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने दिल्ली की भीड़भाड़ को कम करने की दृष्टि से इस क्षेत्र के लिए स्वयं द्वारा तैयार की गयी एक रिपोर्ट में पांच भूमि उपयोग जोनों, एक समान कर नीति और एकीकृत विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट में अन्य क्या टिप्पणियां/सुझाव शामिल हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 तैयार करने हेतु सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया था। उच्च स्तरीय दल के सुझावों पर सरकार ने आठ अध्ययन दलों को अधिसूचित किया।

दिनांक 23 और 24 जनवरी, 2002 को आयोजित क्षेत्रीय योजना 2021 पर दो दिवसीय सेमिनार में भूउपयोग जोन, समान कर नीति तथा एकीकृत विद्युत प्राधिकरण के बारे में अध्ययन दलों की प्रारूप सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया।

क्षेत्रीय भूउपयोग तथा ग्रामीण विकास संबंधी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 5 भूउपयोग जोनों का सुझाव दिया नामत: (1) विनियमित क्षेत्र जोन (2) प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षण जोन (3) नियोजित हरित क्षेत्र (4) निर्मित क्षेत्र, तथा (5) कृषि क्षेत्र।

संसाधन एकत्रीकरण तथा वित्तपोषण सहित आर्थिक एवं वित्तीय नीति संबंधी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एकसमान कर नीति अपनाने का सुझाव दिया है।

बिजली, जल आपूर्ति, सीवरेज, कचरा निपटान, जल निकासी एवं सिंचाई सहित उपयोगिता तथा अवस्थापना संबंधी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक एकीकृत विद्युत प्राधिकरण का सुझाव दिया है क्योंकि इससे बिजली की सप्लाई में एकसमानता/सुधार लाने और सारे क्षेत्र में समान शुल्क लगाने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय योजना 2021 तैयार करने के दौरान विभिन्न उप-दलों द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जा रहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) का नया पाठ्यक्रम

2428. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न राज्यों द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनाने की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अंतिम रूप दिये गये पाठ्य विवरणों को अपनाने/अनुकूल बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय तथा राज्य शिक्षा बोर्डों के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् केवल अनुशंसा देने वाला निकाय है इसलिए इन पाठ्य विवरणों को अपनाना अथवा नामंजूर करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय और राज्य शिक्षा बोर्डों का कार्य है। तथापि इसके कार्यान्वयन को उच्चतम न्यायालय ने स्थगित कर दिया है और यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सुधार

2429. श्री रामसिंह कस्वां: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 2001 के ''दि टाइम्स ऑफ इण्डिया'' समाचार पत्र में ''डिमॉलिशिंग ओल्ड माइण्डसेट्स फॉर डीडी.ए. मेक-ओवर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) ''ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों'' की परेशानियों व अपार्टमेंटों को बेचने से दिल्ली विकास प्राधिकरण को लाभ का उचित हिस्सा न प्राप्त होना और आवास कर संग्रहण में राजस्व की हानि इत्यादि मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के फ्लैटों के बीच भेदभाव बरतने के बारे में दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की ''मकान गिराऊ दस्ते'' के रूप में बनती जा रही छवि को सुधारने में उनका मंत्रालय कितना सफल रहा है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) समाचार में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख किया गया है:-

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के 40-50% फ्लैट जो उन व्यक्तियों को आबंटित किए गए थे जिन्होंने इस आशय का शपथ-पत्र दिया था कि उनके स्वामित्व में दिल्ली में कोई भूमि/मकान नहीं हैं, इन फ्लैटों को हस्तांतरण हो गया है और डीडीए को इन लेन-देनों से कोई लाभ नहीं मिला है।

(2) नए मालिकों ने इस आशय का कोई शपथ-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया कि उनके स्वामित्व में दिल्ली में कोई भूमि/मकान नहीं है और नगर निकाय फ्लैट के वर्तमान बिक्री दर जिस पर मकान बिका है के स्थान पर मूल कीमत पर ही गृहकर की उगाही करते रहे हैं।

(3) इसी प्रकार, सहकारी समूह आवास सोसायटियों द्वारा निर्मित 30-35% फ्लैट भी हस्तांतरित हो गए हैं और पंजीयक, सहकारी सोसायटी, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम इन सौदों के मूक दर्शक बने रहे।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण बालकनी में शीशे लगाने के मुद्दे को लेकर सहकारी समूह आवास सोसायटियों को परेशान करता है जबकि समान सुविधा सरकारी और डीडीए फ्लैटों में उपलब्ध हैं। इस मुद्दों को भी दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल के ध्यान में लाया गया है।

(ग) डीडीए की नीति के अनुसार सहकारी समूह आवास सोसायटियों द्वारा निर्मित फ्लैटों के आबंटित पट्टाकर्त्ता की पूर्व अनुमति के बिना फ्लैटों का अंतरण/बिक्री नहीं कर सकते। पट्टाकर्त्ता द्वारा विक्रय की अनुमति दिए जाने पर आवंटिती को पट्टाकर्त्ता अंश के रूप में 50% की अनर्जित वृद्धि का भुगतान करना होगा।

परन्तु वर्ष 1992 में रिहायशी संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने को योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अनुसार सामान्य मुखतारनामे तथा विक्रय समझौते के आधार पर किए गए लेन-देन को सामान्य परिवर्तन प्रभार के अलावा $33^{1}/_{3}$% अधिप्रभार का भुगतान करने पर नियमित करने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि डीडीए तथा सहकारी समूह आवास सोसायटी के फ्लैटों की बिक्री के मामले में आवंटिती के कब्जे वाले फ्लैट का मूल्यांकन नए खरीददार द्वारा दी गई लागत के आधार पर तथा "अंतरण शुल्क" अथवा "अंतरण शुल्क प्रतिभूति" के भुगतान के आधार पर किया जाता है और ऐसा न होने पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि गृह कर वसूली में राजस्व की कोई हानि न हो, संपत्ति का मूल्यांकन तुलनात्मक किराया आधार पर किया जाता है।

(घ) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सहकारी समूह आवास सोसायटियों के मामले में अनुमेय ग्राउंड कवरेज, फर्शी क्षेत्र अनुपात, ऊंचाई एवं अन्य अपेक्षाओं में ही किसी अतिरिक्त निर्माण/परिवर्द्धन के लिए स्थानीय निकाय से भवन नक्शे का पूर्वानुमोदन लेना तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा व दिल्ली विद्युत बोर्ड से अनुमोदन लेना आवश्यक है।

तथापि, सहकारी समूह आवास सोसाायटियों में बालकनी में शीशे लगाने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि यह ग्राउंड कवरेज और फर्शी क्षेत्र अनुपात में ही हो और दिल्ली अग्निशमन सेवा की 1×1 मीटर खुलने वाली खिड़की की अपेक्षा को पूरा करता हो। इसके लिए नियमितीकरण/परिवर्द्धन/परिवर्तन नक्शे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त के लिए सोसायटी की आम सभा से संरचना स्थायित्व प्रमाणपत्र के साथ अनुमोदन लेना भी आवश्यक है।

(ङ) डीडीए का मुख्य उद्देश्य मास्टर प्लान प्रावधानों के अनुसार नगर का विकास सुनिश्चित करना है। अत: सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने और भवन निर्माण मानदंडों व उप नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीडीए द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए और अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की जाती है ताकि नगर का विकास व्यवस्थित ढंग से हो सके।

हुर्रियत चुनाव आयोग

2430. श्री जे.एस. बराड़:
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुर्रियत कांफ्रेंस ने अपना स्वयं का एक चुनाव आयोग स्थापित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी प्रभाव क्या होंगे; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) हुर्रियत कांफ्रेंस ने ऐसे प्रतिनिधियों, जो कश्मीर पर होने वाली किसी भी वार्ता में भाग ले सकें, को चुनने के लिए अपना एक समानतंर चुनाव आयोग गठित करने के अपने इरादों के संबंध में 28.10.2002 को एक घोषणा की थी। हुर्रियत के अनुसार, उक्त आयोग, बाद में तैयार किए जाने वाले नियमों द्वारा शासित होगा। हुर्रियत के इस प्रस्ताव की लोगों, बुद्धिजीवी वर्ग, राजनैतिक दलों और मीडिया द्वारा आलोचना की गई और यहां तक कि हुर्रियत के कुछ सदस्यों द्वारा भी इस पर आपत्ति की गई है। ऐसे प्रस्ताव की राजनीतिक या सुरक्षा संबंधी प्रभाव के बारे में कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि हुर्रियत के इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन की अव्यावहारिकता को देखते हुए, इसकी पूर्ण संकल्पना से पूर्व ही इसके निष्फल हो जाने के आसार हैं। तथापि, सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

शहरों से निकलने वाले ठोस कचरे से ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी

2431. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बतौर शहरों से निकलने वाले ठोस कचरे से ईंधन पैदा करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा आकलन परिषद (टाइफैक) ने ठोस कचरे से विद्युत उत्पादित करने हेतु कर्नाटक में एक उपयुक्त औद्योगिक साझीदार की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक देश के किन-किन राज्यों ने ठोस कचरे से ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी को अपनाया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) ने, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाईफैक) की टेक्नो-प्रबंधात्मक सहायता से मुम्बई के निकट देवनगर डम्प यार्ड में पाइलट स्केल स्तर पर नगरपालिकाओं के ठोस कचरों से ईंधन पिलेट्स पैदा करने के लिए एक प्रौद्योगिकी तैयार की है। पूर्णत: स्वदेशी प्रयासों द्वारा अभियांत्रिकीकृत (इंजीनियर्ड), प्राप्त, तैयार एवं स्थापित लगभग 3000 कि.ग्रा. की कैलोरिफिक वैल्यू वाले ईंधन पिलेट्स युक्त 2 टन प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाले पाइलट स्तर के ईंधन पिलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना की गई है। कचरों को ईंधन पिलेट्स में बदलने की प्रक्रिया में प्रारंभिक रूप से सोखन, गैर-दहनयोग्य सामग्रियों, का पृथक्करण, आकार में कमी और पिलेटाइेशन शामिल हैं।

ईंधन पिलेट्स के प्रतिदिन लगभग 210 टन उत्पादन के लिए नगरपालिका के ठोस कचरों का प्रति दिन 700 टन प्रसंस्करण करने के लिए ईंधन पिलेट्स का एक वाणिज्यिक स्तर पर एक संयंत्र टाइफैक के टैक्नो-प्रबंधकीय सहयोग तथा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से हैदराबाद शहर में बताई गई प्रौद्योगिकी द्वारा स्थापित एवं सुव्यवस्थित किया गया है।

इस प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के बारे में जानकारी को टाइफैक और डी एस टी द्वारा व्यापक रूप से प्रचालित किया गया टाइफैक का मुख्य कार्य उभरती प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना और कतिपय संभाव्य निदर्शन योग्य माडलों को तैयार करना है। अन्य स्थानों पर संबंधित नगरपालिकाओं के समन्वय से इसी प्रकार से संयंत्र स्थापित करने का कार्य उद्योगों का है।

[अनुवाद]

सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं की स्थापना

2432. श्री चिंतामन वनगा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) की राज्यवार कितनी प्रयोगशालाएं हैं; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं से कितना राजस्व उपार्जित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) देश में सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या निम्नवत है:

राज्य	प्रयोगशालाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	3
असम	1

1	2
चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	2
दिल्ली	6
गोवा	1
गुजरात	1
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू एवं कश्मीर	1
झारखंड	3
कर्नाटक	2
केरल	1
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	3
उत्तरांचल	2
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	3
कुल	39

(ख) पिछले पांच वर्षों दौरान सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं द्वारा उपार्जित अतिरिक्त बजटीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	बाह्य नकद प्रवाह (करोड़ रुपये)
1996-97	203
1997-98	223
1998-99	221
1999-2000	252
2000-2001	245

जैव-प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना

2433. श्री अनन्त नायक: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एक जैव-प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बोर्ड की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यविधियां तय कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) जैवप्रौद्योगिकी के प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने तथा दीर्घावधिक योजना तैयार करने के लिए और साथ-साथ जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए उक्त क्रियाकलापों को शुरू करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में एक राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1986 में एक अलग बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना के साथ ही अनुसंधान एवं विकास और इसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के और प्रयास किये गये। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) और विभाग की वार्षिक योजना 2002-03 में नई जैवप्रौद्योगिकियों के व्यापारीकरण पर कार्रवाई करने और उसकी गति मे तेजी लाने के लिए जैवप्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को सम्मिलित किया गया है और योजना आयोग के साथ इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्रस्तावित जैवप्रौद्योगिकी विकास निधि का प्रमुख उद्देश्य अधिक विकास और जैवप्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्यसूचक या नये बाजारों पर लक्ष्यित नये उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकियों से जुड़े जैवप्रौद्योगिकी उद्यमों को सहायता प्रदान करना होगा।

भेषज उद्योग

2434. श्री नरेश पुगलिया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वत: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को सौ प्रतिशत तक बढ़ा देने के बाद से औषधि उद्योग में कुल कितना प्रत्यक्ष निवेश हुआ है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा कौन-कौन सी औषधें विनिर्मित की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस औषध कंपनियों द्वारा रोगियों को ठगने से रोकने और इन औषधों का खुदरा मूल्य कम रखने के लिए कोई उपाए किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनु.जनजातियों की सूची में लम्बाडा और सुगाली जातियों को शामिल किया जाना

2435. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास और आंध्र प्रदेश में लम्बाडा और सुगाली जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य किन-किन राज्यों में ये जातियां पाई जाती हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) "सुगाली, लम्बाडा" को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है परंतु तमिलनाडु के संबंध में उन्हें इस तरह से विनिर्दिष्ट नहीं किया है।

(ग) सुगाली और लम्बाडा को अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजाति में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अत: ऐसा ब्यौरा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

पिछड़े जिले

2436. प्रो. दुखा भगत: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सर्वाधिक पिछड़े और निर्धन जिलों की पहचान करने के लिए हाल ही में एक समिति गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अब तक उक्त प्रकार के किन्ही जिलों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ देश के 100 सर्वाधिक पिछड़े और निर्धनतम जिलों की पहचान करने के लिए तत्कालीन प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में वर्ष 1997 में एक समिति गठित की गई थी। पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए समिति द्वारा अपनाए गए व्यापक मानदंडों में लाभ वंचित सूचकांक (गरीबी अनुपात) तथा सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा शामिल थे। समिति ने देश में 100 सर्वाधिक पिछड़े एवं निर्धनतम जिलों की पहचान की। इन जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

समिति द्वारा पहचान किए गए अत्यधिक पिछड़े एवं निर्धनतम जिलों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम
1	2
	बिहार व झारखंड
1.	नालंदा
2.	भोजपुर
3.	रांची
4.	औरंगाबाद
5.	जहानाबाद
6.	गया
7.	नवादा
8.	सारन
9.	सीवान
10.	गोपालगंज
11.	प. चम्पारन
12.	पू. चम्पारन
13.	सीतामढ़ी

1	2
14.	मुजफ्फरपुर
15.	वैशाली
16.	बेगूसराय
17.	समस्तीपुर
18.	दरभंगा
19.	मधुबनी
20.	सहरसा
21.	मधेपुरा
22.	पुर्णिया
23.	कटिहार
24.	खगडिया
25.	मुंगेर
26.	भागलपुर
27.	गोड्डा
28.	साहिबगंज
29.	दुमका
30.	देवघर
31.	गिरडीह
32.	हजारीबाग
33.	पलामू
34.	लोहरदगा
35.	गुमला
36.	प. सिंहभूम
37.	अररिया
38.	किशनगंज
	दादरा व नगर हवेली
39.	दादरा व नगर हवेली

1	2
	हरियाणा
40.	कैथल
	हिमाचल प्रदेश
41.	हमीरपुर
	कर्नाटक
42.	बीदर
	मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़
43.	टीकमगढ़
44.	छतरपुर
45.	पन्नम
46.	सागर
47.	दमोह
48.	खरगौन
49.	खझाडवा
50.	विदिशा
51.	सिहोर
52.	रायसेन
53.	बेतुल
54.	होशंगाबाद
55.	नरसिंहपुर
56.	मण्डल
57.	छिन्दवाडा
58.	सिवानी
59.	बालाघाट
60.	राजनंदगांव
61.	सरगुजा
	महाराष्ट्र
62.	औरंगाबाद
63.	जालना

1	2
64.	परभनी
65.	बीड़
66.	नान्देड
67.	औस्मानाबाद
68.	लातूर
69.	बलडाना
70.	गडचिरोली
71.	यवतमाल
	उड़ीसा
72.	फुलबनी
73.	कालाहांडी
74.	कोरापुट
75.	क्योंझर
	राजस्थान
76.	डंगरपुर
77.	बंसवाड़ा
	सिक्किम
78.	प. सिक्किम
79.	द. सिक्किम
	उत्तर प्रदेश व उत्तराचंल
80.	सीतापुर
81.	हरदोई
82.	उन्नाव
83.	रायबरेली
84.	जालौन
85.	ललितपुर
86.	हमीरपुर
87.	बांदा
88.	फतेहपुर
89.	प्रतापगढ़
90.	बहराइच
91.	बाराबंकी
92.	सिद्धार्थ नगर
93.	महाराजगंज
94.	झांसी
95.	मऊ
96.	कानपुर देहात
	प. बंगाल
97.	कूच बिहार
98.	जलपाईगुडी
99.	मालदा
100.	दार्जिलिंग

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसी विभिन्न जनजातियां

2437. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार में रहने वाली किन-किन जनजातियों के बारे में यह प्रमाणित हो गया है कि वे देश के अन्य भागों से यहां आकर बसी है;

(ख) क्या ये सारी जनजातियां अथवा इनमें से कुछ जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें जनजातियों के रूप में मान्यता देने और आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) कुछ ओरांव, मुंडा, खड़िया के छोटा नागपुर क्षेत्र के समुदाय जिन्हें रांची समुदाय के नाम से जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जा बसे हैं। वे अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि इन द्वीपसमूहों में उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद

2438. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1999 के दौरान अनु.जाति/अनु. जनजाति के संसद सदस्यों के सम्मेलन में यह मांग की गई थी कि सरकारी उपक्रमों, वैधानिक/स्वायत्तशासी संगठनों, निगमों के निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष, सरकार में संयुक्त सचिव तथा इसके समकक्ष और उच्चतर स्तर के पदों के प्रत्याशियों का चयन करने वाली सभी समितियों/बोर्डों में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का सदस्य रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्डों/समितियों ने अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु इनके गठन संबंधी वर्तमान अनुदेशों/प्रणालियों में क्या-क्या संरचनात्मक/संवैधानिक संशोधन किये गये हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय तथा अधीनस्थ विभागों में गत पांच वर्षों के दौरान उक्त पदों पर वर्षवार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है तथा उनमें से अनु.जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार के अधीन पदों/सेवाओं के लिए भर्ती/पदोन्नति हेतु चयन समितियों, चयन बोर्डों, विभागीय पदोन्नति समितियों आदि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल करने से संबंधित दिशानिर्देश और अनुदेश मौजूद हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वैधानिक निकायों/स्वायत्तशासी संगठनों आदि के बोर्ड स्तरीय पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों को चुनने के लिए जाति, मापदण्डों में से एक नहीं है।

(ग) चूकिं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वैधानिक निकायों/स्वायत्तशासी संगठनों इत्यादि के बोर्ड स्तरीय पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चुनाव हेतु जाति एक मानदण्ड नहीं हैं इसलिए जाति के आधार पर सूचना न तो रखी जाती है और न ही उपलब्ध है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में छूट गई जनजातियों को शामिल करना

2439. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में छूट गयी जनजातियों को शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है; और

(ग) अनुसूचित जनजातियों की सूची में उक्त जनजातियों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने उस राज्य में कुछेक समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। स्वीकृत मानदंडों के अनुसार ऐसे दावों के बारे में निर्णय करने के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है।

बड़े नगरों में नोडल एजेंसियां

2440. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक बड़े नगर में आधार संरचना विकास परियोजना के लिए आबंटित धनराशि प्राप्त करने, उसे कार्यान्वयनकारी एजेंसियों तक पहुंचाने और प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए स्थापित की गई नोडल एजेंसी का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद में लागू है।

इस स्कीम के तहत धन राज्य स्तर पर विशिष्ट संस्थान/नोडल एजेंसी के माध्यम से दिया गया।

नोडल एजेंसियों द्वारा शहरी अवस्थापना के विकास के लिए परियोजना से संबंधित वित्त मुहैया कराना अपेक्षित था।

नोडल एजेंसियों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों से 25:25 के अनुपात में अनुदान के रूप में दिया गया तथा शेष 50% राशि नोडल एजेंसी द्वारा वित्तीय संस्थानों एवं पूंजी बाजार से जुटायी जानी थी।

मेगा सिटी स्कीम के लिए नोडल एजेंसियां है:

मुम्बई मेट्रोपॉलिटन रीजन डवलपमेंट अथॉरिटी (एम.एम.आर.डी.ए.), मुम्बई

कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डवलपमेंट अथॉरिटी (के.एम.डी.ए.) कोलकाता

तमिलनाडु अर्बन फाइनांस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन (टी.यू.एफ.आई.डी.सी.ओ.) चेन्नई।

आंध्र प्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनांस डवलपमेंट कारपोरेशन (ए.पी.यू.आई.एफ.डी.सी.) हैदराबाद।

कर्नाटक अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनांस डवलपमेंट कारपोरेशन (के.यू.आई.डी.एफ.सी.) बंगलौर।

विशेष क्षेत्र क्रीड़ा योजना

2441. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1987-88 के दौरान आरम्भ की गई विशेष क्षेत्र क्रीड़ा योजना (एस.ए.जी.एस.) के इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना की समय-समय पर समीक्षा की गई है। हाल ही में 10वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, वर्तमान में, 300 दिनों की बजाय अगले वित्तीय वर्ष से 330 दिन के लिए प्रशिक्षणार्थियों को भोजन और आवास की सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों की कैलोरी संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षणार्थियों के आहार संबंधी प्रभारों में वृद्धि कर दी गई है। प्रशिक्षणार्थियों को अब केन्द्र में आवासीय अथवा गैर-आवासीय दोनों आधारों पर प्रवेश लेने का विकल्प दिया गया है।

(घ) विशेष क्षेत्र खेल योजना (एस.ए.जी.एस.) के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी है।

(ङ) से (छ) एस.ए.जी. योजना के अंतर्गत, खेलों के लिए धनराशि आबंटित नहीं की जाती है परंतु भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के क्षेत्रीय केन्द्रों को क्षेत्र में एस.ए.जी. केन्दों को चलाने के लिए धनराशि सीधे ही प्रदान की जाती है।

विवरण

वर्ष-वार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल योजना (एस.ए.जी.एस.) के अंतर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था

वर्ष	केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1986-87	1	69
1987-88	4	101
1988-89	10	246
1989-90	10	280
1990-91	10	305
1991-92	11	448
1992-93	11	394
1993-94	13	404
1994-95	13	430
1995-96	8	301
1996-97	8	329
1997-98	9	307
1998-99	9	311
1999-2000	8	565
2000-2001	16	1048
2001-2002	16	968

भारतीय पुलिस सेवा में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

2442. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा में अ.जा., अनु.जन.जाति और अ.पि. वर्गों का प्रतिनिधित्व इनके लिए निर्धारित क्रमश: 15%, 7.5% तथा 27% के स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय पुलिस सेवा के संदर्भ में भारत भर में राज्यवार कितने संस्वीकृत पद हैं तथा इनमें भा. पु. से. के राज्यवार ऐसे कितने पद हैं जिन्हें कतिपय सेवा श्रेणियों में राज्य सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति स्वरूप प्रदान किया गया है;

(घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के का.ज्ञा.सं. 36012/2/96-स्था. (आ.) के पैरा 5 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, 2 जुलाई 1997 की स्थिति के अनुसार ऐसे पदों पर अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा सामान्य वर्ग के कितने व्यक्ति कार्यरत थे और ऐसे पदों की संख्या की तुलना में उनका प्रतिशत क्या था; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने पद रिक्त हुए और कितने पदों/रिक्तियों पर अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और सामान्य वर्ग श्रेणियों के व्यक्तियों को रखा गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) भारतीय पुलिस में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा द्वारा की जाती है। भारतीय पुलिस सेवा में, सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों का आबंटन इन श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) 1.11.2001 को भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में राज्यवार स्वीकृत संख्या शक्ति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से केवल सीधी भर्ती में ही किया जाता है। 2.7.97 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों का कार्यान्वयन भारतीय पुलिस सेवा में, सिविल सेवा परीक्षा, 1998 से किया गया। 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा की 3549 की कुल प्राधिकृत संख्या में से सीधी भर्ती के पद केवल 2460 हैं जिनपर 2339 भारतीय पुलिस अधिकारी तैनात हैं। इन 2339 अधिकारियों में से 315, 159, 185 और 1680 अधिकारी क्रमश: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य श्रेणी के हैं। उनकी संबंधित प्रतिशतता 13.46%, 6.79%, 6.90% और 71.82% है। भारतीय पुलिस सेवा में अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण सिविल सेवा परीक्षा, 1994 से ही प्रारंभ हुआ है।

(ङ) सिविल सेवा परीक्षा 1998, 1999 तथा 2000 के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा प्रत्येक वर्ष 36 रिक्तियां भरी गई हैं। सिविल सेवा परीक्षा, 1998 से भा.पु.से. में प्रारंभ किए गए 200 प्वाइंट मॉडल रोस्टर के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा, 1998 से सिविल सेवा परीक्षा 2000 तक के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य श्रेणियों द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं।

वर्ष	सामान्य	अन्य पिछड़े वर्ग	अ.जाति	अ.ज.जाति
1998	21	10	02	03
1999	21	07	05	03
2000	18	09	06	03

विवरण

राज्य का नाम	स्वीकृत संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	194
अरूणाचल प्रदेश-गोवा, मिजोरम सं. शा.क्षे.	162
असम-मेघालय	136
बिहार	163
छत्तीसगढ़	059
गुजरात	149
हरियाणा	125
हिमाचल प्रदेश	072
जम्मू और कश्मीर	120

1	2
झारखंड	087
कर्नाटक	156
केरल	139
मध्य प्रदेश	219
महाराष्ट्र	205
मणिपुर-त्रिपुरा	120
नागालैंड	058
उड़ीसा	159
पंजाब	144
राजस्थान	167
सिक्किम	025
तमिलनाडु	214
उत्तरांचल	042
उत्तर प्रदेश	375
पश्चिम बंगाल	259
कुल	3549

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी/माइक्रो बायोलॉजी केन्द्र को अधिमान्यता

2443. डा. बी.बी. रमैया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैव प्रौद्योगिकी/माइक्रो बायोलॉजी कमीशन को अधिमान्यता प्रदान करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अधिमान्यता हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित पनधारा विकास परियोजना

2444. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने भूमि आधारित क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उपशमन हेतु समेकित पनधारा विकास परियोजना से संबंधित कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई हैं; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान खेड़ा, जूनागढ़, सूरत, भावनगर, भरौच और बलसाड़ जिलों में स्वीकृति हेतु सात परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई हैं। इनमें से जूनागढ़, भावनगर और बलसाड़ जिलों में एक-एक परियोजनाओं तथा खेड़ा जिले में दो परियोजनाएं स्वीकृति के लिए अनुमोदित कर दी गई हैं। भरौच जिले में परियोजना विचाराधीन है। सूरत जिले की परियोजना में कुछेक कमियां पाई गई हैं और राज्य सरकार/संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को इन कमियों को दूर करने हेतु सलाह दी गई है।

समुद्र में अन्वेषण के लिए जीएसआई को निधियों का आवंटन

2445. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तटीय क्षेत्र और गहरे समुद्र में अन्वेषण और अनुसंधान हेतु जी.एस.आई को धनराशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) में आमूल-चूल परिवर्तन

2446. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) में आमूल चूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परिवर्तित योजना के अधीन कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में इन परियोजनाओं को लागू किये जाने की संभावना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र में सुधार आरंभ कर त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को अंशत: पुनर्गठित किया है। इस सुधार में कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित की गयी परिसम्पत्तियों एवं जिस पर वे आश्रित हैं उन संसाधनों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने पर बल दिया गया है। सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की निधियों के 20 प्रतिशत का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) और (घ) गोवा एवं मणिपुर को छोड़कर भारत के समस्त राज्यों के 63 जिलों में क्षेत्र सुधार के कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है। क्षेत्र सुधार परियोजनाओं की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

* ग्रामीणों की अधिकार संपन्नता पर आधारित मांगजनित अभिगम को अपनाना जिससे परियोजना की आयोजना, स्कीम डिजाइन के चयन में निर्णय लेने तथा प्रबंध व्यवस्था में उनकी पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके,
* सरकार की भूमिका को प्रदानकर्ता से बदलकर सुविधादाता बनाना,
* ग्राम स्तरीय क्षमता निर्माण पर ध्यान देना,
* परियोजना कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों के कार्यों को कारगर बनाते हुए समेकित सेवा सुपुर्दगी तंत्र को सुनिश्चित करना,
* प्रयोक्ताओं द्वारा आंशिक पूंजी लागत को तथा संचालन एवं प्रबंध की संपूर्ण लागत वहन करना, तथा
* वर्षाजल संग्रहण तथा भूजल रिचार्ज के माध्यम से स्थायी जल आपूर्ति हेतु संरक्षण उपाय शुरू करना।

केरल में आदर्श आवासीय स्कूल

2447. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य सरकार से मंत्रालय के पास भारत के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक (1) के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक जिला तिरूवंतपुरम में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम वाले आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना की कुल लागत 1042.14 लाख रुपए हैं जिसे 6 वर्ष की अवधि में खर्च किया जाना है।

केरल को हडको द्वारा ऋण

2448. श्री ए.सी. जोस: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को केरल सरकार से राज्य सरकार को हडको द्वारा ऋण प्रदान करने को पुन: बहाल करने संबंधी एक अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुरोध को मान लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऋण प्रदान करने में कौन-कौन सी अड़चने हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आवास तथा शहरी विकास निगम लि (हडको) के निदेशक मंडल ने एजेंसियों पर लागू हडको मानदंडों में ढील देते हुए सरकारी गारंटी वाले ऋणों के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक चूक करने वाली तीन एजेंसियों को 24.99 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुमोदन दिया है। तथापि, केरल

राज्य आवास बोर्ड को ऋण जारी नहीं किया जा सका क्योंकि एकल उधारकर्ता को ऋण देने के लिए विवेकाधीन मानदंडों में ढील देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए समानुपाती अनुदान

2449. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री ए.सी. जोस:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच योजनावार किस अनुपात में खर्च को बांटा गया;

(ख) ऐसी केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसमें योजनावार राज्य सरकारों को समानुपातिक अनुदान की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से समानुपातिक अनुदान देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो या तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चलाई जाती है या सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों/एजेंन्सियों द्वारा क्रियान्वित की जाती है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इंदिरा आवास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम नामक प्रमुख केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच निधियों के व्यय को वहन किए जाने का अनुपात 75: 25 है। समेकित वाटरशेड विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्र एवं राज्य के बीच यह अनुपात 11:1 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्तपोषित है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, कार्यक्रम के घटक के आधार पर राज्य का अंशदान शून्य प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक रहता है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य के बीच व्यय का अंशदान 50:50 है। क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार पूंजीगत लागत का 90 प्रतिशत अंशदान करती है और पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत अंशदान लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाना होता है।

(ग) से (ङ) पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू व कश्मीर ने मांग की है कि 90:10 का अनुपात अपनाते हुए राज्य के अंशदान को घटाया जाए। अन्तर मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं इसी के समान राज्यों में ऐसी वित्त पोषण पद्धति को अपनाने की सिफारिश की है।

(च) मंत्रालय की योजनाओं को सामान्त: जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं/ग्राम विकास परिषदों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों को भी वाटरशेड विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण आवास योजनाओं और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन में शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

पॉलिमेटॉलिक नोडयूल्स संबंधी विशेषज्ञ समिति

2450. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **महासागर विकास मंत्री** पॉलिमेटॉलिक नोड्यूल्स संबंधी विशेषज्ञ समिति के बारे में 18.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4331 के उत्तर संबंधी में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पॉलिमेंटॉलिक नोडयूल्स कार्यक्रम (पीएनपी) के आकलन हेतु उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिस पर विभाग ने आवश्यक कार्रवाई की है;

(ख) क्या सरकार ने वांछित परिणाम प्राप्त कर लिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप प्रारंभ एवं क्रियान्वित किए गये।

(1) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

(2) प्रौद्योगिकी विकास (खनन)

(3) प्रौद्योगिकी विकास (निष्कर्षण धातुकर्म)

(4) पर्यावरणनीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

(ख) और (ग) जी, हां। विभिन्न घटकों के संबंध में उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है

सर्वेक्षण एवं अन्वेषण:

भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समुद्र विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन के अंतर्गत मध्य हिन्द महासागर बेसिन में 1,50,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आबंटित किया गया था। संसाधन क्षमता एवं बहुलता पैटर्न का स्थायी रूप से निर्धारण करने के एक भाग के रूप में उत्तरोत्तर समीप ग्रिड पर नमूने लिए गए। मूल्यांकन की वैधता एवं गुणवत्ता एवं विुपलता को अद्यतन बनाने के लिए 5 कि.मी. ग्रिड पर चुने गये खण्डों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारम्भ किया गया है।

अग्रणी निवेश के रूप में भारत को इस क्षेत्र का 50% भाग क्रमिक रूप से छोड़ना है। भारत 30% क्षेत्र पहले ही क्रमिक रूप से छोड़ चुका है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस क्षेत्र का शेष 20% भाग छोड़ने की सिफारिश की गई।

प्रौद्योगिकी विकास (खनन):

पिंडिका खनन हेतु प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रमुख परियोजना उथला बालू खनन प्रणाली की संरचना हेतु प्रारंभ की गई। बालूयुक्त समुद्र संस्तर पर प्रचालन हेतु अभिकल्पित क्रालर उचित पंपिंग, कटिंग यत्र, मनीपुलेटर एवं नियंत्रण प्रणालियों से सज्जित किया गया। इस प्रणाली से 410 मीटर गहराई से मृदा कर्दम को सफलतापूर्वक पंप से निकाला गया। 6000 मीटर तक की गहराई के लिए एकीकृत अंतर्जल पिंडिका खनन प्रणाली की डिजाइन तैयार की गई है और दसवीं योजना के दौरान इसे तैयार किया जाएगा।

केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा अभिकल्पित और निर्मित 250 मीटर गहराई में प्रचालन में सक्षम एक सुदूर प्रचालित वाहन के कई परीक्षण किए गए। अंतत: प्रणाली का समुद्र प्राचलों के प्रपेक्षण, छायाचित्रण, जलस्तंभ में गतिचालन के कौशल्य आदि इसके अभिकल्पित कार्यों के संबंध में 210 मीटर गहराई में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

प्रौद्योगिकी विकास (धातुकर्म):

बड़े पैमाने पर पिंडिकाओं से धातु की मात्रा के निकालने हेतु प्रक्रिया (अमोनिकल SO_2 लीच रूट) शुरू की गई है।

धातुकर्म के लिए प्रौद्योगिकी विकास गतिविधि के एक भाग के रूप में पिंडिकाओं से धातुओं के निकर्षण के लिए 500 किग्रा प्रतिदिन क्षमता वाला अर्धनिरंतर प्रत्यक्षण प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में स्थापित किया गया है जो कि इसके प्रचालन व रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। प्रत्यक्षण प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण क्रम से प्रक्रिया मार्ग के मूल्याकंन, इष्टतमीकरण और आर्थिक अध्ययन के लिए प्रक्रिया प्राचल तैयार किए जाएंगे।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन:

पिंडिकाओं के संभावित अन्वेषण का एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन अग्रणी क्षेत्र में आरम्भ किया गया है। समुद्र संस्तर और जल स्तर से संबंधित आधाररेखा पर्यावरणीय और समुद्र वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त करने के बाद विशिष्ट उपकरण का प्रयोग करते हुए पिंडिकाओं का नितलस्थ विक्षोभ खनन किया गया। विक्षोभ के तुरंत बाद तथा एक समय अवधि के पश्चात् उसी परिवेश में पुन:स्थापन प्राचल का अध्ययन किया गया है। मध्य हिन्द महासागर बेसिन में अभिनिर्धारित परीक्षण स्थलों में प्राचलों की निगरानी जारी है।

न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग

2451. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** दिनांक 7.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2404 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और रिपोर्ट के कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आयोग ने व्यक्तियों/एसोसिएशनों/संगठनों से राय/सूचना मांगी थी। प्राप्त सूचना अपर्याप्त थी और आयोग ने अपनी प्रक्रिया चलाने का निर्णय लिया।

तब से आयोग ने मामले की जांच करने के उद्देश्य से कुछ संगठनों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका बयान दर्ज किया है। यह प्रक्रिया जारी है। चूंकि विस्तृत सूचना एकत्र करने में समय लग रहा है, अत: जांच पूरी होने की तिथि बताना इस समय कठिन होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाओं का खोला जाना

2452. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य-मंत्रियों ने सरकार से बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ौसी देशों के साथ सीमाओं को खोलने, तस्करी, शस्त्रों के आवागमन और नशीले पदार्थों की आवाजाही को रोकने तथा व्यापार को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के समक्ष वित्तीय संकट की समस्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों की वित्त व्यवस्था दबाव में रही है जैसा कि वित्तीय घाटा राजस्व घाटा प्राथमिक घाटा आदि जैसे विभिन्न वित्तीय संकेतकों में परिलक्षित है। विगत वर्षों से राज्यों का सकल वित्तीय घाटा मुख्यत: राजस्व (कर/गैर-कर) प्राप्तियों में अपर्याप्त वृद्धि तथा राजस्व व्यय के बढते स्तर के कारण है।

(ग) और (घ) व्यापार (निर्यात एवं आयात) आंकड़े समग्र देश के रखे जाते हैं न कि राज्यों के। पूर्वोत्तर क्षेत्र की वस्तुओं के व्यापार तथा निर्यात को प्रोन्नत करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है। 23.7.2001 को नई दिल्ली में आयोजित शक्ति प्राप्त समिति की चौथी बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार निर्यात प्रोन्नयन योजना तैयार करेगी तथा ऐसे अन्तरों का पता लगाएगी जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। यह निर्णय भी लिया गया कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इस विषय पर पहले की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए ऐसी रिपोर्टें तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों के वाणिज्य सचिवों के नेतृत्व में आर्थिक सहयोग पर समिति का गठन सार्क सदस्यों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग प्रोन्नत करने के लिए किया गया है। भारत और म्यांमार द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए संयुक्त व्यापार समिति/संयुक्त व्यापार आयोग की स्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं।

दिल्ली की सड़कों पर अकुशल ड्राइवर

2453. श्री अरूण कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 2002 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''मेनी मोर अनफिट ड्राइवर्स ऑन दी रोड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001 तथा 2002 के दौरान और दिल्ली की सड़कों पर उनके द्वारा वाहनों के चलाने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) सरकार द्वारा अयोग्य ड्राइवरों की पहचान करने और दिल्ली की सड़कों पर उनके द्वारा वाहनों के चलाने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में किस सीमा तक कमी आने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान (फरवरी 2002 तक) अयोग्य पाये गए सार्वजनिक सेवा वाहनों और स्कूल बसों के चालकों की संख्या क्रमश: 1154 और 1563 है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ में पंचायती राज संस्था

2454. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान की अनुसूची XI के उल्लिखित 29 कार्यों को चंडीगढ़ संघ राज्य प्रशासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इन जमीन स्तर की घरेलू लोकतांत्रिक संस्थाओं को इन कार्यों को सौंपने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अभी तक पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां हस्तांतरिक नहीं की है।

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में विलम्ब होने के कारण मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके जबकि ग्राम पंचायतों के चुनाव जनवरी, 1999 में हुए थे। इन पंचायतों के चुनावों के लम्बित होने की वजह से चण्ड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सका। हालांकि अब शक्तियों के अन्तरण का कार्य चण्डीगढ़ प्रशासन के विचाराधीन है।

(ग) नई दिल्ली में जुलाई, 2001 में सम्पन्न हुए राज्यों के पंचायती राज्य मंत्रियों के म्मेलन में अपनाए गए संकल्प के अनुसरण में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से मार्च, 2002 के अंत तक पंचायतों को शक्तियां अन्तरित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

औषधि अनुसंधान संबंधी निवेश

2455. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधि कंपनियों को औषधि अनुसंधान पर एक वर्ष में कम से कम 10 करोड़ रुपए का निवेश करने हेतु विशेष प्रोत्साहन देने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो अनुसंधान पर प्रतिवर्ष दस करोड़ रुपयों का निवेश करती हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास यूनिटों में 11 मान्यता प्राप्त भेषज कम्पनियों हैं, जिन्होंने वर्ष 1999-2000 या 2000-2001 के दौरान अनुसंधान तथा विकास पर 10 करोड़ रुपए से अधिक व्यय की सूचना दी है।

उर्वरकों का उत्पादन

2456. श्री अनन्त नायक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौंवी योजना के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(ख) क्या उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) दसवीं योजना के लिए क्या अनुमान लगाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) नौंवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोषक के रूप में नाइट्रोजनयुक्त एवं फास्फेटिक उर्वरकों के वर्ष-वार लक्ष्य एवं उत्पादन नीचे दिए गए हैं:

(लाख मी. टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन		फॉस्फेट	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1997-98	96.11	100.86	28.60	29.76
1998-99	106.83	104.80	30.27	31.41
1999-2000	110.67	108.90	33.45	33.99
2000-2001	112.14	109.62	39.93	37.43
2001-2002 अनुमानित	116.59	108.03	49.30	39.45

(ख) और (ग) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने और इस प्रकार उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक उद्योग को सरकार द्वारा वर्तमान निम्नलिखित सुविधायें/रियायतें उपलब्ध कराई गई है:

(1) दनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषय संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने/विस्तार करने के लिए किसी लाइसेंस की सामान्यत: आवश्यकता नहीं है। उद्यमी, पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की

स्थापना करने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहकारी समितियों को, उनको प्रदत्त शक्तियों से आगे ऐसी पूंजी व्यय करने में पूर्व सरकार का अनुमोदन लेना होता है।

(2) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात सम लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत की जाती हो।

(3) वर्तमान में मौजूदा यूरिया क्षमता पर लागू प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता स्कीम के अन्तर्गत उद्यमियों को निवेश पर पर्याप्त लाभ।

(4) नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरक की बिक्री पर रियायत।

(5) नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/वर्तमान एककों के आधुनिकीकरण के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात।

(घ) "दसवीं योजना के लिए उर्वरकों पर कृतिक बल की रिपोर्ट" के अनुसार मौजूदा संयंत्रों में 100% क्षमता उपयोग मानते हुए पोषक रूप में नाइट्रोजनयुक्त एवं फास्फेटिक उर्वरकों के लिए निम्नांकित अनुमान किये गये है:

(लाख मी. टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन	फॉस्फेट
2002-2003	120.58	52.31
2003-2004	121.74	52.31
2004-2005	121.74	52.31
2005-2006	121.74	52.31
2006-2007	129.28	52.31

पोटाशिक उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है क्योंकि देश में इस उर्वरक का कोई वाणिज्यिक रूप से ज्ञात स्त्रोत नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी

2457. श्री राम मोहन गाइडे: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के तहत राज्य-वार गृह स्थलों/आवासों के आवंटन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान हुडको द्वारा राज्य-वार आवास इकाईयों के संदर्भ में निजी आवास हेतु ऋण देने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) नौंवी योजना कार्यदल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार आवास की कमी को दूर करने के लिए नौंवी योजना अवधि (1997-2002) में शहरी क्षेत्रों में कुल 16.76 मिलियन आवासों का निर्माण करना होगा। वर्ष 1991, 1997, 1998, 1999, 2000, और 2001 के लिए नौंवी योजना कार्यदल द्वारा शहरी आवास में अनुमानित राज्य-वार कमी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) आवास राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार की भूमिका एक निर्यात की न होकर समर्थकार की है। केन्द्र सरकार ने शासन के लिए राष्ट्रीय एजेडा में "सब के लिए आवास" को प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एजेंडा में प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त 20 लाख आवासों (शहरी क्षेत्रों में 7 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख) का लक्ष्य रखा जाता है। इस मंत्रालय के अधीन आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको), एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, इस आवास कार्यक्रम के लिए मांग मूलक आधार पर राज्य सरकार की एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त 20 लाख आवास कार्यक्रम के तहत हडको का राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) हडको ने सूचित किया है कि प्राइवेट आवास के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं क्योंकि यह स्कीम मांग मूलक है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2001 में शहरी आवास की राज्य-वार कमी का अनुमान

(दस लाख में)

राज्य/संघ शासित का नाम	1991	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1.1	1.01	0.98	0.96	0.93	0.89
अरूणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
असम	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13
बिहार	0.45	0.41	0.40	0.39	0.32	0.36
गोवा	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
गुजरात	0.35	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28
हरियाणा	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10
हिमाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
जम्मू व कश्मीर	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
कर्नाटक	0.46	0.42	0.41	0.40	0.39	0.37
केरल	0.35	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28
मध्य प्रदेश	0.40	0.37	0.36	0.35	0.34	0.32
महाराष्ट्र	0.85	0.78	0.76	0.74	0.72	0.69
मणिपुर	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
मेघालय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
मिजोरम	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
उड़ीसा	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23
पंजाब	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15
राजस्थान	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1.03	0.95	0.92	0.90	0.87	0.83
त्रिपुरा	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
उत्तर प्रदेश	0.96	0.88	0.86	0.84	0.81	0.77

1	2	3	4	5	6	7
प. बंगाल	0.57	0.52	0.51	0.50	0.48	0.46
अंडमान व निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0.36	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
समस्त भारत	8.23	7.57	7.36	7.18	6.93	6.64

स्रोत:- नौवीं योजना के शहरी आवास पर कार्यदल/एनबीओ

विवरण-II

हडको द्वारा अतिरिक्त 20 लाख आवास कार्यक्रम के तहत राज्य-वार वार्षिक लक्ष्य

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	यूनिट
1	2
आन्ध्र प्रदेश	29388
अरूणाचल प्रदेश	483
असम	20513
बिहार	22535
गोवा	951
गुजरात	27184
हरियाणा	6113
हिमाचल प्रदेश	1645
जम्मू व कश्मीर	5328
कर्नाटक	23923
केरल	12090
मध्य प्रदेश	31697
महाराष्ट्र	44240
मणिपुर	4573
मेघालय	2777
मिजोरम	6218
नागालैंड	2581
उड़ीसा	12423
पंजाब	8935
राजस्थान	25071
सिक्किम	166
तमिलनाडु	33750
त्रिपुरा	2717
उत्तर प्रदेश	40995
प. बंगाल	24210
अंडमान व निकोबार द्वीप	181
चण्डीगढ़	619
दादरा व नगर हवेली	45

1	2
दमन और दीव	60
दिल्ली	7848
लक्षद्वीप	60
पांडिचेरी	679
कुल	400000

दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियां

2458. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए आईएसआई समर्थित आतंकवादी गिरोहों से यह उजागर हुआ है कि पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार और प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम हत्या/अपहरण की सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में सभी महत्वपूर्ण हस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एहतियाती कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आतंकवादियों की योजनाओं को कुचलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) धमकी प्राप्त इन व्यक्तियों को उनके दिल्ली दौरे के दौरान समुचित सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों को भी उनके सुरक्षा प्रबंध सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है।

(घ) दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में पैदल गश्त गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र चौकियां स्थापित करना, आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण, अपराधियों और आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी नजर रखना और उन पर लगातार छापे मारना, विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले मार्किट स्थलों और मनोरंजन स्थलों पर व्यक्तियों और उनके सामान की तलाशी लेना, गेस्ट हाऊसों की तलाशी और प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करना शामिल है।

बैंक खातों को सील करना

2459. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का अनुपालन करते हुए सरकार ने नई दिल्ली में अफगान एयरलाइन एरियाना के अधिकारियों के बैंक खातों को सीलबंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक सीलबंद किए गए खातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक तालिबान से संबंध रखने वाले विभिन्न संगठनों के कितने खातों को सीलबंद किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा तालिबान से जुड़े संगठनों के सभी खातों को सीलबंद करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय भारतीय महिला परिसंघ

2460. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भारतीय महिला परिसंघ ने देश में नाबालिग बालिकाओं के बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए विधेयक को शीघ्र पारित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) मंत्रालय को, भारतीय महिला राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा देश में अव्यस्क लड़कियों के साथ बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं पर व्यक्त चिन्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1995 में एक मसौदा विधेयक नामत: दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 अग्रेषित किया था, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इसे भारत के विधि आयोग को भेजा गया था, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता और भा.द. संहिता का व्यापक पुनरीक्षण कर रहा है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भा.द. संहिता, 1860 पर विधि आयोग ने अपनी 154वीं और 156वीं रिपोर्ट में यौन अपराधों से संबंधित धाराओं में संशोधन करने की सिफारिश की है। चूंकि, दाण्डिक विधि और दण्ड प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है अत: राज्य सरकारों से भारत के विधि आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार देने का अनुरोध किया गया है। क्योंकि राज्य सरकारों से प्राप्त टिप्पणियों/मतों का विश्लेषण करने के बाद ही कोई मत निर्धारित किया जा सकता है अत: यह समय सीमा बताना कठिन है कि विधि आयोग की सिफारिशों पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों को भूमि का आबंटन

2461. श्री रामजी मांझी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दरों पर भूमि का आबंटन पाने वाले विद्यालय उन नियमों एवं शर्तों का पालन कर रहे हैं जिन नियमों एवं शर्तों पर उन्हें भूमि का आबंटन किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो उन विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों से भूमि का कब्जा छुड़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि दिल्ली में पब्लिक स्कूलों को भूमि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि निपटान) नियमावली, 1981 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियत जोन-वार भिन्न दरों पर सामान्य शर्तों व निबंधनों के साथ किया जाता है। भूमि आवंटन की एक अनिवार्य शर्त शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार से सिफारिश/प्रायोजन की है।

जिस स्कूल सोसायटी को भूमि का आवंटन किया गया है उसके व्यावसायिक आचरण का विनियमन प्रायोजन एजेंसी को करना होता है। किन्तु जब कभी उनके व्यावसायिक आचरण के बारे में प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा शिकायत की जाती है तो आवंटन/पट्टा विलेख की शर्तों एवं निबंधनों के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है जिसमें पट्टा परिसमापन भी किया जा सकता है।

सरकारी भवनों में कलाकृतियां

2462. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ ही समय पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी नई सरकारी, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक, भवन परियोजनाओं को कलाकृति वाली होना पहली शर्त होगी;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को यह निर्णय लिया गया था, तत्पश्चात कितनी भवन परियोजनाओं का कार्य पूरा किया गया और इन भवनों में कितनी कलाकृतियां बनायी गयी और इन पर कितनी लागत आई;

(ग) चित्रकारी, स्थापत्य इत्यादि जैसे कलात्मक कार्यों से भवनों को सुसज्जित करने हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने एवं अभिकरणों को नियुक्त करने हेतु प्रावधान न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नई भवन परियोनजाओं के दौरान और विद्यमान भवनों में कलात्मक कार्य किए जाने हेतु पर्याप्त प्रावधान किए जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु दिल्ली नगर कला आयोग ने 01 फरवरी, 2001 को निर्णय लिया है कि परियोजना प्रस्तावों पर आयोग का अनुमोदन पाने के लिए सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में कलाकृतियों के लिए परियोजना लागत की 1% राशि का प्रावधान करने की शर्त का पालन करना होगा।

(ग) से (ङ) सरकारी भवनों के लिए निर्माण लागत के आकलन के.लो.नि.वि. द्वारा कुर्सी क्षेत्र दरों के आधार पर तैयार किए जाते है और इन दरों में कलाकृतियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है अत: इन कलाकृति के लिए सामान्यत: धन का प्रावधान

नहीं किया जाता। तथापि, जहां कहीं वास्तुकीय चित्रकला में विशेष वास्तुकीय कलाकृतियों आदि का समावेश होता है, वहां उनके लिए लागत आकलनों में धन का विशेष प्रावधान किया जाता है।

किफायती एवं सुरक्षित औषधियां बनाना

2463. श्री वाई.वी. राव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जनवरी, 2002 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित सर रिचर्ड साइक्स वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि जैवप्रौद्योगिकी किफायती एवं सुरक्षित औषधियां बनाने में सहायक हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत में किया जा रहा अनुसंधान वर्तमान में किस चरण में है; और

(ग) इस संबंध में अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां। सरकार दिनांक 9 जनवरी, 2002 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित सर रिचर्ड साइक्स के वक्तव्य से अवगत है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने महत्वपूर्ण मानव रोगों से निपटने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये हैं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य जैवप्रौद्योगिकी का प्रमुख बल कम लागत वाली नैदानिकी के विकास, रोग निरोध और चिकित्सीय प्रयोग हेतु टीकों के लिए आनुवंशिक प्रौद्योगिकियों के सृजन, नए औषध वितरण प्रणालियों के निर्माण तथा आण्विक स्तरों पर रोग प्रक्रियाओं एवं असंक्राम्य प्रतिक्रियाओं को समझने पर रहा है। फार्माकोजी नोमिक्स, बायोकम्प्यूटिंग, माइक्रोबियल तथा स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म (एस एन पी) और उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग मधुमेह, तंत्रिकीय विकार एवं कैंसर जैसे रोगों के साथ इनके संबंध पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। स्टेम कोशिका जीवविज्ञान के अनुसंधान तथा अनुप्रयोग को अत्यधिक प्रोत्साहन भी मिला है।

कई नैदानिक आमापन प्रणालियों का विकास एवं मान्यकरण किया गया है तथा उद्योग को इनका हस्तांतरण भी किया गया है। इनमें से कुछ बाजार में भी उतारे गए हैं। कुष्ठरोग के लिए बहु-औषध उपचार के सहायक के रूप में विकसित एक इम्यूनोमॉडुलेटर, जो उपचार की अवधि को कम करने एवं रोग के निवारण में सक्षम है, प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं। कुत्तों में रेबीज़ को नियंत्रित करने के लिए डी एन ए टीके को बाजार में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। 16 आनुवंशिक क्लिनिक एवं परामर्शी एकक कार्यशील हैं और इन्होंने 16.500 प्रभावित परिवारों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

राष्ट्रीय जय-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के तहत कॉलरा, रेबीज, तपेदिक, एच आई वी/एड्स जापानी एन्सेफैलाइटिस और मलेरिया जैसे छः महत्वपूर्ण रोगों के लिए नए कैंडिडेट टीकों के विकास या तो निदान-पूर्व परीक्षण या चरण-I/चरण-II मानव वालंटियर परीक्षणों के अधीन हैं।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान/केन्द्र आण्विक स्तरों पर रोग के आविर्भाव, रोकथाम एवं नियंत्रण पर मूलभूत अनुसंधान उत्साह के साथ चला रहे हैं।

चालू प्रयासों की जारी रखते हुए आने वाले समय में, औषधों के नए लक्ष्यों और बेहतर भविष्यसूचक आण्विक चिकित्सा की पहचान के लिए मानव जीनोम एवं सूक्ष्मजैविक जीनोम अनुक्रमण आंकड़ों के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं के उपयोग पर प्रमुख बल दिया जाएगा।

सांविधिक विकास बोर्डों का विकास अध्ययन

2464. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र के लिए तीन विद्यमान सांविधिक विकास बोर्डों की विकास अध्ययन संबंधी रिपोर्ट को पूरा कर लिया गया है और इसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) योजना आयोग द्वारा ''महाराष्ट्र के विकास बोर्डों का कार्यकरण'' पर मूल्यांकन अध्ययन अभी तक पूरा नहीं किया गया है, हालांकि आंकड़े और संबंधित सामग्री एकत्र करने में काफी प्रगति हुई है। अध्ययन को पूरा करने के लिए समय सीमा का पालन प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जा सका है। योजना आयोग कब तक सरकार को मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, इस बारे में, इस अवस्था में सही-सही समय बताना सम्भव नहीं है।

महिला अधिकारिता

2465. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला अधिकारिता के लिए अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह सफल साबित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया, जिसके उद्देश्य थे: (1) सभी महिलाओं एवं पुरूषों की सक्रिय भागीदारी से महिला मुद्दों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना; (2) महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण में सुधार लाने के लिए कार्रवाई शुरू करना और इसकी गति बढ़ाना; और (3) महिलाओं में आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त माहौल बनाना। वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां चलाई गयीं और नये कदम उठाए गए। इनमें राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति को अंगीकार करना, महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना, महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर एक नया विधेयक पेश करना, स्वयंसिद्धा, जो कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्व-सहायता दल आधारित कार्यक्रम है तथा स्वाधार, जो कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं के लिए है, जैसे नये कार्यक्रम आदि चलाना शामिल था। महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक स्तर पर जागरूकता का सृजन करने में ये सभी कार्यक्रम, गतिविधियां और उपाय सफल रहे हैं।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा फ्लाई एश के समय उपयोग की कार्यविधि का विकास

2466. डा. रामचन्द्र डोम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान ने मृदा सुधार, बंजर भूमि प्रबंधन एवं भारी ढेरों के सुधार हेतु फ्लाई एश के समग्र उपयोग की कार्यविधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे पेटेण्ट के अन्तर्गत शामिल किया गया है और बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक इसका कार्यान्वयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यविधि के अन्वेषणों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) धनबाद के अनुसार उन्होंने मृदा सुधार, बंजर भूमि प्रबंधन तथा बड़े के ढेरों के निपटान हेतु फ्लाई एश के व्यापक उपयोगार्थ तकनीकें विकसित की हैं। इन विकासों को बृहत पायलट परीक्षणों के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है। ये विकास बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अन्तर्गत संरक्षित हैं।

(घ) और (ङ) इस तकनीकी जानकारी के आविष्कार को सीएसआईआर के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बौद्धिक शुल्क प्राप्त होता है।

जल योजनाएं

2467. श्री विकास चौधरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल योजनाओं के संबंध में "बिल्ट, ऑपरेट एवं मेंटेन" के तहत कोई नई रणनीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अतंर्गत कितने जिलों की पहचान की गई हैं और उनमें से प्रत्येक को कितने धन आबंटन किया गया है; और

(घ) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति में बिल्ड ऑपरेट एवं मेंटेन नामक कोई प्रणाली शुरू नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव

2468. श्री के. येरननायडू: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरियाणा सरकार को राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित करने हेतु धन आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों को भी उक्त धनराशि संस्वीकृत की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने 12-16 जनवरी, 2002 के दौरान हिसार में सातवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन के लिए प्रथम किस्त के रूप में 75 लाख रु. की राशि जारी कर दी है तथा जहां तक केन्द्रीय अनुदान का संबंध है, एक करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अधीन, बकाया राशि वास्तविक व्यय का विवरण प्राप्त होने पर, जारी कर दी जाएगी।

(ग) और (घ) एक करोड़ रु. तक की अधिकतम सीमा के अधीन सहायता का प्रावधान वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत केवल राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की संशोधित योजना में ही किया गया था। पूर्व के वर्षों मे, महोत्सव की मेजबानी करने वाली राज्य सरकारों को अनुमानित व्यय के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित वित्तीय सहायता दी गई थी। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात की सरकारों को वर्ष 1998, 1999, 2000 के दौरान, उनके द्वारा की गयी राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए क्रमश: 50.00 लाख रु. 50.00 लाख रु. तथा 48.30 लाख रु. की सहायता प्रदान की गई थी।

गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना

2469. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूकंप के कारण गुजरात में मानव जीवन/पशुधन एवं सामान की हुई क्षति का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कच्छ जिले के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण के लिए संस्वीकृत आवासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ईकाईयों के निर्माण कार्य को पूरा किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसकी जिलावार स्थिति क्या है; और

(च) अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत कितने आवासों को पूरा किया गया है और कितनों का आबंटन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्द्धसैनिक बलों में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

2470. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अर्धसैनिक बलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का राज्यवार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या वर्तमान प्रतिशत सरकारी आदेशों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित प्रतिशित को प्राप्त करने हेतु सिपाहियों की भर्ती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) निर्धारित प्रतिशत को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खालिस्तान आंदोलन

2471. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 दिसम्बर, 2001 के 'दैनिक जागरण' में खालिस्तान के नेताओं की बैठक से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि खालिस्तान समर्थक आंदोलन फिर से शुरू न हो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां। श्रीमान सरकार को सिक्ख तीर्थ यात्री जत्थों के भारत से पाकिस्तान यात्रा के दौरान पकिस्तान में शरण लिए हुए पंजाब के आतंकवादी गुटों और विदेशों में बसे खालिस्थानी समर्थकों की गतिविधियों की जानकारी है। रिपोर्टों के अनुसार, खालिस्तानियों को पाकिस्तान की आई.एस.आई. से लगातार प्रोत्साहन मिलता है। सरकार, खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है और जहां कहीं जरूरत होती है। कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। सरकार ने आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक समिन्वत और बहुआयामी दृष्टिकोण भी अपनाया है जिसमें सीमा पार से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, सूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना, केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच गहन बातचीत, समन्वित कार्रवाई के द्वारा आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं की विफल करना, अधुनातन हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है।

कर्नाटक को धन जारी करना

2472. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2000-2001 के लिए लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास निगम के लिए सहायता अनुदान की धनराशि जारी करने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धन के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगम योजना के अधीन वर्ष 2001-02 के लिए 40 लाख रुपए निर्मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने यह धनराशि एल ए एम पी सोसायटियों की कार्यशील पूंजी के सशक्तिकरण के लिए, हिस्सा पूंजी के सशक्तिकरण के लिए तथा दो संसाधन इकाईयों (प्रोसेसिंग यूनिट) की स्थापना के लिए मांगी है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा उनके इस प्रस्ताव पर मांगा गया ब्यौरा अभी राज्य सरकार द्वारा भेजा जाना है।

बिहार में प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों का गठन

2473. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के प्रत्येक जिले में कितने प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों को स्थापित किया गया है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) बिहार के शैक्षिक जिले जहां प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, में स्थापित ब्लॉक संसाधन केन्द्रों की संख्या और 31.1.2002 तक उन पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:

रु. लाख में

शैक्षिक जिला का नाम	ब्लॉक संसाधन केन्द्रों की संख्या	खर्च की गई राशि
भागलपुर	17	232.73
भोजपुर	17	218.65
दरभंगा	12	108.18
गया	12	134.46
मुंगेर	16	216.44
मुजफ्फरपुर	14	237.61
पूर्णिया	20	195.90
रोहतास	12	217.91
सीतामढ़ी	11	144.28
वैशाली	10	114.19
पश्चिम चंपारण	11	117.81
कुल	152	1938.16

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार कार्यक्रम

2474. श्री सुबोध राय: क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी निधियां आवंटित की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इनके राज्यवार कितने युवा लाभान्वित हुए?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) अनेक केन्द्रीय प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी पैदा करते हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देशभर में कार्यान्वित किए जाते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एन.जे.जी.एस.वाई.) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) और रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। तथापि, ये योजनाएं विशिष्ट रूप से युवकों के लिए रोजगार सृजन के लिए नहीं है। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) पूर्वोत्तर सम्पूर्ण देश के शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करती है।

(ग) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार, इमदाद और उद्यमीय विकास आदि के लिए निधियां उपलब्ध कराती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रति लाभ भोगी को इमदाद परियोजना लागत के 15% की दर से लेकिन अधिकतम 15,000 रु. तक दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक को इसे कार्यान्वित करने वाले बैंकों के माध्यम से लाभ भोगी को इमदाद देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमीय विकास प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभभोगी 1000 रु. तथा सेवा और व्यापार क्षेत्रों के लिए लाभभोगी 500 रुपए की दर से निधियां जारी की जाती हैं। इसके अलावा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रति व्यक्ति 250 रुपए की दर से स्वीकृत ऋण के रूप में आकस्मिकता निधियां भी जारी की जाती है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अधीन 1998-99 से 2001-02 (14.3.2002 तक) की अवधि के दौरान उद्यमीय विकास और आकस्मिकता आदि के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को 362.62 लाख रुपए की राशि जारी की गई। राज्य-वार जारी की गई राशियों के ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अधीन लाभान्वित हुए युवकों की राज्य-वार संख्या को दशाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अधीन 1998-99 से 2001-02 (14.3.2002 तक) की अवधि के दौरान उद्यमीय विकास और आकस्मिकता आदि के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधियां

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	राज्य	वर्ष				कुल
		1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	
1.	असम	138.72	53.88	20.69	42.85	256.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.79	3.03	1.92	1.74	11.48
3.	मणिपुर	5.99	1.02	3.34	4.50	14.84
4.	मेघालय	3.20	4.61	4.79	13.56	26.18
5.	मिजोरम	2.55	2.61	1.45	1.62	8.23
6.	नागालैंड	4.07	1.47	2.94	2.99	11.47
7.	त्रिपुरा	2.11	5.79	2.57	21.40	31.86
8.	सिक्किम	1.08	1.05	0.14	0.15	2.42
	कुल	162.51	73.46	37.84	88.81	362.62

विवरण-II

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लाभान्वित हुए युवाओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	सृजित रोजगार		
		1998-99	1999-2000	2000-01
1.	असम	8288	8775	2301
2.	अरुणाचल प्रदेश	249	323	177
3.	मणिपुर	611	465	504
4.	मेघालय	303	534	609
5.	मिजोरम	56	126	368
6.	नागालैंड	60	110	29
7.	त्रिपुरा	165	366	39
8.	सिक्किम	68	65	60
	कुल	9800	10764	4087

भेषज कंपनियों को आयल लाइसेंस जारी करना

2475. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 2002 के 'द पायनियर' में भेषज कंपनियों को आयात लाइसेंस जारी करने में गंभीर अनियमितताओं के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अनियमितताओं का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने कर्मचारी और अधिकारी पकड़े गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार में उल्लिखित सी बी आई की रिपोर्ट में डा. पी. दास गुप्ता के निवास और कार्यालय पर सी बी आई द्वारा अप्रैल, 2000 के दौरान मारे गए छापे के परिणाम विस्तार में दिए गए हैं, जब 1999 के दौरान वह डी सी जी (आई) के पद से स्थानान्तरित कर दिए जाने पर वह विशेष ड्यूटी अधिकारी (ओ एस डी) थे। डा. दास गुप्ता द्वारा गुड़गांव में सम्पत्ति की खरीद और अपने कुछ विदेशी दौरों के दौरान हवाई यात्रा टिकटों के रूप में आतिथ्य सत्कार के संबंध में ब्यौरों के अतिरिक्त सी बी आई ने भेषज कंपनियों को आयात लाइसेंस जारी करने में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के स्वरूप तथा ब्यौरों की जांच नहीं की है। सी बी आई ने इस मामले में डा. दासगुप्ता और औषध कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप पत्र दायर करने के अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं की। डा. दास गुप्ता अपने निलम्बन के दौरान 31 दिसम्बर, 2001 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

मानसिक रोगियों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निदेश

2476. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह प्रमाणित करने के निदेश दिये हैं कि किसी

भी मनोरोग चिकित्सालय में किसी भी मानसिक रोगी को जंजीरों में बांध कर नहीं रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मानसिक रोगियों को जंजीरों में बांधकर रखने के कारण दुर्घटनाओं में राज्यवार कितनी मौतों की सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्यों से इसकी कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और आयोग द्वारा इस संबंध में क्या और कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां। श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को यह सत्यापित करने के लिए कहा है कि उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी मनोरोग अस्पताल मे किसी भी विक्षिप्त रोगी को जंजीरों से बांध कर नहीं रखा गया है।

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तमिलनाडु राज्य से 28 मौतें सूचित की गई हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़ तथा पांडिचेरी से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शेष राज्यों को शीघ्र अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए स्मरण कराया गया है।

पेस्टनाशक दवाओं का उत्पादन

2477. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में पेस्टनाशक दवाओं का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार पेस्टनाशक दवाओं का आयात और निर्यात दोनों कर रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पेस्टनाशक दवाओं के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई और इनके निर्यात से कितनी राशि अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार पेस्टनाशक दवाओं के आयात को घटाने और इनके उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो दसवीं योजना के लिए इस संबंध में क्या अनुपालन लगाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) पेस्टिसाइड्स के उत्पादन की मात्रा ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं-

(ख) और (ग) आयातित और निर्यातित पेस्टिसाइडों के मूल्य के ब्यौरे संलग्न विवरण-II मे दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारत, कृषि-रसायनों का एक निवल निर्यातक है। आयातों की तुलना में हमारे निर्यात तेज गति से बढ़ रहे हैं। पेस्टिसाइडों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा अपनायी जा रही उदारीकरण नीति के कारण 10वीं योजना में पेस्टिसाइड उद्योग के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

विवरण-I

तकनीकी ग्रेड पेस्टिसाइडों की संस्थापित क्षमता और उत्पादन

(इकाई : टन)

क्र. सं.	उत्पादन	संस्थापित क्षमता	उत्पादन		
			1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5	6
		तकनीकी पेस्टिसाइड्स/इंसेक्टिसाइड्स			
1.	बीएचसी (13% गामा)	37000	0	0	0
2.	डी.डी.टी.	4147	3638	-	3766

1	2	3	4	5	6
3.	मेलाथियन पैराथियन	9450	5227	5894	5103
4.	मिथाइल	4000	2287	1860	1979
5.	फेनिथ्रोथियन	0	0	0	0
6.	डाइमेथोएट	810	1630	1447	822
7.	डी.डी.वी.पी.	3920	2469	2496	2648
8.	क्वीनलफॉस	5580	3433	2218	1569
9.	माइक्रोक्रोटोफॉस	16150	10241	9522	8118
10.	फॉसफिमेनडॉन	5700	2952	3234	113
11.	फोरएट	7550	3804	6140	6044
12.	एथियन	1537	3383	-	3456
13.	एंडोसल्फॉन	10100	8425	8287	7462
14.	फेनबेलीरेट	2130	1819	1394	1153
15.	साइपरमेथ्रिन	4640	3228	3741	3388
16.	एनिलोफॉस	600	980	900	8000
17.	एसिफेट	4800	4758	2884	3347
18.	क्लोरपाइरीफॉस	10340	7240	7513	7000
19.	फोसालोन	1000	911	514	583
20.	मेटासिसटाक्स	0	836	744	583
21.	एवेट	170	185	-	36
22.	फेन्थियॉन	0	212	155	189
23.	ट्राइसाफॉस	0	826	845	750
24.	लिन्डेन	1275	921	1107	473
25.	टेम्फॉस	100	16	6	176
26.	डेटामेथ्रिन	250	178	104	134
27.	अल्फामेथ्रिन	360	69	361	115
	योग	137179	67876	68572	69827

1	2	3	4	5	6
			फंगीसाइड्स		
28.	केप्टान एड केप्टाफाल	1800	1004	1125	1184
29.	थीरम	180	0	0	0
30	ज़ीरम	178	0	–	104
31.	कार्बनडेज़ीन	1215	847	900	712
32.	केलेक्सिन	200	31	35	38
33.	मेन्कोज़ेब	11000	8349	10323	9889
34.	कॉपरक्सीक्लोराइड	1500	66	219	0
	योग	16279	10534	12602	11927
			हर्बिसाइड्स		
35.	2,4-डी	1074	1348	–	1150
36.	बूटाक्लोर	900	670	706	700
37.	मेटामिट्रॉन	500	0	0	510
	योग	3780	2766	2054	2360
			वीडिसाइड्स		
38.	आइसोप्रोटोरॉन	8538	5532	4610	4500
39.	वेसलीन	300	250	0	0
40.	ग्लाइफोसेट	1800	1349	1676	728
41.	पैराक्वेट	4000	0	1374	1400
42.	एलाक्लोर	0	0	0	0
43.	ड्यूरॉन	100	24	0	0
44.	एट्राजाइन	40	0	128	14
45.	फ्लूक्लोरेलीन	300	0	154	50
	योग	15078	7155	7942	6692
			रोडेन्टिसाइड्स		
46.	जिंक फॉसफाइट	860	617	474	615
	योग	860	617	474	615

1	2	3	4	5	6
			फ्युमिगेंट्स		
47.	एल्युमीनियम फॉस.	2300	2014	1842	2463
48.	मिथाइल ब्रोमाइड	300	119	100	60
49.	डाइकोफॉल	150	101	124	108
	योग	2750	2234	2066	2629
	सकल योग	175926	91182	93710	84050

विवरण-II

पेस्टिसाइडों के निर्यात और आयात

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	निर्यात	आयात	अतिरिक्त
1998-99	882	166	716
1999-00	1005	237	768
2000-01	1215	221	994

स्रोत: डीजीसीआईएस

खाद्य पैकेजिंग सामग्रियां

2478. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य सामग्रियों की पैंकिंग के लिए प्लास्टिक के प्रयोग को हटाकर काइटोसन फिल्मों का प्रयोग शुरू करने का है जो पॉलीसेकेराइड के रूप में बहुतायत उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में लोगों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) आर्थिक रूप से उन्नत देशों में प्रोटीनों, पॉलीसैकेराइडों और उनके व्युत्पन्नों से बनाई जाने वाली पैकेजिंग फिल्मों का उपयोग खाद्य सामग्रियों की पैकिंग में बढ़ रहा है। तथापि, इन पैकिंग फिल्मों द्वारा प्लास्टिक को पूर्णतया प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक इकाई केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर ने भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पॉलीसैकेराइड, काइटिन से काइटोसैन फिल्में विकसित की है। शुष्क और आर्द्र दोनों अवस्थाओं में इन फिल्मों में बेहतर तनन/विदारण क्षमता पाई जाती है। कुछेक खाद्य सामग्रियों के पैकेजिंग, अनुप्रयोगों के लिए इन फिल्मों की केवल प्रयोगशाला स्तर पर सफलापूर्वक जांच की गई है। वर्तमान में खाद्य सामग्रियों की पैंकिंग के लिए इन फिल्मों को प्लास्टिक का व्यवहार्य विकल्प नहीं माना जा रहा है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत निधियों का आवंटन

2479. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री ब्रजमोहन राम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की श्रृंखला में सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक राज्यवार और घटकवार कितनी निधियां आबंटित/जारी की गई है और कितनी निधियों का व्यय नहीं किया जा सका है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत महत्ता प्रदान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पुरस्कार

2480. श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री बृजलाल खाबरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पदमश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए क्या आधार और मानक अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पिछले कुछ वर्षों से उन्हें लेकर चल रहे विवदों के मद्देनजर इन पुरस्कारों को प्रदान करने से संबंधित नियमों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) भारत रत्न तथा पदम पुरस्कारों के संबंध में संविधि तथा नियम राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 1955 को जारी की गई, अधिसूचना सं. 1-प्रेस0/55, 2-प्रेस0/55, 3-प्रेस0/55 और 4-प्रेस0/55 में दिए गए हैं। चारों अधिसूचनाओं के विनियम 5 में उन सेवाओं का स्वरूप दिया गया है जिनके लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार:-

(1) भारत रत्न के मामले मे: ''यह परस्कार कला, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए की गई विशिष्ट सेवा तथा उच्च कोटि की लोक सेवा के सम्मान स्वरूप दिया जाएगा।''

(2) पद्म विभूषण के मामले में :- ''यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।''

(3) पद्म भूषण के मामले में :- ''यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।''

(4) पद्म श्री के मामले में :- ''यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।''

भारत रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिशें प्रधान मंत्री द्वारा स्वयं की जाती हैं, जो अपनी इच्छानुसार किसी से भी परामर्श करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसके लिए किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं हैं।

पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है जिसमें विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। पुरस्कार के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय समिति उच्चतम मानकों का प्रयोग करती है।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पनधारा विकास कार्यक्रम

2481. श्री ब्रजमोहन राम:
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी परियोजनाएं लम्बित हैं; और

(ग) इन लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/

अवक्रमित भूमि को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विकसित करने/सुधार करने हेतु तीन कार्यक्रम नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)/ मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों से आमंत्रित नहीं किए जाते हैं बल्कि अभिज्ञात विकास खण्डों में भूमि संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों से आमंत्रित किए जाते हैं।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति के लिए परियोजना प्रस्तावों की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उन लंबित परियोजना प्रस्तावों, जिन्हें किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाता है, पर भी अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के साथ परामर्श से प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु विचार किया जाता है। उन लम्बित प्रस्तावों, जिन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया जाता है, को तब राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाता है। गत तीन वर्षों (1998-99 से 2000-01 तक) तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2001-02 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए प्राथमिकता प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

किसी एक वर्ष में नई परियोजनाएं सामान्यत: चालू परियोजनाओं की देयताओं को पूरा करने के बाद कार्यक्रम के लिए उपलब्ध निधियों, चल रही परियोजनाओं में हुई प्रगति, राज्य में विकसित की जाने वाली बंजरभूमि के क्षेत्र, कार्यान्वयन क्षमता आदि तथा वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ परियोजना प्रस्तावों की समनुरूपता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती हैं। चूंकि परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति गई घटकों जैसे उपलब्ध बजट, मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ परियोजना प्रस्तावों की समनुरूपता, चालू परियोजनाओं में हुई प्रगति आदि पर निर्भर करती है, अत: कोई निश्चित समय-सीमा सूचित नहीं की जा सकती है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2001-02 (15.03.2002 तक) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत प्राप्त तथा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99		1999-00		2000-01		2001-02	
		प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत की गई परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7	6	17	4	10	7	11	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	6	0	0	0	1	1
3.	असम	13	0	11	3	11	11	14	8
4.	बिहार	4	0	4	1	5	0	4	1
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	8	4	15	6
6.	गुजरात	5	6	7	6	13	6	7	5
7.	हिमाचल प्रदेश	4	2	2	5	17	8	7	7
8.	हरियाणा	0	0	0	0	1	1	3	3
9.	जम्मू और कश्मीर	5	2	1	0	0	0	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	झारखण्ड	0	0	0	0	2	2	5	0
11.	कर्नाटक	11	5	15	5	8	0	10	8
12.	केरल	0	0	0	0	4	2	3	0
13.	महाराष्ट्र	24	3	3	5	12	7	8	4
14.	मेघालय	3	0	4	2	5	5	0	0
15.	मणिपुर	14	3	23	1	8	0	5	1
16.	मध्य प्रदेश	2	2	11	11	10	9	17	9
17.	मिजोरम	0	0	2	0	12	7	4	4
18.	नागालैण्ड	1	2	8	2	5	5	5	5
19.	उड़ीसा	11	6	12	1	8	6	9	8
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	3	3
21.	राजस्थान	4	1	9	8	14	9	9	6
22.	सिक्किम	1	1	2	2	4	1	2	2
23.	तमिलनाडु	6	1	17	8	9	9	12	2
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	4	4
25.	उत्तर प्रदेश	22	7	18	9	17	3	11	5
26.	उत्तरांचल	0	0	0	0	19	4	6	6
27.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	0

[अनुवाद]

भूमि संबंधी अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

2482. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उपयुक्त कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण और भूमि संबंधी अभिलेखों के आंकड़े की समुचित निगरानी और उपयोगिता के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निधियां जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ निधियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से उपायुक्त कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए तथा अवसंरचना के सृजन के लिए अतिरिक्त निधियां जारी करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तदनुसार इस मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य को इस प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 59.40 लाख रुपये की राशि जारी की है।

आन्ध्र प्रदेश में जीवन विज्ञान संस्थान की स्थापना

2483. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार जीवन विज्ञान संस्थान की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी सहायता का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों को ऐसे विशेष संस्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जी हां। समझा जाता है कि आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार के पास जीवन विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में भारतीय जीवन विज्ञान संस्थान की स्थापना को सहायता देने का प्रस्ताव है। हैदराबाद विश्वविद्यालय, जो इस उद्देश्य के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि प्रदान करने पर सहमत हुआ है, के कैम्पस में इस स्वायत्तशासी संस्थान का वित्तपोषण प्रमुख औषध निर्माण कम्पनियों के एक समूह द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में किसी तरह की सहायता के लिए भारत सरकार को अनुरोध नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। भारत सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण तथा अवसंरचना हेतु अनुदान संबंधी प्रस्तावों के सभी मामलों में पृथक रूप से विचार किया जाता है?

[हिन्दी]

संशोधित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

2484. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री मोहन रावले:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) क्या कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) देश में ग्रामीण स्वच्छता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील): (क) से (च) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम मुख्य रूप से गरीबी मानदंड पर आधारित राज्यवार आबंटनों के सिद्धांत से हटकर चरणबद्ध तरीके से मांग आधारित जिलावार अभियानोन्मुख दृष्किोण में बदल जाता है। इस कार्यक्रम को संपूर्ण स्वच्छता अभियान कहा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्यों को चिन्हित किए गए जिलों में परियोजनाएं तैयार करनी पड़ती है। एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसमें जागरूकता निर्माण और वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्रों के जरिए मांग को पूरा करने पर और अधिक बल दिया जाता है। अब तक देश में 149 संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में हुई प्रगति नीचे दर्शाई गई है:

स्वीकृत संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं	निष्पादन				
	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	महिलाओं के लिए स्वच्छता परिसर	विद्यालय शौचालय	आंगनवाडी/बलवाडी शौचालय	ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/उत्पादन केन्द्र
149	2214056	209	4030	577	63

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण योजना

2485. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना के संबंधी में की गई कटौती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र से इस कटौती को वापस लेने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.ए.) प्रशासन योजना दिनांक 1.4.1999 से शुरू की गई। वर्ष 1999-2000 के दौरान इस योजना के अंतर्गत आबंटित कुल निधि डी.आर.डी.ए. को बिना किसी कटौती के रिलीज की गई। तथापि, अत्यधिक अथशेष आकस्मिक व्यय, केन्द्रीय रिलीज, न्यून राज्य रिलीज और एस.जी.एस.वाई से अत्यधिक राशि की निकासी के कारण योजना के अंतर्गत 2000-01 के लिए 2307.98 लाख रुपए की कटौती लागू की गई।

(ख) और (ग) हां, कुछ राज्यों ने केन्द्र से लागू की गई कटौती समाप्त करने के लिए कहा था। जहां भी कटौती की बहाली को उचित महसूस किया गया भारत सरकार ने राशि फिर से जारी की ।

तिहाड़ जेल मे बच्चे

2486. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश की विभिन्न जेलों में, विशेषकर तिहाड़ जेल में बिना किसी अपराध के या मामले के निपटान में विलम्ब के कारण बन्द कई बच्चों की स्थिति के संबंध में कोई जायजा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्षों तक अपराधियों की संगति में रहने के कारण उनकी मानसिक प्रवृत्ति के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाए किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) वर्ष 1997-2000 के दौरान राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, गृह मंत्रालय द्वारा "भारतीय जेलों में महिला कैदियों के बच्चों" पर आयोजित अध्ययन के अनुसार 30.6.1997 को देश विभिन्न जेलों में 885 बच्चे अपनी कैदी माताओं के साथ रह रहे थे। 14.3.2002 को तिहाड़ जेल में 62 बच्चे अपनी माताओं के साथ रह रहे थे जो अपने साथ 6 वर्ष तक के बच्चों को रख सकती है। जेल मैनुअल में उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा के संबंध में उपयुक्त देखभाल की व्यवस्था है।

छ: वर्ष से बड़ी आयु के किशोर/दोषी बच्चों को इन जेलों में नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय अपराध शास्त्र तथा विधि विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का ध्यान आकर्षित किया गया है तथा उनके इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विचार करने को कहा गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना

2487. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद के अन्तर्गत ऊपरी भूमि वाले क्षेत्रों के लिए समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना हेतु राज्यवार कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई;

(ख) पूर्वोत्तर-क्षेत्र में परियोजना कार्यनिष्पादन क्या रहा है और इसका वर्षवार/जिलावार वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां क्या है;

(ग) क्या परियोजना का लोगों के आर्थिक जीविका पर असर पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पूर्वोत्तर परिषद की 9वीं योजना के दौरान, असम, मणिपुर, और मेघालय राज्यों को 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 297.19 लाख रु. 340.32 लाख रु. और 928.28 लाख रु. रिलीज किए गए।

(ख) प्रमुख वास्तविक उपलब्धियों में 328 गांवों में 808 स्व-सहायता ग्रुपों का गठन और प्राकृतिक संस्थान प्रबन्धन गुपों का गठन शामिल हैं। जिलेवार वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

(1) स्व-सहायता ग्रुप, माईक्रो-उधार आवश्यकताओं के मुद्दों पर स्थानीय तौर पर विचार करने में सफल रहा। यह, महिलाओं के सशक्तिकरण में भी सहायक रहा। उदाहरण के लिए, उखरूल जिले में, जहां केवल एक ही बैंक चलता है और जहां मितव्ययता और बचत की आदत लगभग हैं ही नहीं, इस परियोजना से महिला स्व-सहायता ग्रुपों को आगे बढ़ने में मदद मिली है और आज तक 22 लाख से अधिक की बचत की गई है।

(2) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन ग्रुपों में आगामी 30 वर्षों के लिए एक भावी-योजना बनायी हैं। इस भावी योजना के आधार पर वार्षिक कार्य-योजनाएं तैयार की जा रही है।

(3) इस परियोजना से इस अनुवर्ती दृष्टिकोण पर जागरूकता भी पैदा हुई है कि लोग अपने उन मामलों के निपटाने में स्वयं सहायक हो सकते हैं जो उनके जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, जैसे स्वास्थ्य, माईक्रो-उधार, पोषक आहार, स्वच्छता, शिक्षा इत्यादि।

इस प्रकार से, परियोजना, अपने संसाधनों के आधार के बेहतर प्रबन्धन के जरिए, लोगों की जीविका में इस प्रकार से सुधार कर सकते है, जो पर्यावरण के संरक्षण और बहाली में सहायक हों।

विवरण

क. परियोजना के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धियां

राज्य	जिला	स्व-सहायता ग्रुपों की संख्या (दिसम्बर, 2001 तक)	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ग्रुपों द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या (दिसम्बर 2001 तक)
मेघालय	वेस्ट खासी हिल्स	65	59
	वेस्ट गारो हिल्स	98	60
असम	उत्तरी कच्छार हिल्स	70	60
	कार्बी अंगलोंग	99	60
मणिपुर	उखरुल	405	33
	सोनापाती	71	56

ख. परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धियां

जिला	31.12.2001 तक प्रयुक्त धन (रु. लाखों में)				
	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
कार्बी	1.21	28.45	49.22	78.59	167.47
उत्तरी कच्छार हिल्स	1.21	20.02	60.28	58.21	139.72
सेहापाती	1.21	16.02	33.97	80.55	131.75
ऊखरुल	1.21	28.23	76.87	102.26	208.57
वेस्ट गारो हिल्स	1.21	23.52	47.30	90.18	162.21
वेस्ट खासी हिल्स	1.21	18.36	58.17	51.13	128.87
कुल	7.26	134.60	325.81	460.94	938.59

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता

2488. श्री वाई.जी. महाजन:
श्रीमती जसकौर मीणा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए निधियां स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास इस संबंध में लम्बित बड़े प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जा रही ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नोट्स/ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का विकास तथा ग्रामीण विकास गतिविधियां शुरू करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को इसे भेजना एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त ऐसे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नोट्स/प्रोजेक्ट की सूची संलग्न विवरण II में दी गयी है। ये प्रस्ताव प्रस्ताव प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण-I

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त गरीबी उपशमन योजनाएं

(मिलियन यू एस डॉलर में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता	हस्ताक्षर की तिथि	समाप्ति की तिथि	एल एन/सी आर राशि	जनवरी,02 तक वितरित
1.	आंध्र प्रदेश-जिला गरीबी पहल परियोजना	आंध्र प्रदेश	आई डी ए	12.5.2000	31.12.2005	111.0	4.736
2.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना	मध्य प्रदेश	वही	5.12.2000	30.6.2006	110.1	3.786
3.	राजस्थान जिला गरीबी पहल परियोजना	राजस्थान	वही	19.5.2000	31.12.2005	100.5	4.027

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का शीर्षक
1.	छत्तीसगढ़	विश्व बैंक की सहायता से छत्तीसगढ़ गरीबी उपशमन कार्यक्रम परियोजना के संबंध में कॉन्सेप्ट पेपर
2.	कर्नाटक	चेतना, कर्नाटक में गरीबी उपशमन के लिए परियोजना के संबंध में कॉन्सेप्ट पेपर
3	तमिलनाडु	तमिलनाडु गरीबी उपशमन पहल परियोजना प्रस्ताव

[हिन्दी]

कतिपय पुस्तकों/प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया जाना

2489 श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय पुस्तकें/प्रकाशन लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पुस्तकों/प्रकाशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक प्रतिबंध लगाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) इस संबंध में समय-समय पर कुछेक पुस्तकें/प्रकाशन सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) चूंकि ''पुलिस व्यवस्था'' राज्य का विषय है, अत: केन्द्र सरकार राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखती हैं। तथापि, जिन पुस्तकों/प्रकाशनों को आयात करने की अनुमति नहीं दी गयी है/जिन्हें अवैध घोषित किया गया है, वे इस प्रकार है: 1999 में (1) इस्लामिक हैवोक इन इंडियन हिस्ट्री, और (2) वेनिटी—इनकारनेट, 2000 में (i) वर्ल्ड जियोग्राफी (ii) नवजातकेर रक्तोक्षरण और (iii) क्रॉम्पटन 1998 इन साईक्लोपीडिया इन सी.डी.रोम।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2490. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन हेतु गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या हाल ही में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन रद्द कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या गोवा मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को आज तक कोई राशि अथवा पेंशन प्रदान नहीं की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पर हुआ व्यय निम्न प्रकार से हैं।

वर्ष	किया गया व्यय (रु. करोड़ों में)
1998-99	177.79 रु.
1999-2000	194.56 रु.
2000-2001	234.55 रु.

(ख) और (ग) 1.4.2001 से आज तक की अवधि के दौरान रद्द की गई पेंशन के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रद्द की गई पेंशन के मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	बिहार	43
3.	कर्नाटक	3
4.	मध्य प्रदेश	1
5.	मणिपुर	116
6.	पंजाब	1
7.	तमिलनाडु	1
8.	त्रिपुरा	5
	कुल	171

पेंशन रद्द करने के मुख्य कारण झूठी सूचना या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना है।

(घ) और (ङ) गोवा मुक्ति संग्राम (गोवा लिबरेशन मूवमेंट) को स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है और इसमें भाग लेने वालों को, जो ''स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन'' के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं, पैंशन प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

समुद्री क्षेत्र का सर्वेक्षण

2491. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के समुद्री क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण से क्या लाभ होने की संभावना है, और

(ग) उक्त सर्वेक्षण कब तक कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सरकार का समुद्र विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र कवेंशन के उपबंधों के अनुसार महाद्वीपीय शेल्फ पर भारत का दावा तैयार करने के लिए समुद्री सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। यह सर्वेक्षण वैज्ञानिक एवं तकनीकी आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए अरब सागर एवं बगाल की खाड़ी में किए जाने का प्रस्ताव है। महाद्वीपीय शेल्फ अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे बढ़ जाएगा। इस दावे को स्वीकार करने के बाद भारत रेखांकित महाद्वीपीय शेल्फ के खनिज संसाधनों पर अपने अनन्य अधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में होगा। यह सर्वेक्षण 2002 एवं 2003 के दौरान किए जाने की संभावना है।

वन भूमि पर अतिक्रमण

2492. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 नवम्बर, 2001 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''ओल्ड रिज हैबिटेशन वरी फोरेस्ट आफिशियल्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट काराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताये गए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दिल्ली में चल रहे भूमि संबंधी भ्रष्टाचार के बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दक्षिण रिज के अन्तर्गत अधिसूचित एवं सभा भूमि पर कुछ अतिक्रमण होने के संबंध में वन विभाग, दिल्ली सरकार ने बताया है। एक सर्वेक्षण किया गया और अतिक्रमणों को हटाने का निर्णय लिया गया है।

(घ) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि जब भी दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के उल्लघंन अथवा अतिक्रमण संबंधी किसी मामले का पता चलता है, अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के प्रवाधानों के अन्तर्गत न्यायिक मामला दायर किया जाता है। इसके अलावा, जिला कार्यबल के मार्फत अतिक्रमणों को हटाने की भी कार्यवाही की जाती है।

कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र

2493. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अभी तक स्थापित किए गए कोयला आधारित उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक बन्द किए गए उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तलचर उर्वरक संयंत्र को इसके हैवी वाटर प्लांट के साथ बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त संयंत्र को पुन: प्रारम्भ करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) देश में रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) और तालचर (उड़ीसा) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ सी आई) के दो कोयला आधारित यूरिया संयंत्र हैं।

(ख) से (च) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों (पी एस यू एस) के निम्नांकित संयंत्रों का उत्पादन सुरक्षा/फीडस्टॉक नियंत्रणों या प्रचालनों की अव्यवहार्यता के कारण बन्द करना पड़ा था:-

(1) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ सी आई) के गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुण्डम (आन्ध्र

प्रदेश) एवं तालचर (उड़ीसा) स्थित अमोनिया-यूरिया एकक। एफ सी आई के .तालचर एकक में हैवी वाटर संयंत्र भी शामिल है।

(2) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच एफ सी) के दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बरौनी (बिहार) एवं नामरूप-I एवं II (असम) स्थिति अमोनिया यूरिया एकक एवं हल्दिया उर्वरक परियोजना (पश्चिम बंगाल)।

(3) पाइराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी पी सी एल) के देहरादून (उत्तरांचल), अमझौर (बिहार) एवं सलादीपुरा (राजस्थान) स्थित एकक।

(4) राष्ट्रीय कोमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ) का ट्राम्बे (महाराष्ट्र) स्थित यूरिया-I एकक।

एफ सी आई के व्यापक पुनर्वास प्रस्ताव इसके तालचर एकक सहित जिसका प्रचालन उच्च उत्पादन लागत एवं निरन्तर बढ़ती हुई हानियों के कारण बन्द कर दिया गया है, एककवार प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर शीघ्र ही सरकार में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने हैं। रुग्ण उर्वरक एककों के पुनरुद्धार का मामला इस प्रयोजनार्थ गठित मंत्रियों के दल को निर्दिष्ट किया गया है।

कस्बों में एकीकृत आधारभूत बुनियादी ढांचे की स्थापना करना

2494. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कस्बों में एकीकृत आधारभूत बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु कोई परियोजना तैयार करके लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के परिणाम के बारे में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) नगरों में बुनियादी अवस्थापना मुहैया कराना संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का दायित्व है। तथापि, वर्ष 1979-80 से लागू छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आईडीएसएमटी) के अन्तर्गत 5 लाख तक की आबादी वाले छोटे एवं मझोले कस्बों को नगर महत्व की निम्नलिखित सुविधाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है:-

* रिंग रोड, मुख्य सड़कें, बाईपास/लिंक रोड़ छोटे पुलों सहित मास्टर प्लान सड़कों का सुदृढ़ीकरण;
* स्थल तथा सेवाएं;
* बस/ट्रक टर्मिनलों का विकास;
* बरसाती पानी की नालियां/नालों सहित मास्टर प्लान नालों का निर्माण/मरम्मत;
* कचरा निपटान;
* नगर/कस्बा पार्कों का विकास
* मास्टर प्लान सड़कों के लिए रोशनी की व्यवस्था;
* बूचड़खाने
* मुख्य सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पार्क, खेल के मैदान, मैरिज हाल, भुगतान करो और उपयोग करो शौचालय आदि।
* साइकिल/रिक्शा स्टैन्ड
* यातायात सुधार तथा प्रबंध योजनाएं शहरों में प्रतिधारक दीवारों और ढलान अवरोध उपायों का निर्माण;
* सामाजिक सुविधाएं विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों के लिए।

वर्ष 1995-96 से केन्द्रीय तथा राज्य अंश अनुदान के रूप में मुहैया कराया जाता है। नगरों के आकार के आधार पर वित्त दिया जाएगा और योजना के तहत वित्तपोषण प्रणाली इस प्रकार है।

नगरों की श्रेणी (आबादी)	परियोजना लागत	अधिकतम केन्द्रीय सहायता	राज्य अंश (अनुदान)	हडको/वित्तीय संस्थागतों से ऋण/अन्य स्त्रोत
ए (<20000)	100	48	32	20(20%)
बी (20000-50000)	200	90	60	50(25%)
सी (50000-100000)	350	150	100	100(29%)
डी (1-3 लाख)	550	210	140	200(36%)
ई (3-5 लाख)	750	270	180	300(40%)

फरवरी, 2002 के अन्त तक छोटे एवं मझोले दर्जे के 1121 कस्बों को योजना में शामिल किया गया है तथा 690.97 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 709.25 करोड़ रु. का व्यय सूचित किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

इस मंत्रालय द्वारा मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्रीय प्रवर्त्तित योजना चलाई जा रही है जो 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख और अधिक आबादी वाले नगरों में लागू है। 31.12.2001 तक पांच मेगा नगरों (मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बंगलौर) में 405 परियोजनाएं अनुमोदित की गई। 28.2.2002 तक 671.59 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश प्रदान किया गया तथा कुल 1983.63 करोड़ रु. का व्यय सूचित किया गया है।

जल आपूर्ति और सफाई राज्य का विषय है अत: राज्य योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं का नियोजन, डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन तथा रखरखाव राज्य सरकारों/शहरी स्थनीय निकायों का दायित्व है। भारत सरकार नीति दिशानिर्देश, क्षेत्र के लिए नीतियां तैयार करने और विभिन्न जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता, जहां कहीं जरूरी हो, उपलब्ध कराने में मदद हेतु उत्तरदायी है। राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 के अंत में 1991 जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे (शहरी) कस्बों में जलापूर्ति योजनाएं क्रियान्वित करने हेतु केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम आरंभ किया था जिसका वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में होता है।

मंत्रालय ने कार्यक्रम प्रारंभ होने से 8.3.2002 तक अनुमानत: 817.70 करोड़ रु. लागत की 654 स्कीमें अनुमोदित की हैं और केन्द्रीय अंश के रूप में मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों को 337.37 करोड़ रू. जारी किए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकारों ने राज्य अंश के रूप में 244.10 करोड़ रु. जारी किए हैं। राज्य सरकारों ने 8.3.2002 तक 383.32 करोड़ का व्यय सूचित किया है। कार्य की प्रगति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया है।

सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए शहरी कम लागत सफाई को केन्द्र प्रवर्तित योजना 1980-81 में शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शुष्क शौचालय को कम लागत जलवाही शौचालयों में परिवर्तित करना और मुक्त किए गए मैला ढोने वालों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना है। स्वीकृत स्कीमों की कुल संख्या, शामिल किए गए कस्बे, जारी धनराशि आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया है।

सरकार ने कस्बों के समेकित विकास के क्षेत्र, जिसमें आवास और निर्माण सामग्री शामिल है, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इस संबंध में दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिसकी प्रति संलग्न विवरण-IV पर दी है।

विवरण-I

छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास योजना के तहत 1979-80 से फरवरी, 2002 तक शामिल कस्बे, जारी की गई केन्द्र सहायता राशि और सूचित व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए कस्बे	जारी केन्द्रीय सहायता	व्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	90	4782.64	8185.12
2.	अरूणाचल प्रदेश	8	143.00	167.62
3.	असम	28	1002.77	1065.88
4.	बिहार	32	856.89	1074.48
5.	छत्तीसगढ़	18	795.47	738.94
6.	गोवा	9	204.00	118.72

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	69	3530.47	5211.23
8.	हरियाणा	18	950.50	1252.36
9.	हिमाचल प्रदेश	15	445.92	630.97
10.	जम्मू व कश्मीर	9	597.82	647.57
11.	झारखण्ड	12	343.76	439.58
12.	कर्नाटक	91	4347.07	4217.05
13.	केरल	38	1914.56	3529.24
14.	मध्य प्रदेश	73	2977.61	3242.92
15.	महाराष्ट्र	108	6496.00	12652.99
16.	मणिपुर	11	377.60	631.52
17.	मेघालय	8	287.90	471.87
18.	मिजोरम	8	431.40	657.40
19.	नागालैंड	9	334.99	499.91
20.	उड़ीसा	52	1833.11	2103.38
21.	पंजाब	33	1489.36	2482.56
22	राजस्थान	48	2413.22	4533.10
23.	सिक्किम	10	250.89	272.05
24.	तमिलनाडु	111	3945.06	5533.92
25.	त्रिपुरा	13	485.21	484.27
26.	उत्तरांचल	3	102.00	113.32
27.	उत्तर प्रदेश	107	4002.92	4969.95
28.	प. बंगाल	78	3261.54	4697.59
29.	अंडमान निकोबार द्वीप	1	92.00	124.00
30.	दादरा एवं नगर हवेली	2	112.22	16.38
31.	दमन और द्वीव	1	23.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	1	25.00	0.00
33.	पॉडिचेरी	7	240.75	159.55
	सकल योग	1121	49096.64	70925.34

विवरण-II

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) वित्तीय प्रगति–1993–94 से 2001–2002 तक

स्थिति: 11.3.2002 तक

(लाख रु. में)

क्र सं.	राज्य	वर्षिक नियतन 01.02	अब तक अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट						आबादी 1991 की जनगणना
			2000-2001		2001-2002		कुल		
			अदद	अनु. लागत	अदद	अनु. लागत	अदद	अनु. लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	297.73	शून्य	–	7	1494.40	7	1494.40	101578
2.	अरूणाचल प्रदेश	71.74	2	2467.00	शून्य	–	2	2467.00	34288
3.	असम@	473.91	12	2357.77	शून्य	–	12	2357.77	137488
4.	बिहार	261.96	8	711.44	शून्य	–	8	771.44	110383
5.	छत्तीसगढ़	264.64	17	1117.90	10	1047.27	27	2165.17	325069
6.	गोवा	57.22	2	51.13	2	301.22	4	352.35	38485
7.	गुजरात	489.06	19	2750.15	6	349.31	25	3099.46	380325
8.	हरियाणा@	190.44	22	3562.08	1	144.44	23	3676.52	308343
9.	हिमाचल प्रदेश@	71.53	8	1249.07	2	995.18	10	2244.25	48513
10.	जम्मू व कश्मीर@	44.70	4	766.83	शून्य	–	4	766.83	34228
11.	झारखण्ड	194.91	9	1490.64	शून्य	–	9	1490.64	109980
12.	कर्नाटक@	589.19	25	4345.68	4	1091.40	29	5437.08	397018
13.	केरल	211.00	5	1223.52	शून्य	–	5	1223.52	73751
14.	मध्य प्रदेश	1105.07	83	7414.11	शून्य	–	83	7414.11	965026
15.	महाराष्ट्र	579.36	20	4906.52	शून्य	–	20	4906.52	298729
16.	मणिपुर	150.00	15	1739.67	1	141.09	16	1880.76	141670
17.	मेघालय	28.26	2	581.73	शून्य	–	2	581.73	18203
18.	मिजोरम	78.26	7	948.43	शून्य	–	7	948.43	34570
19.	नागालैंड	36.96	2	902.81	शून्य	–	2	902.81	24011
20.	उड़ीसा	365.67	20	2908.98	शून्य	–	20	2908.98	258050
21.	पंजाब	200.27	9	579.22	शून्य	–	9	579.22	103433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	राजस्थान@	561.48	35	3826.55	6	932.82	41	4759.37	584667
23.	सिक्किम	10.87	1	115.68	शून्य	–	1	115.68	3880
24.	तमिलनाडु	558.79	34	4457.52	2	1280.14	36	5737.66	472850
25.	त्रिपुरा@	100.00	5	1233.08	1	267.25	6	1500.33	71124
26.	उत्तर प्रदेश@	2068.88	190	14890.34	36	2974.04	226	17864.38	2530941
27.	उत्तरांचल@	144.84	11	2587.58	शून्य	–	11	2587.58	95062
28.	पश्चिम बंगाल	293.26	8	1407.29	1	128.84	9	1536.13	100962
	कुल	9500.00	575	70652.72	79	11117.40	654	81770.12	7802627

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति लागत रैंज (रुपये में)	जारी राशिया (केन्द्र अंश)							जारी राज्य सूचित खर्च अंश		माह तक की प्रगति सूचित
			8वीं योजना के दौरान	97-98 दौरान	98-99 के दौरान	99-2000 के दौरान	2000-2001 के दौरान	2001-02	कुल			
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	आन्ध्र प्रदेश	331-2919	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.00		शून्य	–	–	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	5394-8372	83.29	21.16	0.00	149.08	50.00		303.53	203.68	1167.21	सित.1
3.	असम@	787-4486	194.11	140.00	198.87	324.26	0.00		857.24	643.74	669.73	जन.01
4.	बिहार	490-1096	94.50	0.00	192.75	319.47	0.00		606.72#	143-76	342.39	जन.01
5.	छत्तीसगढ़	299-1990						49.60	49.60	392.07	770.13	दिस.01
6.	गोवा	202-306	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00		25.58	25.85	51.41	दिस.97
7.	गुजरात	109-1809	55.62	0.00	0.00	347.25	386.10	377.01	1365.98	798.32	1483.10	जन.01
8.	हरियाणा@	473-3582	228.10	87.03	130.19	259.56	438.85	637.31	1781.04	1159.93	1503.68	दिस.01
9.	हिमाचल प्रदेश@	1035-17138	118.10	44.95	58.95	156.50	125.25	120.78	624.53	851.34	1368.28	दिस.01
10.	जम्मू व कश्मीर@	1603-2587	63.97	41.61	20.75	183.90	0.00		310.23	295.98	450.62	जन.01
11.	झारखण्ड	382-3941								164.77	77.79	मार्च01
12.	कर्नाटक@	194-2882	237.85	179.96	298.08	465.91	555.80	435.24	2172.84	1124.16	2511.60	जून01
13.	केरल	1167-2060	138.83	64.39	85.50	67.69	127.68	127.67	611.76	515.00	383.18	दिस.01
14.	मध्य प्रदेश	171-2903	1084.94	417.98	626.72	936.56	559.76	590.44	4216.4##	2253.62	3136.84	सित.01
15.	महाराष्ट्र	132-4858	386.91	271.80	393.94	369.01	437.92	593.68	2453.26	2482.00	3398.41	सित.01

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16.	मणिपुर	280-3265	143.19	90.99	63.16	160.51	206.00	241.26	905.11	307.45	699.98	सित.01
17.	मेघालय	1633-3222	58.90	38.92	0.00	0.00	96.53	96.52	290.87	101.57	199.38	मार्च01
18.	मिजोरम	839-5758	23.24	51.68	76.95	63.42	138.11	120.82	474.22	203.54	644.15	दिस.01
19.	नागालैंड	2605-4385	52.33	34.36	17.51	175.80	85.98		365.98	445.43	824.87	नव.00
20.	उड़ीसा	368-2488	289.73	156.62	258.00	258.62	245.79	245.73	1454.49	662.87	1509.08	सित.00
21.	पंजाब	370-1131	184.13	0.00	0.00	105.48	0.00		289.61	289.00	495.90	दिस.01
22	राजस्थान@	81-2856	803.69	171.52	324.81	0.00	306.74	306.52	1913.28	1571.86	2864.70	मार्च.01
23.	सिक्किम	2981	0.00	0.00	0.00	28.92	0.00	28.92	57.84	28.92	62.88	सि.01
24.	तमिलनाडु	61-3495	195.95	205.46	234.91	521.36	535.54	535.54	2228.76	1834.76	3414.95	जन.02
25.	त्रिपुरा@	1339-3348	5.16	0.00	42.11	91.44	175.25	302.58	616.54	125.00	263.71	सित.00
26.	उत्तर प्रदेश@	232-2385	2031.34	776.57	932.83	1515.26	1680.19	1794.60	8730.79$	7563.13$	9102.65	दिस.01
27.	उत्तरांचल@	511-7990						327.03	327.03		586.77	सित.01
28.	पश्चिम बंगाल	797-2578	16294	0.00	43.97	0.00	248.51	248.22	703.64	222.27	391.04	जन.01
	कुल	6862.40	2795.00	4000.00	6500.00	6400.00	7179.47	337936.87	24410.02	38574.33		

#-झारखण्ड अंश शामिल; ##-छत्तीसगढ़ अंश शामिल; $-उत्तरांचल अंश शामिल; @-संशोधित लागत

विवरण-III

सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत के शहरी सफाई की केन्द्र प्रवर्तित योजना

योजना की उपलब्धियां (26.1.2002 तक)

1.	कुल स्वीकृत योजनाएं	845
2.	शामिल कस्बे	1248
3.	स्वीकृत योजनाओं की परियोजना लागत	1431.13 करोड़ रु.
4.	स्वीकृत सब्सिडी	484.92 करोड़ रु.
5.	स्वीकृत ऋण	590.50 करोड़ रु.
6.	हडको द्वारा राज्यों को दी गई सब्सिडी	246.68 करोड़ रु.
7.	हडको द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण	278.60 करोड़ रु.
8.	परिवर्तन के लिए स्वीकृत इकाइयां	16,90,029
9.	निर्माण के लिए स्वीकृत इकाइयां	18.47,884
10.	स्वीकृत योजनाओं के पूरा होने पर मुक्त होने वाले स्कैवेंजर	1,14,478

11.	पूरे किए गए कुल परिवर्तन/निर्माण कार्य	14,11,484
12.	परिवर्तन/निर्माण, जिनका कार्य चल रहा है	3,22,105
13.	मुक्त किए गए स्कैवेंजर	37,430
14.	स्कैवेंजर फ्री घोषित किए गए नगर	387

9वीं योजनावधि के लिए 200 करोड़ रु. का प्रस्ताव था परन्तु भारत सरकार सब्सिडी के रूप में हडको को केवल 117.75 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार है:-

1997-98	26.80
1998-99	23.80
1999-2000	27.35
2000-2001	29.80
2001-2002	10.00
योग	117.75

विवरण-IV

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं सवंर्द्धन विभाग
एस.आई.ए.(एफ. सी. प्रभाग)

प्रेस नोट सं. 3 (2002 सिरीज)

विषय: आवास और भवन सामग्री सहित एकीकृत कस्बों के विकास के लिए विदेश प्रत्यक्ष निवेश हेतु दिशानिर्देश।

सरकार ने प्रेस नोट से. 4 (2001 सिरीज) के तहत आवास, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों, रिसार्टो, शहर व क्षेत्र स्तरीय शहरी अवस्थापना सुविधाओं यथा, सड़कें व पुल, जन द्रुतगामी परिवहन प्रणालियों तथा भवन सामग्रियों के निर्माण सहित एकीकृत कस्बों के विकास की अनुमति दी है। भूमि का विकास करना तथा संबंद्ध अवस्थापना मुहैया कराना कस्बों के विकास का एक अभिन्न अंग होगा।

2. एकीकृत कस्बों के विकास के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा:-

(1) निवेश की इच्छुक विदेशी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी के रूप में पंजीकृत की जाएगी और तब एकीकृत कस्बों के विकास के एक भाग के रूप में भूमि जुटाने और इसका विकास करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी मामलों पर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सिफारिश पर एफआईपीबी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ऐसे मामलो को देखने के लिए एक अलग से सैल स्थापित करेगा।

(2) निवेश की इच्छुक कम्पनी का मूल कारोबार एकीकृत कस्बों का विकास करना हो और अन्यत्र ऐसी परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन करने का उसका रिकार्ड रहा हो।

(3) ऐसी कम्पनी द्वारा विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र 100 एकड़ होना चाहिए, इसके लिए स्थानीय उपनियमों/नियमों के अनुसार मानदंडों व मानकों का अनुसरण किया जाए। ऐसे उपनियम/नियम न होने पर निदेशक द्वारा करीब 10 हजार आबादी के लिए कम से कम दो हजार रिहायशी मकान विकसित करने होंगे।

(4) निवेश करने वाली विदेश कम्पनी, एक बार प्रस्ताव अनुमोदित होने पर अपना सुनिश्चत लक्ष्य प्राप्त करेगी।

(क) न्यूनतम पूंजीगत मानदंड, पूर्णतया अपने स्वामित्व वाले उद्यम के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डालर तथा भारतीय भागीदार/भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डालर होगा। उसको ये धनराशि पहले लानी (अपफ्रंट) होगी।

(ख) मूल निवेश वापसी की अनुमति से पहले, न्यूनतम पूंजी समाप्ति से तीन वर्ष की न्यूनतम लाक-इन अवधि लागू होगी।

(ग) भूमि के प्रथम भाग का कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्षों के भीतर एकीकृत परियोजना विकास का कम से कम 50% पूरा हो जाना चाहिए। तथापि, निवेशक यदि अपरिहार्य कारणवश पहले ही उसे छोड़ना चाहता

है तो एफआईपीबी द्वारा मामला-दर मामला आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा।

(5) भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग संबंधी शर्तें, विकास प्रभार, बाह्य विकास प्रभार तथा अन्य प्रभार, जो मास्टर प्लान/उपनियमों में निर्धारित है, ले आउट व भवन योजना तैयार करना, आन्तरिक व परिधीय विकास, अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास, जिनमें ट्रंक सेवा शामिल है, आदि की जिम्मेदारी निवेशक की होगी, जैसा कि नियोजन मानदंडों के न होने पर हर राज्य सरकार अपनी शर्तें तय कर सकती है, जिनके लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा परिचालित शहरी विकास योजना विनिर्माण एवं कार्यान्वयन दिशानिर्देश मार्गदर्शी सिद्धांत का काम करेंगे।

(6) पुलिस स्टेशन, मिल्क बूथ जैसी परिधीय सेवाओं के लिए जुटाई गई भूमि सरकारी/स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, को नि:शुल्क सौंपी जाएंगी।

(7) विकासक, (1) स्कूलों (2) शॉपिंग कम्पलैक्स (3) सामुदायिक केन्द्र (4) राशन की दुकान (5) अस्पताल/ डिस्पेंसरी जैसी सामुदायिक सेवाओं के लिए भूमि रखेगा। इन सेवाओं को विकासक स्वयं विकसित करेगा और मकानों का कब्जा देने से पहले इन्हें चालू कर दिया जाएगा।

(8) विकासक खेल के मैदान, पार्क आदि का समुचित विकास करने के बाद इन्हें स्थानीय प्राधिकरण को नि:शुल्क मुहैया कराएगा।

(9) विकासक, स्थानीय कानूनों/नियमों के अंतर्गत लागू मानदंडों तथा मानकों को अपनाएगा।

(10) विशेष आर्थिक जोन में निवेश करने वाली कम्पनियों के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड उपर्युक्त किसी भी शर्त से मामला दर मामला आधार पर छूट दे सकता है। तथापि, जरूरत अनुसार यथासमय दिशानिर्देश तैयार होने तक यह एक अन्तरिम उपाय होगा।

हस्ता./-
(एस.एस. श्रीनिवासन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं. 5 (6)/2000-एफसी-I दिनाक 4 जनवरी, 2002

प्रतिलिपि:- प्रैस सूचना अधिकारी, प्रैस सूचना ब्यूरों-इस प्रैस नोट का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. के व्यक्ति

2495. डा. बलिराम: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के व्यक्ति के बारे में 27 नवम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1466 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) जी, नहीं। अतारंकित प्रश्न सं. 1466 संबंधी आश्वासन को पूरा करने के लिए दिनांक 27.5.2002 तक समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

2496. श्री जी.जे. जावीया:
श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता परियोजना का वित्तपोषण कर रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं के घटक कौन से हैं;

(ग) राज्य सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र से उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता मांगने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) अब तक राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ङ) क्या विश्व बैंक के किसी दल ने हाल में इन परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया था; और

(च) यदि हां, तो दल की क्या टिप्पणियां थीं और उसके क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) राज्यों में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक से वित्तपोषित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) 71.0 मिलियन अमरीकी डालर की लागत की उ.प्र. ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना, 52.4 मिलियन अमरीकी डालर (संशोधित) की विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यान्वित हो रही है। परियोजना का कार्यान्वयन अगस्त, 1996 में शुरू हुआ और मई, 2003 के अंत तक पूरी की जानी है।

(2) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना" केरल में जनवरी, 2001 से चल रही है। इसकी अनुमोदित लागत 89.8 मिलियन अमरीकी डालर और परियोजना के लिए आई डी ए ऋण 65.5 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 73 प्रतिशत) है। परियोजना के वर्ष 2007 तक पूरी होने की उम्मीद है।

(3) विश्व बैंक की सहायता से "द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना" हाल ही में (11 फरवरी, 2002) कार्यान्वयनार्थ कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। परियोजना की लागत 193.44 मिलियन अमरीकी डालर और आई डी ए ऋण के 151.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 78 प्रतिशत) होने की सम्भावना है। योजना के वर्ष 2007 तक पूरी होने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) भारत सरकार को प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त हुई ग्रा.ज.आ. एवं प. स्व. परियोजनाओं की सं.	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति ग्रा.ज.आ. एवं प. स्व. परियोजनाओं की सं.	अभ्युक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	1		राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
2.	मध्य प्रदेश	1		राज्य सरकार से व्यापक परियोजना अवधारणा दस्तावेज के अनुरूप पूर्ण आकार वाली परियोजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
3	महाराष्ट्र	1	1	विश्व बैंक आइडेन्टीफिकेशन मिशन ने महाराष्ट्र परियोजना प्रस्ताव सत्यापन किर दिया। राज्य में कार्य प्रगति पर है
4.	तमिलनाडु	1	1	आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 30 जनवरी, 2002 को विश्व बैंक को भेजा गया। वर्तमान में विश्व बैंक का आइडेन्टीफिकेशन मिशन तमिलनाडु का दौरा कर रहा है।
5.	नागालैंड	1		राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है
6.	उत्तरांचल	1		राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो गया।

(ङ) जी, हां।

(च) विश्व बैंक आईडेन्टीफिकेशन मिशन ने 21 जनवरी, 2002 से 1 फरवरी, 2002 के दौरान महाराष्ट्र राज्य का दौरा किया। विश्व बैंक मिशन की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित प्रथामिकता कार्रवाई पूरी करने पर सहमत हो गई है।

(1) पूर्ण कालीन परियोजना टीम की स्थापना और परियोजना की तैयारी शुरू करने के लिए इसे पर्याप्त निधियां प्रदान करना।

(2) कुछेक जिलों में परियोजना अध्ययन और विश्लेषण के साथ साथ प्रायोगिक योजनाएं शुरू करने में पार्याप्त प्रगति करना।

(3) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तथा भूजल सर्वेक्षण विकास एजेंसी के अपेक्षित संस्थागत पुनर्गठन के लिए कार्य योजना के साथ सड़क नक्शा तैयार करना, और

(4) राज्य के मास्टर प्लान के अंतर्गत चल रही ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को पूरा करने अथवा अन्य के लिए कार्य योजना तैयार करना।

जी एम फूड्स के लिए प्रमाणन

2497. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शीघ्र ही जी एम फूड्स के लिए प्रमाणन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जी एम प्रमाणन का तेल उत्पादों के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जीन संशोधित खाद्यों का जैवसुरक्षा आकलन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत अनिवार्य है। तथापि, देश में अभी तक कोई जीन संशोधित (जी एम) खाद्य बाजार में निकाले नहीं गये हैं। जीन संशोधित खाद्यों की लेबलिंग के लिए दिशा-निर्देशों को तैयार करने संबंधी कार्य शुरू हो चुके हैं।

शहरी क्षेत्रों का नक्शा तैयार करना

2498. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में शहरी क्षेत्रों का नक्शा तैयार करने के संबंध में कार्य प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और अभी तक राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) शहरी नक्शों को तैयार कर लेने का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) हवाई फोटोग्राफी का उपयोग करते हुए शहरी मानचित्र तैयार करने के लिए एक स्कीम प्रायोगिक आधार पर वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। प्रथम चरण में छह राज्यों से 25 कस्बों को शामिल करने के लिए चुना गया। इन कस्बों का कार्य पूरा कर लिया गया तथा बनाये गये आधार नक्शे (बेस मैप) संबंधित राज्यों के नगर एवं ग्राम नियोजन संगठनों को भेजे गए।

दूसरे चरण में वर्ष 2002-2003 तक शामिल करने के लिए 19 राज्यों से 28 कस्बों (फेज-1 के तहत शामिल किए गए कस्बों को छोड़कर) को चुना गया।

चरण-I तथा चरण-II के तहत शामिल किए गए कस्बों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

फेज-I कस्बे

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	कस्बा
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	1.	टिन्डीवनम
		2.	नागापट्टीनम
		3.	करायकुड्डी
		4.	तिरूचेन्दूर
		5.	राजापलयम

1	2	3	4
2.	उत्तर प्रदेश	6.	आगरा
		7.	फैजाबाद
		8.	नैनीताल
3.	उड़ीसा	9.	भवेश्वर
		10.	पुरी
4.	गुजरात	11.	वल्साद
		12.	भरूच
		13.	सुरेन्दर नगर
		14.	पोरबंदर
		15.	बेराबल
5.	महाराष्ट्र	16.	कल्याण एवं उल्हास नगर
		17.	शोलापुर
		18.	नान्देड
		19.	नागपुर
		20.	रत्नगिरि
		21.	अकोला
6.	आन्ध्र प्रदेश	22.	नान्दयाल
		23.	खम्माम
		24.	गुडीवाडा
		25.	भीमावड़म
		फेज-II	कस्बे
1.	कर्नाटक	1.	मंगलोर
		2.	मैसूर
2.	प. बंगाल	3.	आसनसोल
		4.	सिल्लीगुड़ी
3.	मध्य प्रदेश	5.	भोपाल
		6.	इंदौर
4.	राजस्थान	7.	अजमेर
		8.	बीकानेर
5.	हरियाणा	9.	अम्बाला
		10.	गुड़गांव
6.	पंजाब	11.	मुक्तसर
		12.	मोगा
7.	मेघालय	13.	शिलांग
8.	सिक्किम	14.	गंगटोक
9.	चंडीगढ़	15.	चंडीगढ़
10.	असम	16.	गुवाहाटी
11.	केरल	17.	कोच्चि
		18.	तिरूवनंतपुरम
12.	बिहार	19.	गया
		20.	छपरा
13.	पांडिचेरी	21.	पांडिचेरी
14.	गोवा	22.	पणजी
15.	हिमाचल	23.	हमीरपुर
		24.	नालागढ़
16.	अरूणाचल प्रदेश	25.	इटानगर
17.	मिजोरम	26.	एजवाल
18.	नागालैंड	27.	कोहिमा
19.	त्रिपुरा	28.	अगरतला

भड़काऊ साहित्य

2499. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी और इस्लामी प्रकाशनों से बहुत सी तालिबान-समर्थक और कायदा-समर्थन पुस्तकें भारत में पहुंच चुकी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसी कितनी पुस्तकों का वितरण और बिक्री देखने में आई है;

(ग) क्या पुस्तकों में कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है और वे हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में पाई गई थी; और

(घ) देश में उनके प्रवेश प्रचलन और बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) यद्यपि, आतंकवादी नेता, मौलाना मसूद अजहर (जो तालिबान/अलकायदा के साथ निकट संबंध होने के लिए जाना जाता है) के भड़काऊ और उसकी प्रशंसा वाले लेखों की ओडियो/विडियों कैसेट का परिचालन ध्यान में आया है, लेकिन भारत में तालिबान समर्थक और अल-कायदा समर्थक पुस्तकों के परिचालन के बारे में कोई वशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) विश्व पुस्तक मेले में इस प्रकार की कोई पुस्तकें ध्यान में नहीं आई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी अनुदान

2500. श्री अम्बरीश: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्वैच्छिक संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के उद्देश्य से विदेशी अनुदान प्राप्त होता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ऐसे विदेशी अनुदानों की प्राप्ति तथा उपयोग की निगरानी करने के लिए सतर्कता/रिकार्ड रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय विकास के उत्थान में लगी संस्थाओं सहित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान का ब्यौरा, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान के बारे में गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित है। वर्ष 1991-92 से 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिनियम में कवर होने वाली संस्था द्वारा चार्टेड एकांउटेंट से विधिवत् प्रमाणित कराकर विदेशी अंशदान की प्राप्ति के संबंध में उपयोगिता की वार्षिक आधार पर सूचना गृह मंत्रालय को देनी अपेक्षित है। विदेशी अंशदान को इन विवरणियों के माध्यम से मानीटर किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को, ऐसी संस्थाओं के लेखे या रिकार्ड का निरीक्षण करने या लेखा परीक्षा कराने का अधिकार भी प्राप्त है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अवैध/अनधिकृत निर्माणों में अधिकारियों की संलिप्तता

2501. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 25 जुलाई, 2000 और 21 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 290 तथा 316 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र जांच ब्यूरो ने सभी 33 मामलों में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) आय के स्रोतों से अधिक सम्पति रखने के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सी.बी.आई. अभी मामले की जांच कर रही है। ऐसे मामलों की जांच में आमतौर पर काफी समय लगता है क्योंकि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने के लिए उन्हें साक्ष्य जुटाने होते हैं जिसके लिए रिकार्ड की जांच करनी होती है और कई गवाहों से पूछ-ताछ करनी होती है।

चंडीगढ़ नगर निगम को बारहवीं अनुसूची मे वर्णित कृत्यों का अंतरण

2502. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संविधान की बारहवीं अनुसची में उल्लिखित कार्यों को नगर निगम को अंतरित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नगर निगम को संवैधानिक कार्यों को अंतरित करने के लिए क्या, यदि कोई है, कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 18 कार्यों में से 12 कार्य या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नगर निगम को अतंरित कर दिए गए हैं। इन सभी कार्यों को अभी तक नगर निगम को अंतरित न किए जाने का मुख्य कारण इसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है।

ग्रामीण आवास

2503. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में आवासों की कमी के संबंध में कोई प्राकलन तैयार किया है;

(ख) 2002-2003 के दौरान विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवास-स्थलों/आवासों के आबंटन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) 2002-2003 के दौरान आवासीय इकाइयों के सन्दर्भ में निजी आवासीय योजनाओं के लिए हुडकों द्वारा ऋण प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 137.2 लाख आवासों की कमी थी जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.18 लाख आवासों की कमी थी।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत 2002-2003 के लिए लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) हडको द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, हडको द्वारा निजी लोगों अथवा निजी एजेंसियों की आवासीय परियोजनाओं के लिए ऋण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

आतंकवाद पर एफ.बी.आई. और सी.बी.आई. के बीच बातचीत

2504. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ.बी.आई. निदेशक के आतंकवाद के विरुद्ध साझा उपाय और रणनीतियों के बारे में सी.बी.आई. निदेशक और कानून लागू करने वाली और सुरक्षा एजेंसियों के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत और हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। एफ.बी.आई. के निदेशक ने अपने नई दिल्ली के प्रवास के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक तथा कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेन्सियों के अन्य अधिकारियों के साथ आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सूचना के आदान-प्रदान तथा परस्पर सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया। निदेशक, एफ.बी.आई. ने सहयोग का आश्वासन दिया तथा आतंकवाद के क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान हेतु अपनी सहमति दी।

(ग) सूचना के आदान-प्रदान तथा पारम्परिक आधार पर आपसी सहयोग से आतंकवाद से लड़ने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

समुदायों को विकेन्द्रित रूप से शक्ति-सम्पन्न बनाना

2505. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के संबंध में क्षेत्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला 10 दिसम्बर, 2001 को बंगलौर में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यशाला ने केन्द्र सरकार से दसवीं पंचवर्षीय योजना को लैंगिक रूप से सवेदनशील और जनकेन्द्रित बनाने की अपील की है जिसमें निचले स्तर पर सहभागिता संबंधी समुदायों को विकेन्द्रित रूप से शक्ति सम्पन्न बनाने पर जोर दिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। जेंडर और विकास पर संयुक्त

राष्ट्र के अंतर-अभिकरण कार्य दल की पहल के रूप में विश्व बैंक ने दसवीं पंचवर्षीय योजना को महिलोंमुखी बनाने के लिए 10-11 दिसम्बर, 2001 को बंगलौर में एक दक्षिण क्षेत्रीय परामर्श बैठक आयोजित की थी।

(ख) और (ग) कार्यशाला में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्धनता उन्मूलन स्कीमों के संबंध में तथा शासन में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने तथा बुनयादी स्तर पर सेवाओं के सकेन्द्रण के संबंध में अनेक सिफारिशें की गई।

(घ) और (ङ) योजना आयोग दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए इन सिफारिशों को तथा अन्य कार्यदलों की सिफारिशों को ध्यान में रख रहा है।

आवासीय गृहों से चलाई जा रही दुकानों को नियमित करना

2506. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 नवम्बर, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'शाप्स इन हाउसेज में बिकम लीगल' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या घरो से चलाई जा रही दुकानों को अब वैध बना दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें हुई देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली में सरकार द्वारा आबंटित मकानों से कराधान और विधि संबंधी प्रैक्टिस करने वालों, पार्लरों, स्कूलों, होम्योपैथ औषधालयों आदि कार्यालयों को कानून सम्मत करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इस मामले में अंतिम रूप से विचार किये जाने से पहले आवंटियों को ऐसी गतिविधियों का संचालन स्थगित करने का कोई अवसर दिया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 तथा जोनल प्लान में, रिहायशी क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग नीति के अन्तर्गत कुछ दुकानों की अनुमति कुछ परन्तुकों की शर्त पर दी गई है जिसमें कुछ किस्म की दुकानें अनुमत्य/शामिल नहीं हैं। अनुमोदित जोनल प्लान में मिश्रित भूमि उपयोग वाले मार्गों की पहचान की गई है जिनमें रिहायशी को छोड़कर अन्य कार्य कलापों की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त सरकार की दिनांक 23.7.1998 की अधिसूचना के अनुसार रिहायशी प्लाटों और फ्लैटों में किसी भी तल पर व्यावसायिक कार्यकलापों की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि परिसर के भाग के अधिकतम 25% फर्शी क्षेत्रफल अनुपात अथवा 100 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, का व्यवसायिक कौशल आधारित सेवा हेतु गैर-रिहायशी लेकिन गैर-प्रदूषणकारी कार्यकलाप के लिए उपयोग करने की अनुमति होगी।

(ङ) से (छ) जी नहीं।

(ज) और (झ) लागू नहीं।

उग्रवादियों द्वारा अड्डे बदलना

2507. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 फरवरी, 2002 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पाकिस्तान में उग्रवादियों और इस्लामिक अतिवादियों ने अड्डे बंगलादेश में स्थानांतरित करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंग्लादेशी उग्रवादी गुट कश्मीर में पाकिस्तानी उग्रवादियों की सहायता कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बंग्लादेश सरकार के सामने यह मामला उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो बंग्लादेश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सरकार को समाचार की जानकारी है। तथापि, आतंकवादियों और इस्लामिक अतिवादियों के पाकिस्तान से तितर-बितर होकर बांग्लादेश में चले जाने के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार को कुछ विशेष रिपोर्टें मिली है जिनसे पता चलता है कि बांग्लादेश के कट्टर पंथी तत्व/आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गुटों की सहायता कर रहे हैं। हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, लश्करे तैयबा आदि गुट संभारिकी सहायता और आदमियों और सामान आदि को लाने-ले-जाने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(घ) से (च) सरकार ने भारत के हित के विरुद्ध बांग्लादेश से कार्य कर रहे आतंकवादियों के मुद्दे को विभिन्न सरकारी बैठकों, मंचों और सरकारी डी-मार्चिस के द्वारा उठाया है। बांग्लादेश सरकार स्पस्ट रूप से कहती रही है कि वह अपने क्षेत्र को आतंकवाद या अन्य मित्र देश के हित के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होने देगी।

प्राथमिक शिक्षा में पंचायतों की भूमि

2508. डा. रामचन्द्र डोम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा में कमजोर भूमिका किन-किन राज्यों की पंचायतों ने निभाई है;

(ख) क्या इस संबंध में पार्टिसिपेटिंग रिसर्च इन एशिया द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्ययोजना 1992 में सभी स्तरों पर शिक्षा की योजना तथा प्रबंध को विकेन्द्रीकृत करने तथा इस कार्य में लोगों को शामिल करने की महत्ता पर बल दिया गया है। कार्य योजना के अनुसरण में, भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए जिला, उप-जिला तथा ग्रामीण स्तरों पर शिक्षा के प्रबंध के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित करने के उद्देश्य से शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने यह बताया है कि संवैधानिक सशोधनों के अनुसरण में जिला, ब्लाक/तालुक स्तरों पर शैक्षिक संरचनाएं स्थापित की जानी चाहिए। समिति ने शैक्षिक कार्य प्रणाली में सामुदायिक सहभागिता की गतिशीलता के साधन भी सुझाए ताकि देश प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को नए उत्साह से प्राप्त कर सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट परिस्थितियों तथा भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के अनुसरण में इसके उचित अनुपालन तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

(ख) और (ग) 'पार्टिसिपेटिंग रिसर्च इन एशिया' (पी.आर.आई.ए.) ने राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक औपचारिक शिक्षा का पंचायतों को अन्तरण पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

(1) पंचायतों के विभिन्न स्तरों के अन्तरित कार्यकलापों को मिलाना।

(2) पंचायतों को शक्तियों को अंतरण करने के संबंध में राज्य सरकारों से सरकारी पत्र-व्यवहार का न होना।

(3) शिक्षकों के संबंध में पंचायतों की नाममात्र की भूमिकाएं।

(4) कुछ राज्यों ने पंचायतों को अपने कार्य पूरे करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी स्थानान्तरित किए हैं।

(5) वित्तीय शक्तियों का अपेक्षित रूप से अन्तरण न होना।

(घ) मंत्रालय शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर समिति की रिपोर्ट पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध कर रहा है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में भी विकेन्द्रीकृत समुदाय पर आधारित योजना और कार्यान्वयन पर बल दिया गया है।

देश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रूकने वाले पाकिस्तानी नागरिक

2509. श्री के. येरननायडू:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री नरेश पुगलिया:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

श्री दलपत सिंह परस्ते:
डा. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री धावरचन्द गेहलोत:
श्री राजैया मल्याला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रूकने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ़ने के लिए राज्यों को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और राज्यवार पाकिस्तानी नागरिकों की सही संख्या कितनी है;

(ग) उन पाकिस्तानी नागरिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनके विषय में 31.1.2002 की स्थिति के अनुसार कोई विश्वस्त सूचना नहीं थीं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस विषय में कोई सहायता दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक उनको ढूंढ़ने में राज्य किस सीमा तक सफल हुए हैं और केन्द्र ने उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां। श्रीमान।

(ख) और (ग) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार यह सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के सहित भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की शक्तियां राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त, देश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का पता लगा कर उन्हें तुरंत निर्वासित करने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जाते हैं। राज्यों सरकारें इन कार्यों को केन्द्र सरकार की ओर से करती है तथा इस संबंध में उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्यों को की जाती है।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए तथा निर्वासित किए गए पाक राष्ट्रिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

1999	–	195
2000	–	108
2001	–	490

विवरण

31.12.2001 की स्थिति के अनुसार देश में ठहरने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे/लापता पाक राष्ट्रिकों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम.सं.	राज्य	निर्धारित अवधि से अधिक ठहरे	लापता	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29	7	36
2.	बिहार	18	32	50
3.	महाराष्ट्र	665	1104	1769
4.	पश्चिम बंगाल	282	364	646
5.	दिल्ली	--	81	81
6.	गुजरात (नवम्बर)	545	20	565
7.	हरियाणा	390	--	390

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	94	9	103
9.	केरल (नवम्बर)	265	100	365
10.	मध्य प्रदेश (नवम्बर)	804	105	909
11.	उड़ीसा	15	---	15
12.	पंजाब	159	---	159
13.	राजस्थान	4879	76	4973
14.	तमिलनाडु	82	18	100
15.	उत्तर प्रदेश (नवम्बर)	590	380	970
16.	जम्मू और कश्मीर	77	4	81
17.	गोवा	1	---	1
	कुल	8913	2300	11213

गुजरात में शैक्षणिक संस्थान

2510. **श्री शंकर सिंह वाघेला:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए विनाशकारी भूंकप के कारण बड़ी संख्या में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पालिटेक्निक इत्यादि जैसे शैक्षणिक संस्थान ध्वस्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) अब तक कितने शैक्षणिक संस्थानों का पुनरोद्धार/पुनर्निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 26 जनवरी, 2001 को गुजरात के कच्छ जिलें में भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए विद्यालयों/कालेजों/संस्थाओं की संख्या निम्नलिखित है:-

1.	प्राथमिक विद्यालय	15653
2.	माध्यमिक/उच्चतर विद्यालय	
	(क) सरकारी विद्यालय	130
	(ख) गैर-सरकारी विद्यालय	1913
3.	कालेज/संस्थायें	128
4.	तकनीकी संस्थाएं	58
5.	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	
	(क) सरकारी	11
	(ख) गैर-सरकारी	17
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	14

इस संबंध में 31.3.2001 तक मंत्रालय ने गुजरात राज्य को 110.33 करोड़ रु. की सहायता प्रदान की थी जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

		(रु. करोड़ में)
1.	गुजरात विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रम	50.00
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	50.60
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	5.45
4.	शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा	3.78
5.	सर्व शिक्षा अभियान (प्रारंभिक कार्यकलाप)	0.50
	कुल	110.33

गुजरात विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 31.12.2001 तक 40,300 क्लास रूमों की मरम्मत की गयी और 58 नए रूमों का निर्माण किया गया है। 59 कालेजों में मरम्मत/निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

2511. श्री अरुण कुमार:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार/संस्थानवार कितना धन जारी किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने 1994 ने 1994 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत देशभर में राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एन एच आर डी पी) शुरू किया गया है। अन्य बातों के साथ साथ, एन एच आर डी पी का उद्देश्य जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के जरिए गांव में कम से कम निम्नस्तर के एक कामगर को प्रशिक्षत करना है जिसे इंडियन ट्रेनिंग नेटवर्क (आई टी एन) के चयनित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षिण दिया जाएगा। इसमें दो प्रकार के प्रशिक्षण प्राठ्यक्रम हैं- पहला जिला स्तर पर निम्नस्तरीय कामगरों के लिए और दूसरा विभाग के क्षेत्रीय पेशेवरों के लिए। राज्य तथा जिला स्तर पर स्टेकहोल्डर विभाग, एन जी ओ इत्यादि के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही है ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच संबंध को सुधारा जा सके। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज्य संस्थाओं/स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना है ताकि उन्हें ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों से संबंधित संचालन एवं रखरखाव संबंधी गतिविधियां शुरू करने में समर्थ बनाया जा सके। इसका उद्देश्य हैंडपंपों और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजित करने के साथ अन्य जल आपूर्ति प्रणालियों के घटकों के संचालन तथा रखरखाव के लिए मैकेनिक/स्वास्थ्य प्रेरक/राजमिस्त्री इत्यादि, खासकर महिलाओं को अपेक्षित प्रशिक्षण देते हुए स्थानीय समुदायों का क्षमता निर्माण भी करना है।

एन एच आर डी पी के अंतर्गत, राज्य उचित और आवश्यकता आधारित मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाने, रूपरेखा तैयार करने, उसे कार्यान्वित करने, उसकी निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए राज्य स्तरीय एच आर डी प्रकोष्ठों का गठन करती है। 9वीं योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त गतिविधियों के लिए केन्द्र सरकार अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एन एच आर डी कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों के राज्यवार/संस्थान-वार ब्यौरे विवरण-I और II में संलग्न हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	47.82	45.57	54.75	148.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	11.95	12.96	20.56	45.47

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	0.00	5.03	31.06	25.97	62.06
4.	बिहार	0.00	0.00	63.72	0.00	63.72
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	25.98	0.00	25.98
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	16.99	16.99
7.	गुजरात	0.00	0.00	63.29	75.47	138.76
8.	हरियाणा	0.00	1.20	2.20	7.10	10.50
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	24.20	24.20
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	2.80	43.70	48.40	94.90
13.	केरल	12.93	16.81	46.15	33.32	109.21
14.	मध्य प्रदेश	0.00	4.00	43.32	37.10	84.42
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	50.56	0.00	50.56
16.	मणिपुर	0.65	10.60	14.93	12.62	38.80
17.	मेघालय	0.00	6.74	18.42	9.60	34.76
18.	मिजोरम	2.10	0.00	23.29	33.43	58.82
19.	नागालैंड	13.75	0.00	12.84	9.90	36.49
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	56.55	88.89	145.44
21.	पंजाब	6.07	0.00	24.44	36.90	67.41
22.	राजस्थान	5.52	26.25	17.29	30.64	79.70
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	48.93	34.27	70.48	72.26	225.94
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	29.91	290.24	97.29	235.69	653.13
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
28.	प. बंगाल	0.00	0.00	0.00	11.29	11.29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
30.	दादर व नगर हवेली	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
31.	दमन व द्वीव	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
32.	दिल्ली	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
33.	लक्षद्वीप	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
34.	पांडिचेरी	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	कुल	123.36	457.71	764.04	928.08	2273.19

*अनंतिम

विवरण-II

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	संस्थानों के नाम	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	एआई आईएमएस दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	जीजेटीआई गांधी नगर	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
3.	एआईआईएच व पीएच कलकत्ता	0.00	11.18	13.36	15.34	39.88
4.	सीएमईआरआई, दुर्गापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	एसआईआरडी, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	एसआईआरडी, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	टीटीटीआई, भोपाल	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50
8.	टीटीटीआई, मद्रास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	ईएसआई, अहमदाबाद	0.00	7.01	10.23	12.65	29.89
10.	आईआईएम, अहमदाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	एसजेसीई, मैसूर	0.00	5.73	0.00	10.81	16.54
12.	आरके मिशन, कलकत्ता	0.00	12.19	0.00	2.25	14.44
13.	एसकेआईपीए, रांची	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	जीजीआरआई, गांधी ग्राम	25.43	0.00	0.00	4.57	30.00
15.	डीआरएल, तेजपुर	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06

1	2	3	4	5	6	7
16.	एनजीआरआई, हैदराबाद	1.50	5.00	3.90	3.90	14.30
17.	एमएलएनआरआईसी, इलाहाबाद	0.00	4.79	0.00	0.00	4.79
18.	आरआरएल, भुवनेश्वर	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
19.	एनईईआरआई, नागपुर	0.00	5.80	0.00	5.00	10.80
20.	आईआईटी, रुड़की	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47
21.	आईटीआरसी, लखनऊ	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
	कुल	32.39	56.92	27.49	58.99	175.79

*अनंतिम

महाराष्ट्र में कोयना बांध

[हिन्दी]

2512. श्री वाई.वी. राव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में कोयना बांध अगले 30-40 वर्षों के दौरान भूकंप प्रवण क्षेत्र में पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बांध भूकंपों का सामना कर सकेगा; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा प्रकाशित भारत के सिज्किम जोनिंग मानचित के अनुसार कोयना डैम क्षेत्र-IV के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र व्यापक रूप से परिमार्जित मर्केली स्केल पर VIII तक की तीव्रता वाले भूकंप से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में विश्व बैंक में कहीं भी ऐसी कोई भी वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जो भूकंप के आने के समय, स्थान और तीव्रता के बारे में सटीकता के साथ पूर्वानुमान कर सके। अत: कोयना-वारना क्षेत्र में अगले 30-40 वर्षों तक भूकंप की गतिविधि के बारे में पूर्वानुमान करना संभव नहीं है।

(ख) कोयना डैम को 1967 में आए 6.3 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद उसे उसी तीव्रता वाले भूंकप का सामना करने वाले क्षेत्र के रूप में सुदृढ़ किया गया है।

(ग) इस क्षेत्र का निरन्तर मानीटर किया जाता है और इस क्षेत्र में भूकम्प के कार्यतंत्र को समझने के लिए कई वैज्ञानिक अध्ययन/अन्वेषण शुरू किए गए हैं।

हिरासत में हुई मौतें

2513. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि के अनुसार हिरासत में हुई मौतों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हिरासत में हुई ऐसी मौतों के कारणों और परिस्थितियों की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और विशेष रूप से दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान तथा आज तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किए गए न्यायिक एवं पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामलों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिल्ली
2000-2001	1037	37
2001-2002 (13.3.2002 तक)	1250	32

(ख) और (ग) जब किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत होती है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अंतर्गत नजदीक का शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेट, या तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल के बजाय या उसके अलावा, मौत के कारण की जांच करेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने, हिरासत में हुई मौतों के मामलों में चार माह की अवधि के भीतर जांच पूरी करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हाल में, अक्तूबर, 2001 में निर्देश भी जारी किए हैं और जहां ऐसा करना संभव न हो, वहां संबंधित अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण रिकार्ड किए जाएंगे तथा जांच पूरी करने हेतु संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश से और ज्यादा समय मांगा जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि अब सभी राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करेंगे तथा जांच शीघ्रता से पूरी करेंगे।

खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता

2414. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता के बारे में 27.11.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी एकत्र किये जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्र कर लिये जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अंतर-मंत्रालयी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते के भुगतान के लिए, सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।

अंतर-मंत्रालयी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते समय खिलाड़ियों को ड्यूटी पर माना जाता है और वे सामान्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते के पात्र होते हैं जो उन्हें उनके पद के अनुसार स्वीकार्य होता है। चूंकि स्वीकृत धनराशि पर्याप्त है तथा किसी भी खिलाड़ी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अत: वित्तीय अभाव के प्रचलित वातावरण में वृद्धि का कोई आशय नहीं है।

समेकित बंजर भूमि विकास संबंधी परियोजनाएं

2515. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार समेकित बंजर भूमि विकास संबंधी कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुई;

(ख) फरवरी, 2002 तक राज्य-वार कितनी परियोजनाएं मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने बंजर भूमि के विकास के लिए विदेशी सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी सहायता प्राप्त हुई और प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत विकसित करने/सुधार करने हेतु समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावों की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उन लंबित परियोजना प्रस्तावों जिन्हें किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाता है पर भी अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु विचार किया जाता है। उन लंबित परियोजना प्रस्तावों जिन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया जाता है, को तब राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाता है। गत तीन वर्षों (1998-99 से 2000-01 तक) तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2001-02 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए प्राथमिकता प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

किसी एक वर्ष में नई परियोजनाएं सामान्यत: चालू परियोजनाओं की देयताओं को पूरा करने के पश्चात् कार्यक्रम के लिए उपलब्ध

निधियों, चालू परियोजनाओं में हुई प्रगति, राज्य में विकसित की जाने वाली बंजरभूमि के क्षेत्र, कार्यान्वयन क्षमता आदि तथा वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ परियोजना प्रस्तावों की समनुरूपता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती हैं। चूंकि परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति कई घटकों अर्थात् उपलब्ध बजट, मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ परियोजना प्रस्तावों की समनुरूपता, चालू परियोजनाओं में हुई प्रगति आदि पर निर्भर करती है अत: कोई निश्चित समय सीमा सूचित नहीं की जा सकती है।

(घ) और (ङ) देश में बंजरभूमि को विकसित करने हेतु संसाधन जुटाने के उद्देश्य से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इस समय 7 परियोजनाएं नामत: (1) आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीविका परियोजना (ए.पी.आर.एल.पी.), (2) पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण जीविका परियोजना (डब्ल्यू.ओ.आर.एल.पी.), (3) कैनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सी.आई.डी.ए.) से सहायता प्राप्त ट्री ग्रोअर्स सहकारी परियोजना, (4) स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस.आई.डी.ए.) से सहायता प्राप्त ट्री ग्रोअर्स सहकारी परियोजना, (5) अट्टापड्डी बंजरभूमि विस्तृत पर्यावरण संरक्षण परियोजना, (6) हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना तथा (7) गुजरात के प्राकृतिक संसाधनों का सामुदायिक प्रबंधन, विभिन्न दाता एजेंसियों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं।

आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीविका परियोजना (ए.पी.आर.एल.पी.) तथा पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण जीविका परियोजना (डब्ल्यू.ओ.आर.एल.पी.) डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डिवेलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) यू.के. की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं और निधियां भूमि संसाधन विभाग द्वारा जारी की जाती हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीविका परियोजना (ए.पी.आर.एल.पी.) तथा पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण जीविका परियोजना (डब्ल्यू.ओ.आर.एल.पी.) के लिए अभी तक क्रमश:) 1661.61 लाख रुपये तथा 177.23 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। अन्य परियोजनाओं में निधियां इस विभाग के जरिए जारी नहीं की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2001-02 (15.03.2002 तक) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत प्राप्त तथा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	1998-99		1999-00		2000-01		2001-02	
		प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत की गई परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1०
1.	आंध्र प्रदेश	7	6	17	4	10	7	11	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	6	0	0	0	1	1
3.	असम	13	0	11	3	11	11	14	8
4.	बिहार	4	0	4	1	5	0	4	1
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	8	4	15	6
6.	गुजरात	5	6	7	6	13	6	7	5
7.	हिमाचल प्रदेश	4	2	2	5	17	8	7	7
8.	हरियाणा	0	0	0	0	1	1	3	3
9.	जम्मू और कश्मीर	5	2	1	0	0	0	4	4
10.	झारखण्ड	0	0	0	0	2	2	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	कर्नाटक	11	5	15	5	8	0	10	8
12.	केरल	0	0	0	0	4	2	3	0
13.	महाराष्ट्र	24	3	3	5	12	7	8	4
14.	मेघालय	3	0	4	2	5	5	0	0
15.	मणिपुर	14	3	23	1	8	0	5	1
16.	मध्य प्रदेश	2	2	11	11	10	9	17	9
17.	मिजोरम	0	0	2	0	12	7	4	4
18.	नागालैण्ड	1	2	8	2	5	5	5	5
19.	उड़ीसा	11	6	12	1	8	6	9	8
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	3	3
21.	राजस्थान	4	1	9	8	14	9	9	6
22.	सिक्किम	1	1	2	2	4	1	2	2
23.	तमिलनाडु	6	1	17	8	9	9	12	2
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	4	4
25.	उत्तर प्रदेश	22	7	18	9	17	3	11	5
26.	उत्तरांचल	0	0	0	0	19	4	6	6
27.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	0

[हिन्दी]

झारखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

2516. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड सरकार से झारखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को झारखण्ड सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(1) स्पेस एप्लिकेशन सेंटर की स्थापना के संबंध में,

(2) साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के संबंध में,

(3) क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना के संबंध में।

(ग) संस्वीकृति से पहले इन प्रस्तावों को विशेषज्ञ मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौर से गुजरना आवश्यक है।

[अनुवाद]

गन्ने का विकास

2517. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में चीनी मिलों के उन्नयन हेतु एक उचित प्रणाली के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकियां शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय, प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा शर्करा उद्योग के तकनीकी प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए शर्करा प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई है। मिशन द्वारा अब तक देश के 30 चीनी कारखानों के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं तैयार की गई हैं जिनमें ऊर्जा संरक्षण, उच्चतर संयंत्र क्षमताएं, क्षमता का इष्टतमीकरण और शर्करा की गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं।

इसके अलावा, अब तक 20 नई प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें से 14 पूरी की जा चुकी हैं और शेष मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

2518. श्री रामजी मांझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992-1999 के दौरान कुछ राज्यों ने समेकित बाल विकास सेवा योजना और प्रशिक्षण में अत्याधिक व्यय किया है और अन्य राज्यों ने बहुत कम व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से लेखापरीक्षित व्यय विवरण प्राप्त नहीं किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। किसी भी वित्त वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा किए गए अधिक या कम व्यय को ध्यान में रखा जाता है और इसको, संबंधित राज्य की निधियों की पात्रता के मद्देनजर, अगले वित्त वर्ष में निधियां निर्मुक्त करते समय समायोजित किया जाता है।

(ग) और (घ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए व्यय विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर उनको निर्मुक्त की जाती हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय दल का पुंछ का दौरा

2519. डा. बलिराम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए फरवरी, 2002 में एक केन्द्रीय दल ने पुंछ क्षेत्र का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दल ने अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ सेना के जमावड़े और सीमा क्षेत्रों में सुरंग बिछाए जाने के कारण सीमा क्षेत्रों से पलायन कर गए और कैम्पों में रह रहे उन व्यक्तियों की दशा के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका पर शीर्षस्थ न्यायालय ने निदेश दिया कि एक केन्द्रीय दल प्रवासी शिविरों का दौरा करे और राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों के बारे में रिपोर्ट दे कि क्या उपर्युक्त राहत वास्तव में दी जा रही है। तदनुसार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जो केन्द्रीय सरकार की ओर से न्यायालय में मामले को देख रहा है, ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से एक संयुक्त आयुक्त, जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग में एक निदेशक और क्रमश: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग प्रत्येक से एक-एक अवर सचिव को लेकर एक केन्द्रीय दल भेजा। इस दल ने 10 से 12 फरवरी, 2002 तक जम्मू, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों के विभिन्न शिविरों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर कर दी गई है। मामला न्यायालय में लंबित है जिसमें राज्य सरकार भी एक पक्ष है।

[अनुवाद]

पंचायतों को धनराशि जारी करना

2520. श्री के. येरननायडू: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थानों को धनराशि जारी करने और शक्तियां सौंपने को उनके कार्य निष्पादन के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) संविधान का अनुच्छेद 243-छ, 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्तियां सौंपने के लिए राज्य विधानमंडलों को अधिकार देता है। अनुच्छेद 243-झ में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जो पंचायती राज्य संस्थाओं को निधियों की सुपुर्दगी के लिए सिद्धांत निर्धारित करेगा।

केन्द्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को निधियां, कार्य और कर्मचारी अंतरित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया है ताकि वे स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। जुलाई, 2001 को संपन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह संकल्प किया गया था कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में मार्च, 2002 के अंत तक पंचायतों को शक्तियां सौंप देंगे और पंचायतों के प्रत्येक स्तर को विशिष्ट शक्तियां सौंपने के लिए कार्यकारी निदेश जारी करेंगे।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम में संशोधन

2521. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम में क्या परिवर्तन किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) सरकार, विभिन्न मंचों पर गैर सरकारी संगठनों द्वारा बताए गए परिवर्तनों सहित मौजूदा कानून में नोटिस की गई कमियों को दूर करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और प्रयोग को शासित करने वाले कानून में कतिपय परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में सरकार के इरादों से राज्य सरकारों को भी अवगत करा दिया गया है।

नेवेली लिग्नाइट का विनिवेश

2522. श्री वाई.वी. राव: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश संबंधी मंत्रिमण्डल समिति ने नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड में 51 प्रतिशत विनिवेश की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 पर कार्यशाला

2523. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2002 के दौरान हैदराबाद में "अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956" पर एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला देह व्यापार में लगे व्यक्तियों को छुड़ाने और उनके पुनर्वास हेतु संबद्ध विभिन्न सरकारी अभिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों को मिला कर एक समन्वय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) इस कार्यशाला में, महिलाओं और बच्चों की खरीद-फरोख्त से संबंधित अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले दंड एवं जुर्माने के पहलू पर भी चर्चा की गई और यह निष्कर्ष निकला कि उक्त अधिनियम में मौजूदा दंड का प्रावधान अपराधों के अनुरूप नहीं है। कार्यशाला में निम्नलिखित मुद्दों पर भी चर्चा की गई:-

(1) इस समस्या के समाधान के लिए राज्य में एक विशेष विधि प्रवर्तन अभिकरण होना चाहिए।

(2) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश एवं गोवा जैसे राज्यों के लिए अंतर-राज्य सीमा अपराधों की रोकथाम हेतु एक अंतर-राज्य समन्वय प्रकोष्ठ के गठन की जरूरत है।

(3) कार्यशाला में यह आग्रह किया गया कि इस मुद्दे पर जनता को अधिक जागरूक बनाने की जरूरत है, तथा इस क्षेत्र मे पीड़ितों की सामाजिक समस्याओं के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

(4) कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जिला-स्तर पर निधियों का आबंटन 3% से बढ़ाकर 5% करने के मुद्दे को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए।

(5) संवेदनशील क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महसूस की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन मुद्दों पर कार्य करने के लिए समुचित समन्वय एवं सूझबूझ होनी चाहिए।

(6) इस बात पर जोर दिया गया कि केन्द्र सरकार की स्वाधार स्कीम के अंतर्गत, न केवल अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत राज्य की पीड़ित महिलाओं के लिए, बल्कि बलात्कार, निर्दयता आदि जैसे अनैतिक अपराधों की शिकार हुई महिलाओं के लिए भी एक व्यापक पुनर्वास स्कीम शुरू की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हां। व्यावसायिक यौन-शोषण के शिकार बच्चों और महिलाओं के बचाव व पुनर्वास हेतु कदम उठाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य समन्वय समिति का गठन किया है। दस सरकारी विभागों और दो गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से युवकों का पलायन

2524. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष रोजगार अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से युवकों का पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां एक मौसम विशेष में पलायन करने वालों की संख्या सर्वाधिक होती है; और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आकलनों के अनुसार, सर्वेक्षण (जुलाई, 1999-जून, 2000) के 55वें दौर के आधार पर 18 मिलियन लोगों ने रोजगार से संबंधी निम्नलिखित कारणों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन किया:-

1. रोजगार की तलाश में
2. बेहतर रोजगार की तलाश में
3. रोजगार/बेहतर रोजगार की शुरूआत
4. सेवा/संविदा का अंतरण तथा
5. कार्य स्थल की निकटता के लिए

(ग) उक्त सर्वेक्षण के दौरान एन.एस.एस.ओ. द्वारा मौसमी पलायन के आकंड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के सारे ग्रामीण क्षेत्रों मे अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजित करने के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई), सुनिश्चत रोजगार योजना (ई.एस.ए) तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) नामक तीन रोजगार सृजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। ई.ए.एस. तथा जे.जी.एस.वाई. को सितम्बर, 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई) नामक एकमात्र मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में मिला दिया गया है। यह योजना अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसम्पतियों के सृजन और ढांचागत विकास के लिए बनाई गई है।

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान

2525. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत ग्रामीण प्रबंधन संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों को राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस प्रकार के और स्थान खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) देश में इस समय कार्य कर रहे ग्रामीण प्रबंधन संस्थानों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य	संस्थाओं की संख्या
1.	गुजरात	2
2.	झारखंड	1
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	महाराष्ट्र	5
5.	उत्तर प्रदेश	2
	कुल	12

(ख) इन संस्थाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसी संस्थाएं खोलने के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

यूथ हॉस्टल की स्थापना

2526. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में भारतीय खेल प्राधिकरण का विचार यूथ हॉस्टल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो खेल-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थल-वार पहले से स्वीकृत यूथ हॉस्टलों के कब से चालू हो जाने की सम्भावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विसंगतियां

2527. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन न करने वाले राज्यों में विशेष केन्द्रीय दलों को भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ध्यान में लाई गई ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधी शिकायतों पर पूरा गौर किया जाता है। ऐसी अनियमितताओं की जांच के लिए राजस्थान तथा असम में अधिकारियों के विशेष दल हाल ही में नियुक्त किए गए थे। दलों, जो समय-समय पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं, की टिप्पणियां आवश्यक उपचारी उपायों के लिए राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को भेज दी जाती हैं।

'पोटो'

2528. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 फरवरी, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत से बाहर कार्य कर रहे आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार का पोटो को और कठोर बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने राजनीतिक नेताओं/विशेषज्ञों से इस संबंध में चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) आतंकवाद निवारण (द्वितीय) अध्यादेश, 2001 (पोटो) या पोटों के प्रतिस्थापन के लिए चालू सत्र के दौरान लोक सभा में विचारार्थ रखे गए आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 के उपबंधों में संशोधन करने हेतु इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध

2529. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट खेलने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली से आग्रह किया है कि खेल को राजनीति के साथ न मिलाया जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) भारतीय क्रिकेट टीमें तथा अन्य खेलों की टीमें नियमित बहुपक्षीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तानी टीमों के साथ लगातार खेलती रहती है।

भारत में सीमा पार पकिस्तान के सतत रूप से चल रहे प्रायोजित आतंकवाद से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए, पाकिस्तान नेता सामान्य खेल संबंध पुन: बहाल करने के आह्वान सहित प्रचारक वक्तव्यों का बार-बार सहारा लेते हैं। ये प्रयास व्यर्थ साबित हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय खुले तौर पर अब यह बात स्वीकार करता है कि पाकिस्तान भारत में सीमा पार आतंकवाद का प्रायोजन करता है और आतंकवाद का राज्य नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता है।

पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद के अपने प्रायोजन को समाप्त करना चाहिए ताकि भारत के साथ सामान्य, शांतिपूर्ण एवं सहयोग संबंधी परिथितियां उत्पन्न हो सकें।

तकनीकी संस्थाओं की स्थापना

2530. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अप्रवासी भारतीयों द्वारा देश में तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने के प्रयासों को विनियमित और समन्वित करने के लिए एक कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या योगदान है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक होने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) शैक्षिक विकास के लिए सभी संबंधितों से सहायता प्राप्त करने और इस संबंध में अतिरिक्त बजटीय सहायता जुटाने के लिए सरकार ने भारत शिक्षा कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार द्वारा इस कोष में एक करोड़ रुपए का एक मुश्त अंशदान देने का प्रस्ताव है। अन्य प्राविधियां अभी तैयार की जानी है।

महिला खेल प्रतियोगिता

2531. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिला खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में आयोजित इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का स्थल-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप की योजना के अंतर्गत ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें महिला खिलाड़ी शामिल होती हैं। इस योजना के अंतर्गत शामिल की गयी खेल विधाएं हैं- एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबाल, हाकी, कबड्डी, खो-खो, टेबल टेनिस, टेनिस, तैराकी तथा वालीबॉल। विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता की पैटर्न निम्नानुसार है: -

(1)	ब्लाक स्तर	1000/-रु. प्रति ब्लॉक
(2)	जिला स्तर	3000/-रु. प्रति जिला
(3)	राज्य स्तर	10,000/-रु. प्रति राज्य
(4)	छोटे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए	5000/-रु. प्रति राज्य/ संघ शासित क्षेत्र

(5) महोत्सव के दिनों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए 35/ रु. प्रति व्यक्ति की दर से भोजन और आवास तथा आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल किराये/बस किराये की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के तथा वर्तमान वर्ष के दौरान महिलाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के स्थान-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

वर्ष	स्थान	सहभागियों की संख्या
1998-99	कटक	1998
	निजामाबाद	
	कुरूक्षेत्र	
1999-2000	चण्डीगढ़	1684
	दिल्ली	
	दावनगिरी	
2000-2001	दिल्ली	2389
	जयपुर	
	हल्दिया	
2001-2002	आगरा	1827
	जगदलपुर	
	चेन्नई	

बाल विवाह

2532. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री रामदास रुपला गावीत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाल विवाह को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए बाल विवाह की संख्या क्या है और उन राज्यों की संख्या कितनी है जहां बार-बार बाल विवाह होते हैं;

(घ) इस प्रकार की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए कोई जागरुकता कार्यक्रम चलाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 पारित किया था, जिसके अंतर्गत लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष रखी गयी थी। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

बालिका के समग्र दर्जे को ऊंचा उठाने और उसके प्रति परिवार तथा समुदाय के रवैये में सकारात्मक परिर्वतन लाने के उददेश्य से सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में बालिका समृद्धि योजना नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अन्तर्गत इस स्कीम के निष्पादन हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राशि निर्मुक्त की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में 15 अगस्त, 1997 को अथवा इसके पश्चात् उत्पन्न दो लड़कियों को शामिल किया जा सकता है।

सरकार इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट प्रचार माध्यमों के जरिए भी बाल विवाहों के खिलाफ जन-प्रचार कार्यक्रम चला रही है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सांख्यिकीय ऑकड़ों के अनुसार बाल विवाह अवरोध आधिनियम के अंतर्गत देश में 1999 में 58 मामले, 2000 में 94 मामले और 2001 (अंतर्गत उपलब्ध होने के माह तक) 63 मामले दर्ज किये गए। 1999-2001 तक (आंकड़े उपलब्ध होने के माह तक) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए आयोग का उन दस राज्यों में सार्वजनिक सुनवाईयां करने का प्रस्ताव है, जहां बाल विवाह के अधिक मामले होते हैं। अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक सुनवाइयां की हैं।

(छ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1999	2000	2001	वर्ष 2001 के आंकड़ें निम्नांकित माह के लिए हैं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	7	11	नवम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	जुलाई
3.	असम	0	0	0	नवम्बर
4.	बिहार	3	3	0	नवम्बर
5.	छत्तीसगढ़	नहीं हैं	नहीं हैं	उपलब्ध नहीं	
6.	गोवा	0	0	0	दिसम्बर
7.	गुजरात	31	31	3	दिसम्बर
8.	हरियाणा	2	2	0	नवम्बर
9.	हिमाचल प्रदेश	7	4	1	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	नवम्बर
11.	झारखण्ड	नहीं हैं	नहीं हैं	उपलब्ध नहीं	
12.	कर्नाटक	0	2	4	दिसम्बर
13.	केरल	2	1	2	दिसम्बर
14.	मध्य प्रदेश	0	3	1	दिसम्बर
15.	महाराष्ट्र	2	33	33	दिसम्बर (अक्तूबर)
16.	मणिपुर	0	0	0	नवम्बर
17.	मेघालय	0	0	0	नवम्बर
18.	मिजोरम	0	0	0	दिसम्बर
19.	नागालैंड	0	0	0	दिसम्बर
20.	उड़ीसा	0	0	0	अप्रैल
21.	पंजाब	2	2	0	दिसम्बर
22.	राजस्थान	6	4	4	दिसम्बर
23.	सिक्किम	0	0	0	अक्तू., जून, जुलाई, सितम्बर
24.	तमिलनाडु	0	0	0	दिसम्बर
25.	त्रिपुरा	0	0	0	दिसम्बर
26.	उत्तरांचल	नहीं हैं	नहीं है	0	दिसम्बर
27.	उत्तर प्रदेश	1	0	1	अक्तूबर
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	2	दिसम्बर
	कुल (राज्य)	57	92	62	
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	2	0	दिसम्बर
30.	चण्डीगढ़	0	0	1	सितम्बर (जुलाई)
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	दिसम्बर (अक्तूबर)
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	दिस. (अप्रै., अगस्त, सित.)
33.	दिल्ली संघ राज्य	0	0	0	नवम्बर

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	दिस. (मार्च, अप्रैल)
35.	पांडिचेरी	0	0	0	दिसम्बर
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1	2	1	
	कुल (समस्त भारत)	58	94	63	

स्रोत : 1999, 2000 भारत में अपराध आंकड़े, 2001-मासिक उपलब्ध आंकड़े।

टिप्पणी:

1. वर्ष 2000 और 2001 के आंकड़े अनन्तिम हैं।
2. बिहार से संबंधित 1999 के आंकड़ों को 2000 में दोहराया गया है (अनुपलब्धता के कारण)

विवरण-II

सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, महिला-पुरुष समानता तथा महिलाओं के साथ अपराधों को रोकने के लिए कई कानून बनाये हैं। इन कानूनों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। सरकार महिलाओं से संबंधित कानूनों को कड़ाई से लागू करने और प्रशासनिक प्रवर्तन और न्यायिक कार्मिकों को महिला मुद्दों के प्रति सचेत बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी करती रही है।

सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, उन्हें कानूनी जानकारी प्रदान करने और समर्थन सेवाएं देने के लिए भी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति में महिलाओं के लिए सभी कानूनी उपबंधों के कड़े प्रवर्तन पर बल दिया गया है। नीति को कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया है।

महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों के उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन किये जाते हैं।

एक राष्ट्रीय सर्वोच्च स्तरीय सांविधिक निकाय अर्थात् राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 31.1.1992 को स्थापना की गई थी। आयोग के कार्यो में महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक और कानूनी सुरक्षोपायों की जांच और उनके कारगर कार्यान्वयन हेतु सरकार को उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए सहायता

2533. श्री पी. मोहन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण दिलाने हेतु वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को स्वीकृत धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से स्कूल अध्यापकों हेतु विशेष प्रबोधन कार्यक्रम के तहत स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उक्त उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य नोडल एजेंसियों को निधियां जारी करती है। वर्ष 2000-2001 के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

18 राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संसाधन अध्यापकों की सहायता से जिला प्राथमिकता शिक्षा कार्यक्रमों में अध्यापक प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत तरीके से तथा सहयोगात्मक पद्धति से प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। प्रशिक्षणों में शिक्षण के न्यूनतम स्तरों, क्षमता आधारित, बाल केन्द्रित तथा

क्रियाकलाप-उन्मुख अध्ययन-अध्यापन पर बल दिया गया है। उक्त कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अनुरूप जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत निधियां जारी की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा परियोजना के विभिन्न घटकों को अलग-अलग निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों में क्षमता-निर्माण के अतिरिक्त इन्टरएक्टिव कॉन्फेरेन्सिंग (टेली-कॉन्फरेन्सिंग), रेडियो-प्रसारण, इन्टरनेट सुविधा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा कार्मियों विशेष रूप से अध्यापकों को; स्वयं शिक्षण योग्य मुद्रित सामग्री, श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों तथा मल्टी-मीडिया पैकेज के माध्यम से भी अन्य कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सेवा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 18 राज्यों में प्रदान की जा रही ही।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान स्कूल अध्यापकों हेतु विशेष प्रबोधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य नोडल एजेंसियों को जारी की गई निधियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
गोवा	5.40
हरियाणा	5.40
जम्मू	71.39
कर्नाटक	510.57
केरल	233.36
महाराष्ट्र	716.43
राजस्थान	42.97
तमिलनाडु	229.89
त्रिपुरा	30.20
कुल	1845.61

अनुकंपा आधार पर नौकरियां

2534. श्री अमर राय प्रधान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय/विभागों के कितने अधिकारियों का सेवा के दौरान निधन हुआ;

(ख) उन पात्र आश्रितों की संख्या कितनी है जिन्हें अनुकंपा आधार पर उचित नौकरियां दी गई;

(ग) कितने पात्र आश्रितों को अब तक अनुकंपा आधार पर नौकरियां नहीं दी गई हैं; और

(घ) दिवंगत अधिकारियों के ऐसे पात्र आश्रितों को कब तक अनुकंपा आधार पर नौकरी दे दी जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) गृह मंत्रालय और इसके विभागों (मुख्य) में उन कर्मचारियों की संख्या, जिनका गत तीन वर्षों के दौरान सेवा में रहते हुए निधन हो गया, नीचे दी गई है:-

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या
1999	5
2000	9
2001	10
कुल	24

(ख) और (ग) उन 24 कर्मचारियों, जिनका गत तीन वर्षों के दौरान निधन हो गया था, में से केवल 22 पात्र आश्रितों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से, एक मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है।

(घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां, प्रत्येक भर्ती वर्ष में उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5% तक, सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध केवल ग्रुप ''ग'' या ग्रुप ''घ'' में की जाती है। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा के आधार पर केवल एक रिक्त पद तब भरा जा सकता है जब सीधे भर्ती कोटे के अधीन कम से कम 20 रिक्त पद हों। सीमित रिक्तियों की संख्या को देखते हुए सभी मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देना संभव नहीं होगा।

भारत का राजनैतिक मानचित्र

2535. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 18.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4412 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित कर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी हां। आश्वासन की पूर्ति 22.2.2002 को की गई है। उत्तर का पाठ नीचे लिखे अनुसार है:

केरल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, केरल की कक्षा VII की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ट 89 तथा 92 में प्रकाशित 65 वर्षों के दौरान विश्व की जनसंख्या के धनत्व को दर्शाने वाले मानचित्रों में तथा जनसंख्या की प्रतिशतता को दर्शाने वाले मानचित्र में भारत सहित कुछ राष्ट्रों की सीमाओं के अंकन संबंधी कुछ विसंगतियां हैं। उक्त मानचित्र वाघ द्वारा लिखित एवं थामस नेलसन एंड संस लिमिटेड, यू.के. (1995) द्वारा प्रकाशित 'ज्योग्राफी एन इन्टीगरेटेड अप्रोच' (द्वितीय संस्करण) नामक पुस्तक से लिए गए हैं। ये गलतियां असावधानी से हुई है। उक्त गलतियों का पता चल जाने के बाद, राज्य सरकार ने कक्षा संचालन के लिए उक्त मानचित्रों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि आगामी संस्करणों में अशुद्ध मानचित्रों को हटा दिया जाए। राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के भी आदेश दिए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में राज्यों के पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

2536. श्री राजैया मल्याला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन का विचार वर्ष 2002-2003 के दौरान दक्षिण भारत में संबंधित राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में प्रायोगिक आधार पर राज्यों के पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सैद्धांतिक रूप से कुछ स्कूलों में प्रायोगिक आधार पर बारहवीं कक्षा में राज्यों के पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। तथापि, यह वर्ष 2002-2003 से शुरू करना संभव नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों की नियंत्रण सूची

2537. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी नई औषधियों, टीकों और पशु चिकित्सा उत्पादों को नियंत्रण सूची से हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) वर्तमान नियंत्रण सूची में कितनी औषधियां और संपाक हैं; और

(घ) मूल्य सूची के अन्तर्गत अब कितनी औषधियां हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में "भेषज नीति-2002" की घोषणा की है। इस नीति में राष्ट्रीय आवश्यकता औषध सूची में प्रकाशित मदों की सूची में से सेरा एवं वेक्सीन, रक्त उत्पाद, संयोजन इत्यादि को छोड़कर औषधों और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपतकालीन देखभाल आदि में प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए औषधों की मूल्य विनियमन हेतु पहचान करने की व्यवस्था हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत पेटेंटशुदा किसी नए औषध का विनिर्माण करने वाला विनिर्माता, यदि इसे स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के जरिए विकसित करता है, तो वह देश में इसके वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए उस औषध के संबंधों में मूल्य नियंत्रण से छूट के लिए पात्र होगा। वर्तमान में 74 प्रपुंज औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रणाधीन है, जैसा कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 की प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है।

विद्यालयों में परीक्षा प्रणाली

2538. श्री के. करूणाकरन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में सभी स्तरों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों से परामर्श करके परीक्षा आयोजन और परिणामों की घोषणा समय पर कराने के लिए विद्यालयों में परीक्षा प्रणाली को कारगर बनाने का है ताकि छात्र देश के किसी भी भाग में उच्चतर अध्ययन के लिए प्रवेश ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है और स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का विषय है। बोर्ड स्तर की परीक्षाओं के आयोजन तथा तत्संबंधी परिमाणों की घोषणा के समय का निर्णय विभिन्न राज्यों में स्थापित संबंधित स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा लिया जाता है। यह निर्णय लेते वक्त स्थानीय स्थितियों, परीक्षार्थियों की संख्या तथा उच्चतर अध्ययन संस्थाओं एवं व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश के संबंध में छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विविधिता को देखते हुए परीक्षाओं के आयोजन के कार्यक्रम को समान रूप से निर्धारित करना उचित नहीं हैं। इससे राज्य शिक्षा बोर्डों की स्वायत्तता भी कम होगी।

शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना

2539. डा. संजय पासवान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना नहीं करता है। तथापि आयोग ने निम्नलिखित पांच विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों" का दर्जा प्रदान किया है:-

1. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
2. जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
3. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
5. मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नै

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

2540. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री बी.वी.एन. रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुक्त विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षा आयोजन की व्यापक निंदा हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदाचार सामने आए हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या देश के बहुत-से स्थानों पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के फर्जी प्रमाण-पत्रों की खुलेआम बिक्री हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को कारगर बनाने तथा इसे मजाक बनने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करने तथा इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रमाण-पत्र देने का प्राधिकार दिया गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने सरकार को सूचित किया है कि अप्रैल/मई, 2000 और अप्रैल/मई, 2001 में आयोजित परीक्षाओं के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को कुछ परीक्षा केन्द्रों में बड़े पैमाने पर नकल किए जाने की रिपोर्ट मिली थी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

	परीक्षाओं में बैठे छात्रों की संख्या	परीक्षा केन्द्रों की संख्या	बड़े पैमाने पर नकल करने संबंधी मामलों में संलिप्त छात्रों की संख्या	बड़े पैमाने पर नकल के मामलों में संलिप्त परीक्षा केन्द्रों की संख्या
अप्रैल/मई, 2000 में आयोजित परीक्षाएं				
माध्यमिक परीक्षा	98948		1894	
		522		37
वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा	71453		8312	
अप्रैल/मई, 2001 में आयोजित परीक्षाएं				
माध्यमिक परीक्षा	122101		2355	
		621		39
वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा	93175		3649	

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने अपने द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल और अन्य कदाचार रोकने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान जो विशेष उपाय किए हैं वे इस प्रकार है:-

1. अब जहां तक संभव होता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा प्रत्यायित संस्थाओं को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाता है, क्योंकि प्रत्यायित संस्थाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के प्रति जबाबदेह होती हैं और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय पद्धति से भलीभांति परिचित भी होती हैं।

2. परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों को उसी दिन शाम तक उत्तर पुस्तिकाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पास भेजने का निवेश दिया जाता है।

3. परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों के स्केन किये गये फोटो परीक्षा केन्द्र में भेजा जाना ताकि परीक्षा देने वाले किसी छात्र की जगह दूसरा व्यक्ति परीक्षा में न बैठ सके।

4. परीक्षाओं के निष्पक्ष आयोजित हेतु निगरानी के लिए पर्यवेक्षक दल/नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।

5. प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने के लिए आंतरिक परीक्षकों के अतिरिक्त बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करना।

6. अक्तूबर, 2001 की परीक्षाओं से गुप्त मूल्यांकन के लिए विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर काल्पनिक रोल नम्बर देने की अवधारणा को शुरू करना।

7. अप्रैल/मई, 2000 की परीक्षाओं के दौरान कदाचार में संलिप्त 26 प्रत्यायित संस्थाओं का प्रत्यायन समाप्त कर दिया गया था। अन्य ग्यारह परीक्षा केन्द्रों (गैर-प्रत्यायित संस्थाओं) को भी काली सूची में डाल दिया गया है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नकल करने वाले छात्रों की संख्या, जो अप्रैल/मई, 2000 में आयोजित परीक्षाओं में लगभग 6 प्रतिशत (170401 में से 10206) थी, घटकर अप्रैल/मई, 2001 की परीक्षाओं में 2.78 प्रतिशत (215276 में से 6004) रह गई।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जाली प्रमाण-पत्रों की आंध्र प्रदेश में तथाकथित बिक्री से संबंध में आंध्र प्रदेश से प्रकाशित समाचार पत्र "इनाडु" में अक्टूबर, 2000 के दौरान खबर प्रकाशित हुई थी। कलैंडर वर्ष 2001 के दौरान विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तियों ने अधिप्रमाणन की जांच हेतु 525 प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पास भेजे थे। इनमें से 14 प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा जारी नहीं किये गये थे। इन सभी मामलों की जांच-पड़ताल तथा उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के पास भेज गया था। वर्ष 1998 में पंजीकृत एक ऐसा मामला अब विचारण के अधीन है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने इस बुराई को रोकने के लिए निम्नलिखित कड़े कदम उठाए हैं:-

(1) अब प्रमाण-पत्रों पर छात्र का स्कैन किया गया फोटो होता है जो सीधा प्रवेश-प्रत्र से लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि प्रमाण-पत्र असली है।

(2) प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के 'लोगो वाटर मार्क्ड' कागज पर मुद्रित किये जाते हैं और उन पर होलोग्राम चिपका होता है।

(3) अदृश्य स्याही में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का 'मार्क' भी प्रमाण-पत्रों पर मुद्रित किया जाता है।

(4) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञाप्तियां, और विज्ञापन देकर जन साधारण को इस बात से आगाह किया जाता है कि इन बेईमान तत्वों से बचें।

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान

2541. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 51 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की 36 परियोजनाओं को निधियों की दूसरी किस्त जारी की गई है।

(ख) निधियों की दूसरी किस्त जारी करने के संबंध में जिलावार तथा परियोजनावार विवरण संलग्न हैं।

(ग) शेष परियोजनाओं को दूसरी किस्त जारी न करने के निम्नलिखित कारण हैं:-

(1) पहली किस्त को पूरी तरह से प्रयुक्त न किया जाना।

(2) जारी की गई निधियों के दूसरे तथा अद्यतन परीक्षित लेखाओं का प्राप्त न होना।

विवरण

(रु. लाख में)

क्रम.सं.	जिले का नाम	परियोजना	जारी की गई निधियां
1	2	3	4
1.	बालाघाट	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	10.00
2.	बेतूल	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	72.25
3.	भोपाल	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	15.00
4.	भिण्ड (चरण-I)	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	5.63
5.	भिण्ड (चरण-II)	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	20.00
6.	छत्तरपुर	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	56.33
7.	छत्तरपुर	उत्तर साक्षरता अभियान	15.00
8.	छिंदवाड़ा	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	99.00
9.	छिंदवाड़ा	उत्तर साक्षरता अभियान	25.22

1	2	3	4
10.	दतिया	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	14.58
11.	देवास	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	5.00
12.	ग्वालियर	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	15.00
13.	हौशंगाबाद	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	7.86
14.	झाबुआ (चरण-II)	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	40.00
15.	खारगौन	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	75.00
16.	मंदसौर	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	5.00
17.	मुरैना	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	20.00
18.	नरसिंगपुर	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	30.70
19.	पन्ना	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	10.00
20.	पन्ना	उत्तर साक्षरता अभियान	4.59
21.	रायसेन	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	20.00
22.	रायसेन	उत्तर साक्षरता अभियान	13.96
23.	राजगढ़	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	21.00
24.	रतलाम	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	100.00
25.	रीवा	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	66.25
26.	सागर	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	64.43
27.	सतना	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	54.33
28.	सिओनी	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	25.00
29.	शाहडोल	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	30.00
30	शिवपुरी	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	10.00
31.	शिवपुरी	उत्तर साक्षरता अभियान	25.00
32.	सिधी	उत्तर साक्षरता अभियान	65.50
33.	टिकमगढ़	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	44.18
34.	टिकमगढ़	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	15.00
35.	उज्जैन (चरण-II)	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	30.00
36.	विदिशा	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	13.90

[अनुवाद]

हिन्दी अध्यापकों को विदेश भेजना

2542. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापकों को हिन्दी पढ़ाने के लिए विदेश भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अध्यापकों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने हिन्दी अध्यापकों/प्राध्यापकों को विदेश भेजा गया; और

(घ) इस योजना के माध्यम से अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जिला अध्यापक प्रशिक्षण परिषद

2543. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में जिला स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद से संबद्ध संस्थाओं के लिए प्रक्रिया और शर्तों की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद कई राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में उक्त मानदंडों का कार्यान्वयन समान रूप से नहीं कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) मंत्रालय ने जिला स्तर पर किसी अध्यापक प्रशिक्षण परिषद का गठन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों और मानकों का पालन सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, 4.9.2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए प्रतिमानक और मानक) के खंड 7 की शर्त में यह उल्लेख है कि यदि अधिसूचित प्रतिमानकों और मानकों के अनुसरण से उत्पन्न होने वाली किसी समस्या को दूर करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होता है तो परिषद उस सीमा तक संस्थाओं की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में किसी भी प्रतिमानक या मानक में छूट दे सकती है, जो आवश्यक समझी जाएं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों के कार्यान्वयन के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ छूट की मांग की है।

[अनुवाद]

निजी अभिकरणों द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना

2544. श्री लक्ष्मण सेठ:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी अभिकरणों को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें एवं निबंधन क्या हैं; और

(ग) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान ऐसे कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सम विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्राईवेट क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति दी गई है। ऐसी सहभागिता

से संबंधित निबंधन एवं शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(ग) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान नौ संस्थाओं को ''सम विश्वविद्यालय'' का दर्जा दिया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा केन्द्र की स्थापना

2545. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की कमी और उसके निम्न स्तर पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वाकांक्षी छात्रों को ऊंची नौकरियों के लिए शहरी छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा केन्द्र की स्थापना करने हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) इस समय देश में 246 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाएं तथा 1140 कालेज हैं। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और राज्य मुक्त विश्वविद्यालय भी दूरस्त शिक्षा पद्धति के माध्यम विषयों में पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इस प्रकार देश के प्रत्येक भाग में उच्चतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ''कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग कक्षा योजना'' के अन्तर्गत उपचारी कोचिंग, समूह 'ख' और 'ग' स्तर के पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने के संबंध में विश्वविद्यालयों/कालेजों को अनुदान दे रहा है। विसंगतियों और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास हेतु कालेज सहायता योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करने वाले कालेजों तथा पिछड़े/ग्रामीण/सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कालेजों को सहायता प्रदान कर रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद की स्थापना का उद्देश्य

2546. श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) को गठित करने का उद्देश्य शिक्षकों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाना था;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसे सफल बनाने हेतु कौन सी योजना बनाई जा रही है;

(घ) क्या सरकार उक्त परिषद के कार्यकरण को निर्धारित करने के लिए कोई समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पूरे देश भर में अध्यापक शिक्षा पद्धति के योजनाबद्ध तथा समन्वित विकास को प्राप्त करने, अध्यापक शिक्षा पद्धति तथा इससे संबद्ध मामले के प्रतिमानकों तथा मानकों के विनियमन तथा उपयुक्त अनुरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) इस अधिदेश के अनुसरण में तथा मान्यता प्रदान करने के लिए, परिषद ने विभिन्न स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिमानकों तथा मानकों को अधिसूचित किया था। 31.3.2001 तक परिषद द्वारा 2491 पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई है जिनमें छात्रों की कुल अनुमोदित दाखिला क्षमता 180341 है।

(घ) और (ङ) परिषद के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए सरकार एक समिति का गठन कर चुकी है।

माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

2547. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शीघ्र ही माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रकिया को आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था। माध्यमिक शिक्षा का विकास और उसे सर्व सुलभ बनाने संबंधी विषय इस सम्मेलन के प्रमुख विषयों में से एक था।

लघु अवधि कम्प्यूटर संचालन प्रशिक्षण परियोजना

2548. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान लघु अवधि कम्प्यूटर संचालन प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक परियोजना के सतत शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात समेत अन्य राज्य सरकारों को निधियों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक उक्त परियोजना के अन्तर्गत कितने उम्मीदवारों को लघु अवधि कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की राज्य-वार एवं वर्ष-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में साक्षरता अभियान

2549. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में साक्षरता अभियान के वांछित लक्ष्य की उपलब्धि नही हो सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी स्थिति उनके विभाग और राज्य सरकार के संबंधित विश्वविद्यालय के बीच समन्वय की कमी के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना (अनंतिम) के अनुसार उड़ीसा की साक्षरता दर वर्ष 1991 के 49.09% से बढ़कर वर्ष 2001 में 63.01% हो गई है। यह हर पश्चिम बंगाल मे वर्ष 1991 के 57.70% से बढ़कर वर्ष 2001 में 69.22% हो गई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देश में पूर्ण साक्षरता अर्थात् वर्ष 2005 तक 75% की पोषणक्षम प्रभावसीमा प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है।

(ग) और (घ) साक्षरता अभियान राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं बल्कि जिला साक्षरता समितियों, जो जिला कलक्टर की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसाइटियां होती हैं, द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

न्यायमूर्ति अय्यर समिति की रिपोर्ट पर अमल

2550. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अमल करने के लिए राज्यों को नया मार्गनिदेश जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों पर अमल करने के संबंध में राज्य सरकारों से प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में महिला कैदियों पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1987 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी। उनसे अनुरोध किया गया था कि रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों की जांच की जाये और उन पर कार्रवाई की जाये। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की

रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों से समय-समय पर स्थिति की रिपोर्ट मांगी जाती रही है। कुछ राज्य सरकारों ने सूचना भेजी है। अन्य राज्य सरकारों को अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

अनुकंपा के आधार पर नौकरियां

2551. श्री अमर राय प्रधान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में कार्यरत कितने कर्मचारियों की सेवारत रहते हुए मृत्यु हुई, इस संबंध में वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के कितने अर्द्ध आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर उपयुक्त पदों पर नियुक्ति दी गई हैं;

(ग) ऐसे कर्मचारियों के कितने अर्द्ध आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर उपयुक्त पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है; और

(घ) सेवारत रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके ऐसे अर्द्ध आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी कब तक उपलब्ध करा दी जाती हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क)

1999	6
2000	5
2001	4
कुल	15

(ख) 8 (आठ)

(ग) 5 (पांच)

दो आवेदकों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं पाया गया।

(घ) चूंकि समूह 'ग' और 'घ' में सीधी भर्ती कोटा के तहत अनुकंपा के आधार पर केवल 5 प्रतिशत रिक्त पदों को ही भरा जा सकता है, अत: यह समय सीमा बताना बहुत कठिन होगा कि कब तक सभी योग्य आवेदकों को नियुक्त किया जा सकता है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा

2552. श्री नागमणि: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा स्तर तक अपना अध्ययन जारी रखने वाले छात्रों की संख्या अत्यंत कम है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे छात्रों की प्रतिशत संख्या क्या है जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेते हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है कि उच्च शिक्षा के लिए और अधिक धनराशि व्यय की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) स्कूल शिक्षा के कक्षा-I में दाखिले की प्रतिशतता की तुलना में उन छात्रों की अनुमानित प्रतिशतता लगभग 10 प्रतिशत है जो उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष तक पहुंच पाते हैं।

(ग) और (घ) उच्च शिक्षा पर सरकारी व्यय में निरंतर बढ़ोतरी होती रही है। आठवीं योजना की तुलना में नौवीं योजना के दौरान योजनागत तथा योजनेत्तर के तहत आबंटन में क्रमश: 216 प्रतिशत तथा 245 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

चयन बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2553. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 11.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3528 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3528 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने संबंधी सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी सांविधिक/स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्रित करना अपेक्षित है। आश्वासन को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने या आश्वासन को पूरा करने के लिए बढ़ाए गए समय के अंतर्गत पूरा करने के प्रयास जारी है।

प्रबंध संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

2554. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा का प्रबंधन 21वीं शदी की चुनौतियां पर हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई और भाग लेने वालों ने क्या विचार व्यक्त किये; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सम्मेलन के सुझावों और सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) जी, हां। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 9 फरवरी, 2002 को "उच्च शिक्षा का प्रबंधन: 21वीं शताब्दी की चुनौतियां" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए विषयों में शामिल है-(1) उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंध का पूर्वानुमान, (2) प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देना: शिक्षा के भविष्य के लिए कार्य नीतियां, (3) उद्योग-शिक्षा, सरकार के बीच पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियां, (4) उच्च शिक्षा का औचित्य और प्रासंगिकता और (5) उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियां। चर्चा के ब्यौरे सहित सम्मेलन की कार्यवाहियां तथा निष्कर्ष सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

नि:शक्त बच्चे को शिक्षा

2555. श्री टी. एम. सेल्वागनपति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि नि:शक्त बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के बावजूद, नि:शक्त बच्चों के लिए शिक्षा एक दूर का स्वप्न बन कर रह गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को 18 वर्ष तक की उम्र वाले सभी नि:शक्त बच्चों को एक उचित वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए चलाई जाने वाली विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना के तहत नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 90000 विकलांग बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। जबकि उस लक्ष्य को पार करते हुए सरकार अब तक 133088 विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान कर चुकी हैं। सरकार ने वर्ष 2002-2003 के लिए 31.50 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया है जो कि पिछले वर्ष के बजट आबंटन से 47% अधिक हैं।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्री तथा शिक्षा सचिव राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से लगातार आग्रह करते रहे हैं कि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करें तथा विकलांग अधिनियम, 1995 के प्रावधानों, जिसमें 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रवधान भी शामिल है, को कार्यान्वित करें। अधिकांश राज्य सरकारों ने अनुकूल कार्रवाई की है।

परिवार परामर्श केन्द्र

2556. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने परामर्श केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गयी है;

(ग) उक्त केन्द्र किस सीमा तक पारिवारिक विवादों को निपटाने में सफल रहे हैं;

(घ) क्या महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए और अधिक परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) परिवार परामर्श केन्द्र स्कीम का उद्देश्य दुखी महिलाओं को परामर्श और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है।

(ग) परिवार परामर्श केन्द्र काफी हद तक पारिवारिक विवादों को निपटाने में सफल रहे हैं और इनकी उपयोगिता को परिवार न्यायालयों, पुलिस, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकार प्रशासनों द्वारा माना जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से हर वर्ष 50,000 से अधिक महिलाएं और परिवार लाभ उठा रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। परिवार परामर्श केन्द्र स्कीम विस्तारणीय कार्यक्रम है तथा हर वर्ष जरूरत वाले क्षेत्रों में नये परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। चालू वर्ष में खोले गए नये परिवार परामर्श केन्द्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में मौजूदा परिवार परामर्श केन्द्रों तथा वर्ष 2001-2002 में खोले गए नए केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	विद्यमान परिवार परामर्श केन्द्र	वर्ष 2001-2002 में खोले गए नए केन्द्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	3
2.	असम	9	5
3.	बिहार	26	10
4.	गुजरात	33	1
5.	हरियाणा	15	3
6.	हिमाचल प्रदेश	5	3
7.	जम्मू व कश्मीर	1	3
8.	कर्नाटक	35	3
9.	केरल	34	–
10.	मध्य प्रदेश	33	10
11.	महाराष्ट्र	41	5
12.	मणिपुर	–	2
13.	मेघालय	3	2
14.	नागालैंड	1	2
15.	उड़ीसा	13	6

1	2	3	4
16.	पंजाब	10	1
17.	राजस्थान	11	8
18.	तमिलनाडु	31	3
19.	त्रिपुरा	5	–
20.	उत्तर प्रदेश	32	18
21.	पश्चिम बंगाल	29	1
22.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1
23.	अरूणाचल प्रदेश	1	4
24.	चंडीगढ़	3	1
25.	दिल्ली	32	–
26.	गोवा	1	1
27.	लक्षद्वीप	–	1
28.	मिजोरम	1	1
29.	पांडिचेरी	4	–
30.	सिक्किम	2	1
31.	दादर एवं नगर हवेली	–	1
	कुल	436	100

ग्रेडिंग पद्धति

2557. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) ने विद्यालयों के लिए ग्रेडिंग पद्धति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई ग्रेडिंग पद्धति कब से शुरू की जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने दो प्रकार की ग्रेडिंग का प्रस्ताव किया है अर्थात सह शैक्षिक योग्यताओं के मूल्यांकन हेतु प्रत्यक्ष ग्रेडिंग और शैक्षिक योग्यताओं के मूल्यांकन हेतु अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग। अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग को भी दो भागों में बांटा गया है अर्थात केवल स्कूल अधारित (गृह) परीक्षाओं के लिए ग्रेडिंग तथा सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए सापेक्ष ग्रेडिंग।

(ग) ग्रेडिंग प्रणाली के कार्यान्वयन का कार्य स्कूल शिक्षा बोर्डों पर छोड़ दिया गया है क्योंकि यह उनके लिए अनिवार्य नहीं है।

आर.सी.एफ. की डीलरशिपें

2558. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की डीलरशिप के आबंटन में किन मापदंडों का अनुपालन किया गया है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आर सी एफ ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र में डीलरशिप का आबंटन करने के लिए कितने विज्ञापन जारी किये;

(ग) क्या सरकार ने अहमदनगर जिला ग्रामीण क्षेत्रों में डीलरशिप आबंटन में हुई अनियमितताओं पर गौर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) उर्वरकों के डिस्ट्रीब्यूटरों/डीलरों की नियुक्ति अलग-अलग कम्पनियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में उनकी वाणिज्यिक और विपणन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए लाइसेंस, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ) द्वारा डीलरशिप देने के लिए अपनाए जाने वाले मापद्णड नीचे दिए गए हैं:-

(1) आवेदक के पास जिला कृषि अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध उर्वरक डीलर्स लाइसेंस होना चाहिए;

(2) उर्वरक नियंत्रण आदेश से संबंधित कानूनों का पालन न किए जाने के कारण आवेदक को न तो दंडित किया गया हो और न ही लाइसेंस निरस्त किया गया हो।

(3) उर्वरक भण्डारण के लिए आवेदन के पास एक सुविधाजनक स्थान पर एक गोदाम और दुकान होनी चाहिए;

(4) आवेदक के कृषक समुदाय के साथ अच्छे संबंध और उर्वरक व्यापार में निवेश के स्त्रोत होने चाहिए;

(5) आवेदक का जिला कृषि अधिकारी तथा बैंकर्स के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए;

(6) आवेदक द्वारा आयकर निर्वाधता प्रमाण प्त्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसके पास बिक्री कर पंजीकरण नम्बर होना चाहिए;

(7) यदि आवेदक बेरोजगार स्नातक या शारीरिक रूप से विकलांग या अ.सू.जा/अ.सू.ज.जा वर्ग से या भूतपूर्व सैनिक से संबंधित हो तो इस आशय के आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

डीलरों का अन्तिम चयन, आर सी एफ द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

(ख) गत 2 वर्षों के दौरान डीलरशिप देने के लिए आर सी एफ द्वारा कुल 19 विज्ञापन जारी किए गए थे जिनमें महाराष्ट्र राज्य की 9 डीलरशिप शामिल हैं।

(ग) आर सी एफ प्रबधन द्वारा जिला अहमदनगर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डीलरशिप कम्पनी की नीति के अनुसार दी गई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश निधि प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठन

2559. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री राजैया मल्याला:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में और आज की तारीख में राज्य-वार कितने गैर सरकारी संगठनों ने विदेश से निधि प्राप्त की;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान कुछ गैर सरकारी संगठनों ने इस विदेशी निधि का गैर कानूनी, राष्ट्र-विरोध और धार्मिक कार्यों हेतु दुरूपयोग किया हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लेखा की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे गैर सरकारी संगठनों जिनकी लेखा परीक्षा की गई और जिनकी लेखा परीक्षा की जा रही है की राज्य-वार संख्या सहित ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध राज्य-वार की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) "स्वयं-सेवी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति" के संबंध में ब्यौरे गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित वार्षिक

रिपोर्टों में दिए गए हैं। वर्ष 1999-2000 तक की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्ष 2000-2001 के आंकड़ें संकलित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय के दुरूपयोग के बारे में जब कभी रिपोर्टें मिलती हैं, तो उनकी जांच की जाती है और संबंधित संगठन के विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियिमन) अधिनियम, 1976 के ससंगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाती है। की जाने वाली कार्रवाई में, उस संगठन द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाना, उसके बैंक खातों को सील करना और उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाना शामिल है।

(घ) से (च) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसके पास यह संदेह करने के लिए कोई आधार है कि किसी संगठन ने अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है या किया जा रहा है तो वह उस संगठन के लेखों ओर रिकार्डों की जांच के आदेश दे सकती हैं। यह सतत् प्रक्रिया है।

इंडियन साइंस कांग्रेस

2560. श्री जी. एस. बसवराज:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन साइंस कांग्रेस का 89वां सत्र लखनऊ में आयोजित किया गया था और 3 जनवरी, 2002 को प्रधान मंत्री ने इसका उद्घाटन किया;

(ख) यदि हां, तो इस सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या यह सच हैं कि नई नीति तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो विलंब के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) नई विज्ञान नीति के कब तक घोषित किये जाने की संभावना हैं;

(च) क्या इंडियन साइंस कांग्रेस के लखनऊ सत्र के समापन समारोह में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के मद्देनजर वित्त मंत्रालय को देश में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अधिक धनराशि आवंटित करने को कहा गया है;

(छ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि के आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ज) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु आबंटन दसवीं योजनावधि में भी किये जाने का प्रस्ताव है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या इंडियन साइंस कांग्रेस के पूर्व सत्र की सिफारिशों को लागू किया गया है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां।

(ख) भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक सत्र का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों/शोधकर्ताओं के बीच सूचना का अनौपचारिक आदान-प्रादान करना है। सत्र के केन्द्रीय विषय पर पत्रों/पोस्टरों का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 89वें सत्र का केन्द्रीय विषय ''स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी'' था कांग्रेस ने सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए केन्द्रीय विषय पर सिफारिशें भी बनाई।

(ग) से (ङ) शीघ्र निर्णय के लिए सरकार को नीति दस्तावेज का मसौदा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति बनाने के लिए विचार-विमर्श प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

(च) से (झ) माननीय प्रधान मंत्री जी ने लखनऊ में 89वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में 10वीं योजना के अंतिम वर्ष में कुले राष्ट्रीय आर एण्ड डी निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% बढ़ाने तथा प्रतिरोधों के बावजूद आगे बढ़ने को कहा।

(ञ) और (ट) भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पहले के सत्रों की सिफारिशें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंन्सियों को, उनके विचार जानने तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना

2561. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजनाओं के लिए राज्यों को दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने मार्च, 2001 के अन्त तक कुल 3567.84 करोड़ रु. की राशि प्रदान की है जिसमें से परियोजना संबंध राज्यों ने 3274.22 करोड़ रु. का कुल व्यय किया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के वित्तीय पैरामीटर के तहत, आगामी छह माह की जरूरत को पूरा करने के लिए निधियां अग्रिम तौर पर जारी की जाती है। अत: वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रयुक्त न की गई निधियों में, आगामी वर्ष में परियोजना के मौजूदा कार्यकलापों पर होने वाले खर्च के लिए अग्रिम तौर पर जारी की गई निधियों को भी शामिल किया जाता है।

भारत सरकार, परियोजना की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है तथा उन राज्यों, जिनमें योजना के लक्ष्यों की तुलना में व्यय में काफी कमी रही है, को व्यय की प्रगति में सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रयास करने का परामर्श देती है। कार्यक्रम कार्यान्वयन में समग्र सुधार लाने के लिए परियोजना राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।

औद्योगिक इकाइयों को फर्जी प्रमाणपत्र

2562. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 2001 के "नवभारत टाइम्स" में दिल्ली की प्रौद्योगिक इकाइयों के मामले में उच्चतम न्यायालय के नियमों और उनको दिए जाने वाले प्रदूषण रहित प्रमाण पत्रों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने सूचना दी है कि इस जानकारी के आधार पर, कि कुछ शरारती व्यक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बहाने तथा डीपीसीसी के जाली आदेशों/परिपत्रों के नाम पर आम जनता/उद्योगपतियों को ठग रहे हैं, उसने 30 नवम्बर, 2000 को एक प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करायी है। उसने इस बारे में 30 नवंबर, 2000 को सभी उद्योग समितियों/संघों को भी सूचित कर दिया था। इस मामले की दिल्ली पुलिस ने जांच-पड़ताल की थी और और बाद में गहन जांच के लिये यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है और उसने 8 अक्टूबर 2001 को इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

प्राथमिक शिक्षा

2563. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी गैर सरकारी संगठन को प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'यूनीसेफ' से धन मुहैया कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दवाइयों की कीमत

2564. डा. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिस्टैक इफरवैसेन्ट गोलियां, ग्रामोनेज, ग्रामोजील, रिवाइटल और ग्रामोनेज एम गोलियां उंची कीमतों पर बेची जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) हिस्टैक इफरवेसेन्ट टिकिया, ग्रामोनेज, ग्रामोजिल और ग्रामोनेज एम टिकिया एन.पी.पी.ए. द्वारा नियत सीलिंग/गैर-सीलिंग मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं। मैसर्स रेनबैक्सी द्वारा खाद्य पूरक के रूप में रिवाइटल का विनिर्माण और विक्रय औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि खाद्य अपमिश्रण प्रतिबन्ध (सी एफ ए) नियमावली, 1955 के तहत किया जाता है।

उच्च और व्यावसायिक शिक्षा हेतु नए संस्थान

2565. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च और व्यावसायिक शिक्षा हेतु नए संस्थान खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु पहचाने गए स्थानों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा हेतु नई संस्थाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृभको द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन

2566. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि कृभको द्वारा लगभग 19 परियोजनाएं बनाई गयीं और लगभग 462 लाख रुपये खर्च किए गए लेकिन एक भी परियोजना का क्रियान्वयन नही किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विषय की जांच की है और इस विषय में जिम्मेदारी तय की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को जनहित में सहकारी समितियों को निदेश देने की सांविधिक शक्ति है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कृभको को दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) आकर्षक निवेश अवसरों की पहचान, प्रस्तावों की व्यवहार्यता प्रमाणित करने के लिए कुछ न्यूनतम पूर्व-परियोजना कार्यकलाप पूरा होने के पश्चात् ही किए जा सकते हैं, जिसमें कुछ व्यय भी शामिल होगा।

(ग) से (च) सरकार ने यू एस ए/रूस में फॉस्फेटिक उर्वरक निर्माण सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उस प्रस्ताव से संबंधित कृभको के निर्णय को जो त्याग किये गये 19 प्रस्तावों में से एक हैं, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को जांच के लिए निर्दिष्ट किया है। कृभको द्वारा शेष 18 प्रस्तावों का त्याग किये जाने की परिस्थितियों की विस्तृत जांच सरकार द्वारा की गई थी और यह पाया गया था कि इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए और आगे जांच करने से कोई लाभ नहीं होगा। उपर्युक्त प्रस्तावों को आगे बढ़ाने या त्यागने के संबंध में कृभकों को सांविधिक शक्तियों के तहत कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

शैक्षिक संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

2567. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षिक संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा किए जाने के लिए मानदंड क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक मानद त्रिश्वविद्यालय का दर्जा दिये गये शैक्षिक संस्थानों के नाम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत किसी संस्था को सम विश्वविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि किसी संस्था के लिए सामान्य रूप से यह आवश्यक है कि:

(1) वह विशेषज्ञता के चुने हुए क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रमों और अनुसंधान का संचालन कर रहा हो जो मास्टर (या समतुल्य) और/या अनुसंधान स्तरों पर मौलिक और अत्यधिक उच्च शैक्षिक स्तरों के हों। पाठ्येतर, विस्तार और व्यवहारिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के साथ उसका बेहतर तालमेल हो।

(2) ऐसे विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिलने पर, जो विश्वविद्यालय प्रणाली को और अधिक समृद्ध बनाने तथा संस्था में विशेष रूप से अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए सक्षम हो, वह विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र में नवाचारी कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों में विशिष्ट योगदान कर रहा हो।

(3) वह उभरते क्षेत्रों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों और सामान्य रूप से समाज के लिए प्रासंगिक और उपयोगी अनुप्रयोग युक्त कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सक्षम हो।

(4) संस्थाओं के पास ऐसी आवश्यक व्यवहार्यता और प्रबंधन होना चाहिए जो विश्वविद्यालय आदर्शों और परम्पराओं में सहयोग देने के लिए सक्षम हो।

सामान्यत: विश्वविद्यालयों से संबद्ध ऐसी संस्थाओं को जो बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी. या एम.ए./एम.कॉम/एम.एससी. जैसे केवल परम्परागत डिग्री कार्यक्रम प्रदान कर रही हैं, सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसी संस्था, जो नवाचारी कार्यक्रम भी प्रदान कर रही हैं और जिसके पास उपयुक्त संसाधन है, को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने पर विचार किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिर्फ ऐसे अपवाद स्वरूप मामलों में नवाचार के लिए पूरक सहायता देने पर विचार कर सकता है।

ऐसी संस्थाएं जो पूर्णकालिक छात्रों को सामान्य रूप का शिक्षण प्रदान कर रही हैं या सेवारत कार्मिक को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रही हैं, यदि वह अति उच्च कोटि का नहीं है तो सामान्यत: उन्हें सम-विश्वविद्यालय की मान्यता के योग्य नहीं समझा जाएगा।

चुनिन्दा मामलों में, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता प्राप्त कर रही उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थाओं के संबंध में उन्हें अनुसंधान डिग्री और मास्टर स्तर पर उच्च विशेषज्ञता वाले कार्यक्रम प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है।

यदि संस्था व्यावसायिक विषयों में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान कर रही है तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने हेतु अनुरोध करने से पूर्व शैक्षिक कार्यक्रम/कार्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त विद्या परिषद, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद आदि जैसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

तथापि यह बात उभरते क्षेत्रों में उत्कृष्टता को आश्वस्त करने वाली उन नई संस्थाओं पर लागू नहीं होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों को अभी पूरा नहीं करती हैं और जिनके संबंध में सम विश्वविद्यालय का अनंतिम दर्जा प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण-I के रूप में दी गई हैं जिन्हें विगत 3 वर्षों के दौरान सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। अभी तक अधिसूचित सभी सम विश्वविद्यालय की सूची संलग्न विवरण-II के रूप में दी गई है।

विवरण-I

ऐसी संस्थाओं की सूची जिन्हें विगत 3 वर्षों के दौरान सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया

1998-99

1. चेन्नई चिकित्सा कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (परन्तु दिनांक 29.3.2001 से संस्थान से सम विश्वविद्यालय का दर्जा वापस ले लिया गया)
2. इंस्ट्रिटयूट ऑफ अर्मामेंट टेक्नोलॉजी, पुणे
3. इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद
4. टेरी उच्च अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली।

2000-2001

5. बिहार योग भारतीय, मुंगेर, बिहार
6. धर्म सिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान, नाडियाड, गुजरात
7. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन, संस्थान, ग्वालियर
8. विनायक मिशन्स रिसर्च फाउंडेशन, सलेम, तमिलनाडु
9. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
10. भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ।

विवरण-II

ऐसी संस्थाओं की सूची जिन्हें सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

क्र .सं.	संस्थाओं के नाम
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
3.	श्री सत्य साईं उच्च अध्ययन संस्थान, प्रसनथिंगालयम
4.	अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

1	2
	बिहार
5.	बिहार योग भारती, मुंगेर
	गुजरात
6.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
7.	धर्मसिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान, नादियाड़
	हरियाणा
8.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
	झारखंड
9.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा
10.	भारतीय खनन स्कूल धनबाद
	कर्नाटक
11.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
12.	मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल
13.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर
	मध्य प्रदेश
14.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
15.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध संस्थान, ग्वालियर
	महाराष्ट्र
16.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे
17.	केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुम्बई
18.	डक्कन स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे
19.	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे
20.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई
21.	आयुद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे
22.	अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई
23.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई
24.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे
	पंजाब
25.	थापर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला
	राजस्थान
26.	वनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली
27.	बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी
28.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर
29.	जैन विश्व भारतीय संस्थान, लाडनूं
	तमिलनाडु
30.	अविनाशिलिंगम गृह विज्ञान और उच्चतर शिक्षा महिला संस्थान, कोयम्बतूर
31.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
32.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम
33.	श्री रामचन्द्र चिकित्सा कालेज और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
34.	विनायक मिशन अनुसंधान संघ, सलेम
35.	शानमुघ कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, तंजाबूर
36.	वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर
37.	सत्यबामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
	उत्तरांचल
38.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून
39.	गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
	उत्तर प्रदेश
40.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ
41.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, दयालबाग, आगरा
42.	भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान, इजातनगर
43.	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद

1	2
44.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
45.	भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ
	पश्चिम बंगाल
46.	बंगला इंजीनियरी कालेज, हावड़ा
	नई दिल्ली
47.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
48.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
49.	योजना और वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली
50.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
51.	राष्ट्रीय संग्रहालय, कला, इतिहास संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान
52.	उच्च अध्ययन टेरी स्कूल, नई दिल्ली

डेक्सामीथेसोन का तकनीकी अध्ययन

2568. डा. बलिराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन पी पी ए ने डेक्सामीथेसोन का तकनीकी और लागत संबंधी अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 8 मार्च, 2002 की उद्घोषणा जो उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत जारी की गई थी तथा जो 8 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 2002 को किए गए आदेश, जो 8 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 179(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5236/2002]

(2) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए, 6 मार्च, 2002 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5237/2002]

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहायक महानिरीक्षक विधिक और विनियम, समूह ''क'' के भर्ती नियम, 2002 जो 25 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 61(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5238/2002]

(4) गृह मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5239/2002]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5240/2002]

(2) (एक) नेशनल कोपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5241/2002]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5242/2002]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5243/2002]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:

(1) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5244/2002]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5245/2002]

(5) बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5246/2002]

(6) स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5247/2002]

(7) (एक) इंस्टीट्यूट आफ पेस्टिसाइड्स फारमूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ पेस्टिसाइड्स फारमूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5248/2002]

(9) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5249/2002]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशन टेक्नालाजी, चेन्नई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5250/2002]

(2) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च, गोआ का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5251/2002]

(3) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओशन इन्फारमेशन सर्विसेज, हैदराबाद का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5252/2002]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5253/2002]

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5254/2002]

(6) महासागर विकास विभाग की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5255/2002]

---

*वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे 26.2.2002 को सभा पटल पर रखे गए थे।

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): महोदय, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5256/2002]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5257/2002]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5258/2002]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2002 का संख्यांक 3)-कार्य निष्पादन मूल्यांकन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5259/2002]

(दो) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2000 का संख्यांक 4)-स्वायत्तशासी निकाय।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5260/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 94 की उपधारा (2) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2001 जो 3 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 637(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5261/2002]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-दो, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-दो, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5262/2002]

(3) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-तीन, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-तीन, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5263/2002]

(5) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5264/2002]

(7) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5265/2002]

(9) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5266/2002]

(11)(एक) गुजरात काउंसिल आफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधी नगर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात काउंसिल आफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधी नगर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5267/2002]

(13)(एक) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5268/2002]

(15)(एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5269/2002]

(17)(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5270/2002]

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5271/2002]

(20)(एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5272/2002]

(22) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5273/2002]

(24) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5274/2002]

(26) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलाजी, रांची का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5275/2002]

(27) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5276/2002]

(29) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5277/2002]

(31) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5278/2002]

(33)(एक) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5279/2002]

(35)(एक) स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5280/2002]

(37)(एक) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसयटी, शिमला के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसायटी, शिमला के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5281/2002]

(39)(एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5282/2002]

(40)(एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5283/2002]

(41)(एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, संगरूर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, संगरूर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5284/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

उत्तर प्रदेश बजट, 2002-2003

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5285/2002]

अपराह्न 12.04 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 2001-2002

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं, वर्ष 2001-2002 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5286/2002]

श्री वैको (शिवकाशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जिस बारे में पूरे तमिलनाडु में उत्तेजना एवं चिंता का माहौल है। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन पंडित जवाहर लाल नेहरू की दूरदृष्टि का प्रतीक है। इसी आधार पर 1957 में इसकी स्थापना हुई। यह एक प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रम है जो 1976-77 से आज तक लगातार लाभ अर्जित कर रहा है। हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने भारत सरकार द्वारा लगभग 6,000 करोड़ रु. निवेश की तुलना में 724 करोड़ रु. लाभ अर्जित किया। लेकिन यह जानकर हम लोगों को धक्का लगा कि विनिवेश आयोग ने नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन (एन.एल.सी.) की 51 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने की सिफारिश की है। निश्चय ही न केवल रुग्ण एकक बल्कि कुछ लाभ अर्जित करने वाली सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का भी विनिवेश होना है। लेकिन महोदय, नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन (एन.एल.सी.) का विनिवेश नहीं होना चाहिए।

इस समय निगम की महत्वपूर्ण गतिविधियों में इसके अंतर्गत 763 एम.टी. क्षमता वाली दो खानों से लिग्नाइट का खनन करना है। 600 मे.वा. तथा 1470 मे.वा. क्षमता वाले दो विद्युत स्टेशन सम्पूर्ण भारत की वर्तमान ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 10,000 लोगों को इंडिकोसर्व तथा अनुबंध के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराता है?

नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन (एन.एल.सी.) को एकाधिकार कम्पनियों के अधीन करने संबंधी सरकार की वर्तमान पहल को सहन नहीं किया जाएगा। भारत सरकार को विनिवेश आयोग की सिफारिशें निश्चय ही नहीं माननी चाहिए। उक्त प्रतिष्ठान हमारे राज्य का गौरव है। सरकार द्वारा 1.64 रु. प्रति यूनिट भुगतान किया जा रहा है जबकि हम लोगों को लगभग 5 रु. प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। सभी राजनीतिक दल, सभी मजदूर संघ तथा संपूर्ण राज्य इस मुद्दे पर आंदोलित है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त सरकारी उपक्रम के बारे में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर वह ध्यान दे। हमारे राज्य में यह एकमात्र ऐसा सरकारी उपक्रम है जो लाभ अर्जित कर रहा है। यदि सरकार नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन का विनिवेश करती है तो यह लाभ कमाने वाले सभी सरकारी उपक्रमों को एकाधिकार वादियों के हाथों में सौंपने जैसा होगा। माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व यह कहा कि लाभ कमाने वाले अन्य संस्थाओं का भी विनिवेश किया जाएगा। लेकिन नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन का विनिवेश नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को विनिवेश आयोग की सिफारिशें नहीं माननी चाहिए। राज्य की जनता तथा राजनीतिक पार्टियां पहले से ही इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थिति विस्फोटक न हो जाए।

इसलिए सरकार से तथा विशेषकर प्रधान मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह विनिवेश आयोग की सिफारिशों को न माने और साथ ही नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के विनिवेश के विचार को त्याग दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं उन सभी को श्री वैको के विचारों के साथ अपनी भावनाएं सम्बद्ध करने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कई दिनों के बाद आज ''शून्य काल'' हो रहा है। सभी माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, मैं सभी माननीय सदस्यों को आपके विचारों के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री वैको: पहली बार तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन सभी सदस्यों को इस विषय के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री इजिलमलाई, क्या आप इनकी बातों से सम्बद्ध हो रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री दलित इजिलमलाई (तिरूचिरापल्ली): महोदय, यह मामला केवल उनसे सम्बद्ध होने का नहीं है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि हम सभी उनकी बातों से सम्बद्ध हो रहे हैं। दरअसल हम लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। विशेषकर पूरा राज्य*...(व्यवधान)*

नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन के सम्बन्ध में मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, हम कार्पोरेशन को सब कुछ प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने नेवेली के आस-पास 'एन.एल.सी.' के लिए 32,000 एकड़ वाली सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहीत की थी। उक्त सम्पूर्ण भूमि अप्रयुक्त रह गई। 32,000 एकड़ भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि का भी उपयोग नहीं हुआ है। तमिलनाडु के लोग किसी भी हालत में नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के विनिवेश की अनुमति नहीं देंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सरकार कहां सुन रही है?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा है कि मैं आप सबको इस विषय से सम्बद्ध होने की अनुमति देता हूं। अब आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): मैं अब निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आदि शंकर, मैं आपको इस विषय से सम्बद्ध होने की अनुमति देता हूं। आपने कोई सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): जब कर्मचारी तथा मजदूर शांतिपूर्ण विरोध प्रकट कर रहे थे तब पुलिस ने उनकी बेदर्दी से पिटाई की*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आदि शंकर जी, क्या पढ़ रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आदि शंकर जी, आपको पीठ से अनुमति लेनी होगी। माना कि नेवेली आपके चुनाव क्षेत्र में है लेकिन बोलने के लिए आपको पीठ से अनुमति लेनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश): ऐसे संवेदनशील मामले में जबकि सदस्य के चुनाव क्षेत्र का मामला हो, तो उसे कम से कम दो मिनट बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री रोज कहते हैं, कि विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश को बेच रही है। माननीय सदस्य ने कहा है कि 32,000 एकड़ जमीन उस उद्योग की है। यदि यह लाभ कमाने वाली कम्पनी है तो सरकार किस आधार पर इसे बेच रही है। ऐसे एकक को बेचने का कोई तर्क, कुछ आधार, कोई औचित्य भी होना चाहिए। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन यदि माननीय सदस्य इतने भावुक हैं, और मेरी राय में यह मामला भी संवेदनशील है, तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: चन्द्रशेखर जी, मैं बताना चाहता हूं कि श्री वैको ने "शून्य काल" के दौरान यह मामला उठाने की सूचना दी है। जब सभी माननीय सदस्य उठ कर बोलने लगे, तब मैंने कहा कि मैं सभी को इस विषय से सम्बद्ध होने की अनुमति देता हूं। इन्होंने सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आदि शंकर: महोदय, मैं अब पीठ से अनुमति चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप ''शून्य काल'' के दौरान पढ़कर नहीं बोल सकते। तथापि, यह एकक आपके क्षेत्र में स्थित है, इसलिए आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री आदि शंकर: महोदय, नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के विद्युत स्टेशनों द्वारा उत्पादित बिजली दक्षिण के राज्यों यथा केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश को बहुत ही सस्ती दरों अर्थात् 1.65 रु. प्रति यूनिट की दर से बेची जाती है जबकि तमिलनाडु को 1.14 रु. प्रति यूनिट की दर से बेची जाती है; वहीं निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली 4.50 रु. से लेकर 5.50 रु. प्रति यूनिट के दर पर बेची जाती है। इसके अलावा यह कार्पोरेशन सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई है और यह दक्षिण क्षेत्र की विद्युत-आवश्यकताओं को भी पूरा कर रही है और ये कार्य व्यावसायिक दृष्टि से ज्यादा सेवा के रूप में किए जा रहे हैं। यह एक अर्थक्षम एकक है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है वे जल्द ही शुरू होने वाली है3। नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन के निजीकरण के प्रस्ताव पर वहां के मजदूर भी आंदोलित हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस उपक्रम के आधारभूत प्रबंधन में फेरबदल न करें क्योंकि उससे न केवल विद्युत क्षेत्र में समस्या पैदा होगी बल्कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, अत: सरकार को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कार्पोरेशन का अच्छा-भला माहौल दूषित हो।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे देश तथा विशेषकर कर्नाटक के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों से जुड़ा एक गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। महोदय, गत वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ प्रदान करने संबंधी 85वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस संविधान संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को मिलने वाली पदोन्नति के साथ-साथ उन्हें वरीयता भी मिलनी चाहिए। 30 जनवरी, 1997 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया कि पदोन्नति के साथ यह वरीयता प्राप्त नहीं होगी। इस मामले को सदन ने गंभीरता से लिया और संविधान के अनुच्छेद 16(4)(क) में संशोधन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी और जब 4 मार्च, 2002 को मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया गया, तो मुझे सभा को सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि मुख्य प्रतिवादी, जो कि भारत सरकार थी, की ओर से प्रारम्भिक सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन को कार्यान्वित करने के संबंध में रोक लगा दी है। रोक लगाने संबंधी आदेश में कहा गया है:

> ''इस बीच यथास्थिति जैसी कि आज है, कायम रखी जायेगी।''

इस आदेश के परिणामस्वरूप इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हजारों कर्मचारियों को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा। मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि याचिकाकर्त्ता श्री राजीव धवन और श्री वेणुगोपाल ने याचिका में उल्लिखित एक कथन के माध्यम से संसद का अपमान किया है। याचिका में कहा गया है:-

> ''उक्त संविधान संशोधन विधायिका की संशोधन करने की शक्ति के साथ धोखाधड़ी है, जोकि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देते हुए माननीय न्यायालय के विनिर्णय के प्रभाव को समाप्त करने की दृष्टि से किया गया है।''

वकील ने आगे यह कहा है:

> ''विधायिका ने उक्त संशोधन करने से पूर्व अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं किया है जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस पर कोई उचित चर्चा आयोजित नहीं की गई है और राजनीतिक दलों ने संसद सदस्यों को ह्विप जारी किया था।''

वकील भारतीय संसद और संसद द्वारा पारित संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। अत: मैं विधि और न्याय मंत्री और कार्मिक मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि 4 मार्च, 2002 को प्रारम्भिक सुनवाई के समय भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित क्यों नहीं था और सरकार पूरे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या आगामी कार्यवाही करने जा रही है। यदि इस संसद में संविधान संशोधन पारित होने के बावजूद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, तब इस संशोधन का कोई लाभ नहीं होगा। मैं विधि और न्याय मंत्री, कार्मिक मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर चाहूंगा।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवसर दूंगा। हम कई दिनों के बाद ''शून्य-काल'' को ले रहे हैं। हमें एक दूसरे की बात को

शान्ति से सुननी चाहिए। यदि आप सहयोग करेंगे, तो मैं प्रत्येक सदस्यों को अवसर प्रदान करूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मैं आपको बाद में बोलने का आवसर दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पोन्नुस्वामी, कृपया व्यवधान न पहुंचायें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह संसद हमारे देश का सर्वोच्च अंग है। इस संसद का सर्वोपरि कर्त्तव्य भारत के संविधान और इसके मूल्यों की रक्षा करना है। उस दिन सभा में सभा के नेता, माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संविधान के मामले में कोई समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में गुजरात में हुई पूरी हिंसा की निंदा की।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें सभा में किसी राजनीतिक दल द्वारा पारित किसी संकल्प पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि राजनीतिक दलों को देश के किसी भी मुद्दे पर उसके गुणावगुण के आधार पर चर्चा करने का अधिकार है। परंतु यदि कोई संगठन भारत के संविधान और इस राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष सौहार्द्र के विपरीत कोई संकल्प पारित करता है तो सरकार को ऐसे संकल्प की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

देश की वर्तमान स्थिति बड़ी विकट है। हम भारतीय इतिहास के बड़े गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता इस घड़ी में एकता बनाये रखने की बात कर रहे हैं। उसके पश्चात् सभी राजनीतिक पार्टियों ने संसद में अपने विचार रखे कि हम इस दिशा में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे इस देश के आपसी-सद्भाव को चोट पहुंचे।

बंगलौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दो दिन पूर्व जो संकल्प पारित किया था, मैं उसी पर बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभी को अवसर मिलना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपने भी इसी मुद्दे पर बोलने का नोटिस दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह संकल्प सीधी चुनौती है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा): महोदय, इस मामले पर कल डिस्कशन हो चुका है, ये बार-बार इसे क्यों उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डालें। मैं चाहता हूं कि आज प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिले। मैं उन सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना चाहता हूं जिन्होंने अपने नाम भी नहीं दिए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह संकल्प भारत के संविधान के लिए प्रत्यक्ष चुनौती है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौहान, कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान: महोदय, इस मामले पर कल डिसकशन हो चुका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संसद ने गोधरा घटना और उसके पश्चात जो हुआ की निंदा की है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान: इस मामले पर कल डिस्कशन हो चुका है, आप बार-बार इसे क्यों उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप "शून्य काल" नहीं चाहते, तो मैं कोई अन्य मामला उठाऊं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: गोधरा के पश्चात् गुजरात में क्या हुआ? संसद ने संविधान के सभी नागरिकों और सभी धर्मों के

लोगों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। संकल्प में कहा गया है: ''यदि मुसलमान लोग हिन्दुओं का मन जीत लें तो उन्हें बचाया जा सकता है।'' यह गलत बात है। यह 'बंच आफ थोट्स' में श्री गोवलकर के शब्दों की पुनरावृत्ति है। क्या संसद को इस मामले पर चुप्पी साध लेनी चाहिए? क्या सरकार को बंगलौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पारित इस संविधान विरोधी संकल्प में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? अत: इस सभा को एकमत से इस संकल्प को खुलकर कहना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

आज, यदि आप 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के संपादकीय को पढ़ें तो यह संसद चुप नहीं रह सकती...*(व्यवधान)* मैंने एक नोटिस दिया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब बाधा न डालें।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: महोदय, मैंने नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप ''शून्य काल'' नहीं चाहते, तो मैं कोई अन्य मामला लूंगा।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: मैंने सभा में इस मामले पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था। संसद और प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर खुलकर यह कहना चाहिए कि सरकार ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देगी।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब श्री अहमद बोलेंगे।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: महोदय, आप उस नोटिस के लिए कुछ समय निकालिए। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: यह मेरे हाथ में नहीं है। यदि आप निर्णय करें तो इसे कार्य मंत्रणा समिति के पास भेजा जायेगा।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: मेरे विचार से कार्यमंत्रणा समिति की कभी भी बैठक हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह आप पर निर्भर है।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: संसद इस मुद्दे की उपेक्षा नहीं कर सकती।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, यहां यह निर्णय नहीं किया जाता कि कौन-कौन से मुद्दे कार्यमंत्रणा समिति में भेजे जायेंगे। जब आप कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इसे उठायेंगे, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि समिति के पास समय हो, तो आप समय निर्धारित करके इस पर चर्चा कर सकते हैं। आपको कौन रोक रहा है? परंतु ऐसी बात नहीं है।

श्री अहमद, आपने भी इसी मामले पर नोटिस दिया है। मैं आपको संबद्ध करने की अनुमति दे रहा हूं। लंबा भाषण मत दीजिए। संक्षेप में बोलिए।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में इस देश के प्रत्येक नागरिक, विरोध रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी प्रधान मंत्रियों ने सभी वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के जीवन संपत्ति और सम्मान की रक्षा के लिए अनेक आश्वासन दिए हैं। प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिए देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अनेक निर्णय दिए हैं।

महोदय, मैं इन सब मामलों पर नहीं बोलना चाहता। परन्तु मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कुछेक लोगों अथवा कुछ संगठनों के हाथ में है अथवा इस देश की सरकार के हाथ में है। मुझे यह बोलने की अनुमति दी जाये कि संघ परिवार या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यह कहने का क्या अधिकार है कि वे किस तरह से जीवन बिताये, किस प्रकार सोचें और क्या करें। क्या यह अत्याचार नहीं है, क्या यह संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है, क्या यह इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप और उनका उल्लंघन नहीं है? चूंकि कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का है, इसलिए उसे उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसाकि वे चाहते हैं। एक लोकतान्त्रिक भारत में इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? इसे इस देश के लोग कैसे सहन करेंगे? ये मुसलमानों की उनकी जन्मभूमि के प्रति वफादारी को मापने हेतु पैमानों का उपयोग करने वाले होते कौन हैं। ये इस देश के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं?

मैं यह पूछना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार के हाथों में है या आर.एस.एस. के हाथों में। यह उनके अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कार्यान्वित करने और मुसलमानों के मूल अधिकारों को नकारने वाले दर्शन को निर्लज्जता से लागू करने की स्पष्ट घोषणा है। हम अपनी संसद के माध्यम से समूचे राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारा योगदान पूरे राष्ट्र के लिए होता है। हमारे देश में हमारे पास एक सहानुभूतिपूर्ण मीडिया है। मैं जानता हूं कि गुजरात में क्या हुआ। यहां तक कि गुजरात सरकार ने वहां मीडिया

[श्री ई. अहमद]

पर ही पाबन्दी लगा दी और वह भी मात्र इसलिए क्योंकि वह अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार को उजागर कर रहा था। मैं यह जानता हूं क्योंकि दंगों के दौरान मैंने गुजरात का दौरा किया था। मीडिया हमारे पास यह देखने और दिखाने का एकमात्र स्रोत है कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जा रहा है।

महोदय, भारी दोष के साथ में बंगलौर में आर.एस.एस. के संकल्प को अत्याचारपूर्ण और अलोकतांत्रिक मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं?

श्री ई. अहमद: इसलिए, सरकार को एस देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के जान-माल और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आगे आना चाहिए। यह सरकार का पावन कर्त्तव्य है न कि संघ परिवार के आर.एस.एस. जैसे संगठनों का मेरी प्रतिबद्धता इस देश के प्रति है। मेरी अपने देश में श्रद्धा है, मेरी वफादारी अपने देश के प्रति है। मुसलमान इस देश में पैदा हुए हैं, वे इस देश में रह रहे हैं और वे इसी देश में दफन होंगे। अत: हम किसी को भी अपने मूल अधिकारों को नकारने या अपनी देशभक्ति पर प्रश्न चिह्न लगाने की अनुमति नहीं देंगे। धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष जी, मेरा नाम भी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नाम है, मैं आपको बुलाऊंगा, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची में स्थित बलपाराई में चाय उत्पादकों की समस्याओं से संबंधित एक मामला उठाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, इसी विषय पर मैंने भी सूचना दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यहां सूचना नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, इसी विषय पर मैंने भी सूचना दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर आपकी सूचना यहां नहीं है परंतु मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

डा. सी. कृष्णन: महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची में चाय के अनेक बागान हैं और वहां चाय बागान मालिकों ने श्रमिकों की दिहाड़ी एकपक्षीय रूप से कम कर दी है।

महोदय, तमिलनाडु में वलपाराई चाय बागान में चाय उगाने वाले श्रमिकों के साथ हुआ दिहाड़ी समझौता 31 दिसंबर, 2001 को समाप्त हो गया है। उन्हें उसी दिन से अर्थात् पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। चाय बागान मालिकों ने एकपक्षीय निर्णय लेते हुए दैनिक दिहाड़ी 75 रुपये से घटाकर 64 रुपये कर दी है। श्रमिक दाने-दाने को मोहताज हैं। उन्हें 1.1.2002 से पारिश्रमिक नहीं मिला है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

सरकार ने आयात कर 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है और कर में एक प्रतिशत की छूट भी दी है। सरकार द्वारा चाय बागानों को ऐसी सुविधा दिए जाने के बावजूद चाय बागान-मालिकों ने मजदूरी 75 रुपये से घटाकर 64 रुपये कर दी है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर चाय बागान के कर्मचारियों की रक्षा करने हेतु कोई रास्ता निकालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इसी मामले पर श्री ए.के.एस. विजयन ने भी सूचना दी है। श्री ए.के.एस. विजयन।

...(व्यवधान)

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): महोदय, मैंने एक सूचना दी है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ढिकले कई दिनों से शून्य काल नहीं हुआ है, आपको बोलने का मौका मिलेगा। मैं महत्व के अनुसार मामलों को ले रहा हूं।

अब श्री ए.के.एस. विजयन। क्या आपने तमिल में बोलने की लिखित रूप से सूचना दी है?

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): जी हां, महोदय, मेरा दूसरा मामला है।

*उपाध्यक्ष महोदय, गत 30 वर्षों से हमारे यहां राज्य में धान का सीधे खरीद केन्द्र कर रहा है। जब हमारे नेता कालाइगनार करूणानिधि सत्ता में थे तो यह बहुत प्रचलित था और गत वर्ष

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तक यह धान का प्रत्यक्ष खरीद केन्द्र था। धान उत्पादकों के हित में प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को ये प्रत्यक्ष धान खरीद केन्द्र कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वर्ष ए.डी.एम.के. सरकार ने इन केन्द्रों को खोलने में विलंब कर दिया है और इस वर्ष जनवरी में इनकी खरीद आरम्भ हो सकी।

इस वर्ष अभूतपूर्व रूप से भारी वर्षा हुई जिससे धान की खेती को भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे समय में जब किसानों को भारी वर्षा के कारण अपने कृषि उत्पादों को बेचने में कठिनाई हो रही थी, तब इन प्रत्यक्ष खरीद केन्द्रों को 15 मार्च को ही बंद कर दिया गया जबकि ये पहले मई में बंद होते थे। तंजावूर, थिरूवारूर और नागापट्टिनम के छोटे किसानों कृषकों ने राज्य सरकार से धान की खरीद का अनुरोध करते हुए सड़कों पर धरना दिया। लेकिन धान के उत्पादक किसानों को ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी राज्य सरकारों द्वारा पालन की जाने वाली एक समान धान खरीद नीति बनानी चाहिए। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध करूंगा कि वह एक समान और सरल खरीद नीति बनाए जिसका सभी राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जाए। धान उत्पादक किसानों को खुले बाजार में दलालों के चंगुल से और बाजार के उतार-चढ़ाव के कुप्रभावों से बचाया जाना आवश्यक है। धान उत्पादक किसानों के हितों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर देना पड़ेगा। वह तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। मुझे बचाव करना है। वह जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। यह पूर्णतया आधारहीन है। इसका कोई आधार नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): महोदय, उन्होंने इस विषय पर बोलने हेतु सूचना नहीं दी थी। आप उन्हें कैसे बोलने दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: हम तमिलनाडु में पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को ही जारी रखे हुए हैं...*(व्यवधान)* महोदय, जब वे बोल रहे थे तो मैंने व्यवधान नहीं डाला था...*(व्यवधान)* यदि नीति गलत है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस नीति पर चर्चा करने का यह स्थान नहीं है। गत सप्ताह विधानमंडल की बैठक चली थी और उन्होंने इसे वहां नहीं उठाया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने किसानों की समस्याओं का उल्लेख किया था।

श्री पी.एच. पांडियन: उन्होंने गिरफ्तारियों का उल्लेख किया। वहां ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने यह निराधार आरोप लगाया। जब तमिलनाडु की सरकार पर धावा बोला जाएगा तो हम उसका बचाव करेंगे। वहां ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हम खरीद की उसी नीति का पालन कर रहे हैं। खरीद की नीति वही है। उन्होंने यह मामला गत सप्ताह विधानमंडल में नहीं उठाया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री कलिअप्पन बोलेंगे।

***श्री के.के. कलिअप्पन** (गोबिचेट्टिपालयम): महोदय, मैं इस प्रतिष्ठित सदन के ध्यान में (स्पिंडल यार्न) कताई वाले धागे पर 9.2 प्रतिशत शुल्क लगाने से हुई हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। केन्द्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई भारी वृद्धि के कारण इरोड़, करूर, सलेम और कोयम्बटूर जिलों के छोटे बुनकरों पर सबसे बुरा असर हुआ है। कुछ इकाईयां बंद होने के कगार पर हैं। बड़ी संख्या में बुनकर बेरोजगारी के खतरे से आशंकित हैं। सरकार ने बुनकरों की कताई के धागे पर से बढ़ा हुआ शुल्क वापस लेने की उचित मांग पर अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।

इससे धागे के मूल्य में वृद्धि हुई है जिससे उत्पादित माल के मूल्य में भी वृद्धि हो गई है। इससे माल के कम प्रतियोगी हो जाने के कारण हथकरघा निर्यात पर भी असर पड़ा है। इसे हम चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से प्रतियोगिता करने में असमर्थ हो गए हैं। कताई वाले धागे (स्पिंडल यार्न) पर निर्भर बुनकरों में से 20 प्रतिशत तमिलनाडु में हैं। मेरे अपने जिले और कोयम्बटूर, सलेम और इरोड़ जैसे पड़ोसी जिलों में बुनकर उद्योग और इसकी अनुषंगी इकाईयों को कताई वाले धागे (स्पिंडल यार्न) पर शुल्क बढ़ाने से बहुत चोट पहुंची है। अत: मैं केन्द्र सरकार से हथकरघा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

अब तमिलनाडु में हमारी सरकार का नेतृत्व हमारी ओजस्वी एवं क्रान्तिकारी नेत्रि के हाथों में है जो स्वर्गीय प्रिय श्री अरिगनार अन्ना जी के पदचिह्नों पर चल रही हैं। हम एक ऐसी जिम्मेदार सरकार सुनिश्चित किए जाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जो मेहनतकश जनता को पूरा सहारा दे। हमारे नेता का सपना था कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा बुनकरों का उन्नयन किया जाये। हमारी ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार केन्द्र के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है परंतु इसके साथ-साथ हम अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं केन्द्र

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के.के. कलिअप्पन]

सरकार से तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों का विशेषरूप से और साधारणतया देश के सभी बुनकरों के हितों की रक्षा करने हेतु तमिलनाडु सरकार से समन्वय करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): सौभाग्यवश, मेरा नाम भी आज की सूची में है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अवसर मिलेगा।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2001 में भारत सरकार के आदेश से एस.टी.डी. सुविधाओं को जम्मू और कश्मीर के पी.सी.ओ. पर देना बंद कर दिया गया है। मैं सरकार का ध्यान जम्मू और कश्मीर में एस.टी.डी. सुविधाओं को बंद करने के कारण उत्पन्न हुए इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह एक अपमानित करने वाला आदेश है। यह मौलिक अधिकार के समान हमारे अधिकार को न देने के समान है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आज आपको मौका नहीं मिलेगा। जब आपका नाम मेरे पास आएगा तभी मैं आपको पुकारूंगा। हर समय आप उपाध्यक्ष कहकर मेरे कार्य में बाधा डालते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: दुर्भाग्य से, जिन लोगों के घरों में टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा नहीं है वे इस समय उनकी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वे अपने लड़के और लड़कियों जो देश के विभिन्न राज्यों में अध्ययन कर रहे हैं, से सम्पर्क नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी राज्य से बाहर हैं, उनसे सम्पर्क व्यवस्था के न होने के कारण उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। मेरा सरकार से इस आदेश को यथाशीघ्र वापस लेने का अनुरोध है। इस आदेश से वे 30,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं जिन्हें इससे रोजगार मिला हुआ था। उन लोगों में स्नातक, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं। अत: यह चिंता का विषय है। लोग परेशान हैं। मेरा अनुरोध है कि इस आदेश को यथाशीघ्र वापस लिया जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कुप्पुस्वामी, आपको भी मौका मिलेगा। मैं आपको उचित समय पर पुकारूंगा। मैं भी यहीं बैठा हूं। आपको भी अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह मामला उठा रहा हूं। आंतरिक सुरक्षा को खतरा एक ऐसे प्रदेश से हुआ है जिसका इतिहास एक शान्तिप्रिय क्षेत्र रहा है और जहां कभी संगठित अपराध नहीं हुये हैं। जहां एक तरफ नक्सलवाद की बढ़ती हुई घटनायें तो दूसरी तरफ रविवार के दिन इलैक्ट्रोनिक मीडिया ने आई.एस.आई. की गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट दी है जो इस सदन की जानकारी में आनी चाहिये। सन् 1995 से लेकर अब तक देश में जितनी भी घटनायें घटी हैं, चाहे वह लाल किले की घटना हो या मुम्बई बम कांड हो, ये सब महत्वपूर्ण घटनायें हैं। उनका कोई न कोई अपराधी मध्य प्रदेश में संरक्षण पाता रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में ए.के.-47, ए.के.-56 पायी गई हैं...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है क्योंकि बिना किसी सबूत के मध्य प्रदेश सरकार पर इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं। उपाध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रहलाद सिंह पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। शायद लक्ष्मण सिंह जी को पूर्वाभास हो गया था कि मैं इस विषय पर बोलने वाला हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, प्रो. ए.के. प्रेमाजम ने श्री अजय कुमार पर हमले के विरोध में सूचना दी है। वे केरल से माननीय संसद सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। अब आप उसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: उन पर निर्दयतापूर्वक हमला किया गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर घोर चिन्ता सदन व्यक्त करे। मैंने किसी गलत मुद्दे पर बात नहीं की

है, मैंने आन्तरिक सुरक्षा के सवाल को उठाया है। आई.एस.आई. की वहां जो अभी तक की गतिविधियां हैं, जिसके बारे में रिपोर्ट आई है, उस पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रामजीलाल सुमन।

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः उपाध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयः आपने जो बोलना था वह बोल दिया।

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः महोदय, मैंने कभी कोई ऐसा विषय नहीं उठाया। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चार दिन से लगातार नोटिस दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः अभी तक चार-पांच दिन से जीरो आवर नहीं था।

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। लोगों ने यहां इतना समय खराब कर दिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः तीस आदमियों को मुझे बोलने का चान्स देना है। आपने जो कहना था वह सब कह दिया, यदि और कहना है तो कहो।

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है, यह गलत बात है। मैं कभी विषय से हटकर नहीं बोलता हूं। आप मुझे क्षमा करिये, लेकिन यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदयः क्या ठीक बात नहीं है। जो कुछ सरकार के सामने लाना है, लाइये। अगर अभी नहीं लाये हैं तो लाइये।

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः आप इस तरह से गुस्सा क्यों होते हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। सदन के हालात को देखते हुए हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः देखिये, 30 मैम्बर्स ने नोटिस दिया है, मुझे सबको अकोमोडेट करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं। आपको जो कहना है कहिये। अगर कुछ बाकी है तो बता दीजिए। आप ऐसे गुस्से में मत बैठिये। मुझे सबको चान्स देना है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान से प्रति वर्ष भारी संख्या में लोग हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। उनका पासपोर्ट और वीजा बनता है। लगभग एक लाख बीस हजार लोग इस वर्ष भी हज यात्रा करने के लिए गये हैं। लेकिन इस बार जो सबसे दुखद बात है वह यह है कि समस्त औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी काफी संख्या में लोग हज यात्रा करने से वंचित रह गये।...*(व्यवधान)* जो लोग हज यात्रा करने के लिए जाते हैं, उन्हें विदा देने के लिए उनके परिवारजन, शुभचिंतक, मित्र और सहयोगी लोग दिल्ली आते हैं। वायदा करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर आयें, हफ्तों दिल्ली में पड़े रहे और फिर वे हज यात्रा करने नहीं जा सकें, यह अत्यंत दुखद बात है। मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां रियाल की कीमत 12 रुपये 40 पैसे है। लेकिन यहां हज कमेटी से जो रियाल मिलता है उसकी कीमत 13 रुपये 30 पैसे है। हालत यह है कि जिन लोगों से वायदा किया जाता है कि आपको हज के लिए हम ले जायेंगे। जो लोग जाते हैं, छः-सात महीने पहले उनका पैसा जमा करा लिया जाता है और जब वे नहीं जा पाते हैं तो पैसा वापसी में वर्षों लग जाते हैं, उसके बावजूद भी उनका पैसा वापस नहीं हो पाता है। यह पैसा कहां रखा जाता है, इसका ब्याज कहां जाता है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। मैं कहना चाहूंगा...

उपाध्यक्ष महोदयः भारत सरकार को क्या करना है, आप वह पूछिये। आपको इस बारे में क्या जानकारी चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमनः 15 फरवरी को हज कमेटी के चेयरमैन श्री तनवीर अहमद को लोगों ने गुस्से में हज पर जाने नहीं दिया और तमाम लोग हज यात्रा करने से वंचित रह गये। सरकार अविलम्ब इस ओर ध्यान दे कि इसमें क्या कमियां और खामियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को हज यात्रा से वंचित रखा गया। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि हज का कार्यालय दिल्ली में हैं, उसे शायद मुम्बई ले जाने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा...

उपाध्यक्ष महोदयः आपको शायद इस बारे में जानकारी नहीं है, अभी वह मुम्बई में है।

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हज का निदेशालय यहां है, रेल मंत्रालय यहां है, विदेश मंत्रालय यहां है और उत्तर भारत के 75 परसेन्ट लोग हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। इस कार्यालय से लोगों को सुविधा है। इसके लिए आवश्यक है कि वह कार्यालय दिल्ली में ही हो। हज यात्रियों को...

उपाध्यक्ष महोदय: आपको क्या पूछना है, भारत सरकार से पूछिये।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष जी, हज कमेटी का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में होना चाहिए और इस बार समस्त औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी जो लोग हज यात्रा से वंचित रह गये, उसकी जांच करनी चाहिए और उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री उत्तमराव ढिकले: उपाध्यक्ष जी, मैं बड़ी गंभीरता से प्याज के बारे में कहना चहता हूं। प्याज के निर्यात पर जो पाबंदी लगाई है उस मुद्दे को मैं उठाना चाहता हूं। इस साल प्याज की फसल देश में, विशेषत: महाराष्ट्र में बहुत अच्छी हुई है और अच्छी फसल होने से उसका ग्राहक नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)* आठवले जी, आप भी महाराष्ट्र के हैं, आप भी सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय: रामदास जी, इससे क्या महाराष्ट्र का ही संबंध है?

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सबका है।

श्री उत्तमराव ढिकले: उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी प्याज होने से प्याज का ग्राहक नहीं मिल रहा है। प्याज का ग्राहक न मिलने से किसान एजिटेशन कर रहे हैं। कहीं रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं, कहीं रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को जो दाम मिल रहा है वह सौ रुपया क्विंटल है। सौ रुपया क्विंटल प्रोडक्ट कास्ट से भी नीचे दाम है।...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: महाराष्ट्र से आए हुए मंत्री यहां बैठे हैं, मगर उनका इस ओर ध्यान नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले: इसलिए, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो निर्यात पर बैन लगा है, उसको हटाया जाए और किसानों को अच्छा दाम दिलाने की व्यवस्था सरकार करे।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका और सरकार का ध्यान उन अनेक असंगठित कामगारों जो रेल लाइन के निर्माण और मरम्मत कार्य करते हैं, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विचार से इन निर्माण कार्यों में लगे कामगारों की संख्या पूरे देश में लगभग दस लाख से ऊपर होगी, लेकिन उन्हें रेल कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और न ही उन्हें न्यूनतम सुविधाएं मिल रही है। यहां तक कि रेल प्राधिकारी उन्हें चिकित्सा सुविधाएं और अपने कार्य स्थल पर पहुंचने के लिए नि:शुल्क रेल पास भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार को इन्हें और विशेषकर निर्माण कार्य कर रहे उन कामगारों को जिन्हें रेलवे में ठेकेदार के मजदूरों के रूप में जाना जाता है को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। मेरा सरकार से उन्हें इन सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक रेडियो स्टेशन है जो बहुत पुराना है। इस देश में सबसे पुराना रेडियो स्टेशन होते हुए भी वह रेडियो स्टेशन फुल फ्लैज्ड नहीं है, उसको पूर्ण दर्जा नहीं दिया गया है। मैं हर साल यह मांग करता हूं कि उसको फुल फ्लैज्ड करना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: रेडियो स्टेशन का नाम क्या है?

श्री सुरेश रामराव जाधव: वह परभनी रेडियो स्टेशन है और इसको फुल फ्लैज्ड करने के लिए मैं हर बार मंत्री जी को चिट्ठी लिखता हूं, डिमांड करता हूं लेकिन अभी तक यह रेडियो स्टेशन फुल फ्लैज्ड नहीं हुआ है। पूरे साधन होते हुए भी यह रेडियो स्टेशन अभी तक फुल फ्लैज्ड नहीं किया गया है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वे इस रेडियो स्टेशन को फुल फ्लैज्ड कर देंगे लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि परभनी रेडियो स्टेशन को फुल-फ्लैज्ड रेडियो स्टेशन का दर्जा दिया जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि इस समय राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने के राजस्थान के कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। मेरा आग्रह है कि इस प्रकार के जो भी प्रस्ताव विचाराधीन हैं उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें और फिर धनराशि भी दें ताकि उनका निर्माण हो सके। मेरा यह निवेदन भी है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में आलरेडी हैं, उनके रख-रखाव के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा दे ताकि उनकी भली प्रकार रख-रखाव किया जा सके। मैं समझता हूं मान्यवर कि मेरी ये दो बहुत छोटी-छोटी मांग हैं, इन्हें स्वीकार किया जाए और मुझे आशा है कि मेरी इन मांगों को केन्द्र सरकार शीघ्र स्वीकार करेगी।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। संयुक्त अरब अमीरात सरकार के इस निर्णय से कि नौकरी के लिए परमिट उन लोगों को नहीं दिए जाएंगे, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इससे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे उन लोगों को परमिट नहीं देंगे जिन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा पूरी नहीं की है। इस निर्णय से उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो विदेशों में विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी ढूंढ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में चालीस प्रतिशत निर्वासित लोगों ने हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी नहीं की है और वे साधारण नौकरियों के लिए जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के इस निर्णय से भारतीयों को विशेषकर केरलवासियों पर और सामान्यत: उन दक्षिण भारतीयों पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ेगा जो वहां अपनी आजीविका कमाने जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह एक गंभीर मामला है। जिसे हमें संयुक्त अरब अमीरात सरकार के साथ उठाना होगा और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): जो कुछ उन्होंने कहा है हम भी स्वयं को उससे सम्बद्ध करते हैं।

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): श्री जोस ने जो कुछ कहा है मैं उनकी बात से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): श्री जोस ने जो कुछ कहा है मैं भी उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभी को श्री जोस के कथन के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, यह बात नोट की जाए कि केरल के सभी सदस्य मैंने अभी जो कहा है वे उससे सम्बद्ध हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि केरल के सभी सदस्यों को आपने जो कुछ कहा है उससे सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का बटवारा हो गया। बिहार के ऊपर दो-तिहाई खर्च आ गया और एक तिहाई आमदनी रह गई और दो तिहाई आदमनी झारखंड में चली गई। बिहार की सभी पार्टियों के 60 सांसदों ने मिलकर प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया था कि बिहार के लिए 1 लाख 79 हजार करोड़ का एक आर्थिक पैकेज दिया जाए। बिहार विधान सभा की ओर से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होकर केन्द्र सरकार को आया है कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए क्योंकि उसके बिना बिहार नहीं बच पाएगा। जो सभी पार्टी के 60 सांसदों की ओर से प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था उसमें कहा गया था कि बिहार के ऊपर केन्द्र के 37 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, उसे माफ किया जाए, फिर बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, बिहार के जो सड़क एवं बिजली के प्रस्ताव योजना आयोग में स्वीकृति हेतु लंबित हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए और दशम वित्त आयोग के चार वर्ष का तथा 11वें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष के, इस प्रकार से कुल पांच वर्षों के जो बकाया वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार बिहार सरकार के केन्द्र सरकार पर पंचायतीराज के 625 करोड़ रुपए हैं जिनको केन्द्र सरकार दुश्मनी की वजह से रखे हुए और बिहार सरकार को नहीं दे रही है उन्हें शीघ्र दिया जाए क्योंकि बिहार में पंचायत चुनावों में 1 लाख 37 हजार लोग जीते हैं, चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही है जबकि वित्त आयोग ने चुनाव कराने पर उक्त धनराशि बिहार सरकार को जारी करने की सलाह दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, बिहार की बिजली और सड़कों की लंबित योजनाएं, जो योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु पड़ी हैं उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए और बिहार के जो मंत्री केन्द्र सरकार में मंत्री के पद पर बैठे हैं, वे केन्द्र की ओर से बिहार सरकार को आर्थिक पैकेज दिलाएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही गृह मंत्रालय से इस मामले पर वास्तविक तथ्य मांगे हैं। मुझे दो नोटिस प्राप्त हुए हैं।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, यह मामला इस सभा के माननीय सदस्य अजय कुमार से सम्बंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह जानता हूं।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप यह जानते हैं कि जब कोई विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होता है

तो हम इसे सत्यापन के लिए भेजते हैं और उसके बाद माननीय सदस्य को इसे उठाने की अनुमति दी जाएगी। मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री सुरेश कुरूप: मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं। महोदय, पिछले सप्ताह जब उन्हें पीटा गया था, उस समय वे बेरोजगार युवकों के आंदोलन में भाग ले रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अजय कुमार और प्रो. ए.के. प्रेमाजम दोनों ने सूचनाएं दी हैं, मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सुरेश कुरूप: तो फिर आपको श्री अजय कुमार को अपनी बात कहने की अनुमति देनी चाहिए। माननीय मंत्री भी यहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, उन पर पुलिस द्वारा हमला किया गया था...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब अगर यह मानवाधिकार हनन का मामला हो या किसी और तरह का उल्लंघन का हो, श्री राधाकृष्णन जी जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो आपको अपने स्थान पर होना चाहिए। आपको किस तरह उल्लंघन के बारे में पता चला है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपने स्थान पर जायें। आप केरल विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह गंभीर मामला है। एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि किसी पुलिस अधिकारी के उन पर हमला किया है। ये सभी बातें नोटिस में हैं और यह नोटिस श्रीमती प्रेमाजम, श्री वरकला राधाकृष्णन और श्री एस. अजय कुमार ने दिया था। मैंने इस संबंध में सूचना की सत्यता जानने के लिए कहा है। सूचना की सत्यता जानना आवश्यक है और तभी वह विशेषाधिकार समिति को भेजी जायेगी। ऐसी ही प्रक्रिया है, उससे पहले आप यहां चर्चा नहीं कर सकते। श्री राधाकृष्णन जी क्या अब आप समझ गये हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, नहीं मैं इसे नहीं समझ पाया हूं...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, आप सदन के संरक्षक हैं। अगर पुलिस द्वारा किसी सदस्य पर हमला होता है तो सदस्य अपनी भावनाओं को कहां प्रकट करें...*(व्यवधान)* वह कहां जाये...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे इस सदन में कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये, और आप उन्हें अनुमति दे सकते हैं...*(व्यवधान)* विशेषाधिकार समिति द्वारा सुलझाने में तो इस पर महीनों लग जायेंगे...*(व्यवधान)* महोदय, मैं सदन में बाधा डालने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं लेकिन...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, सदन की कुछ स्थापित पम्पराओं हैं कि जब हमें इस तरह का नोटिस मिलता है तो नैसर्गिक न्याय की मांग होती है कि सूचना की सत्यता का पता लगाया जाये।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा संसद सदस्यों को क्या संरक्षा प्राप्त है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है कि श्री अजय कुमार के बारे में आप देखभाल करके जांच करेंगे। उसके बाद आप जैसा उचित समझेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे गंभीर मामले हैं जिनके बारे में सुनकर आपको जांच करने में मदद मिल सकती है। इसलिए पहले आप कृपया अजय कुमार को पहले सुन लें। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपको पर्याप्त मदद नहीं मिलेगी।...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, कृपया उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

श्री वैको: कृपया उन्हें निवेदन करने दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन जी, उनके भाषण में हस्तक्षेप न करें...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

पल्लकड़, केरल में पुलिस द्वारा संसद सदस्य पर हमला किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): महोदय, डेमोक्रेटीक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया (डी.वाई.एफ.आई.) ने बढ़ती हुई बेरोजगारी और केरल सरकार द्वारा भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध 16 मार्च, 2002 को आंदोलन किया था और आंदोलन के हिस्से के रूप में डी.वाई.एफ.आई. के कार्यकर्त्ताओं द्वारा कलक्टरेट का घेराव भी किया गया। भाषण देने वाले वक्ताओं में से मैं भी एक था जिन्होंने युवकों को सम्बोधित किया जो आंदोलन कार्यक्रम के लिए पालघाट आये थे। जब मैंने भाषण देना शुरू किया तो बिना किसी उत्तेजना के पुलिस ने लाठी-चार्ज कर दिया। उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने बड़ी क्रूरता से मुझे मारा और नीच जाति का कहते हुये गालियां दी...*(व्यवधान)*। उन्होंने मेरे विरुद्ध झूठा मामला दर्ज किया। पहले तो यह मेरे जनतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है और साथ ही मेरे संसद सदस्य के रूप में विशेषाधिकार के अधिकार के विरुद्ध है।

महोदय, मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव भी ला रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अन्याय हो रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने इस बारे में तथ्यात्मक टिप्पण गृह मंत्रालय से पहले ही मांगा है। वहां से टिप्पण मिलने के बाद ही हम विचार करेंगे कि क्या इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये।

श्री वैको (शिवकाशी): गृह मंत्रालय को केरल सरकार से रिपोर्ट मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)* महोदय, आप यहां सदस्यों की रक्षा करने के लिए हैं। आप सदन के संरक्षक हैं। आपको सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको जी मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और इसलिए मैं भी प्रत्यक्षत: प्रभावित हूं। जो भी निर्णय हम यहां लें उसे लागू होना चाहिए। मैंने अभी-अभी सदन की परम्पराओं और प्रथा का उल्लेख किया है।

श्री वैको: महोदय, आप जानते हैं पुलिस आजकल कैसा व्यवहार करती है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। इस संबंध में हमें मंत्रालय से जानकारी मिल जानी चाहिए। पहले घटना की सत्यता का पता लग जाना चाहिए और उसके बाद अगर आवश्यक हुआ तो उसे विशेषाधिकार समिति को भेज देंगे।

श्री वैको: किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषाधिकार समिति महीनों ले लेगी...*(व्यवधान)* इस संबंध में गृह मंत्रालय को राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* इस मामले में पहले गृह मंत्री जी को राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, स्थिति की जानकारी कैसे हो सकती है। गृह मंत्री जी रिपोर्ट मंगवाएं और बताएं कि स्थति क्या है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने वही तो किया है। वह इन्फौर्मेशन मिलते ही गृह मंत्री जी से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद यदि जरूरत पड़ेगी तभी प्रिविलेज कमेटी को देंगे।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष जी, यह किसी दल का मामला नहीं है। यह परम्परा रही है, चाहे किसी दल का सदस्य हो, जब सदन से बाहर उनका उपमान होता था तो सदन के सभी सदस्य एक हो जाते थे। इसलिए मेरी मांग है कि कोई भी मंत्री आश्वासन दे दें, यहां कानून मंत्री बैठे हैं। कोई मंत्री कुछ कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस मामले में गृह मंत्री जी से रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद ही कुछ हो सकता है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का बराबर अपमान होता जा रहा है। यह ठीक नहीं है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, मैं सदन के सभी वर्गों की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचा दूंगा। इस घटना को भी मैं उनके ध्यान में लाऊंगा। इस संबंध में आपने तथ्यों के सत्यापन के बारे में भी पूछा है और मैं समझता हूं कि इस पर उचित कार्यावाही की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। अब यह मुद्दा यहीं समाप्त होता है।

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से सबंधित यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-7, अथिपाली से पेरान्डापाली तक और राष्ट्रीय राजमार्ग-46 जो कृष्णागिरी से वानियमबाड़ी तक है को चार लेन वाले मार्ग में बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अंतर्गत ही यह परियोजना आती है। ये परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र में आती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को अथिपाली से पेरान्डापाली और राष्ट्रीय राजमार्ग-46 को कृष्णागिरी से वानियमबाड़ी तक चार लेन वाला बनाने का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा और मेरे संसदीय क्षेत्र होसूर के निकट कृष्णागिरी में अथिपाली से पेरान्डपाली राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर ठेका लेने वाली संबंधित एजेंसी का कार्य ठीक नहीं है। हालांकि इस कार्य को पूरा करने के लिए 6 माह का समय और दिया गया था, फिर भी वहां कार्य बहुत ही खराब हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर कृष्णागिरी से वानियामबाड़ी तक के मार्ग को चार लेन वाला बनाने का कार्य भी उसी एजेंसी को दिया गया है। यह बड़े दुख की बात है। छह महीने के बाद भी उन्होंने किसी परामर्शदाता की निर्मुक्त नहीं की। अत: मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि तुरन्त इस मामले पर ध्यान दे और चाल लेन के कार्य में तेजी लाएं ताकि वे देश के लोगों की सेवा बेहतर ढंग से कर सकें।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भयानक ओलावृष्टि हुई और उस ओलावृष्टि के कारण 300 गांवों की फसलें नष्ट हुई। 100 गांवों की हालत तो यह थी कि खेत में 2-2 फीट ऊंची ओलों की परत जम गई थी और खेत में कौन सी फसल बोई थी, यह पता नहीं चल रहा था। हजारों पशु-पक्षी भी मारे गये और तीन लोगों की जान भी गई। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओला पीड़ितों को कोई राहत नहीं दी। जो राहत दी, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, इसलिए केन्द्र सरकार से ओलापीड़ित क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेज जारी करे, क्योंकि वहां किसान और मजदूर भूखों मरने की स्थिति में हैं, इसलिए उनको गरीबी की रेखा से नीचे मानकर दो रुपये किलो गेहूं सारे ओलापीड़ित क्षेत्र में प्रदान किया जाये। ओलापीड़ित किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के और सहकारी बैंकों के इस साल के खाद और बीज के कर्जे माफ किये जायें। उस पूरे क्षेत्र में मजदूरों को काम मिल सके, इसलिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के माध्यम से एक विशेष पैकेज देकर काम करवाया जाये।

अन्त में एक बात और कहनी है। फसल बीमा योजना में संशोधन करके तहसील को इकाई मानने के बजाय व्यक्ति को इकाई मानकर फसलों का बीमा कम्पनियां मुआवजा दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, में आपका ध्यान राजस्थान के अन्दर जो वर्तमान सरकार है, उसके द्वारा साम्प्रदायिकता और दमन चक्र को निरन्तर बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से 73 दंगे और 300 तनाव की घटनाएं हुई हैं। गोधरा हत्याकाण्ड के बाद उसके विरोध में एक मार्च, 2002 को जो राजस्थान बन्द हुआ था तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र अजमेर के अन्तर्गत किशनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, वी.एच.पी. और आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं पर घोर अत्याचार किये गये। पुलिस एवं प्रशासन ने निर्दोष नागरिकों की निर्मम पिटाई की, मानवाधिकारों का हनन किया और जो मौलिक अधिकार हैं, उनको एक प्रकार से छीन लिया गया। वहां एक व्यक्ति पुलिस की पिटाई से मर गया, दूसरा गोली लगने से राजस्थान के सबसे बड़े एस.एम.एस. हॉस्पीटल में भर्ती है, इसके अलावा सैकड़ों आदमियों के, जो ग्रामीण लोग थे, दूध लेकर आये, उनके हाथ-पैर तोड़ दिये गये, जिनको पता नहीं था कि कर्फ्यू लगा दिया है या किस प्रकार की स्थिति हुई है। इसके विरोध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भंवर लाल जी शर्मा पिछले सात मार्च से किशनगढ़ के अन्दर धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान सरकार कई दोषी सिपाहियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर नहीं मान रही है, इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सी.बी.आई. से इस सारे मामले की जांच कराये और गहलोत सरकार, जो हमारे मानवाधिकारों का हनन कर रही है, मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है, हमें बुला-बुलाकर यह कहा गया कि और भारतीय जनता पार्टी का काम करोगे, और आर.एस.एस. की शाखा में जाओगे, ऐसा कहकर उनको सताया जा रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों की जो हत्या हो रही है और जो निर्दोष नागरिकों की जो निर्मम पिटाई हो रही है, उसकी जांच कराई जाये और गहलोत सरकार को बर्खास्त किया जाये। धन्यवाद।

श्री सोहन पोटाई (कांकेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अति महत्व के विषय को शून्य काल में सदन में उठाना चाहता हूं। 1999 में भारत सरकार ने वृहद विकास योजनाओं को निर्माण के पूर्व स्थल चयन आदि में गलती न हो, इसके लिए उनके पर्यावरण प्रभाव अध्ययन व लोक सुनवाई को अनिवार्य कर दिया गया। इस अध्ययन में प्रमुख कृषि भूमि के उपयोग में रोक विकास

योजना हेतु जल की आवश्यकता का ऐसा स्रोत, जिससे अन्य पूर्व के उपयोग प्रभावित न हों, जैसे प्रमुख पैमाने अध्ययन किये जाते हैं। साथ ही इन विकास योजनाओं से बढ़ने वाला प्रदूषण जनदबाव यातायातिक दबाव आदि भी इस अध्ययन के पैमाने हैं।

केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (ई.आर.ए.) अधिसूचना की अनुसूची-1 में 29 गतिविधियों को शामिल किया गया है। इनमें सीमेण्ट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्र जैसी प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राजधानी प्रोजैक्ट के लिए जो 61 गांवों में अधिसूचना प्रकाशित हुई है, उसमें 26 गांवों के प्रभावित होने व नौ गांवों को पूर्ण रूप से विस्थापित किये जाने की योजना है। ई.आई.ई. अधिसूचना जारी करते समय 1994 में नये राज्य गठन या राजधानी निर्माण का ध्यान नहीं रखा गया है। वैसी ही एक हजार व्यक्तियों से अधिक प्रभावित होने वाली भूमि अधिग्रहण पर पुनर्वास योजना पर्यावरण के अधीन तैयार करना आवश्यक है। परंतु मुख्य रेल लाइन विहिन क्षेत्र में जहां 2020 तक नई राजधानी की पांच-सात लाख जनसंख्या का निवास संभावित है, मेरा केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन है कि तुरंत ई.आर.ए. की अनुसूची-एक में संशोधन करके उसमें नई राजधानी परियोजना का समावेश करना चाहिए तथा छत्तीसगढ़ शासन को भू-अधिग्रहण कार्यवाही रोकने के निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): उपाध्यक्ष महोदय, देश की सम्प्रदायिक स्थिति पर सरकार को गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है। गुजरात में दंगा आरम्भ होने के बीस दिन बाद भी अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा जारी है। लूटपाट आगजनी और छुरेबाजी की ताजी घटनाएं भी हो रही हैं। शान्ति बहाली के लिए कठोर उपाय किए जाने की आवश्यकता है। हरियाणा में भी मस्जिदों पर आक्रमण की घटनाएं हुयी थी तथा संपूर्ण साम्प्रदायिक स्थिति बहुत ही जटिल और विस्फोटक हो रही है। आर.एस.एस. ने एक संकल्प किया है जिसमें मुसलमानों को धमकाया गया है कि उनकी सुरक्षा बहुसंख्यक समुदाय की कृपा पर निर्भर करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की गारंटी दी गयी है और यहां एक संगठन है जो यह कहता है कि जीवन का अधिकार एक खास समुदाय की कृपा पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में सरकार को आगे आना चाहिए और ऐसे विस्फोटक मामलों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे मामलों पर सरकार चुप्पी नहीं साध सकती...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह मामला कल डिसकशन में आ चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो आवर में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: लोगों के असुरक्षा की भावना है...*(व्यवधान)* अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संपूर्ण स्थिति पर अपना रुख स्पष्ट करे और इस संदर्भ में एक संकल्प लाएं। सरकार को ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों के खिलाफ जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं कार्यवाही करने के लिए आगे आना चाहिए।

अपराह्न 1.12 बजे

महाराष्ट्र के जनजातीय लोगों द्वारा भू-स्वामित्व अधिकार के लिए धरना दिए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): महोदय, मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की अकरानी तहसील के 75 गांव के आदिवासी...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: लेकिन तथ्य तो देने होंगे। इसीलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): आप इसको उद्धृत कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जी हां, मैं कुछ आंकड़े समाचार-पत्र की सहायता से उद्धृत कर रहा हूं।

महोदय, पिछले 300 सालों से ये आदिवासी अकरानी गांव में रह रहे हैं। 1891 में एक सर्वेक्षण किया गया था। ये वहां पिछले 300 सालों से रह रहे हैं। मैं आपका ध्यान 1991 में प्रकाशित राजपत्र की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें सड़क तथा पीने के पानी जैसी सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। किंतु एक दिन पर्यावरण मंत्रालय ने तकनीकी आधार पर एक स्थगन आदेश जारी कर दिया। अब वे कहां जाएंगे? इन 75 गांवों के ये बेचारे निवासी पीने के पानी के लिए एक कुंआ तक नहीं खोद सकते हैं। हालांकि ये लोग आदिवासी हैं किंतु किसी को भी उनकी चिंता नहीं है।

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

इस क्षेत्र का एक विधायक दिल्ली में भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है। वह पिछले दो-तीन सालों से अपनी मांगों पर जोर दे रहा है किंतु भारत सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर यथाशीघ्र गौर करें क्योंकि इस महीने की 11 तारीख से वे जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार को कुछ कार्यवाही करनी ही चाहिए। महोदय, यहां मंत्रीगण उपस्थित हैं। चूंकि यह मामला आदिवासियों से संबंधित है अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

मैं सरकार से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। महोदय, चूंकि इस मामले से संबंधित मंत्री यहां उपस्थित हैं अत: मैं उनसे अपील करूंगा कि वे इस मुद्दे पर उत्तर दें।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं शिकायत पर गौर करूंगा और देखूंगा कि इस मामले में क्या बेहतर किया जा सकता है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं संबंधित विधायक से कहूंगा कि वह आपसे मिल ले।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जनपद एक तरफ भारत नेपाल की सीमा को छूता है और तीन तरफ से वनों से आच्छादित है। इस जनपद को सोहगी बावा वन्य प्रभाग क्षेत्र पशु-पक्षी विहार क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और इस घोषणा के पश्चात् वन्य क्षेत्र से होकर जाने वाले सम्पर्क मार्ग और जो गांव हैं, वहां पर भारत सरकार, उ.प्र. सरकार का जो वन विभाग है, वह सड़कों और पुलों के बनने की इजाजत न देकर एक तरह का ऐसा व्यवधान पैदा कर रहा है जिसके कारण हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में दिक्कतें हो रही हैं। हम आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहते हैं कि सोहगी बावा जो एक तरह से नेपाल, भारत और बिहार के त्रिकोण पर स्थित है, गंडक नदी पार करके जहां जाना पड़ता है, उस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए तीन वर्षों से लोक निर्माण विभाग महाराजगंज के पास एक करोड़ रुपये की धनराशि पड़ी हुई है लेकिन वन विभाग द्वारा एनओसी न दिये जाने के कारण...*(व्यवधान)* यह कार्य रुका पड़ा है। इसी तरह से अड्डा बाजार से टेढ़ी घाट और टेढ़ी घाट से चौक जाने वाले मार्ग पर स्थित चानकी घाट के पुल का निर्माण दो पाये खड़ा करके अधूरा पड़ा हुआ है। यहां पर भी वन विभाग द्वारा एनओसी न दिये जाने का कारण वह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, वह सड़क अधूरी पड़ी है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार एक केन्द्रीय दल वहां भेजे और वहां की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करे और उसके बाद जो ये व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए भारत सरकार अपने मंत्रालय को निर्देश जारी करें कि वह एनओसी दे ताकि वन्य क्षेत्र से होकर गुजरने वाले सम्पर्क मार्गों पर पुलों और सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा सके।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, हम इसीलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह अपना वक्तव्य दे दें। *...(व्यवधान)* वह यहां बैठे हुए हैं। अनंत कुमार जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* एक मिनट के लिए वह कुछ कहना चाहते हैं। आप जरा वन मंत्री जी से कह दें, यह गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। यदि वे जवाब देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, वहां विकास के कार्य रुके पड़े हैं और गांव के लोगों और वन विभाग के लोगों के बीच रोज टकराव पैदा हो रहा है और कहीं भयंकर टकराव हो जाएगा तो सैंकड़ों लोग...*(व्यवधान)* मर सकते हैं। भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें मजबूर कैसे कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं,...*(व्यवधान)* आप चेयर से निर्देश दे दें कि एक मिनट के लिए वन मंत्री जी इस पर कुछ कह दें।...*(व्यवधान)* यह बड़ा गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शून्य काल में जो भी मामला उठाया जाता है, उस पर मंत्री जी रेस्पौंड करते हैं तो करें, हमें उन्हें कम्पैल नहीं कर सकते हैं। मंत्री जी तो यहां काफी बैठे हुए हैं।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: आप निर्देश दे देंगे तो इतनी देर में वह अपना स्पष्टीकरण दे देंगे।...*(व्यवधान)* यह हमारे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह रेस्पौंड करने के लिए तैयार नहीं हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: आप निर्देश दे दें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ और भी माननीय सदस्य बोलने के लिए हैं। मैं आपको चांस इसीलिए नहीं देता हूं और देता हूं तो आप इसी तरह से दूसरे सदस्य का चांस बर्बाद करते हैं।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: यह बड़ा गंभीर सवाल है।...*(व्यवधान)* लोगों के जनजीवन से जुड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय: हर मामला यहां गंभीर ही होता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, माननीय सदस्य मुझे लिखें, तो मैं मामले पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महाराष्ट्र विधान सभा के विधायक, श्री केसरी पाडवी पिछले दस दिनों से जन्तर-मन्तर रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। भारत सरकार के 1980 के कानून के अनुसार अनुसूचित जनजाति और आदिमजाति क्षेत्र में टेलीफोन और बिजली की सुविधा नहीं है। सड़कें नहीं बनती हैं। सभी विभागों द्वारा काम नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फारैस्ट कानून में ढिलाई करके सुविधायें देने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पोन्नुस्वामी, आपने नोटिस नहीं दिया है। किंतु चूंकि नेयवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन के विनिवेश का मामला आपके क्षेत्र से जुड़ा है इसलिए मैं आपको, श्री वैको के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दे रहा हूं। यही काफी है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, इस मुद्दे से हम भी जुड़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: एन.एल.सी. मुद्दे को आप सभी एक साथ उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पोन्नुस्वामी, यदि आप इस मामले पर इतने ही गंभीर हैं तो आपको नोटिस देना चाहिए था। फिर भी मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। आप इससे ही संतुष्ट हो जाईए। आप कल नोटिस दीजिएगा। अब श्री कुप्पुसामी।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, तमिलनाडु सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों के माध्यम से किए जा रहे मौलिक अधिकारों के हनन का हमारा दल डी.एम.के. कड़े शब्दों में निंदा करता है। एक उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी ने कल संवाददाताओं को कहा कि तमिलनाडु सरकार डी.एम.के. पूर्व मंत्रियों सहित पार्टी के सभी अग्रणी नेताओं के टेलीफोन टैप कर रही है। एक तमिल दैनिक-मलाएमलार में कल यह खबर छपी थी। जैसा कि यह सम्मानित सभा जानती ही है कि टेलीफोन टैपिंग, मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। जिन पुलिस अधिकारियों को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, वे ही इसका हनन कर रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, आपने इन्हें नेयवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति दी थी किंतु ये टेलीफोन टैपिंग का मुद्दा यह कहकर उठा रहे हैं कि यह तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये अचानक यह मुद्दा उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पोन्नुस्वामी ने स्वयं को केवल नेयवेली मामले से ही सम्बद्ध किया न कि किसी अन्य मामले से।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): नहीं महोदय, श्री कुप्पुसामी टैलीफोन टैपिंग की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री पोन्नुस्वामी की बात कर रहा था। श्री कुप्पुसामी ने तमिलनाडु में डीएमके नेताओं की कथित टैपिंग के बारे में नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: वे करोड़ों रुपये इकट्ठा कर चुके हैं। ये टैलीफोन टैपिंग की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)* ये इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते। डी.एम.के. नेता ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा है...*(व्यवधान)*

श्री सी. कुप्पुसामी: यह प्रतिशोधात्मक भावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि ऐसे फासीवाद को यहां अपना दुष्प्रभाव फैलाने की अनुमति दी गई तो इसका खतरा हमारे लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। इन गैर-कानूनी कामों के लिए बी.एस.एन.एल. के मुख्य महाप्रबंधन तथा दूसरे सैलफोन संचालकों को पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* हम, डी.एम.के. के सदस्य भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि प्रजातंत्र की रक्षा की जा सके एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सके...*(व्यवधान)* हम सकार से यह मांग करते हैं कि कितने राजनीतिज्ञों एवं नेताओं के टेलीफोन टेप किए गए हैं, इसका विस्तृत ब्यौरा दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, ये अचानक इस प्रकार कोई मुद्दा नहीं उठा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: इन्होंने नोटिस दिया है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, श्री कुप्पुसामी ने मलैयमलार में कल प्रकाशित एक समाचारपत्र रिपोर्ट से संबंधित एक प्रासंगिक मुद्दा उठाया है। यह टेलीफोन टैपिंग से संबंधित है। इसकी अनुमति किसी अधिकारी या किसी और ने तो दी ही होगी। यहां तक कि तमिलनाडु पुलिस अधिकारी स्वयं रिकार्ड के दायरे में आ गए हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: मैं भी एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट दे सकता हूं। आप समाचार-पत्र की कोई रिपोर्ट नहीं दिखा सकते और इस तरह अचानक उत्तेजित नहीं हो सकते।...*(व्यवधान)* यह पिछले सप्ताह चार भूतपूर्व मंत्रियों के घरों पर तमिलनाडु सरकार द्वारा मारे गए छापों का परिणाम है जिससे यह उजागर हुआ है कि इस मंत्रियों ने 1450 करोड़ रुपये की संपत्ति बना ली है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, इन्होंने नोटिस दिया है। इन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज आदि दिया नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, टेलीफोन टैपिंग एक गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): क्या आप इससे इंकार करते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: मैं इससे इंकार कर सकता हूं...*(व्यवधान)* यहां तक कि मैं भी एक समाचार गढ़ सकता हूं। किसी समाचार को गढ़ना बहुत ही आसान है। महोदय, ये जो कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि इसमें कुछ भी हानिकारक या आपत्तिजनक बात कही गई है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: यदि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना है तो फिर ठीक है...*(व्यवधान)* मलायमलार पर निर्भर न रहिए। मैं भी एक समाचार गढ़ सकता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' समाप्त हुआ।

...(व्यवधान)

श्री ए. राजा: महोदय, क्या एक सदस्य को टेलीफोन टैपिंग पर अपनी वेदना प्रकट करने का अधिकार नहीं है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इन्होंने 'शून्य काल' के दौरान बोलने का नोटिस दिया था? यदि इनके द्वारा उठाए गए मामले में कुछ भी आपत्तिजनक पाया जाता है तो मैं उसे देख लूंगा।

अब मद सं. 16, श्री अरुण जेटली।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, कृपया टेलीफोन टैपिंग से संबंधित भाग निकाल दें। एक मिनट के भीतर मैं भी एक समाचार गढ़ कर सकता हूं। आखिरकार यह एक सांध्यकालीन दैनिक है और ये इस पर निर्भर कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: भले ही यह प्रात:कालीन या सांध्यकालीन दैनिक हो, हम इसे कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसा कुछ आपत्तिजनक है जिसका इन्होंने नोटिस दिया तो मैं 'शून्यकाल' की प्रक्रिया के अनुसार उठे देखकर कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा....

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मुझे उत्तर देने का अधिकार है। मुझे उत्तर देने की अनुमति दीजिए। इन्होंने राज्य सरकार पर एक आरोप लगाया है। मुझे उत्तर देना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप उत्तर क्यों देना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा है और अब, इन पर डी.वी.ए.सी. ने भी आरोप लगाया है। सर्तकता निदेशालय एवं भ्रष्टाचार रोधी विभाग द्वारा ये छापे मारे गए हैं। पुलिस बहुत सारे दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अब ये यह आरोप लगा रहे हैं...*(व्यवधान)* एक पूर्व मंत्री ने 1450 करोड़ रुपय की संपत्ति इकट्ठी कर ली है...*(व्यवधान)* इन्होंने राज्य को लूटा है और अब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आदि शंकर, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए। समय पूरा हो चुका है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजा, आप मंत्री हैं। कृपया अन्य सदस्यों की तरह मत बोलिए। श्री कीर्ति झा आजाद, आपने चर्चा की सूचना नहीं दी है। केवल, डा. संजय पासवान ने ही सूचना दी है। डा. पासवान, आपने किस मामले के बारे में सूचना दी है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पासवान, क्या आप जानते हैं कि आपने किस विषय पर सूचना दी है? आप पढ़िए।

...(व्यवधान)

डा. संजय पासवान (नवादा): यह बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, यह बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में है। यदि आप इसके अतिरिक्त और कोई विषय उठाते तो मैं आपको अनुमति दे देता। यही कारण है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कल किसी अन्य मद पर चर्चा के लिए सूचना दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कीर्ति आजाद, उन्होंने लिखा है कि वे बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको कल किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति दूंगा। यदि कोई अन्य विषय होता तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति देता। यदि मैं उनको अनुमति देता हूं तो मैं एक गलत परंपरा स्थापित करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: विषय कुछ अलग होना चाहिए। वे सीधे-सीधे यह कह रहे हैं कि यह सूचना बिहार की कानून और व्यवस्था के बारे में है। इस विषय को यहां उठाने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप अलग विषय और अलग शब्दावली लेकर आए हैं। क्या अब आप बात समझ गए हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान: उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने नोटिस में ऐसा नहीं लिखा है।...*(व्यवधान)* बिहार में और बलात्कार हो रहे हैं...*(व्यवधान)* वहां 500 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में तो लिखा है कि यह बिहार की कानून और व्यवस्था के बारे में है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आपने 'ला एंड आर्डर सिचुएशन इन बिहार' नहीं लिखा तो हमें कैसे पता चला।

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): उपाध्यक्ष जी, इसको कैसे बदलें, यह आप बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय: अरुण जेटली जी आपको बताएंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप राज्य से संबंधित विषय को यहां पर सीधे उठाएंगे, तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। आप कृपया उनको बता दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): इंदौर से मुझे धमकी भरा पत्र आया है।...*(व्यवधान)* मेरी जान को खतरा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्टर रामदास, मैं आपको हमेशा चांस देता हूं। इस बारे में आज नहीं कल मुझे बता दो।

श्री रामदास आठवले: कल मैं मुम्बई जा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: परसों बता दो। क्या आपने लैटर लिखा है।

श्री रामदास आठवले: चार दिन से लिख रहा हूं।...*(व्यवधान)* अगर नहीं भी लिखा है तो भी मुझे बोलने की पर्मिशन देना आपके अधिकार में है।...*(व्यवधान)* मेरी जान को खतरा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी जान को खतरा है तो आप लिखकर दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। दूसरा आइटम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, व्यवधान मत डालिए। आपने चर्चा के लिए कोई सूचना नहीं दी है। मैं आपको कल बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.30 बजे

निर्वाचन और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक*, 2002

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; कंपनी अधिनियम, 1956 और आय-कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हूं:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; कंपनी अधिनियम, 1956 और आय-कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं। मेरा इस विधेयक पर विरोध एक महत्वपूर्ण पहलू को लेकर है कि यह विधेयक इस सभा के विधायी कार्य क्षेत्र से बाहर है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जिसके लिए यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है, उद्देश्य

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 19.3.2002 में प्रकाशित।

और कारणों के विवरण के अनुसार, राजनैतिक दलों को सहकारी क्षेत्र और अन्य व्यक्तियों से मिलने वाले वित्तीय अंशदान में पारदर्शिता लाई जाए। राजनैतिक दलों को मिलने वाले अंशदान में पारदर्शिता लाना असंभव है।

हम इन विषयों पर कानून नहीं बना सकते। यह राजनैतिक दलों और कंपनियों के मध्य संबंधों से ताल्लुक रखता है। हम ऐसे कार्य के संबंध में कानून नहीं बना सकते। इस विषय के विस्तार में जाना व्यर्थ होगा क्योंकि इस मामले का कोई अंत नहीं हो पाएगा।

राजनैतिक दल अपनी इच्छा और खुशी से अंशदान लेते हैं। यदि वित्तीय अंशदान की अनुमति दी गई तो यह भारतीय लोकतंत्र पर एक घातक प्रहार होगा। हम सभी जानते हैं कि चुनावों में धन एक निर्णायक भूमिका निभाता है। धन हमारे चुनावों और निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। यदि धन को चुनावी मामले में निर्णायक घटक बनने दिया गया तो यह निरर्थक कार्य होगा।

महोदय, आप सहमत होंगे कि चुनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव के बिना लोगों की इच्छा के बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए, यदि इस प्रक्रिया में धन के इस्तेमाल की खुली छूट दी जाए तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसी वजह से इस पर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगाया गया था। अब, इस वर्तमान विधेयक में उस भाग में संशोधन करने की मांग की गई है और यह कि कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिया जाने वाला अंशदान इस विधेयक के माध्यम से विधिसम्मत बनाया जा रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप विधेयक की अच्छाइयों का वर्णन कर रहे हैं। आप केवल विधायी सक्षमता पर ही आपत्ति उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब, समिति ने भी कोई सिफारिश नहीं की है और इसे न्यायालय पर छोड़ दिया गया है...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

मेरा नम्र निवेदन है कि हम व्यर्थ का कार्य कर रहे हैं। हमारा लोकतंत्र राजनैतिक इच्छा शक्ति पर बना है और राजनैतिक इच्छा शक्ति धन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मेरा दृढ़तापूर्वक यह मत है कि जब तक राजनैतिक सर्वसम्मति नहीं है कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब तक राजनैतिक मतैक्य नहीं है तब तक निगमित निकायों द्वारा चुनावों में धन के अंशदान पर विचार का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। आखिरकार, यह राजनैतिक प्रक्रिया है।

माननीय सदस्य कानून में यह बात लाने के लिए भी प्रयासरत हैं जहां हमें कोई अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)* इसके अतिरिक्त वर्तमान मामले में राजनैतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति नहीं है। चुनाव आयोग ने भी ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि यह एक आधा-अधूरा काम है और यह व्यर्थ साबित होगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। राजनैतिक दल पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण कर रहे हैं...*(व्यवधान)* इस विधान के द्वारा धन संबंधी मामलों में पारदर्शिता नहीं आ सकती है। इसलिए, मैं गोस्वामी समिति की रिपोर्ट के अनुसार सुझाव देना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था को जारी रहने की तब तक अनुमति दी जाए जब तक राजनैतिक दलों के मध्य राजनीतिक सर्वसम्मति नहीं हो जाती। इसलिए मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का पुरजोर विरोध करता हूं।

मैं मंत्री महोदय से पुन: आग्रह करता हूं कि इस विधेयक पर आगे विचार जारी न रखें।

श्री अरुण जेटली: महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य तीन विधानों में संशोधन करना है—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो संघ की सूची में प्रविष्टि संख्या 72 पर है, कंपनी अधिनियम जिसकी संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 43 और 44 है, और आयकर अधिनियम, जिसकी संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 82 है। इन तीनों मामलों में संसद को कानून बनाने का पूर्व विधायी अधिकार प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 1.40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.46 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.46 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

श्री वीरेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश में छतरपुर-सागर-देवरी-करेली-नागपुर के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर को छतरपुर. सागर, करेली, नागपुर इस मार्ग से रेल यातायात द्वारा जोड़े जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन को स्वीकृति मिल चुकी है। सागर संभाग विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। उसका प्रमुख कारण रेल मार्ग की भी कमी है तथा सागर से निकलने वाली रेलें भी अधिकांशतया सप्ताह में तीन दिन या दो दिन वाली हैं। सागर को जंक्शन बनाकर छतरपुर-शाहगढ़-मकरोनिया-सुरखी-देवरी-करेली इस मार्ग पर रेल लाइन का विस्तार होने से इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले खनिजों के आधार पर उद्योगों की स्थापना को बल मिलेगा, जिससे सागर संभाग आर्थिक विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकेगा तथा सागर से नागपुर की दूरी भी कम हो जायेगी और छतरपुर से सागर के बीच के रेल यात्रियों का किराया भी कम लगेगा।

अत:, मेरा केन्द्र सरकार के माध्यम से रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि छतरपुर-सागर-देवरी-करेली-नागपुर इस मार्ग पर शीघ्र ही रेल लाइन बिछवाने का सहयोग करें।

(दो) उत्तर प्रदेश में बहराइच और श्रावस्ती जिलों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पदमसेन चौधरी (बहराइच): सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच सीमावर्ती नेपाल से लगा है। वहां सिंचाई के लिए न तो नहरों की व्यवस्था है और न ही कुछ क्षेत्रों मे बोरिंग ही सफल हो रहा है। इस क्षेत्र में डीप बोरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे पैदावार में वृद्धि हो और किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिल सके। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद के सिरसिया हरिहरपुर ब्लाक में सिंचाई के लिए कुछ जलाशयों का निर्माण किया गया था, लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी फसल भी प्रभावित हो रही है।

अत:, सरकार से अनुरोध है कि उन जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाए जिससे किसानों की सिंचाई संबंधी कठिनाइयां दूर हो सकें और उनकी पैदावार में वृद्धि हो सके। इसके लिए राज्य सरकार को आर्थिक सहायता दी जाए।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि को गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों को हस्तान्तरित करने का प्रतिषेध करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, उड़ीसा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अपनी भूमि के हस्तांतरण से उन्हें बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने 1956 में विनियम 2 प्रख्यापित किया था। तथापि, उक्त विनियम की धारा 3 में बचाव की व्यवस्था संबंधी खंड होने के कारण सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से अनुसूचित जनजातियों की भूमि गैर-अनुसूचित जनजातियों को हस्तांतरित की जा रही है। अनेक मामलों में सक्षम प्राधिकरण उचित जांच नहीं करते हैं और अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दे देते हैं। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति के लोगों की काफी भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है।

इस विधेयक की खामियों को दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार ने 1956 के विनियम 2 में उचित संशोधन का सुझाव दिया है। हालांकि, इस मामले में उड़ीसा के राज्यपाल की सहमति मिल गई है और स्पष्टीकरण ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेजा गया है, परंतु अभी तक भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार और गृह मंत्रालय उड़ीसा के आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए।

(चार) केरल के कोचीन शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जार्ज ईडन (एर्णाकुलम): महोदय, कोचीन देश के तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। यह बंदरगाह वाला शहर केरल राज्य की व्यावसायिक राजधानी है। यह देश के पश्चिमी तट में पश्चिमी समुद्रीय व्यापार के लिए सबसे नजदीकी बंदरगाह है। कोचीन नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात में रुकावट एक नियमित बात है। इस यातायात की रुकावट को दूर करने का एकमात्र उपाय इस क्षेत्र में मेट्रो रेल नेटवर्क का आरंभ किया जाना है। विभिन्न सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों ने इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया है। शहर में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इससे नई सड़कें बनाने में दिक्कतें पैदा होती हैं। इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कोचीन शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क का आरंभ करें।

[अनुवाद]

(पांच) दुर्गापुर और कोलकाता के बीच फास्ट पैसेन्जर ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान दुर्गापुर और हावड़ा के मध्य तीव्र गति की पैसेंजर रेलगाड़ी चलाने की लोगों की लंबित मांग की ओर दिलाना चाहता हूं। दुर्गापुर शहर उद्योगों के बढ़ने के कारण तेजी से फैल रहा है। स्वाभाविक है कि उद्योगपतियों और व्यापारियों दोनों को दुर्गापुर और हावड़ा के बीच आना-जाना पड़ता है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी, विशेषकर दुर्गापुर उप-खंडों के बांकुरा और बीरभूमि के एक भाग की लड़कियां विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु रोज आवागमन करती हैं। चूंकि इनमें से अधिकांश मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग परिवारों से आते हैं, वे छात्रावास सुविधाओं को वहन नहीं कर सकते। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन लेने और व्यक्तिगत कामों के लिए दुर्गापुर से अक्सर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि चूंकि न तो कोलफील्ड एक्सप्रेस और न ही मयूराक्षी द्रुत गति पैसेंजर ट्रेन दुर्गापुर से शुरू होती है, ये ट्रेनें जब दुर्गापुर पहुंचती हैं तो हमेशा भरी हुई होती हैं। सभी वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दुर्गापुर से हावड़ा के बीच तीव्र गति की पैसेंजर ट्रेन आरंभ करें।

(छह) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए दिए जाने वाले दान पर आय कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट): वर्ष 2002 के राष्ट्रीय खेल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में होने जा रहे हैं। 150 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अनेक नये स्टेडियम और अन्य आधारभूत संरचनात्मक ढांचे का निर्माण किया जाना है। राज्य सरकार ने 16 जिला मुख्यालयों में खुले और बंद स्टेडियम और तरणतालों का निर्माण कार्य हाथ में लिया है।

आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण ने खेल और क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य अपने हाथों में लिए हैं। राज्य सरकार ने एक खेल नीति की घोषणा की है जिसका सभी ने स्वागत किया है। इन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से उदारतापूर्वक दान देने के लिए संपर्क किया है। जैसा कि राज्य सरकार ने निवेदन किया है भारत सरकार को संस्थाओं और व्यक्तियों से मिलने वाले दान पर 100 प्रतिशत कर में छूट देनी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी करें जिससे दान देने वाले राज्य में राष्ट्रीय खेल, 2002 निर्विघ्न सम्पन्न कराने में मदद करने के लिए सामने आएं।

(सात) विशाखापत्तनम जिले में आंध्र प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के भीमिली ब्रांच सैंड प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): आंध्र प्रदेश के खनिज विभाग ने प्रस्ताव किया है कि आई.आर.ई. और एन.एम.डी.सी. के साथ भिमीली में एक परस्पर सहयोग से ब्रांच सैंड परियोजना आरंभ की जाए, उसने इस संबंध में एक ऐसे जाने-माने वन्य जीव विशेषज्ञ की सेवाएं ली जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि इन खनन परियोजनाओं के कारण ओलिव रिडले कछुए की प्रजनन क्रिया के लिए हानिकारक नहीं है। यह रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेज दी गई है। इसी प्रकार, ट्रांसवर्ल्ड गारनेट के संबंध में जिसके साथ राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित पड़ी है। इस तथ्य को देखते हुए कि यह खनिज बहुत दुर्लभ और विशिष्ट है और यह हमारे राष्ट्रीय हित में है कि राष्ट्र के विकास के लिए इनका दोहन समझदारी से किया जाए।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशाखापत्तनम जिले में एपीएमडीसी की भी मिली ब्रांच सैंड परियोजना और श्रीकाकुलम जिले में मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड गारनेट की परियोजना को आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति दे।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं को प्रदत्त मानदेय बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, देश के सही दिशा में विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था के विस्तार की जितनी आवश्यकता है, उससे भी अधिक जरूरत है कि शिक्षा व्यावसायिक बनाई जाये, वह रोजगारोन्मुखी हो और उसका स्तर उन्नयन हो। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु देश में व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना प्रारम्भ की गई थी। एक दशक पूर्व देश भर में व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया था और दूसरी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में भी व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय प्रारम्भ किए गए थे। वर्ष 2000 में इन विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि इन विद्यालयों में अंशकालिक व पूर्णकालिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाये और इस सलाह के तहत उत्तर प्रदेश में 400-400 उपरोक्त श्रेणी के प्रवक्ताओं की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। साथ ही इन विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय जो अब 1500 रुपये प्रतिमाह है, उसे बढ़ाकर 5000 करने का प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को जनवरी, 2001 में स्वीकृति हेतु भेजा था, किन्तु अभी तक उपरोक्त मामलों में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

अत:, मेरा सरकार से आग्रह है कि उक्त दोनों मामलों में अविलम्ब निर्णय की घोषणा कर व्यावसायिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें।

(नौ) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले को सीधी रेल सेवा द्वारा अन्य महानगरों से जोड़ने की आवश्यकता

डा. बलिराम (लालगंज): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जला है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक इस जनपद को देश के विभिन्न महानगरों से रेल यातायात द्वारा नहीं जोड़ा गया है, जबकि इसी जनपद में मुबारकपुर क्षेत्र है, जहां की रेशम की साड़ियां देश-विदेश में जानी व पहचानी जाती हैं। आजमगढ़ जिले से लोक सभा व राज्य सभा के सात सांसद भी हैं। इस क्षेत्र के लोग देश के कोने-कोने व विदेशों में नौकरी व व्यवसाय के लिए प्रतिदिन आते-जाते हैं। वाराणसी रेलवे आरक्षण केन्द्र व आजमगढ़ रेलवे आरक्षण केन्द्र से आरक्षण कराने वाले अधिसंख्य यात्री जनपद आजमगढ़ के निवासी होते हैं। ऐसे में विभिन्न महानगरों से सीधी रेल सेवा न होने के कारण आजमगढ़वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत:, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनपद आजमगढ़ को सीधी रेल सेवा द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई से जोड़ा जाये।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु के वेल्लौर जिले में अनीकट ब्लाक में उत्तर कावेरी नदी पर बांध बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.टी. षणमुगम (वेल्लौर): महोदय, तमिलनाडु के वेल्लौर जिले का गांव ताल्लुका अनेक कृषि और बागवानी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। कृषि उत्पादों के कारण इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं हैं बशर्ते जल संसाधन की समस्या का समाधान हो जाए। इस इलाके के लोगों को कम वर्षा और सिंचाई और पेयजल के लिए अपर्याप्त जल संसाधनों से जूझना पड़ता है। अनेक गांवों को पेयजल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा विश्वास है कि यदि संपूर्ण वर्षा जल को जलाशयों और टैंकों में संग्रह कर लिया जाए तो इस क्षेत्र की 50,000 एकड़ से ऊपर कृषि की सिंचाई भूमि हेतु पानी की मांग पूरी की जा सकती है और 30 लाख से अधिक लोगों को पीने के पानी की सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं।

यह तभी संभव है जब भारत सरकार वेल्लौर जिले में अनीकट ब्लाक के उत्तर कावेरी नदी पर मेलारासम्बुत बांध के निर्माण के लिए तत्काल पहल करें, यह मेरा संसदीय निवार्चन क्षेत्र भी है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि पानी की कमी को दूर करने के लिए उत्तर कावेरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदय: मैं फिर मौका दूंगा।

(ग्यारह) कर्नाटक में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा (दावणगेरे): कर्नाटक में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के साथ बातचीत की है और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर इस बात का भी जोर डाला है कि राज्य पर्यटन

उद्योग में विशेष रुचि दिखा रहा है जिसके कारण पड़ोसी केरल राज्य लुभावने पर्यटन स्थल के रूप में विश्व मानचित्र पर आ गया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से अपने फरवरी, 2002 माह में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरे के दौरान हम्पी विश्वविरासत केन्द्र और सात ही बदामी, अईहोल, पटाडकल, जोग जैसे स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया है। केन्द्र सरकार ने इन स्थलों का दौरा करने के लिए फरवरी, 2002 में वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा था।

मेरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार को उनकी रिपोर्ट मिल गई होगी, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि पर्यटन परियोजनाओं के लिए तत्काल आवश्यक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए।

अपराह्न 3.01 बजे

सीमा शुल्क टैरिफ के बारे में अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह सभा एकद्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या 2/2002 सी.शु. [दिनांक 8 जनवरी, 2002 का सा.का.नि. 14 (अ)]; जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के पहली अनुसूची में संशोधन करना है जिससे कि उपशीर्ष 5201.00 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क की दर को मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत किया जा सके, का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह सभा एकद्वारा

दिनांक 8 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या 2/2002 सी.शु. [दिनांक 8 जनवरी, 2002 का सा.का.नि. 14 (अ)]; जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के पहली अनुसूची में संशोधन करना है जिससे कि उपशीर्ष 5201.00 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क की दर को मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत किया जा सके, का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.04 बजे

सामान्य बजट, 2002-2003—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 2002-2003
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2001-2002
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1998-1999

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 19 से 22 पर एक साथ चर्चा करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 1 में मांग संख्या 1 से 28, 30, 31, 33 से 58, 60 से 92, 94 से 95, 97 से 102 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।

कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 2, 4 से 6, 8 से 10, 12, 18, 21, 23 से 25, 27, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42 से 47, 50 से 53, 57, 59, 62, 64, 65, 71 से 76, 78, 80, 81, 83 से 88, 92, 93, 96 से 100 के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा

संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें मांग संख्या 1, 5, 11, 13, 16 से 20, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 60, 63, 73, 78, 80, 81, 87, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102 और 103।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002-2003 की लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	539,76,00,000	36,16,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	249,80,00,000	...
3.	पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	71,70,00,000	3,89,00,000
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	110,92,00,000	35,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	8,65,00,000	14,68,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1949,84,00,000	84,87,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मंत्रालय	180,56,00,000	10,79,00,000
कोयला और खान मंत्रालय			
8.	कोयला विभाग	77,34,00,000	16,58,00,000
9.	खान विभाग	177,69,00,000	4,81,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
10.	वाणिज्य विभाग	221,08,00,000	63,83,00,000
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	59,46,00,000	...

1	2	3	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
12.	डाक विभाग	882,98,00,000	21,43,00,000
13.	दूरसंचार विभाग	561,65,00,000	17,00,000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	100,45,00,000	7,94,00,000
रक्षा मंत्रालय			
15.	रक्षा मंत्रालय	778,90,00,000	56,13,00,000
16.	रक्षा पेंशन	1783,31,00,000	...
17.	रक्षा सेवा—थल सेना	5237,56,00,000	...
18.	रक्षा सेवा—नौसेना	774,69,00,000	...
19.	रक्षा सेवा—वायु सेना	1404,18,00,000	...
20.	रक्षा आयुध निर्माणियां	1294,50,00,000	...
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	3565,99,00,000
विनिवेश मंत्रालय			
22.	विनिवेश मंत्रालय	13,92,00,000	...
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग			
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	62,31,00,000	13,45,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
24.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	181,38,00,000	3,80,00,000
विदेश मंत्रालय			
25.	विदेश मंत्रालय	527,57,00,000	69,70,00,000
वित्त मंत्रालय			
26.	आर्थिक कार्य विभाग	368,36,00,000	71,93,00,000
27.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	149,40,00,000	117,17,00,000
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	338,30,00,000	291,31,00,000
30.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	3514,17,00,000	...
31.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	133,33,00,000

1	2	3	
33.	व्यय विभाग	20,48,00,000	6,00,000
34.	पेंशन	725,88,00,000	...
35.	लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	154,66,00,000	2,00,00,000
36.	राजस्व विभाग	168,82,00,000	1,36,00,000
37.	प्रत्यक्ष कर	173,03,00,000	20,83,00,000
38.	अप्रत्यक्ष कर	178,25,00,000	6,68,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
39.	उपभोक्ता मामले विभाग	34,98,00,000	730,00,000
40.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3570,26,00,000	43,45,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
41.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13,50,00,000	...
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
42.	स्वास्थ्य विभाग	417,16,00,000	47,03,00,000
43.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	32,23,00,000	1,25,00,000
44.	परिवार कल्याण विभाग	974,97,00,000	...
गृह मंत्रालय			
45.	गृह मंत्रालय	113,07,00,000	4,04,00,000
46.	मंत्रीमंडल	29,43,00,000	83,00,000
47.	पुलिस	1576,29,00,000	142,23,00,000
48.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	77,83,00,000	...
49.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	94,15,00,000	62,85,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
50.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	1194,20,00,000	...
51.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	813,10,00,000	1,00,000
52.	महिला और बाल विकास विभाग	596,17,00,000	...
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
53.	सरकारी उद्यम विभाग	2,11,00,000	...

1	2	3	
54.	भारी उद्योग विभाग	190,10,00,000	286,80,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
55.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	205,76,00,000	49,84,00,000
श्रम मंत्रालय			
56.	श्रम मंत्रालय	163,96,00,000	2,40,00,000
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
57.	विधि और न्याय	78,58,00,000	26,00,000
58.	निर्वाचन आयोग	1,69,00,000	...
60.	कम्पनी कार्य विभाग	9,10,00,000	50,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय			
61.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय	82,25,00,000	21,68,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय			
62.	संसदीय कार्य मंत्रालय	70,00,000	...
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
63.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	34,26,00,000	2,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
64.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1084,91,00,000	...
योजना मंत्रालय			
65.	योजना मंत्रालय	7,69,00,000	1,25,00,000
विद्युत मंत्रालय			
66.	विद्युत मंत्रालय	304,62,00,000	428,69,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
67.	ग्रामीण विकास विभाग	4671,57,00,000	25,00,000
68.	भूमि संसाधन विभाग	167,30,00,000	...
69.	पेय जलापूर्ति विभाग	921,72,00,000	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	161,20,00,000	8,78,00,000

1	2	3	
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	172,64,00,000	85,00,000
72.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	39,26,00,000	...
लघु उद्योग मंत्रालय			
73.	लघु उद्योग मंत्रालय	66,19,00,000	...
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
74.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	635,49,00,000	2,72,00,000
इस्पात मंत्रालय			
75.	इस्पात मंत्रालय	11,37,00,000	2,33,00,000
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
76.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	1029,69,00,000	1518,21,00,000
नौवहन मंत्रालय			
77.	नौवहन मंत्रालय	69,10,00,000	58,99,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
78.	कपड़ा मंत्रालय	164,89,00,000	99,58,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय			
79.	पर्यटन विभाग	24,12,00,000	18,75,00,000
80.	संस्कृति विभाग	81,08,00,000	...
जनजाति कार्य मंत्रालय			
81.	जनजाति कार्य मंत्रालय	20,99,00,000	5,34,00,000
शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
82.	शहरी विकास विभाग	125,54,00,000	89,16,00,000
83.	लोक निर्माण कार्य	112,04,00,000	48,52,00,000
84.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	29,82,00,000	4,00,000
85.	शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन विभाग	70,12,00,000	36,88,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
86.	जल संसाधन मंत्रालय	124,25,00,000	8,84,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	225,92,00,000	18,89,00,000

1	2	3	
	युवा मामले और खेल मंत्रालय		
88.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	54,61,00,000	24,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
89.	परमाणु ऊर्जा	297,60,00,000	188,99,00,000
90.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	277,60,00,000	265,83,00,000
	महासागर विकास विभाग		
91.	महासागर विकास विभाग	33,05,00,000	17,00,000
	अंतरिक्ष विभाग		
92.	अंतरिक्ष विभाग	325,24,00,000	52,16,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
94.	राज्य सभा	12,49,00,000	...
95.	लोक सभा	29,83,00,000	...
97.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	17,00,000	...
	विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
98.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	129,76,00,000	32,33,00,000
99.	चंडीगढ़	127,03,00,000	23,93,00,000
100.	दादरा और नगर हवेली	63,93,00,000	6,38,00,000
101.	दमन और दीव	37,78,00,000	5,22,00,000
102.	लक्षद्वीप	36,59,00,000	9,94,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	45094,60,00,000	8247,74,00,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	60,03,00,000	70,58,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	7,04,00,000	...
4.	खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग विभाग	42,00,000	1,00,000

1	2	3	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	1,00,000	45,35,00,000
6.	उर्वरक विभाग	356,64,00,000	20,33,00,000
कोयला मंत्रालय			
8.	कोयला मंत्रालय	50,39,00,000	...
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
9.	वाणिज्य विभाग	3,00,000	...
10.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,00,000	...
संचार मंत्रालय			
12.	दूरसंचार विभाग	931,66,00,000	500,00,00,000
रक्षा मंत्रालय			
18.	रक्षा आयुध निर्माणियां	536,91,00,000	...
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
21.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	11,12,00,000	...
वित्त मंत्रालय			
23.	आर्थिक कार्य विभाग	46,34,00,000	...
24.	मुद्रा, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	...	1,00,000
25.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	229,21,00,000	4621,60,00,000
27.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	1636,29,00,000	...
30.	व्यय विभाग	..	1,00,000
32.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	5,24,00,000	...
34.	प्रत्यक्ष कर	...	1,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
37.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3892,07,00,000	1,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
38.	स्वास्थ्य विभाग	60,51,00,000	...
40.	परिवार कल्याण विभाग	78,82,00,000	...

1	2	3	
गृह मंत्रालय			
42.	मंत्रीमंडल	...	1,00,000
43.	पुलिस	1,00,000	2,00,000
44.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	4,00,000	1,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	104,74,00,000	21,80,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
46.	प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	...
51.	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	5,00,000	...
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
50.	भारी उद्योग विभाग	1,09,00,000	...
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
51.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	...	4258,08,00,000
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
52.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	72,00,00,000	...
श्रम मंत्रालय			
53.	श्रम मंत्रालय	1,00,000	...
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
57.	कम्पनी कार्य विभाग	1,00,000	...
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय			
59.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय	1,00,000	28,30,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
62.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	9000,00,00,000	...
विद्युत मंत्रालय			
64.	विद्युत मंत्रालय	47,73,00,000	140,43,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
65.	ग्रामीण विकास विभाग	3,00,000	...

1	2	3	
	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय		
71.	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय	2,00,000	...
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
72.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	70,00,00,000	...
	इस्पात मंत्रालय		
73.	इस्पात मंत्रालय	2,65,00,000	89,44,00,000
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
74.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2,00,000	73,52,00,000
	नौवहन मंत्रालय		
75.	नौवहन मंत्रालय	450,50,00,000	4,00,000
	कपड़ा मंत्रालय		
76.	कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	138,83,00,000
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय		
78.	पर्यटन विभाग	2,00,000	...
	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
80.	शहरी विकास विभाग	4,45,00,000	75,79,00,000
81.	लोक निर्माण कार्य	...	16,46,00,000
83.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	...	14,00,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
84.	जल संसाधन मंत्रालय	...	11,73,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
85.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	...
	युवा मामले और खेल मंत्रालय		
86.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	7,14,00,000	...
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
87.	परमाणु ऊर्जा	7,86,00,000	...
88.	नाभिकीय विद्युत योजना	109,61,00,000	...

1	2	3	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
92.	राज्य सभा	11,11,00,000	...
93.	लोक सभा	27,05,00,000	...
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
96.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	61,47,00,000	...
97.	चंडीगढ़	24,73,00,000	54,45,00,000
98.	दादरा और नगर हवेली	53,86,00,000	3,31,00,000
99.	दमन और दीव	5,36,00,000	1,83,00,000
100.	लक्षद्वीप	...	6,60,00,000
	कुल जोड़	17964,37,00,000	10192,56,00,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1998-99 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या और मांग का नाम		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
		रुपए
I. राजस्व से पूरा किया गया व्यय		
1.	कृषि	3178070646
11.	चीनी और खाद्य तेल विभाग	671239867
13.	वाणिज्य विभाग	277072682
16.	दूरसंचार विभाग	3008514363
17.	रक्षा मंत्रालय	650797355
18.	रक्षा पेंशन	13467942021
19.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	1316813931
20.	रक्षा सेवाएं—नौ सेना	1432513214
25.	विदेश मंत्रालय	30192735
26.	आर्थिक कार्य विभाग	3611009746
28.	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	25667644785

1		2
34.	पेंशन	13724532713
35.	लेखापरीक्षा	185575524
37.	प्रत्यक्ष कर	473824923
38.	अप्रत्यक्ष कर	261733290
41.	भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग	34682815
43.	गृह मंत्रालय	127753908
45.	पुलिस	1291162469
47.	संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	834100000
52.	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति व संवर्धन	520921182
54.	भारी उद्योग विभाग	3573363103
56.	सूचना, फिल्म और प्रचार	8763692
60.	निर्वाचन आयोग	10257795
78.	इस्पात मंत्रालय	111437037
80.	सड़क	5792551
81.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	1138453043
95.	राज्य सभा	24256656
96.	लोक सभा	110868525
98.	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	3699304
99.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	227177822
100.	चंडीगढ़	937938422
101.	दादरा व नगर हवेली	140342287
102.	दमन व दीव	83288835
103.	लक्षद्वीप	123369521
	कुल राजस्व	77265106762
II. पूंजी से पूरा किया गया व्यय		
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन	29500000
11.	चीनी और खाद्य तेल विभाग	796957561

1		2
28.	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	13817004738
31.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	568102644
47.	संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	94800000
54.	भारी उद्योग विभाग	632633250
63.	खान मंत्रालय	598899335
73.	ग्रामीण रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभाग	500000000
78.	इस्पात मंत्रालय	129900000
81.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	378483214
87.	जल संसाधन मंत्रालय	6422483
101.	दादरा ड्ड नगर हवेली	10728158
	जोड़-पूंजी	17563431383
	कुल जोड़	94828538145

सभापति महोदय: अब श्री मणि शंकर अय्यर बोलेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को एक के बाद एक लागातर पांच बजट पेश करने के लिए बधाई देते हुए अपना भाषण शुरू करता हूं। ऐसा करके वह डा. मनमोहन सिंह के रिकार्ड की बराबरी कर चुके हैं। काश, यह तुलना यहीं समाप्त हो जाती। यह तुलना वहां समाप्त भी हो जाती है क्योंकि बजट प्रस्तुत करने से थोड़ी देर पहले पेश किये गये इकानामिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण) ने हमें माननीय वित्त मंत्री के पिछले चार वर्षों के आर्थिक निष्पादन की डा. मनमोहन सिंह, श्री राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अन्तिम चार वर्षों के आर्थिक निष्पादन से तुलना करने का अवसर प्रदान किया है।

यह तुलना करने पर पता चलता है कि गत चार वर्षों में अर्थात् 1998 से 2002 तक विकास की दर 16 प्रतिशत रही है। डा. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अन्तिम चार वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था का विकास 23 प्रतिशत की दर से हुआ। श्री राजीव गांधी के शासन काल में भी अर्थव्यवस्था का विकास चार वर्षों में अर्थात्, 1986 से 1990 तक 23 प्रतिशत की दर से हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के पिछले चार वर्षों के दौरान अर्थात् 1980 से 1984 तक अर्थव्यवस्था की विकास दर श्री यशवन्त सिन्हा के कार्यकाल में वृद्धि दर 1 प्रतिशत अधिक अर्थात् 17 प्रतिशत रही।

गत दो वर्षों में अर्थात् 2000 से 2002 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही है। यह पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक औसत वृद्धि दर, जिसे अपमानजनक शब्दों में 'हिन्दु-विकास-दर' कहा जाता है, से कम है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय वित्त मंत्री इस बात को साबित करने के लिए कि वे हिन्दुत्व से जुड़े हैं, हमें हिन्दु-विकास-दर की ओर ले जा रहे हैं।

जब डा. मनमोहन सिंह ने यह बताया कि अर्थव्यवस्था 7-8 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकास दर रही है तो उस दौरान अर्थात् 1994 से 1997 के बीच वास्तविक औसत वृद्धि दर 7.5 थी। जब माननीय वित्त मंत्री अपने एक के बाद एक दिए गए भाषणों में 7 से 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का मन्त्र दोहराते हैं और माननीय प्रधान मंत्री अमरीका जाकर यह दावा करते हैं कि हमारी वृद्धि विकास दर नौ प्रतिशत है जबकि हमारी वास्तविक कार्य निष्पादन दर उससे आधा अर्थात् 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है हर कोई यही कह सकता है कि आप कुछ अमरीकी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते है लेकिन हर समय हरेक भारतीय को नहीं।

आर्थिक सर्वेक्षण में इस भारी असफलता पर यह कह कर पर्दा डालने का प्रयास किया गया है कि गत वर्ष हमारी वृद्धि दर पिछले अधिकांश वर्षों में विकास दर से अधिक थी। मेरे विचार

[श्री मणि शंकर अय्यर]

से, यह व्यर्थ का दुराव-छिपाव है। श्री यशवन्त सिन्हा के मंत्रालय में सबसे अधिक समय तक रहे मुख्य आर्थिक सलाहकार, श्री शंकर आचार्य द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज मेरे पास प्रमाण के रूप में विद्यमान है। यह एक बहुत मजेदार मोनोग्राफ है जिसका नाम 'इंडियास मैक्रोइकानामिक मैनेजमेंट इन दि नाइन्टीज'' है। इसमें श्री यशवन्त सिन्हा के एक अन्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार की गई एक तालिका है। अत: इसके आंकड़े त्रुटिहीन हैं। यह दस्तावेज जो अरविन्द वीरमणि के चिंतन—ओकेजेनल पेपर सीरीज का हिस्सा है, यह दर्शाता है कि गत 20 वर्षों में श्रीमती इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के समय से अर्थात् वर्ष 1980 से 2000 तक वृद्धि दर के मामले में विश्व में हमारा छठा स्थान था। 20 वर्षों तक हम विश्व में छठे स्थान पर रहे। श्री यशवन्त सिन्हा को इस बात का पता अचानक ही वर्ष 2001-2002 में चला जब वह पुनरीक्षणाधीन वर्ष के दौरान अपने खराब कार्य निष्पादन के बारे में स्पष्टीकरण दे रहे थे।

वित्त मंत्री जी के इस कार्यकाल के दौरान हम गत दो वर्षों में छठे स्थान से काफी नीचे आ गये हैं। सरकार को ईमानदारी से यह मान लेना चाहिए कि 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के समय से नहीं अपितु पिछले 28 वर्षों में अर्थव्यवस्था का कार्य-निष्पादन इतना खराब नहीं रहा, जितना गत दो वर्षों के दौरान रहा है।

सभापति महोदय, क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन तो इससे भी खराब रहा है। अस्सी के दशक में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन 36 प्रतिशत तक बढ़ गया जिससे वार्षिक औसत वृद्धि दर में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नब्बे के दशक में खाद्यान्नों के उत्पादन में केवल 18 प्रतिशत अर्थात् उससे आधे से भी कम वृद्धि हुई और वार्षिक औसत वृद्धि 1.8 प्रतिशत हुई जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर से भी काफी कम है जो पिछले दशक की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ष 1.93 प्रतिशत रही है।

क्या 21वीं शताब्दी में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता बनाये रखने का यही तरीका है? वास्तव में स्थिति इससे भी अधिक खराब है। आर्थिक सुधारों के पहले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 1991-96 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले दशक की वृद्धि की तुलना में थोड़ी सी कम है। परन्तु दूसरे पांच वर्षों में अर्थात् वर्ष 1996-2001 के दौरान अब श्री यशवन्त सिन्हा यह कहेंगे कि वर्ष 2001 विशेष रूप से खराब वर्ष था, तो हम अगले वर्ष की बात करते हैं जिसमें कि इनका कार्यनिष्पादन बेहतर था यदि आप अपवादस्वरूप पूर्व खराब वर्ष की बजाय वर्ष 2001-02 का खाद्यान्न उत्पादन ले तो आपको पता चलेगा कि 1996 से 2002 तक खाद्यान्न की औसतन वार्षिक उत्पादन दर 2 प्रतिशत से भी कम रही है जो मुश्किल से ही जनसंख्या वृद्धि दर के लिए पर्याप्त है और जो निश्चित रूप से इस देश के अत्यधिक निर्धन लोगों के अत्यधिक निम्न पोषण मानकों में सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके बावजूद भी, माननीय प्रधान मंत्री पंजाब के दौरे पर जाते हैं और कृषकों को खाद्यान्न का उत्पादन कम करने की सलाह देते हैं। यदि सरकार का बफर-स्टाक बहुत अधिक है, तो वह इस वजह से नहीं है कि हम बहुत अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसा सरकार द्वारा हाय-तोबा मचाकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न का मूल्य बढ़ाने के कारण है। हमने वर्ष 2000 में वित्त मंत्री को चेतावनी दी थी और हमें नागरिक आपूर्ति मंत्री, श्री शांता कुमार ने एक जटिल कहानी गढ़कर सुनाई कि उन्होंने किस प्रकार से कम कीमत पर कम अनाज की तुलना में कीमत बढ़ाकर खाद्यान्न की मात्रा दुगुनी करके गरीबों का कल्याण करने की गणना की है।

परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? बफर-स्टाक बढ़ रहा है क्योंकि राज्य सरकारें इस स्टाक को खरीद नहीं सकती और इसकी वजह यह है कि खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं राशन की दुकानों पर बहुत ऊंची कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और वह हमारे निर्धन लोगों के लिए बहुत अधिक है। सरकार ने खाद्यान्न के संबंध में जो मूल्य निर्धारण प्रणाली अपनाई है, संपूर्ण दोष उसी का है। मूल्य निर्धारण प्रणाली को ठीक करने के स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री, यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें, भारत के चावल और गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य पंजाब में जाकर किसानों को यह बताने का कष्ट उठाते हैं कि वे आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी के विचार से क्या पंजाब मध्य अमरीका में स्थित है? यह इस अत्यधिक गरीब देश में स्थित है। नि:संदेह इस देश और कावेरी डेल्टा को पंजाब ही बचा रहा है। हम चावल का उत्पादन करते हैं, पंजाब चावल और गेहूं दोनों का उत्पादन करता है। मैं तेलुगु देशम पार्टी के अपने मित्रों को भी बताना चाहता हूं कि कृष्णा और गोदावरी जिलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरियालगुड़ा): मैं अपने दल के साथ हूं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: अत:, मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि एक जिम्मेदार प्रधान मंत्री, जिनका खाद्यान्न उत्पादन के मामले में इतना खराब रिकार्ड रहा हो, देश के गरीब लोगों के पास जाकर यह कहने के स्थान पर कि मैंने खाद्यान्नों की कीमत अधिक कर दी थी और उसे अब कम करना चाहता हूं, पंजाब जाकर वहां के किसानों को यह कैसे कह सकते हैं कि चूंकि मैं आपके उत्पादन का मूल्य नहीं चुका सकता, अत: कृपया और अधिक अन्न का उत्पादन न करें। क्या यह पागलपन नहीं है।

नब्बे का दशक हमारे सबसे अधिक गरीब किसानों, तिलहन उत्पादकों की बर्बादी का भी प्रत्यक्ष दृष्टा है। अस्सी के दशक में, श्री राजीव गांधी के प्रौद्योगिकी मिशन के कारण दशक के पहले वर्ष में तिलहन उत्पादन 9.4 मिलियन टन से बढ़कर दशक के अंतिम वर्ष में दोगुना अर्थात् 18.6 मिलियन टन हो गया और खाद्य तेलों का आयात वर्ष 1980-81 में 857 मिलियन अमरीकी डालर से कम होकर वर्ष 1990-91 में 182 मिलियन अमरीकी डालर रह गया। इस सरकार के हाथों तिलहन उत्पादकों की बर्बादी की वजह से तिलहन का उत्पादन पिछले बीस वर्षों के उत्पादन से भी कम हो गया। 20 वर्ष पहले तिलहन का उत्पादन आज के मुकाबले कहीं अधिक था। इस सकार ने अधिकांश सोयाबीन कारखानों को बंद कर दिया। इससे केरल और दक्षिण के नारियल तेल उद्योग को बर्बाद कर दिया और खाद्य-तेल के आयात को बढ़ावा दिया है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर ध्यान दें। इस सरकार ने खाद्य तेलों के आयात को बढ़ाकर लगभग 1,500 मिलियन अमरीकी डालर तक कर दिया है। श्री राजीव गांधी ने खाद्य तेल के आयात बिल को 857 मिलियन अमरीकी डालर से घटाकर 182 मिलियन अमरीकी डालर तक कर दिया था और इस सरकार ने इसे पुन: बढ़ाकर 1,500 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचा दिया। गरीब किसानों की विकट समस्याओं पर ध्यान देने के स्थान पर प्रधान मंत्री किसी क्वात्रोची नाम के व्यक्ति की तलाश में मलेशिया जाते हैं और उनसे—श्री एस. जयपाल रेड्डी, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं—भारी-मात्रा में ताड़ के तेल का आयात करने पर सहमत हो जाते हैं। हम पहले ही 1,500 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के खाद्य तेल का आयात कर रहे हैं और यह प्रधान मंत्री क्वालालम्पुर जाकर यह कहते हैं; "अरे गरीब मलेशिया वालों आप सचमुच इतने अमीर नहीं हैं। हम आपसे कुछ टन पाम-आयल और खरीद लेंगे ताकि आपकी स्थिति और अच्छी हो सके।" क्या यह आर्थिक नीति है? क्या यह पागलपन नहीं है?

अब मैं उद्योग की बात करूंगा। आर्थिक-सर्वेक्षण की तालिका 1.3 में 'मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एण्ड यूटिलिटी सीर्षक के अंतर्गत डा. मनमोहन सिंह और श्री राजीव गांधी दोनों के कार्यकाल के पिछले चार वर्षों के दौरान वृद्धि दर 21 प्रतिशत तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंतिम चार वर्षों में 20 प्रतिशत की तुलना में गत चार वर्षों में यह दर 13 प्रतिशत की रही है। यह उपरोक्त शीर्षक के अंतर्गत पिछले दो दशकों का सबसे खराब कार्यनिष्पादन है। परंतु मैं इसके बारे में इतना चिंतित नहीं हूं जितना कि इस समूह के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र अर्थात् विकेन्द्रीकृत सूती वस्त्र क्षेत्र के बारे में हूं, इसलिए समाजवाद के अन्तिम दशक में अर्थात् अस्सी के दशक में, विकेन्द्रीकृत सूती वस्त्र का उत्पादन 177 प्रतिशत तक बढ़ा था और वार्षिक विकास दर 17.7 प्रतिशत हो गई थी जो पिछले चार वर्षों में घटकर 0.5 प्रतिशत रह गई। गत चार वर्षों में विकेन्द्रीकृत सूती वस्त्र का उत्पादन केवल 0.5 प्रतिशत बढ़ा है जिसका तात्पर्य यह है कि श्री यशवन्त सिन्हा ने जो वार्षिक औसत बताई है वह प्रतिवर्ष 0.1 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक है।

विडम्बना यह है कि यहां 'प्रोडेक्शन आफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज' नाम की तालिका में सूचीबद्ध एक औद्योगिक क्षेत्र जिसने उल्लेखनीय प्रगति की है, वह 'सिंथेटिक्स' है। अस्सी के दशक में सिंथेटिक और मिश्रित वस्त्र दोनों के उत्पादन में 52 प्रतिशत की लघु वृद्धि की तुलना में नब्बे के दशक में इनका उत्पादन 128 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि यह सरकार 'रिलायंस' पर ही भरोसा कर रही है। लेकिन क्या यह अभी भी गांधी का देश है? क्या यह अभी भी वही देश है जिसमें कभी स्वदेशी की भावना की लहर चली थी? क्या यह कभी भी दरिद्र नारायण की पूजा करने वाला देश है? क्या यह अभी भी वही देश है जिसमें हम सभी के आंसू पोंछने के लिए समर्पित हैं? यदि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के शरीर का अंत किया था तो इस सरकार ने महात्मा के जीवन के लक्ष्य को छिन्न-भिन्न किया है, खादी का अंत हो गया है, हथकरघा को समाप्त कर दिया गया है। यह सरकार बड़े लोगों की सरकार है, यह गरीबों की सरकार नहीं है।

महोदय, वित्त मंत्री जी अभी विरोध करेंगे कि उनकी सरकार ने गरीबी को जितना काम किया है उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए पंचवर्षीय निष्कर्षों के अनुसार गरीबी घट कर 26 प्रतिशत तक आ गयी है। यह बात उन्होंने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में कही थी। यही बात इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में दोहराई गई है। अत: यह सभा की जिम्मेदारी है कि इस पूरी तरह के झूठे दावे को झूठा करार दिया जाए। यह दावा तुलनात्मक आंकड़ों पर आधारित नहीं है बल्कि इसमें गरीबी का आकलन करने की प्रणाली को ही बदल दिया गया है। पिछले वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के पैरा 10.15 पृष्ठ संख्या 194 पर यह गया गया था कि आंकड़ों के संग्रहण की विधि में परिवर्तन के कारण यह दो भिन्न आंकलन अर्थात् पूर्ववर्ती पंचवर्षीय सर्वेक्षण और नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षण गरीबी के पहले के आंकलनों से तुलनीय नहीं हो सकते हैं, और उसी पृष्ठ पर सारणी संख्या 10.1 में यह स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से विधि में परिवर्तन और परिवर्द्धन किया गया है और इस तरह के विधि नवाचार से खपत के आकलन प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन आचानक इस वर्ष के सर्वेक्षण के पृष्ठ संख्या 237 पैरा संख्या 10.4 में पिछले वर्ष के औचित्य को छोड़ दिया गया है और काफी साहसिकता और गलत तरीके से जताया गया है कि गरीबी के तुलनात्मक आकलन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 1973-74 से 1999-2000 तक के लिए उपलब्ध है। यह सच नहीं है। सारणी संख्या 10.4

[श्री मणि शंकर अय्यर]

में दावा किया गया है कि 1993-94 से 1999-2000 के दौरान गरीबी में 10 प्रतिशत की कमी आई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा से यह प्रश्न पूछता हूं कि "जब विकास के सभी आंकड़े गिर रहे हैं, तो गरीबी कैसे कम हो सकती है" यद्यपि, यह निश्चित है कि जब खुशहाली बढ़ेगी तो गरीबी भी कम होगी फिर भी हमारे सामने जो साक्ष्य है, जिन्हें विपक्ष ने नहीं तैयार किया है बल्कि जिन्हें सरकार ने हमें सरकारी तौर पर प्रस्तुत किया है, से संकेत मिलता है कि जिस एक क्षेत्र का मैंने उल्लेख किया है उसके अलावा सभी तरह के विनिर्माण, निर्माण और सेवाओं सभी प्रकार की वित्तीय और व्यापारिक सेवाओं सभी कृषि वानिकी खनन और पत्थर की खानों की विकास दरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी यह सरकार दावा करती है कि भारत के इतिहास में इतनी तेजी से गरीबी में कमी कभी नहीं आई है जितनी कि इस सरकार के शासन काल में आई है।

महोदय, सकल घरेलू उत्पाद की दरें गिर रही हैं, कृषि उत्पादन की दरों में तेजी से गिरावट आई है और विनिर्माण तथा भवन निर्माण के कार्यकलाप अनिश्चय की स्थिति में हैं। विकेन्द्रीकृत वस्त्र क्षेत्र जिसमें मेरे राज्य तमिलनाडु में नियोजित एक तिहाई कार्यबल अर्थात् छह करोड़ की आबादी में से दो करोड़ लोग स्थिरता के शिकार हैं। रोजगार वृद्धि की दरें दशकों में सबसे कम हैं। निर्यात विकास दरें कम हैं, बचत और निवेश दरें कम हैं, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्थिर है।

ग्रामीण विकास, गरीबी विरोधी कार्यक्रमों और सामाजिक क्षेत्र में निवेश का हिस्सा बहुत नीचे तक गिर गया है और यह सकल घरेलू उत्पाद का मात्र एक प्रतिशत है। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान उनके सर्वेक्षण के पृष्ठ 236 पर दी गई सारणी संख्या 10.2 के कालम 'ई' की ओर आकर्षित करता हूं।

महोदय, फिर गरीबी के अनुपात में कमी होने का दावा करने का यह जोश कहां से आया? मैं समझता हूं कि इसका उत्तर, वित्त मंत्री का ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 3533 जो मैंने सांख्यिकी मंत्री से ठीक एक वर्ष पहले अर्थात 21 मार्च, 2001 को पूछा था, में निहित है। मुझे जो संदेह था उसकी पुष्टि श्री अरुण शौरी के उत्तर से हो गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवीनतम सर्वेक्षण की विधि को पूर्ववर्ती सर्वेक्षण पर पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है और न ही पूर्ववर्ती सर्वेक्षण की विधि को इस सर्वेक्षण पर लागू नहीं किया जा सकता है। मैं श्री शौरी जी के शब्दों को दोहराता हूं, उन्होंने कहा था: "कि योजना आयोग ने आंकड़ों के संग्रहण की विधि में परिवर्तन के कारण प्रतिशत के अंतर का आकलन नहीं किया है।" श्री अरुण शौरी ने मुझे यह उत्तर दिया था। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा नहीं किया गया? योजना आयोग ऐसा आकलन क्यों नहीं कर सका और यदि यह नहीं कर सका तो इनमें विद्यमान भारी भिन्नता को नजरअंदाज करके आप एक की दूसरे से तुलना कैसे कर सकते हैं?

महोदय, हमारे पास दो तरह के अतुलनात्मक आंकड़े हैं, जैसा कि पिछले वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है। अब अतुलनीय आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि गरीबी कम हो रही है, जबकि सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है। आंकड़ों का इस तरह का हेर-फेर किया जा रहा है जिसकी स्वतंत्र प्रेक्षकों ने कड़ी आलोचना की है।

महोदय, मुझे आश्चर्य है कि क्या वित्त मंत्री महोदय ने 26 मई, 2001 के 'द इकनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली' में उन श्री ए. वैद्यनाथन का लेख देखा है जो श्री वैद्यनाथन पूर्व में योजना आयोग में पीताम्बर पंत महान के प्रस्पेक्टिव प्लानिंग डिवीजन में अंतिम जीवित सदस्य हैं। श्री वैद्यनाथन कहते हैं: "नमूना विधि में श्री शौरी द्वारा किए गए ये परिवर्तन नवीनतम सर्वेक्षण से लिए गए आकलनों से भिन्न हैं और उनकी पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों से तुलना करना कठिन है।" श्री कुणाल सेन और श्री रिचर्ड पामर जोन्स ने 20 जनवरी, 2001 के 'द इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली में यह टिप्पणी की है कि जिसमें मैं शर्मसार होते हुए उद्धृत करता हूं: "भारत में गरीबी के आंकड़े अव्यविस्थत हैं।"

महोदय, मेरे पास 'अटैकिंग पावर्टी' विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2000-2001 का सार है, श्री अरुण शौरी के गरीबी के आंकडों के बारे में उनका यह कहना है भारत के संबंध में आंकड़ों की सक्रियता के बारे में बहस हो रही है। यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि देश के अन्दर ही गरीबी का पता लगाना कितना कठिन है।"

महोदय, इसके बाद मेरे पास 'गरीबी कम करने के लिए भारत की नीतियां' विषय पर विश्व बैंक का वर्ष 2000 की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट नितान्त रूप से भारत में गरीबी कम करने के बारे में है। यह बात उन्होंने जिस ढंग से यह टिप्पणी की है इस पर मुझे एक भारतीय होने पर स्वयं पर शर्म आती है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की विसंगतियों से निश्चित रूप से जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह कि भारत का सांख्यिकी तैयार करने का ढांचा जो कभी अन्य विकासशील देशों के लिए एक आदर्श हुआ करता था, उस पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अत: इस बुरी बात को ध्यान में रखते हुए कि गरीबी कम नहीं हो रही है, इस सरकार के मुख्य तिकड़मबाज पूर्व सांख्यिकी मंत्री ने आंकड़ों का घालमेल किया है। मैं आपके भूतपूर्व सांख्यिकी मंत्री पर न केवल यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने आंकड़ों का घालमेल किया है बल्कि उन अप्राधिकृत आंकड़ों और निष्कर्षों को उस समाचार-पत्र को लीक करने का

भी आरोप लगाता हूं जिसके वह सम्पादक हुआ करते थे और वह अब एक स्तम्भ लेखक के रूप में मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह उनके कुछ दिन पहले के दो भागों में प्रकाशित हुए लेख से मालूम होता है। उन्होंने योजना आयोग द्वारा इसका मूल्यांकन और प्राधिकृत किए जाने से पहले यह जानकारी लीक कर दी ताकि वह यह दावा कर सकें कि उन्होंने कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है।

[हिन्दी]

वाह रे तीसमारखां।

[अनुवाद]

मैं वित्त मंत्री महोदय, से यह पूछना चाहता हूं कि वे यह बताएं कि श्री लाकड़ावाला मिश्रित मापदण्डों पर आधारित गरीबी की स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में लाकड़ावाला समिति की सिफारिश को कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या वे हमें यह आश्वासन देंगे कि इस वर्ष संसद को ऐसी रिपोर्ट सौंपी जाएगी?

विकास के लिए युक्तियुक्त आर्थिक नीति की आवश्यकता होती है। विकास के लिए केवल नीति के अलावा भी बहुत कुछ की आवश्यकता होती है। विकास के लिए सुदृढ़ और अच्छे प्रशासन की आवश्यकता होती है। श्री यशवन्त सिन्हा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं इस बात को समझते हैं।

[हिन्दी]

अब पता नहीं क्या हो गया है?

[अनुवाद]

बजट उद्घोषणाओं को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने जो की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे अपनी सरकार को साथ लेकर चलने की उनकी असफलता बार-बार प्रकट होती है। उनके स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि ठोस कार्यवाही के बजाय वे बैठकों के आयोजन, समिति गठित करने तथा जलपान तक ही सीमित रहे हैं। वास्तव में उपलब्धि बहुत कम रही है।

उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास के लिए इस सरकार के सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र कार्यक्रम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को ही लीजिए जिसके लिए इस संसद ने पिछले दो वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस बजट के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए और मंजूर करने के लिए कहा जा रहा है जिससे इस प्रयोजनार्थ कुल राशि 7,500 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा वित्तपोषित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बन जाएगा। इसका कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है? प्रथम वर्ष अर्थात् 2000-2001 पूरा केवल मार्गनिर्देश बनाने में ही व्यर्थ चला गया। उन्होंने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया केवल मार्गनिर्देश ही तैयार किये गये और मार्गनिर्देशों में इतनी गड़बड़ है कि इनसे भ्रम हो जाता है।

दूसरे वर्ष का अधिकांश समय पहले वर्ष के आबंटनों के लिए मंजूरी लेने में ही व्यतीत हो गया है। स्वीकृत किए गए हजारों करोड़ रुपयों अर्थात् 5,000 करोड़ रुपयों में से वास्तव में केवल कुछ सौ करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। अधिकांश रुपया बैंक खातों में पड़ा हुआ है या उसे चोरी-छिपे अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि वित्त मंत्री में थोड़ी भी लज्जा या शर्म बाकी है तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह अपने उत्तर में यह बताएं कि उन्होंने हम से जो 5,000 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं उसकी तुलना में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2000 से 2002 तक वास्तव में कितना खर्च हुआ है। मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि वह हमें बताएं कि न्यूनतम ग्रामीण कनैक्टीविटी स्थापित करने के लिए, जो कि ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कितने दशक लगेंगे।

यह समाचार ग्रामीण कनैक्टीविटी के उद्देश्य को दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्राप्त कर लेने की डींगें हांक रही है। लेकिन इसके अपने अनुमान, मैं अपने अनुमानों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उन अनुमानों की बात कर रहा हूं जो हमें शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति में दिए गए हैं; से पता चलता है कि इस प्रयोजन के लिए कम से 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अत: वर्तमान विनियोग के स्तर से इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगभग 25 वर्ष का समय लगेगा। फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण कनैक्टीविटी को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और भारत में अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषकों का केन्द्र बिन्दु बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं महसूस करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय को वाणिज्य परिषद द्वारा दिए जाने वाले भोजों से समय निकालना मुश्किल हुआ होगा। शिव सेना के उनके सहयोगी जो शहरी एवं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं के द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को पढ़ने का समय वह वास्तव में नहीं निकाल पाए होंगे।

अत: वित्त मंत्री जी संभवत: यह नहीं जानते हैं कि ग्रामीण विकास में वास्तविक उपलब्धि बहुत कम है।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

[अनुवाद]

जब पिछले साल यह सभा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रही थी तब हमने यह बताया था कि सरकार के ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम, श्री यशवंत सिन्हा की अपनी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कैसे पीछे चल रहे हैं। चाहे यह ग्रामीण रोजगार हो, स्वसहायता समूह हो, ग्राम समृद्धि योजनाएं, आवास योजनाएं, स्वच्छता, बंजर भूमि विकास, पनधारा विकास हों या फिर पेयजल हों, सभी कार्यक्रम लक्ष्य से पीछे हैं।

इस चर्चा को हुए एक साल बीत चुका है और हमारी स्थायी समिति को सरकार की की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पिछले माह ही मिली है। इन 'गैर-जिम्मेदार' की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्टों पर हमारी समिति की आलोचना इस संबंध में प्रस्तुत की गई है किन्तु मुझे इसमें संदेह है कि किसी ने भी श्री अनंत गंगाराम गीते की रिपोर्ट पर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया हो।

जहां तक वित्त मंत्री का संबंध है, उन्होंने इस देश की गरीब जनता के लिए किए गए कार्यों तथा किए गए वायदों के बीच अंतर एवं सरकार की नेक घोषणाओं उनकी उपलब्धियों की कमी के अंतर पर अपने बजट भाषण में कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। औषध निर्माण उद्योग के प्रति सरकार के व्यवहार से भी अकुशल शासन प्रतिबिम्बित होता है, इसका एक भाग विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप समझौते के कारण खतरे में है और दूसरा भाग विश्व से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए तैयार है।

महोदय, मेरे पास इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की एक प्रैस विज्ञप्ति है। वे क्या कहते हैं? वे भारत सरकार द्वारा घोषित औषध निर्माण संबंधी नीति को उद्धृत करते हैं जिसमें कहा गया है कि इसमें अनुसंधान व विकास क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा। मैं प्रैस विज्ञप्ति को उद्धृत करता हूं:

> "रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को कार्यवाही प्रारंभ करने में ही दो वर्ष लग गए।"
>
> इसमें आगे भी इस बात पर दु:ख प्रकट किया गया है:
>
> "जबकि नीति में कहा गया है कि पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे किंतु यह इस विषय पर मौन है कि इन वित्तीय प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए पद्धति और इन नीतियों को कौन, कब और कैसे तैयार करेगा।"

बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि वित्त मंत्री इस उद्योग के एक भाग की विशाल संभावना के प्रति सजग हैं और वह उस संकट से भी अवगत है जो इसी उद्योग के दूसरे भाग के समक्ष है।

इसके अलावा, मैयिलादुतुरई और कुम्बाकोनम से सांसद होने के नाते, जो देश के रेशम हथकरघा उद्योग के प्रमुख केन्द्रों में से एक है, मैं सरकार का ध्यान रेशम हथकरघा के धराशायी होने की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं खादी और सूती हथकरघा क्षेत्र के समक्ष आ रहे संकट पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। यह वित्त मंत्री की निष्ठुरता और सरकार का गांधीवादी मूल्यों से परहेज दर्शाता है कि भारतीय उद्योग के अधिकतम रोजगार उन्मुख क्षेत्र के जीवन-मरण के बीच इस बजट में हैंक यार्न पर आठ प्रतिशत का उत्पाद कर लगाने का प्रस्ताव है। फिर राजसहायता योजना से यह और उलझ जाता है जिससे भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और दुष्प्रयोग के मार्ग खुले हुए हैं। आपने इस प्रकार की व्यवस्था अपने सभी अमीर मित्रों के लिए समाप्त कर दी और हैंक यार्न का प्रयोग करने वाले करोड़ों गरीबों के लिए इसे पुन: शुरू कर रहे हैं। वे उत्पाद कर का भुगतान कैसे करेंगे जबकि चुकाए जाने वाले मूल्य पर वे राजसहायता प्राप्त कर रहे हैं? आप जानते हैं कि यह एक लाइसेंस-परमिट कोटा राज है जिसे आप विघटित करने का दावा करते हैं। आप इसे अमीरों के लिए विघटित कर गरीबों के लिए पुन: तैयार कर रहे हैं। ये कैसी आर्थिक नीति है?

महोदय, इस सरकार की सबसे अधिक आलोचना आर्थिक सर्वेक्षण की तालिका 1.3 है। इससे पता चलता है कि बहुत समय से इंदिरा जी के दूसरे शासन काल से, राजीव के समय से, मनमोहन के समय से, कृषि एवं वानिकी, खान एवं खादान विनिर्माण, निर्माण, उपयोगिताएं, वित्त, व्यावसायिक सेवाएं, भू-संपदा इत्यादि में विकास दर लक्ष्य से बहुत कम होती जा रही है वहीं अब इस समय सरकारी खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह सब उस सरकार के समय में हो रहा है जिसने नौकरशाही का आकार कम करने के लिए एक मंत्री भी नियुक्त किया और इस काम को करने के लिए नौकरशाही का विस्तार भी किया। यह सरकार में एक ग्रूचो मार्क्स है।

यह विचारहीन सरकार केवल इस देश की परिसंपत्तियों को सस्ते से सस्ते में बेचना जानती है जबकि इन्होंने, इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। जब समय की मांग निवेश है तब इस सरकार ने अपनी आर्थिक नीति को विनिवेश पर ही केन्द्रित कर दिया। दुख: की बात तो यह है कि इस अत्यंत अविश्वसनीय सरकार से कोई भी इतने सस्ते में भी कुछ खरीदना नहीं चाहता। यही कारण है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बेहतर उपक्रमों के लिए भी विनिवेश की बोली लगाने वाले कुछ कृपापात्र पूंजीवादी

हैं जो प्रधान मंत्री के छोटे से ग्रुप के सदस्य हैं, उनकी व्यापार व उद्योग की सलाहकार परिषद के सदस्य बिरला, टाटा तथा अंबानी हैं, किंतु उसमें कोई भी मजदूर नेता, असंगठित श्रमिकों का प्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद् अध्यक्ष यहां तक कि लघु उद्योगपति भी नहीं हैं।

ऐसा आरंभ पूंजीवाद, ऐसा निजीकरण देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विनिवेश के नाम पर आप अर्थव्यवस्था का नियंत्रण अपने समृद्ध मित्रों की छोटी सी मण्डली के हाथों सौंप रहे हैं। विनिवेश मंत्री ने मेरे साथ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। हमने एक ही कक्षा में व एक ही शिक्षक से एक साथ यह देखा कि जापान में कुछ सामुराई परिवारों के पक्ष में विनिवेश से किस प्रकार का 1896 से जैब्त्सु का सृजन हुआ जो शाही जापान को अगली आधी शताब्दी के दौरान दूसरे विश्व युद्ध जैसे विनाश तक ले गया।

मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि हम कांग्रेस के लोग, अमीरों के सम्मुख शक्ति समर्पण को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पंचायतों को शक्ति देने के समर्थ रहे हैं यह हमारी आर्थिक नीति का केन्द्र है।

श्री वैको (शिवकाशी): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा को यह रिकार्ड कायम करने तथा लगातार पांचवीं बार प्रशंसनीय बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं।

ऐसा करने वाले वह पहली गैर कांग्रेसी वित्त मंत्री हैं। महोदय, इन चार सालों के दौरान एक के बाद एक सभी बाधाओं को पार करने के लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि संयोगवश आज 19 मार्च ही है जब हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने केन्द्र में सत्ता संभाली थी। चार साल बीत चुके हैं और मैं अपने मित्रों, विशेषकर मेरे आदरणीय मित्र माननीय श्री मणिशंकर अय्यर की वेदना और व्यथा को समझ सकता हूं। लेकिन बजट में घोषित कुछ योजनाओं के लिए तो मैं उनके भाषण में तारीफ के कम से कम एक शब्द की उम्मीद तो कर ही रहा था। किंतु इस सरकार के प्रति उन्होंने अपने दिल की सार घृणा, विद्वेष और नफरत यहां उगल कर रख दी। नि:संदेह उन्होंने वक्तव्य दिया कि डा. मनमोहन सिंह और श्री यशवंत सिन्हा में कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। उनमें कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि श्री यशवंत सिन्हा को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और डा. मनमोहन सिंह के समक्ष ऐसी कोई चुनौती नहीं थी।

मार्च, 1998 में जब उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था तो पूर्वी एशिया के आर्थिक संकट के चलते आर्थिक स्थिति दलदल जैसी थी। इसी साल, पोखरण परमाणु परीक्षण के कारण अमरीका और पश्चिमी शक्तियों ने प्रतिबंध लगाए थे किंतु श्री यशवंत सिन्हा स्थिति को संभालने में और भारत के आर्थिक बेड़े को समस्याओं के तूफान से पार ले जाने में कामयाब रहे।

महोदय, वित्त मंत्री ने अपनी दूरदर्शिता से आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण को अपने पिछले 2001-02 के बजट में तैयार कर लागू किया। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता था कि नई सहस्राब्दि का पहला साल जो तीसरी सहस्राब्दि है, न केवल न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वां इमारतों पर हमले की गवाह है बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंदी के प्रभाव की भी गवाह है जिससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता। इस प्रकार वित्त मंत्री के रूप में कार्य आरंभ करने पर उन्हें पूर्व एशिया के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और आज तथ्य यह है कि विश्व का आर्थिक विकास 2.4 प्रतिशत कम हो गया है। क्या इस तथ्य से कोई इंकार कर सकता है? अब पूरा विश्व एक सार्वभौमिक गांव बन गया है जिसके एक सिरे के आर्थिक प्रभाव हर तरफ पड़ते हैं और यहां कोई भी एक पृथक भूमिका नहीं निभा सकता। इसलिए, आंतरिक और आर्थिक पृष्ठभूमि प्रतिकूल रही है और बाहरी आर्थिक पृष्ठभूमि भी प्रतिकूल रही है।

मैं, वित्त मंत्री द्वारा साहसिक शुरूआत करने और इस विकासोन्मुख तथा प्रगतिशील बजट को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। नि:संदेह यह चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह आसान कार्य नहीं है किन्तु इसके प्रभाव स्पष्ट हैं। इसका संदेश स्पष्ट है। आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण को दृढ़ करने के लिए उन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है। सुधारों के दूसरे चरण को और अधिक गहरा एवं विस्तृत करने के लिए ही उन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है। राज्यों में परस्पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में सुधार प्रक्रिया में सारे उत्पादन संरचना और विवरण दिया गया है।

नि:संदेह मैं उनसे सहमत हूं। बजट में अनुमान था कि आर्थिक विकास दर 5.4 प्रतिशत रहेगी किंतु वर्ष 2001-2002 में 4.7 प्रतिशत के अनुमानित बजटीय स्तर की तुलना में वित्तीय घाटा 5.3 प्रतिशत रहा है। यह कोई उत्साहजनक तथ्य नहीं है। किंतु एक चीज तो माननी होगी कि मुद्रा स्फिति दर 1.1 प्रतिशत तक गिर गई है जिससे उनके द्वारा निर्धारित विकास को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इन चारों सालों में पहली बार मुद्रा स्फिति दर कम होकर 1.1 प्रतिशत पर आई है।

दूसरा आशाजनक पहलू है कि विदेशी मुद्रा भंडार 50 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर चुका है। आधारभूत संरचना विकास में निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा

[श्री वैको]

में यह बजट एक प्रयास है। मुझे आशा थी कि श्री मणि शंकर अय्यर, जो कि स्वयं कावेरी डेल्टा से आते हैं, कम से कम इस बजट में कृषि पर दिए गए जोर की प्रशंसा करने का कष्ट करेंगे। उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। वे आलोचना कर सकते हैं। हमने अपेक्षित आर्थिक विकास नहीं किया है। हमने बेरोजगारी की समस्या हल नहीं की है; मूल्य वृद्धि से गरीबों और वंचितों पर असर पड़ रहा है। सब कुछ ठीक है। लेकिन इसी के साथ सरकार ने कृषि क्षेत्र में बहुत साहसी और अच्छी शुरूआत की है। यह देश हरित क्रान्ति और खेत क्रान्ति का साक्षी रहा है। अब, यह बजट तीसरी क्रान्ति, कृषि विविधिकरण और खाद्य प्रसंस्करण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मेरे मित्र, श्री मणि शंकर अय्यर ने किसानों की हर संभव सहायता की है।

वे भी दिन थे जब भारत के लोग पी.एल. 480 कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले खाद्यान्नों के लिए समुद्र तटों और पत्तनों को निहारते रहते थे। इस देश को न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि खाद्यान्नों का निर्यात करने में सक्षम बनाने की ओर कौन ले गया है? यह किसान ही है जिसने भोर के उजाले से रात के अंधेरे तक साहस के साथ बिच्छुओं और सांपों का मुकाबला किया, दिन रात की कड़ी मेहनत में अपना पसीना बहाया। इस सबके बावजूद वह निराशा से हाथ झाड़ रहा है क्योंकि वह उलझन में है। वह स्वयं को ऋण के दलदल से नहीं निकाल पा रहा है। इसलिए इस सरकार ने देश में किसानों के सम्मुख समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि विविधिकरण और खाद्य प्रसंस्करण हेतु कुछ मौलिक उपाय किए हैं। इसके लिए नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है।

इस नई क्रान्ति के लिए अभी भी विद्यमान विनियामक और प्रक्रिया संबंधी अड़चनों को दूर करने और ग्रामीण अवसंरचना को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है।

अब किसान की आजादी पर आते हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा इस बजट में प्रस्तुत की गई नीति में इस पर जोर दिया गया है। किसानों की समस्या यह है कि वे अपने उत्पादों का मूल्य तय करने में असमर्थ है। वह बिचौलियों की दया पर निर्भर है। किसान की आजादी का अर्थ है वह अपने उत्पादों को बेचने में समर्थ हो सके। इसी कार्य हेतु इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। अत: खाद्य और कृषि उत्पादों के भंडारण बिक्री और परिवहन हेतु निषेधात्मक आदेश के स्थान पर देश में कृषि का एक समेकित बाजार विकसित करने चाहिएं। यहां तक कि आज भी कावेरी डेल्टा के किसान अपनी धान की फसल को न बेच पाने के कारण आन्दोलन कर रहे हैं। खरीद केन्द्र बन्द कर दिए गए हैं। जब तक किसान उचित मूल्य पाने में सक्षम नहीं होता, तब तक वह अपनी इच्छानुसार अपने उत्पादों को नहीं बेच पाऐगा। इस कार्य हेतु राज्यों में कृषि उपज विपणन अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। आज समय की मांग यह है कि किसान को इस लायक बना दिया जाना चाहिए कि अपना उत्पाद से ही खरीददार से बचे सके, बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके और नए संभावित बाजारों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त अन्तर-राज्यीय व्यापार में रूकावट स्वरूप ताकि राज्य नियंत्रण आदेशों को भी समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2000-01 में हमारे वित्त मंत्री ने शीतगृहों के निर्माण हेतु ऋण से जुड़ी राज-सहायता योजना की घोषणा की थी। 21 लाख टन की क्षमता वाले शीत गृहों के निर्माण हेतु पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है जो कि 12 लाख टन के लक्ष्य से कहीं अधिक है। 12 लाख टन का लक्ष्य था लेकिन अब इसे 21 लाख टन कर दिया गया है।

इस वर्ष संस्थानिक चैनल के माध्यम से कृषि क्षेत्र द्वारा 64,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2000-2003 में इसमें बढ़कर 75,000 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। 1998-99 में शुरू किए गए किसान क्रेडिट कार्ड को बहुत सफलता मिली और इससे किसानों को कृषि ऋण हासिल करने में सहायता मिली।

वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा कृषि बीमा हेतु नई कंपनियों की स्थापना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव इस बजट में है। यह एक स्वागतयोग्य उपाय है। हमारे वित्त मंत्री ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष में 2000 करोड़ रुपये के आबंटन को 2002-03 में बढ़ाकर 2800 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। कृषि में विविधिकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु कृषि अनुसंधान के लिए और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु चालू वर्ष के 684 करोड़ रुपये के आबंटन को बढ़ाकर 775 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों में कृषि निर्यात जोनों को बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसे 15 जोनों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। निश्चित रूप से यूरिया और उर्वरकों का मूल्य बढ़ा है। मैं सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि इससे किसानों पर असर पड़ रहा है। इसी के साथ-साथ राज्यों को ए.पी.डी.आर.पी., ए.आई.बी.पी., यू.आर.आई. और आर.आई.टी.एम. जैसे बहुत से क्षेत्रों के लिए सुधारों से जुड़ी सहायता राशि के रूप में कुल 12300 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, वित्त मंत्री ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मृति में एक प्रशंसनीय घोषणा की है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध

कराने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का नाम जयप्रकाश रोजगार योजना है। हमारे वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के नाम पर यह परियोजना शुरू करना उचित ही है क्योंकि वे हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री यशवन्त सिन्हा भी हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। महात्मा गांधी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन आरंभ किया था तो वे हजारीबाग की जेल में ही थे। उन्होंने डा. राममनोहर लोहिया और श्री जयप्रकाश नारायण के साथ जेल के सबसे ऊंची दीवार फांदी थी। वे भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष के इतिहास के सुनहरे दिन थे। उन्होंने इस देश के युवाओं के मन में भ्रष्टाचार से लड़ने और जागृति पैदा करने हेतु सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा बुलंद किया था। श्री जयप्रकाश नारायण की स्मृति में वह एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।

अब मैं स्वास्थ्य परिचर्या पर आता हूं। यहां एक मानवीय पहलू उभरता है और वह है इसका सामाजिक पहलू। इसके लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने ग्रामीण जनसंख्या का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु जन रक्षा नामक योजना तैयार की है। इस मौलिक योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बीमा प्रीमियम के रूप में प्रतिदिन एक रुपया देकर अस्पताल के अंदर 30,000 रुपये तक की चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार हो जाता है। इसके अंतर्गत बाह्य रोगी चिकित्सा के लिए उस व्यक्ति की पात्रता 2,000 रुपये प्रतिवर्ष की होगी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2004 तक एशियाई स्तर तक पहुंचने के अपने वादे को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क में कमी की है। उन्होंने चाय पर 50 प्रतिशत सीमा शुल्क कम किया है, यह 1 रुपया प्रति किलोग्राम है। उन्होंने एड्स और कैंसर-रोधी विशेष औषधियों पर उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क से छूट दी है।

सरकार ने अप्रवासी भारतीयों की जमा योजनाओं को पूर्ण परिवर्तनीयता के अंतर्गत लाकर पूंजी खातों की परिवर्तनीयता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। साक्षरता के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग के योजना आबंटन में वृद्धि कर उसे इस वर्ष के 4,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 के लिए 4,900 करोड़ रुपये किया जा रहा है। उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग के लिए भी योजना आबंटन में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है, यह 2,2000 करोड़ रुपये है। विज्ञान कार्यों में बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार चाहती है कि एक वर्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए 100 छात्रवृत्तियां देना शुरू किया जाए। स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान को अपनी गतिविधियां शुरू करने हेतु 4 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। मैं इस कदम की प्रशंसा करता हूं। निजी क्षेत्र के सहयोग से दिल्ली में एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू किया जायेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए बजटीय समर्थन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो कि 150 करोड़ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नयन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का आबंटन 792 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 879 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्होंने जनजातिय कल्याण के लिए योजना आबंटन में 21 प्रतिशत की वृद्धि की है, यह वर्ष 2002-2003 के लिए 290 करोड़ रुपये है।

हमारे वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया एक अन्य मौलिक कदम, जिसे सभी की प्रशंसा मिली चाहिए है पेट्रोलियम उत्पादों पर से प्रशासनिक मूल्य तंत्र को हटाना। यह वास्तव में एक परिवर्तनकारी कदम है। अब पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार से नियंत्रित होगा। इस क्षेत्र की निगरानी करने हेतु एक पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा। ए.पी.एम. को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप डीजल का मूल्य प्रति लीटर 50 पैसे कम हो जाएगा और पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर एक रुपया कम हो जाएगा। जब भी मूल्य बढ़ता है, जब भी वृद्धि होती है, स्वाभाविक रूप से हो-हल्ला होता है। लेकिन जब कीमतें नीचे आती हैं तब विशेष तौर से विपक्ष की ओर से प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा जाता। निश्चित रूप से जब एल.पी.जी. सिलेंडर के मूल्य में 40 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से वृद्धि हुई तो हमारे वित्त मंत्री जी ने बयान दिया कि वे अपनी पत्नी को भी नहीं समझा सके। लेकिन अब मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इसे कम करके 20 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है जो कि 50 प्रतिशत की कमी है। उस समय वास्तविक वृद्धि 40 रुपये की थी। इसे घटाकर 20 रुपये कर दिया गया जो कि 50 प्रतिशत की कमी...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: यदि सरकार मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए गैस के मूल्य में कमी कर सकती है तो फिर वह गरीब उपभोक्ताओं के लिए मिट्टी के तेल का मूल्य कम क्यों नहीं कर सकती?...*(व्यवधान)*

श्री वैको: मैं आपसे सहमत हूं। मैं उस बिन्दु पर विचार करना चाहता था। मैं आपसे सहमत हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से ऐसा करने का अनुरोध करूंगा। मध्यम वर्ग और शहरी मध्यम वर्ग के लोग ताकतवार हैं। अब वे प्रसन्न हैं।...*(व्यवधान)* कम से कम वे प्रसन्न हैं। लेकिन सरकार को इस अनुरोध पर भी विचार करना चाहिए। मिट्टी के तेल का उपयोग गरीब, वंचित लोग करते हैं। उन्हें यह हमसूस होता है कि उनकी कोई लाबी नहीं है। अत: मैं सरकार से मिट्टी के तेल का मूल्य कम करने की इस मांग पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

[श्री वैको]

श्री मणि शंकर अय्यर ने वस्त्र, हथकरघा और धागे के लच्छों का परिदृश्य दिया। धागों के लच्छों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। लेकिन इसी के साथ-साथ अपने मित्र को यह बताना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री ने दिन-रात मेहनत की है। उन्होंने हमारे पड़ोसी चीन और अन्य पड़ोसी देशों से वस्त्र उद्योग के लिए उत्पन्न खतरे से बचाने हेतु विशेषज्ञों से परामर्श किया है। पूरा वस्त्र उद्योग संकट का सामना कर रहा है। बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्होंने वस्त्र उद्योग को बचाने हेतु अपने मस्तिष्क का उपयोग किया। मैंने भी धागे के लच्छों पर निर्भर लोगों को समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन दिया था। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने वस्त्र उद्योग जो कि भविष्य में बड़े संकट का सामना करेगा, को बचाने के अपने संदर्शी दृष्टिकोण से कदम उठाए। चीन जो हमारा पड़ोसी देश है से प्रत्येक क्षेत्र में खतरा है। हम 1962 में हुए हमले को रोकने में सक्षम नहीं थे। हम 1962 में हमलावरों को निष्फल करने में समर्थ नहीं थे। हम 1962 में हमालवरों को सबक सिखाने में सक्षम नहीं थे।

परंतु अब, मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री इस क्षेत्र में चीनी आक्रमण रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयत्न करेंगे। इसलिए उन्होंने केन्द्रीय बजट में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित संशोधन उक्त अधिनियम में धारा 8 (ग) के रूप में नई धारा को जोड़ती है जो निम्नवत है:

> "...यदि केन्द्र सरकार ऐसी जांच करने के बाद ऐसा समझती है और इस बात से आश्वस्त होती है कि चीन गणराज्य ऐसी मात्रा या ऐसी स्थितियों में वस्तुओं को भारत में भेजता है जो कि घरेलू उद्योग में गड़बड़ी फैलाने का कारण बनता है या ऐसा करने का खतरा उत्पन्न करता है तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु का रक्षोपाय कर लगाया जा सकता है।"

यदि जांच के बाद कमिशनर इस बात से आश्वस्त है कि शिकायत सही है तो वह भारतीय उद्योग के नुकसान का निराकरण करने के लिए उक्त वस्तु के मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के रक्षोपाय कर लगाने के आदेश दे सकता है।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आधारभूत संरचना में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति का उल्लेख किया था। सड़क के संबंध में उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें सभा को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, जो तीन वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था, भली भांति चल रहा है। यह सब सड़क क्षेत्र में नई उपलब्धियों को हासिल करने का वादा करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डन क्वाड्री लेट्रल) का बहुत बड़ा हिस्सा दिसम्बर, 2003 तक अपनी निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही पूरा हो जायेगा, और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कोरिडोर जिसकी लम्बाई, 7,300 किलोमीटर है, उसमें से 716 कि.मी. को पहले ही चार लाइनों वाला बना दिया गया है।

इस क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपना ध्यान महत्वपूर्ण समस्या की ओर दें। यदि हम भावी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना चाहते हैं तो, सेतुसमुद्रम नहर परियोजना जैसी बड़ी परियोजना को क्रियान्वित करना होगा। हमारे ग्रामीण जल अर्थात् प्रायद्वीप में हमारे पास अपना नौवहन मार्ग नहीं है। आज की यह महत्वाकांक्षी योजना 140 वर्ष पुरानी है। 1860 से आज तक अनेक समितियों की रिपोर्टें आई है। प्रथम रिपोर्ट कमांडर टेलर की थी। उसके बाद 12 रिपोर्ट आई है। 1956 में डा. ए. रामास्वामी मुद्दलियार की अध्यक्षता में सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की गई थी। तूतीकोरिन से एक उच्च स्तरीय दल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला था और उन्हें सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के और साथ ही तूतीकोरिन पत्तन के महत्व बाबत बताया था। पंडित नेहरू ने तूतीकोरिन बंदरगाह के आधुनिकीकरण को तत्काल मंजूरी दी थी। उन्होंने सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को दूसरी योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया था। 12 दिसम्बर, 1963 को क्या हुआ कि सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया, परंतु महोदय उसे वहां से हटा दिया गया और कूड़ेदान में डाल दिया गया। मैं इसके इतिहास की आलोचना नहीं करना चाहता; मैं पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ था और किसने इसका विरोध किया था और किस प्रकार इसे बंद कर दिया गया।

महोदय, जब अरिगनार अन्ना जो तमिलों के मसीहा था, 1967 में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री बने, उनकी पहली मांग थी कि सेतुसमुद्रम नहर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण राज्य में जागृति दिवस मनाने का आह्वान किया था। जब अन्ना मुख्यमंत्री बने तो मेरे राज्य में जागरूकता दिवस मनाया गया था। उनकी पहली मांग सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को न केवल मेरे राज्य तमिलनाडु अपितु संपूर्ण राष्ट्र की आर्थिक खुशहाली के लिए क्रियान्वित करने की थी। तब से अब तक अनेक वर्ष गुजर गये...*(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि सरकार को सेतुसमुद्रम नहर परियोजना पूरी करने में दिलचस्पी नहीं। उन्हें बिहार या उत्तर प्रदेश की किसी परियोजना में ही रुचि है।

इस परियोजना में न केवल संपूर्ण तमिलनाडु को रुचि है अपितु यूरोपियन भी इस परियोजना पर अध्ययन कर रहे है। यदि यह परियोजना क्रियान्वित होती है तो यह स्वेज और पनामा नहर

से भी महत्वपूर्ण हो जाएगी और सारे विश्व के समुद्री जहाज इस नहर से गुजरेंगे। उन्हें कोलंबो जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि यह परियोजना क्रियान्वित होती है तो देश के पूर्वी और पश्चिम तटों के मध्य बंदरगाहों की दूरी 350 नोटिकल मील कम हो जाएगी।

महोदय, वर्तमान में तूतीकोरिन और चेन्नई के मध्य दूरी 769 नौटिकल मील है। यदि यह परियोजना पूरी होती है तो दूरी 335 नौटिकल मील हो जाएगी, अर्थात् 434 नौटिकल मील कम। तूतीकोरिन और विशाखापत्तन के मध्य अभी दूरी 1,028 है यदि सेतु समुद्रम नहर परियोजना क्रियान्वित की जाती है तो दूरी 652 नौटिकल मील रह जाएगी जो कि 376 नौटिकल मील कम है। तूतीकोरिन और कोलकाता के मध्य वर्तमान दूरी 1,371 नौटिकल मील है परंतु इस परियोजना के पूरी हो जाने पर दूरी 1,031 नौटिकल मील रह जाएगी। जो कि 340 नौटिकल मील कम होगी। कन्याकुमारी और चेन्नई के मध्य वर्तमान दूरी 755 नौटिकल मील है और इस परियोजना के पूरी हो जाने पर दूरी 402 नौटिकल मील रह जाएगी जो कि 353 नौटिकल मील कम है। कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम के मध्य वर्तमान दूरी 1,014 नौटिकल मील है और यदि यह परियोजना क्रियान्वित की जाती है तो दूरी 709 नौटिकल मील कम हो जाएगी। कन्याकुमारी और कोलकाता के मध्य वर्तमान दूरी 1,357 नौटिकल मील है और यदि यह परियोजना क्रियान्वित की जाती है तो यह दूरी 10,98 नौटिकल मील रह जाएगी। दूरी कम हो जाएगी, ईंधन की लागत कम होगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी, हमारे जहाज हमारे नौवहन योग्य नहर के मार्ग से गुजरने योग्य हो जाएंगे।

महोदय, वर्ष 1999 में वित्त मंत्री ने पहली बार बजट भाषण में घोषणा की थी कि एक नई व्यवहारिक रिपोर्ट जो कि दो वर्षों में जमा की जानी है तैयार करने के लिए 4.20 करोड़ रु. आबंटित किए गये हैं कि उपलब्ध आंकड़ों को अद्यतन बनाया जाए और अध्ययन किया जाए। अब लोग चिंतित है कि क्या सरकार इस परियोजना को क्रियान्वित करेगी या नहीं। परंतु मैंने राहत की सांस ली जब मैं इस बाबत हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री से मिला। प्रधान मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि सरकार सेतु समुद्रम नहर परियोजना क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने मुझे इस संबंध में तत्काल वित्त मंत्री से संपर्क करने के लिए कहा। जब मैं वित्त मंत्री से मिला तो उन्होंने कहा कि सरकार इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पोत परिवहन मंत्री ने समिति से अपनी रिपोर्ट आठ महीने के भीतर जमा करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त पोत परिवहन मंत्री ने 'स्वागत' पत्रिका के मार्च, 2002 के अंक में साक्षात्कार देते हुए कहा:

"यदि कार्य में विलंब होता है तो रचनात्मक प्रयास समाप्त हो जाते है। उदाहरण के लिए सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना फाइल में 1826 से है। इस मामले को महत्व 1998 के बाद प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के तमिलनाडु दौरे के दौरान इस घोषणा के बाद मिला कि केन्द्र द्वारा इस परियोजना के बारे में केन्द्र सरकार विचार करेगी।"

महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि 13 सितम्बर, 1998 को हमारे नेता स्वर्गीय अरिगनार अन्ना और सामाजिक न्याय के महान प्रणेता थनथई पेरीयार की जन्मतिथि को मनाने के लिए मरीमा तट पर आयोजित एमडीएमके की रैली में जहां लाखों लोग जमा थे, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि केन्द्र सरकार इस परियोजना को क्रियान्वित करेगी। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने यह घोषणा की है और वादा किया है कि परियोजना को पूरा किया जाएगा। चूंकि यह न केवल सारे तमिलों के लिए वरन् समस्त देश के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली इस सरकार का नाम सदियों तक इतिहास के पृष्ठों में दर्ज रहेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): ऐसी घोषणा हुई थी...*(व्यवधान)*

श्री वैको: कांग्रेस पार्टी 45 सालों से सत्ता में रही है। उन्होंने इसे क्रियान्वित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री सेतुसमुद्रम परियोजना के संबंध में हमें एक शब्द भी नहीं बता सका। कांग्रेस शासन के दौरान किसी भी वित्त मंत्री ने इस परियोजना संबंधी एक शब्द भी नहीं कहा...*(व्यवधान)* ये हमारे वित्त मंत्री हैं श्री यशवंत सिन्हा जिन्होंने पहली बार...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जानते होंगे कि थूथुकोडी मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस परियोजना को पूरा करें। यह एक चिर लंबित परियोजना है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा की भावनाओं को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रत्यक्ष कहने की बजाय, मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस परियोजना पर विचार करें, और शीघ्रतिशीघ्र इसे पूरा करे। यह महत्वपूर्ण परियोजना है। दक्षिण की सभी जनता यह आशा करती है कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करके चालू किया जाए।

पिछले वर्ष, हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक संशोधन दिया था। हमने बजट में भी एक संशोधन दिया था। परंतु दुर्भाग्य से, इस पर मतदान के लिए दबाव डाला गया।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): मुझे एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री वैको: मैं किसी के लिए भी भाषण समाप्त नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: श्री सेल्वागनपति, कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मुझे बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री वैको: जब आपकी बारी आएगी, आप बोल सकते हैं मैं किसी के लिए भाषण समाप्त नहीं करूंगा।

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री वैको: सारा विश्व जानता है कि हमारे प्रधान मंत्री ने हमारी रैली में आश्वासन दिया था। उन्होंने वह वचन दिया था...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: प्रधानमंत्री ने वायदा किया था। परंतु पर्यावरण और वन मंत्री राह में बाधक है। यही समस्या है।

श्री वैको: जी नहीं।

सभापति महोदय: अब कोई राह में रूकावट नहीं बन सकता। अब मैंने अध्यक्षपीठ से सरकार को अपील की है क्योंकि थूथुकुडी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है।

श्री वैको: सेल्वागनपति, जब प्रधान मंत्री कुछ कहते हैं तो कोई भी उनकी राह में बाधक नहीं हो सकता। उन्होंने यह बहुत स्पष्ट कहा है...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री न केवल इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, परंतु वे अपना वचन पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: प्रधानमंत्री इच्छुक है परंतु पर्यावरण मंत्री उनकी राह में बाधक है।

सभापति महोदय: मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सभी संसद सदस्य इस परियोजना हेतु दबाव दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम पर्यावरण और वन मंत्री की राय जानना चाहते हैं। हम सदन को भ्रमित नहीं करना चाहते। पर्यावरण और वन मंत्री से परामर्श करने के बाद प्रधान मंत्री को कुछ कहना चाहिए जिससे कि यह परियोजना पूर्ण हो सके।

श्री वैको: श्री दासमुंशी, आपको इस परियोजना के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय: नहीं, नहीं। जब श्री वैको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसे निष्पादित करने जा रहे हैं तो पर्यावरण और वन मंत्री इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख हैं।

...(व्यवधान)

श्री वैको: वे आधी शताब्दी से सरकार चला रहे थे।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, वह एक पल के लिए अनुमति दे सकते हैं।

सभापति महोदय: आपको बोलने का अवसर मिला है।

श्री के. मलयसामी: मैं उस समय भी बोलूंगा। लेकिन मेरे विचार से यह बहुत उपयुक्त अवसर है। सेतु समुन्द्रम परियोजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। इसलिए मैं अधिक सक्षम हूं।

सभापति महोदय: मेरे विचार से थोथुकुडी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यह वहां से शुरू होता है।

श्री के. मलयसामी: हम दो संसद सदस्य इसमें अधिक रुचि रखते हैं।

सभापति महोदय: सही है।

श्री के. मलयसामी: इस प्रकार, मैं श्री वैको का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह ध्यान रखा कि यह परियोजना चले। जैसा कि हमारे प्रिय संसद सदस्य, श्री सेल्वागनपति ने सही ही कहा कि हमें इस परियोजना के बारे में बहुत संदेह था क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चेन्नै आए तो उन्होंने भारी भीड़ के सामने श्री वैको की उपस्थिति में विशेष प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी। मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा। मैंने इसे टी.वी. पर भी देखा। इसके बाद रक्षा मंत्री रामेश्वरम् आए। उन्होंने भी प्रधानमंत्री के विचारों का समर्थन किया।

अत: इन दो मंत्रियों ने विशेष रूप से यह प्रतिबद्धता व्यक्त की कि इस परियोजना को निश्चित रूप से आरंभ किया जा रहा है। उस स्थिति में हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसे व्यवहार्यता अध्ययन के लिए भेजा गया है। जैसा कि हमें ज्ञात है, पहले ही बहुत से व्यवहार्यता अध्ययन हो चुके हैं। विभिन्न विशेषज्ञ अपनी राय दे चुके हैं। एक या दूसरे कारण से इसे व्यवहार्यता अध्ययन के लिए भेजा जाता रहा है। अब वित्त मंत्रालय ने अध्ययन के

ळिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत करके ठीक ही किया है। अब हम जो देख रहे हैं वह यह है कि प्रतिबद्धता व्यक्त किए जाने के एक वर्ष के पश्चात् भी कुछ नहीं हुआ है। मैं कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहता। मैं मूलत: इस परियोजना में दिलचस्पी ले रहा हूं। महोदय, आप इस परियोजना में रुचि रखते हैं। पूरा सदन इस परियोजना में रुचि रखता है। पूरे तमिलनाडु का रूख इस परियोजना के बारे में स्पष्ट है। हम इस परियोजना के प्रति स्पष्ट विचार रखते है। हम वातावरण खराब नहीं करना चाहते। श्री वैको की पूर्ण सहानुभूति और उनके प्रभाव व सरकार के उनके साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए उन्हें इस परियोजना को आगे बढ़ाने दें। मैं यही जानना चाहता हूं। कृपया इसके लिए एक समय सीमा तय करें और हमें बताए कि इसमें कितना समय लगेगा। उन्हें समय सीमा बताने दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वित्त मंत्री महोदय, कृपया प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों की भावनाओं से अवगत कराए और यह प्रयास करें कि यह परियोजना निकट भविष्य में क्रियान्वित हो सके।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, क्या आपने विनिर्णय दिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, मैं उनसे प्रधानमंत्री को सदन की भावनाओं से अवगत कराने के लिए कह रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, इस समय मुझे इस बहस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सेतु समुन्द्रम परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। जैसा कि इस सदन में बताया गया कि प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के महत्व को पहचानते हुए उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जैसा कि इस सदन में कहा गया कि रक्षा मंत्री ने भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार की ओर से मैंने भी इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता तभी व्यक्त कर दी थी जब मैंने वर्ष 1999 के बजट में इसके लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

माननीय संसद सदस्य ने उचित ही कहा है कि इस परियोजना के बारे में एक शताब्दी से बातें हो रही हैं और समय-समय पर परियोजना प्रतिवेदन और व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं। अब, यदि हम इस परियोजना को गंभीरता पूर्वक आरंभ करना चाहते हैं तो इन प्रतिवेदनों को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। इसी कारणवश एन.ई.ई.आर.आई. की नियुक्ति की गई है जिससे कि वे हमें शीघ्रता से प्रतिवेदन सौंपे और हम इन परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित कर सकें। यह इस सरकार की प्रतिबद्धता है और कोई भी इससे पीछे नहीं हट रहा है।

सभापति महोदय: धन्यवाद, वित्त मंत्री महोदय।

श्री वैको: महोदय, मैं हार्दिक रूप से माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री की प्रतिबद्धता को दोहराया है।

सभापति महोदय: मैं पुन: आश्वासन देने हेतु वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री वैको: जब पहली बार स्वेज नहर खोली गई थी तो मुस्लिम और ईसाई दोनों ने मिलकर खुशी मनाई थी। इसी तरह, जब इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा तो न केवल पूरा तमिलनाडु बल्कि पूरा भारत खुशियां मनाएगा और श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी सरकार का नाम तमिलनाडु के इतिहास में दर्ज हो जाएगा; समृद्धि कभी नहीं भुलाई जाएगी और हम श्री अटल बिहारी वाजेपयी के नेतृत्व वाली इस सरकार के कृतज्ञ रहेंगे।

अब मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस परिवर्तनकारी, विकासोन्मुख और चुनौतियों का सामना करने वाले प्रगतिशील बजट की प्रशंसा करता हूं। मैं कामना करता हूं कि वह चुनौतियों का सामना करते हुए कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पराजित करेंगे और उनमें सफल होकर उभरेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी को प्रस्तुत किए गए बजट का विरोध करता हूं। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री सुधारों के जंगल में खो गए हैं।

वह आधारहीन, दिशाहीन और पूर्णतया भ्रमित हैं। वह स्थिति की मांग से असंबद्ध बेतुकी कसरत में फंसे हैं। यदि आप इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो यह आर्थिक सर्वेक्षण इस सरकार के आर्थिक कार्यनिष्पादन की एक बहुत रूखी तस्वीर प्रस्तुत करता है।

अपराह्न 4.30 बजे

[श्री श्रीनिवास पाटील *पीठासीन* हुए]

आर्थिक सर्वेक्षण में अभूतपूर्व औद्योगिक मंदी की बात स्वीकार की गई है। 1998-99 से निगमित निवेश में 32.3 प्रतिशत की कमी आई है। नई परियोजनाओं में 54 प्रतिशत की कमी आई है। विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्यों में 40 प्रतिशत की कमी आई है। ऐसी औद्योगिक मंदी है। इस तरह की परिस्थिति में यह

[श्री रूपचन्द पाल]

अनुमान अच्छी तरह से लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी की स्थिति बड़ी भयंकर है। बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगार हैं; ग्रामीण बेरोजगारी है; शहरी बेरोजगारी है; और गत वर्ष एक मोटे अनुमान के अनुसार कम से कम 50 लाख लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबादा, बिहार): यह संख्या इस आंकड़े से भी कहीं अधिक है।

श्री रूपचन्द पाल: हां, यह सत्य है। यह सरकारी आंकड़ा है। बी.आई.एफ.आर. जैसे अन्य कई हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि युवाओं में बेरोजगारी आतंकवाद के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराती है। मैं इस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता कि देश के कुछ भागों में किए गए अध्ययन और अन्य देशों में किए गए अध्ययन में क्या बातें कहीं गई है। ऐसी स्थिति में यह सरकार चाहे औद्योगिक मंदी हो, चाहे बेरोजगारी हो, कृषि उत्पादन में स्थिरता हो या मांग में अत्यधिक कमी हो- इस राष्ट्र के सम्मुख सभी ज्वलंत समस्याओं से निपटने में बुरी तरह असफल रही है। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्पादकता में कमी आ रही है; लाभप्रदता में कमी आ रही है।

जैसा कि आपने आन्ध्र प्रदेश में देखा, इन लोगों का विश्वास करके हाल के अध्ययन के अनुसार कुछ लोग खाद्यान्नों का उत्पादन करना छोड़कर कपास और अन्य नकदी फसलों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। उन्होंने साहूकारों से भारी ऋण लिए हैं क्योंकि वाणिज्यिक बैंक, सरकारी क्षेत्र के निजी बैंक उनसे अपेक्षित न्यूनतम 18 प्रतिशत के कोटे को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। अन्ततः क्या होगा? न केवल आन्ध्र प्रदेश या गुजरात में अपितु हरित क्रान्ति वाले पंजाब जैसे राज्यों में भी आत्महत्या के मामलों की सूचनाऐं मिली हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी सरकार कहती है: "हमारा ध्यान कृषि क्षेत्र पर केन्द्रित है।" उन्होंने कृषि क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

मैं सरकार से केवल वर्ष 2000-01 की अनुदान मांगों संबंधी छठे प्रतिवेदन के बारे में पूछना चाहूंगा। उसमें लिखा है:-

> "भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों को बाध्य करने के प्रयास के बावजूद वास्तव में इच्छित परिणाम नहीं मिले। समिति ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एक प्रधान व्यवसाय है, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार से इस बात की सिफारिश की कि वे एक समय सीमा निर्धारित करें जिसके अंदर ये बैंक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृषि क्षेत्र में ऋण देने की अपनी स्थिति में सुधार करें।"

यह निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण देने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र के बारे में है। सरकार की इस पर यह प्रतिक्रिया है। "कृषि क्षेत्र को एन.डी.सी. ऋण के 18 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।" सरकार समिति को एक समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश को स्वीकार करती है जिसके तहत निजी क्षेत्र के बैंकों को एक समय सीमा में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने की अपनी स्थिति को सुधारना पड़ेगा। वे क्या करते रहे? मैं यह भी पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा है:

> "जब भारतीय रिजर्व बैंक से एक लिखित प्रश्न में यह पूछा गया कि क्या उन्होंने निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है तो उन्होंने बताया,"

उनका मंत्रालय कहता है:

> "भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि निजी क्षेत्र, कृषि और कमजोर वर्गों को ऋण में बढ़ोत्तरी समयबद्ध तरीके से की जाए जिसे बैंक ही तय करें ताकि नियत लक्ष्य पूरा किया जा सके.....
>
> आवधिक बैठकों में इस आवश्यकता पर पुनः जोर डाला गया है। साथ ही बैंकों द्वारा प्रस्तावित कार्रवाइयों पर भारतीय रिजर्व बैंक और यह विभाग निगरानी रख रहे हैं।"

हमारे द्वारा किए गये हाल के अध्ययन में, यह और कम हो गया है फिर भी वे कह रहे हैं कि उनका ध्यान कृषि पर है।

समस्त देश में, बेरोजगारी ने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि सरकार ने इस ज्वलंत समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है।

कृषि का विकास रूक गया है एक ओर बड़ी मात्रा में अनाज के भंडार है। सरकारी गोदामों में 6 करोड़ टन खाद्यान्न भरा है। वे इस खाद्यान्न भंडार पर गर्व करते हैं। दूसरी तरफ इस सच की ओर सरकार का ध्यान बार-बार दिलाया गया है कि 5 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी के शिकार है। वे अपने गुर्दे बेच रहे हैं। उन्हें अपने बच्चे 300, 200 और 100 रु. में बेचते देखा गया है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। उनका दावा है कि गरीबी के दर में 36 प्रतिशत से 26 प्रतिशत की कमी आई है परंतु हाल के अध्ययन के अनुसार, जिनको वे स्वयं स्वीकारते है, अभी भी 6 लाख से

अधिक परिवार गरीब है। यदि एक परिवार के पांच सदस्य भी माने तो, आंकड़ा 30 करोड़ लोगों से भी उपर पहुंच जाएगा।

कई अर्थशास्त्री सलाह देते है कि हमें ग्रामीण संरचना की नितांत आवश्यकता है। आपके पास न तो धन है और न ही वर्तमान संरचना को सुधारने की इच्छा शक्ति है। आप इस विशाल खाद्यान्न के भंडार को 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यहां भी कार्य नाममात्र का ही हो रहा है। हालांकि आप यह काम कर रहे हैं परंतु वास्तव में जिस प्रकार करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं।

वे हमेशा भारत और चीन की तुलना करते हैं। हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया है। सुधारों को आरंभ हुए 10 वर्ष हो चुके है। चीन में कृषि का उत्पादन कितना है? यह हमारे उत्पादन से चार गुणा है और यह और भी बढ़ रहा है। मैं किसी विशेष विचार पर खुलासा नहीं कर रहा हूं। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे पास कुशल विशेषज्ञ है परंतु इसका कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए? इसके लिए क्या योजना है? डा. एम.एस. स्वामीनाथन और अन्यों द्वारा प्रस्तुत कतिपय योजनाओं को हमने देखा है परंतु बजट में इसका समावेश कहीं नहीं दिखता है।

राजस्व वसूली में भी अत्यधिक गिरावट आई है। इसमें 30,000 करोड़ रु. की कमी हुई है। पहले, यह विश्वास किया जाता था कि कर की दरें जितनी कम होंगी, वसूली उतनी अधिक होगी। कुछ धारणाएं उद्धृत की गई परंतु अप्रवासी भारतीय और अप्रवासी चीनियों की मानसिकता में अंतर है। कर-सकल घरेलू उत्पादन का अनुपात करीब 9 प्रतिशत के आसपास ही रूका हुआ है। कुछ विकासशील देशों में 40 प्रतिशत है। एशियाई देशों में भी यह 30 प्रतिशत से अधिक है, सब-सहारा देशों में भी इसकी दर भारत से अधिक है। हमारे यहां कुछ बहुत ही धनी लोग रहते हैं। एक दिन, दिल्ली में सम्पन्न हुई कुछ शादियों में, सभी पांच सितारा होटल बुक किए गये, फूल हालैंड से आए और उसकी सजावट इंडोनेशियनों ने की। हमारे जैसे देश में, कितने लोग सालाना, 10 लाख से अधिक कमाते हैं? केवल 40,000 लोग। मैं केवल दक्षिण दिल्ली की बात कर रहा हूं, अन्य क्षेत्रों की नहीं।

महोदय, भारत में केवल 40 हजार लोगों की वार्षिक आय 10 लाख रु. से अधिक है। आप कर अपवंचन के मुद्दे को देखें। कुछ लोग कहते हैं और एक अनुमान के अनुसार भारत में सम्पन्न लोग केवल अपनी 30 प्रतिशत आय ही घोषित करते हैं। यह समस्या केवल प्रत्यक्ष करों और औद्योगिक करों में व्याप्त है बल्कि यह उत्पाद और सीमा शुल्क में भी फैली हुई है। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार की बीमारी उच्च अधिकारियों और हमारी सुरक्षा में भी व्याप्त है। यह बात इस सभा को भी भली भांति पता है, मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा।

यह सरकार कहती है कि वह राजस्व में 21 प्रतिशत की वृद्धि करेगी यदि आप पैट्रोलियम पदार्थों को इससे दूर रखें तो, यह केवल 17 प्रतिशत रह जाएगी, जबकि इस वर्ष यह केवल 3 प्रतिशत ही है। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्या यह संभव है? क्या वे अपने मित्रों को छूए बगैर इस राजस्व लक्ष्य को कभी प्राप्त कर पाऐंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं जो हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति को लूट रहे हैं और अनेक बातों के बाद भी वे बदले में कुछ नहीं देते।

अब वे परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनियों और ऐसे ही विषयों जैसे डीआरटी की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में हालांकि स्थिति इतनी अधिक खराब नहीं है, परंतु निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में समस्या गंभीर है। विनिवेश के नाम पर क्या हो रहा है। आप मैसर्स जेसोप का मामले लें। यह 120 वर्ष पुराना उद्योग है। वे कोचों, वैगनों, क्रेनों और अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। एक प्रतिष्ठित परामर्शदात्री फर्म के अनुमानानुसार, उनकी परिसम्पत्ति 293 करोड़ रु. है। जब पश्चिम बंगाल सरकार से मदद मांगी गई, उन्हें 27 करोड़ रु. मूल्य का छोटा सा कार्यालय मिला। अब इस कंपनी को 18 करोड़ रु. में बेचा जा रहा है। और किसे बेचा जा रहा है? इसे उस औद्योगिक घराने को बेचा जा रहा है जिस पर कारपोरेशन बैंक आई.डी.बी.आई. और अन्य वित्तीय संस्थानों का 75 करोड़ रुपये का कर्जा है यह जिनका एन.पी.ए. के रूप में है। उन्होंने इसकी राशि अदा नहीं की अब उन्हें मैसर्स जेसोप फर्म दी जा रही है।

आई.ओ.सी. के साथ क्या हो रहा है जो निजी क्षेत्र की नम्बर एक की सफल कंपनी है? विनिवेश के नाम पर इन्हें बरबाद किया जा रहा है जहां से यह सरकार 12,000 करोड़ रु. का लक्ष्य पूरा करना चाहती है। यह कुछ नहीं अपुित हेरा फेरी है। वे आई.ओ.सी. को आई.बी.पी. के शेयर खरीदने के लिए कह रहे हैं। और कौन सी कीमत पर खरीदने के लिए कह रहे है? वर्तमान मूल्य से 4 गुना अधिक की कीमत पर। आई.बी.पी. का शेयर मूल्य 419 रु. था, जबकि आई.ओ.सी. को आई.बी.पी. के शेयर प्रति 1,553 रु. यूनिट कीमत पर खरीदने के लिए कहा गया। 52-सप्ताह शेयर औसत 10 गुना अधिक है। उन्हें आई.बी.पी. शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया गया है। उन्हें और 20 प्रतिशत आई.बी.पी. शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।

ऐसी परिस्थिति में भी, हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, आई.ओ.सी. चाहती है कि उसे एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के शेयर खरीदने की अनुमति दी जाए। आप उन्हें अनुमति नहीं

[श्री रूपचन्द पाल]

देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र को जब उनके पास पूंजी है, शेयर खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मैं यहां किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। एक और कंपनी है जिसने एकाधिकार स्थापित कर लिया है, जो फारचून की सूची में निजी कंपनी के रूप में नंबर दो स्थान पर पहुंच गई है। विलय के बाद उन्हें अनुमति दी जा रही है।

महोदय, राज्य का एकाधिकार बुरा है।

परंतु निजी क्षेत्र का एकाधिकार अच्छा है। यह कैसा सिद्धान्त है? चीन में ऐसा नहीं होता। सरकार, दिशाहीनता की शिकार है। हम सुधारों के विरुद्ध नहीं है, परंतु हमारे पास सुधारों का अर्थ है, पश्चिम बंगाल में सुधारों के कारण सार्थक बदलाव आए हैं। जब सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो बेहतर उपयोगिता के लिए होती है। हमने भूमि सुधार का कार्य हाथ में लिया है। यह कानून कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। हमने इसका आविष्कार नहीं किया अपितु इसका कार्यान्वयन किया है। जिसके परिणामस्वरूप लोगों को फायदा पहुंचा है। हमने अपनी कृषि उत्पादन को बढ़ाया। यह सुधार किसके फायदे के लिए हैं? चीन में जनसंख्या-रोजगार का अनुपात विश्व में सबसे ऊंचा है। आर्थिक सुधारों के बाद चीन में परिस्थिति में सुधार आ रहा है। जबकि हमारे देश में लोग और अधिक गरीब होते जा रहे है। अमीरों और गरीबों की बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है और उन्हीं लोगों को जिन्होंने सुधारों से 90 प्रतिशत फायदा उठाया है सरकार संरक्षण देती रही है। हमारे यहां विदेशी शराब सस्ती परंतु केरौसीन महंगा; सौन्दर्य प्रसाधन सस्ते हैं लेकिन दवाईयां महंगी। हमें बताया गया कि सुधारों की आवश्यकता है- यह स्वीकार्य बात है-ताकि सरकार सामाजिक क्षेत्र, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इत्यादि पर धन खर्च कर सके।

सेवा क्षेत्र में मूल्य वृद्धि कैसे होती है? समय की कमी के कारण मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। मैं केवल औषधियों का उल्लेख कर रहा हूं। नियंत्रण हटने के बाद के समय में, ओ.आर.डी. मार्ग अध्ययन के अनुसार, 45 प्रतिशत औषधियों की कीमतें 20 प्रतिशत बढ़ गई है और 5 प्रतिशत औषधियों की कीमत 45 प्रतिशत बढ़ी है। 1995 में 270 दवाइयों से नियंत्रण हटा लिया गया था। 76 औषधियां नियंत्रण सूची में थी और अब, इनमें से, 36 औषधियां इस सूची से हटा दी गई है। औषधियां महंगी हो गई है। फिर नई प्रौद्योगिकी आ रही है। एक एम.आर.आई. परीक्षण पर कितना पैसा लगता है? इसमें 5,000 रु. लगते हैं। अल्ट्रासाऊंड परीक्षण पर कितना पैसा लगता है? परिवहन का किराया बढ़ा है और रेलवे के किराये में वृद्धि हुई है। इसका 90 प्रतिशत भार द्वितीय और सामान्य श्रेणी के यात्रियों पर पड़ेगा।

सरकार का कहना है कि मुद्रास्फीति की दर बहुत कम है, पिछले 25 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से सबसे कम है। मैंने वित्त मंत्री से पूछा था-वह मुझसे बेहतर जानते हैं-मुद्रास्फीति-आंकने का मापदंड क्या है, क्या यह थोक मूल्य सूचकांक या खुदरा मूल्य सूचकांक से आंकी जाती है। हालांकि थोक मूल्य सूचकांक में सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, सकल घरेलू उत्पाद का 52 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है।

परिवहन लागत बढ़ रही है। रेलवे का किराया बढ़ रहा है। चिकित्सा लागत बढ़ रही है। सभी की कीमतों में वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति कम हुई है क्यों? इसमें मुख्यत: कमी निर्माण क्षेत्र के कारण आई है। ओ.आर.डी. मांग के एक अध्ययन के अनुसार 25 प्रतिशत की और अधिक क्षमता है। विनिर्माण क्षेत्र उन वस्तुओं का निर्माण करता है जिसका इस्तेमाल आम लोग करते हैं। वे इसको थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता और वे मुद्रास्फीति दर को इसी आधार पर कम मानते हैं। इस आधार पर, वे कहते हैं कि लघु बचतों में ब्याज दर कम होनी चाहिए। इसे लागू किया जाएगा और ब्याज दर कम की जाएगी। मध्य वर्ग के लोग, वेतनभोगी जो अपना धन पी.पी.एफ., पी.एफ. और अन्य लघु बचतों जैसे किसान विकास पत्र में लगाते है, प्रभावित होंगे। इसका लाभ किसे मिलेगा? निगमित क्षेत्र को ही इसका लाभ होगा। यही लोग बैंकों से धन लेते हैं और उन्हें वापस नहीं लौटाते। उन्होंने देश को बर्बाद किया है। वे ही इस देश से धन ले जाते हैं। हाल ही में मैंने एक वेबसाइट में पढ़ा मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ था और अभी नहीं है कि 110 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर भारतीय धन विश्व के विभिन्न बैंकों में जमा है। स्विट्जरलैंड के राजदूत ने कहा कि मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 2,5000 बिलियन अमरीकी डालर की भारतीय राशि विभिन्न बैंकों में जमा की गयी है। अभी भी मैं इस पर विश्वास नहीं हो रहा है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): इसमें गलत क्या है?

श्री रूपचन्द पाल: आप काफी विद्वान पुराने नौकरशाह हैं, आप हिसाब लगा सकते हैं कि 2,5000 अमरीकी बिलियन डालर कितने होते हैं। इसमें 90 प्रतिशत राशि घरेलू बचत राशि है। पूर्व में आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत जो रियायतें और छूट दी गयी थी उन्हें वापस ले लिया गया है। इससे मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित होंगे जो कि अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं। वेतनभोगी वर्ग के लोग क्या करेंगे? ब्याज का भार कम हो इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार ने ऐसा किया है। अधिक उधार लेने के लिए अब वे स्वतंत्र हैं। हो सकता है उससे हम कम ब्याज वाले ऋण जाल की ओर अग्रसर हों उन्होंने ब्याज दर कम कर दी है ताकि वे ज्यादा उधार ले सकें और वह भी कम ब्याज पर। यानी इससे मध्यम वर्ग और दरिद्र होगा।

हमारी घरेलू बचत दर 25 प्रतिशत थी और अब यह घटकर 20 और 21 प्रतिशत रह गयी है। चीन में घरेलू बचत दर 40 प्रतिशत है, और अन्य देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैंड तथा जापान को तो देखें। वित्त मंत्री अनिवासी भारतीयों को तो छूट दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे छोटे निवेशक है जिन्हें शेयर मार्किट के बेईमान लोग धोखा दे रहे हैं। छोटे निवेशक जिन्हें अपना पैसा कहीं और रखने का विकल्प नहीं है और उन्हें गायब होती प्लानटेशन कम्पनियों द्वारा लूटा जा रहा है। अब वित्त मंत्री का लक्ष्य मध्यम वर्ग ही है। वास्तविक रूप में मध्यम वर्ग के विरुद्ध युद्ध शुरू किया गया है। अब क्या होगा? एक अध्ययन के अनुसार-ऐसे कदमों से जो स्थिति उत्पन्न होगी वह अंततः हमारी बचतों को नष्ट ही करेगी।

अनिवासी भारतीयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में उनका कितना योगदान है? कोई आक्षेप नहीं लगा रहा। भारतीय प्रसार के संबंध में अध्ययन हुआ, जिसमें दोहरी नागरिकता तथा अन्य मुद्दों के बारे में बात की गई। अनिवासी चीनी लोग जो भी आय अर्जित करते हैं वे उसे अपने देश में लाते हैं। 85 प्रतिशत अनिवासी चीनी लोग विदेशी मुद्रा अर्जन में अपना योगदान देते हैं। हमारे मामले में यह केवल 5 या 6 प्रतिशत है। उन्हें यह भी इसलिए मिल जाता है क्योंकि वे ब्याज की ऊंची दरों में रुचि दिखाते हैं, चाहे वे रिसर्जेन्ट बांड हों या फिर इंडिया मिलेनियम बांड हों और हम जल्दी ही इनका पुनर्भुगतान आरंभ कर देंगे। उनके अनुसार कहना इस सरकार के तीन सशक्त मुद्दे हैं तथा वे हैं निम्न मुद्रा स्फीति दर खाद्यान्नों का प्रचुर भंडार और संतोषजनक विदेशी मुद्रा भंडार लेकिन अगर हम ब्राजील के अनुभव पर ध्यान दें या फिर अनिवासी भारतीय लोगों की आदतों और उनके मानस पर ध्यान दें उक्त आंकड़े भ्रम प्रतीत होंगे। ऐसा ही अन्य अनेक देशों में हुआ है। हम पूर्व एशियाई संकट से अलग रहे इस पर हम गर्व करते हैं।

अब हम मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता के बारे में बात करते हैं, विदेशी मुद्रा के हिसाब-किताब करने में कितना समय लगता है। रिजर्व बैंक तथा अन्य समस्याओं के लगातार निगरानी और हस्तक्षेप के बाद भी यह एक लम्बी प्रक्रिया रहती है। यह खतरनाक तथा भ्रामक है। भारतीय धन को बाहर ले जाने दिया जा रहा है क्योंकि सरकार यह नहीं जानती कि इस धन का कैसे निवेश किया जाए। ऐसे समय में जब राष्ट्र को निवेश करने की तुरंत आवश्यकता है ताकि मांग की स्थिति से निपटा जा सके, इस सरकार को यह जानकारी नहीं है कि क्या करें और कैसे करें? वे दिशाहीन हैं। रक्षा के लिए अधिक आबंटन की समझदारी के संबंध में मैं प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा, उसके लिए तो आबंटन देना ही चाहिए। लेकिन अन्य सभी पहलुओं को भी हमें फिर से देखना चाहिए। बहुत सी बातें हो रही हैं। कुछ बातों के बारे में मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है। मैं उस पत्र के विषय-वस्तु का उल्लेख यहां नहीं करना चाहूंगा। किन्तु यहां किसी की जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? जो पैसा उनको दिया जाता है वे उसको खर्च नहीं कर पाते हैं। मंत्री जी ने वचन दिया है कि आगे उनको कोई भी राशि नहीं दी जायेगी, उस पर मैं प्रश्न चिह्न नहीं लगाना चाहता। महोदय, भौतिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है परन्तु अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा है। इस विश्व के इतिहास में कोई भी ऐसा आर्थिक सुरक्षा के बिना बच नहीं पाया है। सैन्य बल के रूप में भूतपूर्व सोवियत संघ एक शक्तिशाली देश था। आप इन स्वयं सब बातों को कहते आये हैं। शारीरिक सुरक्षा एक बात है और आर्थिक सुरक्षा दूसरी बात है। बेरोजगारी और काम की कमी बढ़ रही है। लोग दरिद्र हो रहे हैं। एक ओर जहां कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। क्या इसी को आप 'सुधार' कहते हैं तो लोग इस 'सुधार' शब्द से घृणा करना शुरू कर देंगे।

महोदय, हम सभी राष्ट्रीय आम सहमति के पक्ष में हैं। सरकार को इस पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए। राज्यों की वित्तीय स्थिति अत्यंत दयनीय है। इसका क्या कारण हैं? ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में केवल वामपंथी सरकारें ही हैं। देश में कांग्रेस द्वारा शासित 15 अन्य राज्य भी हैं। कांग्रेस सरकार ने सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी। इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। केन्द्र सकार की क्या समस्याएं हैं? कभी-कभार ऐसा आभास दिलाया जाता है कि केन्द्र सरकार बहुत पवित्र है और इन सब बातों से ऊपर है, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। मैं केन्द्र में किसी विशेष सत्तारूढ़ दल का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं सामान्य रूप से केन्द्र राज्य संबंध का जिक्र कर रहा हूं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। केन्द्र का कहना है कि अगर राज्य कुछ शर्तों को मानेंगे तभी उनको कुछ दिया जायेगा। हमारी संघीय राजनीति है और हमारा देश राज्यों का एक संघ है। केन्द्र धौंस भरा व्यवहार नहीं कर सकता। इस प्रकार का व्यवहार राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों को चकनाचूर कर देंगे। और साथ ही यह हमारी शासन व्यवस्था का दुखद पहलू होगा। इस पहलू पर पुनः विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): आप भी इधर बैठेंगे तो ऐसे ही करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: हम ऐसे नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

वह हमारे दल से नहीं था आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, अब मैं सामाजिक क्षेत्र पर आता हूं। छह से चौदह वर्ष के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में 93वां संशोधन लाया गया था लेकिन इस वर्ष बजट में केवल 908 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है। यह राशि बहुत ही मामूली है। यदि आप तपस मजूमदार समिति की सिफारिशों को देखें तो पायेंगे कि इस कार्य के लिए उन्होंने 14,000 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। लेकिन वित्तीय प्रबंधन ज्ञापन में इस कार्य के लिए 9,800 करोड़ का आबंटन किए जाने की बात की गई है।

महोदय, अब रक्षा व्यय के नाम पर एक अधिभार लगा दिया गया है। लेकिन यह अधिभार क्या है? अधिभार के माध्यम से धन का संग्रहण करने का अर्थ है, राज्यों को इससे वंचित करना। अब माननीय मंत्री जी कहेंगे कि कहां से धन जुटाया जाए। लेकिन क्या उन्हें इस बारे में कुछ नया नहीं करना चाहिए? उनके पास सेवा क्षेत्र ही बचा है क्या जहां से वे धन जुटा सकते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं अधिक पारदर्शिता और नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा बेहतर कर व्यवस्था की ही बात नहीं कर रहा हूं। कृषि राज्य सूची का विषय है और हमारे कृषक घटती हुई उत्पादकता और लाभ प्रदता के चलते बहुत अधिक कष्ट उठा रहे हैं। साथ ही कुछ राज्यों में औद्योगिक पूंजी से कहीं अधिक व्यापारिक पूंजी है। वहां कृषि धन और ग्रामीण धन भी है। जहां तक मैं जानता हूं। इस ग्रामीण धन के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एजेंसी ने अध्ययन किया था। शायद ऐसे कुछ नये तरीके हैं जिनकी वजह से व्यापारिक घराने सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होने दे रहे हैं। मैं कोई विशेष उल्लेख नहीं कर रहा हूं लेकिन यह सरकार की जवाबदेही है कि वह राष्ट्र को इस बारे में बताएं। मैं यह बात दोहराऊंगा कि हम सुधारों के विरुद्ध नहीं हैं, पर ये सुधार राष्ट्र के हित में होने चाहिए, ये सुधार उस जनता के हित में होने चाहिए जिसने सबसे अधिक कष्ट सहा है। लेकिन इसके विपरीत हो रहा है। वह मुद्दा है जिसे हम अनिच्छापूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। आप दिक्परिवर्तन करें, आप दिशा बदले, आप सुधारों को बेहतर चरणबद्ध तथा सिलसिलेवार ढंग से करें। विनिवेश के नाम पर कृपया लाभप्रद संगठनों को न बेचें, पूरी दुनिया में वित्तीय शक्ति पाने के लिए विलय किया जा रहा है।

भारत में भी रिलायन्स कम्पनी का विलय एक और कम्पनी में हुआ, टाटा, ए.टी. एंड टी. और बी.पी.एल. का भी विलय हो चुका है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब बीमा क्षेत्र की बात आती है पुनर्बीमा के बाद भी जो ठीक प्रकार से कार्य कर रही है, वही सामान्य बीमा यदि अपनी अन्य सहयोगी इकाइयों के साथ विलय कर ले तो वित्तीय रूप से सबल हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से संबंधित समिति की भी यह सिफरिश थी। मैंने इस संबंध में अपना विमत टिप्पण भी दिया था और वह सार्वजनिक भी है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विलय की अनुमति आखिर हम क्यों नहीं देते? आई.ओ.सी. को एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. की बोली लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? यह भेद-भाव क्यों हैं कि उन्हें एक निश्चित राशि के कर का भुगतान करना ही है? विदेशी कम्पनियों के मामले में कर कम किया जा रहा है। उद्यमियों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा इससे उन्हें ठेस पहुंचा है।

मैं नहीं समझता वित्त मंत्री इसे किस प्रकार लेंगे। महोदय, हम में से कुछ लोगों को श्री शंकर शर्मा से मिलने का अवसर मिला था उनका एक ही दोष है कि वे बहुत अच्छे व्यवसायी हैं। वे और उनकी पत्नी देश में सबसे बड़े आयकर दाताओं में से एक हैं। तहलका डाट काम जिसने सरकार की पोल खोली थी उस कम्पनी में इस व्यक्ति का 14 प्रतिशत हिस्सा है। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता कि क्या वह ठीक था या नहीं। इसे तो जांच आयोग देख रहा है। बहुत दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया। हम में से कुछ लोगों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में एक बेहतरीन व्यवसायी हैं। और इस क्षेत्र में मैंने उनसे अच्छा पेशेवर व्यक्ति नहीं देखा।

श्री मणि शंकर अय्यर: हां-हां बिलकुल ठीक।

श्री रूपचन्द पाल: यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें यहां के कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। देश में वही अत्यधिक विदेशी मुद्रा लाये हैं। उन्होंने देश में विदेशी निवेश को बहुत बढ़ावा दिया है और आज उसे इन सब के लिए सजा दी जा रही है।

श्री मणि शंकर अय्यर: उन्हें परेशान किया जा रहा है। मुकदमा नहीं चलाया जा रहा।

श्री रूपचन्द पाल: मैं उनकी ओर से वकालत नहीं कर रहा, यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ दिल्ली या मुम्बई में हुई किसी घटना की वजह से उन्हें इस तरह की सजा नहीं मिलनी चाहिए।

महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। राज-सहायता के बारे में मैं कुछ बातें कहूंगा। सरकार उर्वरकों, यूरिया आदि पर दी जाने वाली राज-सहायता को कम कर रही है।

विश्व व्यापार संगठन समझौते के पश्चात् एक राष्ट्र के रूप में हम मूर्ख बने हैं। मैं किसी मंत्रालय विशेष या किसी और की बात नहीं कर रहा। पूरे विश्व में, यूरोपीय संघ के देश जैसे अमरीका इत्यादि किसी न किसी नाम से काफी अधिक राजसहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हम प्रतिस्पर्द्धात्मक कैसे हो सकते हैं? हमारे कृषक प्रतिस्पर्द्धात्मक कैसे हो सकते हैं? हम कृषि में विविधता की बात करते हैं। नि:संदेह ऐसा किया जाना चाहिए। कृषि में हमारे पास बड़ी संख्या में विशेषज्ञ है, हमारे पास अनुसंधान वैज्ञानिक इत्यादि है। किंतु ऐसी स्थिति में भी यदि किसी भी नाम से राजसहायता वापिस ली जाती है तो इससे हमारे कृषि उद्योग को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा।

अब पूंजी व्यय की बात करते हैं। सरकार कहती है कि आधारभूत संरचना उनकी उच्चतम प्राथमिकता है, किन्तु इस वर्ष पूंजी व्यय को 9,696 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना है। इसमें से, रक्षा पर पूंजी व्यय 4,554 करोड़ रुपये है। इसलिए, गैर-रक्षा पूंजी व्यय 5,244 करोड़ रुपये है, इसमें 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि रक्षा व्यय को निकाल दिया जाए तो पूंजी व्यय में बढ़ोत्तरी होगी जो इस वित्तीय वर्ष में 22 प्रतिशत होगा, और यह नीचे आ चुका है।

मंत्री महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

श्री यशवंत सिन्हा: आपके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री रूपचन्द पाल: मैं कह रहा हूं कि सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए गैर-रक्षा व्यय में राशि कम हुई है। यदि मैं गलत हूं, तो आप मेरी बात ठीक कर सकते हैं। गैर-रक्षा पूंजी व्यय में यह कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। जबकि दावा यह किया जाता है कि आधारभूत संरचना इत्यादि में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

वे समझते हैं कि सुधार का अर्थ—इस वर्ष के बजट में-लघु बचतों की ब्याज दरों को कम करना है। इन्होंने, उर्वरकों, मिट्टी के तेल, रसोई गैस, मोमबत्तियां और टूथ पेस्ट इत्यादि के मूल्यों में बढ़ोत्तरी कर तथा लघु उद्योगों को अनारक्षित कर मध्यम तथा वेतन-भोगी वर्ग पर हमला किया है और इस प्रकार राज्यों पर भी दबाव डाल रहे हैं ताकि वे भी जनता विरोधी उपाय, कृषक विरोधी उपाय और नौकरी-पेशा वर्ग-विरोधी उपाय प्रारंभ कर सकें। वित्तीय बाजार खुल गए हैं और इसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

मैं, सरकार को यह चेतावनी देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि पूंजी बाजार में क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि मंत्रीमण्डल ने ओ.सी.बी. रूट और मारिशियस रूट के साथ, सेबी अधिनियम में कुछ संशोधनों पर विचार किया है। हम सरकार का ध्यान बार-बार इस ओर आकर्षित करते आए हैं कि यह रूट हमारे पूंजी बाजार को किस प्रकार अस्थिर कर रहा है जिसके भविष्य में विनाशकारी परिणाम होंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं। मैं किसी कंपनी विशेष, किसी ओ.सी.बी. रूट विशेष या किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि नियंत्रक कौन है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक है? क्या यह कंपनी मामले संबंधित विभाग है? क्या यह कोई संयोजक निकाय है? क्या सेबी है? इसे आज कौन नियंत्रित कर रहा है? मेरे पास उत्तर नहीं है। सदन में इसे स्पष्ट करना माननीय मंत्री जी का दायित्व है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को वर्ष 2002-2003 का बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, मैं यह कहूंगा कि मुद्रा-स्फीति दर में काफी गिरावट आई है जो दो प्रतिशत से कम है। ऐसा कभी नहीं हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़कर 50 बिलियन डालर से अधिक हो गया है।

यह महान उपलब्धि है। मेरे विचार से अभी अन्य क्षेत्रों में भी काफी सुधार की आवश्यकता है। प्रत्येक बैठक में हम यही चर्चा करते हैं कि सरकार को कृषि विकास तथा सकल घरेलू उत्पाद पर बहुत बल देना चाहिए। इस देश का विकास केवल कृषि विकास पर ही आधारित है। कृषि हमारे लिए आधारभूत चीज है।

कृषि के क्षेत्र में, आपने-कृषि उत्पादों की मुक्त आवाजाही, निर्यात प्रतिबंधों को उदार कर तथा एम.एम.पी. संबंधी प्रतिबंधों को उठाकर जिसमें दूध व दूध के पदार्थ शामिल हैं, बहुत सहायता प्रदान की है। यह अच्छा संकेत है। किंतु आज, जैसा श्री मणिशंकर अय्यर और दूसरे सदस्यों ने कहा कि हमारे कृषि उत्पादन में अवश्य बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। यदि आप कृषि विकास 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक चाहते हैं तो आपको और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आज हमारे पास चावल, गेहूं और चीनी के अतिरिक्त भंडार हैं किंतु फिर भी हमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।

अभी भी हम बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं। इसे कम करने की जरूरत है ताकि हम खाद्य तेलों के आयात

[डा. बी.बी. रमैया]

पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। हमें इस पर बहुत बल देना चाहिए।

पिछले कुछ सालों से सरकार ने विकास में बहुत रुचि दर्शायी है। आपने अपनी भंडारण क्षमता में वृद्धि की है। यह मुख्य समस्या है। आपने शीत भण्डारण सुविधाओं के लिए भी सहायता में बढ़ोत्तरी की है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जबकि उत्पादन में वृद्धि हुई है, हमें उसी अनुपात में सुविधाओं का भी विकास करना होगा ताकि किसी भी चीज का अधिक नुकसान न हो।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह कहे जाने पर मुझे बुरा लगा कि वह खाद्यान्न खरीद के क्षेत्र से धीरे-धीरे हटना चाहता है। मेरे विचार से यह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे विशेषकर कृषि उत्पादन प्रभावित होगा क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ही पूरे देश में राज्यवार उत्पादन विधि से परिचित है। यह बेहतर समन्वय स्थापित कर सकता है क्योंकि केवल यही जानता है कि किस राज्य के पास अतिरिक्त खाद्यान्न है तथा किस राज्य में उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए मेरे विचार से भारतीय खाद्य निगम को, कृषि उत्पादन को बनाए रखने और उससे पर्याप्त आय प्राप्त करने के लिए यह कार्य करना ही होगा। निगम को यह भी देखना चाहिए कि उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त हो अन्यथा इससे कृषि उत्पाद पुनः प्रभावित होगा।

जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हम पाते हैं कि यदि कृषि उत्पादन कम होता है तो मूल्यों में बहुत वृद्धि होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में, हमने कर्नाटक में देखा है कि टमाटरों का मूल्य एक रुपये से भी अधिक कम हो गया और मात्र चार महीनों के अंदर ही उसका मूल्य 20 रुपये से भी अधिक हो गया। इसका कारण यह है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कई दूसरी सुविधाओं की कमी है जो उसे शीघ्र अपेक्षित हैं। सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों के मामले में भी यही स्थिति है। हमें इस उद्योग का विकास करना होगा।

जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि संसाधनों का भी विकास होना चाहिए। भूमि-अधिसीमन कानूनों के कारण कम जमीनों वाले बहुत से लोगों को कठिनाई हो रही है। इसके परिणामस्वरूप उनमें से बहुत से लोग मछलीपालन, दुग्ध उत्पादन और मुर्गी-पालन जैसे क्षेत्रों में चले गए हैं। इन चीजों पर सरकार को बहुत महत्व देना चाहिए। उत्पादन की अधिकता होने पर हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला तो यह कि अतिरिक्त उत्पादन के एक भाग का उपयोग हम रोजगार सृजन के लिए कर सकते हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि गोदामों में नये उत्पादन को फिर से भरा जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में आप चावल और दूसरे आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। यह अच्छी बात है। श्री मणि शंकर अय्यर गरीबी उन्मूलन के बारे में बोल रहे थे। मैं यह कहूंगा कि गरीबी उन्मूलन गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ-साथ कृषि का और विकास करना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

जहां तक जैव प्रौद्योगिकी का संबंध है, मैं श्री रूपचंद पाल से सहमत हूं। यदि हम चीन व दूसरी जगहों के उत्पादन स्तर को प्राप्त कर लें तो भी यहां मौजूदा सिंचाई-युक्त क्षेत्र को देखते हुए उत्पादन में वृद्धि की आपार संभावनाएं रहेंगी। इसलिए, जैव-प्रौद्योगिकी तथा अन्य कृषि तकनीकों का प्रयोग कर कृषि उत्पाद में बहुत बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं महसूस करता हूं कि विश्व व्यापार संगठन के दौर में विकासशील देशों को दी जा रही राजसहायता कम होनी चाहिए ताकि हम निर्यात बाजार में स्पर्द्धा कर सकें। उदाहरण के तौर पर मुर्गी-पालन को लीजिए। इस देश में हम सस्ते व उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि विकासशील देश 60 से 70 प्रतिशत राजसहायता देते हैं, वे हमसे स्पर्द्धा के योग्य हैं। इसलिए, यदि हम ऐसी चीजों के लिए राजसहायता दे सकते हैं तो हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं। निर्यात बाजार में इसकी असीम संभावनाएं हैं। ग्रामीण भारत में रहने वाली 60 से 70 प्रतिशत जनता को विकास का अवसर दिया जाना चाहिए।

जैसा कि विपक्ष के सदस्यों ने कहा है, मैं भी यह महसूस करता हूं कि उर्वरकों के मूल्य में बढ़ोत्तरी पर पुनः विचार होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योगों में उर्वरकों का संतुलित प्रकार से प्रयोग होना चाहिए। यदि नाइट्रोजन राजसहायता कोई समस्या है तो दूसरे उत्पादों को भी इसकी राजसहायता देनी चाहिए ताकि वे फास्फेट पोटाश जैसी दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी कर सकें। हमें कृषकों को वैज्ञानिक सहायता भी देनी चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि मृदा के प्रकार को कैसे प्रयोग में लाया जाए। उन्हें मृदा विश्लेषण और दूसरी अन्य प्रकार की वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्हें वैज्ञानिक तकनीक से परीचित कराना चाहिए ताकि वे निर्यात योग्य उत्पाद उत्पादित कर सकें। आज क्या हो रहा है कि ये लोग, हाइड्रो कार्बन कीटनाशकों जैसे कि डीडीटी, बीएचसी व दूसरी अन्य चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करेंगे तो निर्यात बाजार उनके उत्पादों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि वे निर्यात योग्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करें तो आपको इन चीजों का विकास करना ही होगा। यदि यह जरूरी है तो हमें कम दरों पर उन्हें दूसरे कीटनाशक उपलब्ध कराने होंगे ताकि कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय

बाजार के योग्य हो सकें तथा हम भी दूसरे बाजारों को कब्जा कर सकें, किंतु ये सभी मूलभूत चीजें हैं जिनसे हमारा कृषि आधार मजबूत होता है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री बार-बार कहते रहे हैं कि कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसीलिए मैं इस पर अधिक बल दे रहा हूं और अपनी आवश्यक मूलभूत चीजों से उन्हें अवगत करा रहा हूं। जहां तक दुग्ध उत्पादों का संबंध है, इसमें सुधार हुआ है। अब, हमने पनीर, मक्खन और दूसरी चीजों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। हम इन चीजों का प्रयोग कई स्तरों पर कर सकते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

बहुत से लोग, खास तौर पर कृषक, विश्व व्यापार संगठन को लेकर चिंतित हैं। इस मुद्दे पर माननीय वित्त मंत्री से सहमत हूं कि कृषि उत्पादों के आयात में कमी आई है। इस मुद्दे पर केवल भय ही है। हमारे पास अनेक रक्षात्मक शुल्क और टैरिफ है। जहां भी जरूरत हो, हम इन रक्षात्मक शुल्कों का प्रयोग कर सकते हैं। चीनी के मामले में हम ऐसा कर चुके हैं और हमने चीनी का आयात बंद कर दिया है। अब हमें निर्यात में जाने की आवश्यकता है। हमें कृषि उत्पादों के निर्यात में पर्याप्त सहायता देनी चाहिए।

दूसरे कृषि उत्पादों के मामले में, कैंलॉग्स भी कॉर्न फ्लैक्स के उत्पादन में आ गया है। इस देश में कई दूसरी चीजों का उत्पादन भी किया जा सकता है। यदि हम उच्च गुणवत्ता तथा निर्यात योग्य उत्पादों को तैयार कर पाएं तो हम किसी भी बाजार में स्पर्द्धा कर सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में इसकी बहुत संभावनाएं हैं।

अब, मैं ग्रामीण विकास पर कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। गरीबी उन्मूलन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ग्रामीण विकास करने के लिए हमें पीने के पानी की योजनाओं और सड़क विकास योजनाओं इत्यादि की आवश्यकता है। संपर्क मार्गों के लिए सरकार ने बहुत सहायता प्रदान की है किंतु सरकार को इसे वास्तव में कार्यान्वित करना होगा। 5000 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित हो चुके हैं। किंतु अब तक वे प्रक्रिया तथा कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं जिसे तैयार हो जाना चाहिए था ताकि लोग संपर्क मार्गों के महत्व को महसूस कर सकते। जिनके विकास की आप योजना बना रहे हैं।

ग्रामीण विकास में हमें डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. (डवाकरा) जैसी अच्छी योजनाओं के लिए काफी सहायता की भी आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में यह योजना भली-भांति चल रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी महिलाएं अनेक उत्पाद तैयार कर रही है।

कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं 'स्व:सहायता समूहों' के अंतर्गत विभिन्न उत्पाद तैयार कर रही हैं। केवल आंध्र प्रदेश में ही लगभग साठ लाख महिलाएं 'स्व:सहायता समूहों' के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। वे बैंकों में पहले ही 900 करोड़ रुपये से अधिक जमा करा चुकी हैं। वे सचमुच अच्छा कर रही हैं और उन क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में यह प्रयास बहुत सहायक हो रहा है। डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. के अंतर्गत हम भी एम.पी. लैड्स से भवन निर्माण के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी यह सुझाव दिया है कि अधिकाधिक भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए जहां वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें, बैठकें आयोजित कर सकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें तथा अन्य बहुत से कार्य भी कर सकें। इसी तरह वे बहुत अच्छे ढंग से प्रगति कर रही हैं।

इस समय मैं, माननीय वित्त मंत्री से सभी सांसदों के सर्वसम्मत अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। वे एम.पी. लैड्स के अंतर्गत अतिरिक्त राशि चाहते हैं। आप यह सशर्त प्रदान कर सकते हैं कि इस राशि का प्रयोग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के कुछ भागों में ही करना होगा, ताकि इसके अतिरिक्त राशि का उपयोग केवल गरीबी उन्मूलन के लिए ही किया जा सके। यह मुद्दा हम आपके ध्यान में कई बार ला चुके हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि ये गरीबी उन्मूलन योजनाएं कार्यान्वित हों। मैंने अनेक स्थानों पर यह पाया कि जहां भी एम.पी. लैड्स की निधि का उपयोग हुआ है। तो इससे बहुत अंतर आया है। दरअसल इस निधि का उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में भी विद्यालय भवनों तथा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण में किया जा रहा है। अभी तक दूरदराज के स्थानों में भी पीने के पानी की योजनाएं, सड़क निर्माण और कई दूसरी विकास गतिविधियां चल रही हैं। एक बार जब आप स्वयं इस योजना के अंतर्गत हुई प्रगति से परिचित हो जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इसे बहुत सहायता प्रदान करेंगे।

जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं तो कृषि भी इसी के अंतर्गत आता है और जल संसाधन, कृषि से जुड़ा हुआ है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटन में 800 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो काफी है। हम यह देखना चाहेंगे कि इस बढ़ोत्तरी से विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में पर्याप्त सुधार हो। हमारा अनुभव है कि बाढ़ से बहुत विनाश होता है। साफ पानी समुद्र में बह जाता है जबकि इससे कृषि के लिए तथा पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपको बाढ़ के पानी की योजनाओं के प्रबंधन को लेना होगा। यदि आपके पास इसके लिए समुचित संसाधन उपलब्ध न हों तो ऐसी योजनाओं

[डा. बी.बी. रमैया]

को शुरू करने में रुचि रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क किया जा सकता है ताकि भूमिगत पानी की स्थिति में सुधार हो और समग्र जल संसाधन स्थिति भी सुदृढ़ हो सके।

इन तथ्यों के देखते हुए हमारे यहां विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, आपको ज्यादातर योजनाओं को कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख होना चाहिए। यदि आप अधिकाधिक विद्युत उत्पादन परियोजनाएं चलाएंगे तो आप बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। दरअसल, बाढ़ पर नियंत्रण से आपके आपदा कोष में बहुत कमी हो जाएगी। यही नहीं, आगे चलकर इससे देश को भी लाभ होगा।

कृषि के मामले में मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि बीज विकास बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी। निर्यातोन्मुख क्षेत्र में हम पाते हैं कि इस देश में कपड़ा उद्योग से सबसे अधिक निर्यात होता है। जैसा किसी ने कहा कि इसमें चीन हमारा प्रतियोगी है। केवल वस्त्र निर्यात से ही 40,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त होती है। आपको यह देखना चाहिए कि लोग, वस्त्र उद्योगों पर लगे उत्पाद शुल्क से किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। मुझे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कई दूसरे राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि इसके कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं और वे चाहते हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाए।

ग्रेनाईट उद्योग में भी, हाल ही में उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि के कारण 500 से अधिक इकाईयां बंद हो गई हैं। अध्ययनों के आधार पर हमें इन्हें प्रारंभ करना चाहिए। आप कृपया इसमें की गई शुल्क वृद्धि पर पुनः विचार कीजिए। आम तौर पर उद्योग के लोगों को बाहर से होने वाली डम्पिंग से भय बना रहता है। हमारे पास 'डंपिंग-रोधी' नामक एक कुशल तंत्र है। आप रक्षोपाय शुल्क की तर्ज पर तुरंत कोई उपाय कर सकते हैं। यदि आप 90 दिनों के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाएं तो इस बीच डंपिंग-रोधी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में आपने एक समिति गठित की है जो तुरन्त निर्णय लेने में सक्षम है। कई लोग कहते हैं कि चीन में प्रशासन एक या दो माह के भीतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव पर किसी प्रकार एक कार्यवाही पूरी कर लेते हैं। यहां पर जब परियोजना प्रस्तुत होती है तब कोई नहीं कह सकता कि इसकी स्वीकृति में कितना समय लगेगा। किंतु एफ.डी.आई. समिति द्वारा कार्य प्रारंभ करने पर वे तुरंत अपनी बात कह सकेंगे लोग यह निर्णय ले सकेंगे कि क्या होना है। यहां, इसकी भी आवश्यकता है। डंपिंग रोधी तथा संरक्षित शुल्कों की भी जरूरत है।

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. के अंतर्गत महिलाओं को 40 लाख गैस कनैक्शनों की मंजूरी दे दी गई है। हम इसे दीपक कहते हैं। इस वर्ष 35 लाख और कनैक्शन दिए जाएंगे। वहां, यह कोई विलासिता की चीज नहीं है। ये गैस कनैक्शन घरेलू उपयोग के लिए हैं। इसका उपयोग आम और निम्नतम स्तर के लोग कर रहे हैं। इसीलिए, उस दिन हमने आपसे बढ़ा हुआ मूल्य वापिस लेने का अनुरोध किया था। मिट्टी के तेल पर भी यही बात लागू होती है। इन दोनों चीजों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग करते हैं। मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कीमतें वापिस होनी चाहिए। पेट्रोल में आप पहले ही 50 पैसे कम कर चुके हैं। शायद इसके लिए लोगों ने कमी करने के लिए नहीं कहा। आप पेट्रोल की कीमत तय कर सकते हैं किंतु इसके साथ-साथ आप यह भी देखिए कि गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की खातिर इन मिट्टी के तेल और गैस के मूल्य कम किए जाएं।

कराधान को लेकर मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। करों को देखते हुए, बचतों में कमी आ रही है। 27 प्रतिशत से लेकर, आज यह 22 प्रतिशत पर आ गई है। अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने व इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विकास कार्य करने के लिए हमें बचतों में सुधार करना होगा। आपने 5 प्रतिशत कर और लगा दिया है जिसके कारण वेतन भोगी लोगों को कठिनाई हो रही है। वेतनभोगी लोग सीधे साधे होते हैं। जबकि गैर वेतन भोगी वर्ग शादियों पर लाखों रुपये खर्च करता है किंतु करों की अदायगी नहीं करता। हम छः में से एक योजना के द्वारा कर के दायरे को बढ़ा रहे हैं। इससे राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हुई है किंतु इसे बढ़ाना होगा। आज भी, मात्र 2.5 प्रतिशत लोग ही करों का भुगतान कर रहे हैं। अर्थात् 100 करोड़ लोगों में से केवल 2.5 करोड़ लोग करों का भुगतान करते हैं। यदि आप विभिन्न तरीकों और तकनीकों के तहत कम से कम दस करोड़ लोग भी करों के दायरे में लाते हैं तो इससे निश्चय ही राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होगी।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): ऐसा करने के विभिन्न तरीके कौन से हैं? कृपया उन पर प्रकाश डालिए।

डा. बी.बी. रमैया: हम भी सुझाव दे सकते हैं किंतु इस पर एक समिति गठित होनी चाहिए जो इस पर विचार कर अपनी संस्तुतियां दे। मैं यह महसूस करता हूं कि हमें एक खास पहलू पर ही विचार करना चाहिए और छः में से एक योजना को लागू करने से कर का दायरा भी बढ़ेगा। इनके साथ-साथ हमें दूसरे क्षेत्रों पर भी विचार करना होगा।

अब शेयर बाजारों का मामला लीजिए। हमें लोगों के शेयर बाजारों में निवेश करने की आदत को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। पहले लोग सोने या फिर किसी और चीज पर निवेश करते थे जो गैर-उत्पादक है। इस विचार का कारण यह है कि लोगों को उत्पादन-उन्मुख निवेश करना चाहिए। यदि शेयर बाजारों में ऐसी आपदा आती है तो इससे लोगों के दिमाग में काफी संदाय उत्पन्न होंगे। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में कुछ गंभीर कदम उठाएं और देखें कि शेयर बाजार स्थिर रहें। कई दूसरे तरीकों से इसमें सहायता प्रदान की जाए। पहले भी आपने यह वायदा किया था कि हमारा आधार अटल है। लोग इसमें विश्वास करते हैं किंतु पिछले दो सालों से आप अधिभार या दूसरी चीजें लगा रहे हैं। समस्या यह नहीं है। किंतु अब भी आपने 5 प्रतिशत अधिभार कई दूसरे कारणों से लगाया है। यह भी ठीक है। लेकिन फिर आपने लाभांश पर भी कर लगा दिया है। पहले, आपने कहा था कि आप लाभांश पर कर नहीं लगाएंगे। आपको इस पर पुन: विचार करना होगा और देखना होगा कि आप यह कैसे करेंगे।

कई और भी मामले हैं, जिन पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ दिन पूर्व रिजर्व बैंक के गर्वनर ने कहा था कि अगले साल हमें 6 से 6.5 प्रतिशत की विकास दर की आशा है। हमने 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने की योजना बनाई है।

अगर हम किसी भी तरह 6 या 6.5 प्रतिशत तक विकास वृद्धि दर हासिल कर लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं समझता हूं कि हमें कुछ काम करना होगा।

अन्य को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों के लिए निधियों का पर्याप्त आबंटन, ऋणों पर ब्याज की अदायगी और ब्याज का पुनर्भुगतान जैसे गैर उत्पादक क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। रक्षा व्यय जो 65,000 करोड़ रुपए है और वेतन तथा मजदूरी हेतु निर्धारित राशि में से अब हम तुरंत कटौती नहीं कर सकते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए आबंटन को कैसे बढ़ाया जाए।

लघु क्षेत्र में दो मुद्दे हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जितना कार्य हमने किया है उससे हम लघु उद्योगों को सुधारने में सफल नहीं हुए हैं। हमें यह देखना है कि हम उनमें कैसे सुधार ला सकते हैं। जहां तक उद्योगों की रुग्णता का संबंध है यद्यपि हम कहते हैं कि हमारे पास बी.आई.एफ.आर. है, तो यह पर्याप्त नहीं है। इन उद्योगों में उपकरण इत्यादि में हजारों करोड़ रुपए अवरुद्ध हो गए हैं। अभी तक हम रुग्णता समाप्त करने के लिए कोई सकल प्रस्ताव लाने में समर्थ नहीं हुए हैं, हम इनके एकीकरण और अन्य चीजों के बारे में सोच सकते हैं। हमें देखना है कि वे कौन-कौन से विषय है जिनको हम समर्थन दे सकते हैं। हमें देखना है कि हमारी क्षमता कहां है। सोने के मामले में हमने देखा है कि क्या हुआ शुल्क दर नीचे आ गई और इसे उदार बना दिया गया। स्वर्ण आभूषण भारत के उद्योगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी बन गए हैं। इससे हम काफी रोजगार देने में समर्थ हुए हैं और सोने के मामले में हमें अच्छा निर्यात बाजार मिल रहा है।

हम साफ्टवेयर बाजार का विकास कर रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि किन किन क्षेत्रों में हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। हमें अपनी क्षमता को देखना है। अन्य चीजों के बारे में हमें विश्वास है कि सीमेंट और इस्पात उद्योग जो बुनियादी उद्योग है इसे आगे बढ़ाने में सक्षम हैं; अर्थव्यवस्था इसकी भरपाई कर सकती है और यह मंदी पर काबू पा सकती है।

मैंने पूर्वोत्तर के संबंध में एक रिपोर्ट दी है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में सुधार लाना होगा ताकि हम उस राज्य में अलगाववाद को कम कर सकें। यदि हम इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सफल हो जाएंगे और हम इसमें सुधार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, हम वर्ष 2002-03 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक श्री यशवंत सिन्हा जी का सवाल है, मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं। उनमें कई गुण हैं और देश के लोगों को गुमराह करने की अभूतपूर्व क्षमता उनमें है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: और कितने गुणों की तारीफ करेंगे?

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): मुझे पता नहीं था और उन्हें भी पता नहीं था।

श्री रामजीलाल सुमन: सोमैया जी, आप यहां कम समय रहे हैं और हम ज्यादा समय रहे हैं।

सभापति जी, बजट चाहे सरकार का यो या परिवार का, वह मात्र आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं होता। अतीत का संतोष, वर्तमान का सुख और भविष्य की समृद्धि बजट में निहित होती है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि और परम्परागत कुटीर उद्योगों को जब तक पर्याप्त

[श्री रामजीलाल सुमन]

संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहां गरीबी, बेबसी और लाचारी है, उस पर हम काबू नहीं कर सकते। इस बार देश का बजट चार लाख दस हजार करोड़ रुपये के करीब है। असल सवाल यह है कि पिछले साल की तरह जो गैर योजना व्यय है, वह 2.97 लाख करोड़ रुपये है और योजना व्यय 1.73 लाख करोड़ रुपये है। बहुत मोटा-मोटा और व्यावहारिक बात यह है कि एक रुपया पहुंचाने के लिए इस प्रशासनिक ताम-झाम पर सरकार 3 रुपए खर्च करेगी। यशवन्त जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह जो गैरयोजना व्यय है, इसमें कटौती करने का काम मजबूती के साथ करना चाहिए। यह जो सारा सरकारी ताम-झाम फिजूलखर्ची है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगा, इस पर काबू नहीं किया गया तो कोई अच्छे नतीजे निकलने वाले नहीं हैं।

जहां तक खेती का सवाल है, आपने अपने बजट भाषण में कहा कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रथा को जारी रखना मुश्किल हो जायेगा। किसानों की उपज के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे नहीं। उस परिस्थिति में बिचौलिये ही किसान को मार डालेंगे। आप जानते हैं कि 1971 से लेकर अब तक, मैं गेहूं की बात कर रहा हूं, गेहूं का समर्थन मूल्य सात गुना बढ़ा है और उत्पादन लागत 15 गुनी बढ़ी है। कोई परस्पर तालमेल, कोई परस्पर सामंजस्य समर्थन मूल्य और उत्पादन लागत में नहीं है। हमारे देश में कृषि उत्पादों का जमावड़ा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और इसका प्रमुख कारण यह है कि किसानों की उपज के भंडारण की कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। हमारा उत्पाद न देश में बिकता है, न विदेश में। उसका प्रमुख कारण यह है कि उत्पादन लागत ज्यादा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज यह ऐलान कर देना चाहिए कि हमारे लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखना मुश्किल हो जायेगा, मैं समझता हूं कि इसका हर कीमत पर विरोध होगा।

आपके बजट में सिंचाई पर जिक्र किया गया है। विकास का जो आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है, उसमें सिंचाई का कोई उल्लेख नहीं है। हमारे देश में इस समय सिर्फ 36 प्रतिशत जमीन सिंचित है और शेष जमीन असिंचित है वह प्रकृति के ऊपर निर्भर है। वर्षा अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो जायेगी, वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। जब तक सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हमारे देश में नहीं होगी, तब तक किसान किसी भी कीमत पर खुशहाल नहीं रह सकता। पिछली बार बजट भाषण में यशवन्त सिन्हा जी ने त्वरित सिंचाई का एक कार्यक्रम बनाया था और उसमें दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस बार जो वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है, उसमें 2800 करोड़ रुपये सिंचाई के लिए आबंटित किये गये हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि अब तक जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनको ही अगर ईमानदारी से पूरा करने का काम हो तो सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 82 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जितने धन की आवश्यकता है, उतना धन आबंटित होगा नहीं, सिंचाई का पर्याप्त इन्तजाम नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में किसान किसी भी कीमत पर खुशहाल नहीं रह सकता। हमारे देश में पानी के भण्डारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। देश की बड़ी नदियों का 50 प्रतिशत से भी कम पानी हम प्रयोग में ला पाते हैं। शेष पानी का उपयोग ही नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सिंचाई पर समुचित ध्यान दिया जाए। अगर हमनें सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया, तो किसान की हालत भविष्य में और बिगड़ेगी और फिर आपको किसानों के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा।

इसी सदन में खुद सरकार ने स्वीकार किया था। मेरे पास आंकड़े हैं, विश्व बाजार की तुलना में हिन्दुस्तान में खाद महंगी है। 1997 से लेकर अब तक हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। किसानों को आप महंगी खाद, बिजली, बीज और डीजल देंगे तो उनकी हालत कैसे सुधर सकती है। रासायनिक खाद काफी महंगी है। उसका प्रमुख कारण यह है कि रासायनिक खाद बनाने में जो ईंधन का प्रयोग होता है, वह ज्यादा महंगा है। इसलिए इस समस्या पर भी हमें ध्यान देना होगा।

अभी हमारे मित्रों ने जिक्र किया था कि किस तरह से आपने रसोई गैस और मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाए और किस चालाकी से रसोई गैस के दाम आधे कम भी कर दिए। आज उपभोक्ता पर इस हद तक भार डालना ठीक नहीं है। 9 जनवरी, 2001 को एक अध्यादेश बहुत चालाकी से जारी किया गया। जिसमें एक्साइज ड्यूटी तेल पर बढ़ाई गई। उसमें पेट्रोल पर 32 प्रतिशत से 90 प्रतिशत और डीजल पर 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी 31 मार्च तक बढ़ा दी गई। इस प्रकार सरकार ने 1500 करोड़ रुपए से लेकर 2000 करोड़ रुपए तक इकट्ठा कर लिया, फिर बजट में उसको वापस ले लिया। आप जानते थे कि सदन से स्वीकृति नहीं मिलेगी।

सभापति जी, मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा पिछले वर्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और 1998 में लालकिले के मैदान से हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आने वाले दस वर्षों में दस करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिक्र किया गया था कि हर वर्ष एक करोड़ लोगों को सरकार रोजगार देगी। लेकिन इस बार के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। यशवंत सिन्हा जी, जो बेरोजगारों की फौज देश में खड़ी हो रही है, अगर इनको काम नहीं मिलेगा तो, स्थिति बिगड़ेगी। आज हमारे देश में जो तनाव है, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है, पूरे देश के तनाव के बारे में हम विचार करें तो मैं

दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उसकी जड़ कहीं है, तो वह बेरोजगारी के अलावा दूसरी नहीं है। मैं महात्मा गांधी, डा. लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के देश में हिंसा की वकालत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे माफ करना शिक्षित बनने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद बड़ी-बड़ी डिग्रीयां लेने के बाद अगर देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वे अपने आपको हिंसा के रास्ते पर डाल लेंगे, उनको कोई माई का लाल नहीं रोक सकेगा। लिहाजा इस समस्या की ओर गम्भीर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या में 2.24 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जबकि रोजगार के अवसर एक प्रतिशत बढ़े हैं। आर्थिक उदारीकरण के नाम पर आपने पूरे देश को चौपट कर दिया है। इस रोजगार की समस्या पर सरकार को सोचना पड़ेगा और ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। खगोलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण से देश की जो हालत बना दी गई है, उसमें हिन्दुस्तान के परम्परागत और कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए हैं।

सभापति जी, पिछले समय में अभी डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने शिक्षा को मौलिक अधिकार देने के नाम पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करने की बात कही थी और उसमें हल्का सा संकेत दिया था कि मां-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इसके लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जबकि आकलन के हिसाब से इसके लिए 14000 करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी चाहिए। मौजूदा जो हालत है, उसके हिसाब से 18000 करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी चाहिए। हम शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात करते हैं लेकिन क्या कभी हमने अपने आपसे पूछा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते और परिवार की माली हालत क्या है? उस परिवार के मुखिया के पास कोई रोजगार का साधन है कि नहीं? बच्चे स्कूल कैसे जाएं? मैं अभी अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा कर रहा था। एक सात साल का बच्चा 6-7 महीने के बच्चे को खिला रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो तो वह बोला कि स्कूल कैसे जाएं, मां-बाप खेत में काम करते हैं और इसको खिलाने वाला कोई नहीं है। जब तक यह बड़ा नहीं हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं जा सकता। जिन परिवार के सामने आर्थिक अभाव है, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं तो वे अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे?

हमने श्रम के कानून बनाये। हम बाल-श्रम पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। मैं खुद श्रम मंत्री रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि बच्चों से काम करवाना कैसे रोका जाए? एक परिवार में 80 साल का वृद्ध है और मां बीमारी की शिकार है और आठ साल का बच्चा है। अगर वह बच्चा काम नहीं करेगा तो उस घर में चूल्हा नहीं जल सकता। किस परिस्थिति में उनको काम करना पड़ता है और वे क्यों नहीं स्कूल जा पाते, यह एक बुनियादी सवाल है। इस पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी।

यशवंत सिन्हा जी, बैंकों का 63000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा आज लोगों पर कर्जा बकाया है और पिछली बार जब आपने भाषण किया था तो उसके लिए ट्राईब्यूनल बनाया और ट्राईब्यूनल बनने के बाद 18700 ममले उन ट्राईब्यूनल ने निपटाये। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े सितम्बर, 2001 तक के हैं। यह जो 63000 करोड़ रुपये का बकाया था, इसमें से सिर्फ 3527 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। सरकारी धन की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो यह सरकार कहां जाएगी? ये जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, तिकड़मबाज हैं, इन पर लाखों-करोड़ों रुपया बैंकों का बकाया रहता है और गांवों का गरीब किसान और जिसने कुटीर उद्योग के लिए पैसा लिया, छोटा उद्योग चलाने के लिए पैसा लिया है, अगर उसके पास 3000 या 2000 रुपया बकाया है है तो बैंक उसकी रिकवरी के लिए उसे तहसील जेल भेज देंगे। तहसील में दस परसेंट अलग से लगता है और किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है तथा 14 दिन की तहसील की जेल में अलग से जाना पड़ता है। अमीर आदमियों के खिलाफ कर्जा वसूल करने के लिए प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। उस मामले में आप सख्त नहीं है। जब तक इन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगें, तब तक यह पैसा वसूल नहीं हो सकता है। जहां से दौलत आ सकती है, जहां से प्रयास करके दौलत को निकलवाया जा सकता है, इस पैसे को निकाल कर आप गांव और गरीब पर खर्च नहीं करेंगे, तो देश कैसे तरक्की करेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। मुझे अन्य प्रदेशों के बारे में मालूम नहीं है। 1972 में संभव उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बने थे। उस समय एक ब्लाक की आबादी 50 हजार रही होगी, लेकिन अब वह बढ़ कर बहुत ज्यादा हो गई है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वार्षिक बजट 12 हजार रुपए है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टैकिनिशियन्स, नर्सेज और डाक्टर्स की तनख्वाहें एक महीने की तीन लाख रुपए है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार की बहुत आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए, तो गरीब दोनों तरफ से मर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवायें उपलब्ध नहीं है और एस्कार्ट व अपोलो में जाने की उनकी हैसियत नहीं है कि वे वहां इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवायें बहुत महंगी हो गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सबसे ज्यादा

[श्री रामजीलाल सुमन]

लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। माननीय यशवन्त सिन्हा जी, पिछली बार बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार यह व्यवस्था 105 करोड़ रुपए है। हमारे पास ग्रामीण अंचलों से एम्स में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, देश के कोने-कोने से आते हैं, महीनों तक उनका इलाज चलता है भर्ती के लिए तिथियां मिलती रहती हैं, लेकिन भरती नहीं हो पाते हैं। एम्स में मरीजों की संख्या का अत्यधिक भार है और जैसा मैंने कहा, लाखों लोग एम्स में इलाज कराने के लिए आते हैं, इसलिए इस संस्थान की ओर ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है। कारण यह कि ग्रामीण अंचल की आदमी स्थानीय इलाज कराने के बाद अगर दूर कहीं जाता है, तो एम्स के अलावा दूसरी जगह नहीं है।

अंत में, मैं वित्त मंत्री, माननीय यशवन्त सिन्हा जी, से बेरोजगारी की समस्या पर नम्र निवेदन करना चाहूंगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारी पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र था, उस चुनाव घोषणा पत्र में हमने वायदा किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस पर हमारी पार्टी के अध्यक्ष और इस सदन में दल के नेता, माननीय मुलायम सिंह जी, से बराबर लोग सवाल करते थे कि आप बेरोजगारी भत्ता कहां से देंगे? मोटा-मोटा हिसाब हमारे मित्रों ने लगाया कि पिछली बार जब बीजेपी सरकार थी, तो उसमें 100 मंत्री थे और निगम के अध्यक्षों को मिलाकर 200-250 लोग होंगे। वास्तविक संख्या मैं नहीं जानता हूं। यह जो फिजूलखर्ची और अय्याशी है, अगर इस पर अंकुश लग जाए तो बेरोजगारों के साथ काफी हद तक इंसाफ हो सकता है। यशवंत जी, किसानों के कल्याण के लिए, श्रमिकों के साथ इंसाफ करने के लिए, परम्परागत उद्योगों को बचाने के लिए अगर कोई सरकार सार्थक पहल नहीं कर सकती तो उस सरकार के बजट का कोई अर्थ नहीं है। यह बजट जन-विरोधी है, इसलिए मैं इसकी आलोचना करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किरीट सोमैया: सम्माननीय सभापति जी, आप महाराष्ट्र से आए हैं, इसलिए मैं जिस कहावत से प्रारम्भ करने जा रहा हूं उसे आप समझ पाएंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): कृपया स्पष्ट कीजिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: मैं स्पष्ट करूंगा मराठी में कहावत है- ''निन्दक काचे घर हवे सेजारी'' इसका मतलब है कि निन्दा करने वाले व्यक्ति अपने घर के पड़ौस में रहने वाला होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): इसलिए आप यशवंत जी के पड़ौस में हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: आप मंत्री जी की ज्यादा तारीफ मत करिए, उससे आपको ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: यहां ये भले ही तारीफ कर दें, बाहर तो कैंची चलाते हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़): एक 80 साल के बूढ़े का आठ साल का बेटा है। मैं सोच रही थी कि उसका आठ साल का बेटा कैसे हो सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि अगर इतने अच्छे पड़ौसी हों और वे इतनी अच्छी निन्दा करते रहें तो उसके कारण सरकारी पक्ष भी जागरूक रहता है। इस प्रकार का चित्र यहां हमारे मित्र और विरोधी पक्ष के लोगों ने रखा। मुझे उसके ऊपर एक उदाहरण याद आता है-एक शिष्य की पढ़ाई पूरी हुई, वह गुरु के पास गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है मैं गांव जाऊं और वह गांव चला गया। वहां जाकर उसने चौराहे पर पेड़ के नीचे एक सुन्दर, अच्छा चित्र निकाल कर रखा, उसके नीचे काला चौक रखा और लिखा कि अगर इस चित्र में आपको कहीं कोई त्रुटि, कमी या बुराई दिखाई दे तो आप इसके ऊपर मार्किंग करिए। दूसरे दिन शाम को वहां पहुंचा तो पूरा चित्र काला था। किसी को लगा नाक अच्छी नहीं है, किसी को लगा कान ठीक नहीं है, अंगुलियां बराबर नहीं हैं। वह शिष्य गुरु के पास चला गया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं आता। गुरुदेव ने कहा कि वत्स, तू वापस वहां पर जा। शिष्य फिर से वहीं पर गया और वहां जाकर वही चित्र रखा, लाल चौक रखा और नीचे लिखा कि अगर आपको इस चित्र में कुछ अच्छा नजर आए तो आप इसके ऊपर मार्किंग करिए। दूसरे दिन पूरा चित्र लाल था-किसी को लगा नाक बहुत अच्छी है, किसी को लगा पैर बहुत सुन्दर हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखने की दृष्टि में अंतर है। यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों को लगता है कि पूरा बजट, अर्थ तंत्र काला ही काला है, लेकिन देखने के लिए दृष्टि चाहिए।

अभी मेरे सीनियर सहयोगी सुमन जी बोल रहे थे कि 57 हजार करोड़ का एनपीए, बड़े-बड़े लोगों को यशवंत जी ने पैसा दिया और वापस वसूल नहीं कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा और अंदर जाते तो इन्हें पता चलता कि एनपीए कौन से समय का है। यह बैंक ने कर्जा कब दिया था।

सायं 6.00 बजे

मैं होता तो कहता कि एनपीए का अर्थ यह होता है कि तीन से पांच साल के कर्जे की किश्त नहीं दी तो एनपीए बनता है। इसका अर्थ यह है कि जब आपने बड़े-बड़े पूंजीपतियों को कर्जा दिया तब उसके कारण यह एनपीए बना।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे सभा की सहमति लेनी होगी। यहां अनेक वक्ता हैं. इसलिए समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या हम 8 बजे तक समय बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: हम सभा का समय दो घंटे बढ़ाते हैं। समय आठ बजे तक बढ़ाया जाता है। लगभग 15 और वक्ता हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: सभापति जी, माननीय मणिशंकर अय्यर जी कह रहे थे कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने ग्राम सड़क योजना बनाई और उदाहरण दे रहे थे स्थानीय समिति का और कह रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी फार रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट में फिगर आई कि 1 लाख 53 हजार करोड़ रुपया गांवों की सड़कों को पूरा करने के लिए, बनाने के लिए लगेंगे तथा कह रहे थे कि माननीय वित्त मंत्री जी कितना पैसा देंगे। मैंने उस समय टोका नहीं। मैं कहने वाला था कि यह बात आप गर्व के साथ कह रहे हो या शर्म के साथ कह रहे हो। देश को आजाद हुए 55 साल हो गये और उसमें से 46 साल तक आपकी या आपके सहयोग से चलने वाली सरकारें थीं, हमारी सरकार को तो केवल चार साल ही पूरे हुए हैं। ये 1 लाख 53 हजार रुपये के रास्ते जो बनने बाकी रह गये हैं, इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए थी। मैं वास्तव में यह कहने वाला था कि किसी चीज को देखने की दृष्टि चाहिए। अगर सही देखने की दृष्टि होती तो यह कहा जाता कि

[अनुवाद]

20 वर्षों में मुद्रास्फीति 1.16 प्रतिशत न केवल पहली बार है बल्कि यह लगभग एक वर्ष से स्थिर बनी हुई है।

[हिन्दी]

एनडीए की सरकार वर्ष 1998 में बनी। उस समय मुद्रास्फीति की दर 8 प्रतिशत से कुछ ज्यादा थी।

[अनुवाद]

1991 में यह कितनी थी? यह मुद्रास्फीति दो अंकों में थी।

[हिन्दी]

वह किसी ने नहीं कहा। किसी ने यह नहीं कहा कि फूड प्रोडक्शन 60 मिलियन टन हो गया।

[अनुवाद]

दो वर्ष पहले, हमारे पास 34 बिलियन अमरीकी डालर थे। फिर पिछले वर्ष ये 43 बिलियन डालर हो गए। इस वर्ष 50 बिलियन डालर को पार कर गए हैं।

[हिन्दी]

क्या यह प्रगति नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे। रुपए का मूल्यह्रास 2 प्रतिशत से कम है। क्या रुपये की कीमत घिसटती जा रही है, क्या यह सब 10 साल में नहीं हुए हैं। दस-पन्द्रह साल पहले एक रुपये की कीमत 16 रुपये थी तो देखने की दृष्टि चाहिए। आज सरकार ने आम किसान को महत्व देने का प्रयत्न किया है। मुझे लगता था कि 100 करोड़ किसानों के लीडर इसकी प्रशंसा करेंगे। आप बताइये कि यह 64 हजार करोड़ का एग्रीकल्चर क्रैडिट वित्त संस्थाओं और बैंकों के द्वारा किसने उपलब्ध करके दिखलाया। ये पांच वर्ष पहले 44,000 करोड़ से कम था। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 75,000 करोड़ का है। किसान क्रैडिट कार्ड योजना आम किसान के लिए, छोटे किसान के लिए है, बड़े किसान के लिए नहीं है। जब यह दो वर्ष पहले शुरू किया गया था, यह 46 लाख से शुरू किया गया था और इस वर्ष यह दो करोड़ को पार कर गया है। यह किसके लिए है, किसानों के लिए हैं। किसानों को हमने क्या नहीं दिया। किसान के उत्पादन को कोल्ड-स्टोरेज में रखने के लिए, क्राप इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कारपोरेशन को 2500 करोड़ देना, ये अलग-अलग योजनाएं इस सरकार ने की हैं।

माननीय सभापति जी, चीजों को देखने की यह एक दृष्टि है।

[अनुवाद]

आज विश्व की अर्थव्यवस्था क्या है? मेरे मित्र श्री मणि शंकर अय्यर भारत की तुलना चार वर्षों, पांच वर्षों या 10 वर्षों पहले के तथा कथित नेताओं और इन सब चीजों से कर रहे थे। वे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के विकास का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ तूलना कर सकते हैं।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

आज पूरे संसार में रिसेशन है और सभी जानते हैं कि आज विश्व में हालात क्या है।

[अनुवाद]

जर्मनी की विकास दर 2001 में मात्र 0.6 प्रतिशत थी। अमरीका में यह 1.1 प्रतिशत थी, जबकि जापान में यह 0.4 प्रतिशत थी। लेकिन भारत में, इस वर्ष हम 5.4 प्रतिशत विकास दर को पार कर गए हैं।

[हिन्दी]

यह काम हो सकता है। इसमें और गति आनी चाहिए थी। गति आयेगी और ग्रोथ-आरिएंटेड अर्थव्यवस्था होगी और उससे सभी को फायदा होगा।

मैं इससे सहमत हूं। एग्रीकल्चर ग्रोथ नैगेटिव होने जा रहा था। चाहे यह कृषि हो, चाहे यह मूलभूत ढांचा हो, चाहे यह सड़क मार्ग हो अथवा चाहे यह विद्युत हो। उन पर आज पैसा लगाया और कल उत्पादन और ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, यह सम्भव नहीं है। इसके लिए 5 साल 10 साल और 20 साल की लौंग टर्म इंडस्ट्रियल पालिसी, एग्रीकल्चर पालिसी, फाइनेन्स पालिसी चाहिए। हमारी सरकार के आने के बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.5 परसैंट हुआ। इसका कारण यह है कि गए दो साल में किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए और आम किसानों को ऋण के रूप में मिलने वाली राशि को बढ़ाया गया। इसलिए कृषि में विकास दर 4.5 प्रतिशत को पार कर गया है। हजार करोड़ रुपए ग्रामीण लोगों को इस साल ज्यादा उपलब्ध होने वाले हैं। निवल आय, 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी और यह सीधे-सीधे अर्थव्यवस्था में जाएगी। इससे उपभोक्ता के हाथ में पैसा आएगा। वह इसे इकानोमी में लगा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यह अनुमान लगाया है कि हमारी कुल औद्योगिक विकास दर लगभग 6.5 प्रतिशत रहेगा। यह अनुमान न केवल भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है बल्कि विश्व बैंक ने भी यही अनुमान लगाया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: यह किसान की दशा का वर्णन चार्टर्ड एकाउंटैंट के नजरिए से है, हकीकत के नजरिए से नहीं।

श्री किरीट सोमैया: मैंने इस बारे में पहले ही उदाहरण देकर बताया कि देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए। अगर किसी को पीलिया होगा तो उसे सब पीला दिखायी देगा।

ग्लोबलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, इंडस्ट्रिलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की बहुत बात की जाती है। जब भी ऐसा बात होती है तो इन पर चर्चा भी की जाती है। आप इसकी जरूर चर्चा करें। हमने कभी शिकायत नहीं की। डब्ल्यू.टी.ओ. और वैश्वीकरण के समझौतों पर तथा उदारीकरण पर किसने हस्ताक्षर किए थे। मनमोहन सिंह जी या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद यूनाइटेड डैमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। ठीक है मजबूरी हो सकती है। लेकिन कभी यह सोचा कि एक दूसरे पर टीका-टिप्पणी करने से क्या होना वाला है? क्या इस प्रकार की एक चुनौती हम समाज में निर्माण नहीं कर रहे हैं? डब्ल्यू.टी.ओ. है तो है, यह वास्तविकता है। अब इसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमें इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और इसे एक अवसर के रूप में समझना पड़ेगा।

जिस पार्टी की जहां भी राज्य सरकार है, वहां क्या परिस्थिति है? आप यहां बैठ कर एक भाषा बोलते हैं और अपने राज्य में दूसरी भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में देख सकते हैं। जहां मुख्य मंत्री उदारीकरण, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। दोहरी नीति क्यों अपनायी जाती है? ऐसा करके क्या आप देश का हित कर रहे हैं? डब्ल्यू.टी.ओ. पर आपने हस्ताक्षर किए लेकिन प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस बार एक्साइज ड्यूटी का रैशनलाइजेशन करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के बारे में बहुत बातें हो रही है। मैंने हिन्दुस्तान लीवर, कोलगेट और दूसरी कम्पनियों के विज्ञापन देखें। उन्होंने कहा कि फर्स्ट मार्च के बाद यह बजट लागू होने के कारण एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई है। साबुन, शैम्पू से लेकर हर चीज के पदार्थ एक रुपए से सात रुपए कम हो गए। चाय के दामों में कमी हुई है। इसे एक रुपया प्रति कि.ग्रा. तक कम किया गया है।

सायं 6.09 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

मणिशंकर जी राजमार्गों की बात कर रहे थे। चार शहरों को जोड़ने वाला सपना आज तक लोगों को स्वप्न दिखायी देता था। नेशनल हाईवे का प्रोजैक्ट किसने बनाया? आपने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। हम इस सपने को साकार कर रहे हैं। दिसम्बर, 2004 में सात हजार करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट पूरा होने वाला है। वह 31 दिसम्बर को पूरा होने जा रहा है। वास्तव में लिबरलाइजेसन के फायदे और नुकसान दोनों हैं। आज इंटरस्ट रेट कम हो रहा

है। इससे कुछ वर्ग के लोगों को नुकसान होने वाला है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो सीनियर सिटिजन और सैलरीड क्लास है, उनकी सेविंग के लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए क्योंकि भारत की संस्कृति बचाने की है। वैस्टर्न कल्चर क्रैडिट कार्ड कल्चर वाला है। वह कमाता बाद में है और खर्च पहले करता है। हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि हम पैसा बचाते हैं। हम पैसा खुद के लिए नहीं अपनी संतान के लिए बचाते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा बचाते हैं। इसलिए हमें बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मध्यम वर्ग की बात निकलती है तो क्या मध्यम वर्ग को क्या कम बैनिफिट्स मिलते हैं? इंटरैस्ट रेट्स की बात हुई तो वह हायर इंस्टालमैंट पर टी.वी. से लेकर अनेक चीजें खरीदता था। मैंने भी कर्जा लिया था।

[अनुवाद]

आपने इसके बारे में सोचा। चार वर्ष पहले ब्याज क्या थी। हम 21 प्रतिशत से भी अधिक अदा कर रहे थे। 1994-95 में हमने भी भाटक-क्रम या किश्तों पर टेलीविजन खरीदा था। हमने ऋण लेकर घर खरीदे हैं। ब्याज की दर 20 प्रतिशत थी। आज कम है। 13 परसैंट इंटरैस्ट रेट कम होने से दोनों को बैनेफिट होगा।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने एंटी-एड्स मैडिसन्स पर एक्साइज ड्यूटी कम की है और इसके लिये उनका अभिनन्दन करना चाहूंगा। इसके साथ ही जहां तक फारेन एक्सचेंज रिजर्व की बात है, मेरे पास इंडियन रुपीज की जो फिगर्स आई हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा।

[अनुवाद]

31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 1,55,000 करोड़ रुपए था; 31 मार्च 2002 को यह 1,84,000 करोड़ रुपए था; 31 मार्च, 2001 को यह 2,04,000 करोड़ रुपए था और 31 मार्च 2002 को यह 2,41,000 करोड़ रुपए था।

[हिन्दी]

जब से माननीय यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री बने हैं, वे मैंने आंकड़े पढ़कर सुनाये। जब उन्होंने शपथ ली थी तो फारेन एक्सचेंज रिजर्व आलमौस्ट निगेटिव था लेकिन वह रिजर्व एक लाख 55 हजार करोड़ का था, बढ़कर 2 लाख 41 हजार करोड़ तक हो गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक अच्छा बजट पेश कर इकौनौमी ग्रोथ देने का प्रयत्न किया है। मैं वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इन्होंने पावर सैक्टर में ज्यादा इनफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। प्रमुख क्षेत्र के विकास में स्पष्ट सुधार किया है। पिछले साल ग्लोबलाइजेशन के कारण कोर सैक्टर में जो रिसैशन था।

[अनुवाद]

इस वर्ष पेट्रोलियम वस्तु जो 6.5 प्रतिशत तक जा रही थी, 10.1 प्रतिशत तक बढ़ना शुरू हो गई हैं। कोयला उद्योग ने 1.7 से 5.2 प्रतिशत तक वृद्धि दर्शाई है। 2002 के जनवरी, फरवरी माह में समग्र विकास 1.6 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गई है।

[हिन्दी]

सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने एल.पी.जी. का रेट कम किया। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि कम्पीटीशन में इसका जरूर फायदा होता है जिसे हमने कम्युनिकेशन्स में देखा है। श्री दासमुंशी ने कई बार अपने भाषण में कहा है कि कम्युनिकेशन में भ्रष्टाचार है, ये देश को बेच रहे हैं, यह होगा, वह होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या आई.एस.डी., एस.टी.डी. और इंटरनैट के रेट्स कम नहीं हुये हैं? आज से तीन साल पहले दिल्ली-मुम्बई एक मिनट के लिये 80 रुपये लगते थे जो आज घटकर केवल 9 रुपये रह गये हैं। पहले यू.पी. से आये हुये कामगार अपने घरों में बात नहीं कर सकते थे लेकिन आज रेट कम होने से वे खुश हैं।

सभापति जी, मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने पैट्रोल प्रोजैक्ट पर लिबरल चार्ज किया है जिसे चालू रखना चाहिये अर्थात् सब्सिडी की कटौती धीर-धीरे करें। सभी ने इसकी प्रशंसा की है। आपने देखा है कि पेट्रोल का दाम एक रुपया लीटर और डीजल का 50 पैसे प्रति लीटर रेट कम कर दिया है। इसी प्रकार कम्युनिकेशन सैक्टर में किया गया है। आप देखेंगे कि आने वाले दो साल में पेट्रोल का दाम 4 से 5 रुपये प्रति लीटर के नीचे जा सकता है। कम्पीटीशन के कारण लोग ज्यादा कार्य-क्षमता दिखाते हैं लेकिन मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस और खींचना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

जब हम विभिन्न क्षेत्र खोल रहे हैं, हम उदारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर हमें विदेशी निवेश के बारे में सावधान रहना चाहिए।

[श्री किरीट सोमैया]

आपने एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. की जो प्रोपोजल्स रखी हैं, यह बहुत रिस्की मार्ग है एफ.आई.आई. और लाबी करने वाले निश्चित रूप से विभिन्न दलों और नेताओं से तथा विभिन्न उद्योगों से सम्पर्क करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

इन्हें आप खोल दो और यह सरकार की नीति है कि कम्युनिकेशन्स, इंश्योरेंस, फाइनेंस, डिफेंस में भी है। हालांकि चीन में नहीं खुला है अनेक देश हैं जैसे अमरीका में है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां 40 प्रतिशत से अधिक एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं है।

एफ.आई.आई., एफ.डी.आई. का हिस्सा है। हम उसका व्यतिक्रम नहीं कर सकते। आपके पास लाबीस्ट आयेंगे और कहेंगे कि यहां एफ.डी.आई. का महत्व क्या है। अगर आप 49 परसेन्ट एफ.डी.आई. में रखोगे और एफ.आई.आई. के द्वारा 25 परसेन्ट और ले लो तो निश्चित रूप से वह फारेन कम्पनी हो जायेगी। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं जब हम यह रास्ता खोल रहे हैं तो हमें इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आपने बाई-बैक की एक नई पालिसी शुरू की है। यह आपने अच्छी भावना से किया है इससे कैपिटल मार्केट को पुश मिलेगा। लेकिन अनुभव यह है कि बाई-बैक का मल्टी-नेशनल्स दुरूपयोग कर रही है।

[अनुवाद]

पच्चीस बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बम्बई स्टाक एक्सचेंज में आवेदन दिया है और वे सूची से हटना चाहती हैं। क्या होगा, कैडबरी कम्पनी यहां चाकलेट बनायेगी, चाकलेट हम और आपके बच्चे खायेंगे और उसका प्राफिट इंग्लैंड में बैठे हुए उसके शेयर होल्डर्स ले जायेंगे। यह एक जोखिम भरा मार्ग है। इसलिए मेरा सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध है। जिस प्रकार से आपने बाई-बैक की पालिसी ओपन कर दी है। चीन और अनेक दूसरे देशों में 26 प्रतिशत स्वदेशी निवेश अनिवार्य है। एक ओर अभी हिन्दुस्तान लीवर ने एफ.आई.आई. 49 परसेन्ट तक करने का ऐलान कर दिया है तो यहां के स्माल इन्वैस्टर्स के हाथ में क्या आयेगा। एक ओर आपने स्माल इनवैस्टर्स प्रोटैक्शन फंड बनाया है, अच्छी बात है। मैं इसकी अवश्य प्रशंसा करूंगा। पहली बार भारत में ऐसा हुआ है। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने स्माल इनवैस्टर्स प्रोटैक्शन एक्ट बनाने का ऐलान है। लेकिन साथ-साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कि वित्तीय संस्थाओं और मनीनीत निदेशकों की भूमिका के बारे में है सरकार किसी की भी हो सकती है; सरकार किसी भी दल की हो सकती है और यह किसी भी क्षेत्र की सरकार हो सकती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात या भारत की सरकार की हो सकती है:- लेकिन वित्तीय संस्थाओं की भूमिका और विभिन्न सरकारों के मनोनीत निवेशकों की भूमिका पर एक बार चर्चा की जानी चाहिए। किस प्रकार से ये रोल प्ले कर रहे हैं। चाहे वह फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन एल.आई.सी. हो, आई.डी.बी.आई. हो। पिछले दिसम्बर में लार्सन एंड टूब्रो के बैकडोर टेक ओवर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था। एल. एंड टी. तथा यू.टी.आई. ने किस प्रकार से रोल प्ले किया। क्या वे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है? क्या वे आम आदमी के प्रति जवाबदेह नहीं है? वे बिजनेसमैन के साथ मिलकर अगर कम्पनी पीछे के दरवाजे से बेचने का प्रयत्न करेंगे, आई सी आई सी आई और आई सी आई सी आई बैंक का मर्जर हो रहा है, उसके स्वैप रेश्यो क्या है। 34 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं की धारिता 17 प्रतिशत तक कम ही जाएगी और इस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो नोमिनी डायरेक्टर हैं, उनका रोल चैक होना चाहिए। उसी के साथ-साथ जो टेकओवर कोड का प्रोविजन है, चार साल से सेबी ने टेकओवर कमेटी कोड बनाकर रख दिया, लेकिन वे अनाउन्स नहीं कर रहे हैं, फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं और उसके कारण बैकडोर से ये सब काम हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने बाई-बैक की बात करते समय कहा एक ओर मल्टी-नेशनल्स अच्छी कम्पनीज बाई-बैक कम करके डीलिस्टंग इश्यू कर रही है और दूसरी ओर जो अच्छी-अच्छी इंडियन कम्पनीज हैं, वे ए.डी.आर. और जी.डी.आर. लगातार फारेन में अपना इश्यु डिक्टेट कर रही हैं। लेकिन इसके कारण इंडियन मार्केट में एक वैक्युम क्रिएट होने की संभावना है।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आई.टी. इंडस्ट्रीज को हिन्दुस्तान में बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसके कारण आई.टी. ने हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में नाम कमाया है। हमें एक उद्योग का और अधिक ध्यान रखना चाहिए जहां भारत के लिए पर्याप्त अवसर है और वह है औषध-निर्माण उद्योग। मैंने आपको एड्स की दवाई का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो एड्स की मैडिसन भारत में बनती है उसकी पर मन्थ, पर कस्टमर कास्ट 3500 रुपये आ रही है। आपने उसमें 16 परसेन्ट एक्साइज के कम कर दिये, जिसके कारण उसमें 700 रुपये कम हो गये। वही मैडिसन अमरीका और इंग्लैंड में 75000 रुपये की है। भारतीय औषध-निर्माण कम्पनियों के लिए पर्याप्त अवसर है। इसलिए हमें आई.टी. पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आई.टी. पर ध्यान देते समय फार्मास्युटीकल कम्पनीज का इंडिया में बहुत स्कोप है। इंडिया में सिपला, रैनबैक्सी आदि कितनी टक्कर ले रही हैं। फार्मास्युटीकल कम्पनीज ने जो दो-चार रिक्वैस्ट्स की हैं, वह मैं

आपके सामने रखना नहीं चाहता हूं। लेकिन बेसिकली कोई रिसर्च करना चाहता है तो उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से टैक्स स्लैब्स को आपने उतना ही रखा है, यह प्रशंसनीय है। लेकिन साथ-साथ जो टैक्स की चोरी कर रही हैं, ऐसी कम्पनियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने देखा कि मारीशस रूट का ओसीबी ने जिस तरह से मिसयूज किया, 700 ओसीबी मारीशश द्वारा रजिस्टर हुई और पूरे इंडिया की इकोनामी का उन्होंने सत्यानाश करने का प्रयत्न किया। ओसीबी की क्या परिभाषा है? परिभाषा के अनुसार एक ओसीबी में भारतीय मूल के व्यक्ति या अनिवासी भारतीय की 60 प्रतिशत शेयर धारिता होनी चाहिए। जो डैफिनिशन बनाई है, यशवंत सिन्हा जी ने नहीं बनाई है, लेकिन जिसने भी चार-पांच साल पहले बनाई होगी, शायद उसके ध्यान में नहीं होगा। आप जानते है कि बेईमान प्रवर्तकों ने इस प्रावधान का किस तरह दुरूपयोग किया है कि भारतीय मूल के व्यक्ति की 60 प्रतिशत शेयरधारिता होनी चाहिए। उन्होंने पेड अप कैपिटल कितनी रखी-2 डालर, और 2 डालर में ओसीबी बना दी और 700 कंपनियां हैं। मेरे पास डीटेल्स हैं। मारीशश में उनकी जो कैपिटल है, उसमें एक कमरे में 155 ओसीबी रजिस्टर हुई हैं। अर्थात्, आपने ओसीबी रूट बंद किया है लेकिन साथ-साथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इंडियन कंपनीज भी अपनी सब्सिडीज वहां पर खोलकर टैक्स हैवन का वहां पर जिस प्रकार से उपयोग कर रही हैं, उससे नुकसान यह हो रहा है कि जो इंडियन ओनर कंपनीज हैं, उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है और उसके लिए वह चीज भी हमें प्लग करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा है। जैसे आपने डिविडेन्ट टैक्स वापस लागू किया। उसमें दो मत हो सकते हैं। एक ओपीनियन ऐसा था कि हमने इसे फिर से क्यों शुरू कर दिया? लेकिन जो कल्पना है उसको भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो इंडियन कंपनीज के प्रमोटर्स हैं, जो टोटली 30 प्लस स्लैब में हैं, 30 परसेंट जिनको टैक्स भरना पड़ता है, डिविडेन्ड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स के कारण उनको सिर्फ 10 प्रतिशत टैक्स भरना पड़ता था। जो प्रमोटर्स हैं जिनका लाभांश आय 50 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए से अधिक है, तो उन्हें 20 प्रतिशत कर लाभ क्यों दिया जाए?

सायं 6.21 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* **हुए]**

[हिन्दी]

इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं लेकिन आपने जो घोषणा की है कि छोटे-छोटे इनवैस्टर हैं, उनको हर साल टीडीएस सर्टिफिकेट जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि इस बारे में आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन करें क्योंकि बहुत अच्छा है कि जो स्माल आनैस्ट टैक्स पेयर है उसको नुकसान कम होगा कैपिटल मार्केट रिफार्म्स के बारे में भी आपने बात की है। आपने यूनिट ट्रस्ट होल्डर्स के छोटे-छोटे निवेशकों को समर्थन दिया जो एन.ए.वी. कम हो गई थी, जो पैसा था केन्द्र सरकार ने मान्य किया, आपने इस बजट में भी यू.एस. 64 में जो डैफिसिट था उसका भी आपने प्रोविजन किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले 10-20 सालों से इस सदन में अनेक बार डिसकशन हुआ है कि जिस प्रकार से यूटीआई और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स को अनस्क्रुपलस प्रमोटर्स कार्पोरेट कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर वह अपने स्वार्थ के लिए पैसा यूज करते हैं, हर वस्तु चर्चा होती है कि यू.टी.आई. को स्वतंत्र किया जाए। यू.टी.आई. अधिनियम में संशोधन किया जाए। आपने घोषणा की है मैं स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस बार कम से कम आप यू.टी.आई. एक्ट को अमेन्ड करके उसको बाकी मुचुअल फंड के बराबर बना देंगे। लेकिन साथ में एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि यू.टी.आई. की जो मंथली इनकम प्रोग्राम है, यहां एक करोड़ से अधिक निवेशक हैं। वे भी मध्य वर्ग, वेतन भोगी वर्ग के लोग हैं। और एम.आई.पी. की जो एन.ए.वी. है, वह सात-आठ रुपया है। एश्योर्ड रिटर्न स्कीम है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि जैसे यू.एस. 64 के लोगों को आपने जो मदद की है, उसी प्रकार से आप इन लोगों की भी सहायता करेंगे। अंत में सभापति जी, मैं आपके सामने इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सबसे जरूर कुछ लोगों के मन में कटुता निर्माण हुई होगी, कुछ लोगों को लगा होगा कि हमें ठेस पहुंचती है लेकिन फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक लंबा दृष्टिकोण रखा है। टोटल रिफार्म्स को आगे ले जाते हुए एक क्लैरिटी लाने का प्रयत्न किया है। साथ में छोटे और आम आदमी की रक्षा करने और संतुलन करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनन्दन करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज सिर्फ चार वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन ढाई साल के बाद फिर जब चुनाव होंगे और वापस पांच साल के लिए आप जब यहां चुनकर आएंगे और यहां जो बजट को नई दिशा दी है, उसका फल उस समय दिखेगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मणि शंकर अय्यर जी नहीं थे, उनके लिए फिर से दोहराता हूं कि मैंने प्रारंभ में एक मराठी कहावत कही थी कि-''निन्दकाचे गर हवे तेझारि'' जिसका अर्थ है कि निन्दा करने वाले का घर पड़ोस में होना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसे माननीय वैको जी ने अभी माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय अटल जी का अभिनंदन किया कि उनकी सरकार के चार साल पूरे हो गए। उसी प्रकार से मैं माननीय मणि शंकर अय्यर जी और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपको भी विपक्ष में रहते हुए चार साल हो

[श्री किरीट सोमैया]

गए और कम से कम हमारी सरकार में तो आपको विपक्ष में पूरे चार साल हो ही गए हैं। मेरी शुभेच्छा है कि इसी प्रकार आप विपक्ष में बैठकर कम से कम 10 वर्ष तक अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पांचवां आम बजट है। मैं उन्हें पांचवीं बार बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मेरे पास श्री सिन्हा के सभी पांचों बजट भाषण हैं। यदि हम उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए इन सभी पांचों बजटों का विश्लेषण करें तो हमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा की स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। यह गरीबों की सरकार नहीं हैं। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सरकार है, यह हितबद्ध लाबी की ओर निगमित निकायों की सरकार है। यह सरकार हमारे देश के गरीबों और मेहनतकशों के लिए नहीं है।

महोदय, बजट में किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए हैं। केवल कुछ ही वायदे पूरे किए गए हैं और उन्हें भी आधा-अधूरा ही पूरा किया गया है। उद्योग, कृषि और स्टाक मार्केट में विकास, हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों को परिलक्षित करता करता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। कठोर आर्थिक स्थिति ने सभी वर्गों के लोगों के मन में घबराहट पैदा कर दी है। लेकिन इसके पुनरुद्धार का कोई संकेत नहीं है।

महोदय, श्री किरीट सोमैया के भाषण को सुनते समय मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं अथवा विदेश में रह रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या श्री किरीट सोमैया भारत में रहते हैं या और कहीं। उन्होंने हमारे देश की बहुत ही उज्जवल तस्वीर चित्रित की है। यहां तक कि वित्त मंत्री ने भी इस सम्मानीय सभा में ऐसा भाषण नहीं दिया होगा। मैं जब उनकी बात सुनी मैं चकित रह गया।

महोदय, दूसरे पक्ष से प्रत्येक वक्ता ने 11 सितम्बर की घटना और इसके परिणामस्वरूप विश्वव्यापी मंदी तथा संयुक्त राज्य अमरीका की आर्थिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। अमरीका अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में व्यस्त है। वह उस मंदी से उबर गया है। लेकिन हम आज भी आर्थिक मंदी का बात कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि विश्व भर में आर्थिक मंदी है। क्या यह आर्थिक गतिविधियों में आई मंद गति का एक मात्र कारण है। क्या यह हमारी आर्थिक मोर्चे पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मंदी का एक मात्र कारण है?

प्रश्न यह है कि क्या हम इन सभी चुनौतियों का सामना करने और इस स्थिति से उबरने में सक्षम होंगे अथवा नहीं। प्रश्न यह है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस चुनौती का सामना करने में सक्षम होगी और हमारे देश के निर्धनों और दलितों को खुशहाली प्रदान करने में समर्थ होगी। सरकार के सामने यही चुनौती है, प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इसके लिए कोई रास्ता दिखाया है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और सरकार द्वारा उन निर्धन लोगो, जो हमारे देश में सुदूर गांवों में रह रहे हैं, के जीवनयापन की दशाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि विशेषरूप से वित्तमंत्री और सामान्यत: यह सरकार इस संबंध में पूरी तरह विफल रही है।

महोदय, बजट प्रस्तुत करना निरर्थक हो गया है क्योंकि बजट देश के लिए घरेलू अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में विफल रहा है। श्री मणिशंकर अय्यर ने ठीक ही कहा है और इन सभी पहलुओं को स्पष्ट किया है।

महोदय, आर्थिक परिदृश्य सुस्पष्ट बन जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था की केवल तभी समीक्षा की जाएगी जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निवेश में वृद्धि होगी। दुर्भाग्य से, सरकार ने इस पहलू को कोई प्राथमिकता नहीं है। विकास दर में गिरावट आई है। ऐसी विकास दर से भारत जैसे देश को कोई मदद नहीं मिलेगी। श्री किरीट सोमैया ने अर्थव्यवस्था की बहुत ही उज्जवल तस्वीर चित्रित की थी। यदि सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है तो भी 5.4 प्रतिशत की इस विकास दर को हमारे देश द्वारा हासिल किया जा सकता है। क्या भारत अपनी भारी सम्भावना से इस विकास दर को बढ़ावा दे सकता है। यदि यह दर 6 प्रतिशत से अधिक रहती है तो इससे आम व्यक्ति को कुछ संतोष मिल सकता है। केवल अच्छी विकास दर से अधिक रोजगार के अवसर, बेहतर मूलभूत ढांचा, वस्तुओं की बेहतर उपलब्धता और सेवा जिससे आज देश में सामान्य नागरिक वंचित है, प्राप्त होगी।

श्री किरीट सोमैया कह रहे थे कि बुनियादी टेलीफोन सुविधा सम्पूर्ण देश में उपलब्ध कराई गई है। मैं उस समाचार का उल्लेख करना चाहता हूं श्री प्रमोद महाजन, संचार मंत्री को मूलभूत फोन प्रचालन कम्पनियों के साथ बैठक में यह सुझाव देते हुए प्रकाशित किया गया था कि सरकार उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है यदि उन्होंने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का अपना दायित्व पूरा नहीं किया। मंत्री ने इस कार्य की निगरानी हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया है। मैं इसके और विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। 2002 तक, इन कम्पनियों को 28,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने थे। लेकिन उन्होंने अब तक 639 ही कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। क्या यही उपलब्धि है

श्री सोमैया, जिसकी आप डींग मार रहे थे। क्या यही तस्वीर आप सम्पूर्ण देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे? जबकि आपके मंत्री श्री प्रमोद महाजन, अपना दायित्व पूरा न करने के लिए निजी फर्मों को चेतावनी दे रहे थे फिर आप स्थिति की उज्जवल तस्वीर को कैसे चित्रित कर सकते है?

निम्न विकास दर और उच्च राजकोषीय घाटा इस सरकार का अंशदान है। वित्त मंत्री ने वायदा किया था कि राजकोषीय घाटे को कम किया जाएगा। क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं? वे दसवीं योजना अवधि में आठ प्रतिशत विकास दर की डींग मार रहे थे। इसे कैसे हासिल किया जाएगा? मैं माननीय वित्त मंत्री से सभा को इस बात की जानकारी देने का अनुरोध करता हूं कि वे दसवीं योजना अवधि में आठ प्रतिशत की विकास दर को कैसे हासिल करने जा रहे हैं?

कांग्रेस पार्टी हमेशा ही आर्थिक सुधारों की हिमायती रही है। इसी कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक सुधार शुरू किए थे। पूरे विश्व में बदलाव आया है। हम इससे अलग नहीं रह सकते। हमें बदलते विश्व के साथ अपने आपको बदलना है। हमें अपने आप में सुधार लाना है। लेकिन इन सुधारों को मानवीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। विगत में जिन देशों ने इस सिद्धान्त का अनुपालन नहीं किया है वे अब परेशान है। कतिपय अफ्रीकी और लैटिन अमरीकी देश इसके कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सुधारों के पक्ष में है, लेकिन सुधारों के लाभ इस देश के गरीब लोगों को मिलने चाहिए। उदारीकरण की प्रक्रिया से इस देश के उन गरीबों और दलितों को मदद मिलनी चाहिए. जिनके पास ऐसे मामलों में कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। क्या उन्हें इन लाभों से उनका उचित हिस्सा मिल रहा है? प्रश्न यह है।

मैं यहां एक आदर्श उदाहरण देना चाहता हूं। बजट भाषण के पैरा 162 के माध्यम से एक विसंगति को ठीक करने के नाम पर विदेशी कम्पनियों को आठ प्रतिशत रियायत दी गई थी। सबसे पहले मैंने कहा था कि यह सरकार केवल विदेशी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय निगमित निकायों को समर्थन दे रही है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में लगातार उल्लेख किया कि निगमित घरानों पर 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर बकाया है। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि हमारे देश में निगमित घरानों से इस राशि को वसूलने के लिए विभाग ने क्या कोई कदम उठाया है।

दूसरी और मिट्टी के तेल, एलपीजी, टूथपेस्ट आदि चीजों का मूल्य बढ़ाया जा रहा है। इनका उपयोग कौन करता है। मेरे राज्य में मिट्टी के तेल का उपयोग मछुवारों द्वारा किया जाता है। मछुवारे इसका उपयोग मछली पकड़ने की गतिविधियों में करते हैं। इस कदम से वे पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक तरफ तो वह विदेशी कम्पनियों को छूट दे रहे हैं और दूसरी तरफ दलित और गरीब से गरीब लोगों पर भार डाल रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्र माननीय वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता है।

सभी करदाताओं पर 5 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है। नि:संदेह हम सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले इस कदम का समर्थन निश्चित रूप से सभी देशभक्त नागरिक करेंगे। जब देश की आजादी और प्रभुसत्ता के लिए सीमा पर रहे अपने जवानों का हम अभिवादन करते हैं। लेकिन वित्त मंत्री को उन पर कर लगाना चाहिए जो दे सके। उनका लक्ष्य उच्च आय वर्ग होना चाहिए था, और अगर उच्च आय वर्ग लक्ष्य होता तो इसे सब मान लेते तथा इसका व्यापक रूप से स्वागत होता। लेकिन यहां आम आदमी पर ही सारा जोर है।

निश्चित आय वर्ग को कोई कर राहत नहीं दी गयी। पूर्व में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब हमने वेतन भोगी और निश्चित आम वर्गों को छूट और रियायतें दी थी। लेकिन वित्त मंत्री ने वेतन भोगी और निश्चित आय वर्गों को कोई छूट नहीं दी। जहां तक एल टी सी का संबंध हैं। पिछले सत्र में भी मैंने इसका जिक्र किया था। एल. टी. सी. क्या है? हर सरकारी कर्मचारी का यह विशेषाधिकार हैं कि वह अपने मूल निवास तथा अन्य जगहों पर जाये ताकि वह राष्ट्रीय अखंडता के विचारों का प्रचार कर सके एल.टी.सी. के जरिये सरकारी कर्मचारी अपने गांव जा सकता है तथा रिस्तेदारों से मिल सकता है। 1970 से सरकारी कर्मचारी इन सब सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे। जहां तक मुझे याद हैं उस समय की प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कर्मचारी द्वारा मूल निवास स्थान की यात्रा करने तथा उनमें राष्ट्रीय अखंडता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया था। लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। मैं समझता था कि वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में इसे पुन: शुरू करेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने विशेषकर एल.टी.सी को पुन: शुरू करने की सिफारिश की है क्योंकि एल.टी.सी हटाने से यह मंत्रालय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने देश के वेतनभोगी लोगों के लिए इस थोडी सी राहत पर विचार करें।

औद्योगिक मंदी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों से इस क्षेत्र की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया पिछले बजट से ही वे कह रहे थे कि भारतीय उद्योग को पुन: जीवित करने के उद्देश्य से आधारभूत ढ़ांचे में

[श्री रमेश चेन्नितला]

निवेश किया जायेगा और सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जायेंगे। अत: अनेक समितियों का गठन किया गया। वित्त मंत्रालय को बहुत सी रिपोर्टें उपलब्ध करायी गयी लेकिन फिर भी औद्योगिक मन्दी हैं, और यह हमारी चिन्ता का विषय हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 163 पर कहा गया है: ''औद्योगिक मन्दी सभी प्रमुख क्षेत्रों, जिनमें विनिर्माण, बिजली और खनन तथा अंतिम प्रयोग आधारित सभी समूह उदाहरणार्थ पूंजीगत वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं टिकाऊ एवं गैर-टिकाऊ दोनों प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं में व्याप्त हैं। औद्योगिक वृद्धि पर दबाव डालने वाले प्रमुख कारक घरेलू और वैश्विक मांग में आई मन्दी प्रतीत होते हैं'' इस औद्योगिक मन्दी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कोई रणनीति नहीं बनाई है। इसके कारण राजस्व वसूली में कमी आयी है।

इसी वजह से पिछले तीन वर्षों में अपेक्षित राजस्व की वसूली नहीं हुई है। औद्योगिक सामान की मांग कम हो गयी है तैयार माल का ढ़ेर लगता जा रहा है। लोगों की क्रय-शक्ति भी कम होती जा रही है बेरोजगारी की दर अत्यधिक रूप से बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार अवसर प्रदान करने के प्रधान मंत्री के वायदे का क्या हुआ। मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए ।

एक ओर जहां औद्योगिक मन्दी है वहीं दूसरी ओर अन्य देशों विशेषकर चीन और कोरिया का सामान हमारे बाजारों में भारी मात्रा में भेजा जा रहा है। अनेक बार हम लोगों ने सरकार से डमर्पिंग रोधी कानून लागू करने की मांग की है। लेकिन इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग नष्ट हो रहा है। लघु तथा मध्यम उद्योग जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है वे पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। कार्मिकों की छंटनी वी.आर.एस. गोल्डन हैंड शेक, आदि का आज काफी उपयोग हो रहा है विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अंतर्गत हमें ज्यादा से ज्यादा सामान के आयात की अनुमति देनी होगी इसके परिणाम-स्वरूप दिन-प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। रोजगार की स्थिति दयनीय है। अधिक से अधिक लोग रोजगार से बाहर किए जा रहे हैं हमारे शिक्षित तथा अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास कोई कारगर नीति नहीं हैं।

विनिवेश के मामले में अग्रणी कंपनियां, लाभ कमाने वाली कंपनियां, हमारे नवरत्न बेचे जा रहें हैं। तथा अलाभकारी कपंनियों को बी.आई.एफ.आर. के हवाले किया जा रहा है। बी.आई.एफ.आर. में वे लम्बी कानूनी प्रक्रिया के बीच से गुजर रहे हैं। कर्मचारियों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही हैं। वे वेतन, भविष्यनिधि, उपदान आदि से वंचित हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि विनिवेश के बारे में कई भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। बहुत सी अनियमिताएं तथा समाचार एवं सम्पतियों के कम मूल्यांकन के मामले प्रकाश में आ रहें हैं। इन सभी मामलों पर सख्त निगरानी रखने की आवश्यकता है। इन मामलों पर में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों द्वारा विनिवेश के बारे में बहुत तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही है। उससे बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर हम पाते हैं कि सरकारी विभागों का आकार छोटा किया जा रहा है, भर्ती पर रोक हैं। कर्मचारियों की छटनी की जा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इन सारे कारणों के चलते हम लोग एक विकट परिस्थिति में फंस गए हैं

इस देश का युवा आक्रामक हो गया है। इस देश के युवाओं के लिए रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं। वे पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है। एक बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है जो तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि इनका उचित और तत्काल समाधान नहीं किया जायेगा।

कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसपर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह सही है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषक समाज के लिए कुछ किया है। परन्तु यह सनुश्चित नहीं है। कृषि क्षेत्र में और अधिक निजी क्षेत्र के विनिवेश की आवश्यकता है। केवल दिखावटी परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और अधिक निजी क्षेत्र की निवेश की आवश्यकता है। बजट भाषण में उल्लिखित विभिन्न उपाय स्वागत योग्य हैं। तथापि मैं समझता हूं कि राज्य उन्हें क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं। राज्यों की स्थिति ठीक नहीं हैं। लगभग सभी राज्य सरकारें दिवालिया हैं। लगभग सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह बहुत विकट स्थिति है जिसका सामना राज्य सरकारें कर रही हैं। कृषि संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनात्मक विकास वित्तीय कठिनाइयों के कारण सम्भव नहीं है। अत: इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक खाद्य सुरक्षा का प्रश्न हैं मानसून तथा किसानों के कारण हमारा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है यद्यपि हमारे खाद्य भंडार भरे हैं फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायलय को भी हस्ताक्षेप करना पड़ता हैं। नि:सन्देह हमारे किसानों की मेहनत के परिणामस्वरूप हमारे गोदाम भरे हुए हैं, परन्तु प्रभावी कदमों तथा उपायों के अभाव में लोग मुश्किल में हैं।

महोदय, मैं केरल राज्य से आता हूं जहां व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, लेकिन इसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। उन लोगों ने बी.पी.एल. गरीबी रेखा से नीचे और ए.पी.एल. गरीबी रेखा से ऊपर आरम्भ किया है। महोदय आप भी उस समय मंत्री थे अत: आप भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। अभी यह हो रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। अब यह अव्यवस्थित है। महोदय, यद्यपि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है तथापि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है उदाहरण के लिए रबड़ का उत्पादन बहुत अधिक हैं परन्तु किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसी तरह नारियल का उत्पादन अधिक हैं, परन्तु नारियल उत्पादन करने वालों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अत: वे कष्ट में हैं।

महोदय, पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने वायदा किया था कि पामोलीन पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी करेंगे ताकि हमारे देश के नारियल पैदा करने वाले गरीब किसानों का मदद कर सके। महोदय जैसा कि श्री अय्यर जी ने ठीक ही बताया कि प्रधान मंत्री जी द्वारा मलेशिया के दौरे के दौरान देश में पामोलीन के अधिक से अधिक आयात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महोदय गरीब किसानों विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित दक्षिण के किसानों की कष्टमय स्थिति बढ़ती जा रही है। अत: इस संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए और पामोलीन पर आयात शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन की सीमा 300 प्रतिशत तक हैं और हम लोग इसे कम से कम 100 प्रतिशत तक बढ़ा सकते है ताकि किसानों की रक्षा की जा सके।

महोदय, कृषि उत्पादों के कुल आयात का 60-70 प्रतिशत भाग केवल खाद्य तेलों का है। इसके परिणामस्वरूप हमारे किसान कष्ट में है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। महोदय, अंत में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास खाद्यान्न खरीदने की नीति नहीं हैं। देश भर के किसान, चाहे वे उत्तर प्रदेश हरियाणा, मध्य प्रदेश के या बिहार के हों वे सभी परेशानी की स्थिति में हैं क्योंकि कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अपने पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने तथाकथित केन्द्रीकृत खाद्यान्न खरीद तथा वितरण प्रणाली आरम्भ की थी जो कभी लागू नहीं की गयी इस बार वह कह रहे है कि इस संबंध में विस्तृत अध्ययन के लिए एक समिति का गठन करेंगे महोदय, कटाई का कार्य सम्पाप्त होने को है और किसान परेशान होने जा रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में उनकी क्या नीति होगी और किसानों की किस प्रकार सहायता की जाएगी।

महोदय, अंतत: मैं सुनिश्चित रोजगार योजना पर आता हूं। महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रोजगार पर पूरे एक पृष्ठ को स्थान दिया है। इसमें उन्होंने हमारे देश की मौजूदा रोजगार योजनाओं तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का उल्लेख किया।

प्रत्येक अनुवर्ती बजट में हम प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के रूप में नई रोजगार योजनाएं पाते हैं जो अब जयप्रकाश रोजगार योजना के नाम से नई योजना आयी हैं। हर साल हम नई रोजगार योजनाओं के बारे में सुनते हैं किन्तु वास्तव में उन्हें अमल में नहीं लाया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन सभी रोजगार कार्यक्रमों को फिर से देखे।

सभापति महोदय, आपके राज्य में भी केन्द्र सरकार रोजगार योजनाओं के लिए 70 प्रतिशत अनुदान दे रही है। किंतु बिहार के पास देने के लिए स्वयं अपना 30 प्रतिशत भाग भी नहीं हैं। केरल भी अपना 30 प्रतिशत भाग देने में असमर्थ है। इसके परिणामस्वरूप .ये रोजगार योजनाएं इन राज्यों में ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई राशि-वेतन वितरण जैसे शीर्षों के अंतर्गत खर्च हो जाएगी। इसलिए, मैं वित्त मंत्री महोदय, से यह अनुरोध करता हूं कि वे इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा रोजगार योजनाओं की पुन: जांच करें।

श्री चन्द्रबाबू नायडू ने यह सुझाव दिया था कि यदि केन्द्र सरकार इसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं कर सकती तो यह राशि राज्यों को दे देनी चाहिए। राज्यों की अपनी परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों को तय करने दीजिए। राज्य सरकारें स्वयं अपनी योजनाएं तैयार कर राशि व्यय करेंगी। यह बहुत ही अच्छा विचार है और में इसका स्वागत करता हूं। इससे केन्द्र-राज्य संबंधों को मजबूर करने में सहायता मिलेगी। लोगों को इससे अधिक लाभ मिलेगा।

मैं अपने राज्य का उदाहरण दूंगा। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए आठ प्रतिशत भूमि की आवश्यकता होती है किन्तु केरल अपनी उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण केवल छ: प्रतिशत भूमि ही उपलब्ध करा सकता है। इसी प्रकार, सभी राज्यों की अपनी सीमाएं व अपनी विशेष भौगोलिक विशेषताएं होती है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इन रोजगार योजनाओं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को फिर से देखे; उनका पुनर्मूल्यांकन करें और इन कार्यक्रमों व परियोजनाओं को सर्वथा एक नया रूप प्रदान करें।

मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री, आम आदमी तथा गरीब जनता को कुछ राहत को प्रदान करेंगे। मुझे उनके अधिक की आशा नहीं है, वे खराब संगति में एक अच्छे व्यक्ति हैं। वे ऐसे दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे जनता को अपेक्षित वस्तुएं नहीं

[श्री रमेश चेन्नितला]

दे सकती है। यही कारण है कि पिछले विधान सभा चुनावों में देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। एक कमजोर सरकार मजबूत अर्थव्यवस्था प्रदान नहीं कर सकती।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति जी, अभी तक के वक्ताओं ने जो सम्भाषण किया है, किसी ने बोला है कि हम इस बजट की निंदा करते हैं, किसी ने बोला है कि हम इस बजट की प्रशंसा करते हैं। मैं इस बजट की न निंदा करता हूं। न प्रशंसा करता हूं और न अपनी स्पीच में मैं कोई अध्याय सुनाने जा रहा हूं। मुझे पार्लियामेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंटस दिये गये हैं, उसमें से फैक्ट्स एडं फिगर्स की बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। हम सदन की इस साइड में बैठे हैं और एनडीए के पार्टनर हैं। इनके पार्टनर होने के नाते कुछ मुद्दों को हम लोगों को सपोर्ट करना होगा। नीतियों के साथ हमें रहना पड़ेगा लेकिन जहां नीतियां टूट जाएंगी, जहां वादे टूट जाएंगे, वहां शिवसेना की आवाज जरूर उठेगी। बजट के लिए हम काफी बोल सकते हैं, काफी मुद्दे हैं लेकिन स्पेसिफिकली दो मुद्दों पर मैं आज बोलने जा रहा हूं। सबसे पहला मुद्दा टैक्नीकल मुद्दा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन इकॉनोमी के फिगर्स में आपके सामने पेश करूंगा और दूसरा मुद्दा रहेगा, भेदभाव तथा विरोधाभास उत्पन्न होते हैं और उनका समाज पर प्रभाव पड़ता है। मेरा पहला मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। चार चीजें बजट को गवर्न करती हैं। बजट के चार इंडिकेटर्स हैं। इनमें से पहला इंडिकेटर है, ग्रोथ रेट आफ इंडस्ट्री। इसका प्रतिशत आप देखेंगे, पिछले साल यह 6.3 प्रतिशत था और इस साल यह 3.3 प्रतिशत है। बजट का दूसरा इंडिकेटर है- एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट 97 परसेंट नीचे गया है। पिछले साल यह 99.6 परसेंट था और इस बार 0.6 प्रतिशत है। बजट का तीसरा इंडिकेटर रेवेन्यु रिसीट है, जो टारगेट से 17 प्रतिशत शार्ट है। पिछले साल से फिसकल डैफिसिट 21 प्रतिशत इंन्क्रीज हुई है। कहने का मतलब यह है कि बजट के चारों इंडिकेटर्स नैगेटिव हैं। बजट के फेस में बजट की यह हालत है, तो इन्टरनल आप समझ सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का इंजिन है जो फारन एक्सचेंज और इन्टरनेशनल क्रैडिबिलीटी डिसाइड करती है, वह भी नैगेटिव है। रिसीट टारगेट भी हमारा नहीं बढ़ा है। साल भर की एक्सरसाइज करके फिलकल डैफिसिट 21 प्रतिशत बढ़ी है। मैं खास तौर से एक बात सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पिछले तीनों सालों में फिसकल डैफिसिट 5.4 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि हम अपने वायदों से मुकर रहे हैं। हमारे वायदे टूट रहे हैं। यदि यही ट्रेंड चलता रहा, तो मुझे लगता है। कि आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि कामन सोसायटी के ऊपर बजट का प्रभाव है। मैं डामैस्टिक सैक्टर की बात कहना चाहता हूं। कैरोसिन और एलपीजी की बात यहां पर उठायी गई हैं। वास्तव में यह सैंसिटिव सैक्टर है। मैं ऐसा समझता हूं कि गरीबी के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ कोई नहीं हो सकता है। हम इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पैट्रोल-डीजल के बारे में कहा गया कि दाम घटाए गए हैं। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति कहना चाहता है कि पैट्रोल-डीजल के दाम घटाने की क्या जरूरत थी, वहीं दामों की रियायत यदि आपने कैरोसिन और एलपीजी पर दी होती, तो गरीबी को इतना रोने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार एक अप्रैल से इसको डिकन्ट्रोल करने जा रही है। आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वह बहुत अकुसल है और सरकार में इसका भंडाफोड़ हो गया है एलपीजी में आपने 20 रुपए कम किए हैं। मैं ऐसा मानता हूं, किसी को फांसी की सजा हुई। उसने अपील की, तो कहा गया कि फांसी की सजा माफ कर दो और उसे उम्र कैद की सजा दे दो। उम्र कैद की सजा देने से उसकी जिन्दगी तो बरबाद हो गई। मैं समझता हूं कि इसमें साजिश है और गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। यह एक तरफा युद्ध छेड़ा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें इस युद्ध को रोकना पड़ेगा और सबसे पहले तलवार हमें इस संसद से उठानी होगी।

दूसरी बात, मैंने बजट को बड़े गौर से सुना है। मंत्री जी ने कहा कि विदेशी दारू पर ड्युटी 210 प्रतिशत से 180 प्रतिशत होगी। इस पर सदन में बहुत तालियां बजाई गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि मोबाइल पर ड्युटी भी 16 प्रतिशत कम की जाएगी। एक तरफ कैरोसिन और एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं और दूसरी तरफ विदेशी दारू और मोबाइल पर ड्युटी घटाई गई है। कहने का मतलब यह है कि गरीब और गरीब हो जाओ और अमीर सस्ते दामों पर एय्याशी करो। मतलब यह है कि कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा मौज-मस्ती कर सकते हैं। यह सीधा इंडिकेशन इस बजट से आया है।

सायं 7.00 बजे

मेरा एक ही सवाल है कि गरीब को क्या चाहिए-एड्स की, कैंसर की दवा चाहिए या उससे पहले रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। एड्स से तो वह एक बार मर जाएगा लेकिन अगर उसे रोटी, कपड़ा नहीं मिलेगा तो वह रोज मरेगा।

महोदय, में इस सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि गरीब को मरते-मरते जीना चाहिए या जीते-जीते मरना चाहिए। मैं समझता हूं कि दिल दहलाने वाली बात है, पिछले

साल फर्टीलाइजर, इस सदन में बैठे हैं, हम किसानों के लिए उत्तरदायी हैं। हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा। किसानों ने इसलिए आत्महत्या की, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में बैठ कर फर्टीलाइजर के रेट बढ़ा दिए। आप मुझे बताइए कि इस तरह का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। इस बजट का मोर्चा यहां तक ही सीमित नहीं रहा, इस बजट में स्माल सेविंग पर इंटरस्ट घटा दिए। सरकारी कर्मचारियों पर सरचार्ज लगाया गया और टैक्स रिबेट घटाया गया। इतना ही नहीं, पोस्टल के रेट तक बढ़ाए गए।

महोदय, बड़ी इंटरस्टिंग बात है, 42 हजार कर्मचारी सरप्लस बताए। स्पीच के अंदर लिखा है कि सेंट्रल गर्वनमेंट के 42 हजार कर्मचारी सरप्लस हैं, इन्हें हम वीआरएस देने जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि में एक इंजीनयर हूं। मैं भी आज से दस साल पहले नौकरी करता था, नौकरी में कितनी सुरक्षा होती है, यह मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। एक चपड़ासी को नौकरी हो या कलेक्टर की हो, उसे सिक्योरिटी होती है। अगर अचानक उसकी नौकरी चली जाए तो वह कितना इनसिक्योर होता है। सुमन जी ने बोला कि इस गवर्नमेंट का एजेंडा था कि हम एक करोड़ एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करेंगे और दूसरी तरफ बोल रहे है कि 42 हजार कर्मचारियों को हम वीआरएस देकर निकाल देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर एक चपड़ासी दिल्ली के पार्लियामेंट में नौकरी करता होगा, उसके चार बच्चे होंगे और एक धर्म-पत्नी होगी, उसे सरप्लस बोल कर, वीआरएस देकर निकाल देंगे तो वह बेचारा मर जाएगा। आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। उसके बीबी, बच्चों को भीख मांगनी पड़ेगी। दुर्भाग्य है कि दिल्ली पुलिस ने भिखारियों पर भी बैन लगा रखा है, वे बेचारे आत्महत्या नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। मैं समझता हूं आप एंटी नेशनलिस्ट एक्टीविटी को और एंटी सोशल एक्टीविटी बजट से बढ़ावा दे रहे हैं। क्या यह एनडीए का सुधार कार्यक्रम है, जो आप 42 हजार कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आपने जो रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ा कर 60 साल की है उसे आप फिर से 58 साल कर दीजिए। अगर आपको वीआरएस देनी है तो सब को दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने कर्मचारी हैं, जो खुशी से वीआरएस लेना चाहते हैं, उन्हें आप वीआरएस दीजिए, लेकिन किसी को कल्पलशन मत करिए। आप उन्हें रिडिप्लॉय भी कर सकते हैं। आप सिक मिल्स की रिस्ट्रकचरिंग कर सकते हैं। हम एक तरफ कर्मचारियों को निकालने की बात करते हैं और दूसरी तरफ खर्चों पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते। मैं कल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, उसमें यह था—"मंत्री के निजी सचिव का टैक्सी बिल 11 लाख रुपये तक जाता है।" हम एक तरफ करटेलमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक मिनिस्टर के पीए का चार महीने का टैस्सी का बिल 11 लाख 5,391 है। कई सवाल उठते हैं, अक्तूबर, 2001 से जनवरी, 2002 तक यह टैक्सी कहां-कहां घूमी। दिल्ली का पेरीफेरियल एरिया 20 से 25 किलोमीटर है। अगर वह पीए दिल्ली से बाहर जाता है तो फिर भी वह इतना कैसे घूमा, उसके बाहर जाने की सीमा कितनी है? मैं समझता हूं कि एक महीने में दो लाख 59 हजार का जो बिल है, इस पर यहां कई प्रश्न उठते हैं। उसने कितने ट्रिप लगाए होंगे, बाहर कहां गया होगा, किस लिए गया होगा, दिल्ली से बाहर टैक्सी किस लिए गई, ये सब सवाल उठते हैं। हम बात-बात पर अमेरिका की बड़ी तारीफ करते हैं, कोई बात हो, हमारे वित्त मंत्री जी तथा अन्य मंत्री अमेरिका की बहुत तारीफ करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लास्ट वीक में एक आर्टीकल आया, जिसमें जार्ज बुश ने अपनी अमेरिकन इकोनोमी के बारे में बोला है।

अमरीका में ज्यादा रोजगार पैदा होना चाहिए- ऐसा एक सजेशन उन्होंने दिया है। एक तरफ हम अमरीका की बात करते हैं तो अपने यहां एम्प्लाएमेंट कर्टेलमेंट की बात ठीक नहीं है। हम बार-बार डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं लेकिन स्वदेशी की बात कोई नहीं करता है। माननीय वित्त मंत्री जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आईएएस ऑफिसर हैं लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है और मुझे नहीं लगता है कि विदेशी संस्थाओं के दबाव में यह बजट बन रहा होगा।

मैंने रैवेन्यू प्राप्ति की बात की है। हमारी रैवेन्यू प्राप्त 50 प्रतिशत है। उसको बढ़ाने के लिए मैंने बहुत से सुझाव दिये थे। मैंने कहा था कि इसमें जो डार्क-एरियाज हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पिछले सालों में इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी निकले हैं। रैवेन्यू कलैक्शन अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो मिट्टी और डीजल के तेल के दाम बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगाा। पिछले 50 सालों से हम वर्ल्ड-बैंक का कर्जा भरते आ रहे हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाए।

मैं एनडीए सरकार का पार्ट हूं और मुझे वोटिंग के समय में इसके समर्थन में बटन दबाना पड़ेगा लेकिन इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को मैं एक सजेशन देता हूं कि जो बजट है उसका रिव्यू करने के बाद ही इसे पास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा में, हमारे वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

[श्री प्रबोध पण्डा]

सबसे पहले, मुझे याद है जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि भारत का निर्माण भारतीय ही करेंगे। मैंने सोचा कि वे भारतीयों को नए दिशा परिवर्तन देने के लिए तैयार है। किंतु अब इस बजट से शंका प्रतीत होती है कि वे भारतीयों के लिए नहीं, वे उन भारतीयों के लिए हैं जो भारत में नहीं रह रहे हैं बल्कि वे अप्रवासी भारतीयों के लिए हैं।

हमारे देश को गरीब कृषकों, कृषि कामगारों और छोटे किसानों के कारण, गरीबों का देश कहा जा सकता है किंतु मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारा देश, गरीब देश नहीं है। हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। हमारे पास प्रचुर परिसंपतियां है किन्तु इस बजट से अब नष्ट हो जाएगा। दरअसल, इसने आम आदमी के खिलाफ एक लड़ाई घोषित कर दी है। यह हमारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, हमारे घरेलू उद्योंगों और देश की कृषि को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे औद्योगिकीकरण में बाधा आएगी और बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। गरीबों मध्यम वर्ग, कृषकों, कामगारों और यहां तक कि उच्च मध्यम वर्ग के लोगों पर भी यह बजट, एक बड़ी मार है।

इसलिए, मैं इस बजट का विरोध करता हूं। जब एक ओर, यह बजट निगमों, अप्रवासी भारतीयों, बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी कंपनियों के हित में लगता है, वहीं दूसरी ओर इसने आम आदमी पर करों का बोझ डाला है इस बजट का यहीं दर्शन है। इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

यह बात आसानी से मानी जा सकती है कि यह बजट हमारे वित्त मंत्री की उथल-पुथल है, जिसे बहुराष्ट्रीय निर्णयों, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा निहित किया गया है। सत्ता प्राप्त करते समय इन्होंने कुछ और कहा था और अब ये अलग दिशा में हैं। हमारे देश का आर्थिक परिदृश्य क्या है? यहां कई वक्ताओं ने कहा, कि यहां औद्योगिक स्थिति व कृषि-उत्पादन में कमी आई है, ग्रामीण रोजगार में निष्क्रियता आई है। मांग में कमी आई है और बेरोजगारों की संख्या में बेतहासा वृद्धि हुई है। यह बजट, हमारे देश की इन समस्याओं को हल करने में असफल रहा है।

हमारा देश ऋण-जाल में फंसता जा रहा है। 31 मार्च, 2002 तथा अनुमानित ऋण 13,40,967 करोड़ रुपये है जो सकल घरेलू उत्पाद को 72 प्रतिशत से भी अधिक है। बजट प्रबंधक विधेयक में यह सिफारिश की गई है कि सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना व्यय का एक तिहाई, ब्याज के लिए प्रस्तावित है। यह स्थिति है। हमारा देश छोटे-छोटे ऋण-जाल में फंसता जा रहा है। इस बजट से ऋण में बढ़ोतरी होगी इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

किसानों की समस्याओं को लेकर अनेक बातें कहीं गई हैं। यह दावा किया गया है कि कम से कम किसानों को बचाने के लिए तो सरकार आगे आई है। यह सभी जानते हैं। जहां तक हमारे देश का संबंध है, यहां किसानों, सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों की वर्ग गरीब था। यह बजट इनकी समस्याएं हल नहीं करता है। हालांकि यहां किसान क्रेडिट कार्ड सफल बीमा कार्यक्रम और स्व:सहायता वर्ग प्रणालियां विद्यमान है किन्तु ये सब गरीब कृषकों, कृषि श्रमिकों और छोटे किसानों के लिए नहीं हैं।

पुराने समय में जमींदार तथा भू-स्वामी देहाती इलाकों में जाकर गरीब जनता को कपड़े व अन्न देते थे यहां कुछ चापलूस ऐसे भी है जो कहते है कि ये जमींदार बहुत महान लोग है। वे दावा करते हैं कि वे छोटे व गरीब किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं किन्तु यह सही नहीं है।

महोदय, हमारे देश में कृषकों द्वारा आत्महत्या करना सामान्य सी बात बन चुकी है। हमारे अनाज भंडारों में बहुत अनाज है किन्तु फिर भी आंध्र प्रदेश जैसे कई दक्षिणी राज्यों तथा हरित क्रांति के राज्य, पंजाब में भी लोग भूख से मर रहे हैं। इसका क्या कारण हैं? ऐसा किसानों द्वारा ऋण संबंधी समस्याओं का सामना किए जाने के कारण हो रहा है। गांवों में अभी भी रुपया सूद पर देना बड़ी बात है। ग्रामीण जनता के ऋण देने को लेकर बहुत बोला गया है? किन्तु क्या छोटे किसानों, काश्तकारों तथा मध्यम दर्जे के किसानों को भी ऋण उपलब्ध है। जहां तक मै जानता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए कम से कम 18 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराने होते हैं। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि आज एक भी बैंक 15 प्रतिशत से अधिक ऋण इन क्षेत्रों को नहीं दे रहा है? इस बारे में सरकार क्या कर रही है? क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अंतर्गत वे बैंकों को, कृषि क्षेत्र, गरीब किसानों, काश्तकारों व दूसरे मध्यम दर्जे के किसानों को 18 प्रतिशत ऋण देने के लिए बाध्य किया जा सके?

महोदय, बजट में उर्वरकों का मूल्य पांच प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। रेल-भाड़े की वृद्धि को देखते हुए, उर्वरक का मूल्य 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसके अतिरिक्त यह संकेत भी दिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न खरीद बंद कर देगा इससे बड़े व्यापारी व बिचौलिए शोषण करेंगे। इसके अलावा, दूसरे कृषि उत्पादों के भण्डारण परिवहन व उसे बेचने पर लगे प्रतिबन्ध हटा दिए गये हैं। कृषि क्षेत्र के इन उपायों तथा प्रस्तावित अविनियमन से गरीब जनता की कोई सहायता नहीं होगी।

महोदय, विभिन्न कृषि उत्पादों से जुड़े लघु उद्योग के आरक्षण समाप्ति तथा कृषि उत्पादों के निर्यात के विकेन्द्रीकरण इत्यादि केवल इसलिए किये गए हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक विदेशी कंपनियों की पहुंच हो सके। गांवों में किसानों की सहायता के नाम पर यह बजट हमारे कृषि क्षेत्र में बड़े पूंजीपत्तियों के मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, वे हमारे किसानों का शोषण करेंगे और ये किसान पूरी तरह उनके रहमों करम पर होंगें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब एक मिनट में समाप्त किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा: यह संभव नहीं है। मैं एक दूसरे मुद्दे पर बोल रहा हूं। योजनाओं पर बहुत कुछ बोला जा चुका है। एक योजना है- संपूर्ण रोजगार योजना, एक हैं-सुनिश्चित रोजगार योजना, एक है- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है और अब है- जयप्रकाश रोजगार योजना प्रस्तावित की गई है। वे इन योजनाओं से बरोजगारी समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। ये यह कहूंगा कि इन कार्यक्रमों से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इससे बिचौलियों को लाभ पहुंचेगा। इससे ठेकेदारों को लाभ पहुंचेगा। इससे सब कुछ अपने अधिकार में करने के लिए, धन नियंत्रित करने वाले नौकरशाहों को लाभ पहुंचेगा। बेरोजगार युवाओं तथा किसानों को उनकी दया पर ही निर्भर रहना होगा।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पण्डा : कृपया मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मुद्दे पर बोलने की अनुमति दीजिए। प्रधान मंत्री ने राजमार्गों के बारे में कहा है। यह अच्छी बात है किन्तु जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का संबंध है इसमें काफी खर्च होता है। गांवो के लाखों गरीब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वे केवल मशीनरी को देखते रहे हैं। वहां मशीनें काम करती है। किन्तु वहां बेरोजगार गरीब लोग, किसान व कामगार बेकार बैठे हैं। इसलिए इससे उनकी मदद नहीं होने वाली है।

चूंकि आप मुझे आगे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस बजट से गरीबों का भला नहीं होगा। यहां तक कि इससे कामगारों का भला भी नहीं होगा। लाखों लोगों को नौकरियां से हटाया जा रहा है। क्या आपके बजट में समस्या के समाधान पर कोई विचार किया गया है? विनिवेश बढ़ रहा है। यहां तक कि आप सभी प्रकार की परिसंपतियां बेच रहे है। मैं बजट का विरोध कर रहा हूं। यह बजट काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। यह बजट, हमारे देश के आम आदमी के लिए एक घोषित युद्ध के समान है। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा): सभापति महोदय आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले इस बोल्ड बजट के लिए अपने ब्रेव वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विकट काल में और विश्वव्यापी मंदी की स्थिति में जो साहसिक कदम उठाये हैं, निश्चित तौर से अटल जी की सरकार और इनका मंत्रालय प्रशंसा के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार देश के किसान, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की ओर इनका ध्यान गया है। परिस्थितियां चाहें जो भी रही हो, मगर यह शुभ संकेत है। देर से ही सही मगर दुरूस्त तरीके से किसानों के लिए और किस प्रकार से किसानों का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में कारगर हो, कैसे उनकी भूमिका को सशक्त बनाया जाए, इसका प्रयास किया है। सही मायनों में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है-किसानों की आजादी, फ्रीडम टू दि फारमर्स, ये शब्द बड़े उचित हैं, ये बड़े सुटेबल वर्ड्स हैं। किसानों के लिए राज्यों में जो सुधार कार्य कृषि के संबंध में होंगे, पहली बार इन्सैन्टिव से लिंक किया गया है, इन्सैन्टिव से जोड़ा गया है। सुधारों को इन्सेन्टिव से जोड़ा गया है कि जो राज्य जितना बेहतर ढंग से, जितनी तीव्रतम गति से कृषि में सुधार करेगा, कृषि उत्पादन की बिक्री में सुविधाजनक माहौल पैदा करेगा, उन्हें केन्द्र से उनका हिस्सा अधिक मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। यह निश्चित तौर से इस परिस्थिति में एक निर्भीक कदम मंत्री जी ने उठाया है। हम जानते हैं कि सच्ची बात कड़वी लगती है। यह बात सच है, हमारे विरोधियों को भी और कुछ सहयोगियों को भी बात थोड़ी कड़वीं लगती है मगर देश की स्थिति में और दुनिया भर की स्थिति में अपने आपको एडजस्ट करने के लिए यह आवश्यकता है कि जो बुनियादी बदलाव चिन्तन में हो, वह सोच में भी होना चाहिए। इसलिए बजट में जो माइंडसैट बदलने पर जोर दिया है, चाहे वह प्लैनर्स का हो, राजनेताओं का हो, देश की जनता का हो, अधिकारियों का हो, पॉलिसी मेकर्स का हो, उसको और उन्होंने जो ध्यान दिया है और प्रयास किया है, निश्चित तौर से यह काबिले-तारीफ है। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया है।

साथ-साथ कृषि क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए एक समय था कि उस तरफ डैफिसिट हुआ करता था, आज हम उस क्षेत्र में सरप्लस में हैं। जो खर्च स्टोरेज में हो रहा है, वह काफी अधिक राशि है। इससे कैसे निपटा जाए यह समस्या केवल सरकार

[डा. संजय पासवान]

की नहीं है, हम सबकी समस्या है, पूरे देश की समस्या है। उसके लिए मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकार जितना तेजी से स्टोरेज, मार्केटिंग या विपणन की व्यवस्था को जितने अच्छे ढंग से लागू करेगी, उसके लिए जो प्रावधान किया है कि उन राज्यों के लिए विशेष तौर से एक राशि मुहैया कराई है, वह भी 15000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि है। मुझे विश्वास है कि उनके इस कदम का राज्यों में लोग आज नहीं तो कल जरूर स्वागत करेंगे।

मंत्री जी ने कृषि बीमा के लिए जो स्कीम लागू की है, उसमें मैं समझता हूं कि आज एक कनफ्यूजन की स्थिति है। कृषि मंत्रालय का और वित्त मंत्रालय का भी सफल बीमा योजना पर जोर चलता है मगर उसके लिए अलग से जो निगम लाने की बात उन्होंने की है, उसका हम तहेदिल से स्वागत करते है। सिंचाई व्यवस्था के लिए जो तीव्रगामी सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, यह भी स्वागत योग्य है। पूंजी का जो प्रवाह है, इस क्षेत्र के लिए जो इन्होंने तय किया है, पिछले साल 64000 करोड़ था। इस साल जो लक्ष्य रखा गया है, 75000 करोड़ का रखा गया है। निश्चित तौर से यह राशि 11000 करोड़ रुपये की जो है, उससे जो खामियां कृषि के क्षेत्र में है, एक बार में नहीं लेकिन सुधार की ओर, नई दिशा की ओर बढ़ेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।

शिक्षा पर हमारे अटल जी की सरकार ने संविधान में 93वां संशोधन करके जो बुनियादी बदलाव किया है और 6-14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया, वह निश्चित तौर से क्रांतिकारी कदम था और उसको सपोर्ट करने के लिए वित्त मंत्री जी ने एक्सचैकर से 900 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, वह बड़ी राशि है और इससे क्रांतिकारी बदलाव आया।

सभापति महोदय, इससे जो गरीबों के बच्चे हैं, जो दलितों के बच्चे हैं, जो गांवों में रहने वाले लोगों के बच्चे हैं उन्हें सुविधा मिलने वाली है। इससे आने वाली कई पीढ़ियों को लाभ होगा। इसलिए इस कार्य के लिए जो प्रावधान किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, तीसरी बात स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के लिए पहली बार एक स्कीम जन-रक्षा की शुरू की गई हैं। इसके तहत गरीबों को लाभ मिलेगा। आज हम देखते हैं कि गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य में काफी परेशानी होती है। देश का जो आम आदमी है वह आज शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत चिन्तित हैं। वह अपना घर-द्वार बेचकर भी स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाता है और परेशान रहता है। उन्होंने जो स्कीम लागू की है जिसके तहत प्रति दिन एक रुपए देने से देश के आम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। यह निश्चित तौर पर जो इनकी सोच है उसके बहुत उच्च होने का प्रतीक है। योजना के अनुसार यदि एक रुपया प्रति दिन बचाने वाला भी कहीं बीमार हो जाए और हास्पीटलाइज हो जाए, तो उसके इलाज के लिए एक अच्छी खासी रकम 20 हजार रुपए की राशि इकट्ठी हो सकती है और दो हजार रुपए मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर यह वंचित लोगों को लाभ मिलने की योजना है।

सभापति महोदय, यह बात अलग है कि इन योजनाओं की डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है, जो सुविधा पहुंचाने का रास्ता है, उसकी जो ईमानदारी, उसकी जो निष्ठा है, जो प्रतिबद्धता है, वह सुनिश्चित हो, इसके लिए वे प्रयास करेंगे लेकिन उसकी शुरूआत उन्होंने की है। यह इनीशिएटिव भी बहुत सराहनीय है।

महोदय, इसके साथ-साथ इन्होंने जो चिकित्सा पद्धति है उसकी तरफ भी ध्यान दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि जो इंडियन हीलिंग सिस्टम रहा है, वह बहुत असरकारक रहा है। जो एलोपैथी है जिसकी चर्चा बहुत की जाती है, लेकिन इसने विकार ज्यादा पैदा किया है, समाधान कम किया है। जो अपने देश का सिस्टम रहा है, जो पावर प्रौटैक्शन सिस्टम रहा है, जो हमारे देश में वैद्य लोग रहे हैं, वे बहुत गुणकारी एवं मुफीद दवा उपलब्ध कराते हैं। आज भी गांवों में ऐसे खानदान हैं, पीड़ियां हैं, कई गांव के गांव ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति से कठिन से कठिन रोग का निदान करते हैं, उनकी ओर उन्होंने ध्यान दिया है। विशेष रूप से और खासतौर से जो अपने देश का ट्रैडीशनल सिस्टम रहा है, इंडिजीनस सिस्टम रहा है, इसके लिए इन्होंने एक विशेष योजना तैयार की है। जो चिकित्सा पद्धति और विधि अभी तक वंचित थी, जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उस पर ध्यान देकर कार्रवाई करने की जो योजना बनाई गई है, वह बहुत अच्छा प्रयास है। इसका भी लाभ मिलेगा और साथ में नैशनल लैवल का एक आयुर्वेदिक अस्पाताल खोलने की जो एक योजना बनाई है, उससे भी दिल्ली के लोगों को लाभ होगा जिस दिल्ली में सारे देश के लोग रहते हैं, उनको अपने तौर तरीके से चिकित्सा पद्धति का लाभ पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। यह भी इनका रहाहनीय कदम है।

सभापित महोदय, इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूता हूं कि शहरी विकास के संबंध में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। शहरों का जो विकास हो रहा है और जिस प्रकार से पापुलेशन में वृद्धि हो रही है, उसके बारे में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जो हमारे शहर हैं उनकी जनसंख्या अमरीका से भी ज्यादा हो गई है, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे अर्बन सुविधाओं को, अर्बन एमेनिटीज को बढ़ाना है, यह चिन्तन इन्होंने किया है, यह

इन्होंने दर्शाया है। यह बड़ा मानवीय दृष्टिकोण है। इसके लिए उन्होंने दो फंड बनाए हैं-अर्बन रिफार्म्स इनीशिएटिव फंड जिसके लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। निश्चित तौर पर इसमें हमारा स्वार्थ है। दिल्ली में जो बिहार से, बंगाल से, यू.पी. से और अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इस फंड से उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहारी होने के नाते मैं कह सकता हूं कि इससे हमें लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ इन्होंने एक सिटी चेलेंज फंड बनाया है। आज जो नए-नए सिटीज बन रहे हैं, जो नगरीय व्यवस्था बढ़ रही है, उससे समस्याएं पैदा हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए एक चेलेंज फंड बनाया गया है। यह उनके विजन का, उनके दृष्टिकोण का एक विस्तारीकरण है।

इसके साथ-साथ जो श्रमिक क्षेत्र है, जो लेबर सेक्टर हैं, उसकी बड़ी चर्चा है। उसके बारे में सबको चिंता हो रही है। आज हमें कबूल करना चाहिए कि हमारी सारे आफिसेस में, सारे संस्थानों में ओवर स्टॉफ हैं। हम यह मानते हैं और हमको बिना किसी दबाव में आज यह मानना चाहिए। जो काम सरकारी आफिस में 100 लोग करते हैं, वही काम निजी क्षेत्र में 10 लोग करते हैं। आज कौन सी ऐसी बातें है, कौन सी ताकत हैं? हमें यह मानना चाहिए कि जो सरप्लस हैं, उनका समायोजन हो। उनके स्किल का अपग्रेड किया जाये। यह चिंता की बात है और हमें इसे करना चाहिए। हमारे आफिस मैं, सरकारी संस्थान में निश्चित तौर से ओवर स्टॉफ है। उनसे कैसे निपटा जाये, यह समस्या हमारे सामने हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो सरप्लस हुए हैं, उनके स्किल का कैसे यूटीलाइज किया जाये, कैसे उनको अपग्रेड किया जाये? इसके लिए अलग से एक फंड बने। उस फंड के मुताबिक कैसे रिइम्पलायमैंट हों, ये चिन्ता करना हमारा काम है। गवर्नमैंट को इसकी चिंता करनी चहिए।

मंत्रो जी ने महिलाओं और बच्चों के लिए भी एलोकेशन बढ़ाया है। अभी 8 मार्च, 2002 को सारी महिलाएं डिमांड कर रही थी कि उनको 33 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए। मंत्री जी ने महिलाओं और बच्चों के लिए अपने बजट प्लान एलोकेशन मैं एग्जैक्ट 33 परसेंट एलोकेशन बढ़ाकर एक शुरूआत की है, एक संकेत दिया है कि आगे जब भी उनको मौका मिलेगा, वे महिलाओं के लिए जो उनका उचित प्रतिनिधित्व है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

मंत्री जी ने पार्ट बी मै टेक्सेशन के बारे में कहा है। मेरा कहना है कि डाईक्लीनिंग और ब्यूटी पार्लर को जो काम है, उन पर टैक्स लगाया है। किसी ने हमसे कहा है कि बड़ा जुल्म हो जायेगा। अब धोबी पर भी टैक्स लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज डाईक्लीनिंग का काम कोई धोबी नहीं करता। वह काम कोई और करता है। इसी तरह जो ब्यूटी पार्लर का काम है, वह कोई हज्जाम नहीं करता। उसे बड़े-बड़े लोग करते हैं। इन पर निश्चित रूप से टैक्स लगना चहिए। इन्होंने जो टैक्स लगाया है, उसका हम स्वागत करते हैं।

आज स्माल स्केल इंडस्ट्री की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। इसके सामने कुछ चुनौतियां है। उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाये, यह एक समस्या है। डब्ल्यू.टी.ओ. की व्यवस्था हो सकती है मगर जहां डब्ल्यू.टी.ओ. की व्यवस्था नहीं है, कम्पलशन नहीं है, वहां पर अपने देश की जो उत्पादक वस्तुएं हैं, उन पर तमाम टैक्स लगाये जाते हैं। जैसे एक्साइज टैक्स है, सेल्सटैक्स हैं, एंट्री टैक्स है। हम चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेट गुड्स हैं, उन पर भी एक्साइज टैक्स ही न लगाकर सेल्स टैक्स भी लगाना चाहिए। उन पर सी.वी.डी. लगे, यह हम प्रयास करते हैं।

इसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, उसके लिए बिहार के लोग इनका आभार व्यक्त करते है। हालांकि अब ये बिहार में नहीं रहे, झारखंड के हैं। इन्होंने श्री जयप्रकाश के नाम पर जो रोजगार शुरू किया है, निश्चित तौर से बहुत शानदार शुरूआत की है। उन्होने कहा कि हम तमाम पिछड़े इलाकों में इस योजना को लागू करेंगे, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन्हीं के मंत्रालय ने श्री ई.ए.एस. शर्मा जो इनके सैक्रेट्री हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में देश के सर्वाधिक 100 बैकवर्ड जिलों की पहचान की है। उसमें संयोग से बिहार के 32 जिले हैं। हम चाहते है कि जयप्रकाश जी के नाम जो योजना शुरू की गई है, उसके लिए भूमि उपलब्ध हैं। इसके अलावा शर्मा कमेटी ने जो अनुशंसा की है, यदि उन सौ जिलों में इस योजना को सबसे पहले शुरू किया जाएगा तो बहुत कृपा होगी।

हम बजट का समर्थन करते हुए और मंत्री जी की प्रशंसा करते हुए अपनी चबात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

***श्री सी. श्रीनिवासन** (डिंडीगुल): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल द्रमुक की ओर से वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। पिछले 10 सालों से चले आ रहे आर्थिक परिवर्तन अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहे हैं। हम ऐसी अवस्था में हैं जहां से हमें सुधारों के दूसरे चरण प्रारंभ करना होगा हमारी आर्थिक वृद्धि दर कई कारणों से धीमी

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री सी. श्रीनिवासन]

हुई है। हालांकि सूचकांक बताते हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। यह न तो पर्याप्त है और न ही संतोषजनक। संसद में दिए गए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसी के सकेत मिलते हैं। जब हमें 5.7% से 6% वृद्धि दर की आशा की तो यह मात्र 2.1% ही प्राप्त हो सकी। मैं यह दृढ़ता से महसूस करता हूं कि, यही उचित समय है जब हमें अपने विकल्पों पर पुन: विचार करें और देखे कि क्या हमें अपना रूख बदलना होगा।

ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने वाला प्रशासनिक तंत्र, संपूर्ण देश में राज्य सरकारों में निहित है। केन्द्रीय सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को राज्य सरकारें अमल में लाती हैं किंतु इसी के साथ हम यह भी पाते हैं कि कई राज्य सरकारें ऐसी भी हैं जिनके पास अपने कमर्चारियों को मासिक वेतन देने के लिए भी पर्याप्त निधियां नहीं हैं। यह केन्द्र के द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार का संकेत है।

हमारा पहला बजट करीब 197 करोड़ रुपये के लिए बना था किन्तु अब हमारा बजट 2 लाख 65 करोड़ से भी अधिक राशि के लिए बना है। प्रारंभ में हमारे ऊपर विदेशी ऋण नही था। पचास के दशक में यह करीब 2% थी अब यह 8 से भी ऊपर हो गया है?

विदेशी से प्राप्त ऋण के द्वारा हमने कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का राष्ट्रीय परिसंपतियों के रूप में निर्माण किया। पिछले 10 सालों से सार्वजनिक क्षेत्र की इन इकाईयों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई हैं किन्तु अभी भी विदेशी ऋण हमारे बजट के कुल परिव्यय के करीब 10% तक है। यह एक बड़ी राशि है। यह बजट गैर-योजना व्यय को कम करने पर बल देता है। यह बजट प्रशासनिक खर्चों को कम करने का आग्रह करता है। यह बजट, अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने पर भी जोर देता है। इस बजट में आर्थिक मंदी तथा औद्योगिक ठहराव आने जैसी सच्चाईयों को ईमानदारी से स्वीकार किया गया है। इनमें सुधार के उपायों पर जोर दिया गया है। उस समय जब वास्तविक्ता कठोर थी उस समय भी सरकार ने कर-तंत्र को विस्तृत नहीं किया और नहीं कोई और कर लगाए। मात्र इस कारण कि बजट में कड़े उपाय नहीं है इसलिए हमारी नेता और मुख्य मंत्री क्रांतिकारी नेता डा. जयललिता ने बजट की प्रशंसा की है।

इसके साथ-साथ बजट में मिट्टी के तेल, तथा रसोई गैस के मूल्य तथा डाक में बढ़ोतरी हुई है और यूरिया व अन्य उर्वरकों पर से राजसहायता हटा ली गई है। इन प्रस्तावों से गरीब लोगों व किसानों पर बड़ी मार पड़ेगी। हमारे नेता ने कहा कि इन उपायों से आम आदमी प्रभावित होगा। अब आपने रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमत को आधा कर दिया है। पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में भी थोड़ी कमी आई है। हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं।

जहां एक और आपने पेट्रोल का मूल्य घटाया, वहीं दूसरी ओर आपने मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ा दी है। जब केन्द्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी तब तमिलनाडु में पहले की सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमत नहीं बढ़ाई थी। अब चूंकि अब मूल्य बढ़ोतरी प्रभावित कर रही है इसलिए तमिलनाडु को मौजूदा सरकार को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। मिट्टी के तेल के बढ़े हुए मुल्य से तमिलनाडु सरकार तथा वहां की जनता दोनों ही प्रभावित होंगे। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं वे इस प्रस्ताव को रद्द कर दें जिससे अधिकतर गरीब लोग ही प्रभावित होगें।

पिछले तीन सालों से पेट्रोल और डीजल के मूल्य कम से कम दो बार बढ़े है। और अब इनमें नाममात्र की कमी घोषित की गई है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि रसोई गैस की सहायता का स्थाई हल किया जाए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग तथा गरीब लोगों में क्रय-शक्ति कम हुई है। जो आंकड़े प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा हुआ सिद्ध करते हैं वह एक धोखा हो सकता है मुद्रास्फीति में कमी का बड़ा दावा भी यही सिद्ध करता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन कदमों को स्पष्ट करेंगें जो मध्यम वर्ग तथा गरीब लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। विश्व व्यापार समझौते के अंतर्गत पश्चिमी समुदाय, विकासशील देशों में श्रम मानक लागू करने पर बल देता रहा है, किन्तु क्या ये पश्चिमी निगम, भारत जैसे विकासशील देशों में लगाई जाने वाली अपनी औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को उतना ही वेतन देते हैं जितना कि वे अपने देश में देते हैं?

अब उन इकाइयों का विश्लेषण करते हैं जो पिछले एक दशक में विदेशी निवेश के द्वारा लगाई गई है। इन विदेशी इकाईयों ने शीतल पेयों, मिठाईयों, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में अपनी पैठ जमाई है जिससे इस देश के लघु-उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। जब हमारा औद्योगिक विकास कम हो गया है तो लघु-उद्योगों को अतिरिक्त ऋण सुविधा से लाभ कैसे पहुंचेगा जबकि वे अधिकांशत: बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाईयों पर सहायक इकाईयों के रूप में निर्भर हैं।

पिछले दस सालों में यूरिया जैसे उर्वरकों का मूल्य पांच गुना बढ़ चुका है। सिंचाई योजनाएं व्यापक तौर पर तथा समान रूप से नहीं चल रही है। मूल्य-वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कृषि के आदान भी महंगे हो गए हैं। सहकारी क्षेत्रों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने की सरकार की घोषणा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारे किसानों के कर्ज का बोझ बढ़ जायेगा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि कृषि उत्पादकता, उत्पादन, खरीद, मूल्य निर्धारण तथा विपणन संभावना जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के लिए एक विशिष्ट आयात-निर्यात नीति बनाई जाए।

अभी भी भारत में हमारे किसानों को मिलने वाली राजसहायता अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों में मिलने वाली कृषि राजसहायता से काफी कम है। किंतु यहां क्या हो रहा है? यहां उन्हें जो थोड़ा-बहुत मिल रहा है उसे भी हटाया जा रहा है। इन राजसहायताओं को हटाने से हमारी कृषि अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। हम, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी तथा अपने देश के अनुकूल अनुसंधान व प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों को अपनाकर अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खाद्यान्नों जैसे हमारे कृषि उत्पादों को संभालने के लिए यहां भण्डारण व प्रसंस्करण सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। यह बहुत ही खेद की बात है कि हमें हर वर्ष करीब 70 हजार करोड़ की हानि होती है।

हमारे देश की विशिष्ट जड़ी-बूटियों, मसालों और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने जैसे कई मुद्दे लंबित हैं जिन्हें विश्व व्यापार संगठन में उठाया जाना है। किसानों की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिए बिना आपने उनके लिए एक अलग बीमा निगम बनाने की घोषणा कर दी। मुझे उसके बारे में कुछ आशंकायें है।

वस्त्र उत्पादन के मामले में हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में इस क्षेत्र का विकास जारी रखने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिए गए हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल तथा पड़ोसी मिलों में रंगाई तथा छपाई जैसी प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयां हैं। ये इकाईयां वस्त्र उद्योग में सहयोग प्रदान करती हैं। इस वर्ष के बजट ने इन पर इतना बोझ डाल दिया है कि इससे हजारों बुनकर तथा बुनकर इकाई कामगार प्रभावित होंगे। मैं केन्द्रीय सरकार से प्रसंस्करण इकाईयों पर लगे कर हटाने का अनुरोध करता हूं। इसी प्रकार, आपने स्पिंडल यार्न पर भी 9.2% के लगभग उत्पाद कर लगाने की घोषणा की है, इससे भी हथकरघा बुनाई क्षेत्र प्रभावित होगा। इसे भी वापिस लिए जाने की आवश्यकता है।

विद्युत क्षेत्र के सुधारों में हमें पारेक्षण तथा वितरण के दौरान होने वाली हानि के परिहार पर ध्यान देना होगा तथा बिजली की चोरी रोकने के लिए चौकस रहना होगा। लेकिन बजाए इसके केन्द्रीय सरकार अपना ध्यान किसानों को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर भी केन्द्रित कर रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और किसानों को सस्ती दर पर बिजली प्राप्त करने से वंचित रखने से हमें हानि ही होगी।

हमारे वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र में सुधारों के तीसरे चरण पर बल देते हैं। इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकारी नीति के रूप में किया गया है। किंतु इसके विपरीत हम किसानों के हित वाली छोटी से छोटी राजसहायता भी समाप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त निधियां नहीं हैं। तमिलनाडु में यह कार्य पिछले एक साल से ज्यों का त्यों है क्योंकि केन्द्र से निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। समान विकास तभी संभव होगा जब केन्द्र, राज्यों की चालू परियोजनाओं विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए समय पर निधियों के वितरण का ध्यान रखेगा।

हमारे वित्त मंत्री ने विदेशी निवेशकों पर लगे निगमित कर को 8% घटा दिया है। इसी के साथ-साथ उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे औद्योगिक व कृषि क्षेत्र हमारे सकल घरेलू उत्पादन में 8% विकास दर प्राप्त कर सके इसके लिए, उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देने हेतु समुचित उपाय किए जाये।

विश्व की तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में, भारत पहले पांच देशों में से एक है और औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व में इसका 12वां स्थान है। यह मौजूदा औद्योगिक इकाईयों के कारण ही है, जिनमें से अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इसलिए मैं आधुनिक भारत के मंदिरों के विनिवेश तथा निजीकरण के लिए सरकार को सावधान करना चाहूंगा।

सरकार ने रोजगार सृजन के पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। नौकरियों में कटौतियां की गई हैं तथा लोगों को घर बैठा दिया गया है। निजी क्षेत्र को भी नौकरियां घटाने का कर्मचारियों की छंटनी की अनुमति दे दी गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार, देश के युवा वर्ग के मन में आत्मविश्वास व आशा का संचार कैसे कर पाएगी।

संपूर्ण देश में प्रशासनिक शक्ति के प्रत्यायोजन तथा वितरण सामाजिक कल्याण के उपायों में वृद्धि करने, रोजगार सृजन योजना आरम्भ करने की आवश्यकता है। यह सब सुनिश्चित करने के लिए हम राष्ट्रीय विकास परिषद आयोजित कर सकते हैं जो केन्द्र व राज्यों के बीच विचारों के आदान-प्रदान का मंच हो सकता है। तमिलनाडु को देश में अग्रणी राज्य बनाने की दृढ़ व संकल्प के

[श्री सी. श्रीनिवासन]

साथ हमारी नेता डा. जयललिता ने शेरनी की तरह छलांग लगाकर तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का पद पुन: प्राप्त कर लिया। संदर्शी महत्व की योजनाओं वाले राज्यों के साथ केन्द्र को सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने होंगे।

इस चर्चा के दौरान हमारे वित्त मंत्री ने यह कहने के लिए हस्ताक्षेप किया था कि सेतु समुद्रम परियोजना को शुरू किया जाएगा। इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि इस परियोजना को अब तक केवल 4.9 करोड़ रुपए ही आबंटित किए गए हैं जबकि इसके लिए लगभग 1860 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष सेतु समुद्रम परियोजना के लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है, इस परियोनजाके पूरा हो जाने से लगभग 400 कि.मी. समुद्री मार्ग की दूरी कम हो जाने से हमारी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करने पर इससे हमारी अर्थव्यवस्था में काफी बचत हो सकेगी। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

142 करोड़ रुपए की लागत की पूर्वोत्तर सड़क योजना लम्बित पड़ी है। पूरा होने पर यह योजना पूर्वोत्तर के पत्तनों और बंदरगाहों विशेषकर तमिलनाडु के सभी पत्तनों को जोड़ेगी। केन्द्र सरकार की चालू सड़क परियोजनाओं के साथ-साथ इस परियोजना को भी शुरू करना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल के निर्माण के लिए केन्द्र के साथ इस पर बात की है हमारी अर्थव्यवस्था में प्रवाह लाना सुनिश्चित करने के हेतु केन्द्र को हमारी मांग पर ध्यान देना चाहिए और पूर्व एशियाई स्थानों को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए इस परियोजना हेतु पर्याप्त धनराशि देनी चाहिए।

मुदरई नगर निगम ने 27 कि.मी लम्बा रिंग रोड बनाने के लिए एक योजना तैयार की है जो मेरे चुनाव क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों को कवर करेगी। मदुरई नगर निगम ने इस परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु 15 करोड़ रुपए के कर जो केन्द्र को दिए जाने थे, वो माफ करने के लिए केन्द्र से बात की है।

केन्द्र ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन परियोजना में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए तमिलनाडु सरकार को लगभग 49 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हमें हमारे उत्साह के लिए ईनाम मिलना चाहिए और केन्द्र सरकार को हिस्सा तत्काल जारी किया जाना चाहिए।

एम.टी.एन.एल. मुम्बई और दिल्ली दोनों में कार्य कर रहा है। चेन्नई टेलीफोन मंडल में भी एम.टी.एन.एल. होना चाहिए और मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

मेरे डिंडीगुल निर्वाचन क्षेत्र में अनेक चर्म शोधनशाला इकाईयां है जिनसे देश को काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होती हैं। ये हजारों व्यक्तियों को नौकरी प्रदान करती है। केन्द्र को प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बहिस्राव एकक की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए वहां ये इकाईयां कार्य करती रहे यह सुनिश्चित करने के वह लिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रभावी कदम उठाये।

पश्चिमी घाट पर्वतीय विकास योजना को कोडाईकनाल डिंडीगुल और तिरूमलाई के बीच पर्वतीय सड़क सपंर्क प्रदान करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय निधियां उपलब्ध कराई जाएं। पर्यटन विकास को एक नया आयाम देने में यह निवेश अत्यधिक सहायक होगा और हम पयर्टन विकास सुनिश्चित कर सकते है।

शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत डिंडीगुल, पलानी, कोडाईकनाल को आदर्श शहर के रूप में सुधार किया जाए। इसके लिए तथा थिरूनेल्वेली नगर निगम द्वारा शुरू की जाने वाली इन शहरी विकास योजनाओं के लिए केन्द्र को और धनराशि आबंटित करनी चाहिए।

तमिलनाडु में पिछली सरकार ने केन्द्र से 169 करोड़ रुपए ऋण लिए और इनका बोझ अब हमारे ऊपर है। जिस तरह पंजाब और आंध्र प्रदेश के मामले में केन्द्र द्वारा ऐसे ऋणों को माफ किया था उसी तरह केन्द्र को अब राज्य की दशा को ध्यान में रखते हुए ऋण को माफ करना चाहिए।

मैं केन्द्र से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं में तमिलनाडु के हिस्से को बढ़ाया जाए। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजनाओं के तहत बिहार जैसे राज्यों में जहां सड़क नेटवर्क नहीं है, को अधिक निधियां दी गई है। लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां अच्छा सड़क नेटवर्क है को भी इनके रखरखाव के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आबंटन करने का अनुरोध करता हूं।

कुछ समय पहले तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री और केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने इसके लिए निधियों का आबंटन सुनिश्चित किए बिना थुर दक्षिण के नगुनेरी में निर्यात प्रसंस्करण जोन की आधारशिला रखी थी मैं केन्द्र सरकार से इसे शुरू करने और वहां औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए निधियां प्रदान करने का अनुरोध करता है।

केन्द्र के कहने पर थमिरा बरानी और वैगई जैसी वर्षों पुरानी नदी प्रणाली की गाद निकालने की परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी गई थी। केन्द्र ने इसके लिए निधियां आबंटित नहीं की है और मैं अनुरोध करता हूं कि इन योजनाओं को शुरू किया जाए ताकि सिंचाई कार्य में तेजी लाई जाएगी।

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि तमिलनाडु रेल बजट और केन्द्रीय आम बजट दोनों में हमेशा उपेक्षित रहा है। इसलिए इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि तमिलनाडु सरकार एल.टी.टी.ई. जैसे अतिवादियों के हाथों में सीमापार से चलाए जा रहे आतंकवाद सहित आंतकवाद को जड़ से उखाड़ फैकने के लिए कटिबद्ध है। तमिलनाडु में पुलिस बल का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र को इस बात की जानकारी है और इसलिए उन्होंने पोटो कानून लागू किया है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इसके लिए पर्याप्त निधियां निर्धारित करने का अनुरोध करता इसी के साथ मैं वर्ष 2002-03 के लिए केन्द्रीय बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करने पर मैं अध्यक्ष-पीठ को धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रियरजंन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, अगले वक्ता को पुकारने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के साथ हुई बैठक में तथा बी.ए.सी. दोनों में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के मामले में आम बजट और रेल बजट पर स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि संबंधित दलों, एन.डी.ए. तथा विपक्ष दोनों को कितना कितना समय आबंटित किया गया है, या यह सूचना होनी चाहिए कि सभा की कार्यवाही कब तक चलेगी। इससे हमें बात समझने में मदद मिलेगी कि हमें कितना समय दिया गया है। और तदनुसार हम अपने वक्ताओं को बोलने के लिए समय देने में समर्थ होगे तथा सतापक्ष भी अपने वक्ताओं को बोलने के लिए समय देने में समर्थ होगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं। इसलिए, मुझे अपनी पार्टी के उन सदस्यों को बराबर बराबर समय देने में कठिनाई हो रही है। जिन्हें निर्धारित समय के बिना किसी जानकारी के वाद-विवाद में भाग लेने का बराबर अधिकार है।

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज एक घंटा अधिक समय के लिए वाद विवाद जारी रहने दे और फिर कल विभिन्न दलों में लम्बित समय के आबंटन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए संबंधित दलों द्वारा कितना-कितना समय लिया गया इस बात का हिसाब लगाकर यह निर्णय किया जा सकता है कि प्रत्येक दल को और ग्रुप को और कितना समय मिलेगा।

महोदय, इस सभा में हमारी पार्टी के 112 सदस्य है और यदि हमारे तीसरे वक्ता की बारी लगभग 10 बजे आती है तो फिर वह उस दिन बोलने का अवसर मिले बिना वापस घर चले जाएंगे तो सभा की कार्यवाही का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं इस मामले में न्याय चाहता हूं। सरकार इसका जवाब देगी वे भी इस पर सहमत है। या तो दलों को बराबर बराबर समय दिया जाए या फिर समय निर्धारित किया जाए। अन्यथा, दलों के सचेतक मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह किसी एक सदस्य या दल के विरुद्ध नहीं है। यह तो अच्छी तरह सभा की कार्यवाही को नियमित करना है।

[हिन्दी]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद बिहार): 112 आदमी क्या कोई मायने नहीं रखते है ? हम काफी समय से बैठे रहते हैं और हम लोगों को मौका नहीं मिलता ...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): आप सभी पार्टी का समय निर्धारित कर दीजिए ताकि सबको पता लग जाये कि किसको कितना बोलना है तभी ठीक रहेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी पार्टीज का समय निर्धारित है। सभी पार्टीज के लोग अपने समय का इस्तेमाल करते हैं। उसमें किसी के साथ कोई कोताही नहीं होती। छोटी पार्टी को कुछ मौका दिया जाता है और 12 घंटे की डिबेट निश्चित हुई है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुझे एन.डी.ए. से संबंधित सदस्यों को भी चिंता है। आप दलों के लिए समय के बारे में निर्णय करें ताकि मैं अपने वक्ताओं को रोक सकूं। लेकिन कुछ पता नहीं चला है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: ये दल केवल इस वाद-विवाद में हिस्सा ले रहे हैं। वे कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठा रहे हैं अथवा सभा में स्थगन प्रस्ताव पर जोर नहीं दे रहे हैं। वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़े दल शून्य काल के दौरान काफी समय लेते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री पांडियन मैं किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि समय का पता हो तो हम अपने दलों को नियमित कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: बड़े दल अधिक समय लेते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: स्थगन और शून्य काल किसी वाद विवाद का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। शून्य काल के दौरान किसी भी मुद्दे को उठाना सदस्य का अधिकार हैं। ...*(व्यवधान)* आप तमिलनाडु विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष थे।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: आप सभी मुद्दों पर बात करें। लेकिन यहां केवल वाद-विवाद में ही हिस्सा लेते है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सही नही है।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: हम किसी स्थगन पर जोर नहीं देते। हम सभा के स्थगन पर जोर नहीं देते। हम चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही चले। हमने किसी भी चर्चा में बाधा नहीं डाली है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: समय का पता होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इसमें गलत क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: हमने किसी चर्चा में बाधा नहीं डाली है। हम सभा को कोई समय बर्बाद नहीं करते।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री पांडियन, आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: सभा की कार्यवाही अधिक दिनों तक नहीं चली।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सभी पार्टीज का समय सुनिश्चित है। जो पार्टी के चीफ व्हिप समय जानना चाहें, वे टेबल पर से समय जान सकते हैं और उसी के मुताबिक अपने मैम्बर को नियंत्रित करने के लिए अपने मैम्बर को भी समय की जानकारी दे सकते हैं।

रात्रि 8.00 बजे

यह विवाद का विषय नहीं है। इस समय आठ बज रहे हैं, यदि सभा की सहमति हो, तो एक घन्टे का समय बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, हम कल भी बैठक करते हैं और चर्चा जारी रखते है। ...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): वित्त मंत्री बहुत थके हुए लगते हैं। पूरे दिन वे वाद-विवाद सुनने के लिए राज्य सभा में बैठे रहे थे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बजट पर 12 घन्टे चर्चा होनी है, पांच घन्टे हो चुके हैं। यदि एक घन्टे का समय बढ़ा दिया जाए, तो छ: घन्टे की चर्चा आज हो जाएगी, नहीं तो कल फिर देर रात तक बैठना होगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि सदस्य बोलना चाहते हैं तो हम एक घंटा समय और बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभा की सहमति है कि एक घन्टे का समय बढ़ा दिया गया। श्री आदि शंकर

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): सभापति महोदय, मैं डीएमके दल की ओर से बजट के समर्थन में खड़ा हूं, जो कि यर्थाथवादी और विकासोन्मुखी है। यह बजट संतुलित और सुधारवादी है और यह बागवानी उत्पादन और कृषि कार्यों को बढ़ावा देगा।

अनेक समस्याओं और रुकावटों के बावजूद वर्तमान सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के योग्य नेतृत्व में आर्थिक मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है। इसके बावजूद इसे आने वाले वर्षों में और अधिक सफलता हासिल करनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर सबसे न्यूनतम चल रही है जो कि 101 प्रतिशत है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी है। मैं बजट में घोषित कई स्कीमों/योजनाओं का स्वागत करता हूं जैसे कि 'सभी के लिए शिक्षा-सर्वशिक्षा अभियान', 'अच्छा स्वास्थ्य-जनरक्षा' इत्यादि। यह बात काफी उत्साहवर्धक है कि एलपीजी की बढ़ाई हुई कीमतें वापस ली जाएगी और यह बात बहुत प्रशंसनीय है। यहां मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल की कीमतों पर भी विचार करेंगे और उसे भी कम करें।

भारत सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा दिए जाने के कारण भारत में खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार है। खाद्यान्नों में लगभग 60 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। सरकार ने ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री ने आयकर पर 5 प्रतिशत अधिभार लगाया है जिसे पिछले वर्ष गुजरात में आए भूकंप की तबाही के परिणामस्वरूप 2 प्रतिशत लगाए गये अधिभार से बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष गुजरात में दूसरी त्रासदी हुई है। केन्द्र और राज्य सरकारों को दंगा-पीड़ित लोगों के राहत और पुनर्वास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती का स्वागत करते हैं जिससे परिवहन क्षेत्र में सहायता मिलेगी।

देश के हजारों शहरों और कस्बों की विकास के इंजिन के रूप में पहचान की गई है, परंतु वहां अनेक नागरिक सुविधाओं जैसे जल, जलमल निकासी, बिजली, आवास, यातायात और स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है। बजट में वित्त मंत्री ने तीन प्रोत्साहन निधियों को प्रस्ताव रखा है-शहरी सुधार प्रोत्साहक निधि (यूआरआईएफ), शहर चुनौती निधि और फाइनेंस डेवलपमेंट स्कीम। चूंकि इन योजनाओं पर विस्तृत रूप पर अभी कार्य किया जाना है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक शहर के लिए निगरानी समितियों का गठन करें और ऐसी समितियों में संसद सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों के नाम मनोनीत करें।

सरकार को आशा है कि प्रत्यक्ष करों के माध्यम से 6,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। इसमें 5 प्रतिशत 2,750 करोड़ रु. की अधिभार राशि भी शामिल है। उत्पाद शुल्क पर 6,700 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व मिलने की आशा है। सीमा शुल्क पर इस वर्ष 2,200 करोड़ रु. के राजस्व के कम होने का अनुमान है।

माननीय वित्त मंत्री ने नए सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पैंशन योजना का भी उल्लेख किया है जिसके लिए इस वर्ष के दौरान एक योजना तैयार की जाएगी। योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार सभी मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेगी ताकि उसे कर्मचारियों से सर्वसम्मति मिल सके।

1650 करोड़ रुपये की राशि प्राथमिक शिक्षा के सर्वत्र प्रसार के लिए आवंटित की गई है। सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों की बालिकाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। तमिलनाडु में लगभग सभी जिलों में साक्षरता का स्तर 100 प्रतिशत पहुंच गया है, इसका श्रेय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डा. कलिगंनार को जाता है, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन और अन्य योजनाओं पर विशेष बल दिया था।

सर्वाधिक पिछड़े जिलों में बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने के लिए सरकार ने जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना के नाम से नयी योजना आरंभ की है। एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक एक और योजना है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने सितम्बर 2001 को वर्तमान रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को समन्वित करके आरंभ किया था। अभी तक सरकार ने अनेक रोजगार योजनाओं की घोषणा की है, परंतु निम्नस्तर पर परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं है और इसका फायदा निचले स्तर तक पहुंच भी नहीं रहा है। दिन प्रति-दिन बेरोजगार नवयुवकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार को प्रत्येक ऐसी योजनाओं की निगरानी यह देखने के लिए करनी चाहिए कि कैसे ये योजनाएं क्रियान्वित की जा सके ताकि अधिकतम संख्या में नवयुवकों, शिक्षित और अशिक्षित को या तो स्वरोजगार मिले या वे कुछ पारिश्रमिक कमा सके व एक सशक्त समाज का निर्माण कर सके तथा देहातों में सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियां बन सके।

विनिवेश विभाग ने वास्तव में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चाहे उसकी हालत अच्छी हो और वह मुनाफा कमा रही हो या नहीं विनिवेश आरंभ कर दिया है। पहले ही कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश किया जा चुका है परन्तु उपक्रमों के प्रबंधन का हस्तांतरण और नियंत्रण, कर्मचारियों से संबंधित मामलों को बिक्री के निबंधन और शर्तों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधितों से परामर्श करके उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए। सेलम स्टील प्लांट एक ऐसा उदाहरण है जहां कर्मचारियों के भविष्य की उचित तौर पर ध्यान नहीं दिया गया।

मद्रास फर्टिलायजर लिमिटेड जो कि उत्तर मद्रास में स्थित है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक संयंत्र है जो कि विजय ब्रांड के मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करता है जिसका बड़ी मात्रा में प्रयोग तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में किया जाता है। पिछले 30 वर्षों में एम एफ एल ने कृषि क्षेत्र में 22 मिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक उर्वरकों की आपूर्ति की है। उसने मिश्रित उर्वरकों पर वित्तीय सहायता और पूंजी पुनर्निमाण तथा टेरिफ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने एम एफ एल द्वारा सरकार से लिए गये 100 करोड़ रु. के बकाया ऋण को माफ करने का आग्रह किया है। उन्होंने 50 करोड़ रु. की बकाया ऋण राशि को 5 प्रतिशत को गैर-संचित प्राथमिकता पूंजी में बदलने की मांग की है। उन्होंने मिश्रित उर्वरकों पर पीसीएस पर शुल्क समिति रिपोर्ट को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया है।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है सरकार के पास नेवेली लिग्नाइट निगम के विनिवेश का प्रस्ताव है। यह उपक्रम जो कोयला मंत्रालय

[श्री आदि शंकर]

के अधीन है, पिछले 25 वर्षो से बहुत ही कुशलता से कार्य कर रहा है। यह ऐसा एकमात्र उपक्रम है जो लिग्नाइट कोयले से विद्युत का उत्पादन करता है, और यह विद्युत उत्पादन के साथ कोयला खनन करने वाली एक समन्वित परियोजना है। इसने अभी तक 4514 करोड़ रु. का लाभ कमाया है और इसका पिछले वर्ष लाभ 725 करोड़ रु. था। इस वर्ष के दौरान इसने अभी तक 950 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है। इसके अलावा, उनके बिजली घरों से उत्पादित बिजली मुख्यत: केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण राज्यों को 1 रु. 65 पैसे और तमिलनाडु में 1 रु. जैसी बहुत सस्ती दरों पर बेची जाती है, जबकि निजी क्षेत्रों से उत्पादित बिजली 4.50 से 5.50 रु. के दर पर बेची जाती है। इसलिए यदि, एनएलसी का निजीकरण किया जाए तो सभी दक्षिण राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

इसके अलावा, यह निगम सामाजिक गतिविधियों में भी लिप्त है और दक्षिणी क्षेत्र की बिजली आवश्यकताओं, अधिकतर सेवान्मुखी संगठनों की पूर्ति करता है। इसलिए मैं सरकार ने निवेदन करता हूं कि वह इस उपक्रम के ढांचागत बनावट को अस्थिर करने का कोई प्रयास न करें। क्योंकि इससे आवश्यक रूप से न केवल विद्युत क्षेत्र में आवश्यक गड़बड़ी पैदा होगी अपितु इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास को पर्याप्त महत्व दिया है। कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। बजट कृषि विविधता और खाद्य प्रसंस्करण की तीसरी क्रांती का अग्रदूत होगा। किसानों को स्वतंत्रता देने की अवधारणा प्रशंसनीय है। किसानों को दलालों के बिना निर्यात की भी स्वतंत्रता मिलेगी। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री, डा. कलिंगनार द्वारा अयोजित 'सुझावर चनथई' नामक किसानों के बाजार के उदाहरण का अनुकरण करते हुए 'किसानों के लिए बाजार' की स्थापना के लिए अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए। यह जानते हुए खुशी हो रही है कि सीतानगर के निर्माण के लिए ऋण से जुड़ी राजसहायता की योजना को 70 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। सीतानगर कृषक बाजारों के पास बनाया जा सकता है। सरकार द्वारा किसानों को उनकी स्वतंत्रता और उन्हें उपलब्ध नए अवसरों की जानकारी देने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। इस बजट में संकल्पित सुधारों का लाभ किसानों तक अवश्य पहुंचना चाहिए।

रात्रि 8.11 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

पर्यटन एक शांत परंतु सफल उद्योग है। यह अधिक रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। यह बात प्रशंसा योग्य है कि वर्ष 2002-2003 के लिए पर्यटन पर योजना परिव्यय तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर 225 करोड़ रु. तक किया गया है। पर्यटन उद्योग को सरकार से अधिक सहायता समर्थन की आवश्यकता है। पर्यटन के लिए अधिक निधि का आवंटन किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु एक ऐसे अग्रणी राज्यों में से है जिसने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू किया है। इसलिए ऐसे राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त निधि के आवंटन को परिवार कल्याण उपायों के कार्यनिष्पादन के साथ जोड़ा जा सकता है।

चेन्नई एक महानगर बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इसलिए नगर निगम या राज्य सरकार सभी आधारभूत आवश्यकताओं के साथ शहर के बेहतर विकास हेतु अकेले पर्याप्त धन नहीं दे सकता। हमारे युवा नेता, श्री एम.के. स्टालिन चेन्नई नगर निगम के मेयर के रूप में पुलों के निर्माण से लेकर पेयजल उपलब्ध करने और शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण तक के लिए बहुत काम कर रहे हैं। महोदय, आप जानते होंगे कि चेन्नई शहर में पेयजल की भारी कमी है और लोगों को मेट्रो वॉटर द्वारा उपलब्ध कराये पानी को लेने के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चेन्नई नगर के पेयजल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष निधि मुहैया कराए ताकि इस महानगर के लोगों को कम से कम इस गर्मी में कुछ राहत मिल सके।

एन्नोर बंदरगाह का गोदाम और पोत कक्ष के रूप में विकास किया गया है। परंतु अभी भी बहुत सा कार्य शेष बचा है और इसे शीघ्रता से पूरा करने के लिए अधिक राशि के आवंटन की आवश्यकता है।

इसी प्रकार चेन्नई शहर विशेष कर उत्तर चेन्नई और मेरा निर्वाचन क्षेत्र कुड्डालोर समुद्री कटाव का शिकार है और प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग समुद्री-कटाव के कारण समुद्र में चले जाने से कम हो जाता है समस्या इतनी गंभीर है कि एन्नोर पोर्ट की मुख्य संपर्क सड़क भी इससे प्रभावित है। पर्याप्त निधि के साथ इस समुद्री कटाव को रोकने के लिए विशेष योजना बनायी जानी चाहिए।

तमिलनाडु में बगहुत सारे पर्यटक स्थल है, जिनमें मंदिर, रिसोर्ट, रोमांचक पर्यटन इत्यादि शामिल है। चेन्नई से कन्याकुमारी तक के पर्यटन सर्किट की पहचान करके और अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसका विकास किया जा सकता है।

अब मैं लघु बचत और ब्याज दर के विषय बात करूंगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भविष्य निधि की ब्याज दर में वर्ष-प्रतिवर्ष कटौती की जा रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग को काफी क्षति उठानी पड़ती हैं। हालांकि बजट में नयी मशीन के मूल्यह्रास के 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान हैं और इसके अतिरिक्त विदेशी निवेश कम्पनियों को अतिरिक्त आयकर छूट भी दी गयी है, फिर भी बड़े स्तर के उद्योगों को कोई रियायत नहीं दी गई हैं। इस बजट में अनिवासी भारतीय निवेशकर्ताओं को आकर्षित किया गया है। यह आकर्षण इसलिए हैं क्योंकि अब किसी अचल सम्पत्ति को बेचने या खरीदने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए में आपको धन्यवाद देता हूं। इस बजट का विरोध करते हुए सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जिससे उन्होंने पूर्वोत्तर विशेष कोष हेतु अगले वर्ष के लिए आबंटन 345 करोड़ से बढ़ा कर 5014 करोड़ कर दिया है। वर्ष 1998 में भारत के प्रधान मंत्री की घोषणा के पश्चात इस कोष का गठन किया गया था अब अगर आप विभिन्न मंत्रालयों के बजटीय आबंटन को देखें तो, पायेंगे कि इस मामले में न्याय नहीं किया गया है। यह इसलिए कि प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर में वक्तव्य दिया था कि हर वर्ष मंत्रालयों और विभागों के बजटीय आबंटन का 10 प्रतिशत न खत्म होने वाले केन्द्रीय पूल के रूप में रखा जायेगा। 1998 से अब तक पहले ही पांच वर्ष का समय बीत चुका है और ऐसा लगता है इस संबंध में कोई न्याय नहीं किया गया है। अगर आप वर्ष 1999-2000 को देखें तो पायेंगे कि वित्तमंत्री ने प्रधान मंत्री के केन्द्रीय पूल के लिए 93 करोड़ रुपयों की घोषणा की है जब हम योजना आयोग के पास गए तो हमे बताया गया कि यह राशि अब 124 करोड़ हो गयी है। अगर आप सभी मंत्रालयों का 10 प्रतिशत हिस्सा जोड़ते है तो यह राशि 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से कम नहीं होगी चूंकि भारत सरकार ने कुछ कठिनाईयां जाहिर की 10 प्रतिशत की कटौती का विचार आठ मंत्रालयों के बारे में नहीं किया जा सकता। हमने इस पर सहमति जतायी। फिर भी, अगर आप शेष मंत्रालयों से बजटीय आबंटन की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष काटेंगे तो भी यह 5000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से कम नहीं होगी। अत: 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02 और 2002-03 की राशि का आकलन करें तो हमारे पास लगभग 25000 करोड़ रुपये होना चाहिए था।

इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को दिए गए आश्वासनों का पूर्णत: पालन किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार अपनी वचनबद्धता से दूर हट रही है और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ धोखा कर रही है।

महोदय, पूर्व प्रधान मंत्रियों ने भी वचनबद्धता प्रकट की थी। जब श्री देवगौड़ा प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर को 6100 करोड़ राशि का विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। बाद में, जब श्री आई.के. गुजराल प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने 7300 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की। आज हम एन.डी.ए. सरकार की वचनबद्धता को लेते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि पूर्वोत्तर को विशेष पैकेज के रूप में 10 प्रतिशत की कटौती अलग से रखने की घोषणा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की है। आज तक हम केवल 5014 करोड़ रुपयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अगर यह कार्यशील हो जाये तो इस धन का उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किया जाना चाहिए। अत: मैं कहना चाहूंगा कि इस संबंध में आत्मनिरीक्षण की आवश्कता है। इस धन को अलग रखना चाहिए और इसके खर्च में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक योजना तथा परियोजना, जहां इस धन का उपयोग हो रहा है के बारे में लोगों को बता देना चाहिए। इस धनराशि का आबंटन राज्यों को आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर वित्तीय विकास निगम (नार्थ-ईस्ट डेवलपमैंट कार्पोरेशन) नामक संस्थान की स्थापना डा. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में की गयी थी। यह गुवहाटी में स्थित है। महोदय, मेरे विचार से इसकी ब्याज दर काफी ऊंची है। यह इसलिए गठित किया गया था ताकि जो लोग परियोजनाएं और योजनाएं शुरू करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके। लेकिन उधार की दर 16 से 18 प्रतिशत रखी गयी है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे कम करके 12 प्रतिशत तक लाए ताकि कोई भी परियोजनाओं और स्कीमों को शुरू कर सके और इस संस्थान से धन ले सके।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर में काफी योजनाएं और परियोजनाएं आरम्भ की जाती है। कुछ परियोजनाएं तो दस से पन्द्रह वर्षों से चल रही हैं। पहली बार में आबंटित किया गया धन इतना कम होता है कि परियोजनाओं के शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। आगामी वर्ष में भी थोड़ी राशि आबंटित की जाती, जिसके परिणाम स्वरूप समय बढ़ता जाता है। साथ ही अपरिव्यय तथा विभिन्न चीजों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसलिए हम पाते हैं कि इस तरह बहुत सी परियोजनाएं और योजनाएं अधर में लटक जाती है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रधान मंत्री के दस प्रतिशत खत्म न होने वाली निधि का यह धन इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए।

[श्री के. सांगतम]

असम गैस क्रैकर परियोजना जो दस वर्ष पहले शुरू की गयी थी अभी भी अधूरी है। जिस दर से इसके लिए आबंटन किया जा रहा है मैं नहीं समझता कि हम इसे पूरा कर पायेगे। अन्य कई योजनाएं भी शुरू की गई है स्कीमों का कार्य भी लिया लेकिन ये अधूरी पड़ी हैं और रेल परियोजनाएं इसका उदाहरण है।

मैं एक महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में कहना चाहूंगा जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी नागा भूमिगत संगठनों के साथ शांति वार्ताओं के दौरान लायी थी। उन्होंने उन्हें मुख्य धारा में आने के लिए कहा और कहा कि वे उन्हें एक परियोजना देगी ताकि वे लोग जीविका अर्जन कर सकें तब राज्य सरकार ने हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के साथ मिलकर इस परियोजना की शुरूआत की लेकिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण इसमें विलम्ब हो रहा है। इस परियोजना को पुन: चालू करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज का अनुरोध किया गया है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा पैकेज नहीं आया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ विशेष वित्तीय पैकेज दे ताकि वे लोग जिन्होंने केन्द्र सरकार के वायदे के बाद देश की मुख्य धारा में आना स्वीकार कर लिया है वे इस इकाई से समुचित आम प्राप्त कर सकें । आगामी वित्तीय वर्ष में मैं चाहूंगा कि नागालैंड में जाली में स्थित पल्प एंड पेपर मिल के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये। नागालैंड फारेस्ट प्रोडक्ट लिमिटेड तिजित नामक एक अन्य लाभ कमाने वाली इकाई तिजित में स्थित है। केन्द्र सरकार से इस परियोजना के लिए मिलने वाली निधियों के अभाव में यह परियोजना भी अधर में लटक रही है। अत: मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह इसके लिए विशेष पैकेज प्रदान करें ताकि इसका आधुनिकीकरण हो सके और इसका मूल्यावर्धन हो सके और इस इकाई को पुनर्जीवित किया जा सके।

मैं बताना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में सैल्यूलर टेलीफोन सेवाओं की दृष्टि से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र वंचित है। लेकिन हमारे दोस्त श्री किरीट सोमैया जी ने दूरसंचार क्षेत्र के बारे में बढ़-चढ़ कर टिप्पणी की है। हाल ही में इस संदर्भ में जब हमने मंत्रालय से जानकारी मांगी तो उन लोगों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय इस संबंध में आपत्ति उठा रहा है। मैने हाल ही मैं एक संसदीय प्रश्न पूछा था जो निम्न प्रकार से है।

"क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर में केवल गुवाहाटी और शिलांग में ही सैल्यूलर फोन सेवा आरम्भ की गयी है।" इस संबंध में मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया वह इस प्रकार है।

"असम टेलीफोन सर्किल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा कारणों से यह सेवा आरम्भ नहीं की गयी है।"

यदि ऐसा है तो क्या शिलांग और गुवाहाटी पूर्वोत्तर में नहीं है। यहां पर समस्या पूर्वोत्तर की नहीं है। कुछ औद्योगिक घराने ऐसे है जिन्होंने यहां सेवा प्रदान करने के लिए यहां निविदा दी और अब उन्हें यह पता चला कि यहां पर सेवा प्रदान करना वित्तीय दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं है तो वहां से वे बाहर आ सकते हैं वे केवल समृद्ध क्षेत्र को लेना चाहते हैं उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में उन्होंने केवल रामपुर को चुना है जबकि उनकी निविदा में 200 अन्य गांव भी शामिल है। यह इसलिए है क्योंकि रामपुर एक महानगर है। गांव में वे अपना कारोबार आरम्भ भी कर लेते है तो उन्हें पता है कि उन्हें घाटा होगा। अत: उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। मैंने अधिकारियों से पूछताछ की है और उन्होंने बताया कि इसके लिए रिलायन्स ग्रुप ने निविदा दी थी और अब वह पीछे हट गया है। पूर्वोत्तर के मामले में उन्होंने पूरे क्षेत्र की निविदा दी है परन्तु केवल शिलांग तथा गुवाहाटी में ही सेवा प्रदान करना आरम्भ किया है। अब वे कह रहे है कि यह सुरक्षा कारण से है। अत: मैंने इस मामले को व्यक्तिगत तौर से लिया और मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय में कार्यरत फील्ड अधिकारियों से संपर्क किया। अब, पहली सुरक्षा संबंधी कारण को लिया जाए तो इसके क्षेत्र में कार्यरत कोर कंमाडर ही बता सकते हैं। मैंने कोर कंमाडर से संपर्क किया और उनसे पूछा की क्या इस संदर्भ में सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के बारे में कभी भी रक्षा मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया है या नहीं, उन्होंने बताया 'नहीं'। तब मैंने पूर्वी कंमाड से संपर्क किया और उनसे पूछा की क्या सुरक्षा आशंकाओं के बारे में रक्षा मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया है। उन्होंने बताया 'नही'। अब, वर्तमान मंत्री महोदय, श्री प्रमोद महाजन पूर्वोत्तर में सेलुलर फोन सेवा शुरू करने के बहुत इच्छुक हैं। ऐसा लगता है कि यह व्यवसायिक घरानों का खेल है। उन्होंने केवल दो बड़े शहरों को ले लिया। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्र को यह बहाना बनाकर छोड़ दिया कि रक्षा मंत्रालय सुरक्षा संबंधी कारणों से इसके लिए सहमत नहीं है। यह सारा खेल है। यदि यह देश कुछ व्यवसायिक घरानों के हाथों में खेलने जा रहा है तो मुझे आशंका है कि हमें इस सरकार से अधिक कुछ मिलने वाला नहीं है। अत: मैं वित्त मंत्री के सुरक्षा संबंधी खतरे का उनका यह बहाना झूठा है। उनकी मंत्रालय में भी पैठ है। पूर्वोत्तर के इस दूरसंचार क्षेत्र में सेलुलर फोन है या वी.पी.टी.।

अब, ग्रामीण टेलीफोनों में भी समस्या है। उन्हें बेतार टेलीफोन का उपयोग करना पड़ता है जिसे 'वायरलेस इन लोकल लूप' कहते हैं। उन्होंने उप-स्टेशनों की स्थापना कर दी है। और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवृत्ति तंरग (फ्रीक्वेन्सी वेव) उपलब्ध न कराए जाने के कारण वे उनका उपयोग नहीं कर सकते यदि यही स्थिति रहती है तो आप लोग टेलीफोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो

उन्हें कर, सेवाएं या धन कैसे प्राप्त होगा? अगर उन्हें पैसा मिलेगा तभी वे वेतन का भुगतान कर पाएंगे और सेवाओं का रख-रखाव भी कर सकेंगे। इसलिए एक गंभीर स्थिति बन गई है। यह कहना कि यह केवल बगावत अथवा विद्रोह की समस्या के कारण है, इसे बहुत हल्के ढंग से लेना होगा। आज विद्रोह की समस्या है। कल हमारे विधि मंत्री ने पोटो पर बहस का उत्तर देते हुए भी कहा था कि आंतकवादी और माफिया प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। उनके पास बेतार फोन और उपग्रह फोन होते हैं। वे उन्हीं के माध्यम से आपस में सम्पर्क में रहते हैं। उनके पास बेहतरीन हथियार है। अब भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों द्वारा सेलुलर फोन के उपयोग से क्यों इन्कार कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है। मैं अपने लिए या अपने राज्य के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आठ राज्यों सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र और यहां तक कि जम्मू और कश्मीर के बारे में भी बोल रहा हूं। एक संसद सदस्य ने कहा कि यहां तक कि पी.सी.ओ. भी बंद कर दिए गए हैं। तब लोग कैसे जीएंगे यह संचार का एकमात्र माध्यम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में समुचित संचार व्यवस्था नहीं है। केवल सेलुलर फोन या इस डब्ल्यू.आई.एल.एल. व्यवस्था से ही वे चिकित्सकों और जिले अधिकारियों से सम्पर्क कर पाते हैं। यह एक दूसरे से बात करने का एकमात्र साधन है। चूंकि साइड ब्लॉक स्थित कुछ अधिकारियों में इन व्यावसायिक घरानों की पैठ है इसलिए उन्होंने कह दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से सेलुलर फोन या डब्ल्यू.आई.एल.एल. सेवा उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। यह बहुत आश्चर्यजनक है। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसे गंभीरतापूर्वक ले और इस संबंध में, इससे पहले कि राष्ट्र को कोई हानि पहुंचे, कदम उठाए। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को बहुत संवेदनशील क्षेत्र समझा जाता है। यदि इन लोगों को यह लगता है कि भारत सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, और उन्हें सुविधाएं नहीं दे रही है तो मुझे संदेह है कि हमें इसके लिए बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। मै यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसके बारे में रक्षा मंत्रालय को बताना चाहिए। रक्षा मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इसे जेल में डाल देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2002-2003 का जो सामान्य बजट है उसके संबंध में तीन बिन्दुओं पर मैं जोर देना चाहता हूं। पहले मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि इस बजट में देश के अंदर जो लघु उद्योग है, उनको ऋण देने की सीमा 2 लाख से 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। इससे रोजगार का सृजन होगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है इसमें 1725 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसलिए भी मैं इसका समर्थन करता हूं। पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 फीसदी की वृद्धि की गई है और इस हेतु 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। विद्युत के क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसलिए भी मैं इसका स्वागत करता हूं।

महोदय. ग्रामीण विकास के लिए 5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 हजार 5 सौ करोड़ रुपए किए गए हैं। इसलिए भी मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 164 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसलिए भी मैं इसका समर्थन करता हूं। कृषि में बजटीय प्रावधान बढ़ाया गया है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। और रक्षा के क्षेत्र में 65 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसलिए भी मैं इसका समर्थन करता हूं। सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलों के क्षेत्र में क्रमश: 22, 39 और 23 प्रतिशत की वृद्धि गत वर्ष की तुलना में अधिक की गई है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और परिवहन के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु जो पैसा बढ़ाया गया है, रेल और सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों को जो व्यवस्था की गई है उसके लिए मैं उनकी सहराहना करता हूं, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार के सभी सांसद जब प्रधान मंत्री जी से मिले थे और एक विशेष पैकेज दिया गया था, उस पैकेज में बिहार के मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सहित सड़क पुल निर्माण के लिए कहा गया था और प्रधान मंत्री ने इसके लिए आश्वासन दिया था कि यह काम किया जाएगा, लेकिन बाद में रेल मंत्रालय के निगम "राइट्स" ने इसका जो सर्वे किया, उसके अनुसार उसने 921 करोड़ रुपए की लागत आने की बात कहीं है। आप यह भी जानते होंगे कि रेल मंत्रालय ने 1997-98 में 6000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, लेकिन परिवहन मंत्रालय को भी उसके लिए धन आबंटित करना है क्योंकि वह रेल एवं सड़क दोनों का पुल बनेगा योजना आयोग ने पहले ही इसे वार्षिक योजना में लेने का वायदा किया था और उसने लिया भी । इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत परिवहन को भी इस हेतु अपना हिस्सा देना है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी परिवहन मंत्रालय का कहा है कि इस बार का जो उनका बजट है वह केवल 1500 करोड़ रुपए का

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

है इसलिए उन्हें इस हेतु धन आबंटित करने में बहुत परेशानी हो रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो सड़क का, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा बनने वाला है, उसकी लागत लगभग 375 करोड़ रुपये की है। हर वर्ष 40 या 45 करोड़ रुपये ही उन्हें देने पड़ेंगे। पहले इन्हें उसकी, स्वीकृति देनी चाहिए। उसके बाद 375 करोड़ रुपए इनको एक साथ नहीं देने हैं। एक वर्ष 40 या 45 करोड़ रुपये ही देने हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब आप अपना उत्तर दें तो इसकी चर्चा जरूर करें कि वे क्या करना चाहते हैं।

वित्त मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार के सासंदों की एक बैठक एनेक्सी में हुई थी। उस समय आप भी थे उसमें कहा गया था कि पटना के पुल का उद्घाटन प्रधान मंत्री जी करने वाले है। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसका शिलान्यास भी हो गया है। अब बिहार में मुंगेर पर गंगा का एक पुल बचा हुआ है। आपने कहा था कि मुंगेर में भी बनेगा और उसके लिए भी धन दिया जायेगा लेकिन उसमें पेरशानी क्या है? परेशानी बिहार सरकार की है। जब बिहार की चर्चा होती है तो हमारे बिहार के जो साथी है, उनको हम कहना चाहते हैं, योजना आयोग और वित्त मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसे अभी तक बिहार की नौवीं और दसवीं योजना में शामिल किया जाना चाहिए था, इसकी घोषणा बिहार सरकार ने भी की थी। जब प्रधान मंत्री जी गये थे तो वहां की मुख्यमंत्री ने आम सभा में घोषणा की थी कि मुंगेर का पुल बनना चाहिए। लेकिन रघुवंश बाबू और कुछ अन्य माननीय सदस्य कह रहे हैं और मुझे भी पता है कि अभी तक आपकी नौवीं और दसवीं योजना में राज्य सरकार के प्लान में यह नहीं आया है। *...(व्यवधान)* यही है बिहार की कार्य संस्कृति।

मैं कहना चाहता हूं कि आपका लिखित प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को नहीं आया है। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जो खड़ी हो गई है। हम केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि चूंकि योजना आयोग ने आश्वासन दिया था कि इसका प्रपोजल बनाने का काम हमारा होगा, मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार बिहार सरकार से इसका प्रपोजल ले। इसके संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, मुंगेर का ब्रिज सिर्फ मुंगेर का नहीं सिर्फ बिहार का भी नहीं है बल्कि पूरे देश को आर्थिक गति देने वाला है, इसलिए इसमें धन केन्द्र सरकार से मिलना चाहिए। बिहार सरकार की भी अपनी परेशानी है लेकिन वहां का जो हाल है, उसे सब जानते हैं। वहां कितना काम होता है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): राज्य सरकार ने रुपया दिया है।*...(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: 56 लाख रुपये का प्रश्न है। हम उसकी भी चर्चा कर देते हैं। 56 लाख रुपया सर्वे का राईट्स को देना था लेकिन वह राईट्स को नहीं मिला है, रेलवे को पैसा नहीं मिले हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में काम का क्या तरीका है? बिहार में चूंकि रघुंवश जी बोल देते हैं। इसलिए जवाब देना पड़ता है। मैं सत्य से परे नहीं बोल रहा हूं। मुंगेर में डिवीजन है राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन, 56 लाख रुपये मुंगेर डिवीजन को भेज दिया गया था जो आपको राईट्स को देना था, रेलवे को देना था। आपका जो हिस्सा था, वह आपने मुंगेर डिवीजन में क्यों भेज दिया। पथ निर्माण के जो सैक्रेट्री हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। *...(व्यवधान)* मैं आप ही को संबोधित करके बोल रहा हूं।

दूसरा बिंदु मैं उठाना चाहता हूं, कि इस बजट में एक चिंता का विषय हैं। कुछ परेशानी की बात है। यूरिया, डी.ए.पी. और सब खाद्य पदार्थों पर 5 परसेंट की वृद्धि की गई है। जो किसानों पर भार है। 20 रुपये आपने एल.पी.जी. गैस के वापिस ले लिये, इसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश की 35 फीसदी आबादी खेत मजदूर है। देश में आज भी खेत में काम करने वाले मजदूरों के यहां बिजली नहीं पहुंची है; वे मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। आपने मिट्टी के तेल का भाव एक रुपये पचास पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया जो एक परेशानी है। इसे वापिस लिया जाए। पैट्रोल के दाम घटाए गए हैं, उसे वैसे ही रहने दीजिए। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की क्या जरूरत है। हम वित्त मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे इस बारे में विचार करें। भारत के 35 फीसदी सबसे गरीब तबके की पॉकिट पर मार मत कीजिए, उसे राहत दीजिए।

बजट में जो अंतिम बात है, वह सैद्धान्तिक भी है और व्यावहारिक भी है। चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के हों, हम उन्हें इस बारे में विचार करने के लिए कहेंगे। सोमैया जी ने चर्चा की, बड़े-बड़े विद्वानों ने भी चर्चा की। यहां उदारीकरण, भूमंडलीकरण, डब्ल्यू.टी.ओ. की चर्चा होती है। पूंजी बाजार में मंदी की वजह से इस देश में जो परेशानी है, आप मेहनतकश लोगों के कंधों पर यह मार डालकर मंदी को दूर करना चाहते हैं-क्या यह संभव है? यह संभव नहीं हैं। पूंजी बाजार क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए। बजट में इसका उत्तर नहीं हैं। मेरी अपनी समझ है। यहां कई अर्थशास्त्री मौजूद हैं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा हूं लेकिन बहुत से सदस्य होंगे। हमने सोमैया जी का भाषण सुना।*...(व्यवधान)* कांग्रेस के भाई कहते हैं कि यह जो हो रहा है, उनके जमाने में नहीं हुआ था। उसके लिए कौन

दोषी है। जब श्री नरसिंह राव की सरकार थी, उस समय मैं भी था। उस समय सुधार की जो प्रक्रिया चली थी, वह लगातार बहुत तेजी से चली। इसलिए कांग्रेस के भाइयों को कुछ कहने का हक नहीं हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर इस बारे में विचार करना चहिए। पूंजी का बाजार, जिसे हम विनिवेश के क्षेत्र में देख रहे हैं, बैंकों का निजीकरण, उद्योग और व्यापार, कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में धन केन्द्रित होना, जब उसकी यहां बात होती है तो लोग कहते हैं कि जमाना इसी का है। जिस रास्ते पर अमरीका जा रहा है, हिन्दुस्तान को भी उसी रास्ते पर जाना चाहिए। आप अमरीका के रास्ते पर चले जाएंगे, क्या हिन्दुस्तान अमरीका है?...*(व्यवधान)* सैद्धान्तिक रूप से कहा जाता है और जब वित्तीय पूंजी, उद्योग और व्यापार की पूंजी, जब एक होती है तो उसे वित्तीय पूंजी कहा जाता है। और जब वित्तीय पूंजी, होती है तो पूंजी का साम्राज्य मुट्ठीभर लोगों के हाथ में होता है और वह खूंखार हो जाता है। यह अमरीका के लिए सही हो सकता है क्योंकि उसने वाशिंगटन और न्यूयार्क में मौजूदा अर्थव्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया है और उसे बढ़ाने का काम किया। इसलिए पूरी दुनिया को उसने बाजार बनाया। लेकिन जिस देश में 35 फीसदी खेत मजदूरों को रोजी-रोटी नहीं मिलती, मिट्टी का तेल मिलना मुश्किल हो जाता है, जिस देश के 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, किसान हैं, जो अभी भी आधुनिक टेक्नोलौजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, बैलों और हलों का इस्तेमाल हो रहा है, आप उस देश में वित्तीय पूंजी को पूंजी साम्राज्य में बदलना चाहते हैं।

मैं एक दो उदाहरण देकर समाप्त कर रहा हूं, इसलिए कि ये सवाल उठ गये हैं। यह बहस जब शुरू हो गई है तो चाहे कांग्रेस के बन्धु ही हों, चाहे इधर से हम लोग हों, इस पर बहस हो जानी चाहिए। अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार करके कह दिया जाता है कि उदारवाद हैं तो क्या उदारवाद हैं। कहने का अर्थ आप नहीं समझते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप इसको किस तरह से चलाएंगे, नियंत्रित करेंगे कि नहीं करेंगे और करेंगे तो कौन सी नीति इसके लिए होगी। यह बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। वित्त मंत्री जी यहां नहीं है। आर्थिक समीक्षा अखबारों में निकलती रहती है। आपको आयकर से और सेल्स टैक्स से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये आने थे, आपको मिला कितना, इधर कुछ बढ़ा हो तो बढ़ा हो, लेकिन दो महीने पहले की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 40 हजार करोड़ रुपया आपके पास आया, 70 हजार करोड़ रुपया किसके पास है, खेत मजदूरों के पास है, किसानों के पास है, नौजवानों के पास है, छात्रों के पास है, यह 70 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जो कालाधन होता है, यह किसके पास है और इस कालेधन को निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर यह कालाधन निकल जाता है, तब आप जो समस्या खड़ी करते हैं, वह कम हो सकती है?

मैं सार्वजनिक बैंकों की पूंजी के बारे में कह सकता हूं, जो सार्वजनिक पूंजी है, वह कितनी है, कुल पूंजी कितनी है, जिस समय राष्ट्रीयकृत की गई है, जो मुझे मालूम है...*(व्यवधान)* अब मैं समाप्त कर रहा हूं, आप बहुत परेशान हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप कहे जा रहे हैं कि आप समाप्त कर रहे हैं। परंतु आप समाप्त नहीं कर रहे हैं। अभी दो वक्ता और है और मुझे 9 बजे से पहले उन्हें भी अवसर देना है। अत: कृपया शीघ्र समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: नौ हजार करोड़ रुपये की पूंजी सार्वजनिक बैंकों की थी। जिस समय इनको राष्ट्रीयकृत किया गया था, तब उनकी कुल पूंजी इतनी थी। आज 9.60 लाख करोड़ रुपये की पूंजी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अनक्लेम्ड कैपीटल है, मतलब जो मर गये, समाप्त हो गये, उनका कोई नहीं है, न उनका परिवार है, न कोई कलेम करने वाला है। सिर्फ उनकी पूंजी 3.10 लाख करोड़ रुपये इन बैंको में है। प्रमोद महाजन जी, संसदीय कार्य मंत्री जी बुरा नहीं मानेंगे, हो क्या रहा है कि फर्जी कम्पनियां खड़ी हो रही हैं और वे इन पैसों को निकाल रही हैं और निजी क्षेत्र में नई-नई चीजें खुलती जा रही है, जिसको हम उदारवाद कहते हैं, जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं, जिसको हम कहते है कि कानून की पद्धति पर हमें चलना है। अमेरिका इस पर कभी नहीं चलता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपको अध्यक्षपीठ की बात सुननी पड़ेगी। यह कोई तरीका नहीं है मैं हमेशा घंटी ही नहीं बजाता रह सकता। कृपया अब समाप्त करे।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: अब बस मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं वित्त मंत्री से और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रमोद महाजन जी से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर इस पर थोड़ा विचार करें कि भारत को उस रास्ते पर जाने से आप कितना इसको मजबूत और पूरे विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था कैसे आप कायम कर सकते हैं, आप पुरानी व्यवस्था की तरफ लौट रहे हैं, नई व्यवस्था की ओर आप नहीं जा रहे है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सामान्य बजट पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

देश की 55 वर्ष की आजादी के बाद भी आज हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक आबादी बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़प रही है। आज जो यह बजट सदन के पटल पर चर्चा के लिए लाया गया है, इस बजट को देखने के पश्चात यह बात स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रही है कि आर्थिक उदारीकरण की जिस नीति को देश को इस देश में लागू किया गया था, उस आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम आज देश के सामने उभरकर सामने आ रहे हैं। जिस समय वित्त मंत्री जी इस बजट को अन्तिम रूप दे रहे हैं। उस समय निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक का दबाव उनके ऊपर था। उसकी प्रतिछाया इस सामान्य बजट के अंदर स्पष्ट तौर पर रेखांकित हो रही है। इस देश में बहुसंख्यक आबादी किसानों और मजदूरों की है, जो पूरे देश का लगभग 70 प्रतिशत है। आज कृषि जगत को जिस मरणासन्न स्थिति में इस बजट के माध्यम से पहुंचाया गया है, उसकी जितनी निंदा हम करें, कम है। जब एकतरफ यह कहा जा रहा है कि विश्व बाजार में मंदी का दौर है, तो हमें इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि विश्व व्यापार में जो मंदी का दौर है, उसमें हम किसान को विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा में ले जाने के लिए कैसे ताकत प्रदान करेंगे। अगर हम मंदी के दौर में कीमतों में वृद्धि करके किसानों को ताकत देने की बात सोच रहे हैं तो हम कहीं न कहीं अपने और देश को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो विश्व बाजार की स्थिति है और प्रतिस्पर्धा है, उसमें हमें किसानों को ले जाने के लिए उसके लागत मूल्य को घटाना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा और गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करनी होगी, तभी हम विश्व बाजार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर हमने इन तीन चीजों पर बल नहीं दिया, तो किसान फिर आत्महत्याएं करता रहेगा और उसकी आत्महत्या के पश्चात हम इसी सदन के अंदर घड़ियाली आंसू बहाकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री करते रहेंगे।

आज दुनिया में अधिकतर देशों की तरफ आंख उठाकर देखें तो पता लगता है कि अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज किसानों को कृषि पर अत्यधिक छूट दे रही है। जितनी कृषि राजकोषीय सहायता अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्र तथा जापान दे रहे हैं, हम उतनी ही घटाते जा रहे हैं। उससे हमारे उत्पादन की लागत बढ़ रही है। और पैदावार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि अगर किसान को आप ताकत प्रदान करना चाहते हैं, जैसा आपने आज कहा कि हम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करेंगे और खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा में किसान को ले जाएंगे, हम आपके इस कदम का स्वागत करेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यह स्थिति लागू करने के पहले आपको लागत मूल्य को घटाना होगा। आपने पहले मिट्टी के तेल के दाम में बेतहाशा वृद्धि की थी। इस बजट में फिर डेढ़ रुपया प्रति लिटर की वृद्धि कर दी है। आज भी देश में गरीब व्यक्ति को बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं हैं और आपने मिट्टी के तेल में जो वृद्धि की है वह उसके साथ क्रूर मजाक किया है। आप देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में चले जाएं, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में देखें, वहां जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं है। वे गरीब मिट्टी के तेल की लालटेन या डिबरी जलाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अपना जीवनयापन करते हैं। आपने डीजल के दाम में कमी की है, उसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित ही डीजल के दाम घटने से किसान के लागत मूल्य पर असर पड़ेगा, लेकिन अच्छा होता अगर आप पेट्रोल के दाम में वृद्धि करते और मिट्टी के तेल के दाम कम करते। यह गरीबों के लिए लाभदायक होता।

आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो दुनिया से जो चुनौतियां हमें मिल रही है। हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि पिछले वर्ष उसने छः वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के लड़कों को मुफ्त शिक्षा देने संबंधी विधेयक पारित कराया। लेकिन उस पर केवल 900 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। युद्ध पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करेंगे और शिक्षा पर केवल 900 करोड़ रुपए। यही आपकी सोच है तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप नए समाज और नए देश का निर्माण नहीं कर सकते। अगर समाज के सभी वर्गों को शिक्षा दे दी जाए और उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा कर दी जाए, स्वास्थ्य की गारंटी दे दी जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हम देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने ही देश में केरल एक राज्य है। नई जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार केरल ने 7 प्रतिशत जनंसख्या घटाने का काम किया है। अगर उसके मूल कारण में जाए, तो हम पाएंगे कि केरल ने सभी को शिक्षित करने का काम किया है। साक्षर नहीं शिक्षित करने का काम किया। जब धर्म पर बहस के लिए हमारे बीजेपी के कुछ मित्र जनसंख्या के नियंत्रण के लिए धर्म को आड़े लाने का काम करेंगे तो हम यह कहना चाहते है कि आज इस प्रगतिशील युग में हमें प्रगतिशील विचारों को स्वीकार करना पड़ेगा। आज कैथोलिक, इस्लाम और सनातन में लगभग संतुलित आबादी में केरल के अंदर तीनों धर्मों के मानने वाले लोगों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम किया है। धर्म जनसंख्या को

नियंत्रित करने में बाधा नहीं है लेकिन गरीबी और अशिक्षा बाधा है। अगर गरीबी और अशिक्षा को हम दूर कर देंगे, सुरक्षा की गारंटी पैदा कर देंगे तो निश्चित तौर पर जनसंख्या को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी और जब हम जनसंख्या को नियंत्रित कर लेंगे तो तमाम बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हम आम जनता के लिए करने का काम करेंगे।

इसी के साथ मै कहना चाहता हूं और बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से हमारे किसानों के घर तबाह हो रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हमारे देश को 55 साल आजादी प्राप्त किये हो गये हैं, उसके बाद भी हमारी खेती प्रकृति पर निर्भर है। आज भी हम दैवी आपदाओं की मार को झेलने के लिए बाध्य हैं। दैवी आपदाओं से सुरक्षा की कोई गारंटी हमने नहीं दी।

किसान क्रेडिट कार्ड का बहुत लम्बा-चौड़ा वर्णन हमारे बीजेपी के साथियों ने किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप किसान को कर्जा ही देते हैं लेकिन जरा देखों कि क्या उसकी माली हालत उस कर्जे के ब्याज को अदा करने की है? अगर आप वास्तविक रूप से किसान की स्थिति को देखेंगे तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो उसे कर्ज प्राप्त हो रहा है, उस कर्ज के ब्याज की अदायगी की भी ताकत आज के किसान में नहीं है।

महानगरों के अंदर जो आलीशान भवन है, ये आयकर की व्यवस्था को चुनौती देने का काम कर रहे है। यह बजट अभिजात्य वर्ग का बजट बनकर रह गया है। आज जितने भी महानगर हैं, उनमें उंची-उंची जो अट्टालिकाएं हैं, वे इसी बात को चुनौती दे रही है कि हमारा जो एनफोर्समेंट विभाग है, जो आयकर विभाग है, यह केवल राजनैतिक दबाव के अंदर काम करने का कार्य करता है। राजनैतिक प्रभाव के अंदर निर्णय लेने का काम करना है। अगर हमने उन आलीशान भवनों पर सही तरीके से काम किया तो मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि करोड़ों हजार रुपये का टैक्स अदा कर सकते हैं। आज देश के अंदर जो विदेशी वस्तुओ का खुला बाजार है, वह इस बात की तरफ संकेत कर रहा है। कि जो कस्टम विभाग है, वह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारा कस्टम विभाग खुले तौर पर तस्करी को आमंत्रित करने का काम कर रहा है। आज कस्टम विभाग की भूमिका पर भी प्रश्नवाचक चिह्न लगा हुआ है। वित्त मंत्री जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज विदेशी पूंजी निवेश के लिए वित्त मंत्री जी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करते चले जा रहे हैं। ये विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों मुनाफा कमाने के इरादे से इस देश के अंदर आ रही हैं, वे हमारे देश की भलाई के लिए नहीं आ रही हैं, वे हमारी तरक्की के लिए नहीं आ रही हैं। हमारे जितने की अप्रवासी भारतीय हैं, अगर उन भारतीय अप्रवासियों को हम विश्वास में ले ले तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चीन ने अपने एनआरआईज का पैसा बड़े पैमाने पर इंवेस्ट कराने का काम किया और वहां के एनआरआईज ने वहां इस भाव से पूंजी निवेश नहीं किया क्योंकि उन्हें इस देश से मुनाफा कमाकर किसी दूसरे देश में ले जाना है तो उस चीन के निवासियों ने अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भक्ति से ओत-प्रोत होकर जब वहां की सरकार ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया तो उन्होंने विदेशी पूंजी निवेश अपने देश में करने का काम किया।

आज विश्व व्यापार संगठन के दबाव के कारण हमारा उद्योग जगत और कृषि जगत दोनों मरणासन्न स्थित में पहुंच चुके हैं। हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों में जब बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें होती हैं तो वित्त मंत्री जी, यह सरकार क्यों नहीं कहती है कि व्यक्तियों के आवागमन पर से भी लगा हुआ प्रतिबंध हटा दो, पूरी दुनिया को एक कर दो। अगर हमारा भारतीय नौजवान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर अगर प्रगति के नये-नये कीर्तिमान स्थापित नहीं कर देगा तो मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हम राजनीति के मैदान से हटकर सन्यास लेने का काम करेंगे। जब विश्व व्यापार संगठन नयी-नयी शर्तों को थोपने का काम करता है और हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और अमरीका के दबाव के अंदर शर्तों को एक-एक करके स्वीकार करती चली जाती है तो हम निश्चित तौर पर अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं।

रात्रि 9.00 बजे

आज हम यह कहना चाहते है कि निर्माण कार्यों में जो लूट हो रही है, उन निर्माण कार्यों की लूट पर आपको अंकुश लगाना होगा। आज नेताओं, अभियन्ताओं और ठेकेदारों का त्रिगुट माफिया पूरे देश में खड़ा हो गया है, जो पूरी व्यवस्था को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप जितनी योजनाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं, उनके कार्यान्वयन पर भी आप नजर रखिए कि उनका कार्यान्वयन किस तरह से हो रहा है। मैं आपको प्रधान मंत्री सड़क योजना से संबंधित एक उदाहरण देना चाहता हूं। राज्य सरकारों से आपके पास एस्टीमेंट आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश का हवाला देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 18 लाख से 22 लाख प्रति किलोमीटर खर्च एस्टीमेट में दर्शाने का काम किया है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी उसी गुणवत्ता के आधार पर पांच से छः लाख प्रति किलोंमीटर की बचत अगर नहीं, तो मैं अपने

[कुंवर अखिलेश सिंह]

संसद सदस्य के पद से इस्तीफा देने का काम करुंगा। एक जिले में आपने 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए प्रधान मंत्री सड़क योजना की मद में भेजा होगा, तो उसमें से कम से कम दो करोड़ रुपए की बचत आप कर सकते हैं। इस प्रकार निर्माण कार्यों में लूट हो रही हैं। गुणवत्ता का ह्रास होता चला जा रहा है। यदि इस पर आप अंकुश लगा लें, तो विकास दर को आप आगे बढ़ा सकते हैं।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): बिहार में भी यही हो रहा है।

कुंवर अखिलेश सिंह: मुझे जिस क्षेत्र का अनुभव है, मैं वहां की बात कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा है। आपको आय और खर्च में समन्वय स्थापित करना होगा। फिजूलखर्ची पर रोक लगानी होगी। अभी हमारे शिव सेना के एक मित्र ने एक बात कही, मैं नहीं जानता वे किस मंत्री के पी.ए. का उन्होंने उल्लेख किया, उस मंत्री के पी.ए. की गाड़ी पर 11 लाख रुपए खर्च हुए और यह खर्च भी सिर्फ दो-तीन महीने में हुए हैं। यह फिजूलखर्ची सिर्फ मंत्री के पी.ए. तक ही सीमित नहीं है। आप 42 से 46 हजार कर्मचारियों को वीआरएस के लिए बाध्य कर रहे हैं। अधिकारियों के इतने बड़े बेड़े पर आप अरबों रुपए फूंकने का काम कर रहे हैं, मेरा विचार है कि फिजूलखर्ची पर रोक लगाकर उस पर रोक लगाने का काम करें। फिजूलखर्ची से इस रुपए को बचाकर यदि आप निवेश उत्पादक मदों में करेंगे, तो निश्चित ही तौर पर इस देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करेंगे।

अब मैं चीनी मिलों के बारे में कहना चाहता हूं। आप चीनी मिलों की हालत पर नजर रखिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 20 चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं। भारत सरकार के नियंत्रण में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फरेन्दा की एक चीनी मिल, जो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बन्द पड़ी हुई है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता हूं। पहले इनकी भी सरकारें रही हैं और बीच में हमारी भी सरकार रही है। उस चीनी मिल को चलाने के लिए कुछ लोगों ने भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय को एक आवेदन पत्र दिया है कि हम कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेंगे और हम इस चीनी मिल को चलाना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की ओर से एनओसी नहीं दिया जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि चीनी मिलें हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार की गई थीं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की समृद्धि की निशानी थीं, वे चीनी मिलें आज बन्द पड़ी है। मेरा सुझाव है कि आप फिजूलखर्ची में से रुपया बचाकर इन बन्द चीनी मिलों के पुनर्निमाण के लिए धन आबंटित करें, तो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, लाखों किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेंगे।

महोदय, हाल ही में आपने चुनावों में अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था। संकल्प लिया था कि एक करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन बजट का अध्ययन करने से पता लगता है। कि आपका वह संकल्प कहीं भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारों को जो रोजगार देने का जो आपने संकल्प लिया था, वह संकल्प अधूरा दिखाई दे रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए इस बजट में व्यवस्था करने का काम करें। हम आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि किसानों की माली हालत को सुधारने का काम आपने नहीं किया, अगर किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का काम आपने नहीं किया और किसानों की फसल को सुरक्षा आपने प्रदान नहीं की, किसानों को आपने सही तरीके से बाजार उपलब्ध नहीं कराया, किसानों के लिए नई ताकत पैदा नहीं की, तो मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि सौ करोड़ के मुल्क में अराजकता पैदा होगी और यह अराजकता देश को खण्ड-खण्ड में विखण्डित करने का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने बजट में संशोधन करें और किसानों के लागत मूल्य को घटाने तथा उत्पादन मूल्य को बढ़ाने के लिए व गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नए सिरे से विचार करें।

अंत में, इन्ही शब्दों के साथ, जब तक आप यह विचार नहीं करते हैं, मैं आपके इस बजट का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: अब सभा कल 20 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

रात्रि 9.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 मार्च, 2002/29 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।